पंचदश माला, खंड 2, अंक 4

मंगलवार, 7 जुलाई, 2009
16 आषाढ़, 1931 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

दूसरा सत्र
(पंद्रहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 2 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

पी.एल.एस.–48/2/4/2009 (एन०)
230

© 2009 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (तेरहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स जैनको आर्ट इंडिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के मूल संस्करण, वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण, वाद-विवाद के अंग्रेजी संस्करण तथा इनकी अनुक्रमणिकाएं, संसदीय समितियों के प्रतिवेदन एवं संसद के अन्य प्रकाशन तथा संसद के प्रतीक चिन्ह युक्त स्मारक मदें विक्रय फलक, स्वागत कार्यालय, संसद भवन, नई दिल्ली-110 001 (दूरभाष: 23034726, 23034495, 23034496) पर बिक्री के लिए उपलब्ध है। इन प्रकाशनों की जानकारी उपर्युक्त वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

डा. रविन्द्र कुमार चड्डा
संयुक्त सचिव

प्रतिमा श्रीवास्तव
निदेशक

कमला शर्मा
अपर निदेशक

सरिता नागपाल
संयुक्त निदेशक

राकेश कुमार
सम्पादक

अनिल निर्वाण
सहायक सम्पादक

© 2009 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलतः अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुनः प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुनः प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि, इस सामग्री का केवल निजी, गैर-वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

विषय-सूची

[पंचदश माला, खंड 2, दूसरा सत्र, 2009/1931 (शक)]

अंक 4, मंगलवार, 7 जुलाई, 2009/16 आषाढ़, 1931 (शक)

विषय	कॉलम
निधन संबंधी उल्लेख	1–2
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 41, 42 और 43	2–28
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 44 से 60	33–83
अतारांकित प्रश्न संख्या 313 से 525	83–585
सभा पटल पर रखे गए पत्र	585–591
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य	591–592, 669–670
(एक) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-09) के संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 63वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
डा. एस. जगतरक्षकन	591–592
(दो) 7 जुलाई, 2008 को काबुल में भारतीय दूतावास पर हुए हमले की दु:खद घटना की पहली बरसी	
श्री एस.एम. कृष्णा	669–670
समितियों के लिए निर्वाचन	592–593
(एक) राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास (नोवोड) बोर्ड	592–593
(दो) कॉफी बोर्ड	593–
कार्य मंत्रणा समिति के पहले प्रतिवेदन के संबंध में प्रतिवेदन	593–
सदस्य द्वारा निवेदन	600–
भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता से दिल्ली लाने संबंधी उच्चाधिकार प्राप्त समिति की कथित सिफारिश के बारे में	
श्री बसुदेव आचार्य	600–601
श्री बी.के. हान्डिक	601–602
नियम 377 के अधीन मामले	605–616
(एक) भारतीय खाद्य निगम द्वारा आंध्र प्रदेश के नलगोंडा जिले के किसानों से चावल के स्टॉक की खरीद किए जाने की आवश्यकता	
श्री गुथा सुखेन्द्र रेड्डी	605–606

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय **कॉलम**

(दो) उत्तराखण्ड के उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर में भारतीय प्रबंधन संस्थान खोले जाने, कुमाऊँ इंजीनियरिंग कालेज द्वारहाट को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के रूप में घोषित किए जाने तथा कुमाऊँ विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता

श्री के.सी. सिंह 'बाबा' 606

(तीन) देश में हेपीटाइटिस बी का उन्मूलन करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने की आवश्यकता

डा. मन्दा जगन्नाथ 606–607

(चार) माचिस उद्योग को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से छूट दिए जाने की आवश्यकता

श्री एन.एस.वी. चित्तन 607–608

(पांच) छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

डा. चरण दास महन्त 608

(छह) देश में सब्जियों और फलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री एस.एस. रामासुब्बू 608–609

(सात) पूर्वी उत्तर प्रदेश में जापानी इंसेफलाइटिस रोग का उन्मूलन करने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री हर्ष वर्धन 609

(आठ) गुजरात के आणंद जिले के करमसाड़ में सरदार वल्लभभाई पटेल मेमोरियल को शीघ्र तैयार किए जाने की आवश्यकता

श्री हरिन पाठक 609–610

(नौ) बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता

डा. भोला सिंह 610

(दस) झारखंड के विभिन्न जिलों में मलेरिया उन्मूलन के लिए उपचारात्मक उपाय किए जाने की आवश्यकता

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय 610–611

(ग्यारह) गुजरात के भरूच जिले में औद्योगिक इकाइयों द्वारा जिन किसानों की भूमि अधिगृहीत की गई है, उनके परिवार के सदस्यों को रोजगार दिए जाने की आवश्यकता

श्री मनसुखभाई डी. वसावा 611–

(बारह) उत्तर प्रदेश के जालौन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पचनाड़ा में बांध बनाए जाने की आवश्यकता

श्री घनश्याम अनुरागी 611–612

(तेरह) उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में 'मूसहर' समुदाय के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री गोरख प्रसाद जायसवाल 612

विषय	कॉलम
(चौदह) बिहार के सहरसा जिले में सहरसा जंक्शन और पचगछिया रेलवे स्टेशन के बीच पड़ने वाले सहरसा बंगाली बाजार रेलवे ढाला पर एक रेल रोड ऊपरि पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
श्री दिनेश चन्द्र यादव	612–613
(पन्द्रह) पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में कपास बुनकर सहकारी समितियों के समक्ष आ रही समस्याओं का समाधान किए जाने की आवश्यकता	
डा. रत्ना डे	613
(सोलह) तमिलनाडु के कृष्णागिरि संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के होसूर में एक केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता	
श्री ई.जी. सुगावनम	613–614
(सत्रह) स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर का विलय भारतीय स्टेट बैंक के साथ किए जाने के प्रस्ताव की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता	
श्री एम.बी. राजेश	614–615
(अठारह) दिल्ली और हरिद्वार के मध्य रेल-लाइन के आमान परिवर्तन के कार्य में तेजी लाये जाने की आवश्यकता	
श्री संजय सिंह चौहान	615–
(उन्नीस) पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मेदिनीपुर जिले में केलेघाई और कपालेश्वरी नदियों में प्रति वर्ष आने वाली बाढ़ से होने वाली तबाही को नियंत्रित किए जाने की आवश्यकता	
श्री प्रबोध पाण्डा	615–616
(बीस) राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता	
डा. किरोड़ी लाल मीणा	616
रेल बजट–2009-2010–सामान्य चर्चा	617–
श्री अनंत कुमार	617–637
श्री विलास मुत्तेमवार	637–647
श्री रेवती रमन सिंह	647–656
श्री डी.वी. सदानन्द गौडा	656–658
श्री नित्यानंद प्रधान	658–659
डा. प्रसन्न कुमार पाटसाणी	659–660
डा. बलीराम	660–662
श्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह	662–669
श्री गोबिन्द चन्द्रा नास्कर	670–672
श्री बसुदेव आचार्य	672–681
श्री पी.सी. गद्दीगौदर	681–683
श्री पिनाकी मिश्रा	683–688
श्री आनंदराव अडसुल	688–690

विषय **कॉलम**

श्रीमती सुप्रिया सुले 691–696
श्री प्रेमदास 696–697
श्री गणेश सिंह 697–702
श्री भक्त चरण दास 702–705
श्री डी. वेणुगोपाल 705–709
डा. एन. शिवप्रसाद 709–711
श्री कमलेश पासवान 711–712
श्री के. बापीराजू 712–715
श्री शैलेन्द्र कुमार 715–717
श्री दारा सिंह चौहान 717–721
श्री निखिल कुमार चौधरी 721–725
श्री जगदम्बिका पाल 725–729
श्रीमती मीना सिंह 729–730
डा. तरूण मंडल 730–732
श्री लालू प्रसाद 732–742
श्री हंसराज गं. अहीर 742–745
श्री सतपाल महाराज 745–748
श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार 748–750
श्री जोसेफ टोप्पो 750–752
श्री पी. कुमार 753–755
श्री श्रीपाद येसो नायक 756–759
श्री रायापति सांबासिवा राव 759–762
श्री कोडिकुन्नील सुरेश 762–766
श्री मधुसूदन यादव 766–769
श्री आनंद प्रकाश परांजपे 769–772
श्री ए. गणेशमूर्ति 772–774
श्री रमेन डेका 774–775
श्री एन.एस.वी. चित्तन 776–779
श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी 779–780

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 783

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 784–788

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 789–790

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 789–790

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती मीरा कुमार

उपाध्यक्ष

श्री कड़िया मुंडा

सभापति तालिका

श्री बसुदेव आचार्य
श्री पी.सी. चाको
श्रीमती सुमित्रा महाजन
श्री इन्दर सिंह नामधारी
श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना
श्री अर्जुन चरण सेठी
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह
डॉ. एम. तम्बिदुरई
श्री बेनी प्रसाद वर्मा
डॉ. गिरिजा व्यास

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

मंगलवार, 7 जुलाई, 2009/16 आषाढ़, 1931 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन हुईं*]

निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को अपने पूर्व सहयोगी, डा. मदन प्रसाद जायसवाल के दुख:द निधन की सूचना देनी है।

डा. मदन प्रसाद जायसवाल 1996 से 2004 तक 11वीं, 12वीं और 13वीं लोक सभा के सदस्य रहे। उन्होंने बिहार के बेतिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

इससे पूर्व डा. जायसवाल 1990 से 1995 तक बिहार विधान सभा के सदस्य रहे।

डा. जायसवाल एक सुयोग्य सांसद थे। वह 11वीं और 12वीं लोक सभा के दौरान वाणिज्य संबंधी समिति के सदस्य रहे। डा. जायसवाल ने 13वीं लोक सभा के दौरान रेलवे संबंधी समिति, संसद सदस्यों के वेतन और भत्तों संबंधी संयुक्त समिति और लोक लेखा समिति के सदस्य के रूप में भी कार्य किया।

व्यवसाय से चिकित्सक, डा. जायसवाल रेडक्रास सोसाइटी आफ इण्डिया के आजीवन सदस्य रहे और उन्होंने इसके कोषाध्यक्ष के रूप में भी काम किया। वह 'इण्डियन मेडिकल एसोसिएशन', बिहार के उपाध्यक्ष रहे। वह 1996-97 और 1998-99 के दौरान भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की शासी निकाय के सदस्य रहे। उन्होंने 'नेशनल इंस्टीट्यूट आफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च' के 'बोर्ड आफ गवर्नर्स' के सदस्य के रूप में भी कार्य किया।

एक कृषक और जाने-माने सामाजिक कार्यकर्ता, डा. जायसवाल ने बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत शिविर लगाने में सक्रिय भूमिका निभायी। उन्होंने नेत्रदान और रक्तदान शिविर भी लगाए। वह बिशम्भर नाथ हिन्दू अनाथालय के सचिव रहे, 1982-83 में बिहार और नेपाल के लायन्स क्लब इण्टरनेशनल के गवर्नर रहे और 1983-84 के दौरान असम, बिहार, पूर्वोत्तर राज्यों, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल के लायन्स क्लब इण्टरनेशनल के मल्टीपल काउंसिल के चेयरमैन रहे।

डा. जायसवाल ने कई देशों का दौरा किया।

डा. मदन प्रसाद जायसवाल का निधन 73 वर्ष की आयु में 20 फरवरी, 2009 को पटना में हुआ।

हम अपने इस मित्र के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं तथा मैं अपनी ओर से तथा सभा की ओर से शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करती हूं।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

तत्पश्चात्, सदस्यगण कुछ क्षण के लिए मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.02$^{1}/_{2}$ बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अध्यक्ष महोदया: श्री वैजयंत पांडा, प्रश्न सं. 41

[अनुवाद]

नक्सलवाद को रोकने हेतु उपाय

*41. **श्री वैजयंत पांडा:**
श्री एम. राजा मोहन रेड्डी:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में नक्सल गतिविधियां बढ़ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो नक्सलवाद से प्रभावित राज्यों और जिलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान असैनिक और सुरक्षा कर्मियों सहित मारे गए/घायल हुए व्यक्तियों, सम्पत्ति की हुई हानि, गिरफ्तार किए गए और मारे गए नक्सलियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और पुलिस महानिदेशकों के साथ हुई बैठकों सहित उच्च स्तरीय बैठकों का ब्यौरा क्या है और इनके क्या परिणाम निकले हैं;

(ङ) नक्सलवाद से पीड़ित परिवारों को दी गई राहत का ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा नक्सलवाद को रोकने हेतु संयुक्त कार्रवाई शुरू करने, विद्यमान कानूनों को संशोधित करने और विशेष कमाण्डो यूनिटें स्थापित करने सहित क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) से (च) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) नक्सल प्रभावित राज्यों से वर्ष 2006, 2007, 2008 और 2009 (30 जून, तक) के दौरान हिंसा की 1509, 1565, 1591 और 1128 घटनाओं और क्रमश: 678, 696, 721 और 455 सिविलियनों एवं सुरक्षा बल कार्मिकों के हताहत होने की जानकारी प्राप्त हुई थी। राज्यवार ब्यौरा अनुबंध-1 के रूप में संलग्न है।

नक्सली हिंसा प्रोफाइल के आधार पर नक्सल प्रभावित 9 राज्यों के 83 जिलों को सुरक्षा संबंधी व्यय योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है जिसका आशय राज्यों द्वारा नक्सलवाद रोधी अभियानों पर किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति करना है। जिलों की राज्यवार सूची अनुबंध-2 के रूप में संलग्न है।

नक्सल प्रभावित राज्यों से वर्ष 2006, 2007, 2008 और 2009 (30 जून तक) आर्थिक लक्ष्यों पर नक्सली हमलों की क्रमश: 71, 80, 109 और 56 घटनाएं रिपोर्ट की गई हैं। विस्तृत ब्यौरा अनुबंध-3 के रूप में संलग्न है।

(घ) आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल सात नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की केन्द्रीय गृह मंत्री के साथ 7 जनवरी 2009 को एक बैठक का आयोजन किया गया था। उसके बाद केन्द्रीय गृह मंत्री जी ने नक्सल प्रभावित राज्यों का दौरा किया। बैठक के दौरान समन्वित संयुक्त नक्सलवाद रोधी अभियान चलाने और सुरक्षा बलों की क्षमता निर्माण सहित विकास मोर्चों पर बल देने पर एक आम सहमति हुई। इसके अतिरिक्त वामपंथी उग्रवाद पर कार्यबल की दो बैठकों का मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 16 जनवरी, 2009 और 12 मई, 2009 को आयोजन किया गया। विशेष सचिव (आन्तरिक सुरक्षा) के अधीन कृतिक बल की 21वीं बैठक 5 फरवरी, 2009 को आयोजित की गई थी।

(ङ) नक्सली हिंसा के शिकार परिवारों को मारे गए प्रति सिविलियन 1 लाख रुपये और नक्सली हिंसा के कारण मारे गए प्रत्येक सुरक्षा बल कार्मिक को 3 लाख रुपये की दर से, गृह मंत्रालय की सुरक्षा संबंधी व्यय योजना के अंतर्गत अनुग्रह राहत का भुगतान किया जाता है।

(च) नक्सल प्रभावित राज्य, नक्सलियों के विरुद्ध राज्यों में तथा अन्तर-राज्य सीमाओं पर संयुक्त अभियान चला रहे हैं। भारत सरकार उनके प्रयासों एवं संसाधनों में अन्य बातों के साथ, केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों की तैनाती करके सहायता करती है। इस समय आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल 8 नक्सल प्रभावित राज्यों में राज्य पुलिस बलों के साथ संयुक्त नक्सलवाद रोधी अभियान चलाने के लिए दीर्घाविधि आधार पर केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों की 37 बटालियनों को तैनात किया गया है। अभी हाल ही में सीआरपीएफ की दो बटालियनों और बीएसएफ की एक बटालियन को मिलाकर बनी।

सीपीएमएफ की तीन अतिरिक्त बटालियनों को नक्सलवाद रोधी अभियानों के लिए पश्चिम बंगाल के पश्चिम मिदनापुर जिले के लालगढ़ क्षेत्र में तैनात किया गया है। जंगल युद्ध कौशल में विशेष रूप से प्रशिक्षित दो कोबरा (रिजाल्यूट एक्शन के लिए कमाण्डो बटालियनों) को, वर्ष 2008-09 के दौरान छत्तीसगढ़ में जगदलपुर और उड़ीसा के कोरापुट प्रत्येक में महत्वपूर्ण स्थलों पर एक बटालियन तैनात करने के लिए, गठित किया गया है। नक्सल प्रभावित राज्यों हेतु 34 इंडिया रिजर्व बटालियनों को मंजूरी दी गई है, जिनमें से राज्यों ने 25 बटालियनों का गठन कर लिया है।

सीपीआई (मओवादी) को, जो कि अधिकांश नक्सली हिंसा की घटनाओं एवं हताहतों के लिए जिम्मेदार प्रमुख वामपंथी उग्रवादी संगठन है, इसके फार्मेशनों एवं फ्रण्ट संगठनों सहित, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के अंतर्गत 22 जून, 2009 को आतंकवादी संगठनों की सूची में शामिल किया गया है।

अनुबंध I

राज्यवार वामपंथी उग्रवादी हिंसा 2006-2009 (30 जून)

राज्य	2006					2007					2008						2009			
	घटनाएं सिविलियनों/ सुरक्षाबलों सहित मौतें	मारे गए सिविलियन	मारे गए सुरक्षा बल कार्मिक	मारे गए नक्सली	गिरफ्तार नक्सली	घटनाएं सिविलियनों/ सुरक्षाबलों सहित मौतें	मारे गए सिविलियन	मारे गए सुरक्षा बल कार्मिक	मारे गए नक्सली	गिरफ्तार नक्सली	घटनाएं सिविलियनों/ सुरक्षाबलों सहित मौतें	मारे गए सिविलियन	मारे गए सुरक्षा बल कार्मिक	मारे गए नक्सली	गिरफ्तार नक्सली	घटनाएं सिविलियनों/ सुरक्षाबलों सहित मौतें	मारे गए सिविलियन	मारे गए सुरक्षा बल कार्मिक	मारे गए नक्सली	गिरफ्तार नक्सली
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
आंध्र प्रदेश	183 (47)	37	10	133	316	138 (45)	43	2	45	348	92 (46)	45	1	36	236	34 (10)	10	–	7	161

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
बिहार	107 (45)	40	5	6	257	135 (67)	45	22	2	282	164 (73)	52	21	15	278	118 (43)	25	18	2	121
झारखंड	310 (124)	81	43	20	254	482 (157)	149	8	13	269	484 (207)	169	38	49	383	364 (122)	73	49	25	186
छत्तीसगढ़	715 (388)	304	84	74	286	582 (369)	171	198	66	254	620 (242)	157	85	76	469	285 (148)	74	74	63	213
मध्य प्रदेश	6 (1)	1	–	–	8	9 (2)	2	–	–	22	7 (-)	–	–	1	5	1 (-)	–	–	–	–
महाराष्ट्र	98 (42)	39	3	19	46	94 (25)	22	3	5	34	68 (22)	17	5	9	106	100 (57)	23	34	2	29
उड़ीसा	44 (9)	5	4	15	29	67 (17)	15	2	7	78	103 (101)	28	73	8	102	162 (40)	20	20	8	63
उत्तर प्रदेश	11 (5)	5	–	4	25	9 (3)	3	–	1	20	4 (-)	–	–	1	41	4 (1)	1	–	–	13
पश्चिम बंगाल	23 (17)	9	8	2	32	32 (6)	6	–	–	82	35 (26)	19	7	–	83	56 (34)	29	5	–	5
अन्य	12 (-)	–	–	1	17	17 (5)	4	1	2	67	14 (4)	3	1	4	40	4 (-)	–	–	–	70
कुल	1509 (678)	521	157	274	1270	1565 (696)	460	236	141	1456	1591 (721)	490	231	199	1743	1128 (455)	255	200	107	861

अनुबंध II

एसआरई स्कीम में शामिल 83 जिलों की सूची

क्र.सं.	राज्य	जिलों की सं.	जिले का नाम
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	16	वारंगल, करीमनगर, अदिलाबाद, खम्माम, मेंडक, नलगौंडा, महबूबनगर, गुंटूर, प्रकाशम, अनंतपुर, कुरनुल, विजगग्राम, विशाखापत्तनम, पूर्वी गोदावरी, श्रीकाकुलम और निजामाबाद।
2.	बिहार	15	औरंगाबाद, गया, झारखंड, रोहतास, नालंदा, पटना, भोजपुर, कीमुर, पूर्वी चम्पारन, पश्चिमी चम्पारन, सीतामढ़ी, आरवल, मुगैर, नवाडा और जमुई।
3.	झारखंड	18	हजारीबाद, लाहौरडागा, पालमू, चतरा, गरवा, रांची, गुमला, सिमडेगा, लटेहर, गिरिडीह, कोडरमा, बोकारो, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, सराईकेला-खरासवन, खुंती और रामगढ़।

1	2	3	4
4.	मध्य प्रदेश	1	बालाघाट
5.	छत्तीसगढ़	9	बस्तर, बीजापुर, दांतेवाड़ा, कनकेर, राजानादगांव, सरगुजा, जसपुर, कोरिया (बैकुंठपुर) और नारायणपुर।
6.	महाराष्ट्र	3	गढ़चिरौली, चन्द्रापुर और गोंडिया।
7.	उड़ीसा	15	मलकानगिरि, गंजाम, कोरापुट, गजपति, रायागढ़ा, नवरंगपुर, मयूरभंज, सुंदरगढ़, सम्बलपुर, किनौरझर, जसपुर, दियोगढ़, कंधमाल, देनकनाल और नयागढ़।
8.	उत्तर प्रदेश	3	सोनभद्रा, मिर्जापुर और चंदौली।
9.	पश्चिम बंगाल	3	बंकुरा, मिदनापुर और पुर्णिया।
	कुल	83	

अनुबंध III

पूरे देश में वामपंथी उग्रवादियों द्वारा आर्थिक निशाने की घटनाएं

			1 जनवरी से 31 दिसम्बर 2006 तक		1 जनवरी से 31 दिसम्बर 2007 तक		1 जनवरी से 31 दिसम्बर 2008 तक		1 जनवरी से 31 दिसम्बर 2009 तक	
				कुल		कुल		कुल		कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
आर्थिक निशाने	बिहार	यूरेनियम माइंस	1	23	0	08	0	05	0	10
		एस्सार स्टील	1		1		1		0	
	छत्तीसगढ़	एनएमडीसी	11		4		0		1	
		एस्सार पाइप लाइन	2		1		3		2	
		बीआरओ	4		1		0		0	
		ग्रामीण सड़क निर्माण योजना	0		0		1		1	
	उड़ीसा	एस्सार पाइप लाइन	1		0		0		4	
	महाराष्ट्र	बीआरओ	2		0		0		0	
	झारखंड	स्टील प्लांट	1		0		0		0	
	बिहार	सीमेंट प्लांट	0		1		0		0	
		सोलर प्लेट	0		0		0		2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
रेलवे	आंध्र प्रदेश		1	33	1	47	2	27	0	15
	बिहार		12		9		11		3	
	छत्तीसगढ़		5		18		6		3	
	झारखंड		13		15		7		3	
	महाराष्ट्र		1		0		0		0	
	उड़ीसा		1		2		0		5	
	पश्चिम बंगाल		0		2		1		1	
टेलीफोन/एक्सचेंज टावर	आंध्र प्रदेश		2	05	0	06	1	46	0	26
	बिहार		0		0		14		12	
	महाराष्ट्र		1		1		2		1	
	छत्तीसगढ़		1		3		15		5	
	झारखंड		0		0		10		3	
	उड़ीसा		1		2		4		5	
पावर प्लांट	आंध्र प्रदेश		2	04	3	03	0	01	0	2
	छत्तीसगढ़		2		0		0		0	
	महाराष्ट्र		0		0		1		2	
माइनिंग	उड़ीसा		1	01	0	06	0	06	0	0
	झारखंड		0		4		4		0	
	छत्तीसगढ़		0		1		2		0	
	आंध्र प्रदेश		0		1		0		0	
पोल/ट्रांसमिशन	छत्तीसगढ़		5	05	10	10	23	24	3	3
	उड़ीसा		0		0		01		0	
	कुल		71	71	80	80	109	109	56	56

श्री वैजयंत पांडा: अध्यक्ष महोदया, माननीय गृह मंत्री द्वारा प्रस्तुत विस्तृत विवरण में यह बताया गया है कि देश में नक्सलवाद की स्थिति बहुत खतरनाक है। विगत साढ़े तीन वर्षों में हिंसा की घटनाओं की संख्या के साथ-साथ हताहत नागरिकों और सुरक्षा बलों के जवानों के बारे में जो आंकड़े प्रस्तुत किये गये हैं उनसे पता चलता है कि इनमें सतत रूप से वृद्धि हुई है। मैंने माननीय गृह मंत्री महोदय के विवरण से यह नोट किया है कि उनके मंत्रालय के साथ-साथ केबिनेट सचिवालय द्वारा प्रभावित राज्यों की कुछ समीक्षाएं की गई हैं। मैं विशेष रूप से उनकी इस बात को उद्धृत करता हूं: ''कि समन्वित संयुक्त नक्सल-रोधी अभियान

चालने के लिए सर्वसम्मति बनाने और विकास के मोर्चे पर ध्यान केन्द्रित करने हेतु सहमति व्यक्त की गई थी।'' मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह राष्ट्रीय स्तर पर इन संयुक्त कार्रवाईयों की स्थिति की अद्यतन जानकारी दें और क्या अभी तक कोई कार्रवाई की गई है।

श्री पी. चिदम्बरम: महोदया, 7 जनवरी, 2009 को मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में इस बात पर सहमति व्यक्त की गई थी कि नक्सलवादियों पर काबू पाने के लिए हमारी संयुक्त रणनीति और दृष्टिकोण होना चाहिए और राज्यों को अंतरराज्यीय कार्रवाई करने के लिए भी सहमत होना चाहिए। इसके आधार पर योजनाएं बनाई गईं और राज्यों के साथ परामर्श किया गया है। राज्य अभी तक पूर्ण रूप से तैयार नहीं हैं। उन्हें अधिक बड़ा पुलिस बल खड़ा करना पड़ता है। उन्हें जंगल युद्ध कौशल और आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना पड़ता है। इस समय राज्य इस कार्रवाई में लगे हुए हैं।

इसी दौरान, कुछ राज्यों ने अपनी-अपनी योजनाएं बनाई हैं। इन्हें केन्द्र द्वारा बनायी जा रही योजना में शामिल किया जा रहा है। स्पष्ट कारणों से मैं योजनाओं का विवरण नहीं दे सकता हूं। परंतु मुख्यमंत्रियों को विश्वास में लिया गया है। मैंने स्वयं मुख्य-मंत्रियों से बात की है। मेरा यह इरादा है कि संसद का सत्र समाप्त हो जाने के बाद नक्सलवाद से प्रभावित राज्यों के मुख्य-मंत्रियों की गोपनीय बैठक बुलाई जाए जिसमें मैं एक बार फिर मुख्यमंत्रियों को जानकारी दूंगा। महोदया, आप इस बात की सराहना करेंगी कि विवरण को प्रकट नहीं किया जा सकता है।

श्री वैजयंत पांडा: नक्सलवाद से प्रभावित विभिन्न राज्य सरकारों की युक्तिसंगत शिकायतों में से एक है संसाधनों की कमी। राज्य सरकारों के लिए इतने हेलीकाप्टर और इतनी बटालियनें इत्यादि जुटा पाना संभव नहीं है। मैं यह चाहता हूं कि माननीय गृह मंत्री सदन को बताएं कि राज्य सरकारों के पास संसाधनों की कमी को पूरा करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं और विशेष रूप से यदि आप मेरे गृह राज्य उड़ीसा जहां नक्सलवादी गतिविधियों में अत्यधिक वृद्धि हुई है के बारे में भी बताएंगे तो मैं आपका आभारी रहूंगा।

श्री पी. चिदम्बरम: हमारी एक पुलिस आधुनिकीकरण योजना है। विगत वर्ष वित्त मंत्रालय द्वारा लगभग 1250 करोड़ रुपये आवंटित किये गये थे। इस वर्ष हमें 1250 करोड़ रुपये दिये गये हैं। यह राशि पर्याप्त नहीं होगी। इसलिए, मैंने वित्त मंत्री को पहले ही बता दिया है कि संशोधित अनुमान स्तर पर हमें और अधिक राशि की जरूरत पड़ेगी। यह 1250 करोड़ रुपये की राशि राज्यों को आवंटित की जा रही है। यह सब आधुनिकीकरण की गति पर निर्भर करता है। जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सारे राज्य नक्सलवाद की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार नहीं हैं और जब आपने अपना पहला अनुपूरक प्रश्न पूछा तो आपने ठीक ही कहा था कि विगत दो-तीन माह में यह चुनौती प्रबल और गंभीर हो गई है। परन्तु केन्द्र भी इस दिशा में अपनी गति तेज कर रहा है। हमने पुलिस बल प्रदान करने के बारे में सहमति दी है। हमने उपकरण प्रदान करने हेतु सहमति दी है। हमने सरकार के अन्य स्कंधों से अन्य संसाधन प्रदान करने हेतु भी सहमति दी है। हालांकि यह कार्रवाई केन्द्रीय पुलिस बलों और राज्य पुलिस बलों द्वारा एक संयुक्त कार्रवाई होगी, फिर भी खर्च का अधिकांश भाग केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

श्री एम. राजा मोहन रेड्डी: अध्यक्ष महोदया, जैसा कि हर व्यक्ति जानता है कि नक्सलवाद न केवल कानून और व्यवस्था की समस्या है अपितु यह एक सामाजिक-आर्थिक समस्या भी है। चार वर्ष पूर्व आंध्र प्रदेश में यह एक बहुत गंभीर समस्या थी परन्तु राज्य सरकार ने जनजातीय और पिछड़े क्षेत्रों जैसे नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों के विकास की दोहरी रणनीति के साथ इस पर काबू पा लिया है। उदाहरणार्थ, आंध्र प्रदेश सरकार ने सभी लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा और शैक्षणिक सुरक्षा सृजित की है। केवल इतना ही नहीं उन्होंने केन्द्र सरकार के साथ-साथ सरकारों द्वारा प्रायोजित सभी आधारभूत संरचना सुविधाओं को सृजित किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने सुरक्षा बलों और नक्सल-विरोधी अभियान बलों को भी सुदृढ़ किया है। इस प्रकार वे काफी हद तक नक्सल गतिविधियों को रोक सके और उन्हें नियंत्रित कर सके हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार अन्य राज्यों में नक्सलवाद को रोकने के लिए किन बातों पर विचार कर रही है।

श्री पी. चिदम्बरम: महोदया, नक्सलवाद राज्यों में समूहों द्वारा अलग-थलग अथवा असमन्वित कार्य नहीं रहा है। आज, नक्सलवाद सीपीआई माओवादियों द्वारा निर्देशित होता है जो अब एक सुगठित संगठन है। इसका अपना केन्द्रीय मिलिट्री आयोग भी है।

यह सच है कि आंध्र प्रदेश ने नक्सलवादियों को रोकने और उनमें से कईयों को निष्क्रिय बनाने में बहुत सफलता प्राप्त की है। मैं आंध्र प्रदेश को बधाई देता हूं लेकिन फिर भी कुछ जिले हैं जहां नक्सलवादी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। यह वस्तुत: द्वि-स्तरीय रणनीति है जिसमें पुलिस अभियान और विकास शामिल हैं। प्रश्न यह है—किस क्रम में इस रणनीति को कार्यान्वित किया जाए। मैं और मेरे मंत्रालय का यह मत है कि हमें पहले नक्सलवादियों के प्रभुत्व वाले क्षेत्र को उनके प्रभुत्व से मुक्त कराना होगा और उन्हें अपने नियंत्रण में रखना होगा और इसके पश्चात् विकासात्मक गतिविधियां की जायेंगी। नक्सलवादी विकास

विरोध होते हैं। हम सड़कों का निर्माण करते हैं और वे उन्हें बम से उड़ा देते हैं। हम टेलीफोन टावर लगाते हैं और वे उसे विस्फोट करके गिरा देते हैं। हम स्कूल और पंचायत घर बना रहे हैं, वे उन्हें भी बम से उड़ा देते हैं। इसलिए, राज्य को पहले उस क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करना होगा। इसके पश्चात् ही वास्तविक विकास हो सकता है। हमने आठ राज्यों में 34 ऐसे जिलों की पहचान की है जिन पर सुरक्षा संबंधी उपायों और विकास योजनाओं दोनों के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है। योजना आयोग ने आठ अंतर-मंत्रालयीय समूहों का गठन किया है और उन 34 जिलों में विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। केबिनेट सचिव के कृतक बल ने 20 मंत्रालयों की 69 योजनाओं को मंजूरी दे दी है। सबसे महत्वपूर्ण योजना सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की है जिसने इन 34 जिलों के लिए एक व्यापक सड़क योजना तैयार की है। लेकिन इस दो-स्तरीय रणनीति का प्रथम स्तर है—नक्सलवादियों से प्रभावित क्षेत्रों को मुक्त कराना और लंबे समय के लिए उन्हें अपने नियंत्रण में रखना। यह कार्य किया जाना है लेकिन मैं सभी ब्यौरों का उल्लेख नहीं कर सकता।

[हिन्दी]

श्री सोहन पोटाई: अध्यक्ष महोदया, नक्सलवाद से प्रभावित अधिकांश राज्यों में से छत्तीसगढ़ भी है। माननीय गृह मंत्री जी ने नक्सलवाद की समाप्ति के लिए आधुनिकीकरण की बात कही है। छत्तीसगढ़ में भी आधुनिकीकरण के लिए निर्धारित एलोकेशन के तहत जितना खर्च होना चाहिए, उसके लिए गृह मंत्रालय को आवंटन की मांग की गयी थी। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या छत्तीसगढ़ को उस आवंटन की पूरी राशि प्रदान की गयी है ताकि वह राज्य नक्सलवाद की समाप्ति के लिए प्रभावी कदम उठा सके?

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम: मुझे अपने पास उपलब्ध धन को आठ राज्यों में बांटना होता है। हम समस्या की प्रकृति को ध्यान में रखकर इसे बांटते हैं। छत्तीसगढ़ सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में से एक है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और मैं लगातार संपर्क में हैं। यदि आप मुख्यमंत्री से पूछेंगे, तो वह आपको बताएंगे कि वह केन्द्र से राज्य को जिस प्रकार की सहयोग प्राप्त हो रही है वह उससे पूरी तरह संतुष्ट हैं।

डा. रामचन्द्र डोम: महोदय, सीपीआई माओवादियों के नाम से नक्सलवादी अतिवाद हमारे देश के लिए एक बड़ी आंतरिक सुरक्षा समस्या है। माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में यह कहा है कि यह समस्या नौ नक्सलवाद प्रभावित राज्यों के लगभग 83 जिलों में उभर कर सामने आयी है। उन्होंने इन क्षेत्रों में अपना लंबा कारीडोर बना लिया है। नि:संदेह इसका सामाजिक आर्थिक विकास पहलू भी है। लेकिन एक अन्य पहलू है-इन क्षेत्रों में विकास गतिविधियों को रोकना और उन्हें संकट में डालना। ये संगठन सुप्रशिक्षित हैं जिनके पास बहुत सारे महंगे अत्याधुनिक अस्त्र-शस्त्र हैं। उनकी घात लगाकर हमला करने की गतिविधियां सर्वत्र चल रही हैं जिनसे जान और माल की क्षति हो रही है।

मेरा इस प्रश्न पर अनुपूरक प्रश्न यह है: क्या सरकार को इस प्रकार के संगठनों के वित्तपोषण के स्रोत के संबंध में कोई निश्चित जानकारी है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वित्तपोषण का कोई विदेशी स्रोत है अथवा नहीं। यह मेरा अनुपूरक प्रश्न है।

श्री पी. चिदम्बरम: वस्तुत: सीमा पार से हथियार और गोलाबारूद की तस्करी की जाती है। लेकिन ऐसे किसी विदेशी वित्तपोषण का प्रभाग नहीं है कि इन्हें विदेशों में स्थित लोगों से पैसा भेजा जाता है। लेकिन नक्सली देश के अंदर से धन एकत्रित कर सकते हैं। किसी न किसी कारण से चाहे गलत ही कारण हो, वे उन क्षेत्रों जिनमें उनका दबदबा है विशेषकर जनजातीय लोगों के बीच समर्थन प्राप्त करने में सफल हो रहे हैं। वास्तव में यह सच है कि जनजातीय श्रेणी के लोगों से उन्हें समर्थन प्राप्त है और वे उनसे आसानी से धन एकत्रित कर लेते हैं। इसके अतिरिक्त नक्सली बैंकों तथा शस्त्रागारों को भी लूट लेते हैं, अत: वे अवैध तरीकों से धन एकत्रित करने में सफल रहते हैं।

अत: इस प्रश्न का कोई ठोस सबूत नहीं है कि उन्हें किसी प्रकार की विदेशी सहायता प्राप्त होती है।

अध्यक्ष महोदया: श्री कौशलेन्द्र कुमार—उपस्थित नहीं।

श्री सुदीप बंदोपाध्याय: हाल ही में भारत सरकार ने सीपीआई (माओवादी) पर प्रतिबंध लगाया है। यह पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मिदनापुर जिले की लालगढ़ घटना के संबंध में किया गया था। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री कौशलेन्द्र कुमार: महोदया, मुझे बोलने का मौका दिया जाए।

अध्यक्ष महोदया: आपका अवसर खत्म हो गया है। आप अनुपस्थित थे।

श्री कौशलेन्द्र कुमार: महोदया, मैं यहीं बैठा हुआ था। माननीय सदस्य श्री शैलेन्द्र कुमार जी बोलने के लिए उठे, तो मैंने समझा कि इनका नाम बुलाया गया है।

अध्यक्ष महोदया: ठीक है, इस प्रश्न के बाद आप अपना प्रश्न कीजिए।

[अनुवाद]

श्री सुदीप बंदोपाध्याय: अत: लालगढ़ की घटना पूरे पश्चिम बंगाल में महत्वपूर्ण मुद्दा है। केन्द्र तथा राज्य पुलिस के संयुक्त बलों ने पिछले दो सप्ताह से पश्चिमी मिदनापुर के जिले विशेषकर लालगढ़ क्षेत्र में अभियान शुरू किया हुआ है। वहां दो बलों के टकराव के कारण अनेक बड़ी घटनाएं हुई हैं।

माननीय मंत्री महोदय से मेरा प्रश्न यह है कि जब केन्द्र ने उस पर प्रतिबंध लगाया, तो क्या पश्चिम बंगाल में माओवादी गतिविधियों के संबंध में मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री के साथ कोई चर्चा की थी और क्या पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के बीच देश में माओवादी पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में कोई चर्चा की थी, क्योंकि राज्य सरकार, मुख्य सत्ता दल सीपीआई(एम) ने केन्द्र द्वारा पश्चिम बंगाल सरकार की मदद करने के प्रयासों के बावजूद केन्द्र सरकार के निर्णय का सकारात्मक उत्तर नहीं दिया। कृपया इसे स्पष्ट किया जाए।

श्री पी. चिदम्बरम: पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री मुझसे तथा प्रधान मंत्री जी से भी मिले थे। उनके साथ चर्चा में मैंने उन्हें सलाह दी कि वे सीपीआई (माओवादी) को दंड विधि (संशोधन) अधिनियम 1908 के अंतर्गत 'अवैध संगठन' घोषित किए जाने पर विचार करे। आम भाषा में यह कहा गया है कि हमने उन्हें इस पर प्रतिबंध लगाने की सलाह दी। हालांकि यह सही है। लेकिन तकनीकी रूप से इसका अर्थ है कि दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 1908 के अंतर्गत इसे ''अवैध संगठन'' घोषित किया जाए।

वे मुझसे और प्रधान मंत्री से मिलने के बाद मीडिया से भी मिले। मीडिया के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि गृह मंत्री ने सीपीआई (माओवादी) दल पर प्रतिबंध लगाने की सलाह दी है और वे ''उस पर विचार करेंगे''। उनके साथ चर्चा हुई थी, उन्हें सलाह दी गई कि और उन्होंने स्वीकार किया कि सीपीआई (माओवादी) को ''अवैध संगठन'' घोषित करने की सलाह दी गई थी।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: श्री कौशलेन्द्र कुमार, कृपया बहुत ही संक्षेप में अपना पूरक प्रश्न पूछें।

श्री कौशलेन्द्र कुमार: अध्यक्ष महोदया, नालंदा जिले के तीन प्रखंड हिल्सा, हरनौत और ईस्लामपुर जो कि नक्सली हिंसा से काफी प्रभावित हैं। मेरा मानना है कि वहां सड़क नहीं है, इस कारण उस एरिया में नक्सलवादी गतिविधियां काफी बढ़ रही हैं। मैं गृह मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस बारे में सरकार क्या विचार कर रही है? मेरी आपसे विनती भी है कि वहां शीघ्र ही सड़क निर्माण का कार्य कराएं।

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम: प्रश्न क्या है? *...(व्यवधान)*

जैसाकि मैंने कहा, हमने नक्सल प्रभावित जिलों में सड़क निर्माण कार्य शुरू किया है जो एक प्राथमिकता वाला मुद्दा है। सड़क परिवहन मंत्रालय नक्सल प्रभावित जिलों में और अधिक सड़कों के निर्माण की योजना बना रहा है। लेकिन जैसाकि मैंने कहा है, विकास तभी सम्भव हो सकता है जब हम उस पर इसे स्वीकृति देकर इस क्षेत्र को नक्सलियों से मुक्त कराकर अपना कब्जा नहीं कर लेते।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद: मैडम, नक्सलपंथी का जन्म हुआ, क्या सरकार ने पता लगाया कि किन कारणों से यह हुआ? गरीबी, गुरबत, बेकारी, लाचारी और बेबसी और फ्यूडलों का अत्याचार इन सम्भावनाओं का पता लगाने की क्या सरकार ने कभी कोशिश की? सिर्फ कुचल देने से या मार देने से 'ईज्म' खत्म नहीं होगा। आप पांच लोगों को मार सकते हैं, लेकिन जो नक्सलवाद है, आतंकवाद है, आनन्दमार्ग है, उनके 10-20 लीडर्स को मार देने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता। यह आंध्र प्रदेश से लेकर कोलकाता, छत्तीसगढ़, *...(व्यवधान)* 14 सूबों में फैला हुआ है।

अध्यक्ष महोदया: कृपया प्रश्न पूछें।

श्री लालू प्रसाद: मैडम, यह देश के करीब 14 सूबों में फैला हुआ है और नेपाल तक इसका कारीडोर बना हुआ है। राष्ट्र इस समय बारूद के ढेर पर खड़ा है इसलिए इस विषय को हल्के-फुल्के तरीके से नहीं लेना चाहिए। इसकी जड़ पर प्रहार करना होगा और उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने की कोशिश सरकार को करनी चाहिए। एक भी पुलिस का जवान और राज्य की पुलिस का चाहे एस.पी. हो या अन्य, इनसे मुकाबला नहीं करना चाहता इसलिए आपको वहां फौज बुलानी पड़ती है। वे लोग लेटेस्ट इक्वीप्मेंट्स, से लैस हैं। इसलिए उन्हें मुख्य धारा पर लाना होगा। इस पर पहले डिबेट भी हुई है, जब तत्कालीन गृह मंत्री जी थे। उन पर हमला करना, उनका पता लगाना या गोली से उड़ा देना ही सिर्फ समस्या का समाधान या इलाज नहीं है। यह जो फ्यूडलिज्म है, जिसके चलते नक्सलवाद को फलने-फूलने का मौका मिला, इस पर विचार करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदया: आप प्रश्न पूछें।

श्री लालू प्रसाद: आप सब पार्टियों के नेताओं की मीटिंग बुलाएं, सब मुख्यमंत्रियों को भी बुलाएं और उनकी बात सुनें। सिर्फ रुटीन तरीके से ही चलकर काम नहीं बनने वाला है।

अध्यक्ष महोदया: लालू प्रसाद जी, आप प्रश्न पूछें।

श्री लालू प्रसाद: हम जानते हैं कि आप हम लोगों को नहीं बोलने देंगी। शांत होने का यह मतलब नहीं कि हमारी जुबान को बंद कर दिया जाए। ...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदया: ऐसी बात नहीं है, आप बोलिए, लेकिन प्रश्न पूछें।

...(*व्यवधान*)

श्री लालू प्रसाद: आपको कोआपरेट करने का यह मतलब नहीं है कि आप प्रश्न ही न पूछने दें। आप हम लोगों को प्रश्न तो पूछने दें। ...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदया: मैं तो कह ही रही हूं कि आप प्रश्न पूछें।

...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम: महोदया, मैंने, ''हम उन्हें मार देंगे, हम उन्हें समाप्त कर देंगे, हम उनका खात्मा कर देंगे'' शब्दों का प्रयोग नहीं किया। रिकार्ड में सब कुछ अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। मैंने बस इतना ही कहा था कि अब भारत में बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जिन पर नक्सलियों का नियंत्रण है। राज्य भारत के इन बहुत सारे क्षेत्रों को नक्सलवादियों के नियंत्रण से मुक्त नहीं करा सकता। हमें उस क्षेत्र को उनसे मुक्त करा कर उस पर कब्जा करके विकास करना होगा। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वे अपनी बात मेरे मुंह से कहलवाने की कोशिश न करें। मैंने उन शब्दों का प्रयोग नहीं किया।

दूसरा, नक्सलवाद पर बहुत सारा साहित्य मौजूद है और उस पर किताबें लिखी गई हैं। लालगढ़ घटना के बाद आज भी बहुत-कुछ लिखा गया है। नक्सलवाद की उत्पत्ति पर बोलने के लिए मैं सक्षम नहीं हूं। सिद्धांत के मूल प्रवर्तक विचार धारा से प्रेरित हुए होंगे और वे स्वार्थ रहित व्यक्ति रहे होंगे।

लेकिन आज हमारे सबूत बताते हैं कि वे सभी विचारधारा से प्रेरित नहीं हैं। उनमें से अधिकांश ने हिंसा का ही रास्ता अपनाया है और उनके लक्ष्य पर राज्य या पूंजीवादी है। सीपीआई (माओवादी) पोलितब्यूरो के दस्तावेजों से साफ है कि उनकी योजना में हिंसक गतिविधियां और सत्ता हथियाना है। राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए, हमें आज की स्थिति से निपटना होगा, और हम पुलिस बलों का उपयोग तथा विकास करके द्विस्तरीय रणनीति अपना रहे हैं, मैं निरंतर के संपर्क में हूं। मैंने राज्यों की स्थिति की समीक्षा की है। मुख्य मंत्रियों से भी मेरी बातचीत हुई है। हमने योजनाएं बनाई हैं। जैसाकि मैंने कहा, आगे और समीक्षा करने के लिए हम संसद के सत्र के पश्चात् मुख्यमंत्रियों को पुन: बुलाएंगे। इसके अतिरिक्त पूरे देश में वाद-विवाद चल रहा है और मुझे विश्वास है कि नक्सलियों से कैसे निपटा जाए इसके समाधान के लिए वाद-विवाद जारी रहेगा। हमने एक दृष्टिकोण विकसित किया है और मुझे आशा है कि हमारा दृष्टिकोण सही है। मुझे आशा है कि हम उसमें सफल होंगे। मैं चाहता हूं कि यह सभा नक्सलवादी गतिविधियों से निपटने के लिए सरकार द्वारा बनाई जा रही योजनाओं का समर्थन करे।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव: अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी ने जो कहा, उससे पूरा सदन संतुष्ट नहीं हो सकता है। असली बात माननीय लालू जी ने कही है और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के चार-पांच जिले नक्सल प्रभावित हो गये थे, पीएसी के 15 जवानों की हत्या कर दी गयी थी। हमारे दिले में गुस्सा तो था लेकिन हमने नक्सलवादी लोगों के लीडर्स से सीधी बात की। जब मैंने नौगढ़ में सभा की तो एक लड़की जिसका नाम बासमती था, जो नक्सलाइट लोगों की लीडर थी, वह पीछे बैठी थी। मैंने उसे मंच पर बुलाया और मंच पर ही उससे कहा कि इस रास्ते को आप छोड़ो। उसने कहा कि हमारी समस्या यह है कि हम लोग 100-150 सालों से जिन मकानों में रह रहे हैं वे मकान दूसरों के नाम हैं और जिन खेतों को तीन पीढ़ियों से हम जोत-बो रहे हैं वे खेत भी दूसरों के नाम हैं। मैंने उनकी समस्या सुनी और पूरी की पूरी खेती और मकान उनके नाम कर दिये। मैंने उनकी समस्याओं को सुना और दूर किया और उसके बाद उत्तर प्रदेश में नक्सलाइट नाम की चीज नहीं रही। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह सवाल असली है। आप नेताओं और मुख्यमंत्रियों को बुला लें, ठीक है, लेकिन मैं आपको राय दे रहा हूं कि नक्सलाइट्स के लीडर्स से आप बात कीजिए और उनकी समस्याओं को सुनिये। यह सच है कि लोग नक्सलाइट मजबूरी में हुए हैं। मैं आपको उनके मकान और खेत के उदाहरण दे रहा हूं। उत्तर प्रदेश के चार-पांच जिलों में नक्सलाइट की समस्या को हमने बातचीत के जरिये से खत्म किया है। हमने चार दिन पार्टी का शिविर उनके बीच में जाकर चलाया और वे सब पार्टी के शिविर में आये। आज उत्तर प्रदेश में नक्सलाइट्स नहीं हैं। असली बात यह है कि क्या नक्सलाइट्स के लीडर्स से आप बात करेंगे? अगर आप उन्हें देश की मुख्य धारा में लाना चाहते हैं तो पहले उनसे

बात कीजिए और फिर नेताओं से बात कीजिए। नक्सलाइट्स के नेता चाहे एक हो या दस हों, क्या आप उनसे बात करेंगे, यह असली सवाल है? यह बात सही है कि डंडे और गोली से नक्सलाइट्स की समस्या दूरी नहीं होगी।

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम: महोदया, मेरी जानकारी के अनुसार प्रत्येक मुख्य मंत्री ने यह स्पष्ट किया है कि नक्सली हिंसा का रास्ता छोड़ सकते हैं और उन्होंने सरकार के साथ बातचीत की है और उनकी जायज मांगें पूरी की जाएंगी। यह स्थिति आंध्र प्रदेश में है। यही छत्तीसगढ़ में है। यही झारखंड में है। यही उड़ीसा में भी है और हाल ही में यह पश्चिम बंगाल में भी हुआ है। यह नक्सली नेताओं के ऊपर हैं कि वे मुख्य मंत्रियों की अपील पर ध्यान दें; वे संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री के साथ बातचीत करें और अपनी समस्याएं सुलझाएं। केन्द्र सरकार को राज्यों की हिंसा तथा आतंकवादी गतिविधियों से निपटने में राज्य की सहायता करनी चाहिए। श्री मुलायम सिंह यादव ने जो कहा है कि उसका समर्थन करता हूं। मुख्य मंत्रियों की नक्सली नेताओं से अपनी अपील को फिर दुहराना चाहिए और नक्सली नेता भी उनकी अपील पर ध्यान देना चाहिए और मुख्य मंत्रियों के साथ बैठक करनी चाहिए। केन्द्र जिस तरह की सहायता कर सकती है हम उसका समर्थन करेंगे। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: आप कृपया बैठ जाइए।

[अनुवाद]

प्र.सं. 42 श्री आनंदराव अडसुल।

राजमार्ग परियोजनाओं में धीमी प्रगति

*42. **श्री आनंदराव अडसुल:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राजमार्ग परियोजनाओं के कार्यान्वयन में कथित धीमी प्रगति के कारणों के बारे में सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस रिपोर्ट के निष्कर्षों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या आदर्श रियायत समझौता (एम.सी.ए.) उक्त परियोजनाओं के कार्यान्वयन में बाधक है;

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या निजी निवेशकों ने एम.सी.ए. के कतिपय प्रावधानों विशेषकर समापन खण्ड (टर्मिनेशन क्लाज) की वजह से राजमार्ग परियोजनाओं में मदद देने में कठिनाई व्यक्त की है;

(च) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(छ) सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) और (ख) जी, नहीं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा एक सतत् प्रक्रिया है। समीक्षा प्रक्रिया के दौरान, कार्यान्वयन में आने वाले विभिन्न व्यवधान अभिनिर्धारित किए जाते हैं और परियोजनाओं का समयबद्ध कार्यान्वयन करने के लिए मुद्दों के समाधान हेतु आवश्यक उपाय किए जाते हैं। सुपुर्दगी की विधियां, पूर्व अर्हता की प्रक्रिया, आदर्श रियायत करार और वैश्विक मंदी का प्रभाव आदि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें इस संबंध में नवीनतम समीक्षा के आधार पर अभिनिर्धारित किया गया है।

(ग) से (छ) आदर्श रियायत करार में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) आधार पर राजमार्गों के विकास के लिए ढांचा निर्धारित किया गया है। निजी निवेशकों ने, प्राधिकरण द्वारा ठेके के समय पूर्व समापन तथा रियायत अवधि की परिवर्तनशीलता संबंधी खण्ड सहित आदर्श रियायत करार के कुछ उपबंधों के बारे में कुछ कठिनाइयां बताई हैं। सरकार का प्रयास है कि सभी संबंधित पक्षों से उचित परामर्श के पश्चात् विभिन्न मुद्दों को निपटाया जाए।

श्री आनंदराव अडसुल: अध्यक्ष महोदया, सर्वप्रथम मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि लिखित उत्तर नहीं दिया गया है। परन्तु फिर भी मैं अपना अनुपूरक प्रश्न पूछूंगा। बहुत सारी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं अपने मूल निर्धारित समय से बहुत पीछे चल रही हैं और विशेष रूप से मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि राष्ट्रीय राजमार्ग-6 पर कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है। यह गुजरात सीमा से शुरू होता है, मेरे निर्वाचन क्षेत्र अमरावती से गुजरता है और यह छत्तीसगढ़ की सीमा पर समाप्त होता है। इस परियोजना में केवल 50 कि.मी. का चार लेन राजमार्ग कार्य पूरा हुआ है और शेष भाग जो कि बहुत बड़ा है अभी पूरा होना बाकी है। इस परियोजना के लिए स्वीकृति चरणबद्ध रूप में फरवरी, 2004, मार्च, 2005 और जनवरी, 2006 में दी गई थी। राष्ट्रीय राजमार्ग पर अधिक यातायात होने के कारण कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है। यातायात को तीव्र करने के बाजय यह यातायात में बाधा डाल रहा है।

अध्यक्ष महोदया: कृपया प्रश्न पूछें।

श्री आनंदराव अडसुल: इस परियोजना के पूरा होने का समय समाप्त हो गया है। इसे 2006 में पूरा होना था और अब वर्ष 2009 चल रहा है। इसे समय पर पूरा न करने के लिए बहुत सारे कारण दिये गये हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह परियोजना कब पूरी हो जाएगी।

श्री कमलनाथ: महोदया, मैं एक विशिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग के संबंध में सदस्य को विलंब के कारण के बारे में नहीं बता सकता हूं क्योंकि यह एक विशिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग पर आधारित प्रश्न नहीं है, परन्तु मैं इतना कहना चाहता हूं कि मैं इस परियोजना के संबंध में हुए विलंब के बारे में सदस्य की चिंता को गंभीरता से लेता हूं और विगत एक माह से मैं यह समीक्षा कर रहा हूं कि हम अपने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के कार्य में तेजी कैसे ला सकते हैं। हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि हमारे देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई लगभग 70,000 कि.मी. है जिसमें से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को विकास के लिए लगभग 33,600 कि.मी. सौंपा गया है और इस 33,600 कि.मी. में से 11,000 कि.मी. में कार्य पूरा हो गया है। इसलिए इस राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना पर काफी कुछ कार्य करना है। हम सामने आई अड़चनों को देख रहे हैं। इस बारे में मुद्दे रहे हैं और सबसे बड़ा मुद्दा भूमि अर्जन का है। यह राजमार्ग निर्माण में एकमात्र सबसे बड़ा मुद्दा है। विगत में हमने भूमि अर्जन के बगैर ठेके प्रदान किये थे और अब हमने निर्णय लिया है कि 80 प्रतिशत भूमि का अर्जन करने पर और शेष 20 प्रतिशत भूमि के संबंध में प्रक्रिया पूरी हो जाने पर ही ठेके दिये जायेंगे। 'भूमि अर्जन' से मेरा तात्पर्य है कि भूमि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के कब्जे में होनी चाहिए। इसलिए इससे विलंब कम होगा परन्तु सरकार की मंशा यह सुनिश्चित करना है कि इस संबंध में हुई प्रगति में पर्याप्त वृद्धि हो।

श्री आनंदराव अडसुल: महोदया, जो कुछ मंत्री महोदय ने कहा है उसके बारे में सर्वप्रथम मैं यह कहना चाहता हूं कि भूमि अर्जन बहुत मुश्किल नहीं है क्योंकि एक विशिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम है जिसके तहत हम भूमि का आसानी से अर्जन कर सकते हैं।

दूसरी बात यह कि मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या स्वर्ण चतुर्भुज राजमार्ग परियोजना का कार्य पूरा हो गया है अथवा नहीं क्योंकि यह अत्यंत महत्वपूर्ण परियोजना है जो देश के पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण क्षेत्र को कवर करती है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह परियोजना कब तक पूरी हो जाएगी।

श्री कमलनाथ: महोदया, स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना का 98 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है और शेष 2 प्रतिशत कार्य जो कि बचा हुआ है, चल रहा है और यह शीघ्र ही पूरा हो जाएगा। अत: स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना का 98 प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है कि एक सराहनीय उपलब्धि है।

श्री पी.सी. चाको: महोदया, यह प्रश्न देश में लागू की जा रही अत्यंत महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजना के बारे में है और माननीय मंत्री का उत्तर संतोषजनक नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग-47 का लगभग 50 कि.मी. मेरे निर्वाचन क्षेत्र से गुजरता है और अंतिम टुकड़े पर कार्य धीमी गति से चल रहा है। यह धीमी प्रगति नहीं है परन्तु यह कार्य पूर्णत: रुक गया है।

अब चूंकि इस मंत्रालय में ऊर्जावान मंत्री हैं, मैं इस बारे में एक विशिष्ट उत्तर चाहता हूं। क्या मंत्री जी इस मुद्दे के समाधान के लिए राज्य स्तर पर एक सम्मेलन आयोजित करेंगे? यहां पर बहुत सारे कारण बताए जा रहे हैं। संबंधित पक्षों से चर्चा नहीं की जा रही है। सभी रिपोर्ट केवल फाइलों में ही है। इनका पर्यवेक्षण करने के लिए कोई भी नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भी कोई त्वरित कार्रवाई नहीं कर रहा है। जब कार्य का समय समाप्त हो जाए तो इसे वर्तमान ठेकेदार के जोखिम और उसके नुकसान पर रद्द कर दिया जाना चाहिए, अथवा उसे किसी अन्य पार्टी को दे देना चाहिए, अथवा उस कार्य को पूरा किया जाना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की कोई योजना नहीं है। लागत बहुत तेजी से बढ़ रही है और परियोजना कार्य बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रहे हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण चीज है, हमें इसका उत्तर चाहिए। क्या मंत्री महोदय सभी संबंधित पार्टियों के साथ राज्य स्तर पर एक सम्मेलन आयोजित करेंगे और राष्ट्रीय राजमार्ग कार्य की धीमी प्रगति की समीक्षा करेंगे।

श्री कमल नाथ: महोदया, मैं निश्चित रूप से केरल सरकार के साथ चर्चा करूंगा। जहां तक राष्ट्रीय राजमार्ग-47 के संबंध में माननीय सदस्य की चिंता का संबंध है, मैं माननीय सदस्य को यह जानकारी देना चाहता हूं कि इस वर्ष की जो हमारी कार्य योजना है, चेरथलाई का ओचीरा तक के कार्य के साथ 86 कि.मी. का तिरुअनंतपुरम का ओचीरा तक का कार्य इस कार्य योजना में सम्मिलित किया गया है।

मैंने जो कार्य किया है यह है कि मैंने कार्य योजनाएं तैयार की हैं और हम प्रत्येक वर्ष के लिए कार्य योजना की प्रक्रिया तैयार कर रहे हैं। इसे हम योजना-एक कहते हैं, अगले वर्ष वाली योजना को हम योजना-दो कहेंगे और इसी तरह से योजनाओं के नाम होंगे। मैं माननीय सदस्य को और माननीय सभा को यह

बताना चाहता हूं कि हम आधार स्तर पर प्रगति के संदर्भ में और प्रक्रिया के संदर्भ में दोनों के लिए इस वर्ष जो हम कार्य करने की योजना बना रहे हैं क्योंकि राजमार्ग का निर्माण उसकी इच्छा मात्र से नहीं हो जाता बल्कि इसके लिए हमारे पास प्रक्रिया होनी चाहिए, हमारे पास व्यवहार्यता रिपोर्ट होनी चाहिए, हमारे पास परियोजना रिपोर्ट एवं ऐसी अन्य चीजें होनी चाहिए। इसमें समय लगता है। इसलिए, अगले वर्ष की ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें इस वर्ष आरंभ किया जाना है और बाद में अगले दो वर्ष की कई चीजें इसी वर्ष आरंभ की जानी हैं ताकि हम अगले वर्ष और उसके बाद की योजनाओं को पूरा कर सकें। ऐसी भू अधिग्रहण, प्रगति रिपोर्ट, वित्त पोषण जैसी कई चीजें हैं, इन्हें किस मोड में आरंभ किया जाना है, इत्यादि। इसलिए, हम इन कार्य योजनाओं को तैयार कर रहे हैं।

लेकिन मुझे माननीय सदस्य को यह जानकारी देते हुए वर्ष हो रहा है कि जिन दो राजमार्गों का उन्होंने उल्लेख किया है, इस पर हमारे दो कार्य इस वर्ष की कार्य योजना में शामिल हैं।

[हिन्दी]

श्री हुक्मदेव नारायण यादव: अध्यक्ष महोदया, श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासन में उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम स्वर्णिम चतुर्भुज योजना एक महत्वाकांक्षी योजना बनाई गई थी जो सम्पूर्ण भारत में भौगोलिक एकात्म बनाने की योजना थी। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि जो अन्य छोटे एन.एच. बने तो उनको छोड़ दीजिए, लेकिन ये चारों सड़क और बिहार में 5500 कि.मी. नये एन.एच. की घोषणा उस समय देश में की गई थी, उसमें 1100 कि.मी. बिहार में थे। उनके बारे में क्या सरकार ने कभी सोचने का काम किया है?

जहां तक जमीन के मुआवजा अधिग्रहण का सवाल है, मेरे घर से होकर एन.एच. 57 जा रहा है, बिहार के किसानों के साथ अन्याय इस मामले में है कि ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: कृपया आप प्रश्न पूछिए।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव: महोदया, जो जमीन के मुआवजे की राशि दी जा रही है, वह पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ और है और बिहार के किसानों को मुआवजा की दर में एनएचएआई ने भारी असमानता बरती है। बिहार सरकार ने जो नोटिफिकेशन किया और जो रेट इस सरकार ने सुधार करके तय किया, एनएचएआई उस दर को मानने के लिए तैयार नहीं है। आरबिट्रेटर फैसला देता है, एनएचएआई कोर्ट में मुकदमा कर देता है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या बिहार के लोगों की जमीन कम रेट पर ली जाएगी? क्या बिहार के लोगों की जमीन मिट्टी की है और बाकी प्रदेश के लोगों की जमीन क्या सोने की है? हमारी जमीन उपजाऊ है। हमारी जमीन का रेट भी उसी आधार पर मिलना चाहिए जिस आधार पर सारे देश में मिलता है।

श्री कमल नाथ: माननीय सदस्य ने अपनी भावनाओं से मुझे अवगत कराया, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। परन्तु यह बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि कोई भेदभाव बिहार के मामले में नहीं बरता जा रहा है और जो उन्होंने यह बात उठाई है कि बिहार में मुआवजा कम दिया जाता है, मैं उनको बताना चाहता हूं कि वहां कम या ज्यादा नहीं दिया जाता है। मैं कहना चाहता हूं कि जो मुआवजा तय होता है, वह राज्य सरकार के कलैक्टर जो वहां सैटिलमेंट आथोरिटी है, वह तय करती है। एनएचएआई तय नहीं करता है। एनएचएआई केवल पैसे दे देता है। लेकिन जो माननीय सदस्य ने कहा कि कलैक्टर ने तय किया और एनएचएआई ने स्वीकार नहीं किया, मैं इस पर आवश्यक ध्यान दूंगा और हमारे इस साल के और अगले साल के वर्क प्लान में हम बिहार की सड़कों को बीओटी बेसिस पर जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री शरद यादव: महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप जानते हैं कि वेस्ट बंगाल में आइला आया था और उससे पहले भी विप्लव आया था। प्रधान मंत्री जी ने उसे राष्ट्रीय विपदा घोषित किया था और मंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि उस इलाके में रेल से लेकर रोड तक के रास्ते पूर्णिया, अररिया, सुकूर, मधेपुरा और सहरसा में पूरी तरह तबाह हो गये। वहां राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 106 और 107 अचानक आये हुए संकट से तबाह हो गये। वहां थोड़ा-बहुत पैसा पिछली सरकार ने दिया है। ये पूरे इलाके एक संकट से तबाह हो गये हैं। भारत सरकार के पास रेल और रोड का विभाग है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उस इलाके में जो सड़के हैं, वह तो आपके हाथ में है। पिछले 5-7 वर्ष से एक पैसा भी इस इलाके में नहीं गया है। बहुत कम पैसा गया है। आप नये मंत्री बने हैं, इसलिए आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जिन-जिन इलाकों में तबाही होती है, उनकी तरफ विशेष ध्यान देकर इन रास्तों के बारे में तो आप तत्काल कोई रास्ता निकाल सकते हैं। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि कोसी के इलाके में जो तबाही और बर्बादी हो गई है, उस पर आपकी तरफ से क्या कोई पहल की जाएगी?

श्री कमल नाथ: महोदया, इसमें कोई शक नहीं है कि जहां प्राकृतिक आपदा का प्रश्न है, वहां हमें प्राथमिकता देनी चाहिए और माननीय सदस्य ने मेरा ध्यान जिस क्षेत्र की तरफ आकर्षित किया है, इस पर मैं आवश्यक विचार करूंगा। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करता हूं कि वह मुझे अलग से अपने सुझाव भी इस विषय में दे दें।

श्री रेवती रमन सिंह: अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एनएच-2 और एनएच-27 पर इलाहाबाद शहर का बाईपास बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार को भेजा है? यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है? अगर आपके पास ब्यौरा न हो तो आप यह भी कह सकते हैं कि उसका ब्यौरा हमारे पास नहीं है। मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि यू.पी. में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने पिछले 5 वर्षों में कितनी परियोजनाओं की शुरूआत की है तथा इसमें से कितनी परियोजनाएं समय से पूर्व सम्पन्न हो गई हैं और जो नहीं हुई हैं, वे कितनी परियोजनाएं हैं और कब तक पूरी हो जाएंगी? यह पूरे उत्तर प्रदेश के बारे में है। मैंने स्पेसिफिक पूछ लिया है।

श्री कमल नाथ: महोदया, मैं माननीय सदस्य को यह जानकारी भिजवा दूंगा। इन्होंने बहुत स्पेसिफिक जानकारी मांगी है और जहां तक इलाहाबाद बाईपास का प्रश्न है। ...(*व्यवधान*)

श्री रेवती रमन सिंह: वह सड़क आपके मध्य प्रदेश से ही आती है।

श्री कमल नाथ: मैं जानता हूं। इसीलिए तो आपकी तरफ ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। मैं इसके बारे में पूरी जानकारी माननीय सदस्य के पास भिजवा दूंगा। इलाहाबाद बाईपास की योजना पूरी होने जा रही है। लेकिन मैं इसकी पूरी जानकारी जो इन्होंने मांगी है, वह मैं इनको और भिजवा दूंगा।

[अनुवाद]

श्री एस. सेम्मलई: अध्यक्ष महोदया जी, मुझे आशा है कि सदस्य मेरी इस बात से सहमत होंगे कि अधिकांश समस्या वाहन इस्तेमाल करने वालों और लारी आपरेटरों को होती है जो उन राष्ट्रीय राजमार्गों पर चलते हैं जिन्हें विल्ट आपरेट ट्रांसफर के अंतर्गत गैर-सरकारी निवेशकों द्वारा बिछाया गया है क्योंकि वे पथकर प्लाजाओं पर अधिक पथकर का भुगतान करते हैं।

डीजल और पेट्रोल के मूल्यों पर भी सरकार कुछ प्रतिशत कर सड़क कर के रूप में लगाती है। सभी वाहन इस्तेमाल करने वाले लोग सड़क कर में अप्रत्यक्ष रूप से काफी कर डीजल और पेट्रोल की खरीद द्वारा देते हैं। यह उन पर दुगुना भार होता है जिससे परिवहन प्रभार बढ़ जाता है और वस्तुओं के दाम भी बढ़ जाते हैं।

मेरा प्रश्न यह है। क्या मंत्री जी उनके कष्ट को देखने के लिए मामले की छानबीन करेंगे और सभी प्रकार के वाहनों पर मौजूदा स्तर के पथकरों में कम-से-कम एक समान 25 प्रतिशत कटौती करेंगे?

श्री कमल नाथ: महोदया, कुछ प्रतिशत सड़कें हैं जिनका निर्माण पथकर से किया जाना है। एक सड़क का उन्नयन किया गया है। हम एक लेन वाली सड़कों को दो-लेन वाली सड़कों में बदल रहे हैं; दो-लेन वाली सड़कों को चार-लेन वाली सड़कों में बदल रहे हैं; और चार-लेन वाली सड़कों को छह लेन वाली सड़कों में विस्तार कर रहे हैं। इसके लिए खर्च करना होता है। इसका फायदा भी है। वाहन चालकों का समय बच रहा है। इसलिए, यदि हम पथकर को कम करते हैं–पथकर नीति एक अति सुविचारित नीति है-तो इसका अर्थ यह होगा कि हम कम सड़कों का निर्माण करेंगे। इसलिए,—कार्य जिसे कार्य को हम करना चाहते हैं, उसके और पथकर के बीच एक संतुलन होना चाहिए। सरकार के पास जो संसाधन हैं, वे पर्याप्त नहीं हैं। अत:, पथकर के संबंध में क्या किया जाना चाहिए इस बारे में हम विवेकपूर्ण रवैया अपना रहे हैं।

पहली प्राथमिकता सदैव पथकर होनी चाहिए। हम यह प्रयास करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि इस पथकर को सभी लोग वहन कर सकें। इसलिए, इस समय पथकर नीति में गत वर्ष घोषित पथकरों की समीक्षा का कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री कल्याण बनर्जी: अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जहां तक बड़े राष्ट्रीय राजमार्गों का संबंध है, उन्हें साफ रखने के लिए कौन उत्तरदायी है। अब समय आ गया है। कई स्थानों पर नगरपालिका अथवा पंचायतों और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के बीच विवाद है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यह कह रहा है कि यह उनकी संपत्ति है, इसमें कोई प्रवेश नहीं कर सकता। इसका सफाई रखना किसकी जिम्मेदारी है? हर दिन इसकी सफाई रखनी होगी। इसकी सफाई रखना किसकी जिम्मेदारी है? यदि यह राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की जिम्मेदारी है तो क्या उनके पास इसके रख-रखाव के लिए बुनियादी ढांचा है या नहीं?

श्री कमल नाथ: महोदया, राज्य राजमार्ग और राष्ट्रीय राजमार्ग है। जब किसी राष्ट्रीय राजमार्ग की भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सुपुर्द किया जाता है। तो इसकी सफाई और रख-रखाव करना राष्ट्रीय राजमार्ग की जिम्मेदारी होती है।

स्वच्छता के संबंध में भूमिगत के माध्यम से यदि कोई सर्वसम्मत समझौता हुआ है तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जिसने सड़क का निर्माण किया है, की जिम्मेदारी इसकी सफाई करना है। ऐसे मामले में जहां राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इसका रख-रखाव कर रहा है तो यह कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का है।

लेकिन यदि कोई विशेष मामला है जिसे सदस्य मेरे ध्यान में लाते हैं तो मुझे इस पर ध्यान देने में खुशी होगी।

अध्यक्ष महोदया: प्र.सं. 43 श्रीमती सुस्मिता बाउरी

चक्रवात राहत

+
***43. श्रीमती सुस्मिता बाउरी:**
श्री महेन्द्र कुमार राय:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में पश्चिम बंगाल और देश के अन्य भागों में चक्रवात 'आइला' आया था;

(ख) यदि हां, तो मारे गए व घायल हुए व्यक्तियों तथा सम्पत्ति को हुए नुकसान का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त चक्रवात से हुई हानि का आकलन करने के लिए किसी केन्द्रीय दल ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है;

(घ) यदि हां, तो उक्त दल द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और उन पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई;

(ङ) क्या प्रभावित राज्य सरकारों ने इस स्थिति से निपटने हेतु इस चक्रवात को प्राकृतिक आपदा घोषित करने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है; और

(च) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है और अब तक राज्य-वार कितनी वित्तीय सहायता दी गई है?

गृह मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) से (च) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (च) ''एआईएलए'' चक्रवात, जो पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों में आया था, से, ऐसी रिपोर्ट है कि, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना और पूर्व मिदनापुर जिला एवं उसके समीपस्थ जिलों में गंभीर क्षति हुई है।

2. 137 मानव जीवन को क्षति हुई, लगभग 4 लाख हेक्टेअर फसली क्षेत्र को क्षति हुई और 5 लाख से अधिक घरों को गंभीर क्षति हुई।

3. पश्चिम बंगाल सरकार ने 1743.14 करोड़ रुपये की सहायता मांगी है। एक अन्तर-मंत्रालयी केन्द्रीय दल ने 6 से 9 जून, 2009 को प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया तथा एक विस्तृत क्षति आकलन रिपोर्ट प्रस्तुत की और राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि से सहायता की सिफारिश की। ये सिफारिशें राज्य में मृत्यु, घरों को क्षति, पशुओं एवं खाद्य भण्डार को क्षति तथा कृषि फसलों एवं अवस्थापना को हुई क्षति के मामलों में राहत की प्रमात्रा से संबंधित है।

4. इस मामले पर उच्च स्तरीय समिति ने विचार किया और निश्चय किया है कि पश्चिम बंगाल सरकार से क्षेत्रवार विवरण प्राप्त न होने के कारण आवास एवं सड़क सेक्टरों से संबंधित पदों पर निर्णय आस्थगित रखा जाए। (इन दो सेक्टरों के लिए राज्य ने लगभग 520.00 करोड़ रुपये की सहायता मांगी है)। अन्य सेक्टरों के बारे में एनसीसीएफ से 478.27 करोड़ रुपये की सहायता पर सहमति हुई है। पेय जलापूर्ति विभाग एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय ने संवर्धित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (एआरडब्ल्यूएसपी) और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना (एनआरईजीएस) के अंतर्गत पृथक निधियां रिलीज की हैं।

5. ''एआईएलए'' चक्रवात को एनसीसीएफ योजना के अंतर्गत सहायता के लिए गंभीर प्राकृतिक आपदा के रूप में माना गया है।

[हिन्दी]

श्रीमती सुस्मिता बाउरी: अध्यक्ष महोदया, पश्चिम बंगाल में आइला के कारण बहुत नुकसान हुआ है। वहां बहुत लोग परेशान हुए हैं, प्रापर्टी और डोमेस्टिक एनीमल्स का बहुत लॉस हुआ है। जब कल जनरल बजट पेश हुआ था तब माननीय मंत्री जी ने प्रपोज किया था कि एक हजार करोड़ रुपया इसके लिए दिया जाएगा।

[अनुवाद]

महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सीआरएफ खाने और एनसीजीएफ खाने में पृथकत: कितनी धनराशि आवंटित की गई है।

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, वित्त मंत्री जी की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय समिति की बैठक ने 478.27 करोड़ रुपए स्वीकृत किया है। हमने अभी तक दो शीर्षों के बारे में पश्चिम बंगाल सरकार की मांग पर विचार नहीं किया है क्योंकि ब्यौरा प्रस्तुत नहीं किया गया है।

पश्चिम बंगाल सरकार से उन दोनों शीर्षों के अंतर्गत ब्यौरा प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है और जब वे ब्यौरे प्राप्त हो जाते हैं तो उच्च स्तरीय समिति पुन: इन दोनों शीर्षों के अंतर्गत मांग पर विचार करेगी। अब तक 478.27 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है।

श्रीमती सुस्मिता बाउरी: मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि क्या सरकार आइला से प्रभावित लोगों के लिए तत्काल प्रभाव से पश्चिम बंगाल को अग्रिम धनराशि जारी करने पर विचार कर रही है जैसाकि पहले बिहार में कोसी बाढ़ से पीड़ित लोगों के मामले में किया गया था।

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, पहली किस्त जारी करने हेतु राज्य सरकार का अनुरोध 1 जून, 2009 को प्राप्त हुआ था और 98.96 करोड़ रुपए 2 जून, 2009 को जारी किया गया था। सीआरएफ खाते में कुछ राशि है। अब हमने 478.27 करोड़ रुपए जारी किए है जैसाकि मैंने कुछ देर पहले कहा कि हम धनराशि जारी करने हेतु राज्य सरकार से एक और अनुरोध का इंतजार करना होगा। धनराशि की उपलब्धता समस्या नहीं है। जो भी धनराशि स्वीकृत की जाती है उसे जारी किया जा रहा है और इसके बाद वित्त मंत्री जी ने कल बहुत ही उदार घोषणा की है और वे आइला चक्रवात के लिए 1000 करोड़ रुपए की अलग से व्यवस्था कर रहे हैं।

श्री महेन्द्र कुमार राय: महोदया, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए सुंदरवन क्षेत्र में ठोस तटबंधों के निर्माण कार्य के लिए 10,000 करोड़ रुपए का कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है अथवा सुझाव भेजा है। यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्री पी. चिदम्बरम: महोदया, पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री जब प्रधान मंत्री से मिले तो उन्होंने सुंदरवन में तटबंधों के पुनर्निर्माण के लिए वास्तव में सुदृढ़ीकरण हेतु उन्हें ज्ञापन दिया है। इसमें कई करोड़ रुपए की धनराशि समाहित है। उन्होंने भी मुझे उस ज्ञापन की एक प्रति दी है। उस समय पश्चिम बंगाल लोक निर्माण विभाग और जल संसाधन मंत्रालय बीच को भरने आपातकालीन उपाय करने में लगी है। सुंदरवन में तटबंधों को सुदृढ़ करने का दीर्घकालिक कार्यक्रम एक बड़ी परियोजना है। इसकी जांच जल संसाधन मंत्रालय द्वारा यथासमय में की जाएगी। हमें एक योजना तैयार करने में, योजना का वित्तपोषण करने में और इसे लागू करने में पश्चिम बंगाल सरकार के साथ कार्य करना होगा। यह दीर्घकालिक कार्यक्रम है।

इस समय हमारे पास पत्र हैं और हमें यह पत्र प्राप्त हो गया है।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज: अध्यक्ष महोदया, सबसे पहले मैं वित्त मंत्री जी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगी कि कल बजट में उन्होंने इस चक्रवात राहत के लिए एक हजार करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया है। लेकिन मैं गृह मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि पिछले वर्षों का यह अनुभव रहा है कि प्राकृतिक आपदा के बाद उत्साह में राहत पैकेज की घोषणा तो कर दी जाती है, लेकिन बाद में वह राशि वितरित नहीं की जाती है। दो जगह बिहार और उड़ीसा में यह अनुभव हुआ है कि राशि वापस मांगी जा रही है। बिहार में कोसी की बाढ़ की विभीषिका के बाद जो पैसा दिया गया था, वह पत्र लिखकर वापस मांगा जा रहा है। यह बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा है।

उड़ीसा के बारे में भी यहां राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए माननीय सांसद ने यह बात कही थी। इसलिए मैं आपसे यह चाहूंगी कि क्या आप सुनिश्चित करेंगे कि जो राशि कल वित्त मंत्री ने घोषित की है, वह वितरित हो और बाद में वापस भी न मांगी जाए?

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम: महोदया, जहां तक मेरी जानकारी है, संप्रग सरकार ने यह प्रथा नहीं है कि किसी पैसे को देने के पश्चात उसे मांगा जाए।

श्रीमती सुषमा स्वराज: बिहार इसका साक्षी है। ...*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम: एक मिनट रुकिए।

माननीय सदस्य की शिकायत को मैंने नोट कर लिया है। लेकिन मेरे दोनों सहयोगी, कृषि मंत्री और मैं उच्च स्तरीय समिति के सदस्य हैं, और जब तक हम सो नहीं रहे हों, उच्च स्तरीय समिति की कब बैठक हुई थी, मुझे याद नहीं आ रहा ...*(व्यवधान)* एक मिनट रुकिए ...*(व्यवधान)* मुझे पहले प्रश्न का उत्तर देने दीजिए।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव: एक मिनट मेरी बात सुनिये। ...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम: अगर अध्यक्ष महोदया अनुमति दें ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: शरद यादव जी, कृपया बैठ जाएं।

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदया: यह रिकार्ड में नहीं जायेगा।

...(*व्यवधान*)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदया: कृपया बैठ जाइये, कृपया शांत हो जाइये।

...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब: पत्र भी भेजे गए हैं ...*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम: मैं प्रश्न का उत्तर दूं या उनको जवाब दूं? ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: कुछ भी रिकार्ड में नहीं जायेगा।

...(*व्यवधान*)*

अध्यक्ष महोदया: कृपया आप शांत हो जाइये। मंत्री महोदय को उत्तर देने दीजिए।

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदया: कृपया उत्तर देने दीजिए।

...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(*व्यवधान*)*

श्री पी. चिदम्बरम: महोदया, जहां तक मेरी जानकारी है ...*(व्यवधान)*

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ **ललन सिंह:** इसे कार्यवाही-वृत्तांत में शायद शामिल न किया जाए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: आपको प्रश्न पूछने का मौका दिया जायेगा, आप पूछ लीजिये।

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदया: जब आपको प्रश्न पूछने के लिये कहा जायेगा, आप बोलियेगा और आप पूछ लीजिये।

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदया: यह सब कुछ रिकार्ड में कैसे जायेगा? इस तरह रिकार्ड में कैसे जायेगा?

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदया: आप प्रश्न पूछ लीजिये। आपका जब नाम लिया जायेगा, तब आप पूछ लीजिये।

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदया: आप प्रश्न पूछ लीजियेगा, वह रिकार्ड में चला जायेगा। मगर इस तरीके से कैसे होगा, यह आप सोच लीजिये कि कैसे रिकार्ड में जायेगा?

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदया: मंत्री जी को उत्तर देने दीजिये।

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदया: मैं आपको बताना चाहती हूं कि अगर आपको लग रहा है कि उत्तर गलत है तो उसके लिये और तरीके हैं। आप नोटिस दे दीजिये।

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदया: शरद यादव जी, आप एक मिनट मेरी बात सुनिये। कृपया बैठ जाएं। क्या आप मेरी बात नहीं सुनेंगे?

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदया: अगर आपको प्रश्न पूछना है और अगर आपको लग रहा है कि मंत्री महोदय का उत्तर गलत है तो नोटिस दे दीजिये।

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदया: आप कृपया एक मिनट शान्त हो जाइये। अगर आपको लग रहा है कि मंत्री महोदय ने जो कहा है, वह गलत है, उसके तथ्य गलत हैं तो उसके लिये आप नोटिस दे सकते हैं। अगर आप अभी कहते तो मैं आपको प्रश्न पूछने के लिये बुला लेती हूं। अगर सब लोग खड़े होकर बोलेंगे तो कैसे रिकार्ड में जायेगा?

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदया: आप प्रश्न पूछ लीजिये। मैं आपको प्रश्न पूछने के लिये कह देती हूं।

...(*व्यवधान*)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदया: मैं आपसे प्रश्न पूछवा लूंगी। आप बैठ जाइये। समय बीत रहा है।

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदया: चेयर की अनुमति के बिना अगर सब खड़े होकर बोलेंगे तो वह रिकार्ड में कैसे जायेगा?

...(*व्यवधान*)

श्री शरद यादव: यह जो रिकार्ड में न जाने वाली बात है, यह खत्म होनी चाहिए। रिकार्ड से बात निकालना बंद किया जाए।

अध्यक्ष महोदया: कृपया आप बैठ जाइए। आप इन्हें जवाब देने दीजिए। कृपया बैठ जाएं।

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदया: कृपया बैठ जाइए।

...(*व्यवधान*)

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ **ललन सिंह:** यह तय हो जाना चाहिए कि कौन-कौन सी बात रिकार्ड में जायेगी? ...(*व्यवधान*)

प्रजातंत्र सबकी सहमति से चलता है। ...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न काल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

खाद्यान्नों का भण्डार

***44. श्री अधीर चौधरी:**
श्री सुशील कुमार सिंह:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में खाद्यान्नों का वर्तमान भंडार कितना है;

(ख) क्या उक्त भण्डार सरकार द्वारा चलायी जा रही कल्याण योजनाओं सहित देश में खाद्यान्नों की अनुमानित आंतरिक मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा चालू वर्ष हेतु देश में खाद्यान्नों की अनुमानित मांग कितनी है;

(घ) क्या सरकार का विचार खाद्यान्नों के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा आवश्यक खाद्यान्नों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और देश में मूल्य वृद्धि को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) से (ङ) 1 जून, 2009 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों (गेहूं और चावल) का स्टाक 204.03 लाख टन चावल और 331.22 लाख टन गेहूं था।

आवंटन के वर्तमान स्तर पर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन लगभग 446 लाख टन और अन्य कल्याण योजनाओं के अधीन लगभग 50 लाख टन खाद्यान्नों की वार्षिक आवश्यकता होने का अनुमान है। केन्द्रीय पूल में उपलब्ध खाद्यान्नों का वर्तमान स्टाक आवंटन के वर्तमान स्तर पर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याण योजनाओं के अधीन खाद्यान्नों की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

खाद्यान्नों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए देश में पिछले वर्ष के दौरान अनाज की फसलों का पर्याप्त उत्पादन हुआ है। चावल और गेहूं की रिकार्ड खरीदारी होने से केंद्रीय पूल में भी पर्याप्त स्टाक उपलब्ध है।

खाद्यान्नों के मूल्यों में स्थिरता बनाए रखने के लिए सरकार समय-समय पर कई वित्तीय और प्रशासनिक उपाय करती रही है। इनमें 31.03.2009 तक शून्य शुल्क पर चावल और अगले आदेशों तक शून्य शुल्क पर गेहूं के आयात की अनुमति देना, राजनयिक आधार पर 2 मिलियन टन गैर-बासमती चावल के निर्यात के अनुमोदन को छोड़ कर गैर-बासमती चावल और गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाना, 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुख दो यूनिटों को 25,000 टन गैर-बासमती चावल का निर्यात करने की छूट देना, निजी खाते पर राजनयिक आधार पर केन्द्रीय पूल से 2 मिलियन टन तक गेहूं और गेहूं के उत्पादों के निर्यात का अनुमोदन देना और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों के केंद्रीय निर्गम मूल्यों को 2000/2002 के स्तर पर बनाए रखना शामिल है। दालों का आयात और राज सहायता प्राप्त मूल्यों पर राज्यों को इनका आवंटन शुरू किया गया है।

फिलहाल, खाद्यान्नों के निर्यात पर से मौजूदा प्रतिबंध हटाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

राष्ट्रमंडल खेल, 2010

***45. डा. एम. थम्बिदुरई:**
श्री दुष्यंत सिंह:

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल खेल, 2010 से संबंधित तैयारी/अवसंरचना संबंधी विकास कार्य की प्रगति निर्धारित समयानुसार चल रही है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) खेलों से संबंधित परियोजनाओं को पूरा करने में विलम्ब के लिए संबंधित भागीदारी/एजेंसियों पर लगायी गयी शास्ति, यदि कोई हो, का ब्यौरा क्या है;

(घ) प्रत्येक परियोजना हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई और कितनी उपयोग में लायी गयी;

(ङ) खेलों के आयोजन से संबंधित हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापनों का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या खेलों के लिए सुरक्षा व्यवस्था पर कोई विशेष ध्यान दिया जा रहा है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (डा. एम.एस. गिल): (क) और (ख) जी, हां। खेल अवसंरचना का कार्य संतोषजनक ढंग से चल रहा है। कुछ परियोजनाएं समय-सीमा से पीछे चल रही थीं इनको पूर्व स्थिति में लाने हेतु समय अनुसूची तैयार कर ली गई है और अनुमान है कि सभी योजनाएं समय से पूरी कर ली जाएंगी।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सीरीफोर्ट परिसर में स्क्वैश कोर्ट का कार्य पूरा होने में हुई देरी पर ठेकेदार पर 50 लाख रु. का दंड लगाया है।

(घ) युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा, आज तक की स्थिति के अनुसार जरूरत के आधार पर परियोजना-वार अनुमोदित तथा जारी की गई राशि का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

(करोड़ रु.)

क्र.सं.	परियोजना का विवरण	अनुमोदित की गई राशि	जारी की गई राशि
1	2	3	4
1.	भारतीय खेल प्राधिकरण (भा.खे.प्रा.)	2460.00	990.28
2.	अखिल भारतीय टेनिस संघ (एआईटीए)	30.00	24.70
3.	दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू)	222.41	167.50
4.	जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय (जेएमआई)	33.41	25.00
5.	दिल्ली पब्लिक स्कूल, आर.के. पुरम (डीपीएस), नई दिल्ली	1.73	0.50
6.	के.लो.नि.वि. को बिग बोर शूटिंग रेंज, कादरपुर, गुड़गांव के लिए	15.00	15.00
7.	दिल्ली में सामुदायिक खेल सुविधाएं	15.00	प्रक्रिया में है

जारी की गई राशि का उपयोग परियोजना लागत को पूरा करने में किया गया।

(ङ) राष्ट्रमंडल खेल, 2010 आयोजित करने के लिए आयोजित समिति का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय ओलंपिक संघ, भारत सरकार तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने एक ''मेजबान शहर संविदा'' पर 5.11.2003 को हस्ताक्षर किए थे। हालांकि खेल दस्तावेजों के अनुसार खेल आयोजित करने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से आयोजन समिति की है, किंतु भारत सरकार तथा दिल्ली सरकार खेलों के आयोजन के लिए सहायता करेगी, सुविधाजनक बनाएगी तथा वित्त पोषण करेगी और उपयुक्त तथा अपेक्षित सुरक्षा प्रबंध सुनिश्चित करेगी।

(च) और (छ) जी, हां। गृह मंत्रालय राष्ट्रमंडल खेलों की सुरक्षा के लिए नोडल मंत्रालय है। गृह मंत्रालय तथा दिल्ली के उप राज्यपाल द्वारा सुरक्षा प्रबंधों की प्रगति की समीक्षा नियमित आधार पर की जाती है।

कृषि क्षेत्र में निवेश

***46. श्री एन.एस.वी. चित्तन:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि क्षेत्र में किए जा रहे निवेश का वर्तमान स्तर अपर्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कृषि क्षेत्र में सरकारी/निजी निवेश हेतु किसी योजना पर विचार किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) और (ख) 11वीं योजना के लिए, यह महसूस किया गया है कि 4% वृद्धि प्राप्त करने के लिए कृषि क्षेत्र के लिए कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। 1999-2000 के मूल्यों पर विगत चार वर्षों के दौरान कृषि क्षेत्र में किए गए सकल पूंजी निर्माण के संदर्भ में मापित निवेश की राशि निम्नानुसार है-

कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक तथा निजी निवेश (1999-2000 के मूल्यों पर)

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	वर्ष	कृषि क्षेत्र में निवेश			कृषि क्षेत्र से सकल घरेलू उत्पाद	सकल घरेलू उत्पाद में निवेश का प्रतिशत (कृषि क्षेत्र में)		
		सार्वजनिक	निजी	कुल		सार्वजनिक	निजी	कुल
1.	2004-05	12273	36925	49198	441647	2.8	8.4	11.1
2.	2005-06	15007	41452	56459	467984	3.2	8.9	12.1
3.	2006-07	17633	45030	62663	487010	3.6.	9.2	12.9
4.	2007-08	21027	46837	67864	511274	4.1	9.2	13.3

स्रोत- केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन

इन वर्षों के दौरान कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ा है।

(ग) और (घ) सरकार ने कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाने तथा निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत सी योजनाएं प्रारम्भ की हैं। प्रमुख योजनाएं निम्नानुसार हैं:

* कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश को बढ़ाने हेतु राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना।
* उन्नत उत्पादन प्रौद्योगिकियों यथा हाइब्रीड चावल, सघन प्रणाली, संसाधन, संरक्षण प्रौद्योगिकियां, एकीकृत पोषक तत्व की खरपतवार प्रबंधन एवं कृषि उपकरणों का प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जो एक केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना है।
* ''ग्रामीण भण्डारण योजना''। इस योजना के कार्यान्वयन के साथ, निजी क्षेत्र में देश में कृषि भंडारण के आधारभूत ढांचे के विकास में निवेश किया है।
* किसानों के लिए प्रामाणित/गुणवत्ता युक्त बीजों के उत्पादन तथा वितरण के लिए मौजूदा आधारभूत ढांचे को विकसित करने तथा मजबूत बनाने के उद्देश्य के साथ केन्द्रीय क्षेत्र की योजना ''गुणवत्ता युक्त बीज का उत्पादन तथा वितरण हेतु आधारभूत सुविधाओं का विकास एवं सुदृढ़ीकरण''।
* सभी पणधारियों की सक्रिय भागीदारी के साथ अग्रिम तथा पिछड़े लिंकेजिंज को पूर्ण रूप से सुनिश्चित करते हुए बागवानी के समग्र विकास हेतु केन्द्र प्रायोजित योजना ''राष्ट्रीय बागवानी मिशन''।
* इसके अलावा, सरकार ने 2009-10 के लिए केन्द्रीय बजट में निम्नलिखित प्रस्तावों की घोषणा की है:

(क) 2% ब्याज अनुदान देकर 7% प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर कृषि ऋण प्रवाह में 2008-09 में 2.87 करोड़ रुपए से वर्ष 2009-10 में 3.25 लाख करोड़ रुपए तक की बढ़ोत्तरी की जाएगी।

(ख) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.) के लिए अन्तरिम बजट अनुमान में 1000 करोड़ रुपए के रूप में अतिरिक्त राशि प्रदान की गई है जिससे 2008-09 में (बजट अनुमान) 75% की वृद्धि हुई है।

(ग) 2008-09 के बजट अनुमान की तुलना में 2009-10 के दौरान राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए आबंटन में 30% की वृद्धि की जा रही है।

(घ) कृषि उत्पाद का भण्डारण करने के लिए, भण्डारगृह सुविधाएं एवं ''प्रशीतन श्रृंखला'' की स्थापना करने एवं उनका संचालन करने संबंधी व्यापार में पूंजी निवेश समन्वित कर

प्रोत्साहन में बढ़ोत्तरी की गई है। इस विधि के अंतर्गत, भूमि, ख्याति तथा वित्तीय विपत्रों पर किए गए व्यय को छोड़कर सभी पूंजीगत व्यय कटौती के रूप में पूर्ण रूप से अनुमन्य है।

पूर्व-पश्चिम और उत्तर-दक्षिण गलियारों की स्थिति

***47. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादमः**
डा. रघुवंश प्रसाद सिंहः

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों के पूर्व-पश्चिम और उत्तर-दक्षिण गलियारों का कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो कितने किलोमीटर राजमार्ग का कार्य पूरा किया जाना है; और

(घ) इस संबंध में किन-किन अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) से (ग) पूर्व-पश्चिम और उत्तर-दक्षिण महामार्गों का कार्य प्रगति पर है और 3643 किमी. (51.01%) लंबाई में चार लेन बनाने का कार्य पूरा हो चुका है। इस संबंध में ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(घ) इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन में मुख्य रूकावटें हैं- भूमि अधिग्रहण, सुविधाओं के स्थानांतरण, वन/पर्यावरण/सड़क ऊपरि पुलों संबंधी स्वीकृति में विलंब, कुछ ठेकेदारों का घटिया कार्य-निष्पादन और कुछ राज्यों में कानून और व्यवस्था की स्थिति।

विवरण

महामार्ग	कुल लंबाई (किमी.)	पूरी की गई लंबाई (किमी.)	लंबाई जिसे अभी पूरा किया जाना है (किमी.)	
			लंबाई जिसमें काम चल रहा है	लंबाई जो अभी सौंपी जानी है
पूर्व-पश्चिम	3443	1806 (52.45%)	1406 (40.84%)	231 (6.71%)
उत्तर-दक्षिण	3699	1837 (49.66%)	1361 (36.79%)	501 (13.55%)
जोड़	7142	3643 (51.01%)	2767 (38.74%)	732 (10.25%)

पुलिस बलों का आधुनिकीकरण

***48. श्री रुद्रमाधव रायः**
डॉ. प्रसन्न कुमार पाटसाणीः

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने पुलिस बलों के आधुनिकीकरण संबंधी योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्य सरकारों को धनराशि आवंटित की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान केन्द्रीय और राज्य पुलिस बलों के लिए आवासीय सुविधाओं हेतु धनराशि सहित राज्य-वार कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है तथा उपलब्ध कराई गई है;

(ग) क्या वर्तमान में केन्द्रीय और राज्य पुलिस बलों के केवल कुछ प्रतिशत कार्मिकों को ही आवासीय सुविधा मिल पा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए और अधिक धनराशि स्वीकृत करने का है; और

(च) यदि हां, तो यह धनराशि कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) जी हां, महोदया। गृह मंत्रालय, अपने पुलिस बलों का आधुनिकीकरण करने में राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता देने के लिए राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण (एमपीएफ स्कीम) करने हेतु एक योजनेतर स्कीम कार्यान्वित कर रहा है। इस स्कीम के अंतर्गत कवर किए जाने वाली पुहिल अवस्थापना की प्रमुख मदों में शामिल है रिहायशी एवं गैर-रिहायशी भवनों का निर्माण, आधुनिक आयुध, सचलता, संचार/

सुरक्षा/विधिविज्ञान के लिए उपकरण, आसूचना शाखाओं, प्रशिक्षण अवस्थापना सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण आदि पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2006-07 से 2008-09 के दौरान एमपीएफ स्कीम के अंतर्गत रिलीज की गई निधियों का राज्यवार ब्यौरा विवरण-I में संलग्न है।

गृह मंत्रालय सम्वर्धित उग्रवादी एवं आतंकवादी गतिविधियों की चुनौती का सामना करने, आयुध, मशीनरी, परिवहन, संचार, चौकसी, नाइट विजन और प्रशिक्षण उपकरणों का बलसंवर्धक के रूप में आधुनिकीकरण करने के लिए केन्द्रीय पुलिस के आधुनिकीकरण हेतु अलग से एक योजनेतर स्कीम भी कार्यान्वित कर रहा है। वर्ष 2006-07 से 2008-09 में केन्द्रीय पुलिस बलों का आधुनिकीकरण करने में किए गए व्यय का ब्यौरा विवरण-II में संलग्न है।

*(ग) और (घ) पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के अनुसार, 1.1.2007 की स्थिति के अनुसार राज्य पुलिस कार्मिकों की 15.58 लाख की अनुमोदित नफरी की तुलना में 4.91 लाख को परिवार आवास उपलब्ध है। ब्यौरा विवरण-III में संलग्न है।

केन्द्रीय पुलिस बलों के आवास के लिए एक पृथक योजनागत स्कीम भी कार्यान्वित की जा रही है। केन्द्रीय पुलिस बलों के लिए आवास हेतु बजटीय सहायता योजनेतर स्कीम के अंतर्गत भी दी जाती है। वर्ष 2006-07 से 2008-09 के दौरान किए गए व्यय का ब्यौरा विवरण-IV में संलग्न है।

दिनांक 1.4.2009 की स्थिति के अनुसार सीपीएफ कार्मिकों के लिए कुल 1,19,948 रिहायशी यूनिटें उपलब्ध हैं जिससे आवास संतोष स्तर 15.93% है। केन्द्रीय पुलिस बलों में दिनांक 1.4.2009 को आवास संतोष स्तर को दर्शाता हुई ब्यौरा विवरण-V में संलग्न है।

(ङ) और (च) केन्द्रीय और राज्य, दोनों पुलिस बलों का आधुनिकीकरण एक सतत प्रक्रिया है। वित्त वर्ष 2009-10 में राज्य पुलिस बलों और केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बलों का आधुनिकीकरण करने की योजनेत्तर स्कीम के लिए क्रमशः 820.00 करोड़ रुपये (अन्तरिम) और 506 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया है। योजना आयोग ने सीपीएफ के लिए आवास का प्रावधान करने हेतु 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) में 2500 करोड़ रुपये के परिव्यय को मंजूरी दी है। तदनुसार वर्ष 2009-10 (योजनागत) में बजट अनुमान प्रावधान 270.00 करोड़ रुपये का है। इसके अतिरिक्त, सीपीएफ के लिए आवास की योजनेतर स्कीम के अंतर्गत 2009-10 के लिए परिव्यय 231.99 करोड़ रुपये का है। अतः सीपीएफ कार्मिकों के लिए आवास का प्रावधान करने हेतु योजनागत और योजनेतर स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2009-10 में कुल 501.99 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

*दिनांक 7.7.09 के तारांकित प्रश्न संख्या 48 के उत्तर के भाग (ग) और (घ) के पैरा 3 को दिनांक 21.7.09 को सभा में दिए गए एक शुद्धि करने वाले विवरण द्वारा ठीक किया गया था। तदनुसार, पैरा 3 में प्रतिशत आंकड़े को 15.93% के स्थान पर 15.39% क रूप में सही किया गया।

विवरण I

राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण के लिए स्कीम

राज्य का नाम	रिलीज की गई केन्द्रीय निधियां (करोड़ रुपये)		
	2006-07	2007-08	2008-09
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	88.12	87.34	83.83
अरुणाचल प्रदेश	11.53	10.70	14.72
असम	52.18	87.82	68.11
बिहार	51.62	16.24	41.57
छत्तीसगढ़	57.06	41.72	26.54
गोवा	1.00	2.00	4.00
गुजरात	45.52	51.90	48.02
हरियाणा	19.69	35.75	27.51
हिमाचल प्रदेश	3.92	10.27	9.99
जम्मू और कश्मीर	88.13	115.34	109.65
झारखंड	47.00	50.95	69.85
कर्नाटक	64.15	78.13	69.61
केरल	24.53	40.00	22.90
मध्य प्रदेश	43.24	57.68	40.37
महाराष्ट्र	105.10	78.87	75.86
मणिपुर	14.09	32.07	39.23
मेघालय	8.59	15.44	10.81
मिजोरम	10.48	11.00	12.69
नागालैंड	22.68	30.72	38.42
उड़ीसा	38.00	45.80	42.54
पंजाब	15.00	34.94	21.56

1	2	3	4
राजस्थान	40.47	49.60	49.10
सिक्किम	3.46	4.42	6.12
तमिलनाडु	61.65	75.75	50.10
त्रिपुरा	11.34	14.47	20.66
उत्तर प्रदेश	94.28	115.44	102.31
उत्तराखंड	5.28	9.89	19.39
पश्चिम बंगाल	37.11	44.45	32.18
कुल	1065.22	1248.70	1157.64

विवरण II

सीपीएमएफ का आधुनिकीकरण

केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बलों का आधुनिकीकरण करने पर किया गया व्यय (करोड़ रुपए)		
2006-07	2007-08	2008-09
420.31	265.66	119.80

केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बलों ने शस्त्र एवं गोलाबारुद, मोटर वाहन, सूचना प्रौद्योगिकी, मशीनरी एवं उपकरण तथा वस्त्र के पांच प्राविजनिंग शीर्षों पर 2007-08 एवं 2008-09 में क्रमशः 1431.89 करोड़ एवं 1374.67 करोड़ रुपये का व्यय भी किया है।

विवरण III

राज्य पुलिस बलों को उपलब्ध परिवार क्वार्टर्स
(दिनांक 01.01.2007 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उपलब्ध परिवार क्वार्टर्स			
		जीओएस	एएसआई से निरीक्षक	हैड कांस्टेबल से कांस्टेबल	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	172	7516	37271	44959
2.	अरुणाचल प्रदेश	78	985	1900	2963
3.	असम	77	953	7226	8256
4.	बिहार	एनए	एनए	एनए	एनए
5.	छत्तीसगढ़	2	1179	10574	11755
6.	गोवा	11	229	1122	1362
7.	गुजरात	139	2497	46542	49178
8.	हरियाणा	141	1001	4900	6042
9.	हिमाचल प्रदेश	27	284	2327	2638
10.	जम्मू और कश्मीर	122	577	3492	4191
11.	झारखंड	एनए	1273	11079	12352

1	2	3	4	5	6
12.	कर्नाटक	200	3107	32967	36274
13.	केरल*	142	901	7972	9015
14.	मध्य प्रदेश	0	2258	22303	24561
15.	महाराष्ट्र*	5297	0	77304	82601
16.	मणिपुर	90	338	1234	1662
17.	मेघालय	45	868	2165	3078
18.	मिजोरम	129	785	1019	1933
19.	नागालैंड	143	537	2858	3538
20.	उड़ीसा	174	1756	7855	9785
21.	पंजाब	47	1577	10924	12548
22.	राजस्थान	52	1900	13749	15701
23.	सिक्किम	8	190	394	592
24.	तमिलनाडु*	325	3371	38320	42016
25.	त्रिपुरा	74	968	3027	4069
26.	उत्तर प्रदेश	364	7648	51931	59943
27.	उत्तराखंड	57	752	3158	3967
28.	पश्चिम बंगाल	500	4170	12081	16751
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	15	218	923	1156
30.	चंडीगढ़	10	339	1792	2141
31.	दादरा और नगर हवेली	2	16	177	195
32.	दमन और दीव	1	6	100	107
33.	दिल्ली	224	5358	9253	14835
34.	लक्षद्वीप	1	29	168	198
35.	पुडुचेरी*	14	196	625	835
	अखिल भारतीय	8683	53782	428732	491197

स्रोत: बीपीआर एंड डी

*01.01.2006 की स्थिति के अनुसार

एन आर = आंकड़ा प्राप्त नहीं।

विवरण IV

केन्द्रीय पुलिस बलों के आवास पर किए गए व्यय का विवरण

(करोड़ रुपये)

	2006-07	2007-08	2008-09
योजनागत	161.41	146.35	145.83
योजनेतर	288.14	252.53	241.19
कुल	449.55	398.88	387.02

विवरण V

दिनांक 01.04.2009 की स्थिति के अनुरूप केन्द्रीय पुलिस बलों में आवास संतोष स्तर

क्र.सं.	बल	01.04.2009 की स्थिति के अनुसार कुल नफरी	प्राधिकृत आवासीय इकाईयां	01.04.2009 को उपलब्ध रिहायशी यूनिटों की संख्या	अनुमोदित नफरी के संतोष स्तर का %	प्राधिकृत रिहायशी यूनिटों पर संतोष स्तर का %
1.	असम राइफल्स	65185	18366	9018	13.83	49.10
2.	सीमा सुरक्षा बल*	218766	62140	27134	12.40	43.67
3.	केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल**	106748	44890	37399	35.03	83.31
4.	केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल	267757	71803	35954	13.43	50.07
5.	भारत-तिब्बत सीमा पुलिस	57379	17467	7148	12.46	40.92
6.	राष्ट्रीय सुरक्षा गारद	8395	2549	1862	22.18	73.05
7.	सशस्त्र सीमा बल	55322	17367	1433	2.59	8.25
	कुल	779552	234582	119948	15.39	51.13

*इसमें अभी हाल ही में अनुमोदित 2 बटालियनें तथा अतिरिक्त मानव शक्ति शामिल है।

**पीएसयू द्वारा प्रदत्त आवास सहित।

चीनी के उत्पादन में कमी

***49. श्री पी. लिंगम:**
श्री संजय सिंह चौहान:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2008-09 के दौरान चीनी के उत्पादन में कमी के कारण बाजार में चीनी की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो देश में गन्ने और चीनी के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है; और

(ग) चीनी के जमाखोरों तथा कालाबाजारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई सहित चीनी की बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) वर्तमान चीनी मौसम 2008-09 (अक्तूबर-सितम्बर) के दौरान चीनी का उत्पादन गत तीन वर्षों के उत्पादन की तुलना में कम होने का अनुमान है। चीनी के अपेक्षाकृत कम उत्पादन का बाजार में चीनी के मूल्यों पर दबाव पड़ा है।

(ख) सरकार ने देश में गन्ने की खेती को प्रोत्साहित करने और चीनी के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

(1) चीनी मौसम 2009-10 के लिए गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य बढ़ाकर 107.76 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है, साथ ही 9.5% से अधिक रिकवरी पर प्रत्येक 0.1% की वृद्धि के लिए 1.13 रुपये का अतिरिक्त प्रीमियम देय है। पिछले चीनी मौसम के लिए गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य 81.18 रुपये प्रति क्विंटल था, जिसमें 9% से अधिक रिकवरी पर प्रत्येक 0.1% की वृद्धि के लिए 0.90 रुपये का अतिरिक्त प्रीमियम देने की व्यवस्था थी।

(2) गन्ना आधारित फसल पद्धति के सतत् विकास (SUBACS) की एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम क्रियान्वित की जा रही है। इस स्कीम का मुख्य जोर खेत पर प्रदर्शनों के जरिये किसानों को उन्नत उत्पादन प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण करने, किसानों के प्रशिक्षण, कृषि उपकरणों की आपूर्ति, रोपण सामग्रियों के उत्पादन में वृद्धि, जल के कुशल उपयोग, रोपण सामग्रियों के उपचार आदि पर है। यह स्कीम 22 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही है।

(3) चीनी फैक्ट्रियों को संयंत्र व मशीनरी के आधुनिकीकरण, पेराई क्षमता के विस्तार, प्रौद्योगिकी के उन्नयन और बेहतर सिंचाई सुविधाओं, बीज की उन्नत किस्मों, पेड़ी प्रबंधन आदि सहित गन्ना विकास के लिए चीनी विकास निधि से 4% वार्षिक ब्याज की रियायती दर पर ऋण दिए जाते हैं।

(ग) केन्द्रीय सरकार ने चीनी के मूल्य में वृद्धि को रोकने के लिए कई उपाय किए हैं जैसाकि नीचे दर्शाया गया है:-

(1) दिनांक 09.03.2009 और 12.03.2009 की अधिसूचनाओं द्वारा चीनी का स्टाक रखने और कारोबार की सीमा निर्धारित कर दी गई है। इस प्रकार की सीमा का उल्लंघन आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के उपबंधों के अधीन दंडनीय अपराध है।

(2) अप्रैल-जून, 2009 की तिमाही के दौरान गैर-लेवी चीनी के कोटे की अतिरिक्त निर्मुक्तियां की गई थीं।

(3) चीनी व्यापार में सट्टेबाजी की प्रवृत्तियों पर रोक लगाने के लिए 27 मई, 2009 से एनसीडीईएक्स में चीनी में फ्यूचर्स व्यापार स्थगित कर दिया गया है।

(4) चीनी मिलों द्वारा कच्ची चीनी और खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन शून्य सीमा शुल्क पर नामनिर्दिष्ट एजेंसियों द्वारा एक मिलियन टन व्हाइट/रिफाइंड चीनी का आयात किए जाने की अनुमति दी गई है।

खाद्य सुरक्षा अधिनियम

***50. श्री प्रबोध पांडा:**
श्री एल. राजगोपाल:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सभी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या प्रगति हुई है;

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों (बीपीएल) को उपलब्ध कराए जाने वाले प्रस्तावित खाद्यान्नों के आवंटन का ब्यौरा क्या है और इसमें राजसहायता का अंश कितना होगा;

(घ) वर्तमान खाद्य आधारित कल्याण योजनाओं पर इस प्रस्तावित योजना का क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(ङ) उक्त योजना के कार्यान्वयन के लिए क्या समयावधि निर्धारित की गई है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) से (ङ) 4 जून, 2009 को संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण के अनुसार सरकार का राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अधिनियमित करने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित कानून बनाने के लिए सरकार ने आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल राज्य सरकारों, विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों, विशेषज्ञों और अन्य हितधारकों से परामर्श करते हुए प्रस्तावित कानून के विभिन्न पहलुओं की जांच चल रही है।

प्रस्तावित कानून के अधीन गरीबी रेखा से नीचे का प्रत्येक परिवार 25 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति माह प्राप्त करने के लिए पात्र होगा। कवर किए जाने वाले गरीबी रेखा से नीचे के पात्र परिवारों के ब्यौरे, उनकी पहचान करने की विधि, उन्हें लक्षित पहचान कार्ड जारी करने के संबंध में काम किया जा रहा है।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन सरकार द्वारा दी गई खाद्य राजसहायता भारतीय खाद्य निगम के लिए खाद्यान्नों की आर्थिक लागत और राशन कार्डधारकों से लिए जाने वाले केन्द्रीय निर्गम मूल्यों के बीच का अन्तर होती है। आर्थिक लागत न्यूनतम समर्थन मूल्यों, स्थानीय करों, अन्य प्रासंगिक खर्चों, भंडारण और ढुलाई की लागत पर निर्भर करती है। कुल देय राजसहायता भी निर्गम की मात्रा और किसी समय विशेष पर लाभार्थियों की संख्या पर निर्भर करती है।

सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय की मध्याह्न भोजन योजना, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की एकीकृत बाल विकास योजना और किशोरियों के लिए पोषाहार कार्यक्रम, ग्रामीण विकास मंत्रालय की अन्नपूर्णा योजना और ऐसी अन्य विभिन्न कल्याण योजनाएं क्रियान्वित करती है। प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा कानून तैयार करते समय इन स्कीमों के लक्षित लाभार्थियों के हितों को ध्यान में रखा जाएगा।

कृषि क्षेत्र में निवेश

***51. श्री पूर्णमासी राम:**
श्री टी.आर. बालू:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान खाद्यान्नों, तिलहनों और गन्ने आदि का फसल-वार और राज्य-वार कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान देश में कृषि उत्पादन स्थिर रहा है या इसमें गिरावट आई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या देश में मौजूदा मांग को पूरा करने के लिए खाद्यान्नों के उत्पादन का वर्तमान स्तर पर्याप्त है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उत्पादन बढ़ाने तथा भावी मांग को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या रणनीति अपनाई है तथा क्या योजनाएं तैयार की हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) से (ग) देश में वर्ष 2005-06 से 2008-09 तक के दौरान खाद्यान्नों, तिलहनों, गन्ने एवं कपास के राज्यवार एवं फसलवार उत्पादन का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है। आमतौर पर, खाद्यान्नों, कपास एवं तिलहनों के उत्पादन में बढ़ोत्तरी हुई है। तथापि कुछ तिलहनों (मूंगफली एवं सरसों) एवं गन्ने के मामले में, प्रतिकूल मौसम परिस्थिति एवं क्षेत्र को इन फसलों से अपेक्षाकृत अत्यधिक लाभकारी फसलों की ओर स्थानांतरण करने के कारण 2008-09 में उत्पादन में विस्तृत उतार-चढ़ाव एवं कमी आई है।

(घ) और (ङ) हां, महोदया। इस समय, देश में खाद्यान्नों का उत्पादन मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। वर्ष 2008-09 के लिए, खाद्यान्नों की 219.00 मिलियन प्रक्षेपित मांग की तुलना में, उत्पादन 229.85 मिलियन टन तक अनुमानित है। 11वीं योजना के अंत अर्थात् 2011-12 तक, 234.26 मिलियन टन प्रक्षेपित मांग की तुलना में, खाद्यान्नों का प्रक्षेपित उत्पादन 239.30 मिलियन टन है। आने वाले वर्षों में मांग को पूरा करने के उद्देश्य से, देश में खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि करने संबंधी अनेक उपाय किए गए हैं तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, कृषि माइक्रो प्रबन्धन, एकीकृत तिलहन योजना, दालो, पाम आयल तथा मक्के संबंधी एकीकृत योजना एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जैसे कार्यक्रम क्रियान्वयन के अधीन है।

विवरण

वर्ष 2005-06 से 2008-09 तक के दौरान मुख्य फसलों के उत्पादन का राज्य-वार अनुमान

(हजार टन)

राज्य	चावल				गेहूं				मोटे अनाज			
	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09*	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09*	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
आंध्र प्रदेश	11704.0	11872.0	13324.0	13785.0	9.0	9.0	8.0	8.0	3862.0	3001.0	4274.0	4228.0
अरुणाचल प्रदेश	146.2	146.2	158.1	#	6.1	6.3	5.3	#	80.2	84.9	76.8	#

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
असम	3552.5	2916.0	3319.0	3611.0	53.7	67.0	71.0	75.0	17.6	18.0	17.0	18.0
बिहार	3495.5	4989.3	4418.1	5653.0	3239.0	3911.4	4450.4	4196.0	1405.5	1759.7	1498.5	1143.2
छत्तीसगढ़	5011.6	5041.4	5426.6	4810.0	90.7	91.7	98.8	81.0	159.3	178.3	229.7	183.4
गोवा	147.3	130.3	121.6	#	एनजी	एनजी	एनजी	एनजी	1.0	0.8	0.7	#
गुजरात	1298.0	1390.0	1474.0	1444.0	2473.0	3000.0	3838.0	3254.0	1836.0	1516.0	2151.0	1890.0
हरियाणा	3210.0	3371.0	3613.0	3298.0	8857.0	10055.0	10236.0	10593.0	813.0	1197.0	1357.0	1300.0
हिमाचल प्रदेश	112.1	123.5	121.5	110.0	679.0	501.6	504.4	605.0	570.7	728.2	896.2	647.8
जम्मू और कश्मीर	556.8	554.0	561.3	553.0	444.0	492.2	495.9	480.0	467.7	512.3	499.5	494.3
झारखंड	1558.0	2967.8	3336.4	3052.0	77.7	128.9	139.9	141.0	259.6	332.0	386.4	347.8
कर्नाटक	5744.0	3446.0	3717.0	3627.0	217.0	205.0	261.0	190.0	6564.0	5055.0	6943.0	6142.0
केरल	629.9	631.0	528.5	608.0	एनजी	एनजी	एनजी		1.5	1.1	2.8	2.4
मध्य प्रदेश	1656.3	1368.4	1461.9	1560.0	5957.7	7325.9	6032.5	5724.0	2348.4	1849.6	2122.5	2113.0
महाराष्ट्र	2695.0	2569.0	2996.0	2311.0	1300.0	1631.1	2078.7	1345.0	6087.0	6141.0	7093.0	5982.0
मणिपुर	386.1	386.1	402.6	#	एनजी	एनजी	एनजी	एनजी	7.9	7.9	8.4	#
मेघालय	151.9	200.2	200.0	#	1.2	1.2	1.1	#	26.4	27.2	27.4	#
मिजोरम	99.2	29.5	15.7	#	एनजी	एनजी	एनजी	एनजी	22.7	21.0	0.7	#
नागालैंड	263.1	263.5	290.6	#	1.9	1.3	1.6	#	120.1	126.4	139.4	#
उड़ीसा	6859.0	6824.7	7540.7	6645.0	4.5	5.8	8.7	5.9	159.9	162.4	210.4	190.7
पंजाब	10193.0	10138.0	10489.0	11000.0	14493.0	14596.0	15720.0	15531.0	472.0	552.0	583.1	583.0
राजस्थान	153.0	169.8	259.6	241.0	5865.3	7055.8	7124.9	6580.0	4528.6	5501.9	7121.4	7201.2
सिक्किम	21.5	21.5	22.9	#	9.0	9.0	4.5	#	63.7	63.7	72.6	#
तमिलनाडु	5220.0	6610.6	5040.2	5833.0	एनजी	एनजी	एनजी	एनजी	730.2	1361.9	1357.1	1997.0
त्रिपुरा	552.9	620.5	624.6	#	2.9	1.8	1.9	#	2.2	2.4	2.1	#
उत्तर प्रदेश	11133.7	11124.0	11780.0	13074.0	24073.8	25031.0	25679.0	26981.0	2971.2	3084.4	3058.9	3183.0
उत्तराखंड	590.0	556.0	593.0	579.0	645.0	801.0	814.0	777.0	323.0	344.0	339.0	348.0
पश्चिम बंगाल	14510.8	14745.9	14719.5	15600.0	773.5	799.9	917.3	975.0	150.3	274.7	265.8	325.8
अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	30.7	30.7	21.9	#	एनजी	एनजी	एनजी	एनजी	0.1	0.2	0.9	#
दादरा और नगर हवेली	23.7	23.7	23.7	#	1.1	1.1	1.1	#	2.7	2.7	2.7	#

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
दिल्ली	24.0	31.1	31.4	#	79.4	77.7	76.2	#	13.9	14.1	11.6	#
दमन और दीव	3.7	3.7	3.5	#	एनजी	एनजी	एनजी	एनजी			0.5	#
पुडुचेरी	59.9	59.9	53.4	#	एनजी	एनजी	एनजी	एनजी	0.8	0.8	0.3	#
अन्य	एनए	एनए	एनए	1974.0	एनए	एनए	एनए	92.0	एनए	एनए	एनए	346.0
अखिल भारत	91793.4	93355.3	96692.9	99368.0	69354.5	75806.7	78570.2	77633.9	34069.3	33922.6	40750.4	38666.6

*तीसरे अग्रिम अनुमान, #अन्यों में शामिल हैं, एनजी–नहीं उगाए गए, एनआर–उपलब्ध नहीं, एनए–लागू नहीं।

वर्ष 2005-06 से 2008-09 तक के दौरान मुख्य फसलों के उत्पादन का राज्य-वार अनुमान

(हजार टन)

राज्य	दालें				खाद्यान्न				मूंगफली			
	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09*	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09*	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
आंध्र प्रदेश	1376.0	1347.0	1697.0	1390.0	16951.0	16229.0	19303.0	19411.0	1366.0	743.0	2604.0	1552.3
अरुणाचल प्रदेश	8.3	8.3	8.3	#	240.9	245.7	248.5	#	एनजी	एनजी	एनजी	एनजी
असम	54.0	59.0	63.0	58.0	3677.8	3060.0	3470.0	3762.0	एनजी	एनजी	एनजी	एनजी
बिहार	446.8	438.2	497.1	378.0	8586.8	11098.6	10864.1	11370.2	0.5	0.5	0.6	0.5
छत्तीसगढ़	453.2	493.6	536.8	492.0	5714.8	5806.0	6291.9	5566.4	31.6	32.1	35.3	38.0
गोवा	11.5	16.3	11.3	#	159.8	147.4	133.6	#	7.9	4.6	7.0	#
गुजरात	547.0	593.0	743.0	648.0	6154.0	6499.0	8206.0	7236.0	3389.0	1435.0	3299.0	2677.0
हरियाणा	118.1	140.0	101.8	161.0	12998.1	14763.0	15307.8	15352.0	2.2	2.1	1.3	2.0
हिमाचल प्रदेश	19.6	28.9	36.0	36.4	1381.4	1382.2	1558.1	1399.2	0.0	0.1	0.1	0.1
जम्मू और कश्मीर	13.5	14.2	15.4	14.6	1482.0	1572.7	1572.1	1542.0	एनआर	एनआर	14.8	0.0
झारखंड	172.3	258.1	301.8	283.4	2067.6	3686.8	4164.5	3824.2	एनजी	एनजी	एनजी	17.0
कर्नाटक	964.0	893.0	1265.0	945.0	13489.0	9599.0	12186.0	10904.0	671.0	379.0	733.0	557.0
केरल	6.9	8.4	8.4	4.8	638.3	640.5	539.7	615.1	2.4	3.0	2.2	1.8
मध्य प्रदेश	3232.6	3203.1	2453.6	2948.0	13195.0	13747.0	12070.5	12345.0	234.4	193.4	186.8	228.0
महाराष्ट्र	2005.0	2304.0	3024.0	1710.0	12087.0	12645.1	15191.7	11348.0	410.0	399.0	472.0	387.0
मणिपुर	4.5	4.5	7.2	#	398.5	398.5	421.8	#	एनजी	एनजी	एनजी	एनजी

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
मेघालय	3.6	2.9	3.3	#	183.1	231.5	231.8	#	एनजी	एनजी	एनजी	एनजी
मिजोरम	7.9	5.8	2.7	#	129.8	56.3	19.1	#	एनजी	एनजी	एनजी	एनजी
नागालैंड	39.7	45.0	41.6	#	424.8	436.2	473.2	#	0.3	1.0	1.1	#
उड़ीसा	336.3	351.8	383.5	373.1	7359.7	7344.7	8143.3	7214.8	106.3	87.7	102.5	101.0
पंजाब	26.2	27.1	23.0	38.0	25184.2	25313.1	26815.1	27152.0	3.0	3.8	2.7	2.0
राजस्थान	898.1	1481.3	1552.8	1843.0	11445.0	14208.8	16058.7	15865.2	491.0	395.7	477.4	537.0
सिक्किम	6.1	6.1	11.6	#	100.3	100.3	111.6	#	एनजी	एनजी	एनजी	एनजी
तमिलनाडु	177.0	290.5	185.0	233.4	6127.2	8263.0	6582.3	8063.4	1098.2	1006.5	1047.6	990.0
त्रिपुरा	5.6	5.3	4.7	#	563.6	630.0	633.3		0.8	0.6	0.7	#
उत्तर प्रदेश	2231.5	1975.1	1576.9	2278.0	40410.2	41214.5	42094.8	45516.0	90.5	73.0	59.2	67.0
उत्तराखंड	36.0	34.0	50.0	49.0	1594.0	1735.0	1796.0	1753.0	2.0	2.0	1.0	2.0
पश्चिम बंगाल	174.3	154.0	147.6	191.0	15608.9	15974.5	16050.2	17091.8	83.1	98.3	132.7	137.0
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.4	0.4	1.3	#	31.2	31.3	24.1	#	एनजी	एनजी	एनजी	एनजी
दादरा और नगर हवेली	5.6	5.6	5.6	#	33.1	33.1	33.1	#	एनजी	एनजी	एनजी	एनजी
दिल्ली	0.5	0.7	0.7	#	117.8	123.6	119.9	#	एनजी	एनजी	एनजी	एनजी
दमन और दीव	1.1	1.1	1.1	#	4.8	4.8	5.1	#	एनजी	एनजी	एनजी	एनजी
पुडुचेरी	1.2	1.2	0.4	#	61.9	61.9	54.1	#	3.1	3.1	1.5	
अन्य	एनए	एनए	एनए	107.0	एनए	एनए	एनए	2519.0	एनए	एनए	एनए	10.0
अखिल भारत	13384.4	14197.5	14761.5	14181.7	208601.6	217282.1	230775.0	229850.2	7993.3	4863.5	9182.5	7306.7

*तीसरे अग्रिम अनुमान, #अन्यों में शामिल हैं, एनजी–नहीं उगाए गए, एनआर–उपलब्ध नहीं, एनए–लागू नहीं।

वर्ष 2005-06 से 2008-09 तक के दौरान मुख्य फसलों के उत्पादन का राज्य-वार अनुमान

(हजार टन)

राज्य	सोयाबीन				रेपसीड एवं सरसों				कुल तिलहन			
	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09*	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09*	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
आंध्र प्रदेश	191.0	156.0	173.0	178.0	2.0	3.0	3.0	2.0	2041.0	1362.0	3390.0	2146.3
अरुणाचल प्रदेश	3.6	3.6	4.2	#	18.4	18.4	20.6	#	22.7	22.7	25.6	#

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
असम	एनजी	एनजी	एनजी	एनजी	97.0	116.0	123.0	140.0	113.2	134.0	139.0	160.0
बिहार	एनजी	एनजी	एनजी	एनजी	76.0	89.4	81.6	81.0	136.5	147.4	137.9	122.6
छत्तीसगढ़	36.8	68.3	79.5	78.0	18.9	23.5	21.1	20.0	126.5	161.4	192.6	186.8
गोवा	एनजी	एनजी	एनजी	एनजी	एनजी	एनजी	एनजी	एनजी	7.9	4.6	7.0	#
गुजरात	29.0	26.0	26.0	58.0	456.0	504.0	551.0	295.0	4682.0	2569.0	4725.0	4000.0
हरियाणा	एनजी	एनजी	एनजी	एनजी	792.0	802.0	598.0	899.0	825.2	834.6	642.8	918.0
हिमाचल प्रदेश	0.8	0.4	1.1	1.1	2.8	4.5	3.6	4.7	5.2	7.1	6.5	7.6
जम्मू और कश्मीर	एनजी	एनजी	एनजी	एनजी	1.3	37.0	50.6	36.0	2.7	42.3	53.3	39.1
झारखंड	एनआर	0.1	0.1	0.3		33.4	37.4	39.0	8.5	50.0	68.8	70.6
कर्नाटक	71.0	94.0	97.0	90.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1715.0	1125.0	1549.0	1217.0
केरल	एनआर	0.1	0.1	0.0	एनजी	एनजी	एनजी	एनजी	2.6	3.2	2.4	2.0
मध्य प्रदेश	4500.7	4784.9	5480.5	5850.0	847.5	693.4	536.8	703.3	5721.9	5814.2	6352.0	6888.3
महाराष्ट्र	2527.0	2892.0	3976.0	2758.5	4.0	5.0	4.0	2.0	3373.0	3721.0	4874.0	3413.5
मणिपुर	एनजी	एनजी	एनजी	एनजी	0.1	0.1	0.5	#	0.7	0.7	0.9	#
मेघालय	1.0	1.0	1.0	#	4.8	4.8	4.8	#	6.7	6.6	6.7	#
मिजोरम	2.7	2.0	0.4	#	1.0	0.3	0.1	#	5.4	3.8	0.8	#
नागालैंड	32.0	30.6	32.5	#	21.2	20.7	21.9	#	62.8	62.6	68.1	#
उड़ीसा	एनजी	एनजी	एनजी	एनजी	3.3	2.6	3.2	2.5	187.7	175.1	196.6	185.1
पंजाब	एनजी	एनजी	एनजी	एनजी	54.0	46.0	33.0	42.0	89.6	78.2	76.5	83.0
राजस्थान	856.3	771.3	1071.2	1074.0	4416.9	3805.6	2362.2	3631.0	5964.0	5166.8	4197.6	5572.4
सिक्किम	3.3	3.3	3.2	#	3.9	3.9	4.3	#	7.2	7.2	7.5	#
तमिलनाडु	एनजी	एनजी	एनजी	एनजी	0.1	0.1	0.1	0.0	1152.9	1083.5	1146.8	1103.5
त्रिपुरा	एनजी	एनजी	एनजी	एनजी	2.3	1.4	1.1	#	3.9	3.1	2.7	#
उत्तर प्रदेश	3.0	7.0	3.2	9.0	907.8	873.8	997.3	967.0	1066.5	1033.3	1146.8	1113.0
उत्तराखंड	15.0	10.0	19.0	14.0	12.0	9.0	9.0	10.0	30.0	21.0	29.0	26.0
पश्चिम बंगाल	0.3	0.3	0.3	0.6	383.0	338.6	361.7	383.0	610.4	645.4	705.1	747.7
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	एनजी	एनजी	एनजी	एनजी	एनजी	एनजी	एनजी	एनजी	एनजी	एनजी	एनजी	एनजी

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
दादरा और नगर हवेली	एनजी	एनजी	एनजी	एनजी	एनजी	एनजी	एनजी	एनजी	0.1	0.1	0.1	#
दिल्ली	एनजी	एनजी	एनजी	एनजी	2.9	0.3	2.7	#	2.9	0.3	2.7	#
दमन और दीव	एनजी	एनजी	एनजी	एनजी	एनजी	एनजी	एनजी	एनजी	एनजी	एनजी	एनजी	एनजी
पुडुचेरी	एनजी	एनजी	एनजी	एनजी	एनजी	एनजी	एनजी	एनजी	3.2	3.2	1.6	#
अन्य	एनए	एनए	एनए	41.0	एनए	एनए	एनए	56.0	एनए	एनए	एनए	124.0
अखिल भारत	8273.5	8850.8	10968.2	10152.5	8131.2	7437.8	5833.6	7314.5	27977.9	24289.4	29755.3	28126.5

*तीसरे अग्रिम अनुमान, #अन्यों में शामिल हैं, एनजी–नहीं उगाए गए, एनआर–उपलब्ध नहीं, एनए–लागू नहीं।

वर्ष 2005-06 से 2008-09 तक के दौरान मुख्य फसलों के उत्पादन का राज्य-वार अनुमान

(हजार टन)

राज्य	गन्ना				कपास (हजार गांठे प्रति 170 कि.ग्रा.)			
	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09*	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आंध्र प्रदेश	17656.0	21692.0	20296.0	16612.0	2108.0	2181.0	3491.0	3462.0
अरुणाचल प्रदेश	16.8	16.8	21.8	#	एनजी	एनजी	एनजी	एनजी
असम	871.2	1055.0	980.0	996.0	0.6	0.6	0.6	1.0
बिहार	4337.9	5955.5	3854.9	4980.0	एनजी	एनजी	एनजी	एनजी
छत्तीसगढ़	16.4	18.7	27.5	39.0	0.4	0.2	0.1	0.0
गोवा	55.9	58.0	56.0	#	एनजी	एनजी	एनजी	एनजी
गुजरात	14580.0	15630.0	15190.0	15040.0	6772.0	8787.0	8276.0	7962.0
हरियाणा	8180.0	9580.0	8860.0	5688.0	1499.0	1814.0	1885.0	1858.0
हिमाचल प्रदेश	25.1	59.0	58.4	53.0	0.0	0.1	0.2	0.0
जम्मू और कश्मीर	0.8	0.8	0.2	0.6	एनजी	एनजी	एनजी	एनजी
झारखंड	142.0	142.0	150.0	150.0	एनजी	एनजी	एनजी	एनजी
कर्नाटक	18267.0	28669.7	26240.0	23505.0	554.0	610.0	778.0	862.0
केरल	916.5	440.0	218.0	256.0	3.5	2.0	1.7	1.0
मध्य प्रदेश	2425.0	2806.0	3180.0	2705.0	745.1	828.6	864.8	823.0
महाराष्ट्र	38853.0	78568.0	88437.0	50813.0	3160.0	4618.0	7015.0	4943.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
मणिपुर	23.0	23.0	16.8	#	एनजी	एनजी	एनजी	एनजी
मेघालय	0.2	0.2	0.3	#	7.8	7.7	6.5	#
मिजोरम	4.6	4.6	0.8	#	0.2	5.2	0.6	#
नागालैंड	210.9	233.9	247.3	#	1.7	0.2	0.3	#
उड़ीसा	1073.0	1274.4	1096.2	634.0	144.8	107.9	124.7	147.0
पंजाब	4860.0	6020.0	6690.0	4880.0	2395.0	2678.0	2355.0	2285.0
राजस्थान	482.6	629.7	593.8	414.0	880.5	746.8	862.2	727.0
सिक्किम	एनजी	एनजी	एनजी	एनजी	एनजी	एनजी	एनजी	एनजी
तमिलनाडु	35106.5	41124.0	38071.0	33283.0	213.3	220.9	200.7	163.0
त्रिपुरा	52.6	42.4	46.7	#	1.6	1.6	1.5	#
उत्तर प्रदेश	125469.9	133949.4	124665.3	121408.0	5.2	7.0	6.8	1.0
उत्तराखंड	6134.0	6100.0	7686.0	5555.0	एनजी	एनजी	एनजी	एनजी
पश्चिम बंगाल	1247.7	1266.7	1272.0	1600.0	6.0	14.7	13.2	24.0
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	5.9	2.6	3.5	#	एनजी	एनजी	एनजी	एनजी
दादरा और नगर हवेली	एनजी	एनजी	एनजी	एनजी	एनजी	एनजी	एनजी	एनजी
दिल्ली	एनजी	एनजी	एनजी	एनजी	एनजी	एनजी	एनजी	एनजी
दमन और दीव	एनजी	एनजी	एनजी	एनजी	एनजी	एनजी	एनजी	एनजी
पुडुचेरी	157.3	157.3	228.4	#	0.3	0.3	0.2	#
अन्य	एनए	एनए	एनए	622.0	एनए	एनए	एनए	9.0
अखिल भारत	281171.8	355519.7	348187.9	289233.6	18499.0	22631.8	25884.1	23268.0

*तीसरे अग्रिम अनुमान, #अन्यों में शामिल हैं, एनजी–नहीं उगाए गए, एनआर–उपलब्ध नहीं, एनए–लागू नहीं।

आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि

***52. श्री कीर्ति आजाद:**
श्री पी. करुणाकरन:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा उपचारात्मक कदम उठाये जाने के बावजूद खाद्यान्नों, दालों, खाद्य तेलों, सब्जियों, दूध आदि सहित आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि जारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता में सुधार लाने और उनकी कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कोई नई योजना/कार्य योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) क्या मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए मूल्य निगरानी प्रकोष्ठ को सुदृढ़ बनाने और इसे और अधिक शक्तियां प्रदान करने हेतु कदम उठाए जा रहे हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) और (ख) सरकार को आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के रुझान की जानकारी है और उसने शून्य/घटे हुए शुल्क दर पर आयात करके और निर्यात पर प्रतिबंध लगाकर चावल, गेहूं, दालों और खाद्य तेलों की घरेलू आपूर्ति में वृद्धि जैसे प्रभावी उपाय करके मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिए अनेक उपाय किए हैं। इन सभी उपायों से आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में स्थिरता आई है और वृद्धि संतुलित हुई है।

वर्ष में दालों (चना दाल छोड़कर), चीनी के मूल्यों में मुख्य रूप से मांग की तुलना में कम आपूर्ति के कारण वृद्धि हुई। सब्जियों के मूल्यों में उपलब्धता और मौसमी कारणों के आधार पर उतार-चढ़ाव आता है तथा चावल, गेहूं और दूध के मूल्य स्थिर रहे। चना दाल और खाद्य तेलों के मूल्यों की इस विभाग द्वारा निगरानी की गई। गत एक वर्ष में मूंगफली के तेल और सरसों के तेल के मूल्यों में गिरावट आई। दिल्ली में पिछले एक वर्ष के दौरान आवश्यक वस्तुओं के खुदरा मूल्य नीचे की तालिका में दिए गए हैं:

वस्तु	वर्तमान मूल्य	खुदरा मूल्य (रुपए/कि.ग्रा.)				उतार-चढ़ाव
	1.7.09	1 सप्ताह पूर्व	1 माह पूर्व	6 माह पूर्व	1 माह पूर्व	1 वर्ष में
		24.6.09	1.6.09	1.1.09	1.7.08	
चावल	20.00	20.00	20.00	22.00	20.00	0.00
गेहूं	13.00	13.50	14.00	13.00	13.00	0.00
आटा	15.00	14.00	15.00	14.00	14.00	1.00
चना दाल	33.00	34.00	34.00	35.00	34.00	-1.50
तूर दाल	66.50	65.00	61.00	50.00	43.00	23.50
उड़द दाल	52.00	52.00	57.00	46.00	38.00	14.00
मूंग दाल	56.00	56.00	56.00	45.00	39.00	17.00
मसूर दाल	57.00	56.00	58.00	62.00	48.00	9.00
चीनी	27.00	27.00	27.00	21.00	17.00	10.00
मूंगफली का तेल*	105.00	106.00	109.00	110.00	121.00	-16.00
सरसों का तेल*	66.00	66.00	70.00	77.00	83.00	-17.00
वनस्पति	55.00	55.00	56.00	56.00	74.00	-19.00
दूध@	21.00	21.00	21.00	21.00	20.00	1.00
आलू	17.00	16.00	11.00	8.00	9.00	8.00
प्याज	15.00	1400	11.00	21.00	10.00	5.00
नमक (पैक)	12.00	12.00	12.00	11.00	10.00	2.00

*रिफाइंड तेल, @प्रति लीटर

(ग) और (घ) सरकार ने मूल्य वृद्धि नियंत्रित करने और उपभोक्ता पर मूल्य वृद्धि के प्रबाव को हल्का करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। उठाए गए महत्वपूर्ण कदम नीचे दिए गए हैं:

(1) सरकार मूल्यों को संतुलित करने के लिए प्रभावी कदम उठाती रही है। सरकार द्वारा किए गए उपाय संक्षेप में नीचे दिए गए हैं:-

क. अल्पकालिक उपाय

राजकोषीय उपाय

(1) चावल, गेहूं, दालों, खाद्य तेलों (कच्चा) और मकई तथा मक्खन व घी के लिए आयात शुल्क को घटाकर शून्य किया गया है।

(2) रिफाइण्ड और हाइड्रोजनीकृत तेलों तथा वनस्पति तेलों पर आयात शुल्क को घटाकर 7.5 प्रतिशत किया गया है।

(3) स्किम्ड मिल्क पाउडर पर आयात शुल्क को 15 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।

2. प्रशासनिक उपाय

(1) पांच कि.ग्रा. तक के ब्राण्डेड कंज्यूमर पैक में खाद्य तेलों के निर्यात की अनुमति दी गई है किन्तु अगले एक वर्ष के दौरान 31 अक्तूबर, 2009 तक उसकी सीमा 10,000 टन होनी चाहिए।

(2) गैर-बासमती चावल, गेहूं और दालों (काबुली चने को छोड़कर) के निर्यात पर प्रतिबंध।

(3) खाद्य तेलों के शुल्क दर मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं।

(4) धान, चावल, खाद्य तेलों और तिलहनों के मामले में स्टाक लिमिट आदेशों का अधिरोपण।

(5) न्यूनतम समर्थन मूल्य में समय-समय पर वृद्धि - इस समय गेहूं के लिए 1080 रुपए प्रति क्विंटल, सामान्य चावल के लिए 850 रुपए प्रति क्विंटल और ग्रेड 'ए' चावल के लिए 880 रुपए प्रति क्विंटल है ताकि गेहूं और चावल की अधिक खरीद की जा सके और उच्चतर उत्पादन को प्रोत्साहन मिले।

(6) 20.1.2009 से प्याज (जून, 2009 के लिए औसत 185 अमरीकी डालर प्रति मीट्रिक टन) और बासमती चावल (1100 अमरीकी डालर प्रति मीट्रिक टन) के निर्यात को विनियमित करने के लिए न्यूनतम निर्यात मूल्य का प्रयोग।

(7) चावल (गरीबी रेखा से नीचे के लिए 5.65 रुपए प्रति कि.ग्रा. और अंत्योदय अन्न योजना के लिए 3 रुपए प्रति कि.ग्रा.) और गेहूं (गरीबी रेखा से नीचे के लिए 4.15 रुपए प्रति कि.ग्रा. और अंत्योदय अन्न योजना के लिए 2 रुपए प्रति कि.ग्रा.) के लिए केन्द्रीय निर्गम मूल्य को कायम रखा गया।

(8) वायदा बाजार आयोग द्वारा वर्ष 2007-08 में चावल, गेहूं, उड़द और तूर के भावी सौदा व्यापार पर लगाया गया निलंबन वर्ष 2008-09 के दौरान जारी रहा। चीनी के भावी सौदा व्यापार को 27.5.2009 से 31 दिसम्बर, 2009 तक निलंबित किया गया है। यह मुद्रास्फीति की अपेक्षाओं को नकारने के लिए पूर्ण एहतियात के रूप में उठाया गया कदम था।

(9) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को 15 रुपए प्रति कि.ग्रा. की दर से सब्सिडी पर 1 मिलियन टन आयातित खाद्य तेलों का वितरण।

(10) दालों की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (अर्थात् एसटीसी, एमएमटीसी पीईसी) और नेफेड को स्कीम के तहत दालों के आयात और विक्रय की अनुमति दी गई तथा घाटों, यदि कोई हो, की 15 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा की जाएगी।

(11) राज्य सरकारों को 10 रुपए प्रति कि.ग्रा. की सब्सिडी पर आयातित दालों का वितरण।

(12) सरकार ने अग्रिम प्राधिकरण स्कीम के तहत कच्ची चीनी के आयात की अनुमति दे दी है और चीनी फैक्टरियों को कच्ची चीनी को घरेलू बाजार में बेचने तथा निर्यात की जिम्मेदारी को टन-टून-टन आधार पर पूरा करने की अनुमति दी है।

(13) सरकार ने शूगर मिलों द्वारा (शून्य शुल्क पर) 30.9.2009 तक (17.2.2009 और 2.3.2009 को अधिसूचित) अग्रिम प्राधिकरण स्कीम के तहत कच्ची चीनी के आयात की अनुमति दे दी है।

(14) सरकार ने चीनी मिलों द्वारा 1.8.2009 तक खुले सामान्य लाइसेंस के तहत शून्य शुल्क पर कच्ची चीनी के आयात की अनुमति दे दी है (17.4.2009 को अधिसूचित)।

(15) सरकार ने शून्य शुल्क पर सामान्य खुले लाइसेंस के तहत 1.8.2009 तक एमसटीसीसी/पीईसी और नेफेड द्वारा सफेद/रिफाइण्ड चीनी के एक मिलियन टन तक आयात की अनुमति दे दी है (17.4.2009 को अधिसूचित)।

(16) सभी आयातित कच्ची चीनी और सफेद/रिफाइंड चीनी के संबंध में लेवी की जिम्मेदारी हटा ली है।

(17) सरकार ने अप्रैल-जून, 2009 की तिमाही के लिए 6 लाख टन अतिरिक्त गैर लेवी चीनी रिलीज जिससे कुल रिलीज 60 लाख टन हो गयी जबकि 2008 में तदनुरूपी तिमाही में यह 50 लाख टन जनवरी-मार्च, 2009 में 50 लाख टन थी।

(18) अप्रैल, 2009 के लिए गैर लेवी चीनी की उपलब्धता रिलीज किए गए अतिरिक्त कोटा सहित 22 लाख टन थी जो मार्च, 2009 के लिए 17 लाख टन और अप्रैल, 2008 के लिए 17 लाख टन थी। मई, 2009 के लिए रिलीज किए गए अतिरिक्त कोटा सहित रिलीज की गई गैर-लेवी चीनी 21 लाख टन थी जो मई, 2008 के लिए 17.5 लाख टन थी। जून, 2009 के लिए रिलीज की गई गैर लेवी चीनी 16 लाख टन है जो जून, 2008 के लिए 13.5 लाख टन थी। इसके अलावा, चीनी मिलों द्वारा आयातित और प्रसंस्कृत लगभग 1 लाख टन कच्ची चीनी को जून, 2009 के दौरान रिलीज किया गया है।

(ख) मध्यकालिक (मीडियम टर्म) उपाय

मीडियम टर्म में सरकार ने कृषि में उत्पादन और उत्पादकता में सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जैसी पहलें की हैं।

(ङ) उपभोक्ता मामले विभाग के अंतर्गत स्थापित मूल्य निगरानी कक्ष को आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि को नियंत्रित करने/रोकने का अधिदेश प्राप्त नहीं है। मूल्य निगरानी कक्ष को अन्य बातों के साथ-साथ देश में 17 आवश्यक वस्तुओं अर्थात् चावल, गेहूं, आटा, चना दाल, तूर/अरहर दाल, मूंग दाल, उड़द दाल, मसूर दाल, चाय, दूध, चीनी, वनस्पति, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, आलू, प्याज और नमक के मूल्यों और उपलब्धता की स्थिति की निगरानी तथा राज्य खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभागों से प्राप्त सूचना के आधार पर मूल्य परिदृश्य से संबंधित अन्य मामलों की निगरानी का कार्य सौंपा गया है। खुदरा मूल्यों से संबंधित सूचना देश के 27 केन्द्रों से दैनिक आधार पर प्राप्त होती है। इसी प्रकार थोक मूल्यों से संबंधित सूचना देश के 37 केंद्रों से साप्ताहिक आधार पर प्राप्त होती है। इसके अलावा, आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों की स्थिति की सरकार में उच्चस्तरीय बैठकों में नियमित रूप से निगरानी की जाती है। इन बैठकों में लिए गए निर्णयों को संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जाता है जो निर्णय के विषय के लिए जिम्मेदार होते हैं। मूल्य निगरानी कक्ष उन निर्णयों पर की गई कार्रवाई की निगरानी करता है और सरकार को फीड बैक देता है। मूल्य निगरानी कक्ष को इस संबंध में और अधिक प्रत्यक्ष शक्तियां प्रदान करने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं की गई।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय खनिज नीति

***53. श्री चंद्रकांत खैरे:**
श्री तथागत सत्पथी:

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय खनिज नीति तैयार की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 को अद्यतन बनाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके परिणामस्वरूप खनन उद्योग पर इसका क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(ङ) क्या प्रस्तावित राष्ट्रीय खनिज नीति के अंतर्गत असंगठित खानों को लाया जा रहा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन असंगठित खानों के चयन के मानदण्ड क्या हैं?

खान मंत्री और उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री बी.के. हान्डिक): (क) और (ख) सरकार ने 13.3.2008 को राष्ट्रीय खनिज नीति 2008 घोषित की है। राष्ट्रीय खनिज नीति में अन्य बातों के साथ-साथ रियायतों के आवंटन में पारदर्शिता, अवधि की सुरक्षा, हस्तांतरणीयता आदि की व्यवस्था है जिससे विनयामक माहौल निवेश तथा प्रौद्योगिकी प्रवाह के अधिक अनुकूल हो। राज्यों की मुख्य भूमिका सुविधाएं देना और विनियमन करना होगा तथा भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण तथा क्षेत्रीय खनिज संसाधन आंकलन करने वाला प्रधान एजेंसी होगी। निजी क्षेत्र को टोही सर्वेक्षण तथा गवेषण में निवेश का महत्वपूर्ण स्रोत के तौर पर परिकल्पित किया गया है। खनिजों का गवेषण देश के आर्थिक विकास की समग्र नीति के एक भाग के तौर पर दीर्घावधि राष्ट्रीय लक्ष्यों द्वारा निर्देशित होगा और सतत विकास की रूपरेखा के भीतर किया जाएगा।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय खनिज नीति के प्रावधानों को लागू करने के लिए सरकार ने खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 में परिवर्तन करने के लिए कार्रवाई आरम्भ कर दी है जो खनन उद्योग के संबंध में, अन्य बातों के साथ-साथ खनन की वैज्ञानिक पद्धति, परिष्करण तथा किफायती उपयोग सुनिश्चित करने की अपेक्षा करती है। नीति जीरो वेस्ट माइनिंग को राष्ट्रीय लक्ष्य घोषित करती है और सम्पूर्ण एन-आफ-माइन्स का निष्कर्षण और उपयोग सुनिश्चित करने के लिए खनन प्रौद्योगिकी का उन्नयन न किया जा रहा है।

(ङ) और (च) खनिजों के लघु और पृथक-पृथक निक्षेप देश-भर में फैले हुए हैं। राष्ट्रीय खनिज नीति महत्वपूर्ण पर्यावरणीय और पारिस्थितिकी अनिवार्यताओं का रक्षोपाय करते हुए छोटे निक्षेपों के लघु पैमाने के खनन को वैज्ञानिक और दक्ष तरीके से बढ़ावा देने की आवश्यकता को समझती है। नीति में अवैध खनन को नियंत्रित करने तथा रोकने के लिए विनियमनों को सख्त बनाने हेतु प्रावधान हैं। जहां लघु निक्षेप में व्यवहार्य खनन की गुंजाइश नहीं है वहां यह नीति भूगौलिक रूप से परिभाषित सीमा में इन निक्षेपों को एक साथ एक पट्टे के तहत प्रदान करके 'कलस्टर अप्रोच' की वकालत करती है।

सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 को वापस लेना

*54. **श्री गुरुदास दासगुप्त:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 को वापस लेने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक वापस लिये जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) हालांकि इस अधिनियम को पूर्णतया वापस लेने अथवा निरसन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, फिर भी कुछ निश्चित क्षेत्रों पर इस अधिनियम की अनुप्रयोगता एवं इस अधिनियम में संशोधन विचाराधीन है।

राजमार्ग परियोजनाएं

*55. **श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार प्रतिदिन 29 किमी. राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण करने हेतु लक्ष्य निर्धारित करने तथा राजमार्ग परियोजनाओं का प्रभावी पर्यवेक्षण तथा समयबद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का विकेन्द्रीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उपर्युक्त मुद्दों पर कब तक अन्तिम निर्णय लिए जाने की संभावना है;

(ग) क्या राजमार्ग परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने हेतु वार्षिक कार्य योजना तैयार करने तथा डिवलपर्स को सरकारी गारण्टी देने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने कार्यान्वयन की समय सीमा सहित संगत विवरण तैयार करने के लिए समुचित उपाय किए हैं। इन उपायों में, राजमार्ग परियोजनाओं का समय से पूरा किया जाना सुश्चित करने की दृष्टि से प्रभावी प्रबंधन और नियंत्रण हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पुनर्गठन के लिए की गई सम्मेय कार्रवाई भी शामिल है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना को तेजी से पूरा किए जाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा वार्षिक कार्य योजना बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तथापि, इस समय, डिवलपर्स को सरकारी गारण्टी देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण एवं रख-रखाव

*56. **श्री नवीन जिन्दल:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उन कारणों की पहचान की है जो राष्ट्रीय राजमार्गों के समय पर निर्माण तथा उनके उचित रख-रखाव में बाधा बने हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इन बाधाओं को दूर करने और राजमार्ग के विकास के कार्य में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ग) चालू वर्ष में राष्ट्रीय राजमार्गों का नेटवर्क बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस संबंध में राजमार्ग डिवलपर्स के साथ सन् 2009 में एक बैठक आयोजित की गई थी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के समयबद्ध निर्माण और समुचित अनुरक्षण में बाधक कारण अभिनिर्धारित किए हैं। परियोजनाओं के कार्यान्वयन में मुख्य बाधाएं हैं- भूमि अधिग्रहण, सुविधाओं के स्थानांतरण, वन/पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने, उपरि पुल के लिए स्वीकृति में विलंब, ठेकेदारों द्वारा निम्नस्तरीय कार्यनिष्पादन, बजट की समस्या आदि। राजमार्ग परियोजनाओं के कार्यान्वयन को तीव्र करने के लिए किए गए/किए जा रहे उपायों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में वृद्धि करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

(घ) और (ङ) जी, हां। जून, 2009 में राजमार्ग डवलपरों के साथ एक बैठक की गई थी। इस बैठक में पर्यावरण संबंधी मुद्दों, वन स्वीकृति में विलंब, राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण/अनुरक्षण कार्यों को सेवा कर एवं स्थानीय कर से छूट के संबंध में कराधान मुद्दों, निर्माण हेतु उपस्कर/मशीनरी के आयात के लिए आयात शुल्क से छूट, राज्यीय सहायता करारों पर हस्ताक्षर में विलंब, भूमि अधिग्रहण संबंधी समस्याओं, पथकर संबंधी समस्याओं सहित विभिन्न मसले उठाए गए। सभी मसलों को संबंधित प्राधिकारियों के साथ उठाने के लिए कार्रवाई प्रारंभ की जा चुकी है।

विवरण

राजमार्ग परियोजनाओं के तीव्र कार्यान्वयन के लिए किए गए/किए जा रहे उपाय

(क) पर्यवेक्षण परामर्शदाता, परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों जैसे विभिन्न स्तरों पर ठेकों की नियमित निगारनी की जाती है। अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण; सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग और माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री के स्तर पर भी प्रगति की समीक्षा की जाती है।

(ख) राज्य सरकारों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना से संबंधित समस्याओं जैसे भूमि अधिग्रहण, सुविधाओं के स्थानांतरण, वन/प्रदूषण/पर्यावरण स्वीकृति आदि के समाधान के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की नोडल अधिकारियों के रूप में नियुक्ति की गई है। ये नोडल अधिकारी परियोजनाओं की समीक्षा के लिए समय-समय पर बैठकें करते हैं तथा समस्याओं के समाधान के लिए कार्रवाई करते हैं।

(ग) भूमि अधिग्रहण, सुविधाओं के स्थानांतरण, पर्यावरण संबंधी अनुमोदन, सड़क उपरि पुलों की स्वीकृति आदि जैसे अंतर-मंत्रालयी और केन्द्र-राज्य मुद्दों के समाधान के लिए मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की एक समिति का गठन किया गया।

(घ) भूमि अधिग्रहण की अधिसूचनाएं जारी करने की प्रक्रिया को अब आसान बना दिया गया है। पहले राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के अंतर्गत सभी अधिसूचनाओं की विधीक्षा विधि मंत्रालय द्वारा की जाती थी। हाल ही में कार्य आबंटन नियमावली में एक संशोधन किया गया है जिसके द्वारा इन अधिसूचनाओं को विधि मंत्रालय को भेजे जाने की आवश्यकता है। विधि मंत्रालय ने भूमि अधिग्रहण अधिसूचनाओं की समान प्रकृति को ध्यान में रखते हुए विभिन्न अधिसूचनाओं के मानक फार्मेट अनुमोदित कर दिए हैं।

(ङ) सड़क उपरि पुलों के शीघ्र निर्माण के लिए रेलवे के एक अधिकारी को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में तैनात किया गया है ताकि रेल मंत्रालय के साथ समन्वय किया जा सके। कुछ सड़क उपरि पुलों के निर्माण के लिए मै. इरकान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(च) गैर निष्पादक ठेकेदारों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है और उन्हें तब तक भावी परियोजनाओं के लिए निविदाएं देने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक वे विद्यमान ठेकों में अपने निष्पादन में सुधार नहीं कर लेते।

(छ) ठेकेदार के अनुरोध पर ब्याजशुदा विवेकाधीन अग्रिम प्रदान करके, समान राशि की बैंक गारंटी पर रिटेंशन मनी जारी करके, अग्रिम की वसूली (ब्याज आधार पर) के स्थगन और न्यूनतम आईपीसी धनराशि में छूट देकर ठेकेदारों की नकदी उपलब्धता से जुड़ी समस्या में सुधार लाने के उपाय किए गए हैं।

गरीबों के लिए स्वरोजगार योजना

***57. श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार:**
श्री नरहरि महतो:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने देश में विकलांगों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों, पिछड़े तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले गरीब लोगों को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए योजना आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत पश्चिम बंगाल सहित राज्यवार कितने परिवार लाभान्वित हुए;

(ग) क्या खादी और ग्रामोद्योग आयोग का विचार देश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले गरीबों के लिए कोई अन्य नई व्यापक योजना तैयार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार ने खादी और ग्रामोद्योग आयोग के माध्यम से दिनांक 1.4.1995 से 31.3.2008 के मध्य ग्रामीण क्षेत्रों एवं छोटे कस्बों जिनकी आबादी 20,000 तक है, उनमें केन्द्रीय क्षेत्र 'क्रेडिट लिंक सब्सिडी' योजना जो कि ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) के नाम से जानी जाती है, को कार्यान्वित किया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत पात्रता प्राप्त की उद्यमियों को 25 लाख रुपए तक के कुल लागत सीमा तक ग्रामोद्योगों को स्थापित करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, चुनिंदे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक द्वारा ऋण प्राप्त करने के लिए सहायता तथा 'केवीआईसी' से मार्जिन मनी सब्सिडी दी जाती थी। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, शारीरिक रूप से अपंग, भूतपूर्व सेवाकर्मियों, महिलाओं इत्यादि से संबंधित सामान्य श्रेणी के उद्यमियों की तुलना में अधिक मार्जिन मनी सहायता प्राप्त करने के पात्र थे।

आरईजीपी को 31.3.2008 तक लागू किया गया। निवर्तमान आरईजीपी तथा इसी मंत्रालय की एक अन्य योजना 'प्रधानमंत्री रोजगार योजना' पीएमआरवाई का विलय करते हुए अगस्त, 2008 में एक नई योजना 'प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम' (पीएमईजीपी) के नाम से अनुमोदित किया गया है, जो उक्त दो योजनाओं की तुलना में अधिक लाभदायक तथा प्रयोजनात्मक है।

पीएमईजीपी के अंतर्गत स्वीकार्य मार्जिन मनी सहायता निम्न प्रकार उपलब्ध करवाई जाती है:-

पीएमईजीपी के तहत लाभार्थियों के वर्ग	लाभार्थियों का योगदान (परियोजना लागत में)	सब्सिडी दर (परियोजना लागत में)	
क्षेत्र (परियोजना/इकाई का स्थान)		शहरी	ग्रामीण
सामान्य वर्ग	10%	15%	25%
विशेष श्रेणी (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्ग/अल्पसंख्यक/महिलाएं/भूतपूर्व सेवाकर्मी, शारीरिक अपंग, उत्तर पूर्व क्षेत्र, पहाड़ी और सीमांत क्षेत्र इत्यादि सहित)	05%	25%	35%

पीएमईजीपी योजना का कार्यान्वयन राष्ट्रीय स्तर पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा एक 'नोडल' एजेंसी के रूप में किया जा रहा है। राज्य/संघ क्षेत्र स्तर पर योजना का कार्यान्वयन खादी और ग्रामोद्योग आयोग के क्षेत्रीय कार्यकलापों, राज्य/संघीय क्षेत्र के खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों और जिला उद्योग केन्द्रों के द्वारा बैंकों से योगदान लेकर किया जा रहा है।

2006-07 तथा 2007-08 में 'आरईजीपी' तथा 2008-09 में 'पीएमजीपी' (अनंतिम) के अंतर्गत पश्चिम बंगाल सहित लाभार्थियों के लिए जो अनुमानित रोजगार के अतिरिक्त अवसर सृजित किए गए हैं उनके आंकड़े अनुलग्नक में प्रस्तुत हैं।

(ग) नहीं, श्रीमान।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

विवरण

वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 के दौरान आरईजीपी योजना तथा 2008-09 के दौरान पीएमईजीपी के अंतर्गत अनुमानत: जिन लाभार्थियों के लिए रोजगार सृजित किया गया उनकी राज्य/संघीय क्षेत्रवार व्यक्तियों की संख्या

(व्यक्तियों की संख्या)

क्र.सं.	राज्य/संघीय क्षेत्र	आरईजीपी के अंतर्गत अनुमानित रोजगार सृजन		पीएमईजीपी के अंतर्गत* अनुमानित रोजगार सृजन
		2006-07	2007-08	2008-09
1	2	3	4	5
1.	चंडीगढ़	50	199	310
2.	दिल्ली	267	215	50

1	2	3	4	5
3.	हरियाणा	28339	45185	8210
4.	हिमाचल प्रदेश	17102	26848	3400
5.	जम्मू और कश्मीर	23274	43865	18210
6.	पंजाब	35604	37412	8870
7.	राजस्थान	44168	94468	7030
8.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	323	273	80
9.	बिहार	12334	20057	67410
10.	झारखंड	7289	9064	9400
11.	उड़ीसा	16311	21857	19760
12.	पश्चिम बंगाल	42834	120126	56670
13.	अरुणाचल प्रदेश	2106	1783	1300
14.	असम	30912	48303	7280
15.	मणिपुर	1881	1105	30
16.	मेघालय	2174	3509	30
17.	मिजोरम	16455	17299	230
18.	नागालैंड	3358	6910	310
19.	त्रिपुरा	5851	14178	50
20.	सिक्किम	2208	2260	40
21.	आंध्र प्रदेश	59750	98449	9030
22.	कर्नाटक	42420	58855	24230
23.	केरल	30144	48668	3890
24.	लक्षद्वीप	0	36	40
25.	पुडुचेरी	854	2099	420
26.	तमिलनाडु	25216	54634	14730
27.	गोवा	1389	809	70
28.	गुजरात	13520	19271	3070
29.	दमन और दीव	–	–	60
30.	महाराष्ट्र	27182	33266	33680

1	2	3	4	5
31.	छत्तीसगढ़	17719	25933	10780
32.	मध्य प्रदेश	22332	42793	6280
33.	उत्तराखंड	10962	19270	3780
34.	उत्तर प्रदेश	51123	56652	44140
	कुल	595451	975651	362870

*अनंतिम आंकड़े।

वैकल्पिक खाद्य का प्रयोग

***58. श्री के.एस. राव:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसानों द्वारा उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से पौष्टिक तत्वों में तथा उत्पादकता में कमी आती है;

(ख) यदि हां, तो क्या उर्वरकों का सीमित प्रयोग करने के लिए किसानों को शिक्षित किया गया है;

(ग) क्या वर्मीकम्पोस्ट जैसी वैकल्पिक खाद मृदा की स्थिति सुधारने में सहायता करती है तथा देश में इसका उपयोग किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके परिणामस्वरूप किसानों को क्या-क्या फायदे होंगे;

(ङ) क्या ऊपरी मृदा के संरक्षण, उत्पादक मृदा की सततता बनाए रखने तथा उर्वरकों के प्रयोग में चरणबद्ध रूप से कमी सुनिश्चित करने हेतु अन्य वैकल्पिक गैर-रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) ऐसे अध्ययन हैं जिनसे पता चलता है कि रासायनिक उर्वरकों के असंतुलित प्रयोग तथा जैविक खादों का अनुप्रयोग नहीं किए जाने के कारण देश के कुछ भागों में मृदा की उर्वरता एवं उत्पादकता पर प्रभाव पड़ा।

(ख) जी, हां। किसानों को रासायनिक उर्वरकों के युक्तिसंगत प्रयोग सहित समेकित पोषक तत्व प्रबंध अपनाने के लिए सलाह तथा प्रशिक्षण दिए जाते हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) वर्मी कम्पोस्ट जैसी जैविक खादों के उपयोग से रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता में कमी आती है तथा उन्नत जैविक कार्बन एवं माइक्रोबायल लोड जैसी मृदा की स्थिति से संबंधित अतिरिक्त लाभ प्राप्त होते हैं।

(ङ) और (च) जैविक खाद्यों तथा जैविक उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं-

(1) राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना के तहत प्रशिक्षण, प्रदर्शन एवं जागरूकता कार्यक्रमों के जरिए जैविक खाद्यों तथा जैविक खादों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाता है। जैविक तथा कार्बनिक उर्वरकों की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए फल/सब्जी मंडी अपशिष्ट कंपोस्ट यूनिट तथा वर्मी कम्पोस्ट एवं जैव उर्वरक उत्पादन यूनिटों की स्थापना के लिए 25% बैक-'एन्डेड सब्सीडी दी जाती है।

(2) राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता प्रबंध परियोजना के अंतर्गत प्रति हैक्टे. 500 रु. की दर पर जैविक खादों को बढ़ावा देने के लिए सहायता दी जाती है।

(3) राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत जैविक खेती को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया गया है।

देश के खाद्य उत्पादन संबंधी लक्ष्यों की आवश्यकता पूरी करने के लिए फसल उपज में वृद्धि करने हेतु रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग में वृद्धि करने के लिए एक अनुपूरक के रूप में मृदा स्वास्थ्य आदि में सुधार करने के लिए जैविक खादों तथा जैविक उर्वरकों का उपयोग अपेक्षित है।

दूरदर्शन की संचालन लागत

***59. श्री असादूद्दीन ओवेसी:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरदर्शन की संचालन लागत लगातार बढ़ती जा रही है, जबकि इसके राजस्व में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) दूरदर्शन को वित्तीय संकट से उबारने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाये जाने का विचार है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) और (ख) जी, नहीं। प्रसार भारती द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पिछले पांच वर्षों में दूरदर्शन की परिचालनात्मक लागत में लगातार वृद्धि नहीं हो रही है। जहां तक राजस्व अर्जन का संबंध है, दूरदर्शन ने वर्ष 2005-06 के दौरान उल्लेखनीय वृद्धि दर्शायी है और तत्पश्चात्, इसके राजस्व अर्जन में क्रमिक वृद्धि हुई है।

नीचे दिया गया ब्यौरा, पिछले पांच वर्षों के दौरान दूरदर्शन की परिचालनात्मक लागत और राजस्व अर्जन की स्थिति को दर्शाता है:

(करोड़ रुपये)

वित्त वर्ष	परिचालनात्मक व्यय	राजस्व (निवल)
2004-05	862.75	580.02
2005-06	1069.25	768.91
2006-07	913.92	726.07
2007-08	830.27	724.42
2008-09	1152.42	737.05

अधिकारियों/कर्मचारियों को महंगाई वेतन प्रदान किए जाने के कारण और छठे केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा की गई वेतन संबंधी सिफारिशों के परिणामस्वरूप क्रमश: वर्ष 2005-06 एवं वर्ष 2008-09 के दौरान दूरदर्शन की परिचालनात्मक लागत में वृद्धि हुई थी।

अन्य निजी चैनलों से मिली कड़ी प्रतिस्पर्द्धा के बावजूद वर्ष 2006-07 और 2007-08 की तुलना में वर्ष 2008-09 के दौरान दूरदर्शन के निवल राजस्व में वृद्धि हुई है।

(ग) प्रसार भारती के लिए गठित मंत्री-समूह, प्रसार भारती की पूंजीगत और वित्तीय पुन:संरचना से संबंधित मुद्दों की जांच कर रहा था। सरकार, मंत्री-समूह का पुनर्गठन करने पर विचार कर रही है।

पोषण संबंधी दर्जा

*60. **श्रीमती मेनका गांधी:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित वैश्विक भूख सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है;

(ख) उक्त रिपोर्ट के अनुसार विभिन्न राज्यों में भूख/अल्पपोषण की राज्य-वार स्थिति क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा विशेषकर बच्चों के लिए पर्याप्त पोषण सुनिश्चित करने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/कार्यक्रम आरंभ किए गए हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) विश्व खाद्य कार्यक्रम (भारत) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उनके द्वारा वैश्विक भूख सूचकांक के बारे में कोई रिपोर्ट तैयार नहीं की गई है। तथापि, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली ने 2008 में वैश्विक भूख सूचकांक रिपोर्ट निकाली है। इसकी रिपोर्ट में भारत का स्थान 66वां है।

(ख) अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान रिपोर्ट, 2008 में देश में 17 राज्यों की रैंकिंग दिखाई गई है। भारतीय राज्य भूख सूचकांक को दर्शाने वाला राज्य-वार ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान रिपोर्ट 2008 3 घटकों अर्थात् कुपोषित आबादी का अनुपात, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में कम वजन होना और उनमें मृत्यु दर पर आधारित है।

लोगों के पोषाहार स्तर में सुधार करने के लिए सरकार विभिन्न स्कीमें चला रही है। सरकार गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय अन्न योजना के परिवारों के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह की दर पर खाद्यान्नों का आवंटन करती है। गरीबी रेखा से ऊपर की श्रेणी के लिए भी केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर आवंटन किए जाते हैं।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एकीकृत बाल विकास स्कीम क्रियान्वित करता है, जिसका लक्ष्य 0-6 वर्ष आयु समूह के विद्यालय पूर्व के बच्चों और गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों की देखभाल करने वाली माताओं के पोषाहार और स्वास्थ्य स्तर में

सुधार करना है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय देश में सरकारी, सरकार से राजसहायताप्राप्त और स्थानीय निकायों के विद्यालयों में प्राथमिक और अपर प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन योजना क्रियान्वित करता है।

विवरण

(भारत में राज्य का भूख सूचकांक)

(आईएफपीआरआई की रिपोर्ट 2008 के पृष्ठ 15 से पुनर्प्रस्तुत)

क्र.सं.	राज्यों का नाम	भारत में भूख सूचकांक रैंक
1.	पंजाब	1
2.	केरल	2
3.	आंध्र प्रदेश	3
4.	असम	4
5.	हरियाणा	5
6.	तमिलनाडु	6
7.	राजस्थान	7
8.	पश्चिम बंगाल	8
9.	उत्तर प्रदेश	9
10.	महाराष्ट्र	10
11.	कर्नाटक	11
12.	उड़ीसा	12
13.	गुजरात	13
14.	छत्तीसगढ़	14
15.	बिहार	15
16.	झारखंड	16
17.	मध्य प्रदेश	17

[हिन्दी]

नकली दवा रैकेट

313. श्री के.डी. देशमुखः क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में विभिन्न राज्यों में नकली दवाओं के रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है;

(ख) इस प्रक्रिया में कितनी मात्रा में नकली दवाएं जब्त की गयी हैं;

(ग) इस संबंध में कुल कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं;

(घ) नकली दवाओं के विनिर्माताओं और दोषियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है; और

(ङ) भविष्य में नकली दवाओं के मामलों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) से (ग) जी हां, महोदया। नकली दवाओं के रैकेट का भंडाफोड़ 2008 में गुड़गांव और चैन्नई में किया गया था। गुड़गांव रैकेट में 12 नकली दवाओं का पता लगाया गया था और नकली दवाओं के उत्पादन के लिए प्रयुक्त सामग्री प्रवर्तन प्राधिकारियों द्वारा जब्त की गई थी। इस संबंध में मै. कैम फार्मा प्रा.लि., उद्योग विहार, गुड़गांव के प्रबंध निदेशक को गिरफ्तार किया गया था और राज्य अपराध शाखा और औषध नियंत्रक, हरियाणा ने फैक्टरी परिसर को सील कर दिया था। चैन्नई रैकेट के मामले में चैन्नई हवाई अड्डे पर चीन से एक बड़ी खेप (2900 कि.ग्रा.) के आयात के 3 मामलों का पता लगाया गया था। चैन्नई हवाई अड्डे के सीमा-शुल्क प्राधिकारियों से इस आयात मामले में जब्ती और अभियोजन चलाने के लिए कहा गया है।

(घ) और (ङ) भारतीय औषध महानियंत्रक के कार्यालय ने देश के अपने सभी कार्यालयों को इन रैकेटों के संबंध में नोटिस जारी किए हैं और वे नकली दवा निर्माताओं का ब्यौरा उपलब्ध कराने के लिए राज्य औषध नियंत्रकों को भी लगातार पत्र लिख रहे हैं। नकली दवाओं के आयात के संबंध में, इस मुद्दे को पहले ही केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन और राजस्व सीमा शुल्क विभाग के प्राधिकारियों के साथ उठाया जा चुका है और इस प्रकार के आयात को रोकने के लिए देश भर में सुसंगत कार्रवाई किए जाने के लिए सभी विमानपत्तन प्राधिकारियों को भी कहा गया है। इसके अलावा, भारतीय औषध महानियंत्रक ने अनेक उपाय किए हैं जिनमें महत्वपूर्ण हैं:- नकली दवा विनिर्माताओं के लिए कठोर दंड का प्रावधान करने के लिए ड्रग्स एंड कास्मेटिक बिल में संशोधन, विश्व बैंक की सहायता से औषध परीक्षण और परीक्षण प्रयोगशालाओं की तकनीकी क्षमताओं में वृद्धि करना, ड्रग्स एंड कास्मेटिक अधिनियम की अनुसूची ''एम'' के माध्यम से स्वस्थ्य विनिर्माण प्रक्रिया का कार्यान्वयन, निगरानी और प्रवर्तन उपायों पर बल देना और फार्मा उद्योगों एवं व्यापार को नकली

दवाओं आदि के विरुद्ध अभियान चलाने के लिए उत्प्रेरित करना। इसके साथ-साथ, राज्य सरकारों को नकली दवाओं अथवा इनकी संभावित ढुलाई पर कड़ी निगरानी रखने के लिए मार्गनिर्देश जारी किए गए हैं। आसूचना कार्य, अभियोजन आदि के लिए संभारिकी संबंधी विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम राज्य सरकारों के नियामक अधिकारियों के लिए आयोजित किए गए हैं।

[अनुवाद]

एफ.एम. रेडियो स्टेशन

314. श्री एस.एस. रामासुब्बू: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्तमान में काम कर रहे आकाशवाणी के एफ.एम. स्टेशनों तथा निजी एफ.एम. रेडियो स्टेशनों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस क्षेत्र में निजी कंपनियों को नया लाइसेंस जारी करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा आगामी तीन वर्षों में तमिलनाडु सहित राज्यवार कितने एफ.एम. रेडियो चैनल और शुरू होने की संभावना है;

(घ) इसके परिणामत: कुल कितना राजस्व सृजित होने की संभावना है;

(ङ) क्या सरकार का उन चैनलों को कोई रियायत देने का भी प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी मोहन जतुआ): (क) इस समय देश में कुल 171 आकाशवाणी एफ.एम. ट्रांसमीटर तथा 248 निजी एफ.एम. रेडियो स्टेशन कार्यशील हैं, जिनका ब्यौरा क्रमश: संलग्न विवरण-I तथा विवरण-II में दिया गया है।

(ख) और (ग) ट्राई ने एफ.एम. रेडियो विस्तार के चरण-III के बारे में अपनी सिफारिशें भेज दी हैं।

(घ) इस समय इसका आकलन नहीं किया जा सकता है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण I

आकाशवाणी के मौजूदा एफ.एम. ट्रांसमीटरों की संख्या

क्र.सं.	राज्य	कुल
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	13
2.	अरुणाचल प्रदेश	1
3.	असम	5
4.	बिहार	4
5.	छत्तीसगढ़	4
6.	दिल्ली	2
7.	गोवा	1
8.	गुजरात	5
9.	हरियाणा	3
10.	हिमाचल प्रदेश	4
11.	जम्मू और कश्मीर	8
12.	झारखंड	5
13.	कर्नाटक	14
14.	केरल	7
15.	मध्य प्रदेश	13
16.	महाराष्ट्र	17
17.	मणिपुर	1
18.	मेघालय	2
19.	मिजोरम	2
20.	नागालैंड	2
21.	उड़ीसा	7
22.	पंजाब	3
23.	राजस्थान	12
24.	सिक्किम	0
25.	तमिलनाडु	9

1	2	3
26.	त्रिपुरा	3
27.	उत्तराखंड	1
28.	उत्तर प्रदेश	10
29.	पश्चिम बंगाल	8
30.	संघ राज्य क्षेत्र	5
	कुल	171

विवरण II

मौजूदा निजी एफ.एम. स्टेशन

क्र.सं.	राज्य	कुल
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	13
2.	अरुणाचल प्रदेश	1
3.	असम	4
4.	बिहार	2
5.	छत्तीसगढ़	5
6.	दिल्ली	8
7.	गोवा	3
8.	गुजरात	16
9.	हरियाणा	6
10.	हिमाचल प्रदेश	–
11.	जम्मू और कश्मीर	2
12.	झारखंड	7
13.	कर्नाटक	14
14.	केरल	17
15.	मध्य प्रदेश	16
16.	महाराष्ट्र	31
17.	मणिपुर	–
18.	मेघालय	2
19.	मिजोरम	–
20.	नागालैंड	–
21.	उड़ीसा	5
22.	पंजाब	12
23.	राजस्थान	19
24.	सिक्किम	2
25.	तमिलनाडु	21
26.	त्रिपुरा	1
27.	उत्तराखंड	–
28.	उत्तर प्रदेश	21
29.	पश्चिम बंगाल	15
30.	संघ राज्य क्षेत्र	5
	कुल	248

तिलहन संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन

315. श्री कालीकेश नारायण सिंह देव: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तिलहन के संबंध में प्रौद्योगिकी मिशन ने जिन राज्यों में कार्य शुरू कर दिया है उनका ब्यौरा क्या है; और

(ख) उड़ीसा के केबीके जिलों में तिलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी मिशन द्वारा क्या सहायता दी गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थामस): (क) भारत सरकार ने तिलहनों के उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए मई 1986 में तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की शुरुआत की। तत्पश्चात् दालों, आयलपाम तथा मक्का को भी क्रमश: 1990, 1992-93 तथा 1995-96 में प्रौद्योगिकी मिशन के तहत शामिल किया गया। तदनन्तर उक्त मिशन को 1.4.2004 से एक केन्द्रीय प्रायोजित समेकित स्कीम अर्थात् समेकित तिलहन, दलहन, आयलपाम एवं मक्का स्कीम के तहत समाहित कर दिया गया। आइसोपाम के तहत शामिल राज्यों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) आइसोपाम के तहत केबीके के जिलों सहित उड़ीसा राज्य को सहायता दी गई है। आइसोपाम के तहत भारत सरकार

द्वारा उड़ीसा को विगत 5 वर्षों के दौरान जारी की गई धनराशि का ब्यौरा निम्नलिखित हैं-

वर्ष	लाख रु.
2004-05	455.00
2005-06	500.00
2006-07	525.00
2007-08	900.00
2008-09	575.00

विवरण

आइसोपाम के तिलहन विकास कार्यक्रम के तहत शामिल राज्य

क्र.सं.	राज्य
1.	आंध्र प्रदेश
2.	बिहार
3.	छत्तीसगढ़
4.	गुजरात
5.	हरियाणा
6.	कर्नाटक
7.	मध्य प्रदेश
8.	महाराष्ट्र
9.	उड़ीसा
10.	पंजाब
11.	राजस्थान
12.	तमिलनाडु
13.	उत्तर प्रदेश
14.	पश्चिम बंगाल

एनएचडीपी के अंतर्गत राजमार्गों को चौड़ा किया जाना

316. श्रीमती सुप्रिया सुले: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करने का है;

(ख) यदि हां, तो राजमार्गों सहित चौड़ा किए जाने वाले मार्ग की लंबाई तथा उसकी लागत का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने हैदराबाद स्थित कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को भी स्वीकृति दी है;

(घ) यदि हां, तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की निबंधन व शर्तें क्या हैं तथा कितना निवेश किया जाना प्रस्तावित है; और

(ङ) अब तक क्या प्रगति हुई है तथा इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर आर.पी.एन. सिंह): (क) जी, हां। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के कार्यान्वयन का कार्य सौंपा गया है जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के विभिन्न चरणों के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों को 4/6/8 लेन का बना कर, एक्सप्रेसवे, रिंग रोड आदि के निर्माण के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्गों के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण की परिकल्पना की गई है।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के विभिन्न चरणों के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई और उनकी लागत का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) राजमार्ग क्षेत्र में आटोमेटिक रुट से 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है।

विवरण

सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के विभिन्न चरणों के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्गों के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं जिनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:-

	चरण	कुल लंबाई कि.मी. में	अनुमोदित लागत (करोड़ रुपए में)
1	2	3	4
I.	स्वर्णिम चतुर्भुज, पूर्व पश्चिम-उत्तर दक्षिण महामार्ग, पत्तन संपर्क एवं अन्य	7,498	30,300

1	2	3	4
II.	पूर्व पश्चिम-उत्तर दक्षिण महामार्ग, अन्य को 4/6 लेन का बनाया जाना	6,647	34,339
III.	उन्नयन, 4/6 लेन का बनाया जाना	12,109	80,626
IVA.	पेव्ड शोल्डर्स सहित 2 लेन का बनाया जाना	20,000	27,800
V.	स्वर्णिम चतुर्भुज और उच्च घनत्व महामार्ग को 6 लेन का बनाया जाना	6,500	41,210
VI.	एक्सप्रेसवे	1000	16,680
VII.	रिंग रोड, बाइपास और फ्लाईओवर और अन्य संरचनाएं	700 कि.मी. रिंग रोड/ बाईपास तथा फ्लाईओवर	16,680

लघु तथा सीमांत किसान

317. श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कुल किसानों में से लघु और सीमान्त किसानों का प्रतिशत कितना है;

(ख) क्या कृषि हेतु दिए गए कुल ऋण का 30 प्रतिशत से भी कम भाग लघु तथा सीमांत किसानों को दिया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो ग्रामीण किसानों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो किसानों के इस वर्ग को सालाना कितना प्रतिशत ऋण दिया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थामस): (क) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) के 59वें दौर (2003) के आंकड़ों के अनुसार सीमांत एवं लघु किसानों की प्रतिशतता निम्न प्रकार से है:-

जोत के वर्ग	प्रचालनात्मक जोत की प्रतिशतता	प्रचालित क्षेत्र की प्रतिशतता
सीमान्त किसान	71	22.6
छोटे किसान	16.6	20.9

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) ब्यौरे निम्न प्रकार से हैं:-

(रु. करोड़)

वर्ष	कुल ऋण प्रवाह	एसएफ/एमएफ को ऋण प्रवाह	कुल ऋण प्रवाह का एसएफ/एमएफ की प्रतिशतता
2007-08	254,657.45	89,858.51	35.28
2008-09	287,149.19	164,491.39	57.28

नाल्को का उत्पादन

318. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान नेशनल एल्यूमिनियम लिमिटेड द्वारा किए गए उत्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ख) आगामी तीन वर्षों के लिए नाल्को द्वारा क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) क्या अनुमानित उत्पादन से वास्तविक लक्ष्य के अधिक होने का अनुमान है;

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा और कारण क्या हैं;

(ङ) क्या लक्ष्य प्राप्ति हेतु कोई कदम उठाया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खान मंत्री और उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री बी.के. हान्डिक): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (नालको) द्वारा प्राप्त किया गया उत्पादन निम्नवत है:-

उत्पादन	यूनिट	2006-07	2007-08	2008-09
बाक्साइट	टन	46,23,278	46,84,684	47,00,027
एल्युमिना हाईड्रेट	टन	14,75,200	15,75,500	15,76,500
एल्युमिनियम ढलवां धातु	टन में	3,58,734	3,60,457	3,61,262
निवल बिजली उत्पादन	मिलियन यूनिट	5,968	5,609	5,541

(ख) से (च) मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए वार्षिक लक्ष्य समझौता ज्ञापन (एमओयू) प्रणाली के माध्यम से निर्धारित किए जाते हैं। नालको द्वारा खान मंत्रालय के साथ मार्च, 2009 में वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए हस्ताक्षरित एमओयू की शर्तों के अनुसार निम्नलिखित उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं:

उत्पादन	यूनिट	2009-10 के लिए लक्ष्य
बाक्साइट	टन	55,80,000
एल्युमिना हाईड्रेट	टन	18,60,000
एल्युमिनियम ढलवां धातु	टन	4,35,000
निवल बिजली उत्पादन	मिलियन यूनिट	6,510

वर्तमान में कंपनी के द्वितीय चरण विस्तार में, बाक्साइट खनन की क्षमता 48 लाख टन प्रतिवर्ष (एलटीपीवाई) से बढ़ाकर 63 एलटीपीवाई एल्युमिना शोधनशाला 15.75 एलटीपीवाई से बढ़ाकर 21 एलटीपीवाई, एल्युमिनियम प्रगालक को 3.45 एलटीपीवाई से बढ़ाकर 4.6 एलटीपीवाई करने तथा गृहीत बिजली संयंत्र की क्षमता 960 मे.वा. से बढ़ाकर 1200 मे.वा. करने की परिकल्पना की गई है, जो कि पूर्णता के अग्रिम चरण पर है। एल्युमिनियम कास्ट धातु की मौजूदा 3,45,000 टन की क्षमता के अतिरिक्त 57,500 टन की अतिरिक्त क्षमता बिजली उत्पादन के लिए 120 मे.वा. के एक अतिरिक्त यूनिट के पूर्ण होने के साथ पहले ही बढ़ाई जा चुकी है। द्वितीय चरण विस्तार के अंतर्गत सभी खण्डों के पूर्णत: चालू हो जाने पर उक्त उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य-योजना बनाई गई है।

कॅयर उत्पादों का निर्यात

319. श्री एन. चेलुवरया स्वामी: क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कॅयर तथा कॅयर उत्पादों के निर्यात का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इस उद्योग को दिये जाने वाले प्रस्तावित प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस क्षेत्र का दोहन करने हेतु कर्नाटक सहित अन्य राज्यों की सहायता के लिए सरकार की कार्य योजना क्या है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कॅयर और कॅयर उत्पादों के निर्यात का ब्यौरा नीचे प्रस्तुत है:

वर्ष	मात्रा (मीट्रिक टन)	मूल्य (करोड़ रु.)
2006-07	168754.75	605.17
2007-08	187566.74	592.88
2008-09	199924.93	639.97

(ख) कॅयर उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए प्रदान किए गए प्रोत्साहन निम्नलिखित हैं:

(1) पैक्ड रूप में निर्यात किए गए कॅयर उत्पादों के लिए ड्यूटी एनटाइटलमेंट पास बुक स्कीम (डीईपीबी) के अंतर्गत 1.5% की ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप।

(2) राजस्व विभाग की ड्यूटी ड्रा बैक स्कीम के तहत 1% से 5.6% तक राजकोषीय प्रोत्साहन।

(3) चुनिंदा उत्पादों के लिए वाणिज्य मंत्रालय की फोकस प्रोडक्ट स्कीम के अंतर्गत 1.25% की ड्यूटी फ्री स्क्रिप।

(4) सभी कॅयर उत्पादों के लिए वाणिज्य मंत्रालय की फोकस मार्केट स्कीम के अंतर्गत 2.5% की ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप।

(5) वित्त मंत्रालय द्वारा प्री-शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट की ब्याज दर को 2.5% तक कम करते हुए छूट।

(6) एमएसएमई मंत्रालय की विदेशी बाजार विकास सहायता (ईएमडीए) योजना के तहत अंतर्राष्ट्रीय मेलों, विक्रेता क्रेता बैठकों, व्यापार प्रतिनिधिमंडलों आदि में भागीदारी के लिए विभिन्न निर्यात संवर्धन कार्यकलापों के लिए निर्यातकों/उद्यमियों को वित्तीय सहायता।

(7) ईएमडीए योजना के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में एक बार अधिकतम 15,000 रुपये तक विदेश में जारी करने के लिए ब्रोशरों/कैटलॉग के उत्पादन की लागत के 25% तक की सहायता।

(8) विशिष्ट निर्यात संवर्धन कार्यकलापों के लिए वाणिज्य मंत्रालय की बाजार पहुंच पहल योजना और बाजार विकास सहायता योजना के अंतर्गत सहायता।

(ग) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय कॅयर बोर्ड निर्यात बाजार संवर्धन योजना कार्यान्वित कर रहा है जो कर्नाटक सहित देश भर में लागू है। इस योजना के अंतर्गत सरकार ने कॅयर बोर्ड के माध्यम से बाजार रुझानों और यूरोप खासकर यूके, इटली, जर्मनी और नीदरलैंड्स की प्राथमिकताओं के मूल्यांकन के लिए भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, नई दिल्ली के द्वारा एक बाजार इंटेलिजेंस अध्ययन आरंभ किया है जिसका लक्ष्य परंपरागत और मूल्य वर्धित कॅयर उत्पादों के निर्यातों को बढ़ावा देना तथा कॅयर उत्पादों को घरेलू सजावट के उत्पादों के रूप में स्थान दिलाना है। इसके अतिरिक्त, कॅयर बोर्ड द्वारा कॅयर निर्यातों को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:-

(1) कॅयर बोर्ड कॅयर निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए लगभग 12 महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शनियों में भारतीय कॅयर क्षेत्र की भागीदारी की व्यवस्था करता है।

(2) कॅयर बोर्ड समय-समय पर निर्यातकों की बैठक आयोजित करता है ताकि उनकी समस्याओं, मतों और व्यापक सुधारने के सुझावों पर उनके साथ संपर्क किया जा सके, और

(3) कॅयर बोर्ड निर्यात के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए कॅयर उद्योग पुरस्कार देते हुए बेहतर निष्पादन प्राप्त करने के लिए निर्यातकों को प्रोत्साहित करता है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो परियोजना

320. **श्री नवीन जिन्दल:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इस परियोजना के कब तक पूरा होने की संभावना है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर आर.पी.एन. सिंह): (क) मध्य प्रदेश राज्य में ''भारत जोड़ो परियोजना'' कै नाम से कोई कार्यक्रम वर्तमान में नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

डेयरी को-आपरेटिव हेतु धनराशि

321. **श्री जी.एम. सिद्देश्वर:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डेयरी को-आपरेटिव्स की अवसंरचना को सुदृढ़ करने हेतु केन्द्र सरकार धनराशि उपलब्ध करा रही है;

(ख) यदि हां, तो वित्तपोषण करने वाली एजेंसियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्तमान दिशानिर्देश क्षेत्री यूनियन से मान्यता प्राप्त डेयरी को-आपरेटिव्स को ही सहायता का पात्र बनाते हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार यूनियन से मान्यता प्राप्त नहीं करने वाले परंपरागत दुग्ध सोसाइटीज को शामिल करने हेतु वर्तमान दिशानिर्देश में परिवर्तन लाने पर विचार कर रही है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थामस): (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार डेयरी सहकारिताओं के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी), राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), राष्ट्रीय सहकारी डेयरी निगम (एनसीडीसी) तथा राज्य डेयरी परिसंघ नामक एजेंसियों के जरिए केन्द्रीय प्रायोजित तथा केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है।

(ग) कुछ योजनाओं के मौजूदा दिशानिर्देशों में क्षेत्रीय संघों से संबद्ध डेयरी सहकारिताओं को ही सहायता प्रदान करने की व्यवस्था है।

(घ) और (ङ) कुछ योनजाओं के तहत पारंपरिक दुग्ध समितियों को सहायता प्रदान की जाती है। तथापि, केन्द्रीय प्रायोजित परियोजनाओं की उचित निगरानी के लिए कुछ योजनाओं में क्षेत्रीय दुग्ध संघ से संबद्धता निर्धारित की गई है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बांग्लादेशी

322. श्री प्रहलाद जोशी: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भारी संख्या में बांग्लादेशी प्रवासी आ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों का ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है;

(ग) क्या उक्त प्रवासी एनसीआर के पड़ोसी क्षेत्रों यथा ग्वालियर, आगरा और मेरठ इत्यादि में फैल गये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसे अवैध अप्रवासियों को वापस भेजने के लिए क्या कार्रवाई की गयी है/किये जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) से (ङ) बांग्लादेश के साथ भारत की लम्बी एवं सुभेद्य सीमा, भौगोलिक समीपता, पारिवारिक संबंध और नृजातीय एकरूपता, साथ ही भारत में बेहतर आर्थिक अवसरों के कारण बांग्लादेश से अवैध आप्रवासन होता है। इसके अतिरिक्त, वैध यात्रा दस्तावेजों से भारत आने वाले कुछ बांग्लादेशी नागरिक भी उल्लिखित कारणों से भारत में नियत अवधि से अधिक अवधि तक ठहरने के लिए प्रवृत्त होते हैं। प्रछन्न रूप से सीमा पार से आए अवैध बांग्लादेशी अप्रवासियों की ठीक-ठीक संख्या बताना सम्भव नहीं है।

जैसे ही अवैध आप्रवासन का पता लगता है, उन्हें विसासित करने की कार्रवाई की जाती है। विदेशी विषयक अधिनियम, 1946 की धारा 3(2) के अंतर्गत विदेशी नागरिकों को वापस भेजने की शक्ति केन्द्रीय सरकार में निहित है। अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान करने तथा उन्हें अपने देश वापस भेजने की शक्तियां राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को भी प्रत्यायोजित कर दी गई है। अवैध बांग्लादेशी आप्रवासियों के संसूचन एवं स्वदेशी वापसी के लिए एक विस्तृत क्रियाविधि भी बना ली गई है और उसे राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को परिचालित कर दिया गया है जिन्हें वह सतत आधार पर कार्यान्वित कर रहे हैं।

[अनुवाद]

न्यूनतम समर्थन मूल्य

323. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों की पर्याप्त क्षतिपूर्ति करता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक फसल के लिए निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य का ब्यौरा क्या है; और

(घ) किसानों को प्रेरित करने हेतु उन्हें क्या प्रोत्साहन दिए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थामस): (क) और (ख) कृषि लागत और मूल्य आयोग मूल्य नीति पर अपनी सिफारिशें करते समय अनेक महत्वपूर्ण कारकों पर विचार करता है जिनमें शामिल हैं उत्पादन लागत, आदान मूल्यों में परिवर्तन, आदान उत्पादन मूल्य समानता, बाजार मूल्यों में प्रवृत्तियां, मांग एवं आपूर्ति की स्थिति, अंतर- फसल मूल्य समानता, औद्योगिक लागत ढांचे पर प्रभाव, सामान्य मूल्य स्तर पर प्रभाव, निर्वाह लागत पर प्रभाव, अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य स्थिति तथा किसानों द्वारा प्राप्त किए गए एवं भुगतान किए गए मूल्यों में समानता।

ध्यान में रखी गई जोत/उत्पादन लागत में सभी भुगतान की गई लागतें शामिल हैं जैसे किराए पर लिए गए मानव श्रम, बैल श्रम/मशीन श्रम (किराए पर लिया गया तथा निजी का दोनों) पर किया गया व्यय तथा पट्टे पर ली गई भूमि के लिए भुगतान किया गया किराया। इनके अलावा, पंपसैट आदि चलाने के लिए डीजल/बिजली की लागत सहित सामग्री निवेशों जैसे बीजों, उर्वरकों, खादों, सिंचाई प्रभारों के प्रयोग पर नकद एवं वस्तुरूप में किए गए व्यय भी शामिल हैं। इसके अलावा, उत्पादन लागत में परिवार श्रम की मजदूरी का आरोपित मूल्य तथा स्वयं की भूमि के लिए किराया शामिल है। फार्म मशीनरी और भवनों पर अवमूल्यन को भी कवर करता है। जैसाकि, उत्पादन लागत में नकद व वस्तुरूप में किए गए व्यय के अलावा स्वामित्व वाली सम्पत्ति भूमि तथा परिवारिक श्रम सहित भी शामिल है।

(ग) 2008-09 में निर्धारित खाद्य फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्यों को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दियागया है।

(घ) किसानों को प्रेरित करने के विचार से भारत सरकार किसानों की आय को बढ़ाने के उद्देश्य से कृषि की आर्थिक व्यवहारिकता में वृद्धि करते हुए के साथ राष्ट्रीय किसान नीति 2007 कार्यान्वित कर रही है। नीति प्रावधानों में अन्य बातों के अलावा सहायता सेवाएं तथा आदानों का प्रावधान; गुणवत्तायुक्त बीजों तथा रोगमुक्त पौध सामग्री की आपूर्ति; उचित ब्याज दरों पर संस्थागत ऋण तक पर्याप्त तथा आसान उपलब्धि; कृषि बाजार ढांचे का विकास शामिल है। इसके अतिरिक्त बहुत सी योजना स्कीमें/कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया जा रहा है जिसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, सुक्ष्म सिंचाई स्कीमें आदि शामिल हैं।

विवरण

(रुपए प्रति क्विंटल)

जिन्स	किस्म	न्यूनतम समर्थन मूल्य (2008-09)	न्यूनतम समर्थन मूल्य (2009-10)	गत वर्ष पर प्रतिशत वृद्धि
1	2	3	4	5
धान	सामान्य	850		31.8
	ग्रेड ए	880		30.4
ज्वार	हाईब्रीड	840		40.0
	मालदंडी	840		38.7
बाजरा	–	840		40.0
मक्का	–	840		35.5
रागी	–	915		52.5
तूर (अरहर)	–	2000		29.0
मूंग	–	2520		48.2
उड़द	–	2520		48.2
मूंगफली छिलका सहित	–	2100		35.5
सोयाबीन	पीला	1390		46.7
	काला	1350		48.4
सुरजमुखी बीज	–	2215		32.4
तिल	–	2750		74.1
रामतिल	–	2405		94.0
गेहूं	–	1080		8.4
जौ	–	680		4.6

1	2	3	4	5
चना	–	1730		8.1
मसूर (लेन्टिल)	–	1870		10.0
रेपसीड/सरसों	–	1830		1.7
कुसम्भ	–	1650		0
तोरिया	–	1735		0
खोपरा	मिलिंग	3660	4450	21.6
	बाल	3910	4700	20.2
छिलका रहित नारियल		988	1200	21.46
गन्ना	–	81.18	107.76	32.74

असम में रिले केन्द्र

324. श्री राजेन गोहैन: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पूर्वोत्तर विशेष पैकेज के अंतर्गत असम के लुम्बिंग में 10 किलोवाट एफ.एम. ट्रांसमीटर वाला एक रिले केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक लगाए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. जगतरक्षकन): (क) लुमडिंग (असम) में 1 कि.वा. एफ.एम. ट्रांसमीटर (रिले स्टेशन) की स्थापना पूर्वोत्तर विशेष पैकेज चरण-2 के अंतर्गत एक अनुमोदित स्कीम है।

(ख) और (ग) वर्ष 2010-11 के दौरान।

आम उत्पादन

325. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:
श्रीमती ऊषा वर्मा:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान विशेष: उत्तर प्रदेश के मलीहाबाद क्षेत्र में आमों की विभिन्न किस्मों के उत्पादन में गिरावट आयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में आम उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थामस): (क) और (ख) जी, हां। उत्तर प्रदेश के मलीहाबाद क्षेत्र सहित देश में वर्तमान फसल मौसम के दौरान भारी तथा लगातार वर्षा के कारण जिससे अत्यधिक वानस्पतिक वृद्धि हुई और पुष्पन तथा फल विन्यास में कमी आई, आम के उत्पादन में कमी आई है। आम अभी परिपक्व हो रहे हैं, अत: आम के कुल उत्पादन का आकलन फसल मौसम के पश्चात ही किया जाता है। आम उत्पादक प्रमुख राज्यों में 2005-06 से 2007-08 तक की अवधि के दौरान आम के उत्पादन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) भारत सरकार आम सहित फलीय फसलों के उत्पादन तथा उत्पादकता में सुधार सहित बागवानी के समग्र विकास के लिए दो केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों, यथा- सिक्किम, उत्तराखंड, जम्मू व कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश सहित पूर्वोत्तर राज्यों में समेकित बागवानी विकास के लिए प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमएनई) तथा शेष राज्यों के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन का क्रियान्वयन करती रही है। इन स्कीमों के तहत क्षेत्र विस्तार, गुणवत्ताप्रद रोपण सामग्री के उत्पादन के लिए नर्सरियों की स्थापना, वृक्ष कैनोपी प्रबंध, रुग्ण बगीचों के पुनरुद्धार, पोषक तत्व एवं जल प्रबंध आदि के लिए सहायता दी जा रही है जिससे आम के उत्पादन व उत्पादकता में सुधार लाने में मदद मिलती है।

विवरण

वर्ष 2005-06 से 2007-08 तक देश में आम का उत्पादन

(000 मी. टन)

क्र.सं.	राज्य/संघ शा. क्षेत्र	2005-06	2006-07	2007-08
1.	आंध्र प्रदेश	3306.0	3865.2	3865.2
2.	उत्तर प्रदेश	2553.6	2980.5	3256.6
3.	कर्नाटक	1292.7	1368.8	1337.7
4.	गुजरात	772.1	834.3	930.1
5.	बिहार	1222.7	1306.9	870.4
6.	तमिलनाडु	537.8	580.8	753.6
7.	महाराष्ट्र	638.6	646.3	710.9
8.	पश्चिम बंगाल	513.3	549.8	623.3
9.	केरल	511.1	445.4	445.4
10.	उड़ीसा	428.8	431.4	251.8
11.	अन्य	822.5	724.6	747.0
	कुल	12599.4	13734.1	13792.1

कृषि यंत्रीकरण

326. श्री के.सी. सिंह 'बाबा': क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार उत्तराखंड सहित देश में छोटे किसानों के बीच कृषि के मशीनीकरण को बढ़ावा देने हेतु कार्यक्रमों/योजनाओं का कार्यान्वयन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इन कार्यक्रमों हेतु जारी धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन कार्यक्रमों के अंतर्गत अब तक राज्यवार क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थामस): (क) और (ख) जी, हां। कृषि एवं सहकारिता विभाग उत्तराखंड राज्य सहित सभी राज्यों में छोटे किसानों सहित सभी वर्गों के किसानों के बीच कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा दे रही है जिसके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं प्रदर्शन का आयोजन करके तथा किसानों को उपकरणों एवं मशीनों की खरीद के लिए राजसहायता प्रदान करके मुख्यतया निम्नलिखित स्कीमें चलाई जा रही हैं-

1. प्रशिक्षण, परीक्षण एवं प्रदर्शन के जरिए कृषि यंत्रीकरण का संवर्द्धन एवं सुदृढ़ीकरण।
2. कटाई पश्चात् प्रौद्योगिकी एवं प्रबंध।
3. कृषि में वृहत प्रबंध।
4. पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड में समेकित बागवानी विकास संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन।

(ग) वर्ष 2006-07, 2007-08 तथा 2008-09 के दौरान स्कीमों के तहत जारी धनराशियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में है।

(घ) इन स्कीमों के तहत उपलब्धियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में है।

विवरण I

विगत तीन वर्षों के दौरान फार्म यंत्रीकरण के लिए निर्मुक्त धनराशि का ब्यौरा

(रु. करोड़)

क्र.सं.	स्कीम/योजना का नाम	वर्ष			
		2006-07	2007-08	2008-09	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	प्रशिक्षण, परीक्षण एवं प्रदर्शन के जरिए कृषि यंत्रीकरण का संवर्द्धन एवं सुदृढ़ीकरण	10.33	10.96	11.33	32.62

1	2	3	4	5	6
2.	कटाई पश्चात प्रौद्योगिकी एवं प्रबंध	–	1.00	4.78	5.78
3.	वृहत प्रबंध	155.53	168.80	175.74	500.07
4.	पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड में समेकित बागवानी विकास संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन	8.47	6.93	3.50	18.90

विवरण II

विगत तीन वर्षों (अर्थात् 2006-07 से 2008-09) के दौरान कृषि एवं सहकारिता विभाग की स्कीमों/कार्यक्रमों के तहत फार्म यंत्रीकरण की राज्यवार उपलब्धियां

क्र.सं.	राज्य का नाम	प्रशिक्षण, परीक्षण एवं प्रदर्शन के जरिए कृषि यंत्रीकरण का संवर्द्धन एवं सुदृढ़ीकरण			कृषि में बृहत प्रबंध के तहत सब्सीडी पर वितरित उपकरणों की सं.	समेकित बागवानी विकास संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन के तहत वितरित उपकरणों की सं.
		प्रशिक्षित व्यक्तियों की सं.	संचालित प्रदर्शनों की सं.	आऊट सोर्सिंग से प्रशिक्षित व्यक्तियों की सं.		
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	1533	58	600	228008	–
2.	अरुणाचल प्रदेश	50	3040	60	30935	1030
3.	असम	1758	0	–	30	2436
4.	बिहार	413	0	–	51673	–
5.	छत्तीसगढ़	178	5110	283	29459	–
6.	गोवा	1	127	160	908	–
7.	गुजरात	136	4148	–	16736	–
8.	हरियाणा	4305	5244	–	3624	–
9.	हिमाचल प्रदेश	49	2287	–	47892	9931
10.	जम्मू और कश्मीर	6	507	–	38726	935
11.	झारखंड	128	70	430	एनआर	–
12.	कर्नाटक	989	0	–	18334	–
13.	केरल	223	354	–	8950	–
14.	मध्य प्रदेश	3583	3555	3350	113568	–
15.	महाराष्ट्र	1530	100	–	17492	–

1	2	3	4	5	6	7
16.	मणिपुर	11	751	–	29708	6042
17.	मेघालय	0	0	–	एनआर	2013
18.	मिजोरम	0	0	–	1280	7800
19.	नागालैंड	0	713	–	2780	4990
20.	उड़ीसा	219	1623	20	46661	–
21.	पंजाब	117	3507	–	1106	–
22.	राजस्थान	241	340	–	58447	–
23.	सिक्किम	0	871	–	4464	5215
24.	तमिलनाडु	526	1804	6304	5368	–
25.	त्रिपुरा	17	3	74	13882	2083
26.	उत्तर प्रदेश	981	811	120	24384	–
27.	उत्तराखंड	98	150	–	74662	1735
28.	पश्चिम बंगाल	85	0	154	8460	–
	कुल	17177	35173	11555	877537	44210

*कटाई-पश्चात प्रौद्योगिकी एवं प्रबंध स्कीम मार्च 2008 से क्रियान्वित की गई और इस प्रकार इस स्कीम के तहत उपलब्धियों की रिपोर्टें राज्यों से अभी नहीं मिली हैं।

*एनआर-कोई रिपोर्ट नहीं।

चीनी पर आयात शुल्क में कमी

327. श्री राजैया सिरिसिल्ला: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कच्ची व परिष्कृत चीनी पर 60 प्रतिशत के आयात शुल्क को समाप्त कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कदम से चीनी की खुदरा कीमतों पर कितना प्रभाव पड़ने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थामस): (क) से (ग) चीनी की घरेलू उपलब्धता बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार ने खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन चीनी मिलों द्वारा रॉ चीनी के शुल्क मुक्त आयात और दिनांक 17.4.2009 की अधिसूचना द्वारा 1.8.2009 तक नामित एजेंसियों द्वारा खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन एक मिलियन टन तक श्वेत/प्रसंस्कृत चीनी का शुल्क मुक्त आयात करने की अनुमति दी है। इसके अलावा सरकार ने चीनी कारखानों को 30.9.2009 तक अग्रिम प्राधिकार स्कीम के अधीन रॉ चीनी का आयात करने की अनुमति दी है। इन दोनों प्रणालियों के अधीन आयातित रॉ चीनी से प्रसंस्कृत चीनी घरेलू बाजार में चीनी की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए भारत में बिक्री करने हेतु है और इसका उद्देश्य चीनी के मूल्यों को उचित स्तर पर बनाए रखना है।

[हिन्दी]

उड़ीसा में कुटीर उद्योग

328. श्री यशवंत लागुरी: क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा में कुटीर उद्योग की स्थिति काफी असंतोषजनक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा राज्य में कुटीर उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) उड़ीसा में वर्तमान में कुल कितने कुटीर उद्योग चल रहे हैं; और

(घ) उड़ीसा के पिछड़े क्षेत्रों में और ज्यादा कुटीर उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) कुटीर उद्योगों सहित ग्रामोद्योगों के संवर्धन का प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों का है। तथापि, केन्द्र सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के प्रयासों को अनुपूरित करने के लिए कई योजनाएं कार्यान्वित करती है। इसकी कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं निम्नोक्त हैं:

(1) प्रौद्योगिकी उन्नयन एवं उत्पादन तकनीकों के आधुनिकीकरण के लिए क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना (सीएलसीएसएस);

(2) एमएसई क्लस्टरों के सम्पूर्ण विकास के लिए सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी);

(3) 25 लाख रु. तक के समपार्श्विकता मुक्त ऋणों के लिए बैंकों को गारंटी कवर प्रदान करने के लिए सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों हेतु क्रेडिट गारंटी फंड;

(4) सामान्य सुविधा केन्द्र (सीएफसी) स्थापित करने के लिए ग्रामीण उद्योग सेवा केन्द्र (आरआईएससी) योजना, ताकि ऐसे उद्योगों को आधारभूत संरचनात्मक सहयोग एवं सेवाएं प्रदान की जा सकें;

(5) ग्रामोद्योग उत्पादों के डिजाइन और पैकेजिंग में सुधार के लिए उत्पाद विकास, डिजाइन इण्टरवेंशन और पैकेजिंग (पीआरओडीआईपी) योजना; एवं

(6) विपणन विकास के लिए राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनियों में सहभागिता के लिए ग्रामोद्योग इकाइयों को वित्तीय सहायता।

(ग) इस प्रकार की सूचना केन्द्रीय तौर पर नहीं रखी जाती है। हालांकि पूर्व ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) जो 31 मार्च, 2008 तक प्रचलित था, के तहत उड़ीसा में कुटीर उद्योग सहित 6769 ग्रामोद्योग इकाइयां स्थापित करने के लिए खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की गई थीं।

(घ) उड़ीसा सहित देश में ग्रामोद्योगों (कुटीर उद्योग सहित) के संवर्धन के लिए सरकार (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय में) ने खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से 2008-09 के दौरान 'प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)' की शुरूआत की है। इस कार्यक्रम के तहत सूक्ष्म-उद्यमों की स्थापना के लिए सेवा/व्यवसाय क्षेत्र में 10 लाख रु. तक की तथा विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख रु. तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह सहायता ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत के 25 प्रतिशत तक (कमजोर वर्गों के लिए 35 प्रतिशत) सब्सिडी के रूप में प्रदान की जाती है, जबकि शहरी क्षेत्रों के लिए यह सब्सिडी 15 प्रतिशत (कमजोर वर्गों के लिए 25 प्रतिशत) है। इसे राष्ट्रीय स्तर की एक शीर्ष एजेंसी के रूप में केवीआईसी के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर योजना का कार्यान्वयन बैंकों को शामिल करते हुए केवीआईसी के फील्ड कार्यालयों, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्डों और जिला उद्योग केन्द्रों (डीआईसी) के माध्यम से किया जाता है। पीएमईजीपी के कार्यान्वयन संबंधी विस्तृत दिशानिर्देश मंत्रालय की वेबसाइट www.msme.gov.in पर उपलब्ध हैं।

2008-09 में पीएमईजीपी के कार्यान्वयन की शुरूआत से उड़ीसा में अनुमानत: 19760 व्यक्तियों के लिए रोजगार अवसर सृजित करने के लिए 1976 इकाइयां को 30.05 करोड़ रु. की मार्जिन मनी सब्सिडी सहित संस्वीकृति जारी की गई है।

[अनुवाद]

दिल्ली तथा मेरठ के बीच एक्सप्रेसवे

329. श्री राजेन्द्र अग्रवाल: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का विचार राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम-6 के भाग के रूप में दिल्ली तथा मेरठ के बीच एक्सप्रेसवे का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या एक्सप्रेसवे के निर्माण में कुछ विलंब हुआ है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) एक्सप्रेसवे के निर्माण हेतु विनिर्दिष्ट राशि के अनुमान का ब्यौरा क्या है तथा इसे पूरा करने की अनुमानित समय-सीमा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) जी, हां। सरकार (मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति) ने 16680 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-6 के अंतर्गत 1000 किमी. लंबे एक्सप्रेस मार्गों के निर्माण के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान कर दिया है जिसमें दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस मार्ग के निर्माण का भी प्रस्ताव है। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस मार्ग के संरेखण को

उपग्रह से ली गई तस्वीरों के आधार पर अंतिम रूप दिया गया है। साध्यता अध्ययन, अप्रैल, 2009 से चल रहा है और इसे छह महीने में पूरा कर लिए जाने का लक्ष्य है। इसके बाद ही इस संरेखण की ब्योरेवार भूमि योजना तैयार की जाएगी और फिर भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी जिसमें लगभग दो वर्ष लग सकते हैं। भूमि अधिग्रहण कार्य पूरा होने की संभावित तारीख से लगभग एक वर्ष पहले निविदा प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी ताकि परियोजना के लिए रियायत को सौंपने और वित्त व्यवस्था पूरी करने (कार्य सौंपने के छः माह के पश्चात्) तथा संपूर्ण भूमि अधिग्रहण के कार्यों को साथ-साथ पूरा किया जा सके।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) इस परियोजना को अधिकतम 40% के अर्थक्षमता अंतर वित्तपोषण के साथ डिजाइन, निर्माण, वित्त और प्रचालन (डीबीएफओ) पद्धति का अनुसरण करके निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण आधार पर निष्पादित किया जाना है। परियोजना को दिसंबर, 2014 तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है।

केन्द्रीय सड़क निधि से सड़कों का विकास

330. श्रीमती प्रिया दत्तः क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान महाराष्ट्र सहित देश में विभिन्न राज्यों में केन्द्रीय सड़क निधि से सरकार द्वारा सड़कों के विकास हेतु प्रदान की गई धनराशियों का राज्यवार तथा मदवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या समूची धनराशि का उपयोग निर्धारित तथा लक्षित योजनाओं के लिए किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इन राज्यों में वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 के लिए किन-किन सड़क विकास परियोजनाओं को शामिल किया गया है तथा प्रत्येक परियोजना हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई; और

(ङ) इन परियोजनाओं को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर आर.पी.एन. सिंह): (क) से (ग) केन्द्रीय सड़क निधि से राज्यों को निधियों का आबंटन राज्य-वार किया जाता है न कि परियोजना-वार। केन्द्रीय सड़क निधि से निधियों का जारी किया जाना, संबंधित राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों के आधार पर अनुमोदित और उनके द्वारा कार्यान्वित कार्यों की प्रगति पर तथा जारी की गई धनराशि के उपयोग पर निर्भर करता है। वर्ष 2006-07, 2007-08, 2008-09 और 2009-10 (31.5.2009 तक) के लिए केन्द्रीय सड़क निधि से राज्यीय सड़कों के विकास के लिए आबंटित और जारी की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। वर्ष 2006-07, 2007-08, 2008-09 और 2009-10 (31.5.2009 तक) के लिए आर्थिक महत्व और अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क योजनाओं के अंतर्गत आबंटित और जारी की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) और (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

विवरण I

वर्ष 2006-07, 2007-08 और 2008-09 के लिए केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत आबंटित और जारी की गई निधि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

(करोड़ रु.)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2006-07 में केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत आबंटित निधि	2006-07 में केन्द्रीय सड़क निधि से जारी की गई निधि	2007-08 में केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत आबंटित निधि	2007-08 में केन्द्रीय सड़क निधि से जारी की गई निधि	2008-09 में केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत आबंटित निधि	2008-09 में केन्द्रीय सड़क निधि से जारी की गई निधि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	51.07	47.10	141.48	135.61	293.20	273.63
2.	अरुणाचल प्रदेश	16.26	10.33	18.13	18.13	25.96	25.96

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	असम	24.61	18.60	26.13	26.13	15.09	15.09
4.	बिहार	38.65	22.91	38.52	16.14	32.03	32.03
5.	छत्तीसगढ़	23.63	22.72	40.35	40.35	26.52	26.52
6.	गोवा	2.81	0.00	4.16	4.17	9.00	8.99
7.	गुजरात	96.00	96.00	97.07	97.07	177.14	177.14
8.	हरियाणा	56.57	56.57	64.30	54.76	91.18	91.18
9.	हिमाचल प्रदेश	10.24	12.16	15.69	15.48	4.36	4.36
10.	जम्मू और कश्मीर	24.04	30.84	50.86	50.85	94.98	84.62
11.	झारखंड	14.03	10.26	35.37	17.02	38.47	38.47
12.	कर्नाटक	108.81	108.81	112.42	102.42	148.87	148.87
13.	केरल	30.92	30.92	48.42	29.45	43.60	43.60
14.	मध्य प्रदेश	83.69	81.24	93.85	93.85	87.45	87.45
15.	महाराष्ट्र	214.95	214.95	155.58	96.68	222.85	222.85
16.	मणिपुर	5.09	3.22	3.86	3.86	0.60	0.60
17.	मेघालय	7.73	5.51	4.06	4.06	9.93	9.93
18.	मिजोरम	4.59	4.06	4.86	4.74	5.67	5.67
19.	नागालैंड	3.98	2.87	4.42	4.42	4.00	3.55
20.	उड़ीसा	50.63	50.63	31.66	31.66	83.49	83.49
21.	पंजाब	63.82	62.30	52.92	52.92	72.18	72.18
22.	राजस्थान	136.87	134.12	132.45	132.45	180.60	180.60
23.	सिक्किम	2.01	1.42	2.15	2.07	2.54	2.54
24.	तमिलनाडु	128.74	128.74	100.00	68.84	142.10	142.10
25.	त्रिपुरा	3.15	2.92	0.00	0.00	3.78	3.78
26.	उत्तराखंड	18.46	18.46	19.07	14.02	10.54	10.54
27.	उत्तर प्रदेश	193.14	193.14	159.34	159.34	234.55	234.55
28.	पश्चिम बंगाल	66.86	66.86	53.65	35.70	42.69	42.69
	अनाबंटित	0.00	0.00	0.00	0.00	2.45	0.00
	उप जोड़	1481.95	1438.26	1510.77	1312.19	2105.82	2072.98

1	2	3	4	5	6	7	8
संघ राज्य क्षेत्र							
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1.86	0.75	1.90	0.50	3.27	0.00
30.	चंडीगढ़	2.24	1.01	2.28	0.00	3.51	1.17
31.	दादरा और नगर हवेली	1.08	0.00	1.10	0.00	1.64	0.00
32.	दमन और दीव	0.77	0.00	0.79	0.00	1.24	0.00
33.	दिल्ली	43.84	22.27	44.69	9.50	48.45	41.29
34.	लक्षद्वीप	0.12	0.00	0.12	0.00	0.12	0.00
35.	पुडुचेरी	3.60	0.00	3.67	0.00	7.59	6.56
	उप जोड़	53.51	24.03	54.55	10.00	65.82	49.02
	जोड़	1535.46	1462.29	1565.32	1322.19	2171.64	2122.00

नोट: अप्रैल-जुलाई, 2009 तक की अवधि के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत लेखानुदान के रूप में 645.64 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2009-10 के दौरान केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत अभी तक कोई निधि जारी नहीं की गई है।

विवरण II

वर्ष 2006-07, 2007-08 और 2008-09 के लिए आर्थिक महत्व और अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क योजना के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आबंटन और व्यय दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रु.)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2006-07 के दौरान आर्थिक महत्व और अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क योजना के अंतर्गत कुल आबंटन	2006-07 के दौरान व्यय	2007-08 के दौरान आर्थिक महत्व और अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क योजना के अंतर्गत कुल आबंटन	2007-08 के दौरान व्यय	2008-09 के दौरान आर्थिक महत्व और अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क योजना के अंतर्गत कुल आबंटन	2008-09 के दौरान व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	5.83	0.00	5.91	0.00	5.29	5.29
2.	अरुणाचल प्रदेश	3.88	3.87	6.38	5.20	6.53	6.53
3.	असम	12.24	1.83	6.38	0.00	0.40	0.40
4.	बिहार	3.22	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	छत्तीसगढ़	0.50	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
6.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	12.15	11.60	6.40	14.06	1.46	1.46
8.	हरियाणा	7.81	2.57	6.62	6.62	4.60	4.60
9.	हिमाचल प्रदेश	2.09	0.00	2.05	1.89	9.91	9.91
10.	जम्मू और कश्मीर	0.99	0.00	1.73	0.00	0.00	0.00
11.	झारखंड	0.50	0.00	0.94	0.00	1.99	1.99
12.	कर्नाटक	27.09	26.48	23.32	22.64	20.36	20.36
13.	केरल	0.25	0.00	2.68	0.00	1.25	1.25
14.	मध्य प्रदेश	8.83	0.00	12.81	6.89	0.00	0.00
15.	महाराष्ट्र	5.57	0.00	20.71	18.84	0.00	0.00
16.	मणिपुर	1.54	1.29	0.08	0.00	0.00	0.00
17.	मेघालय	2.46	1.50	0.72	0.64	0.00	0.00
18.	मिजोरम	0.34	0.00	2.92	4.41	13.39	13.39
19.	नागालैंड	3.68	3.68	5.75	5.20	4.75	4.75
20.	उड़ीसा	17.03	17.03	12.08	1.90	35.04	35.04
21.	पंजाब	5.03	3.71	2.83	2.52	8.47	8.47
22.	राजस्थान	7.31	6.67	5.91	10.97	20.81	20.81
23.	सिक्किम	4.68	3.70	12.70	15.72	16.80	16.80
24.	तमिलनाडु	0.25	0.00	0.16	0.00	4.19	4.19
25.	त्रिपुरा	1.47	1.38	1.97	1.70	1.29	1.29
26.	उत्तराखंड	6.87	2.79	6.38	5.50	0.00	0.00
27.	उत्तर प्रदेश	12.85	0.00	6.65	0.00	17.82	17.82
28.	पश्चिम बंगाल	7.60	5.00	5.70	5.00	1.30	1.30
	राज्य के लिए आरक्षित					0.09	0.00
	उप जोड़	162.06	93.10	164.93	129.70	175.74	175.65

1	2	3	4	5	6	7	8
संघ राज्य क्षेत्र							
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	चंडीगढ़	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	0.00
3.	दादरा और नगर हवेली	0.50	0.00	2.00	0.00	0.50	0.00
4.	दमन और दीव	2.40	0.00	2.00	1.60	1.50	0.00
5.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	पुडुचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	आरक्षित	5.65		4.00	0.00	5.00	
	उप जोड़	8.55	0.00	9.00	1.60	10.00	0.00
	जोड़	8.55	0.00	9.00	1.60	10.09	0.00

नोट: अप्रैल-जुलाई, 2009 तक की अवधि के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए आर्थिक महत्व और अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क योजना के अंतर्गत लेखानुदान के रूप में 71.74 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है। चालू वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को इस योजना के अंतर्गत अभी तक कोई निधि जारी नहीं की गई है।

[हिन्दी]

बढ़ा-चढ़ाकर दिया गया विज्ञापन

331. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार प्रिंट तथा दृश्य मीडिया में कई उत्पादों के भ्रामक विज्ञापनों से परिचित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उपभोक्ताओं के हितों को संरक्षण प्रदान करने के लिए ऐसे बढ़ा चढ़ाकर दिए गए विज्ञापनों के खिलाफ एक व्यापक कानून बनाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इस संबंध में किसी संगठन से परामर्श किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी मोहन जतुआ): (क) और (ख) टी.वी. चैनलों पर ऐसे विज्ञापनों के कुछ उदाहरण जानकारी में आए हैं यथा 'रूप अमृत' फेयरनेस क्रीम; कद की ऊंचाई बढ़ाने के लिए उत्पाद; ताबीज आदि जिन पर केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत कार्रवाई की गई है।

(ग) से (च) सभी निजी टी.वी. चैनलों को केबल टी.वी. नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत निर्धारित कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिता का अनुपालन करना होता है। जब कभी संहिताओं के उल्लंघन के बारे में कोई शिकायत इस मंत्रालय की जानकारी में लाई जाती है, तो केबल अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

जहां तक भारत में प्रैस का संबंध है, सरकार ने भारतीय प्रैस परिषद (पी.सी.आई.) की स्थापना की है, जोकि प्रैस परिषद अधिनियम, 1978 के अंतर्गत गठित एक सांविधिक स्वायत्तशासी निकाय है, जिसके दो उद्देश्य हैं- प्रैस की स्वतंत्रता बनाए रखना तथा भारत में समाचार पत्रों एवं समाचार एजेंसियों के स्तर को बनाए रखने एवं उसमें सुधार लाना और प्रैस में स्व-विनियमन के सिद्धांतों को आत्मसात कराना। प्रिंट मीडिया की विषय-वस्तु पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। तथापि, कुछ मामलों में विज्ञापनों

सहित प्रिंट मीडिया कवरेज की विषय-वस्तु के विरुद्ध शिकायतों पर भारतीय प्रैस परिषद द्वारा न्याय-निर्णय दिया जाता है। तदनुसार, स्व-विनियमन को व्यवहार में लाने के लिए प्रैस पर दबाव बनाने के उद्देश्य से भारतीय प्रैस परिषद अखबारों/पत्रिकाओं को विज्ञापनों के प्रकाशन में उनका मार्गदर्शन करने हेतु दिशा-निर्देश/अपील जारी करती रही है। भारतीय प्रैस परिषद ने प्रैस परिषद अधिनियम, 1978 के अनुच्छेद 13(2)/(ख) के अंतर्गत पत्रकारिता संबंधी आचरण के मानदंड तैयार किए हैं। इस संबंध में विज्ञापन उद्योग की एक स्वैच्छिक स्व-विनियामक निकाय-भारतीय विज्ञापन मानक परिषद-भी है जोकि भ्रामक या झूठे या आपत्तिजनक विज्ञापनों के विरुद्ध शिकायतों पर विचार करती है और इस संबंध में विज्ञापन एजेंसियों को सलाह देती है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग-5 को चार लेन का बनाया जाना

332. श्री अर्जुन चरण सेठी: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 5 को चार लेन वाला बनाए जाने का कार्य वर्ष 2001-2002 में शुरू होने के बावजूद पूरा होना शेष है;

(ख) यदि हां, तो इस विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) इस कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर आर.पी.एन. सिंह): (क) से (ग) तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्ग-5 की कुल 1458 किमी. लंबाई को स्वर्णिम चतुर्भुज के भाग के तौर पर चार लेन का बनाया जा रहा है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में कुल मिलाकर 1067.40 किमी. लंबाई में चार लेन बनाने का कार्य पहले ही पूरा हो चुका है। शेष 390.60 किमी. लंबाई जो उड़ीसा में है, में से 83.50 किमी. में अभी चार लेन बनाई जानी हैं। यह विलंब, तीन ठेका पैकेजों अर्थात् इच्छापुरम-गंजम, गंजम-सुनाखला और भद्रक-बालासोर के गैर-निष्पादन के कारण मूल ठेके रद्द किए जाने और तत्पश्चात् निरस्त किए गए ठेकों के ठेकेदारों द्वारा मुकदमेबाजी के कारण हुआ है। इच्छापुरम-गंजम और भद्रक-बालासोर का शेष कार्य अब सौंप दिया गया है और कार्य प्रगति पर है। गंजम-सुनाखला पैकेज के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने शेष कार्य को सौंपने के लिए निविदाओं को अंतिम रूप प्रदान करने संबंधी कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। राज्य सरकार द्वारा खदानों के आबंटन में प्रक्रियागत देरी और पत्थर तोड़ने वाली मशीनें चलाने के संबंध में उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए स्थगनादेश के कारण भी विलंब हुआ है।

[हिन्दी]

कपास प्रौद्योगिकी निधि

333. श्री बृजभूषण शरण सिंह: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अपर्याप्त कपास प्रौद्योगिकी निधि के चलते उच्च गुणवत्ता वाली कपास के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थामस): (क) से (ग) जी, नहीं। चार मिनी मिशनों यथा मिनी मिशन-1, मिनी मिशन-2, मिनी मिशन-3 और मिनी मिशन-4 सहित कपास प्रौद्योगिकी मिशन के लिये उपलब्ध राशि पूर्णतया पर्याप्त है और उच्च गुणवत्ताप्रद कपास के उत्पादन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। अनुसंधान से संबंधित मिनी मिशन-1 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा कार्यान्वित किया जाता है, जबकि विस्तार एवं विकासात्मक कार्यकलापों से संबंधित मिनी मिशन-2 कृषि एवं सहकारिता विभाग से संबंधित है। कपास की गुणवत्ता में सुधार करने के लिये वस्त्र मंत्रालय द्वारा विपणन अवसंरचना का विकास करने के लिये मिनी मिशन-3 और ओटाई और पैराई कारखानों के आधुनिकीकरण से संबंधित मिनी मिशन-4 कार्यान्वित किये जाते हैं।

पिछले आठ वर्षों के दौरान कपास से संबंधित प्रौद्योगिकी मिशन के लिये आवंटित राशि निम्न प्रकार से है जिसमें सरकार द्वारा अपेक्षित राशियों की प्रमात्रा उपलब्ध कराई गई थी।

वर्ष	आवंटन (करोड़ रुपये)
2001-02	73.00
2002-03	54.00
2003-04	72.00
2004-05	103.00
2005-06	134.00
2006-07	178.00
2007-08	155.00
2008-09	146.00

उपरिलिखित वर्षों के दौरान कपास उत्पादन में महत्वपूर्ण बढ़ोत्तरी करने में उपर्युक्त प्रयासों से सहायता मिली है जो कि नीचे दी गई है।

वर्ष	कपास लिंट उत्पादन (प्रत्येक 170 किग्रा. की लाख गांठे)
2001-02	99.27
2002-03	86.24
2003-04	137.29
2004-05	164.29
2005-06	184.29
2006-07	226.32
2007-08	258.84
2008-09 (अनंतिम)	232.68

इसके अतिरिक्त मिनी मिशन-3 और मिनी मिशन-4 के कार्यान्वयन से कपास की गुणवत्ता में सुधार करने में सहायता मिली है। उपर्युक्त अवधि के दौरान कपास में घास पात में गांठों में एक समान 6-7% से 1-2% तक पर्याप्त रूप से कमी हुई है।

महिलाओं के खिलाफ अपराध

334. डॉ. मुरली मनोहर जोशी:
डॉ. के.एस. राव:
श्री जगदीश शर्मा:
श्री मिलिंद देवरा:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध/अत्याचार बढ़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान ससुराल में दहेज हत्या, जलाने के मामले, उत्पीड़न तथा क्रूरता सहित महिलाओं के खिलाफ राज्यवार तथा अपराधवार कुल कितने मामले दर्ज किए गए;

(ग) क्या सरकार का विचार महिलाओं के खिलाफ अपराधों की रिपोर्टिंग, दर्ज करने, मामले की उचित जांच तथा इन अपराधों से प्रभावित महिलाओं के बच्चों को राहत तथा सहायता प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी निगरानी प्रणाली स्थापित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) वर्ष 2005 से 2007 के दौरान महिलाओं के प्रति अपराध के कुल मामले क्रमश: 1,55,553; 1,64,765 और 1,85,312 संलग्न विवरण-I में सूचित किए गए हैं।

(ख) वर्ष 2005 से 2007 के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और अपराध शीर्ष-वार मामलों की संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ग) और (घ) भारत सरकार समय-समय पर राज्य सरकारों को परामर्शी पत्र जारी करती रही है जिनमें आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में सुधार के लिए ठोस प्रयास किए जाने का उल्लेख होता है। इस संबंध में राज्य सरकारों को सुझाए गए कदमों में शामिल हैं:- थानों में महिला पुलिस सैल और जहां आवश्यकता हो वहां महिला-विशिष्ट थाने स्थापित करना, पुलिस कार्मिकों का सुविज्ञताकरण और प्रशिक्षण, राज्य पुलिस बल में महिला पुलिस अधिकारियों की पर्याप्त संख्या में भर्ती, यह सुनिश्चित करना कि प्राथमिकी दर्ज करने में कोई विलंबन न हो, अपराध का तीन माह के भीतर मामले का गहन अन्वेषण करके अपराधी के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल करना, महिलाओं के प्रति अपराध सैल की हैल्प लाइन के नम्बरों को स्थायी रूप से प्रदर्शित करना। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने सूचित किया है कि दंड प्रक्रिया संहिता में धारा 357क जोड़ने से किसी अपराध के कारण घायल होने वाले सभी पीड़ितों को मुआवजा प्रदान किया जाना अपेक्षित होगा।

(ङ) ''पुलिस'' और ''लोक व्यवस्था'' राज्य के विषय हैं और इस प्रकार अपराध की रोकथाम, पता लगाना, पंजीकरण, अन्वेषण और अभियोजन का दायित्व प्रमुख रूप से राज्य का होता है। तथापि, संघ सरकार ने समय-समय पर परामर्शी पत्र जारी किए हैं जिनमें महिलाओं के प्रति अत्याचार की रोकथाम पर विशेष बल देते हुए अपनी अधिकारिता में अपराधों की रोकथाम और नियंत्रण दिए जाने के लिए ध्यान केन्द्रित किए जाने का उल्लेख किया गया है। इसके साथ ही, समेकित परामर्शी पत्र भी जारी किया गया था जिसमें महिलाओं के प्रति अत्याचार के मामलों पर कार्रवाई करने के लिए तंत्र की प्रभावकता में सुधार करने और कानून और व्यवस्था तंत्र के उत्तरादियत्व में वृद्धि करने के लिए विभिन्न कदमों का उल्लेख किया गया है (प्रति संलग्न) सड़कों पर महिलाओं की सुरक्षा स्थिति में सुधार किए जाने के लिए 8 जून, 2009 को भी एक परामर्शी पत्र जारी किया गया है। (प्रति संलग्न)।

विवरण I

वर्ष 2005 के दौरान महिलाओं के प्रति विभिन्न अपराधों के लिए दायर किए गए मामले

क्र.सं.	राज्य	बलात्कार	अपहरण और व्यपहरण	दहेज मृत्यु	छेड़छाड़	यौन शोषण (महिलाओं को छेड़ना)	पति और रिश्तेदारों की क्रूरता	बालिकाओं का आयात	अनंतिम व्यापार (पी अधिनियम)	दहेज निषेध अधिनियम	महिला अधिनियम (पी) का गलत प्रस्तुतीकरण	सती निवारण अधिनियम	महिलाओं के प्रति कुल अपराध
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	935	995	443	3595	2506	8696	3	681	306	2657	0	20819
2.	अरुणाचल प्रदेश	35	39	0	67	0	0	0	0	0	0	0	150
3.	असम	1238	1456	99	899	19	2206	3	25	82	0	0	6027
4.	बिहार	1147	929	1014	451	13	1574	74	28	789	0	0	6019
5.	छत्तीसगढ़	990	184	100	1450	132	732	0	6	5	0	0	3599
6.	गोवा	20	12	2	30	8	11	0	38	0	0	0	121
7.	गुजरात	324	916	48	802	104	4090	0	59	0	0	0	6343
8.	हरियाणा	461	344	212	380	597	2075	0	85	7	0	0	4161
9.	हिमाचल प्रदेश	141	102	2	286	29	228	0	4	1	0	0	793
10.	जम्मू और कश्मीर	201	658	5	830	371	76	0	3	0	0	0	2144
11.	झारखंड	753	283	257	293	36	590	4	13	313	2	0	2544
12.	कर्नाटक	343	312	261	1585	71	1883	0	1241	361	0	0	6057
13.	केरल	478	129	21	2339	175	3283	0	225	4	108	0	6762
14.	मध्य प्रदेश	2921	604	739	6426	792	2989	3	19	36	0	0	14529
15.	महाराष्ट्र	1545	851	341	3228	919	6233	0	222	23	8	0	13370
16.	मणिपुर	25	69	0	25	0	20	0	1	0	0	0	140
17.	मेघालय	63	19	1	44	0	3	0	1	0	0	0	131
18.	मिजोरम	37	0	4	49	4	0	0	1	0	0	0	95
19.	नागालैंड	17	9	0	7	0	0	0	4	0	0	0	37
20.	उड़ीसा	799	547	334	2238	184	1671	0	29	446	1	0	6249
21.	पंजाब	398	329	99	308	43	729	0	58	5	0	0	1969
22.	राजस्थान	993	1549	361	2503	28	5997	0	115	1	109	1	11657

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23.	सिक्किम	18	2	0	38	0	4	0	0	0	0	0	62
24.	तमिलनाडु	571	783	215	1764	665	1650	0	2777	193	30	0	8648
25.	त्रिपुरा	162	43	34	161	1	439	0	0	0	0	0	840
26.	उत्तर प्रदेश	1217	2256	1564	1835	2881	4505	0	31	586	0	0	14875
27.	उत्तराखंड	133	125	63	100	89	272	0	2	2	0	0	786
28.	पश्चिम बंगाल	1686	1039	446	1572	54	6936	61	74	18	1	0	11887
	कुल राज्य	17651	14584	6665	33305	9723	56901	148	5742	3178	2916	1	150614
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	4	1	0	11	1	5	0	0	0	0	0	22
30.	चंडीगढ़	33	45	3	31	9	75	0	9	0	0	0	205
31.	दादरा और नगर हवेली	5	9	0	5	0	5	0	0	0	0	0	24
32.	दमन और दीव	2	2	1	1	0	3	0	1	0	0	0	10
33.	दिल्ली संघ शासित राज्य	658	1106	114	762	225	1324	1	151	9	1	0	4351
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पुडुचेरी	6	3	4	60	26	6	0	5	17	0	0	127
	कुल संघ शासित राज्य	708	1166	122	870	261	1418	1	166	26	1	0	4739
	कुल अखिल भारत	18359	15750	6787	34175	9984	58319	149	5908	3204	2917	1	155353

स्रोत: भारत में अपराध

वर्ष 2006 के दौरान महिलाओं के प्रति विभिन्न अपराधों के लिए दायर किए गए मामले

क्र.सं.	राज्य	बलात्कार	अपहरण और व्यपहरण	दहेज मृत्यु	छेड़छाड़	यौन शोषण (महिलाओं को छेड़ना)	पति और रिश्तेदारों की क्रूरता	बालिकाओं का आयात	अनैतिक व्यापार (पी अधिनियम)	दहेज निषेध अधिनियम	महिला अधिनियम (पी) का गलत प्रस्तुतीकरण	सती निवारण अधिनियम	महिलाओं के प्रति कुल अपराध
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	1049	1329	519	4534	2411	9164	0	657	474	1347	0	21484
2.	अरुणाचल प्रदेश	37	51	1	63	2	14	0	0	0	0	0	168
3.	असम	1244	1544	105	1290	10	2548	0	29	31	0	0	6801

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.	बिहार	1232	1084	1188	530	53	1689	42	13	909	0	0	6740
5.	छत्तीसगढ़	995	178	103	1598	143	717	1	13	9	0	0	3757
6.	गोवा	21	10	0	18	7	14	0	26	0	0	0	96
7.	गुजरात	354	945	50	736	138	4977	0	78	1	0	0	7279
8.	हरियाणा	608	431	255	486	491	2254	0	85	7	0	0	4617
9.	हिमाचल प्रदेश	113	109	3	275	31	259	0	0	2	0	0	792
10.	जम्मू और कश्मीर	250	723	10	960	347	135	0	5	2	0	0	2432
11.	झारखंड	799	410	281	414	44	668	5	11	345	2	0	2979
12.	कर्नाटक	400	328	244	1683	38	2129	0	786	476	0	0	6084
13.	केरल	601	202	25	2543	222	3708	0	189	5	59	0	7554
14.	मध्य प्रदेश	2900	617	764	6243	762	2989	0	12	32	2	0	14321
15.	महाराष्ट्र	1500	921	387	3479	984	6738	1	378	55	9	0	14452
16.	मणिपुर	40	79	0	42	0	10	0	0	0	0	0	171
17.	मेघालय	74	25	6	57	0	13	0	1	0	0	0	176
18.	मिजोरम	72	1	0	51	0	1	0	0	0	0	0	125
19.	नागालैंड	23	3	0	3	2	3	0	9	0	0	0	43
20.	उड़ीसा	985	577	457	2415	247	694	12	44	1394	0	0	6825
21.	पंजाब	442	418	130	314	60	801	2	67	7	1	0	2242
22.	राजस्थान	1085	1553	394	2582	31	7038	3	143	3	102	0	12934
23.	सिक्किम	20	7	0	14	0	6	0	0	0	0	0	47
24.	तमिलनाडु	457	718	187	1179	852	1248	0	1732	81	35	0	6489
25.	त्रिपुरा	189	62	35	207	0	471	0	0	0	0	0	964
26.	उत्तर प्रदेश	1314	2551	1798	2096	2714	5204	0	70	628	0	0	16375
27.	उत्तराखंड	147	183	80	153	113	358	0	3	1	0	0	1038
28.	पश्चिम बंगाल	1731	1199	445	1837	63	7414	1	66	25	4	0	12785
	कुल राज्य	18682	16258	7467	35802	9765	61264	67	4417	4487	1561	0	159770
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	6	5	0	14	4	7	0	0	0	0	0	36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30.	चंडीगढ़	19	57	10	20	13	102	0	3	0	0	0	224
31.	दादरा और नगर हवेली	6	14	1	5	1	5	0	0	0	0	0	32
32.	दमन और दीव	3	1	0	2	0	2	0	1	0	0	0	9
33.	दिल्ली संघ शासित राज्य	623	1066	137	718	144	1728	0	112	15	1	0	4544
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
35.	पुडुचेरी	9	13	3	56	39	19	0	8	2	0	0	149
	कुल संघ शासित राज्य	666	1156	151	815	201	1864	0	124	17	1	0	4995
	कुल अखिल भारत	19348	17414	7618	36617	9966	63128	67	4541	4504	1562	0	164765

वर्ष 2007 के दौरान महिलाओं के प्रति विभिन्न अपराधों के लिए दायर किए गए मामले

क्र.सं.	राज्य	बलात्कार	अपहरण और व्यपहरण	दहेज मृत्यु	छेड़छाड़	यौन शोषण (महिलाओं को छेड़ना)	पति और रिश्तेदारों की क्रूरता	बालिकाओं का आयात	अनैतिक व्यापार (पी अधिनियम)	दहेज निषेध अधिनियम	महिला अधिनियम (पी) का गलत प्रस्तुतीकरण	सती निवारण अधिनियम	महिलाओं के प्रति कुल अपराध
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	1070	1564	613	4406	3316	11335	0	612	817	1005	0	24738
2.	अरुणाचल प्रदेश	48	44	0	72	1	20	0	0	0	0	0	185
3.	असम	1437	1471	100	789	10	3000	0	21	16	0	0	6844
4.	बिहार	1555	1260	1172	853	12	1635	56	27	978	0	0	7548
5.	छत्तीसगढ़	982	181	100	1549	111	824	0	14	14	0	0	3775
6.	गोवा	20	7	2	20	7	14	0	10	0	0	0	80
7.	गुजरात	316	1089	42	822	120	5827	0	44	0	0	0	8260
8.	हरियाणा	488	554	269	417	409	2412	0	88	8	0	0	4645
9.	हिमाचल प्रदेश	159	150	8	322	33	342	0	0	4	0	0	1018
10.	जम्मू और कश्मीर	288	707	9	986	353	176	0	1	1	0	0	2521
11.	झारखंड	855	534	303	342	15	801	0	14	453	0	0	3317
12.	कर्नाटक	436	390	251	1828	28	2507	0	612	517	0	0	6569

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13.	केरल	512	177	27	2624	262	3999	0	201	9	26	0	7837
14.	मध्य प्रदेश	3010	701	742	6772	780	3294	0	19	52	0	0	15370
15.	महाराष्ट्र	1451	967	436	3306	1039	7356	0	322	45	2	0	14924
16.	मणिपुर	20	83	0	70	0	15	0	0	0	0	0	188
17.	मेघालय	82	22	2	45	1	19	0	1	0	0	0	172
18.	मिजोरम	83	0	0	66	0	2	0	0	0	0	0	151
19.	नागालैंड	13	6	0	8	1	0	0	4	0	0	0	32
20.	उड़ीसा	939	660	461	2775	241	728	0	40	1460	0	0	7304
21.	पंजाब	519	545	133	427	48	971	0	45	6	0	0	2694
22.	राजस्थान	1238	1694	439	2477	28	8170	0	91	2	131	0	14270
23.	सिक्किम	24	9	0	13	0	7	0	2	0	0	0	55
24.	तमिलनाडु	523	1097	208	1540	875	1976	0	1199	368	25	0	7811
25.	त्रिपुरा	157	81	36	244	4	545	0	0	0	0	0	1067
26.	उत्तर प्रदेश	1648	3363	2076	2522	2882	7650	0	49	803	0	0	20993
27.	उत्तराखंड	117	227	70	146	63	463	0	9	2	0	0	1097
28.	पश्चिम बंगाल	2106	1590	451	2281	99	9900	5	62	40	10	0	16544
	कुल राज्य	20096	19173	7950	37722	10738	73988	61	3487	5595	1199	0	180009
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3	9	1	21	2	18	0	1	1	0	0	56
30.	चंडीगढ़	22	46	1	32	11	112	0	5	0	1	0	230
31.	दादरा और नगर हवेली	7	6	0	0	0	3	0	2	0	0	0	18
32.	दमन और दीव	1	1	1	0	0	3	0	5	0	0	0	11
33.	दिल्ली संघ शासित राज्य	598	1167	138	868	167	1787	0	63	16	0	0	4804
34.	लक्षद्वीप	1	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	5
35.	पुडुचेरी	9	14	2	89	32	17	0	5	11	0	0	179
	कुल संघ शासित राज्य	641	1243	143	1012	212	1942	0	81	28	1	0	5303
	कुल अखिल भारत	20737	20416	8093	38734	10950	75930	61	3568	5623	1200	0	185312

विवरण II

वर्ष 2005 से 2007 के दौरान महिलाओं के प्रति अपराध के लिए दर्ज किए गए मामले (सीआर), आरोप-पत्र दायर किए गए मामले (सीएस), दोषसिद्ध मामले (सीवी), गिरफ्तार किए गए व्यक्ति (पीएआर), आरोप-पत्र दायर किए गए व्यक्ति (पीसीएस) और दोषसिद्ध व्यक्ति (पीसीवी)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2005						2006						2007					
		सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	आंध्र प्रदेश	20819	18226	5353	31136	30369	7543	21484	16139	3579	30660	27617	5892	24738	20967	3911	35121	34088	6093
2.	अरुणाचल प्रदेश	150	122	38	129	105	45	168	108	16	141	114	22	185	128	16	203	155	20
3.	असम	6027	3876	524	8760	5934	762	6801	3987	692	8438	5425	955	6844	4148	821	8797	5755	851
4.	बिहार	6019	4267	626	11220	9280	1035	6740	4488	801	11757	9827	1591	7548	5941	764	14955	11842	1425
5.	छत्तीसगढ़	3599	3417	1085	5491	5435	1683	3757	3665	881	5758	5676	1491	3775	3637	580	5855	5764	1038
6.	गोवा	121	97	47	229	196	105	96	83	29	159	166	65	80	48	10	145	88	14
7.	गुजरात	6343	5834	345	16510	16314	555	7279	6592	276	18188	17566	543	8260	7763	298	21665	21625	581
8.	हरियाणा	4161	2914	741	6275	6264	1159	4617	3255	791	6857	6665	1308	4645	3368	636	7071	6876	1111
9.	हिमाचल प्रदेश	793	668	73	1267	1242	102	792	645	69	1151	1153	97	1018	727	53	1476	1302	76
10.	जम्मू और कश्मीर	2144	1781	104	3163	3039	136	2432	2142	170	3896	3887	268	2521	2192	123	4411	4398	183
11.	झारखंड	2544	1790	475	3432	2367	721	2979	2110	629	4117	3733	526	3317	2383	829	4528	4047	854
12.	कर्नाटक	6057	5102	1238	10590	10335	2375	6084	5252	716	11035	10494	1509	6569	5576	685	11302	11049	1412
13.	केरल	6762	5929	461	10669	10155	929	7554	6565	617	11406	10926	1159	7837	7267	470	11210	11440	805
14.	मध्य प्रदेश	14529	13939	3301	24254	24298	5836	14321	13950	3705	23753	23696	6061	15370	15030	3737	25990	25989	6932
15.	महाराष्ट्र	13370	12625	616	34156	33326	944	14452	13020	584	36197	34067	1064	14924	13516	597	36040	34625	1073
16.	मणिपुर	140	11	0	127	11	0	171	3	3	104	3	2	188	3	1	133	3	1
17.	मेघालय	131	62	4	106	53	4	176	88	7	158	101	10	172	67	16	130	71	30
18.	मिजोरम	95	89	29	85	70	169	125	128	209	138	139	128	151	142	84	152	163	95
19.	नागालैंड	37	29	34	37	40	49	43	36	26	64	52	38	32	25	38	58	40	49
20.	उड़ीसा	6249	5015	377	9524	9368	693	6825	5851	535	10408	10179	957	7304	6098	547	10424	9902	1391
21.	पंजाब	1969	1381	224	3303	3027	498	2242	1588	276	3882	3094	697	2694	1672	274	4211	3358	708
22.	राजस्थान	11657	7393	2383	12838	12856	4042	12934	8155	2719	14546	14565	4987	14270	8693	2446	14548	14528	4138
23.	सिक्किम	62	26	6	42	25	5	47	34	3	39	34	3	55	33	2	63	44	2
24.	तमिलनाडु	8648	7877	4630	12275	12471	6152	6489	5598	2923	9483	8987	4991	7811	5963	2116	11601	10449	3338
25.	त्रिपुरा	840	742	111	1308	1090	192	964	834	106	1272	892	159	1067	1078	133	1107	1175	222
26.	उत्तर प्रदेश	14875	12316	6484	32720	31006	14537	16375	13254	6800	34720	32599	15710	20993	15626	6918	48291	39978	17392

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
27.	उत्तराखंड	786	603	183	1648	1465	382	1038	836	207	2176	1895	523	1097	810	329	2711	2059	804
28.	पश्चिम बंगाल	11887	11199	812	19227	17324	1261	12785	11445	1001	22398	18226	2077	16544	14424	467	22175	22423	667
	कुल राज्य	150814	127330	30304	260521	247465	51914	159770	129851	28370	272901	251778	52833	180009	147325	26901	304373	283236	51305
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	22	14	1	32	23	2	36	39	1	49	63	1	56	36	3	80	50	6
30.	चंडीगढ़	205	141	12	306	247	17	224	133	24	352	267	33	230	128	28	290	232	40
31.	दादरा और नगर हवेली	24	18	0	35	33	0	32	22	2	25	31	3	18	14	1	21	17	1
32.	दमन और दीव	10	8	0	17	18	0	9	9	1	28	26	3	11	7	1	57	30	1
33.	दिल्ली संघ शासित राज्य	4351	2552	473	5853	5238	798	4544	2909	565	6207	5537	925	4804	2587	646	5648	4739	1022
34.	लक्षद्वीप	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	5	2	0	2	2	0
35.	पुडुचेरी	127	109	36	191	177	54	149	139	35	260	250	77	179	178	32	337	351	69
	कुल संघ शासित राज्य	4739	2843	522	6434	5736	871	4995	3251	628	6922	6174	1042	5303	2952	711	6435	5421	1139
	कुल अखिल भारत	155553	130173	30826	266955	253201	52785	164765	133102	28998	279823	257952	53875	185312	150277	27612	310808	288657	52444

स्रोत: भारत में अपराध

टिप्पणी: पुलिस और अदालतों द्वारा निपटाए गए मामलों से संबंधित सूचना में विगत वर्षों से लंबित सूचना शामिल है।

सं. 15011/21/2004-एससी/एसटी-सैल-2
भारत सरकार
गृह मंत्रालय

नई दिल्ली,
दिनांक: 5 मई, 2004

सेवा में,

मुख्य सचिव,
सभी राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन

विषय: महिलाओं पर अपराध—इन्हें रोकने के उपायों की जरूरतों के संबंध में

महोदय/महोदया,

भारत सरकार समय-समय पर राज्य सरकारों को महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने और विशेष रूप से उनके प्रति अपराधों की घटनाओं को रोकने के लिए और अधिक उपाय किए जाने की जरूरत के संबंध में कदम उठाए जाने की सलाह जारी करती रही है। महिलाओं के प्रति अपराध के विशेष संदर्भ में इससे पहले जारी किए गए दिनांक 17.4.1995 के अ.शा. पत्र सं. 15018/214/94-जीपीए-6, दिनांक 12.9.1996 के पत्र सं. 24013/65/96-जीपीए-6, दिनांक 18.3.1997 के पत्र सं. 15018/214/96-जीपीए-6, दिनांक 6.10.1997 के पत्र सं. 24013/84/97-जीपीए-6, दिनांक 8/11.9.1998 का पत्र सं. 24013/50/98-जीपीए-6 और दिनांक 19/26.3.2002 के पत्र सं. 24013/83/2001-जीपीए-6 का इस संबंध में विशेष संदर्भ लें। इन सलाहों में अन्य बातों के साथ-साथ पुलिस कार्मिकों के महिलाओं के प्रति सुगाही बनाना, महिलाओं के विरुद्ध हिरासती हिंसा में दोषी पाए गए जनता के सेवकों को तत्काल और कड़ा दंड देने के लिए उचित उपाय अपनाना, महिलाओं की हत्या, बलात्कार और उत्पीड़न की जांच-पड़ताल में कम से कम विलम्ब होना और इसकी जांच-पड़ताल गुणवत्ता में सुधार करना, उन जिलों में 'महिलाओं के प्रति अपराध कक्ष' स्थापित करना जहां ये कक्ष नहीं हैं, जो महिलायें इन अपराधों की शिकार हैं उन्हें सलाह देने के लिए पर्याप्त रूप से ऐसे केन्द्र और आश्रय स्थल प्रदान करना, महिलाओं के लिए विशेष अदालतें स्थापित करना और जो महिलायें अपराधों की शिकार हुई हैं उनके लिए विकसित योजनाओं की प्रभावकारिता में सुधार करना शामिल है जिसमें आय अर्जित करने पर अधिक ध्यान दिया जाता है ताकि महिलाओं को और अधिक स्वतंत्र और आत्म-निर्भर बनाया जा सके।

2. उक्त सलाहों के माध्यम से राज्य सरकारों से यह अनुरोध भी किया गया है कि वे महिलाओं की समस्या को हल करने वाले तंत्र की प्रभावकारिता की विस्तृत समीक्षा करें और कानून और व्यवस्था तंत्र की जवाबदेही बढ़ाने के उद्देश्य से उचित उपाय करें। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कुछ राज्य सरकारों ने इस संबंध में कुछ उपाय किए हैं। तथापि, महिलाओं के प्रति अपराध के संबंध में इस मंत्रालय के पास उपलब्ध सूचना से यह पता चलता है कि इन उपायों को सुदृढ़ बनाए जाने की जरूरत है ताकि महिलायें अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें, वे अपने मानवाधिकारों का उपयोग कर सकें और अपना जीवन स्वाभिमान और आदर के साथ जी सकें जिसकी वे अधिकारी हैं।

3. राष्ट्रीय महिला आयोग विभिन्न राज्यों का दौरा करता रहा है ताकि वह महिलाओं की स्थिति की समीक्षा कर सके और महिलाओं के प्रति अपराध की गंभीर घटनाओं के कुछ मामलों की अपनी ओर से जांच-पड़ताल भी करता रहा है। आयोग, अपनी जांच के निष्कर्षों को संबंधित राज्य सरकारों तथा इस मंत्रालय को भेजता रहा है। इन विशिष्ट घटनाओं में आयोग द्वारा की गई जांच रिपोर्टों से पता चलता है कि संवेदनशीलता और सावधानी के जिस स्तर पर महिलाओं के प्रति अपराध से निपटा जाना चाहिए यह उस वांछित स्तर का नहीं है। आयोग ने कुछ विशिष्ट मामलों में कुछ पुलिस पदाधिकारियों की तरफ से लापरवाही और असंवेदनशीलता के बारे में बताया है। आयोग ने यह महसूस किया कि जघन्य मामलों में भी प्राथमिकी दायर करना अभी भी समस्या बना हुआ है। महिलाओं के प्रति अपराध की मुख्य घटनाओं की जांच-पड़तालों की अपनी विभिन्न रिपोर्टों में राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां और सिफारिशें की गई हैं जिन्हें अनुलग्नक में लगाया गया है।

4. भारत सरकार इस प्रवृत्ति और मूल स्थिति से अत्यंत चिंतित है इसलिए वह इस बात पर पुन: जोर देती है कि निम्नलिखित पर तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए:

अपराध संभावित क्षेत्रों की पहचान की जानी चाहिए और महिला विद्यार्थियों की रक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विद्यालयों/महाविद्यालयों में ऐसी घटनाओं पर नजर रखने के लिए एक तंत्र बनाया जाना चाहिए। पुलिस आधारभूत संरचना से पूरी तरह पर्याप्त मात्रा में महिला पुलिस अधिकारियों को ऐसे क्षेत्रों में तैनात किया जाए।

* महिलाओं के प्रति अपराध के सभी मामलों में प्राथमिकी दर्ज किए जाने में किसी भी प्रकार का विलंब न किया जाए।
* प्राथमिकी में दर्ज सभी दोषियों को पकड़ने के लिए यथासंभव सभी प्रयास किए जाएं ताकि पीड़ित और उसके परिवार के सदस्यों में भरोसा सृजित हो।
* मामलों की गहराई से जांच की जाए और दोषी व्यक्ति के विरुद्ध आरोप-पत्र, घटना घटित होने के तीन माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए और इस संबंध में जांच की गुणवत्ता के साथ कोई समझौता न किया जाए।
* महिलाओं के प्रति अपराध सैल के हैल्प लाइन नम्बरों को अस्पतालों/विद्यालयों/महाविद्यालयों में और अन्य उपयुक्त स्थानों पर प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाए।
* थानों में महिला पुलिस सैल और आवश्यकतानुसार महिला पुलिस थानें स्थापित किए जाएं।
* महिला संरक्षण के दायित्व वाले पुलिस अधिकारियों को पर्याप्त रूप से सुविज्ञ किया जाए।
* पुलिस कार्मिकों को महिला उत्पीड़न से संबंधित विशेष कानूनों में पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित किया जाए।
* प्रवर्तन पहलू पर पर्याप्त जोर दिया जाए ताकि इसे कारगर बनाया जा सके।
* राज्य पुलिस बलों में महिला पुलिस कार्मिकों की व्यापक रूप से भर्ती की जाए।
* पुलिस और महिला संबंधी गैर-सरकारी संगठनों के बीच पूर्ण समन्वय सुनिश्चित किया जाए।
* प्रभावित क्षेत्रों में गश्त के लिए स्थानीय पुलिस का प्रबंध करना चाहिए और यह प्रबंध विशेष कर समाज के कमजोर वर्गों के क्षेत्र में करना चाहिए। डीए और एसपी के आवधिक दौरों से इन वर्गों के लोगों के मन में सुरक्षा और संरक्षा की भावना पैदा होगी।
* अपराध के सदमें से उबरने के लिए पीड़ित और उसके परिवार के सदस्यों के लिए पेशेवर सलाहकारों के माध्यम से सलाह देना अपेक्षित है।
* पीड़िता महिला के कल्याण और पुनर्वास के लिए विकसित स्कीमों की प्रभावकारिता में सुधार किया जाए।

5. अनुरोध है कि इस संबंध में की गई कार्रवाई की समीक्षा राज्य सरकारें/संघ राज्य प्रशासनों द्वारा की जाए और मौजूदा स्थिति के उल्लेख वाली एक रिपोर्ट इस मंत्रालय को एक माह के भीतर भेजी जाए।

6. कृपया इस पत्र की पावती तुरंत भेजे।

भवदीय
ह./
(ए.के. श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव (सीएस)

प्रतिसूचनार्थ:-

अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग, 4-दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002

भवदीय
ह./
(ए.के. श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव (सीएस)

गुप्त
फैक्स संदेश (आई फैक्स के माध्यम से)

प्रेषक-गृह नई दिल्ली

सेवा में,

सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशक और आयुक्त, दिल्ली पुलिस

सूचनार्थ सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव

फा.सं. 1-11034/2/2009-IS-IV दिनांक 8 जून, 2009

महिलाओं के प्रति अपराध की रोकथाम के लिए सड़क पर सुरक्षा स्थिति में सुधार हेतु लिंग समानता और सामाजिक बुराई से संघर्ष के लिए सरकारी कार्यक्रमों के संकेन्द्रन और समन्वय संबंधी कार्रवाई योजना से अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सुझाव उभरे हैं:-

* बीट कांस्टेबलों की संख्या में वृद्धि।
* विशेषकर सुदूर एवं एकांत स्थानों पर पुलिस सहायता बूथों/कियोस्कों की संख्या में वृद्धि करना।
* रात्रिकाल में पुलिस गश्त में वृद्धि करना।
* सचल पुलिस वेनों में महिला पुलिस अधिकारियों की संख्या में वृद्धि करना।

2. अनुरोध है कि महिलाओं के लिए सड़क पर सुरक्षा में सुधार करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने हेतु उक्त सुझावों को नोट किया जाए।

(पी.के. मिश्रा)
निदेशक (आईएस-II)

प्रति सूचनार्थ

सीएस प्रभाग (श्री पी.एन. सक्सैना, उप-सचिव-सीएस-I) को उनके दिनांक 4.6.2009 के का.ज्ञा. सं. 15011/15-2009-एससी/एसटी-डब्ल्यू के समर्थन में।

[अनुवाद]

पीडीएस के अंतर्गत घटिया गेहूं

335. श्रीमती सुमित्रा महाजन: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत घटिया आयातित गेहूं की आपूर्ति और संवितरण के संबंध में विभिन्न राज्यों में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और प्राप्त शिकायतों की राज्यवार संख्या और प्रकृति क्या है;

(ग) क्या कुछ राज्यों में खाद्यान्न भण्डार में घटिया गुणवत्ता वाले गेहूं पाये गये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थामस): (क) और (ख) जी, हां। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए वितरित किए जा रहे आयातित गेहूं की गुणवत्ता के बारे में अप्रैल, 2007 में महाराष्ट्र राज्य सरकार से एक शिकायत प्राप्त हुई थी। राज्य सरकार द्वारा यह सूचित किया गया था कि मुम्बई और पुणे में उनके द्वारा उचित दर दुकानों से लिए गए आयातित गेहूं के कुछ नमूने मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त पाए गए थे। भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा भारतीय खाद्य निगम के खाद्य भंडारण डिपु, जी.एम. बोरीवली और भिवंडी से लिए गए आयातित गेहूं के संयुक्त नमूनों का महाराष्ट्र सरकार की राज्य लोक स्वास्थ्य प्रयोगशाला, पुणे में विश्लेषण किया गया था और वे खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के मानकों के अनुरूप तथा मानव उपभोग के लिए उपयुक्त पाए गए थे।

मध्य प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में खराब गुणवत्ता के आयातित गेहूं की आपूर्ति के बारे में श्रीमती सुमित्रा महाजन, माननीय संसद सदस्य से दिसम्बर, 2006 में एक शिकायत प्राप्त हुई थी। इंदौर में उचित दर दुकानों से लिए गए आयातित गेहूं की गुणवत्ता का परीक्षण राज्य खाद्य प्रयोगशाला, इंदौर में कराया गया था और यह खाद्य अपमिश्रण निवारण मानकों के अनुरूप पाया गया था।

आयातित लाल गेहूं की गुणवत्ता के बारे में उपभोक्ता संगठन, जिला अजमेर, राजस्थान से दिसम्बर, 2006 में एक शिकायत प्राप्त हुई थी। भारतीय खाद्य निगम के अनुसार आयातित गेहूं की गुणवत्ता से राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के संतुष्ट होने के बाद और उसके भारत सरकार की विनिर्दिष्टियों के अनुरूप होने पर उसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली में वितरण करने के लिए जारी किया गया था।

(ग) और (घ) जी, नहीं। अक्तूबर, 2007 के दौरान आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र क्षेत्रों में भारतीय खाद्य निगम के डिपुओं से लिए गए आयातित गेहूं के नमूने खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम मानकों के अनुरूप पाए गए थे।

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा निम्नलिखित उपचारात्मक पग उठाए गए हैं:-

(1) आयातित गेहूं की गुणवत्ता की जांच प्रवेश पत्तन पर पूर्णत: की जाती है ताकि इनका स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा अधिकृत अधिकारियों द्वारा खाद्य अपमिश्रण निवारण मानकों तथा कृषि मंत्रालय द्वारा अधिकृत अधिकारियों द्वारा पादप संगरोध आदेश के अनुरूप होना सुनिश्चित किया जा सके।

(2) भंडारण के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा वैज्ञानिक पद्धति संहिता अपनाई जाती है ताकि खाद्यान्नों को क्षति न हो।

(3) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से स्टाक का उठान करने से पहले राज्य सरकार और भारतीय खाद्य निगम के प्रतिनिधियों द्वारा स्टाक का संयुक्त निरीक्षण किया जाता है और वही स्टाक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए जारी किया जाता है जो संयुक्त निरीक्षण द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारियों की स्थिति

336. श्री संजय निरूपम: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन एजेंसियों के नाम क्या हैं जिन्हें अगले वर्ष देश में होने वाले राष्ट्रमंडल खेल, 2010 से संबंधित क्रियान्वयन एजेंसियों के कार्य की जिम्मेदारी सौंपी गई है तथा इसके लिए कितनी राशि आबंटित की गई है, वास्तव में कितनी राशि व्यय की गई एवं प्रत्येक परियोजना का अनुमानित व्यय कितना है; और

(ख) इसमें शामिल विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय का स्तर क्या है तथा उक्त परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए उनके द्वारा कितनी सफलता प्राप्त की गई है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) अपेक्षित ब्यौरे संलग्न विवरण में दर्शाये गये हैं।

(ख) युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री खेल अवसंरचना सहित राष्ट्रमंडल खेल, 2010 से संबंधित विभिन मामलों की प्रगति की समीक्षा के लिए नियमित रूप से सभी संबंधितों के साथ समन्वय बैठकें करते हैं। प्रत्येक अवसंरचना परियोजना के लिए वेब आधारित निगरानी पद्धति भी विकसित की गई है। सभी संबंधित एजेंसियों के द्वारा किये गये प्रयासों के परिणामस्वरूप, खेलों के लिए विविध खेल सुविधाएं समय पर पूरी कर ली जाएगी।

विवरण

(करोड़ रु.)

क्र.सं.	कार्यान्वयन एजेंसी	स्टेडियम/परियोजना का नाम	आबंटित राशि	वास्तविक खर्च की गई राशि	प्रस्तावित व्यय
1	2	3	4	5	6
1.	भारतीय खेल प्राधिकरण/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी)	जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम	961.00	346.00	961.00

1	2	3	4	5	6
2.	वही	मेजर ध्यान चंद राष्ट्रीय स्टेडियम	262.00	103.74	262.00
3.	वही	इंदिरा गांधी स्टेडियम	669.00	224.73	669.00
4.	वही	डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी तरण्ताल काम्प्लेक्स	377.00	112.32	377.00
5.	वही	डा. कर्णी सिंह शूटिंग रेंज	149.00	48.07	149.00
6.	दिल्ली विश्वविद्यालय	प्रतियोगिता और प्रशिक्षण स्थल	222.27	97.00	306.41
7.	जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय	प्रशिक्षण स्थल का निर्माण/उन्नयन	33.41	9.00	42.57
8.	अखिल भारतीय टेनिस	आर.के. खन्ना स्टेडियम	30.00	14.53	65.65
9.	केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल/सीबीडब्ल्यूडी	कादरपुर शूटिंग रेंज, गुड़गांव	15.00	5.00	28.26
10.	दिल्ली पब्लिक स्कूल/सीपीडब्ल्यूडी	लान बाल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली के लिए प्रशिक्षण स्थल	1.73	0.50	1.73
11.	दिल्ली विकास प्राधिकरण	खेल गांव/प्रतियोगिता और प्रशिक्षण स्थल	325.00	276.09	1034.82
12.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	प्रतियोगिता और प्रशिक्षण स्थल	417.00	179.08	417.00
13.	नई दिल्ली नगरपालिका समिति	प्रतियोगिता और प्रशिक्षण स्थल	330.00	76.60	330.00

राष्ट्रीय राजमार्गों पर पथकर

337. श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर:
श्री बलीराम जाधव:

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों पर राज्यवार तथा वर्षवार कितना पथकर एकत्रित किया गया;

(ख) क्या पूर्ण किए गए राजमार्गों के एक बड़े हिस्से के पथकर के अंतर्गत नहीं आने के चलते भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को राजस्व की हानि हो रही है;

(ग) यदि हां, तो ऐसी सड़कों की लंबाई तथा इससे हो रही हानि का ब्योरा क्या है;

(घ) राजस्व की हानि रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/प्रस्तावित हैं;

(ङ) क्या कुछ राज्य सरकारों ने अपने राज्यों से होकर गुजरने वाले हिस्सों में पथकर समाप्त करने का अनुरोध किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर आर.पी.एन. सिंह): (क) गत तीन वर्षों में और चालू वर्ष में मई, 2009 तक राष्ट्रीय राजमार्गों पर लिए गए पथकर की धनराशि का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) से (घ) राष्ट्रीय राजमार्गों की 3476.31 किलोमीटर लंबाई, खंडों में आंशिक रूप से पूरी हुई है और इसलिए इन पर पथ-कर नहीं लिया जा रहा है। 31.3.2009 की स्थिति के अनुसार

पूर्णरूप से पूरे किए गए और आंशिक रूप से पूरे किए गए खंडों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। पथ कर योग्य खंड का, लेन मार्किंग, संकेतक, गार्ड रेल्स आदि जैसे सुरक्षा उपायों सहित सभी तरह से पूरा होना, पथ-कर शुरू करने की पूर्व अर्हता है। यह पथ-कर, पथ-कर योग्य खंड के पूरा होने की तिथि से 30 दिन के भीतर अथवा टेकओवर प्रमाण-पत्र जारी होने, जो भी बाद में हो, पर लिया जाता है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण I

गत तीन वर्षों में और चालू वर्ष में मई, 2009 तक पथ कर वसूली का राज्य-वार और वर्ष-वार विवरण

(लाख रुपए)

राज्य	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10 (मई, 2009 तक)
आंध्र प्रदेश	24728.05	34193.86	37916.30	8574.25
बिहार	0.00	1402.00	3418.56	614.39
छत्तीसगढ़	1810.83	2098.47	2216.58	397.32
गुजरात	21138.27	22367.48	26947.19	6594.10
हरियाणा	13521.67	15203.87	35131.11	2060.48
झारखंड	1915.53	2258.00	4831.88	818.49
कर्नाटक	4627.84	9449.99	17641.84	3100.64
महाराष्ट्र	17160.58	22904.79	24949.11	4929.27
मध्य प्रदेश	1417.61	1243.29	1929.11	403.58
उड़ीसा	705.79	787.85	2434.88	634.11
पंजाब	4665.97	5029.55	7008.31	1334.66
राजस्थान	29670.03	35801.50	42568.58	9649.96
तमिलनाडु	10370.43	16563.93	19239.31	4644.93
उत्तर प्रदेश	6196.06	8030.56	17366.04	4051.45
पश्चिम बंगाल	6468.77	13741.69	17743.47	3339.58
कुल योग	144397.43	191076.83	261342.26	51147.22

विवरण II

31.03.2009 की स्थिति के अनुसार पूर्ण रूप से पूरे किए गए और आंशिक रूप से पूरे किए गए खंडों का विवरण

क्र.सं.	विवरण	पूरे किए गए कुल	पूर्णत: पूरे किए गए	आंशिक रूप से पूरे किए
1	2	3	4	5
1.	स्वर्णिम चतुर्भुज	5721.00	5119.00	602.81
2.	उत्तर दक्षिण-पूर्व पश्चिम महामार्ग	3436.00	1818.00	1618.00

1	2	3	4	5
3.	पत्तन संपर्क परियोजनाएं	206.00	111.00	95.00
4.	अन्य परियोजनाएं	781.00	325.50	455.50
5.	एनएचडीपी चरण-III	787.00	187.00	599.00
6.	एनएचडीपी चरण-V	106.00		106.00
	योग	11037.00	7560.50	3476.31

[हिन्दी]

केन्द्रीय सड़क निधि से वित्तपोषित सड़क परियोजनाएं

338. श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान देश में विशेषरूप से राज्यों के पिछड़े तथा ग्रामीण क्षेत्रों में केन्द्रीय सड़क निधि से राज्य-वार कितनी सड़क परियोजनाओं का वित्तपोषण किया गया;

(ख) क्या उपर्युक्त सड़कों में से कोई सड़क विशेषरूप से पिछड़े जिलों में बनाई जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर आर.पी.एन. सिंह): (क) से (ग) गत तीन वर्ष में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान केन्द्रीय सड़क निधि से वित्त पोषित सड़क परियोजनाओं की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में है। केन्द्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 के अनुसार परियोजनाओं का चयन, राज्य सरकार की सिफारिशों के आधार पर, पूरे राज्य में सड़क नेटवर्क के संतुलित विकास को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माणाधीन सड़कों के अलग से ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	संस्वीकृत केन्द्रीय सड़क निधि कार्यों की संख्या					संस्वीकृत आर्थिक महत्व और अन्तर्राज्यीय सड़क संपर्क कार्यों की संख्या				
		2006-07	2007-08	2008-09	2009-10 (31.5.2009 की स्थिति के अनुसार)	जोड़	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10 (31.5.2009 की स्थिति के अनुसार)	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	22	76	447	0	545	2	8	2	0	12
2.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0
3.	अरुणाचल प्रदेश	11	5	1	6	23	1	1	0	0	2
4.	असम	5	6	8	0	19	2	1	0	0	3
5.	बिहार	5	10	2	0	17	0	0	2	0	2
6.	चंडीगढ़	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	छत्तीसगढ़	10	2	10	0	22	0	1	0	0	1
8.	दिल्ली	26	0	9	6	41	0	0	0	0	0
9.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2
10.	गोवा	3	0	8	0	11	0	0	0	0	0
11.	गुजरात	27	77	79	0	183	1	5	3	0	9
12.	हरियाणा	1	7	10	0	18	1	0	4	0	5
13.	हिमाचल प्रदेश	2	4	7	0	13	1	0	1	0	2
14.	जम्मू और कश्मीर	2	8	18	0	28	0	1	0	0	1
15.	झारखंड	8	0	7	0	15	0	1	5	0	6
16.	कर्नाटक	249	4	354	0	607	2	5	1	0	8
17.	केरल	4	8	18	0	30	1	3	0	0	4
18.	मध्य प्रदेश	28	18	14	0	60	0	6	1	0	7
19.	महाराष्ट्र	64	45	139	0	248	1	4	1	0	6
20.	मणिपुर	2	1	0	0	3	0	0	2	0	2
21.	मेघालय	0	3	0	3	6	0	0	0	0	0
22.	मिजोरम	4	10	0	0	14	1	1	0	0	2
23.	नागालैंड	0	2	1	0	3	1	2	0	0	3
24.	उड़ीसा	11	14	15	0	40	2	6	1	0	9
25.	पुडुचेरी	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
26.	पंजाब	6	7	13	0	26	0	0	0	0	0
27.	राजस्थान	85	50	54	0	189	3	5	1	0	9
28.	सिक्किम	4	3	2	0	9	4	2	1	0	7
29.	तमिलनाडु	67	18	75	0	160	0	2	3	0	5
30.	त्रिपुरा	0	3	0	0	3	0	0	0	0	0
31.	उत्तर प्रदेश	17	18	20	0	55	0	1	0	0	1
32.	उत्तराखंड	0	0	6	0	6	1	0	0	0	1
33.	पश्चिम बंगाल	2	0	5	0	7	0	0	0	0	0

कृषि वैज्ञानिकों की तैनाती

339. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के प्रत्येक गांव तथा नगर में कृषि वैज्ञानिकों की तैनाती सुनिश्चित करने हेतु कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य में कितने कृषि वैज्ञानिक तैनात किए गए हैं; और

(घ) इन वैज्ञानिकों द्वारा शुरू किए गए कार्यकलापों की पुनरीक्षा हेतु अब तक सरकार ने क्या प्रभावी कदम उठाए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थामस): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

दालों का आयात

340. श्री हंसराज गं. अहीर:
श्री प्रहलाद जोशी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में दाल का आयात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या खेसारी दाल की बिक्री पर अब भी प्रतिबंध है;

(घ) यदि हां, तो क्या रसायनों में साफ किए गए तथा जहरीले पदार्थयुक्त खेसारी दाल की खुले बाजार में बिक्री के संबंध में सरकार को जानकारी प्राप्त हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थामस): (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने शून्य शुल्क पर दालों के आयात की अनुमति दे दी है। वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकीय महानिदेशालय के आंकड़ों (अनन्तिम) के अनुसार 2007-08 के दौरान लगभग 2.95 मिलियन टन दालों का आयात किया गया जबकि पिछले वर्ष 2.49 मिलियन टन आयात किया गया था। चालू वर्ष (अप्रैल-फरवरी) के दौरान 2.14 मिलियन टन दालों का आयात किया जा चुका है।

तालिका: 1 दालों का आयात (2005-06 से 2008-09)

(लाख टन)

वर्ष	दालों का आयात
2005-06	18.70
2006-07	24.91
2007-08	29.52
2008-09 (अप्रैल-फरवरी)	21.42

स्रोत: वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकीय महानिदेशालय

(ग) खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमावली, 1955 के नियम 44क के तहत खेसारी दालों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। संबंधित नियम का एक उद्धरण नीचे दिया गया है:-

'नियम 44-क: खेसारी चने की बिक्री प्रतिबंधित:- किसी राज्य में कोई व्यक्ति ऐसी तारीख से जिसको संबंधित राज्य सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट करे, किसी भी विवरण के तहत खेसारी चने और उसके मिश्रण की बिक्री अथवा बिक्री के लिए किसी खाद्य मद को तैयार करने के लिए एक संघटक के रूप में प्रयोग करने हेतु अथवा बिक्री के लिए पेशकश नहीं करेगा, प्रदर्शित नहीं करेगा अथवा बिक्री के प्रयोजन हेतु अपने अधिष्ठान में नहीं रखेगा।'

(घ) सरकार को ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

राजमार्गों के परिचालन की समीक्षा

341. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सड़क निर्माण में धीमी प्रगति को देखते हुए राजमार्गों के परिचालन की समीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निजी ठेकेदारों को काम देने का कार्य कुछ परियोजनाओं तक ही सीमित है जो एक विशिष्ट ठेकेदार को ही दिया जा सकता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस उद्देश्य के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ङ) क्या ठेके देने में इन मानदंडों का पालन किया जा रहा है; और

(च) समयबद्ध सीमा में सड़क निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए तैयार की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) जी, हां। राजमार्गों के विकास की प्रगति की समीक्षा एक सतत् प्रक्रिया है। समीक्षा प्रक्रिया के दौरान, कार्यान्वयन में विभिन्न व्यवधान अभिनिर्धारित किए जाते हैं और समस्याओं के निवारण के लिए आवश्यक उपाय किए जाते हैं ताकि परियोजना का समयबद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) सड़क निर्माण कार्य को समय पर पूरा किया जाना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय

(क) पर्यवेक्षण परामर्शदाता, परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों जैसे विभिन्न स्तरों पर ठेकों की नियमित निगारनी की जाती है। अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग के स्तर पर भी प्रगति की समीक्षा की जाती है।

(ख) राज्य सरकारों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना से संबंधित समस्याओं जैसे भूमि अधिग्रहण, सुविधाओं के स्थानांतरण, वन/प्रदूषण/पर्यावरण स्वीकृति आदि के समाधान के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की नोडल अधिकारियों के रूप में नियुक्ति की गई है। ये नोडल अधिकारी परियोजनाओं की समीक्षा के लिए समय-समय पर बैठकें करते हैं तथा समस्याओं के समाधान के लिए कार्रवाई करते हैं।

(ग) भूमि अधिग्रहण, सुविधाओं के स्थानांतरण, पर्यावरण संबंधी अनुमोदन, सड़क उपरि पुलों की स्वीकृति आदि जैसे अंतर-मंत्रालयी और केन्द्र-राज्य मुद्दों के समाधान के लिए मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की एक समिति का गठन किया गया है।

(घ) भूमि अधिग्रहण की अधिसूचनाएं जारी करने की प्रक्रिया आसान बना दी गई है। पहले राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के अंतर्गत सभी अधिसूचनाओं की विधीक्षा विधि मंत्रालय द्वारा की जाती थी। हाल ही में कार्य आबंटन नियमावली में एक संशोधन किया गया है जिसके द्वारा इन अधिसूचनाओं को विधि मंत्रालय को भेजे जाने की आवश्यकता है। विधि मंत्रालय ने भूमि अधिग्रहण अधिसूचनाओं की समान प्रकृति को ध्यान में रखते हुए विभिन्न अधिसूचनाओं के मानक फार्मेट अनुमोदित कर दिए हैं।

(ङ) सड़क उपरि पुलों के शीघ्र निर्माण के लिए रेलवे के एक अधिकारी को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में तैनात किया गया है ताकि रेल मंत्रालय के साथ समन्वय किया जा सके। कुछ सड़क उपरि पुलों के निर्माण के लिए मै. इरकान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(च) गैर निष्पादक ठेकेदारों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है और उन्हें तब तक भावी परियोजनाओं के लिए निविदाएं देने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक वे विद्यमान ठेकों में अपने निष्पादन में सुधार नहीं कर लेते।

खनिजों पर रॉयल्टी में संशोधन

342. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने लौह अयस्क तथा अन्य प्रमुख खनिजों की रॉयल्टी दर का लंबे समय से संशोधन नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या रॉयल्टी तथा खनिज के मूल्य के बीच प्राथमिकता तय करने के लिए कोई अध्ययन कराया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम रहे;

(ङ) रॉयल्टी दरों में संशोधन के पश्चात कुल कितना राजस्व जुटाए जाने की संभावना है;

(च) क्या उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा झारखंड जैसे खनिज उत्पादक राज्यों को रॉयल्टी की दर में संशोधन के विलंब के चलते कोई मुआवजा देने का प्रस्ताव है;

(छ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ज) सभी खनिजों पर कब तक रॉयल्टी दरें निर्धारित कर दी जाएंगी?

खान मंत्री और उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री बी.के. हान्डिक): (क) से (ज) खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 के प्रावधानों के अनुसार रायल्टी की दरों में तीन वर्षों में एक बार उर्ध्वाधर संशोधन किया जा सकता है। लौह अयस्क तथा दूसरे प्रमुख खनिजों सहित रॉयल्टी की दरों में पिछली बार 14 अक्तूबर, 2004 को संशोधन किया गया था। रॉयल्टी तथा डैड रेन्ट की दरों में संशोधन करने के उद्देश्य से सरकार ने एक अध्ययन दल का गठन किया, जिसमें केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों, महत्वपूर्ण खनिज उत्पादक राज्यों तथा उद्योग से इसके सदस्य थे, जिसने रॉयल्टी की दरों और डैड रेन्ट में संशोधन करने की सिफारिश की। अध्ययन दल ने खनिजों के घरेलू मूल्य के रूख, निर्यात मूल्यों के रूख, खनिज उत्पादन लागत, परिवहन लागत तथा हैण्डलिंग प्रभार, खनिकों द्वारा वसूला गया मार्जिन, राज्य सरकार तथा उद्योग के राजस्व वसूली पर रायल्टी दरों के संशोधन का प्रभाव तथा मुद्रा प्रसार कारक को हिसाब में लेकर रॉयल्टी की दरें तय की हैं। खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम में राज्य सरकारों को मुआवजा देने का कोई प्रावधान नहीं है चूंकि रॉयल्टी की संशोधित दरें केवल भविष्य प्रभावी होती हैं। रॉयल्टी दरों के संशोधन वर्तमान में विचाराधीन हैं।

अर्द्ध-सैनिक बलों की तैनाती

343. श्री प्रदीप माझी:
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार जम्मू तथा कश्मीर में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल तथा अन्य अर्द्ध-सैनिक बलों की तैनाती की समीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य में अर्द्ध-सैनिक बलों के कार्मिकों को कम करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) राज्य में उभरने वाली वास्तविक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार द्वारा जम्मू व कश्मीर में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल एवं अन्य अर्ध-सैनिक बलों की तैनाती की निरन्तर समीक्षा की जाती है।

(ग) और (घ) जम्मू और कश्मीर में अर्ध-सैनिक बलों की क्षमता को कम करने पर उसी समय विचार किया जाएगा जब राज्य में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति में सुधार के बाद ऐसा करना न्यायसंगत पाया जाएगा।

[हिन्दी]

कृषि विज्ञान केन्द्र

344. श्री अनुराग सिंह ठाकुर: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हिमाचल प्रदेश सहित देश में राज्यवार कुल कितने कृषि विज्ञान केन्द्र हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार और ज्यादा कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो इसके लिए पता लगाए गए स्थानों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थामस): (क) देश में कुल कृषि विज्ञान केन्द्रों की संख्या 567 है इसमें हिमाचल प्रदेश के 12 कृषि विज्ञान केन्द्र शामिल हैं। कृषि विज्ञान केन्द्रों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) और (ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का प्रस्ताव 92 और कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने का है। इन कृषि विज्ञान केन्द्रों को स्थापित करने के लिए पहचाने गए अनुमोदित जिलों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II से IV में दिया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण I

हिमाचल प्रदेश सहित राज्यवार/संघ शासित प्रदेशवार कृषि विज्ञान केन्द्रों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	कृषि विज्ञान केन्द्रों की संख्या
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1
2.	आंध्र प्रदेश	22
3.	अरुणाचल प्रदेश	12
4.	असम	20
5.	बिहार	38
6.	छत्तीसगढ़	16
7.	दिल्ली	1
8.	गोवा	2
9.	गुजरात	24
10.	हरियाणा	18
11.	हिमाचल प्रदेश	12
12.	जम्मू और कश्मीर	14
13.	झारखंड	21
14.	कर्नाटक	27
15.	केरल	14
16.	लक्षद्वीप	1
17.	मध्य प्रदेश	47
18.	महाराष्ट्र	33
19.	मणिपुर	9
20.	मेघालय	5
21.	मिजोरम	8
22.	नागालैंड	8
23.	उड़ीसा	29
24.	पुडुचेरी	2
25.	पंजाब	17
26.	राजस्थान	32
27.	सिक्किम	4
28.	तमिलनाडु	30
29.	त्रिपुरा	4
30.	उत्तर प्रदेश	66
31.	उत्तराखंड	13
32.	पश्चिम बंगाल	17
	कुल	567

विवरण II

दसवीं योजना में अनुमोदित 15 जिलों का राज्यवार/संघशासित प्रदेशवार तथा कृषि विज्ञान केन्द्रों सहित शेष जिले

क्र.सं.	राज्य	शामिल नहीं किए गए जिले
1.	अरुणाचल प्रदेश	1. चांगलैंग
2.	असम	2. हेलाकांडी
		3. मोरिगांव
		4. उत्तरी कच्छार पहाड़ियां
3.	गुजरात	5. भावनगर
4.	हरियाणा	6. पंचकुला
5.	झारखंड	7. सेरायकेला
6.	मध्य प्रदेश	8. अनूपपुर
7.	मेघालय	9. दक्षिणी गारो पहाड़ियां
		10. पूर्वी गारो पहाड़ियां
8.	उड़ीसा	11. बोलंगीर
9.	उत्तर प्रदेश	12. अम्बेडकर नगर
		13. श्रावस्ती
		14. ज्योतिबा फुले नगर
10.	पश्चिम बंगाल	15. पूर्वी मिदनापुर

विवरण III

कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना के लिए सृजित 28 नए जिलों की सूची

क्र.सं.	राज्य	जिलों के नाम
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1. उत्तरी एवं मध्यम अंडमान (मायाबुंडर)
2.	अरुणाचल प्रदेश	2. अंजा
3.	असम	3. बास्का, 4. चिरांग, 5. उदलगुरी
4.	छत्तीसगढ़	6. नारायणपुर, 7. बीजापुर
5.	गुजरात	8. तापी
6.	हरियाणा	9. मेवात
7.	जम्मू एवं कश्मीर	10. रिसाय, 11. साम्बा, 12. रामबान, 13. किश्तवाड़, 14. गंदरबल, 15. कुलगाम, 16. बांदीपुरा, 17. सोपियां
8.	झारखंड	18. रामनागारा, 19. कूटी
9.	कर्नाटक	20. रामनागारा, 21. चिक्काबाल्लापुरा
10.	नागालैंड	22. परेन, 23. कैफिरे, 24. लोगलेंग
11.	पंजाब	25. तरनतारन, 26. बरनाला, 27. मोहाली
12.	राजस्थान	28. प्रतापगढ़

विवरण IV

एक अतिरिक्त कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना के लिए अनुमोदित 50 जिलों में से 49 जिलों का राज्यवार विवरण

क्र.सं.	राज्य	जिलों के नाम
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश (12)	1. अनंतपुर, 2. कुरनूल, 3. गुंटूर, 4. प्रकाशम, 5. महबूबनगर, 6. पूर्वी गोदावरी, 7. नालगोंडा, 8. चित्तूर, 9. वारंगल, 10. पश्चिमी गोदावरी, 11. कृष्णा, 12. करीमनगर
2.	छत्तीसगढ़ (2)	13. रायपुर, 14. सरगुजा
3.	गुजरात (3)	15. कच्छ, 16. बनासकांठा, 17. राजकोट
4.	जम्मू एवं कश्मीर (1)	18. लेह
5.	कर्नाटक (2)	19. गुलबर्गा, 20. बेलगाम
6.	महाराष्ट्र (12)	21. अहमदनगर, 22. सोलापुर, 23. पुणे, 24. जलगांव, 25. नासिक, 26. यवतमल, 27. नांदेड़, 28. अमरावती, 29. सतारा, 30. बीड, 31. बुलधाना, 32. औरंगाबाद
7.	उड़ीसा (3)	33. मयूरभंज, 34. गंजम, 35. सुंदरगढ़
8.	राजस्थान (9)	36. बाडमेर, 37. नागौर, 38. बीकानेर, 39. जोधपुर, 40. चुरू, 41. जयपुर, 42. जैसलमेर, 43. अलवर, 44. हनुमानगढ़
9.	उत्तर प्रदेश (2)	45. इलाहाबाद, 46. सीतापुर
10.	पश्चिम बंगाल (3)	47. दक्षिणी 24 परगना, 48. मुर्शिदाबाद, 49. बर्धमान

पशुधन का सर्वेक्षण

345. श्री अशोक कुमार रावत: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में विशेषकर पिछड़े तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पशुधन के बारे में कोई सर्वेक्षण कराया है/कराने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) देश में पशुधन को बढ़ाने तथा उनकी नस्ल में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी.

थामस): (क) और (ख) पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग मौसमी और वार्षिक आधार पर प्रमुख पशुधन उत्पादों का अनुमान लगाने के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना नामत– ''एकीकृत नमूना सर्वेक्षण योजना'' और पंचवर्षीय आधार पर विभिन्न प्रजातियों के पशुधन संख्या की गणना करने के लिए ''पशुधन संगणना'' को क्रियान्वित करता है। 15 अक्तूबर, 2007 के संदर्भ तारीख के साथ अंतिम पशुधन संगणना आयोजित की गई थी।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन दस वर्ष में एक बार भूमि एवं पशुधन धारण सर्वेक्षण आयोजित करता है। ऐसा पिछला सर्वेक्षण जनवरी-दिसम्बर, 2003 के दौरान आयोजित किया गया था।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग नस्ल उन्नयन/संरक्षण और पशुधन संरक्षण के लिए निम्नलिखित केन्द्रीय क्षेत्र और केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं को क्रियान्वित कर रहा है:-

(1) राष्ट्रीय गोपशु एवं भैंस प्रजनन परियोजना, (2) केन्द्रीय गोपशु प्रजनन संगठन, (3) संकटाधीन पशुधन नस्लों का संरक्षण, (4) छोटे जुगाली करने वाले पशुओं और खरगोशों का विकास, (5) राज्य कुक्कुट/बत्तख फार्मों को सहायता, (6) केन्द्रीय कुक्कुट विकास संगठन, और (7) कुक्कुट पूंजीगत उद्यम कोष योजना।

[अनुवाद]

एक्सप्रेसवे तथा राजमार्गों पर दुर्घटनाएं

346. शेख सैदुल हक: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान एक्सप्रेसवे तथा राजमार्गों पर दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह खंडेला): (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 2005 से 2007 (उपलब्ध नवीनतम आंकड़े) के दौरान देश में राष्ट्रीय राजमार्गों (एक्सप्रेस मार्गों सहित) और राज्यीय राजमार्गों पर हुई सड़क दुर्घटनाओं का विवरण में दिया गया है।

(ग) सड़क प्रयोक्ताओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी मुख्यत: संबंधित राज्य सरकार की होती है। तथापि, इस मंत्रालय ने सड़क प्रयोक्ताओं के लिए सड़क सुरक्षा में सुधार हेतु अनेक उपाय किए हैं जो इस प्रकार हैं:-

(1) सड़क सुरक्षा, राष्ट्रीय राजमार्गों/एक्सप्रेस मार्गों की योजना बनाते समय सड़क डिजाइन का अभिन्न अंग होती है।

(2) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए सड़क फर्नीचर, सड़क चिह्नांकन/सड़क संकेत, चेतावनी बोर्ड, कुशल परिवहन प्रणाली का प्रयोग करके राजमार्ग यातायात प्रबंधन व्यवस्था को लागू करना, निर्माण के दौरान ठेकेदारों में अनुशासन बढ़ाना, चुनिंदा खंडों पर सड़क सुरक्षा संपरीक्षा जैसे विभिन्न उपाय किए गए हैं।

(3) मंत्रालय द्वारा योजनागत कार्यों के अंतर्गत वर्ष 1997-98 से असंगठित क्षेत्र में भारी मोटर वाहन चालकों को पुनश्चर्या प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

(4) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा सड़क सुरक्षा क्रियाकलापों में गैर-सरकारी संगठनों की भागीदारी।

(5) देश में चालन प्रशिक्षण स्कूलों की स्थापना।

(6) दृश्य-श्रव्य और प्रिंट मीडिया के माध्यम से सड़क सुरक्षा जागरूकता के लिए प्रचार अभियान।

(7) सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु स्वैच्छिक संगठनों/व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना।

(8) वाहनों के सुरक्षा मानकों को कठोर बनाना।

(9) राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत सेवा स्कीम के अंतर्गत विभिन्न राज्य सरकारों/गैर-सरकारी संगठनों को क्रेन और एंबुलेंस उपलब्ध कराना। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भी, पूरे हो चुके अपने प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग खंड, जो इसके प्रचालन और अनुरक्षण करार के अंतर्गत आते हैं, पर 50 किमी. की दूरी पर एंबुलेंस प्रदान करता है।

(10) दो लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेन का और चार लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्गों को छ: लेन का बनाया और सुधारा जा रहा है।

विवरण

वर्ष 2005 से 2007 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्यीय राजमार्गों पर हुई सड़क दुर्घटनाओं की कुल संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राष्ट्रीय राजमार्गों (एक्सप्रेस मार्गों सहित) पर हुई सड़क दुर्घटनाओं की कुल संख्या			राज्यीय राजमार्गों पर हुई सड़क दुर्घटनाओं की कुल संख्या		
		2005	2006	2007	2005	2006	2007
1	2	3	4	5	6	7	8
	राज्य						
1.	आंध्र प्रदेश	9799	15188	13040	10026	10953	9979
2.	अरुणाचल प्रदेश	17	109	67	111	82	88
3.	असम	2533	2758	2334	947	946	1010
4.	बिहार	1688	2695	3159	1076	1702	1971
5.	छत्तीसगढ़	4167	4608	3421	3543	3356	3265
6.	गोवा	1254	1225	1398	400	421	536
7.	गुजरात	7846	7030	7253	10133	9071	9630
8.	हरियाणा	3217	3492	4042	2917	3202	3752
9.	हिमाचल प्रदेश	1178	1086	1947	787	792	845
10.	जम्मू और कश्मीर	2035	2013	2385	1060	1286	745
11.	झारखंड	1739	1849	1718	1580	1438	1766
12.	कर्नाटक	13106	13212	13310	8062	10004	15034
13.	केरल	11585	10619	11000	7669	5444	7215
14.	मध्य प्रदेश	6420	11216	10468	9454	12115	10645
15.	महाराष्ट्र	13643	14448	13563	11831	11957	13402
16.	मणिपुर	391	310	307	100	111	137
17.	मेघालय	244	294	153	105	109	79
18.	मिजोरम	43	32	23	9	26	36
19.	नागालैंड	90	98	121	77	54	58
20.	उड़ीसा	3305	3589	3699	1466	2088	2198
21.	पंजाब	1884	1811	2240	1147	1434	1047
22.	राजस्थान	7728	7960	8218	2380	2175	2870

1	2	3	4	5	6	7	8
23.	सिक्किम	41	51	38	101	34	26
24.	तमिलनाडु	17695	17763	19910	17042	17013	17848
25.	त्रिपुरा	307	383	445	73	211	306
26.	उत्तराखंड	623	647	788	416	464	335
27.	उत्तर प्रदेश	9156	7892	8105	4975	5961	7396
28.	पश्चिम बंगाल	6296	5082	4343	5040	3591	3170
	संघ राज्य क्षेत्र						
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	15	0	0	0	0	0
2.	चंडीगढ़	67	86	99	0	0	0
3.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0
4.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0
5.	दिल्ली	1057	1826	956	1300	1592	1133
6.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
7.	पुडुचेरी	825	786	372	0	0	386
	जोड़	129994	140158	138922	103827	107632	116908

राष्ट्रीय राजमार्ग-8 पर नरोल-नरोदा खंड का पुनर्संरेखण

347. श्री हरिन पाठक: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग सं.-8 के नरोल-नरोदा खंड के पुनर्संरेखण के संबंध में एक प्रस्ताव भेजा था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति दी जाएगी और कार्य कब तक प्रारंभ होगा; और

(ग) राष्ट्रीय राजमार्ग-8 के नरोल-नरोदा खंड के मार्ग परिवर्तन हेतु योजना की स्थिति क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर आर.पी.एन. सिंह): (क) रारा-8 के नरोल-नरोदा खंड के पुनर्संरेखण के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

जैविक कृषि

348. श्री के.सी. वेणुगोपाल:
श्री एम.के. राघवन:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पूरे देश में जैविक कृषि को बढ़ावा देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार जैविक कृषि को बढ़ावा देने हेतु राजसहायता देने का है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष स्वीकृत की गयी निधियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थामस): (क) सरकार पहले से ही देश में जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है।

(ख) और (ग) सरकार देश में जैविक खेती के उत्पादन, प्रोत्साहन एवं मण्डी विकास के लिये राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना क्रियान्वित कर रही है जिसके अंतर्गत सर्विस प्रोवाइडरों के जरिये क्षमता निर्माण, फल/सब्जी अपशिष्ट कम्पोस्ट के जैविक आदान उत्पादन यूनिटों, जैव-उर्वरकों, वर्मी कम्पोस्ट हैचरियों की स्थापना, प्रशिक्षण, क्षेत्र प्रदर्शन, आदर्श जैविक फार्मों की स्थापना तथा मण्डी विकास के लिये वित्तीय सहायता दी जा रही है।

सरकार राष्ट्रीय बागवानी मिशन भी क्रियान्वित कर रही है जिसके तहत जैविक खेती के प्रोत्साहन को एक घटक के रूप में शामिल किया गया है तथा बागवानी फसलों की जैविक खेती, वर्मी कम्पोस्ट यूनिटों की स्थापना तथा जैविक खेती प्रमाणन के लिये वित्तीय सहायता दी जा रही है।

(घ) जैविक खेती के प्रोत्साहन के लिये विगत तीन वर्षों के दौरान एनपीओएफ तथा एनएचएम के तहत मंजूर की गई धनराशि का राज्यवार तथा वर्षवार ब्यौरा क्रमशः विवरण-I तथा II में दिया गया है।

विवरण I

राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना के तहत निर्मुक्त धनराशि का राज्यवार ब्यौरा

(लाख रुपये)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2006-07	2007-08	2008-09	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	अरुणाचल प्रदेश	41.28	25.25	0.00	66.53
2.	असम	2.28	91.64	0.00	93.92
3.	मणिपुर	101.58	12.60	9.33	123.51
4.	मेघालय	0.78	0.00	11.02	11.80
5.	मिजोरम	166.59	146.41	25.76	338.76
6.	नागालैंड	88.31	198.55	0.00	286.86
7.	सिक्किम	32.58	0.00	0.00	32.58
8.	त्रिपुरा	30.00	0.00	100.08	130.08
9.	आंध्र प्रदेश	40.15	19.55	24.14	83.84
10.	बिहार	69.36	1.78	0.00	71.14
11.	छत्तीसगढ़	119.24	178.85	0.00	178.85
12.	दिल्ली	1.82	6.00	17.97	25.79
13.	गोवा	4.13	0.00	0.00	4.13
14.	गुजरात	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	हरियाणा	48.23	29.95	1.63	79.81
16.	हिमाचल प्रदेश	50.56	39.44	47.48	137.48
17.	जम्मू और कश्मीर	0.00	106.30	0.00	106.30

1	2	3	4	5	6
18.	झारखंड	93.00	0.00	0.86	93.86
19.	कर्नाटक	57.09	183.83	22.84	263.76
20.	केरल	50.20	2.40	13.19	65.78
21.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	मध्य प्रदेश	149.45	109.11	55.06	313.62
23.	महाराष्ट्र	168.03	86.51	186.49	273.00
24.	उड़ीसा	199.91	142.69	6.56	349.16
25.	पुडुचेरी	0.00	0.00	7.92	7.92
26.	पंजाब	16.16	15.20	0.00	31.36
27.	राजस्थान	17.56	25.68	38.74	81.98
28.	तमिलनाडु	72.96	45.78	154.75	273.49
29.	उत्तर प्रदेश	51.88	43.93	13.73	109.54
30.	उत्तराखंड	332.72	22.89	1.40	357.01
31.	पश्चिम बंगाल	99.13	2.98	5.28	107.39
32.	नाबार्ड	0.00	250.00	118.33	368.33
33.	एनसीडीसी, दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	मैनेज, हैदराबाद	0.00	7.50	7.50	15.00
	कुल योग	2104.98	1794.82	870.06	4482.58

विवरण II

राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत जैविक खेती में वित्तीय उपलब्धियों का राज्यवार ब्यौरा

(लाख रुपये)

राज्य का नाम	2006-07	2007-08	2008-09	कुल
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	129.77	180.18	754.65	1064.60
बिहार	825.00	766.24	721.44	2312.68
छत्तीसगढ़	1605.00	404.73	1409.94	3419.67
दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5
गोवा	30.12	30.70	27.04	87.86
गुजरात	52.85	83.36	9.27	145.48
हरियाणा	173.52	268.53	753.47	1195.52
झारखंड	0.00	34.52	17.53	52.05
कर्नाटक	631.50	1137.47	1224.19	2993.16
केरल	488.30	658.86	705.60	1852.76
मध्य प्रदेश	371.41	500.13	167.92	1039.46
महाराष्ट्र	1673.16	462.77	763.21	2899.14
उड़ीसा	185.00	106.49	150.15	441.64
पंजाब	75.60	316.48	422.86	814.94
राजस्थान	94.55	217.01	186.52	498.08
तमिलनाडु	366.43	740.79	135.76	1242.98
उत्तर प्रदेश	1221.29	2013.12	1463.38	4697.79
पश्चिम बंगाल	171.40	559.58	187.25	918.23
कुल योग	8094.90	8480.96	9100.18	25676.04

पुलिस स्टेशनों का आधुनिकीकरण

349. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री मधु गौड यास्खी:
श्री मुकेश भैरवदानजी गढ़वी:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में 14,000 पुलिस स्टेशनों/पुलिस चौकियों की कनैक्टिविटी में सुधार लाने और उनकी अपराध से जूझने की क्षमता बढ़ाने हेतु टेलीफोन, फैक्स, कम्प्यूटर और साइबर नेटवर्क जैसे आधुनिक उपकरणों से जोड़ने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर कुल कितनी धनराशि खर्च होने की संभावना है; और

(ग) देश के पुलिस स्टेशनों/पुलिस चौकियों को आधुनिक प्रौद्योगिकी उपकरणों से कब तक जोड़े जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) जी हां, महोदया। अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क प्रणाली (सीसीटीएनएस) परियोजना, जो मिशन मोड परियोजना के रूप में कार्यान्वित किए जाने के लिए प्रस्तावित है, का उद्देश्य वास्तविक समय में ''अपराध जांच एवं अपराधी संसूचन'' की आईटी इनेबल्ड स्टेट आफ दि आर्ट ट्रैकिंग प्रणाली की शुरुआत करने के लिए राष्ट्रव्यापी नेटवर्क अवस्थापना का सृजन करके ई-शासन के सिद्धांतों को अंगीकार करके पुलिस थाना स्तर पर पुलिस व्यवस्था की कार्यकुशलता एवं प्रभावकारिता बढ़ाने के लिए एक व्यापक एवं एकीकृत प्रणाली का सृजन करना है। इस परियोजना के अंतर्गत लगभग 14,000 पुलिस थानों तथा विभिन्न स्तरों पर 6,000 अन्य पुलिस कार्यालयों को कम्प्यूटर नेटवर्क के माध्यम से जोड़ा जाएगा। टेलीफोन अथवा फैक्स इस परियोजना का अंग नहीं हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना में इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत 2,000 करोड़ रुपये है।

(ग) पुलिस थानों को 2010-2011 के अन्त तक जोड़ दिए जाने की संभावना है।

झारखंड में लौह अयस्क खानों का आवंटन

350. श्री निशिकांत दुबे: क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में लौह अयस्क खानों के आबंटन हेतु स्वीकृति प्राप्त करने के लिए झारखंड सरकार से अनेक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन प्रस्तावों का ब्यौरा और स्थिति क्या है तथा ऐसे कितने प्रस्ताव सरकार के पास लम्बित हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने झारखंड में उपलब्ध लौह अयस्क की खोज और दोहन हेतु कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं?

खान मंत्री और उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री बी.के. हान्डिक): (क) और (ख) जी, हां। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान झारखंड सरकार से प्राप्त लौह अयस्क के लिए खनन पट्टों के लिए प्रस्तावों की संख्या और स्थिति निम्नानुसार है:

	वर्ष के शुरू में लंबित	वर्ष के दौरान प्राप्त प्रस्ताव	अनुमोदित प्रस्ताव	वर्ष के अंत में लंबित प्रस्ताव
2006-07	8	1	4	5
2007-08	5	5	5	5
2008-09	5	5	6	4
2009-10 (03.07.2009 तक)	4	0	0	4

लंबित प्रस्तावों के संबंध में स्थिति खान मंत्रालय की वेबसाइट (www.mines.nic.in) में दी गई है।

(ग) और (घ) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई), खान मंत्रालय का अधीनस्थ कार्यालय, ने घाटकुरी ब्लाक, जिला पश्चिम सिंहभूम में लौह अयस्क के गवेषण के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया है। जीएसआई ने प्रचालन शुरू करने से पहले वन अनुमति के लिए आवेदन किया है। जीएसआई द्वारा एक अन्य अन्वेषण जिला पलामु में चुंगा, राजहारा, सोकरा, नावा, दातम, बीवाबाथम क्षेत्रों में शुरू किया गया है। खनिज गवेषण निगम लि. (एमईसीएल), खान मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम, ने भी खान मंत्रालय की ओर से संवर्धनात्मक आधार पर घाटकुरी (पूर्व), जिला पश्चिम सिंहभूम, झारखंड में लौह अयस्क के विस्तृत गवेषण के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया है। एमईसीएल ने प्रचालन शुरू करने से पहले वन अनुमति के लिए आवेदन किया है। इसके अलावा, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के उपबंधों के अनुसार गवेषण और विदोहन का कार्य निजी क्षेत्र और राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा भी किया जाता है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली की निगरानी

351. श्री भर्तृहरि महताब: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में अपने अधिकारियों के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली की निगरानी कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तंत्र का ब्यौरा क्या है और इन अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले कार्य की प्रकृति क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में कोई सिफारिशें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन पर क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थामस): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्रियान्वयन केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा इस संबंध में जिम्मेदारियों की हिस्सेदारी के साथ संयुक्त रूप से किया जाता है।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य स्कीमों के क्रियान्वयन के लिए केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के बीच बेहतर समन्वय करने के लिए 2000 में खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा फील्ड दौरों की व्यवस्था लागू की गई थी। इन अधिकारियों को क्षेत्राधिकारी कहा जाता है। इन्हें राज्य और संघ राज्य क्षेत्र आबंटित किए जाते हैं, जहां वे उचित दर दुकानों, भारतीय खाद्य निगम के डिपुओं का दौरा करके और ऐसी स्कीमों के लाभार्थियों से मिलकर

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य स्कीमों के कार्यकरण के बारे में मूल्यांकन करने के लिए दौरा करते हैं। इन अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले कार्य का ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

क्षेत्राधिकारी की रिपोर्टें इनके निष्कर्षों/सिफारिशों पर उचित कार्रवाई करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को अग्रेषित की जाती है। 2008-09 के दौरान क्षेत्राधिकारियों के निष्कर्ष/सिफारिशों संबंधी ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

विवरण I

क्षेत्राधिकारियों के कर्त्तव्य एवं जिम्मेदारियां:

(1) क्षेत्राधिकारी लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण का निरीक्षण करने के लिए तिमाही में कम से कम एक बार उन्हें आबंटित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का दौरा करेंगे।

(2) प्रत्येक क्षेत्राधिकारी आबंटित राज्य में निरीक्षण के दौरान एक/दो जिलों में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रचालनों का निरीक्षण करेगा। उनके निरीक्षण के औचक स्वरूप और इसके उद्देश्य के लिए सभी क्षेत्राधिकारियों को औचक आधार पर प्रत्येक जिले में कम से कम दो ग्राम पंचायतों का चयन करना चाहिए। राज्य में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यक्रम का मूल्यांकन उचित दर दुकान, भारतीय खाद्य निगम के डिपु, राज्य सरकार के विभाग के उचित दर दुकान को खाद्यान्न जारी करने वाले गोदामों का निरीक्षण करके और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के राशन कार्डधारक परिवारों से बातचीत करके किया जाए।

(3) क्षेत्राधिकारी ऐसे क्षेत्र का चयन करेगा जहां अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और बहुत गरीब श्रेणी की आबादी हो।

(4) क्षेत्राधिकारी उन्हें उपलब्ध कराई गई प्रश्नावली/जांच सूची के अनुसार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण की समीक्षा करेगा।

(5) क्षेत्राधिकारियों से संबंधित क्षेत्र में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण का गहराई से अध्ययन करने की अपेक्षा की जाती है, जिसके लिए वे संबंधित क्षेत्र में मौजूद वास्तविक स्थितियों को ध्यान में रखेंगे और विश्लेषणात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। विपथन/लीकेज की सीमा का आकलन करने और लिए जा रहे मूल्यों को देखने के लिए अधिकारी खाद्यान्नों की प्राप्ति और लिए जा रहे मूल्य के बारे में अंत्योदय अन्न योजना/ गरीबी रेखा से नीचे/गरीबी रेखा से ऊपर के लाभार्थियों का प्रथमत: औचक आधार पर साक्षात्कार करेगा और उसकी उचित दर दुकानों में रखे राज्य के रजिस्टर से क्रास जांच करेगा।

(6) क्षेत्राधिकारी संबंधित राज्य के खाद्य सचिव के पास लंबित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विभाग में विभिन्न प्रभागों से सूचना एकत्र करेगा और उन्हें खाद्य सचिव के साथ उठाएगा।

(7) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के दौरान क्षेत्राधिकारी केन्द्र सरकार द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण के संबंध में खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की चिंताओं से अवगत कराएगा।

(8) क्षेत्राधिकारी एक पखवाड़े के अंदर विभाग को निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

विवरण II

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	क्षेत्राधिकारी के निष्कर्ष/सिफारिश
1	2
2008-09	
पश्चिम बंगाल	गरीबी रेखा से नीचे/अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों को खाद्यान्नों की कम मात्रा दी गई थी। गरीबी रेखा से नीचे के लाभार्थियों से अधिक मूल्य लिया गया। उचित दर दुकानों में लाभार्थियों को खाद्यान्नों का वितरण करने के रिकार्ड के लिए पर्चियां नहीं थीं। ट्रांसपोर्टों/ थोक विक्रेताओं का चयन निविदा प्रक्रिया के जरिए किया जाना चाहिए।
बिहार	लाभार्थियों को खाद्यान्न और मिट्टी का तेल नियमित रूप से नहीं मिल रहा था। सूचियों की समीक्षा करने के बाद गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय अन्न योजना के लिए नए राशन कार्ड जारी नहीं किए गए। भारतीय खाद्य निगम के डिपुओं से खाद्यान्नों का उठान नहीं किया गया है। उचित दर दुकानों द्वारा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जिंसों के अधिक मूल्य लिए गए।

1	2
असम	उचित दर दुकान पर कार्ड दिए बिना लाभार्थियों को खाद्यान्नों का वितरण किया गया। ढुलाई की अतिरिक्त लागत को समायोजित करने के लिए लाभार्थियों को निर्धनतम व्यक्तियों के लिए आबंटित मात्रा से एक किलोग्राम कम खाद्यान्न भी दिए जा रहे थे।
कर्नाटक	उचित दर दुकान में रिकार्ड अद्यतन किया जाए और एसआईओ द्वारा जांच की जाए। राज्य के गोदामों को भारतीय खाद्य निगम द्वारा आपूर्ति किए गए खाद्यान्नों की गुणवत्ता को बनाए रखना चाहिए। उचित दर दुकानें लाभार्थियों के रहने के स्थान से बहुत दूर नहीं होनी चाहिएं। राज्य में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की मासिक समीक्षा बैठकें होनी चाहिएं।
राजस्थान	गरीबी रेखा से नीचे के लाभार्थियों को कम मात्रा में खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा था अर्थात् टोंक में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को 30 किलोग्राम गेहूं, जयपुर जिले में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को 30 किलोग्राम गेहूं दिया जा रहा था।
मध्य प्रदेश	गरीबी रेखा से नीचे के कार्डधारकों को 20 अथवा 30 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जा रहा था। यद्यपि दोनों श्रेणियों 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति परिवार प्रति माह के लिए पात्र हैं। कुछ माह के लिए गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों को खाद्यान्नों की आपूर्ति नहीं की गई है। थोक विक्रेताओं को और परिणामत: उचित दर दुकानों को दो माह में एक बार खाद्यान्नों की आपूर्ति की गई ताकि ढुलाई लागत कम की जा सके। उचित दर दुकानों ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों को निर्गम रसीद जारी नहीं की। यह भी देखा गया कि सतर्कता समिति ने लगभग 6 माह से उचित दर दुकानों का निरीक्षण नहीं किया।
महाराष्ट्र	उचित दर दुकान स्तर के रिकार्ड का मिलान और जांच एसआईओ द्वारा किया जाए। उचित दर दुकान स्तर पर खाद्यान्नों का परिरक्षण उचित रूप से किया जाए ताकि जन्तुबाधा को रोका जा सके। उचित दर दुकान लाभार्थियों के क्षेत्र में हो। भारतीय खाद्य निगम से खाद्यान्न समयबद्ध तरीके से उठाए जाएं। राज्य और जिला स्तर के अधिकारियों के साथ मासिक समीक्षा बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाएं।

[हिन्दी]

राज्य सरकारों से प्राप्त लम्बित विधेयक

352. श्री राधा मोहन सिंह:
श्री हरिन पाठक:
श्री तथागत सत्पथी:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों से स्वीकृति हेतु अनेक विधेयक प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो गुजरात सरकार से प्राप्त गन्ना विधेयक, 1981 तथा गुजरात मोटरयान (ईंधन का प्रयोग) विनियमन विधेयक सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में प्राप्त विधेयकों के राज्यवार नाम क्या हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान स्वीकृत किए गए विधेयकों और सरकार के पास लम्बित विधेयकों का अलग-अलग राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) लम्बित विधेयकों को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) जी हां, महोदया।

(ख) और (ग) जनवरी, 2006 से राष्ट्रपति के अनुमोदन अथवा सहमति के लिए प्राप्त विधेयकों की राज्य-वार सूची वाला ब्यौरा, जिसमें प्रत्येक विधेयक की स्थिति का उल्लेख है, संलग्न विवरण में है।

इस मंत्रालय में किसी भी राज्य सरकार से कोई भी विधेयक अर्थात् गन्ना विधेयक, 1981 प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, राज्य विधानमंडल द्वारा यथापारित और भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए बिहार के राज्यपाल द्वारा सुरक्षित रखे गए बिहार गन्ना (आपूर्ति और खरीद विनियमन) अधिनियम, 1981 में संशोधन के लिए प्रस्तावित बिहार गन्ना (आपूर्ति और खरीद विनियमन) विधेयक, 2007 नामक एक विधेयक इस मंत्रालय में प्राप्त हुआ है।

गुजरात मोटर वाहन (ईंधन का प्रयोग) विनियमन विधेयक, 2005 भी राज्य विधान मंडल में प्रस्तुत किए जाने से पहले भारत सरकार के अनुमोदन के लिए प्राप्त हुआ है।

(घ) राज्य विधानों की तीन दृष्टिकोणों से जांच की जाती है अर्थात् (क) केन्द्रीय कानूनों के साथ प्रतिकूलता (ख) राष्ट्रीय अथवा केन्द्रीय नीति से विचलन तथा (ग) कानूनी और संविधानिक मान्यता। जब कभी आवश्यक होता है राज्य सरकारों को उक्त ध्यान में रखकर ऐसे विधायनों के प्रावधानों को आशोधित/संशोधित करने की सलाह दी जाती है। किसी भी निर्णय पर शीघ्रता से पहुंचने की दृष्टि से राज्य सरकारों और भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के साथ विचार-विमर्श भी किया जाता है। इसीलिए इस संबंध में कोई समय-सीमा नियत नहीं की जा सकती।

विवरण

जनवरी, 2006 से प्राप्त राज्य विधेयकों की सूची

क्र.सं.	राज्य का नाम	विधायन का नाम	वर्तमान स्थिति– अंतिम रूप दिया गया/लम्बित
1	2	3	4
		वर्ष 2006	
1.	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश सरकारी संपत्ति (परिरक्षण, संरक्षण और पुनर्ग्रहण) अध्यादेश, 2006	अंतिम रूप दिया गया
2.	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश चिट फंड (संशोधन) अध्यादेश, 2006	अंतिम रूप दिया गया
3.	आंध्र प्रदेश	पंजीकरण (आंध्र प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 2006	अंतिम रूप दिया गया
4.	आंध्र प्रदेश	पंजीकरण (आंध्र प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2006	अंतिम रूप दिया गया
5.	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश वन (संशोधन) विधेयक, 2006	अंतिम रूप दिया गया
6.	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश वन (संशोधन) विधेयक, 2006	लम्बित
7.	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश समुद्री बोर्ड विधेयक, 2006	लम्बित
8.	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश विशेष आर्थिक क्षेत्र विधेयक, 2005	लम्बित
9.	आंध्र प्रदेश	औद्योगिक विवाद (आंध्र प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2005	अंतिम रूप दिया गया
10.	अरुणाचल प्रदेश	–	–
11.	असम	असम अपार्टमेंट्स (निर्माण और स्वामित्व हस्तांतरण), विधेयक, 2006	अंतिम रूप दिया गया
12.	बिहार	–	–
13.	छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय (खंड पीठ को अपील), विधेयक, 2005	अंतिम रूप दिया गया
14.	छत्तीसगढ़	आपराधिक प्रक्रिया संहिता (छत्तीसगढ़ संशोधन), विधेयक, 2005	अंतिम रूप दिया गया
15.	छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा विधेयक, 2005	अंतिम रूप दिया गया
16.	छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़ निक्षेपकर्त्ताओं के हितों का संरक्षण विधेयक, 2005	अंतिम रूप दिया गया

1	2	3	4
17.	छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय विधेयक, 2006	अंतिम रूप दिया गया
18.	छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़ सहकारी समिति विधेयक, 2006	लम्बित
19.	गोवा	–	–
20.	गुजरात	–	–
21.	हरियाणा	पंजाब कृषि उत्पाद विपणन (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2005	अंतिम रूप दिया गया
22.	हरियाणा	हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2006	अंतिम रूप दिया गया
23.	हरियाणा	हरियाणा सरकारी परिसर और भूमि (बेदखली और किराया वसूली) संशोधन विधेयक, 2006	लम्बित
24.	हिमाचल प्रदेश	शिमला सड़क प्रयोक्ता और पैदल यात्री (लोक सुरक्षा और सुविधा) विधेयक, 2006	अंतिम रूप दिया गया
25.	हिमाचल प्रदेश	आपराधिक प्रक्रिया संहिता (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2006	लम्बित
26.	हिमाचल प्रदेश	आपराधिक कानून (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2006	अंतिम रूप दिया गया
27.	झारखंड	आपराधिक प्रक्रिया संहिता (झारखंड संशोधन) विधेयक, 2006	अंतिम रूप दिया गया
28.	कर्नाटक	औद्योगिक रोजगार (स्थाई आदेश) (कर्नाटक संशोधन) विधेयक, 2006	अंतिम रूप दिया गया
29.	कर्नाटक	कर्नाटक मोलेसेज विनियमन विधेयक, 2004	अंतिम रूप दिया गया
30.	केरल	मानवाधिकार संरक्षण (केरल संशोधन) अध्यादेश, 2005	अंतिम रूप दिया गया
31.	केरल	केरल (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) सामुदायिक प्रमाण-पत्र निर्गम विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2006	लम्बित
32.	केरल	मोटर वाहन (केरल संशोधन) अध्यादेश, 2006	अंतिम रूप दिया गया
33.	केरल	आपराधिक प्रक्रिया संहिता (केरल संशोधन) अध्यादेश, 2006	अंतिम रूप दिया गया
34.	केरल	सेवा कोटे के तहत स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में केरल चिकित्सा अधिकारी का प्रवेश विधेयक, 2006	अंतिम रूप दिया गया
35.	केरल	श्री पंडरवक भूमि (वेस्टिंग एंड एंफ्रेचाइसमेंट) संशोधन विधेयक, 2006	अंतिम रूप दिया गया
36.	केरल	केरल भूमि सुधार (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2004	अंतिम रूप दिया गया
37.	केरल	बेदखली कार्यवाही स्थागन विधेयक, 2004	अंतिम रूप दिया गया
38.	मध्य प्रदेश	आपराधिक प्रक्रिया संहिता (मध्य प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2005	अंतिम रूप दिया गया
39.	मध्य प्रदेश	मोटर वाहन (मध्य प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2005	अंतिम रूप दिया गया
40.	मध्य प्रदेश	भारतीय वन (मध्य प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2005	अंतिम रूप दिया गया

1	2	3	4
41.	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय (खंड न्यायपीठ को अपील) विधेयक, 2005	अंतिम रूप दिया गया
42.	मध्य प्रदेश	मोटर वाहन (मध्य प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2005	अंतिम रूप दिया गया
43.	मध्य प्रदेश	औद्योगिक विवाद (मध्य प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2006	अंतिम रूप दिया गया
44.	महाराष्ट्र	आपराधिक प्रक्रिया संहिता (महाराष्ट्र संशोधन) विधेयक, 2006	अंतिम रूप दिया गया
45.	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र विशेष आर्थिक क्षेत्र और पद नामित क्षेत्र विधेयक, 2006	अंतिम रूप दिया गया
46.	महाराष्ट्र	अनाथालय और अन्य धर्मार्थ गृह (पर्यवेक्षण और नियंत्रण), विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूरी भागीदारी) और भवन और अन्य निर्माण कामगार (रोजगार और सेवा शर्तों का विनियमन) (महाराष्ट्र संशोधन) विधेयक, 2006	लम्बित
47.	महाराष्ट्र	बम्बई किराएदारी और कृषि भूमि (संशोधन) विधेयक, 2005	अंतिम रूप दिया गया
48.	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग विधेयक, 2005	अंतिम रूप दिया गया
49.	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र देवदासी व्यवस्था (निरसन) विधेयक, 2005	अंतिम रूप दिया गया
50.	महाराष्ट्र	फैक्ट्रीज (महाराष्ट्र संशोधन) विधेयक, 2006	अंतिम रूप दिया गया
51.	महाराष्ट्र	खाद्य पदार्थ मिलावट निवारण (महाराष्ट्र संशोधन) विधेयक, 2006	अंतिम रूप दिया गया
52.	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र कृषि उत्पाद विपणन (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2006	अंतिम रूप दिया गया
53.	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र अग्नि निवारण और जीवन रक्षा उपाय विधेयक, 2006	अंतिम रूप दिया गया
54.	मणिपुर	विद्युत (मणिपुर संशोधन) विधेयक, 2006	अंतिम रूप दिया गया
55.	मणिपुर	निक्षेपकर्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय संस्थानों में) विधेयक, 2004	अंतिम रूप दिया गया
56.	मणिपुर	मणिपुर राज्य महिला आयोग विधेयक, 2006	अंतिम रूप दिया गया
57.	मणिपुर	मणिपुर राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग विधेयक, 2006	अंतिम रूप दिया गया
58.	मेघालय	मेघालय भूमि अंतरण (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2006	अंतिम रूप दिया गया
59.	मिजोरम	–	–
60.	नागालैंड	–	–
61.	उड़ीसा	नागरिक प्रक्रिया संहिता (उड़ीसा संशोधन), विधेयक, 2006	अंतिम रूप दिया गया
62.	उड़ीसा	उड़ीसा भू-जल (विकास और प्रबंधन का विनियमन और नियंत्रण) विधेयक, 2006	अंतिम रूप दिया गया

1	2	3	4
63.	उड़ीसा	उड़ीसा विशेष अदालत विधेयक, 2006	अंतिम रूप दिया गया
64.	पंजाब	मोटर वाहन (पंजाब संशोधन) विधेयक, 2006	अंतिम रूप दिया गया
65.	पंजाब	पंजाब स्व-सहायता सहकारी समितियां विधेयक, 2006	अंतिम रूप दिया गया
66.	पंजाब	आपराधिक प्रक्रिया संहिता (पंजाब संशोधन) विधेयक, 2006	अंतिम रूप दिया गया
67.	राजस्थान	भारतीय साझेदारी (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2006	अंतिम रूप दिया गया
68.	राजस्थान	राजस्थान संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2006	लम्बित
69.	राजस्थान	राजस्थान उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2006	अंतिम रूप दिया गया
70.	राजस्थान	राजस्थान संपत्ति विरूपण निवारण विधेयक, 2006	अंतिम रूप दिया गया
71.	सिक्किम	सिक्किम चिकित्सा पंजीकरण विधेयक, 2005	अंतिम रूप दिया गया
72.	सिक्किम	सिक्किम सार्वजनिक मांग वसूली विधेयक, 2006	अंतिम रूप दिया गया
73.	तमिलनाडु	फैक्टरी (तमिलनाडु संशोधन) विधेयक, 2005	अंतिम रूप दिया गया
74.	तमिलनाडु	भारतीय दंड संहिता तथा दांडिक प्रक्रिया संहिता (तमिलनाडु संशोधन) विधेयक, 2006	लंबित
75.	तमिलनाडु	तमिलनाडु पेशेवर शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश और शुल्क निर्धारण विनियमन) विधेयक, 2006	लंबित
76.	तमिलनाडु	भारतीय स्टैम्प और पंजीकरण (तमिलनाडु संशोधन) विधेयक, 2006	अंतिम रूप दिया गया
77.	त्रिपुरा	त्रिपुरा सतर्कता आयोग विधेयक, 1991	अंतिम रूप दिया गया
78.	उत्तराखंड	राजस्व वसूली (उत्तराखंड संशोधन) विधेयक, 2006	लंबित
79.	उत्तर प्रदेश	–	–
80.	पश्चिम बंगाल	नया शहर कोलकाता विकास प्राधिकरण अध्यादेश, 2005	अंतिम रूप दिया गया
81.	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल प्रशासनिक (विद्यालय विवाद अधिनियम) आयोग विधेयक, 2006	अंतिम रूप दिया गया
82.	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल नगर निगम विधेयक, 2006	अंतिम रूप दिया गया
83.	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल सहकारिता सोसायटी विधेयक, 2006	लंबित
		वर्ष 2007	
1.	आंध्र प्रदेश	भूमि अधिग्रहण (आंध्र प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 2007	अंतिम रूप दिया गया
2.	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश सार्वजनिक सम्पत्ति (क्षति की रोकथाम तथा हानि की वसूली) विधेयक, 2006	अंतिम रूप दिया गया
3.	आंध्र प्रदेश	भूमि अधिग्रहण (आंध्र प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2007	अंतिम रूप दिया गया

1	2	3	4
4.	आंध्र प्रदेश	औद्योगिक विवाद (आंध्र प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2007	अंतिम रूप दिया गया
5.	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2006	लंबित
6.	आंध्र प्रदेश	दांडिक कानून (आंध्र प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2007	लंबित
7.	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश दांडिक सामुदायिक सेवा विधेयक, 2007	लंबित
8.	आंध्र प्रदेश	आपराधिक प्रक्रिया संहिता (आंध्र प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2006	अंतिम रूप दिया गया
9.	आंध्र प्रदेश	पंजीकरण (आंध्र प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2006	अंतिम रूप दिया गया
10.	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश सरकारी सम्पत्ति (परिरक्षण, संरक्षण तथा पुनर्ग्रहण) विधेयक, 2006	अंतिम रूप दिया गया
11.	अरुणाचल प्रदेश	–	–
12.	असम	असम प्रवेश कर (संशोधन और प्रमाणिकरण) विधेयक, 2007	अंतिम रूप दिया गया
13.	असम	असम ग्रेच्युटी (संशोधन) विधेयक, 2006	अंतिम रूप दिया गया
14.	असम	असम चाय बागान प्रोविडेन्ट फन्ड और पेंशन फन्ड तथा डिपोसिट लिंक्ड इन्शोयरेन्स फंड स्कीम (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007	अंतिम रूप दिया गया
15.	असम	असम सहकारिता सोसायटी विधेयक, 2007	लंबित
16.	असम	औद्योगिक विवाद (असम संशोधन) विधेयक, 2007	अंतिम रूप दिया गया
17.	बिहार	बिहार गन्ना (आपूर्ति और खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2007	लंबित
18.	छत्तीसगढ़	भारतीय स्टैम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2006	अंतिम रूप दिया गया
19.	गोवा	गोवा लोकायुक्त विधेयक, 2003	लंबित
20.	गुजरात	बम्बई किरायेदारी तथा कृषि भूमि (गुजरात संशोधन) विधेयक, 2007	अंतिम रूप दिया गया
21.	गुजरात	गुजरात अचल संपत्ति का अंतरण निषेध और अशांत क्षेत्रों में किरायेदार के परिसर खाली करने के संरक्षण का प्रावधान (संशोधन) विधेयक, 2007	अंतिम रूप दिया गया
22.	गुजरात	पंजीकरण (गुजरात संशोधन) विधेयक, 2006	अंतिम रूप दिया गया
23.	हरियाणा	हरियाणा पुलिस अध्यादेश, 2006	अंतिम रूप दिया गया
24.	हरियाणा	हरियाणा पुलिस विधेयक, 2007	अंतिम रूप दिया गया
25.	हिमाचल प्रदेश	आपराधिक प्रक्रिया संहिता (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2006	अंतिम रूप दिया गया
26.	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2007	अंतिम रूप दिया गया

1	2	3	4
27.	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश विशिष्ट भ्रष्ट प्रथा निवारण (संशोधन) विधेयक, 2007	अंतिम रूप दिया गया
28.	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश किरायेदारी तथा भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक, 2006	अंतिम रूप दिया गया
29.	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2007	अंतिम रूप दिया गया
30.	हिमाचल प्रदेश	शिमला सड़क प्रयोगकर्ता और पदयात्री (लोक सुरक्षा और सुविधा) विधेयक, 2007	अंतिम रूप दिया गया
31.	झारखंड	झारखंड विवाह पंजीकरण विधेयक, 2006	लंबित
32.	कर्नाटक	कर्नाटक भू कबालिका (निषेध) विधेयक, 2007	लंबित
33.	कर्नाटक	कर्नाटक स्टैम्प (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007	अंतिम रूप दिया गया
34.	कर्नाटक	चिट फंड (कर्नाटक संशोधन) विधेयक, 2007	अंतिम रूप दिया गया
35.	केरल	स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर केरल कर विधेयक, 2007	लंबित
36.	केरल	औद्योगिक विवाद (केरल संशोधन) विधेयक, 2007	अंतिम रूप दिया गया
37.	केरल	दांडिक प्रक्रिया संहिता (केरल संशोधन) विधेयक, 2007	अंतिम रूप दिया गया
38.	केरल	त्रावणकोर-कोचिन हिन्दू धार्मिक संस्थान (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007	अंतिम रूप दिया गया
39.	केरल	केरल रेकोगनिशन आफ ट्रेड यूनियन विधेयक, 2007	अंतिम रूप दिया गया
40.	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2007	लंबित
41.	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश वन उपज (व्यापार विनियमन) संशोधन विधेयक, 2006	अंतिम रूप दिया गया
42.	मध्य प्रदेश	दांडिक प्रक्रिया संहिता (मध्य प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2007	अंतिम रूप दिया गया
43.	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश तेंदु पत्ता (व्यापार विनियमन) संशोधन विधेयक, 2007	अंतिम रूप दिया गया
44.	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्र (संशोधन) विधेयक, 2006	लंबित
45.	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र स्लम लार्डस, बुट लैगर्स, ड्रग ओफेन्डर तथा खतरनाक व्यक्ति निवारण (संशोधन) अध्यादेश, 2007	अंतिम रूप दिया गया
46.	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र उच्च न्यायालय (डिवीजन बैंच द्वारा रिट याचिका सुनवाई तथा लैटर्स पेटेन्ट अपील सभारित) (संशोधन) विधेयक, 2007	अंतिम रूप दिया गया
47.	महाराष्ट्र	आपराधिक प्रक्रिया संहिता (महाराष्ट्र संशोधन) विधेयक, 2006	लंबित
48.	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र स्वामित्व फ्लेट्स (निर्माण, क्रय, प्रबंधन तथा स्थानांतरण प्रोत्साहन विनियमन) संशोधन विधेयक, 2005	अंतिम रूप दिया गया

1	2	3	4
49.	महाराष्ट्र	दांडिक प्रक्रिया संहिता (महाराष्ट्र संशोधन) विधेयक, 2007	अंतिम रूप दिया गया
50.	मणिपुर	दांडिक कानून (मणिपुर संशोधन) विधेयक, 2007	लंबित
51.	मणिपुर	विद्युत (मणिपुर संशोधन) विधेयक, 2007	लंबित
52.	मेघालय	–	
53.	मिजोरम	–	
54.	नागालैंड	–	
55.	उड़ीसा	भारतीय स्टैम्प (उड़ीसा संशोधन) विधेयक, 2007	अंतिम रूप दिया गया
56.	पंजाब	–	
57.	राजस्थान	राजस्थान सहकारिता सोसायटी (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2007	लंबित
58.	राजस्थान	भारतीय पार्टनरशिप (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2006	अंतिम रूप दिया गया
59.	राजस्थान	राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2006	अंतिम रूप दिया गया
60.	सिक्किम	सिक्किम वन, जल कोर्सेस तथा सड़क राजस्व (परिरक्षण और संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2007	अंतिम रूप दिया गया
61.	तमिलनाडु	तमिलनाडु में व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान प्रवेश विधेयक, 2006	अंतिम रूप दिया गया
62.	तमिलनाडु	फैक्ट्री (तमिलनाडु संशोधन) विधेयक, 2007	अंतिम रूप दिया गया
63.	तमिलनाडु	तमिलनाडु विश्वविद्यालय नियम (संशोधन) विधेयक, 2002	अंतिम रूप दिया गया
64.	त्रिपुरा	–	
65.	उत्तराखण्ड	–	
66.	उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर विधेयक, 2007	अंतिम रूप दिया गया
67.	उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अध्यादेश, 2007	अंतिम रूप दिया गया
68.	उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता विधेयक, 2006	लंबित
69.	उत्तर प्रदेश	माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2007	अंतिम रूप दिया गया
70.	उत्तर प्रदेश	दांडिक प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2007	लंबित
71.	पश्चिम बंगाल	पश्चिमी बंगाल स्कूल (मेपींग और प्लानिंग) और प्राइवेट स्कूल (विविध प्रावधान) विधेयक, 2007	अंतिम रूप दिया गया
72.	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल चिकित्सा परिषद विधेयक, 2007	अंतिम रूप दिया गया
73.	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2007	अंतिम रूप दिया गया
74.	पश्चिम बंगाल	न्यू टाऊन कोलकाता विकास प्राधिकरण विधेयक, 2007	अंतिम रूप दिया गया

1	2	3	4
75.	पश्चिम बंगाल	औद्योगिक विवाद (पश्चिम बंगाल संशोधन) विधेयक, 2007	अंतिम रूप दिया गया
76.	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल संपदा अधिग्रहण (संशोधन) विधेयक, 2007	अंतिम रूप दिया गया
		वर्ष 2008	
1.	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश भूमि सुधार (कृषि जोत संबंधी अधिकतम सीमा) (संशोधन) अध्यादेश, 2008	लंबित
2.	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश निषेध (संशोधन) विधेयक, 2007	अंतिम रूप दिया गया
3.	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश वन (संशोधन) विधेयक, 2007	लंबित
4.	आंध्र प्रदेश	औद्योगिक विवाद (आंध्र प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2008	अंतिम रूप दिया गया
5.	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश न्यायालय फीस और मुकदमा मूल्यांकन (संशोधन) विधेयक, 2007	लंबित
6.	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश चिट फंड (संशोधन) विधेयक, 2007	अंतिम रूप दिया गया
7.	आंध्र प्रदेश	भूमि अधिग्रहण (आंध्र प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2007	अंतिम रूप दिया गया
8.	आंध्र प्रदेश	औद्योगिक विवाद (आंध्र प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2008	अंतिम रूप दिया गया
9.	अरुणाचल प्रदेश	–	
10.	असम	असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2007	लंबित
11.	असम	पंजीकरण (असम संशोधन) विधेयक, 2008	अंतिम रूप दिया गया
12.	बिहार	–	
13.	छत्तीसगढ़	भारतीय दंड संहिता (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2009	लंबित
14.	छत्तीसगढ़	दांडिक प्रक्रिया संहिता (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2008	लंबित
15.	छत्तीसगढ़	दांडिक प्रक्रिया संहिता (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2008	लंबित
16.	गोवा	पंजीकरण (गोवा संशोधन) विधेयक, 2008	लंबित
17.	गुजरात	पंजीकरण (गुजरात संशोधन) विधेयक, 2008	अंतिम रूप दिया गया
18.	हरियाणा	–	
19.	हिमाचल प्रदेश	भारतीय वन (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2008	लंबित
20.	हिमाचल प्रदेश	शिमला सड़क प्रयोक्ता और पैदल यात्री (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन विधेयक, 2008	अंतिम रूप दिया गया
21.	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश विशिष्ट भ्रष्ट आचरण (संशोधन) विधेयक, 2008	अंतिम रूप दिया गया
22.	झारखंड	बंगाल, आगरा और असम सिविल कोर्ट (झारखंड संशोधन) विधेयक, 2007	लंबित

1	2	3	4
23.	कर्नाटक	कर्नाटक देवदासी (समर्पण निषेध) (संशोधन) अध्यादेश, 2008	लंबित
24.	केरल	केरल मेडिकल ओफिसर एडिमिसन टू पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स अंडर सर्विस कोटा ओर्डिनेंस, 2008	अंतिम रूप दिया गया
25.	केरल	त्रिपुवरम पेमेंट (अबोलिशन) अमेंडमेंट बिल, 2008	अंतिम रूप दिया गया
26.	केरल	केरल मेडिकल ओफिसर एडिमिसन टू पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स अंडर सर्विस कोटा ओर्डिनेंस, 2007	अंतिम रूप दिया गया
27.	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश आतंकवादी एवं उच्छेदक गतिविधियां तथा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2007	लंबित
28.	मध्य प्रदेश	औद्योगिक विवाद (मध्य प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2007	अंतिम रूप दिया गया
29.	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश मोटर यान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2007	अंतिम रूप दिया गया
30.	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश स्टेम्प बिल, 2008	लंबित
31.	मध्य प्रदेश	पंजीकरण (मध्य प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2008	अंतिम रूप दिया गया
32.	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र विशेष आर्थिक जोन और निर्दिष्ट क्षेत्र अध्यादेश, 2008	लंबित
33.	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र मनी लेंडिंग (रेगुलेशन) ओर्डिनेंस, 2008	लंबित
34.	महाराष्ट्र	भारतीय दंड संहिता (महाराष्ट्र संशोधन) विधेयक, 2008	लंबित
35.	महाराष्ट्र	दांडिक प्रक्रिया संहिता (महाराष्ट्र संशोधन) विधेयक, 2008	लंबित
36.	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र हाऊसिंग सेक्टर रेग्युलेटरी कमीशन बिल, 2008	लंबित
37.	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र उच्च न्यायालय (डिवीजन बेंच द्वारा रिट पेटीशन की सुनवाई और लेटर्स पेटेंट अपील की समाप्ति) (संशोधन) विधेयक, 2008	अंतिम रूप दिया गया
38.	मणिपुर	मणिपुर अनिवार्य विवाह पंजीकरण विधेयक, 2008	लंबित
39.	मेघालय	–	
40.	मिजोरम	–	
41.	नागालैंड	–	
42.	उड़ीसा	दांडिक प्रक्रिया संहिता (उड़ीसा संशोधन) अध्यादेश, 2008	अंतिम रूप दिया गया
43.	उड़ीसा	भारतीय स्टैम्प (उड़ीसा संशोधन) विधेयक, 2008	अंतिम रूप दिया गया
44.	पंजाब	दांडिक प्रक्रिया संहिता (पंजाब संशोधन) अध्यादेश, 2007	अंतिम रूप दिया गया
45.	पंजाब	पंजाब आवश्यक विवाह पंजीकरण विधेयक, 2008	लंबित
46.	राजस्थान	राजस्थान गोजातिय पशु (जानवरों को काटने पर निषेध और अस्थायी प्रवासी और निर्यात पर नियंत्रण) (संशोधन) विधेयक, 2008	लंबित

1	2	3	4
47.	राजस्थान	राजस्थान अपार्टमेंट ओनरशिप विधेयक, 2008	लंबित
48.	राजस्थान	राजस्थान स्टेम्प (संशोधन) विधेयक, 2008	लंबित
49.	राजस्थान	राजस्थान धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2008	लंबित
50.	सिक्किम	सिक्किम स्थानीय रोजगार उन्नयन विधेयक, 2008	लंबित
51.	सिक्किम	सिक्किम नर्स, मिडवाइफ एंड हेल्थ विजिटर विधेयक, 2008	लंबित
52.	सिक्किम	सिक्किम (कोस्टीचुशन आफ स्पेशल इको टास्क फोरस्ट गार्ड) विधेयक, 2008	लंबित
53.	सिक्किम	सिक्किम वन, जल स्रोत और सड़क अनुरक्षण (संरक्षण और अनुरक्षण) संशोधन विधेयक, 2008	लंबित
54.	तमिलनाडु	ठेका मजदूर (विनियमन एवं उन्मूलन) (तमिलनाडु संशोधन) विधेयक, 2008	अंतिम रूप दिया गया
55.	तमिलनाडु	पंजीकरण (तमिलनाडु संशोधन) विधेयक, 2008	अंतिम रूप दिया गया
56.	तमिलनाडु	भवन और अन्य निर्माण मजदूर (रोजगार का विनियमन तथा सेवाओं की स्थिति) और भवन तथा अन्य निर्माण मजदूर कल्याण नियम (तमिलनाडु संशोधन) विधेयक, 2008	लंबित
57.	तमिलनाडु	पंजीकरण (तमिलनाडु दूसरा संशोधन) विधेयक, 2008	लंबित
58.	तमिलनाडु	पंजीकरण (तमिलनाडु तृतीय संशोधन) विधेयक, 2008	अंतिम रूप दिया गया
59.	तमिलनाडु	औद्योगिक विवाद (तमिलनाडु संशोधन) विधेयक, 2008	अंतिम रूप दिया गया
60.	तमिलनाडु	औद्योगिक रोजगार (स्थगन आदेश) (तमिलनाडु संशोधन) विधेयक, 2008	लंबित
61.	तमिलनाडु	मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर (तमिलनाडु संशोधन) विधेयक, 2008	लंबित
62.	तमिलनाडु	पंजीकरण (तमिलनाडु संशोधन) विधेयक, 2008	अंतिम रूप दिया गया
63.	तमिलनाडु	तमिलनाडु भूमि सुधार (भूमि पर अधिकतम सीमा निर्धारण) संशोधन विधेयक, 2008	लंबित
64.	त्रिपुरा	–	
65.	उत्तराखंड	–	
66.	उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश संगठित अपराध नियम विधेयक, 2007	लंबित
67.	उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश स्टेम्प बिल, 2008	लंबित
68.	पश्चिम बंगाल	औद्योगिक विवाद (पश्चिम बंगाल संशोधन) विधेयक, 2008	लंबित
69.	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल प्रशासन (विद्यालय विवादों का न्याय निर्णयन) आयोग विधेयक, 2008	लंबित

1	2	3	4
		वर्ष 2009	
1.	आंध्र प्रदेश	औद्योगिक विवाद (आंध्र प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2008	लंबित
2.	आंध्र प्रदेश	ठेकेदारी मजदूरी (विनियमन और निरसन) (आंध्र प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2009	लंबित
3.	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2009	लंबित
4.	अरुणाचल प्रदेश	–	
5.	असम	असम चाय बागान (भविष्य निधि और पेंशन निधि और निक्षेप से जुड़ी बीमा निधि) योजना (संशोधन) विधेयक, 2009	अंतिम रूप दिया गया
6.	असम	पंजीकरण (असम संशोधन) विधेयक, 2009	लंबित
7.	असम	असम निवारक नजरबंदी (संशोधन) विधेयक, 2009	लंबित
8.	बिहार	बिहार विशेष अदालत विधेयक, 2009	लंबित
9.	छत्तीसगढ़	–	–
10.	गोवा	पंजीकरण (गोवा संशोधन) विधेयक, 2009	लंबित
11.	गुजरात	बम्बई किरायेदारी और कृषि भूमि (गुजरात संशोधन) विधेयक, 2009	अंतिम रूप दिया गया
12.	हरियाणा	आपराधिक प्रक्रिया संहिता (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2008	लंबित
13.	हरियाणा	हरियाणा श्री माता मंसा देवी धर्मस्थल (संशोधन) विधेयक, 2009	लंबित
14.	हरियाणा	हरियाणा श्री कपाल मोचन, श्रीबद्री नारायण, श्री मंत्र देवी और श्री केदार नाथ धर्मस्थल विधेयक, 2009	लंबित
15.	हिमाचल प्रदेश	–	–
16.	जम्मू और कश्मीर	जम्मू और कश्मीर संविधान (चौतीसवां संशोधन) विधेयक, 2009	लंबित
17.	झारखंड	विधि में राष्ट्रीय अध्ययन और अनुसंधान विश्वविद्यालय रांची, अध्यादेश, 2009	लंबित
18.	झारखंड	झारखंड विशेष आर्थिक क्षेत्र विधेयक, 2007	लंबित
19.	कर्नाटक	कर्नाटक देवदासी (समर्पण निषेध) (संशोधन) विधेयक, 2009	लंबित
20.	केरल	भारतीय साझेदारी (केरल संशोधन) विधेयक, 2008	लंबित
21.	केरल	पंजीकरण (केरल संशोधन) विधेयक, 2008	अंतिम रूप दिया गया
22.	केरल	बगान मजदूर (केरल संशोधन) विधेयक, 2009	लंबित
23.	मध्य प्रदेश	–	–

1	2	3	4
24.	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र क्षेत्रीय और टाउन योजना (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2009	लंबित
25.	महाराष्ट्र	पंजीकरण (महाराष्ट्र संशोधन) विधेयक, 2009	लंबित
26.	महाराष्ट्र	बम्बई प्राथमिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2009	लंबित
27.	महाराष्ट्र	मुम्बई नगर पालिका, बम्बई प्रादेशिक नगर निगम, नागपुर शहर निगम, बम्बई पुलिस और महाराष्ट्र नगर पालिका परिषद, नागपुर पंचायत और औद्योगिक टाउनशिप (संशोधन) विधेयक, 2009	लंबित
28.	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र भू-जल (विकास और प्रबंधन) विधेयक, 2009	लंबित
29.	मणिपुर	मणिपुर अल्पसंख्यक आयोग विधेयक, 2009	लंबित
30.	मणिपुर	मणिपुर चिकित्सा परिषद विधेयक, 2008	लंबित
31.	मेघालय	औद्योगिक विवाद (मेघालय संशोधन) विधेयक, 2009	अंतिम रूप दिया गया
32.	मिजोरम	–	–
33.	नागालैंड	–	–
34.	उड़ीसा	उड़ीसा उत्पाद शुल्क विधेयक, 2008	लंबित
35.	पंजाब	आपराधिक प्रक्रिया संहिता (पंजाब संशोधन) विधेयक, 2008	लंबित
36.	पंजाब	भारतीय दंड संहिता (पंजाब संशोधन) विधेयक, 2008	लंबित
37.	पंजाब	औद्योगिक विवाद (पंजाब संशोधन) विधेयक, 2009	लंबित
38.	राजस्थान	–	–
39.	सिक्किम	–	–
40.	तमिलनाडु	–	–
41.	त्रिपुरा	त्रिपुरा राज्य अल्पसंख्यक आयोग विधेयक, 2008	लंबित
42.	त्रिपुरा	त्रिपुरा लोकायुक्त विधेयक, 2008	लंबित
43.	त्रिपुरा	औद्योगिक विवाद (त्रिपुरा संशोधन) विधेयक, 2009	लंबित
44.	त्रिपुरा	आपराधिक प्रक्रिया संहिता (त्रिपुरा आठवां संशोधन) विधेयक, 2009	लंबित
45.	उत्तराखंड	–	–
46.	उत्तर प्रदेश	–	–
47.	पश्चिम बंगाल	–	–

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की समीक्षा

353. श्री जय प्रकाश अग्रवाल: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं की सूची में वर्तमान में कितनी वस्तुएं शामिल हैं;

(ख) क्या सरकार द्वारा आर्थिक उदारीकरण के आलोक में उक्त अधिनियम की प्रासंगिकता की समीक्षा की गयी है/समीक्षा किए जाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें क्या प्रगति हुई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थामस): (क) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में पिछली बार 2006 में संशोधन किया गया था। संशोधित अधिनियम के अनुसार आवश्यक वस्तुओं की संख्या 7 है और इनको अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया है। ये वस्तुएं इस प्रकार हैं:-

(1) औषधियां

(2) उर्वरक, जैव, अजैव और मिश्रित

(3) तिलहनों और तेलों सहित खाद्य पदार्थ

(4) पूर्णत: सूत से बना हैंक धागा

(5) पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद

(6) कच्चा जूट और जूट के वस्त्र

(7) (1) खाद्य फसलों के बीज और फलों तथा सब्जियों के बीज; (2) पशु चारे के बीज; और (3) जूट के बीज

(ख) अधिनियम में संशोधन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

राज्य राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्गों में परिवर्तित किया जाना

354. श्री बलीराम जाधव:
श्री यशवंत लागुरी:

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्य राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्गों में परिवर्तित करने हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में केन्द्र सरकार को राज्यों से राज्य राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने/उन्नयन करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा किन राज्य सड़क परियोजनाओं हेतु उन्नयन का कार्य स्वीकृत किया गया है और परियोजनाओं के निष्पादन हेतु प्रस्ताव-वार कितना वार्षिक आबंटन किया गया है; और

(घ) राज्य सड़कों का राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में उन्नयन नहीं किए जाने के प्रस्ताव-वार कारण क्या हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर आर.पी.एन. सिंह): (क) राज्यीय राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में परिवर्तित करने के लिए एक ग्यारह सूत्रीय मानदंड निर्धारित किया गया है। इन मानदंडों की एक प्रति संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) और (ग) गत तीन वर्षों में और चालू वर्ष के दौरान प्राप्त प्रस्तावों का समेकित ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है क्योंकि ब्यौरे वर्ष-वार नहीं रखे जाते। राज्यीय सड़कों, जिन्हें गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है, का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है। राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए धनराशि का आबंटन एकमुश्त राशि के रूप में किया जाता है। नए राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए धनराशि का अलग से आबंटन नहीं किया जाता।

(घ) इस समय धन के अभाव के कारण और सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित करने की बजाए विद्यमान राष्ट्रीय राजमार्गों को अपेक्षित मानकों के अनुरूप बनाने पर बल दिया जा रहा है।

विवरण I

राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने के मापदंड

1. ऐसी सड़कें जो देश में एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाती हों।

2. पड़ोसी देशों को जोड़ने वाली सड़कें।

3. राष्ट्रीय राजधानी को राज्य की राजधानी के साथ जोड़ने वाली सड़कें और राज्यों की राजधानियों को आपस में जोड़ने वाली सड़कें।

4. महापत्तनों, बड़े औद्योगिक केन्द्रों अथवा पर्यटक केन्द्रों को जोड़ने वाली सड़कें।

5. अति महत्वपूर्ण सामरिक जरूरतों को पूरा करने वाली सड़कें।

6. प्रमुख सड़कों जो यात्री की दूरी को बहुत कुछ घाटा देती हों और जिनसे काफी अधिक आर्थिक वृद्धि प्राप्त होती हो।

7. ऐसी सड़कें जिनसे पिछड़े इलाकों और पहाड़ी क्षेत्रों को जोड़ने में सहायता मिलती हो।

8. 100 कि.मी. का राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रिड प्राप्त होता हो।

9. सड़क ऐसी होनी चाहिए जो अपनी तकनीकी आवश्यकताओं के साथ-साथ भूमि आवश्यकताओं के मामले में भी राज्यीय राजमार्ग के लिए निर्धारित मानक को पूरा करती हो।

10. मार्ग और मार्गाधिकार दोनों ही किसी भी प्रकार के अतिक्रमण से मुक्त हों और राज्य सरकार की सम्पत्ति हों।

11. राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए अपेक्षित मार्गाधिकार (वरीयतन 45 मीटर, न्यूनतम 30 मीटर) अधिग्रहण के लिए बिना किसी अतिक्रमण के उपलब्ध होना चाहिए और राज्य सरकार छह महीने के अन्दर अधिग्रहण की औपचारिकताएं पूरी कर ले।

विवरण II

नये राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के संबंध में राज्य सरकारों से दिनांक 25.02.2004 के बाद प्राप्त हुए प्रस्तावों का ब्यौरा इस प्रकार है:-

क्र.सं.	राज्य का नाम	सड़कों/खंडों का विवरण	लम्बाई (कि.मी.)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	1. निलौर-आत्माकुर-बदलेव-माईदूकुर-गूटी	314
		2. हैदराबाद-रामागुंडम-मनचैरियल-चंदा	330
		*3. हैदराबाद-श्रीसैलम-डोरनाला-आत्माकुर-नांदयाल	353.18
		4. गुंडुगोलनू-नल्लागेरैया-देवरपल्ली-वेरनागिरी सड़क	83
		5. कृष्णापट्टनम पोर्ट-निलौर-चित्रादुर्ग के निकट चेलाकारा	470
		6. हैदराबाद-मेडक-बोधन-बसर-लक्षतीपेट	395
		*7. काकीनाडा-द्वारपुडी-राजमुंदरी-कोवूर-सूर्यापेट	300
		8. राजमुंद्री-मरेदमील्ली-चिंटुरू-भूपलापटनम	400
		9. कुरनूल-आत्माटूर-दोरनाला-थोकापल्ली-पेरीचेरला-गुंटूर	300
		10. कोड्डा-मिर्यालगुडा-देवराकोंडा-तन्दूर-चिंचोली	240
		11. बेलारी-अदोनी-रायचुर-मेहबूबनगर-जदचेरला	200
		12. रारा 201 परकालींगापटनम-श्रीकाकुलम-रायगढ़	120
		*13. सिरौंचा महादेवपुर-तुंगतुरथी-एरपेडू-रेनीगुंटा	650
		14. अनकापल्ली-आनन्दपुरम	50
		15. कुप्पम-गुन्डीपल्ली-रारा 219 पर कोलार	70

1	2	3	4
		16. कोडड-खम्माम-थुरूर-वारंगल-जगीत्याल	290
		17. अनन्तापुर-उर्वकोन्डा-बेल्लारी	78
		18. पुतलपट्टू-नैडूपेट सड़क	117
		19. कुरनूल-बेल्लारी सड़क	126
		20. ताड़िपत्रि-रायचूर सड़क वाया अनंतपुर-उरवाकोंडा सड़क	146.17
		*21. गूंटूर-विनूकोंडा-टोकापल्ली-नांदयाल-बनगनापल्ली-आक-ताडपत्री-धर्मावरम-कोडूर सड़क	530
		*22. आदिलाबाद-उटनूर-खन्नापुर-कोरुतला-विमूलावाड़ा-सिद्धिपेट-जनगांव-सूर्यापेट-मिर्यालगुडा-पिडूगुराला-नरसाराओपेट-वोडारेवू	630
		उप जोड़	6192.35
2.	असम	1. धोदार अली	250
3.	बिहार	1. दरभंगा-कमतोला-मधवापुर सड़क	–
4.	दादरा और नगर हवेली	1. सिल्वासा, खानवेल और त्रिअम्बकेश्वर से होते हुए दमन से नासिक तक	190
		2. वापी-सिलवासा-तलासरी सड़क	50
		उप जोड़	240
5.	गुजरात	1. सरखेज-सनन्द-वीरमगांव-रारा 8ए के निकट मलिया	186
		2. हिम्मत नगर-मेहसाना-राधनपुर-राज्यीय राजमार्ग	165
		3. रारा 8ए को रारा 6 से जोड़ते हुए वडोदरा-पोर-नासिक सड़क	245
		4. अहमदाबाद-ढोलका-वातामन	80
		5. रारा 8 को जोड़ते हुए नाडियाड-कपाडवंज-मोडासा	135
		6. शामलाजी-मोडासा-गोधरा-वापी राज्यीय राजमार्ग संख्या 5	506
		7. वडोदरा-दाभोल-छोटाउदयपुर से मध्य प्रदेश सीमा	125
		8. भरूच-अंकलेश्वर-सागबारा से महाराष्ट्र सीमा	90
		9. हिम्मत नगर-ईदर-खेदब्रह्मा-अम्बाजी से आबू रोड सीमा	130
		10. जाफराबाद-रजुला-अवरकुंडला-पटादी-सामी-राधनपुर	440
		11. गणदेवी-माणेकपुर-चिंचिली से महाराष्ट्र सीमा तक	120
		12. वदसाद-पर्दी-कापरदा महाराष्ट्र सीमा	60
		13. गांधीनगर-देहगामा-बेयाड-जालौड से राजस्थान सीमा	200

1	2	3	4
		14. गांधीनगर-गोरडिया-विसनगर-अम्बाजी-आबू सड़क	170
		15. भचाउ-भुज-पंध्रो सड़क	220
		16. बागोदरा-धंडुका-वल्लभीपुर-रजुला-जाफराबाद	265
		17. बागोदरा-धंडुका-भावनगर	130
		18. भावनगर-वातामन-पाडरा-रारा 8 पर कर्जान	200
		19. मलिया-जामनगर-ओखा-द्वारका	340
		उप जोड़	3806.00
6.	हरियाणा	1. अम्बाला कैंट (रारा 1) से साहा (रारा 73)	15
		2. साहा (रारा 73) से साहाबाद (रारा 1)	16
		3. उखलाना (रारा 65)-सुरेवालचल से टोहना-पतरन (रारा 71)	29.40
		4. रोहतक शहर में रारा-71 और रारा-71ए के बीच	2.60
		उप जोड़	63.00
7.	हिमाचल प्रदेश	1. होशियारपुर-भानखंडी-झालरा-उना-भोटा-जोहा-रेवालसर-मंडी सड़क	180.00
		2. यमुना नगर-लाल धांक-पौंटा-धारणघाटी सड़क	352.00
		3. किरतपुर साहिब-नांगल-उना-मैकलोडगंज सड़क	207.50
		4. सलेप्पर-टट्टापानी-लूरी-सैंज सड़क	120.00
		5. चण्डीगढ़ (पीजीआई)-बड्डी-रामशहर-शालाघाट सड़क	127.20
		6. सैंज-लूरी-बंजर-औट (बागीतार) सड़क	97.00
		7. तारादेवी (शिमला)-जुब्बारहट्टी-कुनीहार-रामशहर-नालागढ़-घनौली (एसएच सं. 6) (हि.प्र. सीमा) सड़क	106.40
		8. भरमौर-चंबा-डलहौजी-पठानकोट सड़क	133.00
		9. हमीरपुर-सुजानपुर-पालमपुर सड़क	60.00
		10. ब्रह्मपुखर-बिलासपुर-घुमारविन-सरकाघाट-बैजनाथ सड़क	111.80
		11. स्लैपर-पंडोह-चैलचौक-करसोग-पट्टापानी-धल्ली-थ्योग-कोटखाई-जुब्बल-हतकोटी सड़क	300.00
		उप जोड़	1793.50
8.	झारखंड	गोबिंदपुर-जामतारा-दुमका-साहेबगंज सड़क	310
9.	कर्नाटक	1. चन्नारायापटना और सकलेश्पुरा वाया होलेनरसिंहपुरा के बीच मैसूर-चन्नारायापटना-अरासीकेरे-लूप	187

1	2	3	4
		2. बिलीकेरे-हासन-बैलूर-तारीकेरे-शिमोगा-हुन्नाली-एच.पी. हल्ली-होसीत-गंगावती-सिन्दनौर-मानवी-रायचूर	612
		3. रारा 48-हासन-गोरूर-अरकालगुड-रामनाथपुरा-बेतादपुरा-पेरियापटना-गुंडलूपेट रोड	249
		4. बंतवाल-मुदीगेरे-बेलूर-हलेबिदू-सेरा-गोवरिबिदेनूर-सीबी पुरा-चिंतामणी-श्रीनिवासपुरा-मुलबगल	487
		5. बैंगलोर-बाहरी रिंग रोड दोबसपेट-सोलूर-मेगडी-रामनगरम-कनकपुरा-आनकल-अट्टीबेनले-सरजापुरा	194
		6. बैंगलोर-रामनगरा-चैन्नापटना-मंडया-मैसूर-मेरकरा-मैंगलोर (रारा 17 को जोड़ने वाला)	385
		7. बीदर-हुमनाबाद-गुलबर्गा-श्रीगुप्पा-बेलारी-हिरीयूर-चिक्कनायकनहल्ली-नगमानगाल-पांडवपुरा-श्रीरंगपतना	679
		8. कोर्तागेरे-तुमकुर-कुनीगल-हुलेयदुर्गा-मद्दुर-मालवाल्ली सड़क	140
		9. बेलगाम-बीजापुर-गुलबर्गा-हुमनाबाद	144
		10. बेलगाम-बागलकोट-रायचुर-मेहबूबनगर-आंध्र प्रदेश	336
		11. चित्रदुर्गा-होलालकेड़े-होशादुर्ग-चिकमंगलूर-मुदीगेरे-बेल्थांगड़ी-बेंतवाल-मैंगलोर (रारा 17 को जोड़ने वाला)	250
		12. पदुबिदरी-करकला-श्रींगरे-तीर्थाहल्ली-सीकारीपुरा-सीरअलकोप्पा-हुबली-बागलकोट-हुमनाबाद	665
		13. मालावल्ली-बन्नूर-मैसूर सड़क	45
		14. गिनीगेरे (कोप्पाल)-गंगावाथी-कलमाला (रायचूर) सड़क	167
		15. कुमटा-सीरसी-थाडसा-हुबली सड़क	140
		16. हीरियूर एस.एच.-24 से आंध्र प्रदेश में पेनूगोंडा रारा-4 को जोड़ने वाला	115
		17. जेवरगी-बेल्लारी-हट्टीगुदुर-लिंगसुगुर-सिंधनुर-सिरीगुप्पा	248
		18. नन्दी, विजयपुरा, बेमगल से होते हुए डोडाबल्लापुर-कोलार-सड़क	82
		19. कुमता-सिरसी-हवेरी-मोलाकलमुरू-अनंतपुरा	245
		20. ओराड-बीदर-चिंचोली-जेवारगी-बीजापुर-सेदबल-गतकरवाडी महाराष्ट्र	480
		21. हिबसूर-धारवाड-रामनगरम-पणजी रोड	95
		22. बागलकोट-गुलेदागुडा-गजेन्द्रगढ़-कुकनूर-भानापुर	130
		23. बैंगलोर से राज्य की सीमा पर रारा-7 (सोमनदेनपल्ली) को जोड़ने के लिए हिन्दुपुरा तक	80

1	2	3	4
		24. कदूर-कन्ननगडा राज्यीय राजमार्ग संख्या 64	190
		25. बेलगाम-बागलकोट-हनुगंड रोड	165
		26. कोपला-जेवारगी रोड	216
		27. नवलगुंड-कुस्तगी रोड	97
		28. मनाडवाडी-एचडी कोटे-जयपुरा-कोलेगल-सलेम रोड	197
		उप जोड़	7020
10.	केरल	तिरूर-कोटक्कल-मल्लापुरम-मंजेरी-गुंडलूपेट रोड	164
11.	महाराष्ट्र	1. कोस्टल रोड	733.87
		2. अकोला-नांदेड-दुगलूर-रायचुर	
		3. कोल्हापुर-शोलापुर-लातूर-नांदेड-यंतोल-वर्धा-नागपुर	457.00
		उप जोड़	1190.87
12.	मेघालय	1. नौंगस्टोइन-तुरा रोड	218
		2. अगीया-मेदीपाड़ा-फुलबावरी-बेंरगापाडा रोड	224
		उप जोड़	442
13.	मणिपुर	1. चुडाचांदपुर से सिंघट-सिंगजोल रोड होते हुए तुईवई तक	163
14.	मिजोरम	1. कितुम से खाबंग रोड होते हुए जोखवतर	179
15.	नागालैंड	1. असम में बोकाजान से रेंगमापानी-नागालैंड में किफिर तक	278
		2. हाफलोंग-माहुर-लाईके-नागालैंड में कोहिमा तक	182
		3. नागालैंड में त्वेनसांग से नागनीमोड़ा-शिवसागर (सिमुलगुडी) असम	265
		उप जोड़	725
16.	उड़ीसा	1. कटक-पारादीप	82.00
		2. सम्पलपुर-राउरकेला रोड	162.50
		3. जगतपुर-केन्द्रपाड़ा-चंद्रबली-भद्रक रोड	152.18
		4. फुलबनखाडा-चारीछक-गोप-कोणार्क-पुरी	104.00
		5. बरहमपुर-कोरापुर रोड	313.60
		6. काखिया-जाजपुर-आरडी-भद्रक रोड	92.50
		7. जोशीपुर-रेरंगपुर-तिरंगी रोड	40.49
		8. करमडीही-सोबदेगा-तलसोरा-लोहाखेडा	37.00

1	2	3	4
		9. राउरकेला-रेनबहल-कानीबहल रोड	111.00
		10. कुकुरभुखा-लंजीबेरना-सालांगबहल रोड	31.00
		11. जलेश्वर-बाटागांव-चंदनेश्वर रोड	35.60
		12. ढेंकनाल-नारनपुर रोड	100.00
		13. जैपुर-मल्कानगिरी-मोतू रोड	323.00
		उप जोड़	1584.87
17.	पुडुचेरी	1. कराईकल-नेतूनगाडू-कुम्भकोणम-तंजोर रोड	
		2. करईकल-पेरलम-माईलादूतुरई-सिरकली रोड	
		3. करईकल-पेरलम-तिरूवरूर रोड	
		4. सिरकली-सेमबनरकोयल-अकूर रोड लिंक करईकल के साथ	
		5. चेन्नई से पुदुचेरी तक पूर्वी तटीय सड़क	
18	पंजाब	1. राज्यीय राजमार्ग 25 अमृतसर-राजासांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा-डेरा बाबा नानक-गुरदासपुर	–
		2. राज्यीय राजमार्ग-22 किरतपुर साहिब-आनन्दपुर साहिब-नंगल-उना (हिमाचल प्रदेश होते हुए) होशियारपुर	–
		3. तख्त श्री दमदमा साहब (तलवंडी साबू) से गुरुगोविन्द सिंह मार्ग से लेकर सचखंड श्री हुजूर साहब (नांदेड)	2480
		उप जोड़	2480
19.	राजस्थान	1. मथुरा भरतपुर रोड	40
		2. नसीराबाद देवली रोड	95
		3. कोटपूतली सीकर रोड	125
		4. खेरवाडा-डुंगर पुर-बांसवाडा-रतलाम रोड	210
		5. स्वरूपगंज-कोटडा-सोम-खेरवाडा रोड	147
		6. फलूदी नागोर रोड	140
		7. श्री डूंगरगढ़-सरदार शहर-पुलसर-जसरासर	115
		8. सवाईमाधोपुर-शिवपुरी	44
		9. कोशी-कामा-दीग-भरतपुर-रूपवास-धौलपुर	139
		10. गौमती-चौराहा-देसुरी-सदरी-अहोर-जालौर-बाडमेर	306
		11. फलौडी-बलोतरा-जालौर-सिरोही	343

1	2	3	4
		12. नागौर-दीदवाना-खूर-सीकर	176
		13. किरकी चौकी-भींदेर-सैलूमबर-असपुर-दुर्गापुर	146
		14. होडल-पुन्हाला-नाहरतपुर-रूपवास-धौलपुर	202
		15. चांदवाजी-चौमू-रारा 8 पर बगरू	171
		16. सिरोही-मंदार-दिसा (गुजरात)	68
		17. गुडगांव-अलवर-सरिस्का-दौसा-सवाईमाधोपुर	248
		18. बाडमेर (रारा 15)-जालौर-अहोर-सदरी-देसुरी-गौमती का चौराहा-कांकरोली-भीलवाडा-मंडलगढ़	446
		19. जयपुर (रारा 8) जोबनेर-कुचामन-नागौर-फालौदी (रारा 15)	336
		20. मथुरा (रारा 3) भरपुर-बयाना-भादोती-सवाईमाधोपुर-पालीघाट-इटावा-मंगलौर-बरान (रारा 76)	332
		21. भरतपुर (रारा 11)-अलवर-बानसूर-कोटपुतली-नीमका थाना-सीकर-सालासर (रारा 65)	301
		22. फतेहपुर (रारा 11) झुंझनू-चिडावा-सिंघाना-नामोल-रेवाड़ी (रारा 8)	164
		23. प्रतापगढ़ (रारा 113) डूंगरपुर-बिचीवाडा (रारा 8)	226
		24. जयपुर (रारा 12)-डीग्गी-केकरी-शाहपुरा-मंडल-भीलवाडा (रारा 79)	123
		उप जोड़	4673
20.	सिक्किम	1. नाथुला से सिलिगुडी तक वैकल्पिक राजमार्ग	–
		2. सिंगतम और चुंगतंग से होते हुए लाचूंगघाटी	–
		3. रांगपो-रोराथंग से होते हुए रोंगली	–
		4. रानीपूल और रोराथंग से होते हुए पाकयोंग	–
21.	तमिलनाडु	1. सेती-अथानी-भवानी सड़क (राज्यीय राजमार्ग संख्या 82)	52.80
		2. अविनाशी-तीरूप्पुर-पल्लादम-पोल्लाची-मीनकारई-सड़क	99.60
		3. त्रिची-नमककल सड़क	77.40
		4. त्रिरूचेरापल्ली-लालगुडी-कलागुडी-उदयनपाल्या-गंजईकोंडा-चलपुरी-मी-कट्टूमन्नागड़ी-चिदम्बरम	140.00
		5. तंजावुर-अदनकोट्टई-पुदुकोट्टाई	60.00
		6. डिंडीगुल-नाथम-सिंगमपुनरी-तिरूपत्तूर-देवाकोट्टई रास्था सड़क	120.40
		7. कुड्डलूर-चित्तूर सड़क	203
		उप जोड़	753.20

1	2	3	4
22	त्रिपुरा**	धर्मनगर-अमरपुर, रूपईचारी होते हुए कुकीताल से सबरूम	310
23.	उत्तर प्रदेश**	1. कुरावली-मैनपुरी-करहल-इटावा सड़क	73.158
		2. सिरसागंज-करहल-किसनी-विधुना-चौबेपुर सड़क	161.53
		3. बरेली-बदायूं-बिलसी-गजरौला-चांदपुर-बिजनौर सड़क	262.39
		4. जगदीशपुर-गौरीगंज-अमेठी-प्रतापगढ़ सड़क	79.00
		5. फतेहपुर-रायबरेली-जगदीशपुर-फैजाबाद सड़क	181.960
		6. लुम्बनी दुदही राज्य राजमार्ग संख्या 5	101.00
		7. लखनऊ-बांदा	148.52
		8. पीलीभीत-बरेली-बदायूं-कासगंज-हाथरस-मथुरा-भरतपुर (राजस्थान सीमा)	283.03
		उप जोड़	1291.065
24.	उत्तराखंड	1. हिमालय राजमार्ग (हिमाचल सीमा-त्यूनी-चकराता-लेखवाड-यमुना-ब्रिज-अल्मोड़ा-लोहघाट सड़क)	706
		2. बडवाला से जूद्दो (हर्बटपुर-बडकोट बैंड)	18
		3. बुआखाल-घुडदौरी-देवप्रयाग	49
		उप जोड़	773
25.	पश्चिम बंगाल	1. पश्चिम बंगाल बिहार सीमा में गलगलिया से पुर्णिया तक	102
		उप जोड़	102
		जोड़	34214.865

*मंत्रालय के 11 सूत्री मापदंड के अनुसार राज्य सरकारों से 25.04.2008 के बाद प्राप्त हुए संशोधित प्रस्ताव।
(**सभी प्रस्ताव)

विवरण III

गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान घोषित राष्ट्रीय राजमार्गों का ब्योरा

राज्य	रारा सं.	खंड	अनुमानित लंबाई
1	2	3	4
		2006-07	
उत्तर प्रदेश	24बी	लखनऊ-रायबरेली-इलाहाबाद	185
तमिलनाडु	226	तंजावूर-गंधर्वकोट्टई-शिवगंगा-मनमदुरै	144
	227	तिरुचिरापल्ली से लालगुडी-कुमाराची-चिदम्बरम को जोड़ते हुए	135

1	2	3	4
गुजरात	228	अहमदाबाद-दांडी (दांडी हैरिटेज रूट)	374
पश्चिम बंगाल	2बी	बर्दवान-बोलपुर	52
बिहार	2सी	डेहरी-अकबरपुर-बिहार/उ.प्र. सीमा	105
		2007-08	
पश्चिम बंगाल	31डी	सिलीगुडी-सलसलाबाड़ी-फुलवाड़ी-मैनागुडी-धूपगुडी फालाकाता और सोनापुर	147
केरल	47सी	कालामसेरी, रारा-17 को पार करते हुए और वल्लारपदम पर समाप्त	17
		2008-09	
अरुणाचल प्रदेश	229	अरुणाचल प्रदेश में तवांग से शुरू होकर बोमडिला, नेचीपू, सेपा, सगली, जिरो, दपोरिजो, आलौंग से गुजरते हुए पासीघाट में समाप्त होने वाला राजमार्ग	1090
अरुणाचल प्रदेश	रारा 52 बी का विस्तार	अरुणाचल प्रदेश में महादेवपुर से शुरू होकर नमचिक, चांग्लांग, खोन्सा और कनुबारी से गुजरते हुए असम में डिब्रूगढ़ के समीप बोगीबील पुल के पहुंच मार्गों पर समाप्त होने वाला राजमार्ग	450
अरुणाचल प्रदेश	रारा 37 का विस्तार	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 37 का असम में सेखोवाघाट के समीप इसके अंतिम सिरे से अरुणाचल प्रदेश में रोइंग के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग 52 तक विस्तार किया गया है	60
तमिलनाडु	रारा-226 का विस्तार	तमिलनाडु में बेराम्बलूर से शुरू होकर पेराली, कीलापलूर, अरियालूर, कुन्नाम, तिरुवैयारू, कांडीयूर को जोड़ते हुए तंजावुर में राष्ट्रीय राजमार्ग 226 से मिलने वाला राजमार्ग	85
तमिलनाडु	230	तमिलनाडु में मदुरै से शुरू होकर तिरुपुवनम, पूवांधी, शिवगंगा, कलैयरकोयल, तिरुवदनै को जोड़ते हुए टोंडी पोर्ट टाउन में समाप्त होने वाला राजमार्ग	82
पश्चिम बंगाल	रारा-2बी का विस्तार	पश्चिम बंगाल में बोलपुर से शुरू होकर प्रांतिक, मयूरेश्वर को जोड़ते हुए मोल्लारपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग 60 के जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग	54
हिमाचल प्रदेश	20ए	हिमाचल प्रदेश में नगरौता में राष्ट्रीय राजमार्ग 20 के जंक्शन से शुरू होकर रानीताल, देहरा को जोड़ते हुए मुबारिकपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग 70 के जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग	91
हिमाचल प्रदेश	72बी	हिमाचल प्रदेश में पाउंटा में राष्ट्रीय राजमार्ग 72 के जंक्शन से शुरू होकर राजबन, शिलई को जोड़ते हुए और उत्तराखंड में मीनस, तुईनी से गुजरते हुए और हिमाचल प्रदेश में हटकोटी में समाप्त होने वाला राजमार्ग	109

1	2	3	4
उत्तराखंड	72बी	हिमाचल प्रदेश में पाउंटा में राष्ट्रीय राजमार्ग 72 के जंक्शन से शुरू होकर राजबन, शिलई को जोड़ते हुए और उत्तराखंड में मीनस, तुईनी से गुजरते हुए और हिमाचल प्रदेश में हटकोटी में समाप्त होने वाला राजमार्ग	51
उत्तर प्रदेश	231	उत्तर प्रदेश में रायबरेली से प्रारंभ होते हुए सलोन, प्रतापगढ़, मछलीशहर को जोड़ते हुए जौनपुर में समाप्त होने वाला राजमार्ग	169
	232	उत्तर प्रदेश में अंबेडकर नगर (टांडा) से प्रारंभ होकर सुलतानपुर, अमेठी, रायबरेली, लालगंज, फतेहपुर को जोड़ते हुए और बांदा में समाप्त होने वाला राजमार्ग	305
	232ए	उत्तर प्रदेश में उन्नाव से प्रारंभ होकर और लालगंज (रारा 232 का जंक्शन) में समाप्त होने वाला राजमार्ग	68
	233	उत्तर प्रदेश में भारत/नेपाल सीमा (लुम्बिनी को जोड़ते हुए) से प्रारंभ होकर नौगढ़, सिद्धार्थनगर, बंसी, बस्ती, टांदा, आजमगढ़ से गुजरते हुए वाराणसी में समाप्त होने वाला राजमार्ग	292
	235	उत्तर प्रदेश में मेरठ से प्रारंभ होकर हापुड़, गुलावठी को जोड़ते हुए बुलंदशहर में समाप्त होने वाला राजमार्ग	66
आंध्र प्रदेश	18ए	आंध्र प्रदेश में पुतलापट्टु से प्रारंभ होकर और तिरुपति में समाप्त होने वाला राजमार्ग	42
आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु	234	कर्नाटक में मंगलौर से प्रारंभ होकर बेल्टानगडी, मुदीगेरे, बेलूर, हुलियार, सीरा, मधुगिरि, चिंतामणि से शुरू होकर आंध्र प्रदेश में वेंकटगिरि कोटा से होते हुए तमिलनाडु में पेरणामपेट, गुडियाट्टम, काटपाडी, वेल्लौर, पुष्पगिरि, पोलुर और तिरूवनामलाई-विल्लुपुरम में समाप्त होने वाला राजमार्ग	780

भारतीय खाद्य निगम में कामगारों को नियमित किया जाना

355. श्री ए. सम्पत: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न पक्षों द्वारा केरल में चालाकुड्डी, मवेल्लिकारा और वेस्ट हिल (कोझिकोड) स्थित भारतीय खाद्य निगम के ठेका कामगारों को नियमित करने की मांग की जाती रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या केरल में भारतीय खाद्य निगम ने इस संबंध में कामगारों के साथ कोई समझौता किया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थामस): (क) जी, हां।

(ख) भारतीय खाद्य निगम की ट्रेड यूनियनों द्वारा उठाई गई कुछ मांगों की जांच अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, उपभोक्ता

मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की गई थी। सरकार ने समिति की यह सिफारिश स्वीकार कर ली कि सरकार तब तक किसी अन्य डीपु को विभागीय/सीधे भुगतान की प्रणाली के श्रमिकों के अधीन नहीं लाएगी जब तक कि भारतीय खाद्य निगम के मौजूदा अधिशेष श्रम बल का पूर्ण उपयोग नहीं हो जाता है।

3 डिपुओं अर्थात् वेस्ट हिल (कोझिकोड), चालाकुड्डी और मवेल्लिकारा के मौजूदा ठेका श्रमिकों द्वारा नियमित किए जाने हेतु न्यायालय मामले दायर किए गए हैं। ये मामले केरल उच्च न्यायालय और भारत के उच्चतम न्यायालय के समक्ष लम्बित है। अत: मामला न्यायनिर्णयाधीन है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

केरल में स्टेडियम और खेल महाविद्यालय की स्थापना

356. श्री पी.टी. थामस: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले बच्चे ऊर्जावान और खेलकूद में विलक्षण होते हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार केरल में इदुक्की जिला के ऊंचे क्षेत्रों में एक स्टेडियम और खेल महाविद्यालय स्थापित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार की पूर्ववर्ती केन्द्रीय प्रतियोगिता खेल अवसंरचना स्कीमें दिनांक 1.4.2005 से राज्य-क्षेत्र को सौंप दी गई हैं। अतएव यह सरकार का कार्य है कि वह ऐसी सुविधाएं स्थापित करे।

उल्फा और आईएसआई के बीच सांठ-गांठ

357. श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान स्थित आईएसआई ने भारत के विरुद्ध एक छद्म युद्ध लड़ने में उल्फा की मदद की है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे पता चले मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में आतंकवादी संगठनों को समाप्त करने हेतु बांग्लादेश सरकार के साथ समन्वय सहित इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) उपलब्ध जानकारी दर्शाते हैं कि यूनाईटेड लिबरेशन फ्रंट आफ असम (उल्फा) का पाकिस्तान के आईएसआई के साथ संबंध है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार कुछेक उल्फा काडरों को पाकिस्तान में हतियारों एवं विस्फोटकों का प्रशिक्षण दिया गया है।

(ग) सरकार ने नियमित तौर पर विभिन्न स्तरों पर बांगलादेश प्राधिकारियों के समक्ष भारत के लिए शत्रुवत् गतिविधियों हेतु बांगलादेश की भूमि का दुरुपयोग करने सहित विभिन्न सुरक्षा संबंधी मामले को उठाया है। आतंकवाद से निपटने के क्रम में, राज्य सरकारों के प्रयासों को विभिन्न उपायों के माध्यम से केन्द्र सरकार द्वारा समर्थन प्रदान किया जाता है, जैसे कि सेना सहित अतिरिक्त केन्द्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती करना; खुफिया जानकारी का आदान-प्रदान करना; पुलिस आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत स्थानीय पुलिस बलों तथा खुफिया एजेंसियां हेतु वित्तीय सहायता देना; सुरक्षा उपकरण के विभिन्न पहलुओं तथा आतंकवाद-विरोधी कार्रवाईयों के अन्य पहलुओं को सुदृढ़ बनाने हेतु सुरक्षा संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति के माध्यम से सहायता का प्रावधान करना; इंडिया रिजर्व बटालियनों के रूप में अतिरिक्त बलों को तैयार करने के लिए राज्यों की सहायता करना; इत्यादि।

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश को निधियां

358. श्री प्रेमचन्द गुड्डू: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य को कितनी धनराशि आबंटित की गई है/किए जाने का विचार है;

(ख) इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के उज्जैन डिविजन को कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई है/किए जाने का विचार है;

(ग) इस योजना के अंतर्गत उज्जैन डिविजन में कुल कितनी किमी. सड़क बनाए जाने का प्रस्ताव है तथा इसके अंतर्गत शामिल किए जाने वाले क्षेत्रों के नाम क्या हैं और इसके निर्माण की गति कैसी है;

(घ) क्या राज्य सरकार ने इस योजना के अंतर्गत आबंटित धनराशि को उक्त परियोजना हेतु निर्धारित समय-सीमा के भीतर खर्च किया है; और

(ङ) यदि हां, तो निधियों के उपयोग का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर आर.पी.एन. सिंह): ग्रामीण सड़कें, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के कार्यक्षेत्र में नहीं आती। ग्रामीण विकास मंत्रालय से प्राप्त सूचना के आधार पर इस प्रश्न के उत्तर इस प्रकार हैं:-

(क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश को 2000-01 में 2008-09 तक की अवधि के लिए 2815 करोड़ रु. की धनराशि (डीजल उपकर) आबंटित की गई थी।

(ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निधियों का आबंटन राज्यों को किया जाता है, राज्यों के जिलों/डिवीजनों को नहीं।

(ग) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भेजी सूचना के अनुसार, 2000-01 से 2008-09 के दौरान उज्जैन डिवीजन में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत संस्वीकृत और निर्मित सड़कों की लंबाई का ब्यौरा इस प्रकार है:-

क्र.सं.	जिले का नाम	कुल सड़क लंबाई (किमी.)	
		संस्वीकृत	निर्मित
1.	देवास	838.97	378.30
2.	रतलाम	1371.82	503.00
3.	शाजापुर	960.73	551.00
4.	नीमच	451.03	289.00
5.	मंदसौर	1205.15	786.00
6.	उज्जैन	1166.23	355.00

(घ) और (ङ) 2000-01 से 2008-09 तक की अवधि के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश को 6442.88 करोड़ रु. जारी किए थे। राज्य सरकार ने इसी अवधि अर्थात् 2000-01 से 2008-09 के दौरान 6560.50 करोड़ रु. के व्यय की सूचना दी है।

खनिजों का उत्पादन

359. श्री गणेश सिंह: क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2008-09 के दौरान खनन क्षेत्र ने 2.34 प्रतिशत की वृद्धि दर रिकार्ड की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2009-10 हेतु विभिन्न खनिजों के उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु क्या पहल की गई है;

(घ) क्या सरकार देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में सोना सहित विभिन्न दुर्लभ खनिजों के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु विशेष उपाय करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खान मंत्री और उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री बी.के. हान्डिक): (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 2008-09 में खनन क्षेत्र में वृद्धि दर 2.58 प्रतिशत थी। ईंधन खनिजों और एमसीडीआर खनिजों की वृद्धि दर क्रमश: 2.85 प्रतिशत और 1.70 प्रतिशत थी।

(ग) से (ङ) खनिजों का खनन मोटे तौर पर खनिज संसाधनों की उपलब्धता, आर्थिक व्यवहार्यता, बाजार मांग आदि पर निर्भर करता है। उदारीकृत आर्थिक परिवेश में, स्थल के चयन सहित निवेश संबंधी निर्णय उद्यमियों द्वारा अपने प्रौद्यो-आर्थिक विवेक और वाणिज्यिक सोच-विचार के आधार पर लिए जाते हैं। केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय खनिज नीति, 2008 घोषित की है जिसमें खनन क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने हेतु खनिज रियायतें प्रदान करने की प्रक्रियाओं को सुप्रवाही और सरल बनाने की परिकल्पना की गई है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा वर्ष 2007-08 के वार्षिक कार्यक्रम के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में 35 अन्वेषण किए गए थे और 2008-09 में 32 अन्वेषण करने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

एफ.एम. स्टेशन स्थापित किया जाना

360. श्री मुकेश भैरवदानजी गढ़वी: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गुजरात के बनासकांठा जिला सहित देश के विभिन्न भागों में एफएम स्टेशन स्थापित करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान कितने प्रस्ताव लंबित है और इन लंबित प्रस्तावों को कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी मोहन जतुआ): (क) और (ख) जी, हां। अप्रैल, 2004 के बाद आकाशवाणी एफ.एम. स्टेशनों के संबंध में प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) इस समय लगभग 32 प्रस्ताव लंबित हैं और उन्हें ग्यारहवीं योजना में शामिल कर लिया गया है।

विवरण

एफएम रेडियो स्टेशन स्थापित करने के लिए अप्रैल, 2004 से प्राप्त हुए प्रस्ताव

क्र.सं.	राज्य	अवस्थितियां
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1. नेल्लोर
		2. काकीनाडा
		3. करीम नगर
		4. गुंटूर
		5. कुड्डपा
2.	असम	1. राज्य सीएसआई के प्रत्येक जिला मुख्यालय में आकाशवाणी के नेटवर्क का विस्तार
		2. करीमगंज
3.	बिहार	1. बांका
		2. मोतीहारी
		3. गया
		4. मधुबनी
		5. भभुआ
		6. किशनगंज
		7. सीतामढ़ी
		8. सीमावर्ती कवरेज में सुधार लाने के लिए अनुरोध
		9. सुपौल
4.	छत्तीसगढ़	1. राजनंदगांव
		2. छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिले में एफएम बैंड सुविधा की स्थापना
5.	दमन और दीव	1. दीव
6.	गुजरात	1. दाहोद जिला
		2. लूनावाड़ा (गोधरा जिला)
		3. अमरेली
		4. पोरबन्दर
		5. बनासकांठा
7.	झारखंड	1. देवघर
		2. धनबाद
8.	हिमाचल प्रदेश	1. चंबा
		2. लाहौल एवं स्पिति
		3. किन्नौर
9.	कर्नाटक	1. भद्रावती
		2. देवानगिरी
10.	केरल	1. त्रिशूर
11.	लक्षद्वीप	1. कवरत्ति
12.	मध्य प्रदेश	1. शाजापुर
		2. सतना
		3. हरदा
		4. छत्तरपुर
		5. उज्जैन
13.	मिजोरम	1. चंपाई
14.	मेघालय	1. डॉकी
15.	महाराष्ट्र	1. बुलदाना
		2. पुणे
		3. जलगांव
		4. परभानी
		5. अमरावती

1	2	3
16.	उड़ीसा	1. देवगढ़
		2. फूलबनी
17.	पंजाब	1. अमृतसर
18.	राजस्थान	1. झुंझुनू
19.	तमिलनाडु	1. धर्मापुरी
20.	त्रिपुरा	1. लोंगथराई
		2. उदयपुर
		3. नूतन बाजार
21.	उत्तर प्रदेश	1. रायबरेली
		2. कानपुर
		3. रामपुर
22.	उत्तराखंड	उत्तराखंड में 13 स्थानों पर रेडियो स्टेशनों की स्थापना
23.	पश्चिम बंगाल	1. रायगंज
		2. चंचल
		3. कालिम्पोंग
		4. खड़गपुर

डेयरी विकास परियोजनाएं

361. श्री ए.टी. नाना पाटील: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में महाराष्ट्र सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को डेयरी विकास परियोजनाओं से संबंधित प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन प्रस्तावों की राज्यवार स्थिति क्या है;

(ग) क्या किसी प्रस्ताव को अस्वीकृत किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थामस): (क) और (ख) भारत सरकार को वर्ष 2006-07 से 2008-09 तक तथा चालू वर्ष में महाराष्ट्र सरकार से ''सघन डेयरी विकास कार्यक्रम'' के तहत एक परियोजना प्रस्ताव तथा ''गुणवत्ता और स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के लिए मूलभूत सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण'' (सीएमपी) के तहत सत्रह प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति सहित उनके ब्यौरे को संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(ग) और (घ) समृद्धि मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट लिमिटेड, वहनली, कोल्हापुर से प्राप्त प्रस्ताव को सीएमपी योजना के दिशानिर्देशों के अनुपालन के अभाव में इस योजना के तहत रद्द कर दिया गया था।

विवरण

वर्तमान स्थिति के साथ डेयरी विकास योजनाओं के तहत विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त प्रस्ताव का ब्यौरा

क्र.सं.	क्रियान्वयन एजेंसी का नाम	कवर किया गया जिला	कुल लागत (लाख रुपए में)	स्थिति
1	2	3	4	5
1. गुणवत्ता और स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के लिए मूलभूत सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण				
	2006-07 के दौरान प्रस्तुत प्रस्ताव			
1.	हिरण्यकेशी-घटप्रभा मल्टीप्रपज मल्टीस्टेट सहकारिता संघ लि.	कोल्हापुर	283.69	दिनांक 11.1.2007 के पत्रांक 3-01/07-डीपी के तहत उत्तर भेज दिया गया।

1	2	3	4	5
2.	वर्धा जिला सहकारी दूध उत्पाद संघ लि.	वर्धा	135.88	दिनांक 19.7.2007 के पत्रांक 3-46/05-डीपी के तहत उत्तर भेज दिया गया।
3.	जलगांव जिला सहकारी दूध उत्पादक संघ	जलगांव	498.94	दिनांक 29.4.2008 के पत्रांक 1-1/2002-डीपी के तहत जारी संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य सरकार से संशोधित प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।
4.	अकोला जिला सहकारी दूध संघ, अकोला	अकोला	302.03	दिनांक 8.1.2007 के पत्रांक 3-32/06-डीपी के तहत उत्तर भेज दिया गया।
5.	बीड जिला सहकारी दूध संघ	बीड	136.33	दिनांक 29.2.2008 के पत्रांक 3-29/06-डीपी के तहत उत्तर भेज दिया गया।
6.	भूम तालुका सहकारी दूध संघ	ओस्मानाबाद जिले का भूम तालुका	224.31	दिनांक 30.4.2007 के पत्रांक 3-1/07-डीपी के तहत उत्तर भेज दिया गया।
7.	डा. लिम्बाजी मुक्ता राव दूध संघ	बीड जिले का शेरूर तालुका	161.590	भारत सरकार द्वारा 2007-08 में अनुमोदित।
8.	समृद्धि दूध एवं दूध उत्पाद, व्हनाली, कोल्हापुर	कोल्हापुर	137.77	इसे दिनांक 28.3.2007 के पत्रांक 3-12/07-डीपी के तहत रद्द कर दिया गया क्योंकि यह कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत दिशानिर्देश के अनुसार परियोजना को जिला दुग्ध संघ/दुग्ध परिसंघों द्वारा क्रियान्वित किया जाना है।
2007-08 के दौरान प्रस्तुत प्रस्ताव				
1.	महेश सहकारी दुग्ध संघ लि. मुर्शादपुर, तालुक अशति	बीड	217.7	दिनांक 29.2.2008 के पत्रांक 3-29/06-डीपी के तहत उत्तर भेज दिया गया।
2.	श्रीरामपुर दूध जिला मध्यवर्ती दूध व्यवसाय संघ, बाभालेश्वर, अहमदाबाद	रहाता, राहतुरी, श्रीरामपुर, नवासा और अहमदनगर जिले के कोपरगांव	287.98	दिनांक 6.1.2009 के पत्रांक 3-12/08-डीपी के तहत उत्तर भेज दिया गया।
2008-09 के दौरान प्रस्तुत प्रस्ताव				
1.	बांद्रा जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ मर्यादित, बांद्रा	बांद्रा	253.69	दुग्ध संघ ने दिनांक 12.6.2008 के तहत राज्य सरकार से मांगा गया संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है।
2.	सतारा सहकारी दूध उत्पादक व प्रक्रिया संघ लि.	सतारा	501.48	दिनांक 1.4.2009 के पत्रांक 3-01/09-डीपी के तहत उत्तर भेज दिया गया।
3.	लातूर जिला सहकारी दूध उत्पादक संघ लि. और मंजारा दूध संकलन व प्रक्रिया संघ लि., लातूर तालुका	लातूर	444.88	दिनांक 3.7.2009 के पत्रांक 3-12/06-डीपी के तहत उत्तर भेज दिया गया।

1	2	3	4	5
4.	संपत राव देशमुख सहकारिता दुग्ध संघ	कोडेगांव, जिला सांगली	629.74	दिनांक 3.7.2009 के पत्रांक 3-04/08-डीपी के तहत उत्तर भेज दिया गया।
5.	जाबली तालुका सहकारी दूध पूर्वथ संघ	जावोली/महाबालेश्वर तालुका, जावोली	311.00	दिनांक 3.7.2009 के पत्रांक 3-04/08-डीपी के तहत उत्तर भेज दिया गया।
6.	खंडाला तालुका सहकारी सरकारी दूध पूर्वथ संघ, खंडाला, सतारा	खंडाला	215.00	दिनांक 3.7.2009 के पत्रांक 3-04/08-डीपी के तहत उत्तर भेज दिया गया।
2009-10 के दौरान प्रस्तुत प्रस्ताव				
1.	श्री वराणा सहकारी दूध उत्पादक प्रक्रिया संघ, कोल्हापुर जिला सहकारी दूध उत्पादक संघ लि. और महालक्ष्मी सहकारी दूध उत्पादक संघ लि. और फटेकसिंह नाईक सहकारी दूध उत्पादक संघ, शिराला	कोल्हापुर	1424.39	दिनांक 3.7.2009 के पत्रांक 3-12/06-डीपी के तहत उत्तर भेज दिया गया।
2.	**सघन डेयरी विकास कार्यक्रम**			
	2006-07 के दौरान प्रस्तुत प्रस्ताव			
1.	महाराष्ट्र राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित	सांगली	181.53	राज्य सरकार की ओर से विभाग के 8.4.2008 के पत्रांक 2-1/2007-डीपी के तहत भेजे गए टिप्पणियों के संबंध में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

जालंधर बाइपास से ढिलवान-अमृतसर के बीच चार लेनों वाली सड़क का निर्माण

362. डा. रतन सिंह अजनाला: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जालंधर बाइपास से ढिलवान-अमृतसर के बीच चार लेन वाली सड़क के निर्माण के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर आर.पी.एन. सिंह): (क) आर (ख) जी हां, पंजाब सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग-1 के जालंधर बाइपास से ढिलवान-अमृतसर तक के खंड में चार लेन बनाने के कार्य में तेजी लाने के लिए अनुरोध किया था।

(ग) राष्ट्रीय राजमार्ग-1 के जालंधर-अमृतसर खंड को किमी. 387.100 से किमी. 456.100 तक चार लेन का बनाया जाने की स्थिति इस प्रकार है:-

1. किमी. 387.100 से किमी. 407.100 तक जालंधर बाइपास से ढिलवान खंड:

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की स्थायी वित्त समिति ने 21.01.2009 को हुई अपनी बैठक में इस खंड को चार लेन का बनाने के प्रस्ताव पर विचार किया था और समिति द्वारा इस परियोजना प्रस्ताव को निम्नलिखित शर्त के अध्यधीन अनुमोदन प्रदान कर दिया है (1) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, इस खंड को इससे सटे दो खंडों में से किसी एक खंड में, इनके संबंधित रियायत करार के अनुसार व्याप्ति में परिवर्तन के प्रावधान के अंतर्गत निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण आधार पर शामिल किए जाने की संभावना का पता लगाए; और (2) यदि इस खंड को इससे सटे किसी एक खंड में शामिल किया जाना व्यवहार्य

नहीं है तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा समुचित औचित्य के साथ ईपीसी विधि के आधार पर परियोजना शुरू करने के लिए कार्यान्वयन विधि के परिवर्तन हेतु प्रस्ताव किया जा सकता है। संशोधित प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

2. रारा-1 के किमी. 407.100 से किमी. 456.100 तक ढिलवान-अमृतसर खंड:

इस खंड को 87.5% की भौतिक प्रगति के साथ निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण आधार पर 4 लेन का बनाया जा रहा है और इसे सितम्बर, 2009 तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

पीएमईजीपी के अंतर्गत बिहार को निधियां

363. श्री ओम प्रकाश यादव: क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के अंतर्गत बिहार को कितनी धनराशि का आबंटन किया गया; और

(ख) इससे कितने गांवों को लाभ हुआ?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) सूक्ष्म उद्यमों की स्थापनार्थ एक रोजगार सृजन कार्यक्रम प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) अगस्त, 2008 में अनुमोदित किया गया था और इसके कार्यान्वयन दिशा-निर्देश सितम्बर, 2008 में जारी किए गए थे। यह कार्यक्रम देश भर में कार्यान्वित किया जा रहा है जिसके लिए खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) एकल स्तरीय नोडल एजेन्सी होगी। इस कार्यक्रम के तहत वर्ष 2008-09 के दौरान बिहार राज्य में मार्जिन मनी के लिए 5152.18 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई है और वर्ष 2009-10 के लिए 6440.22 लाख रुपये आबंटित किए गए हैं। वर्ष 2008-09 में इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन की शुरूआत से पीएमईजीपी के तहत बिहार में अनुमानत- 67410 लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने हेतु 6741 इकाइयां संस्वीकृत की गई हैं। ग्रामवार ब्यौरा केवीआईसी के केन्द्रीय तौर पर नहीं रखा जाता है।

गैर-सरकारी संगठनों को विदेशी निधियां

364. श्री मनसुखभाई डी. वसावा:
श्री यशवंत लागुरी:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को विदेश से वित्तीय सहायता मिल रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में किन-किन संगठनों को दस लाख रुपये से अधिक वित्तीय सहायता के रूप में मिले;

(ग) क्या सरकार इन गैर-सरकारी संगठनों के कार्यकरण की समीक्षा यह सुनिश्चित करने हेतु करती है कि इन निधियों का प्रयोग इन गैर-सरकारी संगठनों द्वारा नियमों एवं सुरक्षा मानकों के अनुरूप किया जाए;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) जी हां, महोदया। विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अनुरूप कोई एसोसिएशन जिसका अपना निश्चित सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम है इस अधिनियम के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार से पंजीयन या पूर्वानुमति के बिना विदेशी अभिदाय स्वीकार नहीं कर सकती है।

(ख) उपलब्ध जानकारी के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान 10 लाख रुपये या उससे अधिक का विदेशी अभिदाय प्राप्त करने वाले एसोसिएशनों की संख्या निम्नलिखित सारणी में दी गई है:-

वर्ष	एसोसिएशनों की संख्या
2005-2006	5278
2006-2007	6483
2007-2008	6653

(ग) से (ङ) एसोसिएशनों द्वारा विदेशी अभिदाय की प्राप्ति एवं उसके उपयोग की मानीटरिंग एसोसिएशनों द्वारा प्रस्तुत लेखापरीक्षित वार्षिक विवरणियों की संवीक्षा करके की जाती है। अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करने की शिकायत या विपरीत जानकारी के मामले में एसोसिएशन की खाताबही एवं अभिलेखों की जांच की जाती है और उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

यदि कोई संगठन विदेशी अभिदाय के दुरुपयोग/विपथन में अन्तर्ग्रस्त पाया जाता है तो उस एसोसिएशन के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। इस कार्रवाई में (1) एसोसिएशन को पूर्वानुमति श्रेणी में रखना (2) इसे विदेशी अभिदाय प्राप्त करने से निषेध करना

(3) विधि के न्यायालय में इस पर अभियोजन करना (4) इसके बैंक खाते को फ्रीज करना शामिल है। गंभीर उल्लंघन के मामले में जहां यह पाया जाता है कि अभिदाय को एसोसिएशन के उद्देश्यों में उल्लिखित उद्देश्यों के अतिरिक्त अन्य उद्देश्यों के लिए विपथित किया जा रहा है तो, इस मामले को, आवश्यक समझे जाने पर, विस्तृत जांच एवं अभियोजन के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को भेज दिया जाता है।

प्राप्त शिकायतों तथा की गई जांच के आधार पर 41 एसोसिएशनों को विदेशी अभिदाय प्राप्त करने से निषेध किया गया 34 एसोसिएशनों को पूर्वानुमति श्रेणी में रखा गया और 11 एसोसिएशनों के खाते सील कर दिए गए। अधिनियम के विभिन्न उपबंधों का उल्लंघन करने पर जिन एसोसिएशनों के विरुद्ध कार्रवाई की गई उनकी सूची गृह मंत्रालय की वेबसाइट (http/mha.nic.in/fcra.htm) पर उपलब्ध है। एफसीआरए का उल्लंघन करने के 13 मामलों को विस्तृत जांच के लिए सीबीआई को भेजा गया है।

[अनुवाद]

भूमि की लवणता

365. श्री रामसिंह राठवा: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के तटीय क्षेत्रों के किसान भूमि में लवणता के प्रवेश की गंभीर समस्या का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार गुजरात राज्य सहित ऐसे क्षेत्रों को विशेष पैकेज प्रदान करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थामस): (क) से (ङ) उपलब्ध अनुमानों के अनुसार गुजरात राज्य सहित देश में लवणता की समस्या से लगभग तटवर्तीय क्षेत्रों में 1.33 मि. हैक्टेयर क्षेत्र प्रभावित है। जल संसाधन मंत्रालय द्वारा आयोजित भू-जल प्रबंधन और कृन्तिम रिचार्ज अध्ययन संकेत करता है कि तटीय एक्यूपरस में लवणता पूर्ण जल का प्रवेश मुख्य रूप से मेंगरोल-चोरवाड़ क्षेत्रों और गुजरात के समुद्रीय तट सौराष्ट्र में तमिलनाडु में मिनजुर क्षेत्रों, पांडिचेरी का समुद्र तट, तटीय क्षेत्र उड़ीसा के बागों, आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र और कर्नाटक के समुद्री तीटय क्षेत्रों में प्रवेश, करता है। महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भू जल में लवणतापूर्व प्रविष्टि द्वारा प्रभावित समुद्र तटीय क्षेत्र का जल संसाधन मंत्रालय द्वारा अध्ययन किया जाना है।

समुद्र तट से कुछ किलोमीटर से लेकर लगभग 50 किलोमीटर की श्रेणी तक पट्टीदार भूमि में समुद्रीय तटीय क्षेत्रों के साथ-साथ समुद्र तटीय लवणता फैली हुई है। समुद्र जल की मौसमी प्रविष्टि व्यापक अंर्तदेशीय क्षेत्रों की लवणता की और अग्रेषित होती है जो विशेषरूप से रबी के मौसम में, उत्पादकशीलता में आगे चलकर कमी लाती है। इस तरह, यह सारा क्षेत्र अधिकतम रूप से एकल फसलीय क्षेत्र है जो खरीफ (मानसून) मौसम में धान की फसल को उगाए जाने वाला क्षेत्र है।

भारत सरकार ने समुद्र तटीय लवणता के पुनर्सुधार और विकास के लिए किसी विशेष योजना को कार्यान्वित नहीं कर रही है। फिर भी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीआर) ने समुद्र तटीय कृषि की उत्पादकता में संवृद्धि किए जाने के उद्देश्य से निम्नलिखित प्रौद्योगिकियों का विकास किया है-

- रबी/ग्रीष्म ऋतु के दौरान खारा जल मछली द्वारा अनुमानित खरीफ के दौरान मीठा जल मछली सहित चावल पर मितव्ययतापूर्ण अंकुरक्षम्य भूमि प्रयोग एक मुरत कार्यक्रम।
- समुद्र तटीय धूल भरी भूमि में लणवतापूर्ण एक्यूफरस पर प्लवमान झागदार ताजे जल के लिए यरूबू प्रौद्योगिकी।
- निम्न तटीय क्षेत्रों में बाढ़ नियंत्रण के लिए ईट, क्षेपित भूयोजित तटबंधों का निर्माण।
- समुद्र तटीय लवणता पूर्ण भूमि के लिए धान की अनुकूल विविधताओं-जैसे सीएसआर-1, सीएसटी-2, सीएशआर-3, सीएसआर-4, सीएशटीआर-6, सीएसटी 7-1 और समती को उगाया जाना।
- आद्रता और लवणता प्रभावित क्षेत्रों के अंतर्गत रबी मौसम के दौरान चुकुन्दर, कपास, जौ, टमाटर, मिर्च और अलसी को पैदा करना।
- भूमि की सतह पर लणवता मिश्रण को कम किए जाने के उद्देश्य से धान की भूसी, धूल इत्यादि जैसे सुधारों सहित घासपात पर उगाए जाने का प्रदर्शन करना।
- गैर ज्वार भाटा समुद्र तटीय लवणतापूर्ण भूमि में एविसेनिया, साइलो कोरपस, एस्को कारिया, ब्रुगारिया, जैसे अनुकूल मैग्रो व का पादप रोपण।

गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्ग

366. श्री प्रभातसिंह पी. चौहान: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात राज्य में चार लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्गों के हिस्सों सहित कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं तथा उनकी कुल लंबाई कितनी है;

(ख) गुजरात राज्य में एनएचएआई की किन-किन परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है;

(ग) क्या सरकार द्वारा गुजरात में पूरे राष्ट्रीय राजमार्गों विशेषकर गोधरा, दाहोद, हिसलोल खण्ड जो इंदौर से जुड़ा है को चार लेन में परिवर्तित करने हेतु कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है तथा यह कार्य कब तक पूरा होगा?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर आर.पी.एन. सिंह): (क) गुजरात में 15 राष्ट्रीय राजमार्ग अर्थात् रारा-6, रारा-6 (विस्तार), रारा-8, रारा-8ए, रारा-8ए (विस्तार), रारा-8बी, रारा-8सी, रारा-8डी, रारा-8ई, रारा-8ई (विस्तार), रारा-14, रारा-15, रारा-15, रारा-59, रारा-113 और रारा-228 हैं। इनके अलावा, गुजरात में एक राष्ट्रीय एक्सप्रेस मार्ग एनई-1 भी है। गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई लगभग 3233 किमी है। इस कुल लंबाई में से लगभग 1576 किमी चार अथवा अधिक लेन की है।

(ख) गुजरात में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की चालू परियोजनाओं का ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करके चार लेन का बनाने का कार्य, पारस्परिक प्राथमिकता, यातायात आवश्यकताओं और धनराशि की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है। तथापि, गुजरात में 1700 किमी लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-1, चरण-2 और चरण-3 के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा चार लेन का बनाया जा रहा है/चार लेन बनाने के लिए अभिनिर्धारित किया गया है। गोधरा और दाहोद के बीच का सड़क खंड, रारा-59 पर पड़ता है और इंदौर से जुड़ता है। तथापि, दाहोद-हलोल खंड राज्यीय राजमार्ग पर पड़ता है। गुजरात में रारा-59 का संपूर्ण खंड अर्थात् अहमदाबाद-गोधरा-गुजरात मध्य प्रदेश सीमा (किमी. 4.20 से किमी. 215.900), राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-3 के अंतर्गत बीओटी (पथकर) आधार पर चार लेन का बनाने के लिए अभिनिर्धारित किया गया है। इस खंड के लिए निविदाताओं की पूर्व-अर्हता के लिए अर्हता हेतु अनुरोध (आरएफक्यू) आमंत्रित किया गया है।

इस परियोजना को वर्ष 2009-2010 के दौरान सौंपने का लक्ष्य है। परियोजना को सौंपने के पश्चात् इसे पूरा करने में लगभग 3 वर्ष लग सकते हैं।

विवरण

गुजरात राज्य में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा इस समय कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं की सूची

खंड	रारा संख्या	कुल लंबाई
राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-II		
गारामोड़ से बामनबोर (पैकेज-III)	8ए	71.4
गागोधर से गारामोड़ (पैकेज-IV)	15,8ए	90.3
राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-III		
गुजरात/महाराष्ट्र सीमा-सूरत-हजीरा पत्तन खंड	6	132.9
राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-IV		
वडोदरा से भरूच पैकेज बीओटी-I (छः लेन)	8	83.3
भरूच से सूरत पैकेज बीओटी-II (छः लेन)	8	65
सूरत-दहीसर (छः लेन)	8	239

[हिन्दी]

बीआरटी कोरिडोर

367. श्री विश्व मोहन कुमार: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दक्षिण दिल्ली का बस रैपिड ट्रांजिट कोरिडोर सुरक्षा की दृष्टि से खतरनाक है;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान बीआरटी कोरिडोर पर कुल कितनी मौतें एवं दुर्घटनाएं हुईं;

(ग) क्या सरकार को बीआरटी कोरिडोर पर भीड़भाड़ वाली बसों में महिलाओं एवं वयोवृद्ध लोगों के साथ दुर्व्यवहार की घटनाओं संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ङ) बीआरटी कोरिडोर पर यातायात को सामान्य यातायात सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) दिल्ली पुलिस के अनुसार ऐसी कोई विशिष्ट सूचना नहीं है जिससे यह प्रतीत हो कि सुरक्षा की दृष्टि से बीआरटी कोरिडोर को कोई खतरा उत्पन्न हो रहा है। दुर्घटनाओं, व्यक्तियों की मृत्यु और घायल हुए व्यक्तियों का ब्यौरा निम्नवत है:-

वर्ष	दुर्घटनाएं		व्यक्ति	
	सामान्य	घातक	मृत	घायल
2008	55	15	15	71
2009 से 15 जून तक	20	05	05	31

(ग) और (घ) इस प्रकार की कोई भी शिकायत दिल्ली पुलिस और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा प्राप्त नहीं की गई है।

(ङ) दिल्ली पुलिस ने उपयुक्त यातायात प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए बीआरडी कोरिडोर में दो यातायात गश्त मोटर साईकिल, दो उच्च अधीनस्थ तीन हैड कांस्टेबल और आठ कांस्टेबल तैनात किए हुए है। इसके अलावा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने यातायात विनियमन के लिए पुलिस की सहायता करने हेतु ट्रैफिक मार्शल तैनात किए हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने बीआरटी प्रयोक्ताओं के लाभ के लिए कुछ अतिरिक्त उपायों का अनुमोदन किया है जैसे कि चिराग दिल्ली और सिरीफोर्ट जंक्शन पर इंटर सेक्शन में सुधार, पैदल पार-पुल, आईटीएस सिस्टम स्थापित करना और पार्किंग स्थल उपलब्ध कराना।

[अनुवाद]

बोडोलैण्ड सेन्ट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी

368. श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कृषि क्षेत्र एवं कृषि आधारित तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने में सहायता करने हेतु लोअर असम के कोकराझार में एक बोडोलैण्ड सेन्ट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी और बोडोलैण्ड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रीक्ट (बीटीएडी) के अंतर्गत कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थामस): (क) और (ख) सरकार के पास कोकराझार में एक बोडोलैण्ड सेन्ट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। लोअर असम में 10 जिलों में से 7 जिलों में पहले से ही कृषि विज्ञान केन्द्र हैं। शेष 3 जिलों अर्थात् बास्का, उडलगुरी तथा चिरांग में कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना की स्वीकृति पहले ही दे दी गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पुलों का रखरखाव

369. श्री हुक्मदेव नारायण यादव:
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह:

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गंगा नदी पर पटना-हाजीपुर रोड पर महासेतु पुल, महात्मा गांधी पुल तथा एनएच-77 पर गोडिया पुल जर्जर दशा में हैं जिससे भारी जाम लगता है एवं अक्सर दुर्घटनाएं होती हैं;

(ख) यदि हां, तो इन पुलों की आयु, संभावित जीवन काल एवं उनके ऊपर वार्षिक रूप से रख-रखाव हेतु व्यय सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इनकी मरम्मत एवं अनुरक्षण हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या इन पुलों पर यातायात के जाम की समस्या को हल करने हेतु विशेषज्ञ दल द्वारा कोई अध्ययन किया गया है या किए जाने का विचार है; और

(ङ) इन पुलों की पूरी तरह से मरम्मत कब तक हो जाएगी?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर आर.पी.एन. सिंह): (क) से (ग) (1) महात्मा गांधी सेतु, जिसे पहले महासेतु के नाम से जाना जाता था, लगभग 27 वर्ष पुराना है। महात्मा गांधी सेतु की अधिसंरचना में कुछ क्षति हुई है जिसे प्राथमिकता के आधार पर ठीक किया जा रहा है। वर्ष 2002-03 से अब तक इस सेतु के पुनरुद्धार के लिए 28.91 करोड़ रु. व्यय किए गए हैं। 21.70 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से अपस्ट्रीम लेन के 14 स्पैन की मरम्मत और पुनरुद्धार के दो कार्य प्रगति पर हैं और इन्हें मार्च, 2010 तक पूरा कर लिए जाने का लक्ष्य है।

(2) महात्मा गांधी सेतु पर यातायात निर्बाध रूप से चल रहा है। तथापि, उपर्युक्त पैरा (1) में उल्लिखित अपस्ट्रीम लेन के 14 स्पैनों के मरम्मत कार्य के कारण यातायात को उन स्पैनों में डाउनस्ट्रीम लेन की ओर मोड़ दिया गया है।

(3) रारा 77 पर गोडिया पुल, जो गोढ़िया पुल के नाम से भी जाना जाता है, लगभग 100 वर्ष पुराना है। गत पांच वर्षों के दौरान, इस पुल की मरम्मत के लिए लगभग 2 लाख रु. प्रति वर्ष व्यय किया जा रहा है।

(घ) बिहार सरकार ने महात्मा गांधी सेतु की दशा के संबंध में एक अध्ययन पहले ही करा लिया है और इस पुल के पुनरुद्धार के लिए आवश्यक उपचारात्मक उपाय सुझाए हैं।

(ङ) वार्षिक योजना 2009-10 में महात्मा गांधी सेतु के पुनरुद्धार के लिए 30 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है। संस्वीकृति के पश्चात् इस कार्य को पूरा करने में लगभग एक वर्ष लगेगा।

[अनुवाद]

गोवा में सड़कों एवं पुलों की स्थिति

370. श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गोवा में कोरटालिम स्थित जौरी ब्रिज जर्जर अवस्था में है तथा कैनाकोना में दो पुलों का निर्माण न होने से राष्ट्रीय राजमार्ग पर यात्रियों को अत्यंत कठिनाई हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या गोवा में एनएच-17 संकरा एवं बुरी स्थिति में है जिससे अनेक दुर्घटनाएं होती हैं; और

(घ) यदि हां, तो गोवा में एनएच-17 को चौड़ा एवं मरम्मत करने हेतु उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है तथा इसके कब तक पूरा होने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 17 पर जौरी ब्रिज जर्जर अवस्था में नहीं है। 2001 में इस पुल का पुनरुद्धार किया गया था। तथापि, राज्य सरकार ने इस पुल पर यातायात को केवल हल्के व्यावसायिक वाहनों और यात्री बसों तक ही सीमित रखा है। कैनाकोना में दो पुलों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा तैयार किए गए परियोजना प्रस्ताव में शामिल किया गया है।

(ग) गोवा में राष्ट्रीय राजमार्ग-17 संकीर्ण नहीं है। यह अधिकांशत: अच्छी सड़क गुणता के साथ 7.00 चौड़ी दो लेन की सड़क है, हालांकि कुछ खंड 5.5 मीटर चौड़ाई वाले और मध्यम लेन के हैं।

(घ) गोवा में रारा-17 की संपूर्ण लंबाई को राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-III के अंतर्गत चार लेन का बनाए जाने का प्रस्ताव है और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने डिजाइन, निर्माण, वित्त, प्रचालन और हस्तांतरण आधार पर रियायत सौंपने की दृष्टि से परियोजना तैयार करने की प्रक्रिया और निविदादाताओं की अर्हता पूरी कर ली है। इस कार्य को 2010-2011 में शुरू किए जाने की संभावना है जिसे लगभग 3 वर्ष के समय में पूरा कर लिया जाएगा।

[हिन्दी]

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत मध्य प्रदेश को आवंटन

371. श्रीमती सुषमा स्वराज: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अंतर्गत मध्य प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों तथा गरीबी रेखा से ऊपर रहने वालों को आवंटित खाद्यान्नों की मात्रा में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश को पीडीएस के अंतर्गत आपूर्ति किए गए गेहूं, चावल, चीनी और किरोसीन तेल का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थामस): (क) से (ग) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन मध्य प्रदेश राज्य में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों (अंत्योदय अन्न योजना सहित) की समस्त स्वीकृत संख्या के लिए 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह की दर पर खाद्यान्नों का पूर्ण आबंटन किया जाता है। तथापि, गरीबी रेखा से ऊपर की श्रेणी के अधीन आबंटन केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों के स्टाक की उपलब्धता और विगत के उठान पर निर्भर करते हुए किया जाता है। मध्य प्रदेश सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 2008-09 के दौरान गरीबी रेखा से ऊपर की श्रेणी के अधीन चावल का आबंटन 2006-07 और 2007-08 के दौरान हुए औसत उठान के आधार पर किया गया था। इस श्रेणी के अधीन आरंभ में गेहूं का आबंटन 2007-08 के स्तर पर बनाए रखा गया था लेकिन बाद में 1.6 लाख टन गेहूं का अतिरिक्त आबंटन किया गया था। 2009-10 के लिए भी गरीबी रेखा से ऊपर के मासिक आबंटन मार्च, 2009 के स्तर पर रखे गए हैं।

मध्य प्रदेश राज्य के लिए पिछले तीन वर्षों में गेहूं, चावल, चीनी और मिट्टी के तेल के आबंटन के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

(हजार टन में)

वर्ष	गेहूं	चावल	चीनी (अक्तूबर-सितम्बर)	मिट्टी का तेल
2006-07	1614.274	1142.370	155.98	488.609
2007-08	1363.258	443.768	155.53	488.609
2008-09	1822.471	263.212	122.2*	488.609

*जुलाई, 2009 तक की स्थिति के अनुसार।

[अनुवाद]

मानसून का कृषि पर प्रभाव

372. श्री मधुगौड यास्खी:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस वर्ष मानसून के सामान्य से कम रहने की सम्भावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके कृषि पर सम्भावित प्रभाव, राज्य-वार क्या होंगे; और

(ग) इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा तैयार की गई आकस्मिक योजना/विशेष योजना का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थामस): (क) और (ख) 24 जून, 2009 को भारतीय मौसम विभाग द्वारा जारी अद्यतन पूर्वानुमान के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान (जून-सितम्बर) वर्षा सामान्य से कम होने की सम्भावना है। परिमाणात्मक रूप से, पूरे देश में वर्षा ±4% माडल त्रुटि के साथ दीर्घावधि औसत का 93% तक होने की सम्भावना है।

भिन्न-भिन्न राज्यों में खरीफ फसलों की बुआई पर प्रभाव संबंधित राज्यों में वर्षा की कमी के स्तर पर निर्भर करता है। अभी तक कई राज्यों जैसे महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पूर्वी उत्तर प्रदेश में मानसून के आगमन में 1 से 2 सप्ताह का विलम्ब हुआ। इसके परिणामस्वरूप, इन राज्यों में चावल, मूंगफली, सोयाबीन की बुआई करने में कुछ विलम्ब होने की जानकारी मिली है।

(ग) सरकार दिनंदिन आधार पर स्थिति की करीब से निगरानी कर रही है। राज्यों को सलाह दी गई है कि वे आपदाग्रस्त क्षेत्र, यदि कोई हो तो उसकी पहचान करें तथा उपचारात्मक उपाय भी करें। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत मंत्रालय आबंटनों की बढ़ोत्तरी करने पर विचार कर रहा है तथा कम वर्षा की स्थिति में, आकस्मिक परिस्थितियों जैसे कि बीजों की खरीद तथा वितरण, सूक्ष्म सिंचाई के लिए सहायता इत्यादि के लिए राज्यों को अधिक सुविधा देने पर भी मंत्रालय विचार कर रहा है।

किसानों को विशेष राहत पैकेज

373. श्री गुथा सुखेन्द्र रेड्डी: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसानों को बैंक से समय से ऋण प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है तथा उन्हें अपनी ऋण की जरूरतें बैंक के अलावा अन्य एजेंसियों से पूरी करनी पड़ रही हैं जिसके परिणामस्वरूप उन्हें भारी ऋण चुकाना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या सुधारात्मक कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सरकार ने विशेषकर मानसून आने में विलम्ब के मद्देनजर किसानों की समस्याओं को कम करने हेतु आगामी खरीफ की फसल के लिए किसी विशेष राहत पैकेज की घोषणा की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस विशेष पैकेज को कब तक घोषित किए जाने की संभावना?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थामस): (क) और (ख) मई, 2005 में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा जारी ''किसान परिवारों की ऋणग्रस्तता'' संबंधी रिपोर्ट के अनुसार, ऋणग्रस्त किसानों के बकाया ऋण का 57.7% बैंकों, सहकारी समिति और सरकार सहित औपचारिक/सांस्थानिक स्रोतों से प्राप्त किया गया था।

भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के परामर्श से सरकार ने उचित ब्याज दर पर किसानों को समय पर और पर्याप्त ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कई उपायों की शुरुआत की है। कुछ महत्वपूर्ण उपाय इस प्रकार हैं:-

- सरकार ने मूल धनराशि 3 लाख रुपए की ऊपरी सीमा तक के फसल ऋणों पर ब्याज दरें 7% तक कम कर दी हैं जो खरीफ 2006-07 से लागू हैं।
- 50,000/- रुपए के ऋण को सहवर्ती और मार्जित मुक्त किया गया है।
- बैंकों को परामर्श दिया गया है कि कृषि ऋणों के लिए प्रलेखन प्रक्रिया को सरल बनाया जाए।
- किसानों के लिए ऋण छूट और ऋण राहत स्कीम सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही है जिसके अंतर्गत 65,318.33 करोड़ रुपए की अनुमानित राशि 3.68 करोड़ किसानों के लिए ऋण छूट/राहत के रूप में उपलब्ध कराई गई है।
- अल्पावधिक ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थानों का पुनर्गठन करने के लिए वैद्यनाथन समिति द्वारा अनुशंसित के रूप में 13,596 करोड़ रुपए के अनुमानित वित्तीय परिव्यय का पैकेज क्रियान्वयन में है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वोत्तर राज्यों में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति

374. डा. प्रसन्न कुमार पाटसाणी: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पूर्वोत्तर राज्यों में कानून एवं व्यवस्था की खराब हो रही स्थिति की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में क्या उपचारी उपाय किए जा रहे हैं; और

(घ) पड़ोसी राज्यों में उग्रवाद के प्रसार को रोकने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) सरकार को आसाम, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में हिंसा की राज्य-वार घटनाओं के जनवरी से मई, 2009 तक के आंकड़े और विगत दो वर्षों की इसी अवधि के तुलनात्मक आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सरकार ने उग्रवादरोधी आप्रेशन चलाने और सुभेद्य संस्थाओं और प्रतिष्ठानों को सुरक्षा उपलब्ध कराने; आसूचना का आदान-प्रदान नियमित रूप से किए जाने; पुलिस आधुनिकीकरण स्कीम के अंतर्गत स्थानीय पुलिस बल और आसूचना एजेंसियों को सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने के लिए राज्य प्राधिकारियों की सहायता हेतु केन्द्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की है और सुरक्षा उपकरणों और उग्रवाद-रोधी आप्रेशनों को सुदृढ़ करने के लिए सुरक्षा संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति करके सहायता प्रदान की है। यह स्कीम मिजोरम और सिक्किम के सिवाय क्षेत्र के सभी राज्यों में कार्यान्वित की जा रही है। इंडिया रिजर्व बटालियनों के रूप में अतिरिक्त बलों के गठन के लिए भी इसने राज्यों को सहायता प्रदान की है।

विवरण

वर्ष 2007, 2008, 2009 के दौरान जनवरी से मई की अवधि के दौरान हिंसा की घटनाओं के आंकड़े

राज्य	घटनाएं			मारे गए सुरक्षा बल कार्मिक			मारे गए सिविलियन		
	2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
असम	248	207	221	9	8	20	132	93	83
मेघालय	5	6	3	–	1	–	3	–	–
त्रिपुरा	46	41	10	3	–	–	7	4	–
अरुणाचल प्रदेश	11	13	23	2	–	–	2	2	1
नागालैंड	128	145	56	1	2	–	21	35	2
मिजोरम	1	–	–	–	–	–	–	2	–
मणिपुर	240	262	311	23	7	7	46	76	40

सीआईएसएफ सुरक्षा घेरा

375. श्री एस.एस. रामासुब्बू: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विद्यालय एवं अन्य विविध संगठनों ने सुरक्षा घेरा प्रदान करने हेतु केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) से संपर्क किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र के अलावा अन्य संस्थापनाओं को सुरक्षा घेरा प्रदान करने हेतु विहित मानदण्ड सहित ब्यौरा क्या है; और

(ग) निजी क्षेत्र को सीआईएसएफ सुरक्षा देने के इन अनुरोधों पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) जी, हां।

(ख) 2 स्कूलों तथा 75 अन्य संगठनों से सीआईएसएफ की तैनाती किए जाने का अनुरोध प्राप्त हुआ है। निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप सीआईएसएफ तैनाती के लिए जरुरत आकलन हेतु सुरक्षा सर्वे और विस्तृत सुरक्षा आडिट करने के पश्चात् सीआईएसएफ की तैनाती गैर-सरकारी एवं संयुक्त सेक्टर के मुख्य उद्योगों में लागत प्रतिपूर्ति आधार पर की जाती है।

(ग) गैर-सरकारी क्षेत्र के संगठनों से सीआईएसएफ का सुरक्षा कवच प्रदान करने के अनुरोध पर गैर-सरकारी/संयुक्त सेक्टर के महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील प्रतिष्ठानों में सुरक्षा हेतु सीआईएसएफ की तैनाती के लिए निर्धारित नीति के अनुरूप जांच की जाती है।

राष्ट्रीय और राज्य राजमार्ग

376. श्री कालीकेश नारायण सिंह देव: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-वार, अलग-अलग कुल कितने किमी. राष्ट्रीय राजमार्ग/एक्सप्रेसवे और राज्य राजमार्ग हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान सड़कों के निर्माण और रख-रखाव हेतु कुल कितनी निधियां आबंटित की गईं;

(ग) क्या राजमार्गों एवं एक्सप्रेसवे के निर्माण में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने हेतु कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर आर.पी.एन. सिंह): (क) यह मंत्रालय मुख्यत: राष्ट्रीय राजमार्गों और राष्ट्रीय एक्सप्रेस मार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार है। राज्यीय राजमार्गों सहित राज्यीय सड़कों के विकास और अनुरक्षण की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की है। देश में राष्ट्रीय राजमार्गों/राष्ट्रीय एक्सप्रेस मार्गों और राज्यीय राजमार्गों का राज्य-वार ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) यह मंत्रालय केन्द्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के अनुसार, ग्रामीण सड़कों से भिन्न राज्यीय सड़कों के विकास और अनुरक्षण के लिए धनराशि प्रदान करता है। गत तीन वर्षों में और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों और ग्रामीण सड़कों से भिन्न राज्यीय सड़कों के विकास और अनुरक्षण के लिए किए गए निधि आबंटन का राज्य-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(करोड़ रुपए)

वर्ष	ग्रामीण सड़कों को छोड़कर राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्यीय सड़कों के विकास और अनुरक्षण के लिए आबंटन
1	2
2006-07	13790.80
2007-08	15007.92
2008-09	16906.91
2009-10	5596.83*

*लेखानुदान के अनुसार

(ग) और (घ) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और अनुरक्षण एक सतत् प्रक्रिया है यह कार्य यातायात, इसकी वृद्धि, पारस्परिक प्राथमिकता और धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर करता है। इस समय और सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की बजाए पहले से राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित सड़कों के विकास पर बल दिया जा रहा है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे/राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	लंबाई (किमी)	राज्यीय राजमार्ग लंबाई (किमी) (2004 की स्थिति के अनुसार)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	4, 5, 7, 9, 16, 18, 18ए, 43, 63, 202, 205, 214, 214ए, 219, 221, 222 और 234	4537	8349
2.	अरुणाचल प्रदेश	52, 52ए, 153, 229, 52बी का विस्तार और 37 का विस्तार	1992	एनआर*
3.	असम	31, 31बी, 31सी, 36, 37, 37ए, 38, 39, 44, 51, 52, 52ए, 52बी, 53, 54, 61, 62, 151, 152, 153 और 154	2836	2821
4.	बिहार	2, 2सी, 19, 28, 28ए, 28बी, 30, 30ए, 31, 57, 57ए, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 और 110	3642	2382
5.	चंडीगढ़	21	24	एनआर*
6.	छत्तीसगढ़	6, 12ए, 16, 43, 78, 200, 202, 216, 217, 111 और 221	2184	3213
7.	दिल्ली	1, 2, 8, 10 और 24	72	शून्य
8.	गोवा	4ए, 17, 17ए और 17बी	269	279

1	2	3	4	5
9.	गुजरात	एनई-1, 6, 8, 8ए, 8बी, 8सी, 8डी, 8ई, 14, 15, 59, 113 और 228	3245	19176
10.	हरियाणा	1, 2, 8, 10, 21ए, 22, 64, 65, 71, 71ए, 72, 73, 73ए, 71बी और एनई-2	1512	2536
11.	हिमाचल प्रदेश	1ए, 20, 20ए, 21, 21ए, 22, 70, 72, 72बी 88 और 73ए	1409	1518
12.	जम्मू और कश्मीर	1ए, 1बी, 1सी और 1डी	1245	67
13.	झारखंड	2, 6, 23, 31, 32, 33, 75, 78, 80, 98, 99 और 100	1805	एनआर*
14.	कर्नाटक	4, 4ए, 7, 9, 13, 17, 48, 63, 67, 206, 207, 209, 212, 218 और 234	4396	9590
15.	केरल	17, 47, 47ए, 47सी, 49, 208, 212, 213 और 220	1457	3523
16.	मध्य प्रदेश	3, 7, 12, 12ए, 25, 26, 26ए, 27, 59, 59ए, 69, 75, 76, 78, 86 और 92	4670	8099
17.	महाराष्ट्र	3, 4, 4बी, 4सी, 6, 7, 8, 9, 13, 16, 17, 50, 69, 204, 211 और 222	4176	33237
18.	मणिपुर	39, 53, 150 और 155	959	1118
19.	मेघालय	40, 44, 51 और 62	810	831
20.	मिजोरम	44, 54, 54ए, 54बी, 150 और 154	927	126
21.	नागालैंड	36, 39, 61, 150 और 155	494	398
22.	उड़ीसा	5, 5ए, 6, 23, 42, 43, 60, 75, 200, 201, 203, 203ए, 215, 217 और 224	3704	4957
23.	पुडुचेरी	45ए और 66	53	35
24.	पंजाब	1, 1ए, 10, 15, 20, 21, 22, 64, 70, 71, 72 और 95	1557	1515
25.	राजस्थान	3, 8, 11, 11ए, 11बी, 11सी, 12, 14, 15, 65, 71बी, 76, 79, 79ए, 89, 90, 113, 112, 114 और 116	5585	8412
26.	सिक्किम	31ए	62	186
27.	तमिलनाडु	4, 5, 7, 7ए, 45, 45ए, 45बी, 45सी, 46, 47, 47बी, 49, 66, 67, 68, 205, 207, 208, 209, 210, 219, 220, 226, 226ई, 227, 230 और 234	4832	7226
28.	त्रिपुरा	44 और 44ए	400	689
29.	उत्तराखंड	58, 72, 72ए, 72बी, 73, 74, 87, 94, 108, 109, 123, 119, 121, 87 का विस्तार और 125	2042	418

1	2	3	4	5
30.	उत्तर प्रदेश	2, 2ए, 3, 7, 11, 12ए, 19, 24, 24ए, 24बी, 25, 25ए, 26, 27, 28, 28बी, 28सी, 29, 56, 56ए, 56बी, 58, 72ए, 73, 74, 75, 76, 86, 87, 91, 91ए, 92, 93, 96, 97, 119, 231, 232, 232ए, 233, 235 और एनई-2	6774	9097
31.	पश्चिम बंगाल	2, 2बी, 2बी का विस्तार, 6, 31, 31ए, 31सी, 31डी, 32, 34, 35, 41, 55, 60, 60ए, 80, 81 और 117	2578	3337
32.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	223	300	एनआर*
33.	दादरा और नगर हवेली	शून्य		42
34.	दमन और दीव	शून्य		एनआर*
35.	लक्षद्वीप	शून्य		एनआर*

*एनआर-संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई।

कारागारों में निर्धारित से अधिक संख्या में कैदी रखा जाना

377. श्री एम. राजा मोहन रेड्डी: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कारागारों में निर्धारित संख्या से अधिक कैदी रखे जाने की समस्या एक बड़ी समस्या है;

(ख) यदि हां, तो कारागारों में निर्धारित संख्या से अधिक संख्या में कैदी रखे जाने की समस्या को हल करने हेतु राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) देश में कुल कितने कारागार हैं तथा उनकी क्षमता एवं वहां बंद विचाराधीन कैदियों की प्रतिशतता क्या है; और

(घ) जेलों में निर्धारित से अधिक कैदी रखे जाने की स्थिति को न्यूनतम स्तर तक लाने हेतु आगामी समय में क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) जी हां, भारतीय जेलों में 135.7% सीमा तक भीड़-भाड़ है।

(ख) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-2 के अंतर्गत ''जेल'' राज्य का विषय है और जेल प्रशासन राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। तथापि, जेलों में भीड़-भाड़ कम करने और जेलों एवं कैदियों की स्थिति में सुधार करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने जेलों में भीड़-भाड़ कम करने के लिए अतिरिक्त जेलें/बैरकें बनाने, मौजूदा जेलों की मरम्मत करने, उनका पुनर्नवीकरण करने, कारागार कार्मिकों के लिए रिहायश और कैदियों के जीवन स्तर, जलापूर्ति एवं स्वच्छता में सुधार करने के लिए वर्ष 2002-03 में एक योजनेतर स्कीम शुरू की थी। यह योजना केन्द्रीय और राज्य सरकारों के बीच क्रमश: 75:25 के अनुपात में लागत भागीदारी आधार पर 1800 करोड़ रुपये की है। यह योजना अब 31.3.2009 को समाप्त हो गई है।

(ग) राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा संग्रहित आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2007 की समाप्ति पर देश में कुल 1276 जेलें थीं। इन जेलों की प्राधिकृत क्षमता 277304 है। इन जेलों में 250727 विचारणाधीन लोगों को रखा गया जो कुल अन्त:वासियों का 66.6% है।

(घ) जेलों में भीड़-भाड़ को कम करने के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं:-

(1) दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 में संशोधन करके 23.6.2006 को 436क नामक एक नया अनुच्छेद जोड़ना जिसमें यह प्रावधान है कि मृत्यु दंड की सजा प्राप्त व्यक्ति को छोड़कर, अन्य सजायाफ्ता व्यक्तियों, जिन्होंने तथाकथित अपराध के लिए प्राविधानित कारावास की अवधि से आधी से अधिक अवधि की सजा काट ली है, को बिना जमानत के निजी मुचलके पर रिहा कर दिया जाएगा। इसमें यह भी प्रावधान है कि किसी भी विचारणाधीन कैदी को तथाकथित अपराध के लिए

निर्धारित अधिकतम कारावास अविध से अधिक समय के लिए किसी मामले में नजरबंद नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 436(1) में यह अनिवार्य प्रावधान करने के लिए 23.6.2006 को संशोधन किया गया है कि यदि दोषी व्यक्ति जमानत योग्य अपराध का अपराधी है और वह निर्धन है एवं जमानत नहीं दे सकता तो न्यायालय उसे बिना जमानत के एक बंधपत्र निष्पादित करने पर रिहा कर देगा।

(2) काफी समय से लंबित मामलों का निपटान करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्टों की स्थापना करना।

(3) 5.7.2006 से प्ली बारगेनिंग की स्कीम शुरू करना।

उपरोक्त उपायों के अतिरिक्त, भारत सरकार ने अप्रैल, 2008 में हुए जेल मंत्रियों/प्रधान सचिवों (कारागार)/डीजी/आईजी (कारागार) के अखिल भारतीय सम्मेलन में राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के साथ विचार-विमर्श करने के बाद कारागारों के आधुनिकीकरण की योजना के दूसरे चरण को प्रतिपादित करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। दूसरे चरण में प्रस्तावित किए गए अन्य घटकों के अतिरिक्त, नए जेलों/अतिरिक्त बैरकों के निर्माण परजोर दिया जाना चाहिए जिससे कि निर्धारित संख्या की अधिकता की समस्या को दूर किया जा सके।

तांबे की मांग

378. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम: क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल में तांबे की मांग में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) घरेलू और विदेशी दोनों बाजारों में तांबे की मांग को बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

खान मंत्री और उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री बी.के. हान्डिक): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारत सरकार द्वारा विद्युत, अवसंरचना और आटोमोबिल क्षेत्रों पर बल दिए जाने से और तैयार तांबा उत्पादों और तांबा सांद्र पर आयात शुल्क में कटौती से घरेलू बाजार में तांबे की खपत में वृद्धि हुई है।

डीएमआरसी में सीआईएसएफ की तैनाती

379. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख तक दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन (डीएमरआसी) में कुल कितने केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के जवान तैनात हैं;

(ख) क्या जीएमआरसी ने सुरक्षा के बढ़ रहे खतरों से निपटने हेतु अतिरिक्त सीआईएसएफ कार्मिकों की मांग की है;

(ग) यदि हां, तो इस पर की गई कार्रवाई सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) सरकार ने दिल्ली मैट्रो रेल कारपोरेशन (डीएमआरसी) को सुरक्षा कवर मुहैय्या कराने के लिए केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में 3039 पदों का सृजन किया है। इनके अतिरिक्त, डीएमआरसी की सुरक्षा के लिए आन्तरिक सुरक्षा डियूटी पद्धति पर 432 सीआईएसएफ कार्मिकों को तैनात किया गया है।

(ख) से (घ) डीएमआरसी की सुरक्षा जरूरत के मद्देनजर समय-समय पर की गई समीक्षा के आधार पर डीएमआरसी की सुरक्षा के लिए तैनात सीआईएसएफ कार्मिकों की नफरी का संवर्धन किया जाना एक सतत प्रक्रिया है।

ठेका कृषि

380. श्री एन. चेलुवरया स्वामी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कतिपय राज्यों में ठेका कृषि व्यापक पैमाने पर की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ठेका कृषि संबंधी कानून के अभाव में किसानों को भारी हानि हो रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों से ठेका कृषि संबंधी कानून अधिनियमित करने का अनुरोध किया है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में राज्यों द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थामस): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) कृषि में सुधारों के रूप में ठेका कृषि को बढ़ावा देने की दृष्टि से केन्द्रीय सरकार ने 2003 में राज्यों को माडल कृषि उत्पाद विपणन (विनियमन) अधिनियम परिचालित किया है जो कृषि उत्पादन विपणन समिति (एपीएमसी) या अधिनियम के अधीन एक निर्धारित प्राधिकरण सहित, शीर्षक संरक्षण या ऐसे ठेकों के अंतर्गत किसानों के भूमि पर अधिकार, विवाद निपटान क्रियाविधि और विभिन्न निबंधों और शर्तों का सुझाव देते हुए एक आदर्श प्रारूप अनुबंध से ठेका कृषि प्रयोजनों के पंजीकरण और ठेका कृषि अनुबंधों के अभिलेख रखने को मार्गदर्शी सिद्धांतों को दर्शाता है। इस संबंध में नियमों को तैयार किए जाने संबंधी कार्यों में राज्य की सहायता किए जाने के उद्देश्य से, कृषि मंत्रालय ने उन्हें अपनाने के लिए एक आदर्श एपीएमसी नियमों का समुच्चय भी परिचालित किया है। अब तक, अनेक राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा ठेका कृषि से संबंधित वैधानिक संरचना प्रदान किए जाने के लिए आने संबंधित एपीएमसी अधिनियमों में ठेका कृषि के लिए सुसंगत प्रावधानों को तैयार किया है। मंत्रालय द्वारा परिचालित आदर्श अधिनियम सुझावात्मक स्वरूप में है, और जैसे कि कृषि एक राज्यगत विषय है, यह राज्य सरकार का विषय है कि वह इसके कार्यान्वयन, अन्तरिम मध्यस्थता पर निर्णय करें और अपने राज्यों में ठेका कृषि प्रबंधन का अनुवीक्षण करें।

अंतर्राज्यीय सड़कें

381. श्री जी.एम. सिद्देश्वर: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार से अंतर्राज्यीय सड़कों संबंधी प्राप्त प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन अंतर्राज्यीय सड़कों का प्राक्कलन क्या है जो सरकार के पास तकनीकी मंजूरी एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु लंबित हैं तथा ये कब से लंबित हैं; और

(घ) सरकार द्वारा कितने प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है तथा उनका प्राक्कलन क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर आर.पी.एन. सिंह): (क) जी, नहीं। इस मंत्रालय में चालू वित्त वर्ष के दौरान कर्नाटक से कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क के अंतर्गत प्रस्तावों पर, वर्ष दर वर्ष आधार पर विचार किया जाता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क योजना के अंतर्गत अभी तक 23 प्रस्ताव सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित किए गए हैं और राज्य सरकार ने अनुमोदित प्रस्तावों के संदर्भ में 21 प्राक्कलन भेजे हैं जिन्हें मंत्रालय द्वारा पहले ही कुल मिलाकर लगभग 83 करोड़ रु. की लागत से संस्वीकृत कर दिया गया है।

राजमार्गों का घटिया रखरखाव

382. श्री नवीन जिन्दल: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राजमार्गों के विशेषकर राष्ट्रीय राजमार्ग-1 के घटिया रख-रखाव के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सभी राजमार्गों के त्वरित सुधार के लिए क्या उपाय अपनाएं जा रहे हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर आर.पी.एन. सिंह): (क) से (ग) राष्ट्रीय राजमार्ग 1 के किमी 16.5 से किमी 29.3 की खराब दशा सहित राष्ट्रीय राजमार्गों के कुछ खंडों के बार में समय-समय पर शिकायतें प्राप्त हुई हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास एवं अनुरक्षण एक सतत् प्रक्रिया है और देश में राष्ट्रीय राजमार्गों को यातायात घनत्व और कार्यों की पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर, उपलब्ध संसाधनों के अंदर यातायात योग्य स्थिति में रखा जाता है। तदनुसार, बाढ़, वर्षा आदि से विभिन्न राज्यों में क्षतिग्रस्त राष्ट्रीय राजमार्गों के खंडों को बहाल करने के लिए समय-समय पर कार्रवाई की जाती है ताकि ऐसे खंडों को यातायात योग्य स्थिति में रखा जा सके। जहां कहीं भी 4/6 लेन बनाने का कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत कार्यान्वयन के अधीन है, वहां विद्यमान सड़कों को यातायात योग्य स्थिति में रखने के लिए ठेकेदार/रियायतग्राही द्वारा, ठेका/रियायत करार के अंतर्गत अपने दायित्व के तौर पर इनका अनुरक्षण कार्य किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों के विद्यमान खंडों का अनुरक्षण कार्य या तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है या फिर जहां ऐसे खंडों में 4/6 लेन बनाने का कार्य अभी तक

प्रारंभ नहीं हुआ है, वहां भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गई धनराशि से संबंधित राज्य लोक निर्माण विभागों के माध्यम से अनुरक्षण कार्य कराया जाता है। ऐसे सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को धनराशि की उपलब्धता, यातायात, घनत्व, क्षति की सीमा तथा परस्पर प्राथमिकता के अनुसार यातायात योग्य स्थिति में रखा जाता है।

जलपाईगुड़ी दूरदर्शन केन्द्र

383. श्री नरहरि महतो:
श्री नृपेन्द्र नाथ राय:
श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इसकी जानकारी है कि कई वर्षों से दूरदर्शन केन्द्र, जलपाईगुड़ी का क्षमता से कम उपयोग हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या दूरदर्शन केन्द्र, जलपाईगुड़ी में कर्मचारियों की कमी के कारण कार्यक्रमों का प्रसारण प्रभावित हुआ है और इनका प्रसारण दूरदर्शन केंद्र, कोलकाता से किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) दूरदर्शन केन्द्र, जलपाईगुड़ी द्वारा अपने कार्यक्रमों का स्वयं प्रसारण कब तक किए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. जगतरक्षकन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दूरदर्शन केन्द्र, जलपाईगुड़ी सीमित स्थानीय विशिष्ट कार्यक्रम के निर्माण हेतु एक कार्यक्रम निर्माण सुविधा केन्द्र (पी.जी.एफ.) है। सोमवार से शुक्रवार तक सायं 5 बजे से सायं 6 बजे तक एक घंटे के कार्यक्रम नियमित रूप से निर्मित एवं प्रसारित किए जाते हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) दूरदर्शन केन्द्र, जलपाईगुड़ी पहले से ही अपने कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है।

डिब्बा बंद वस्तुओं के मानकीय मूल्य

384. श्री पूर्णमासी राम: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने डिब्बाबंद वस्तुओं के अधिकतम खुदरा मूल्य के अतिरिक्त मानकीय मूल्य की घोषणा किए जाने के संबंध में विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थामस): (क) जी, हां।

(ख) विशेषज्ञ समिति ने निम्नलिखित सिफारिशें की हैं:-

(1) पैक बंद मदों पर अधिकतम खुदरा मूल्य के अलावा मानकीय मूल्य घोषित करना न तो व्यावहारिक है और न ही उचित।

(2) जिन पैक बन्द वस्तुओं के संबंध में उत्पाद शुल्क केन्द्रीय उत्पाद अधिनियम के अनुसार पैकेज पर घोषित अधिकतम खुदरा मूल्य के आधार पर निर्धारित किया जाता है वहां अधिकतम खुदरा मूल्य बताने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं है।

(3) अन्य वस्तु के संबंध में अधिकांश सदस्यों ने यह महसूस किया कि बाजार में प्रतिस्पर्धा लाने के प्रयास किये जाने चाहिएं और प्रतिस्पर्धा आयोग को इसकी निगरानी की शक्तियां दी जानी चाहिएं। सरकार ने विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट की एक प्रति ऊपर (3) पर उल्लिखित कार्रवाई के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को भेजी गई थी।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्ष 2008-09 के दौरान आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों की बारीकि से निगरानी की गई और कतिपय आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बढ़ाने एवं मूल्यों को स्थिर करने के लिए विभिन्न उपाय किए गए। आबादी और आय में इजाफा होने के कारण बढ़ती

मांग, अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में बढ़ोतरी, खपत पद्धति में बदलाव, खाद्यान्नों का जैव ईंधन के लिए प्रयोग, प्रतिकूल मौसम और जलवायु परिवर्तन, कच्चे तेल के मूल्यों में वृद्धि तथा भाड़े की दरों में बढ़ोतरी जैसे तथ्यों के संयुक्त प्रभाव के कारण घरेलू मूल्यों में वृद्धि हुई।

सरकार मूल्यों को संतुलित रखने के लिए प्रभावी कदम उठाती रही है। सरकार द्वारा किए गए उपाय संक्षेप में नीचे दिए गए हैं:-

क. अल्पकालिक उपाय

राजकोषीय उपाय

(1) चावल, गेहूं, दालों, खाद्य तेलों (कच्चा) और मकई तथा मक्खन व घी के लिए आयात शुल्क को घटाकर शून्य किया गया है।

(2) रिफाइण्ड और हाइड्रोजनीकृत तेलों तथा वनस्पति तेलों पर आयात शुल्क को घटाकर 7.5 प्रतिशत किया गया है।

(3) स्किम्ड मिल्क पाउडर पर आयात शुल्क को 15 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।

2. प्रशासनिक उपाय

(1) पांच कि.ग्रा. तक के ब्राण्डेड कंज्यूमर पैक में खाद्य तेलों के निर्यात की अनुमति दी गई है किन्तु अगले एक वर्ष के दौरान 31 अक्तूबर, 2009 तक उसकी सीमा 10,000 टन होनी चाहिए।

(2) गैर-बासमती चावल, गेहूं और दालों (काबुली चने को छोड़कर) के निर्यात पर प्रतिबंध।

(3) खाद्य तेलों के शुल्क दर मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं।

(4) धान, चावल, खाद्य तेलों और तिलहनों के मामले में स्टाक लिमिट आदेशों का अधिरोपण।

(5) न्यूनतम समर्थन मूल्य में समय-समय पर वृद्धि - इस समय गेहूं के लिए 1080 रुपए प्रति क्विंटल, सामान्य चावल के लिए 850 रुपए प्रति क्विंटल और ग्रेड 'ए' चावल के लिए 880 रुपए प्रति क्विंटल है ताकि गेहूं और चावल की अधिक खरीद की जा सके और उच्चतर उत्पादन को प्रोत्साहन मिले।

(6) 20.1.2009 से प्याज (जून, 2009 के लिए औसत 185 अमरीकी डालर प्रति मीट्रिक टन) और बासमती चावल (1100 अमरीकी डालर प्रति मीट्रिक टन) के निर्यात को विनियमित करने के लिए न्यूनतम निर्यात मूल्य का प्रयोग।

(7) चावल (गरीबी रेखा से नीचे के लिए 5.65 रुपए प्रति कि.ग्रा. और अंत्योदय अन्न योजना के लिए 3 रुपए प्रति कि.ग्रा.) और गेहूं (गरीबी रेखा से नीचे के लिए 4.15 रुपए प्रति कि.ग्रा. और अंत्योदय अन्न योजना के लिए 2 रुपए प्रति कि.ग्रा.) के लिए केन्द्रीय निर्गम मूल्य को कायम रखा गया।

(8) वायदा बाजार आयोग द्वारा वर्ष 2007-08 में चावल, गेहूं, उड़द और तूर के भावी सौदा व्यापार पर लगाया गया निलंबन वर्ष 2008-09 के दौरान जारी रहा। चीनी के भावी सौदा व्यापार को 27.5.2009 से 31 दिसम्बर, 2009 तक निलंबित किया गया है। यह मुद्रास्फीति की अपेक्षाओं को नकारने के लिए पूर्ण एहतियात के रूप में उठाया गया कदम था।

(9) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को 15 रुपए प्रति कि.ग्रा. की दर से सब्सिडी पर 1 मिलियन टन आयातित खाद्य तेलों का वितरण।

(10) दालों की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (अर्थात् एसटीसी, एमएमटीसी पीईसी) और नेफेड को स्कीम के तहत दालों के आयात और विक्रय की अनुमति दी गई तथा घाटों, यदि कोई हो, की 15 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा की जाएगी।

(11) राज्य सरकारों को 10 रुपए प्रति कि.ग्रा. की सब्सिडी पर आयातित दालों का वितरण।

(12) सरकार ने अग्रिम प्राधिकरण स्कीम के तहत कच्ची चीनी के आयात की अनुमति दे दी है और चीनी फैक्टरियों को कच्ची चीनी को घरेलू बाजार में बेचने तथा निर्यात की जिम्मेदारी को टन-टून-टन आधार पर पूरा करने की अनुमति दी है।

(13) सरकार ने शूगर मिलों द्वारा (शून्य शुल्क पर) 30.9.2009 तक (17.2.2009 और 2.3.2009 को अधिसूचित) अग्रिम प्राधिकरण स्कीम के तहत कच्ची चीनी के आयात की अनुमति दे दी है।

(14) सरकार ने चीनी मिलों द्वारा 1.8.2009 तक खुले सामान्य लाइसेंस के तहत शून्य शुल्क पर कच्ची चीनी के आयात की अनुमति दे दी है (17.4.2009 को अधिसूचित)।

(15) सरकार ने शून्य शुल्क पर सामान्य खुले लाइसेंस के तहत 1.8.2009 तक एमसटीसीसी/पीईसी और नेफेड द्वारा सफेद/रिफाइण्ड चीनी के एक मिलियन टन तक आयात की अनुमति दे दी है (17.4.2009 को अधिसूचित)।

(16) सभी आयातित कच्ची चीनी और सफेद/रिफाइंड चीनी के संबंध में लेवी की जिम्मेदारी हटा ली है।

(17) सरकार ने अप्रैल-जून, 2009 की तिमाही के लिए 6 लाख टन अतिरिक्त गैर लेवी चीनी रिलीज जिससे कुल रिलीज 60 लाख टन हो गयी जबकि 2008 में तदनुरूपी तिमाही में यह 50 लाख टन जनवरी-मार्च, 2009 में 50 लाख टन थी।

(18) अप्रैल, 2009 के लिए गैर लेवी चीनी की उपलब्धता रिलीज किए गए अतिरिक्त कोटा सहित 22 लाख टन थी जो मार्च, 2009 के लिए 17 लाख टन और अप्रैल, 2008 के लिए 17 लाख टन थी। मई, 2009 के लिए रिलीज किए गए अतिरिक्त कोटा सहित रिलीज की गई गैर-लेवी चीनी 21 लाख टन थी जो मई, 2008 के लिए 17.5 लाख टन थी। जून, 2009 के लिए रिलीज की गई गैर लेवी चीनी 16 लाख टन है जो जून, 2008 के लिए 13.5 लाख टन थी। इसके अलावा, चीनी मिलों द्वारा आयातित और प्रसंस्कृत लगभग 1 लाख टन कच्ची चीनी को जून, 2009 के दौरान रिलीज किया गया है।

(ख) मध्यकालिक उपाय

सरकार ने कृषि में उत्पादन और उत्पादकता में सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जैसी पहलें की हैं।

फसलों की खरीद

385. श्री राजैया सिरिसिल्ला: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कपास निगम तथा नैफेड बाजार में आने वाली फसलों की आधी मात्रा की खरीद कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो आंध्र प्रदेश सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस खरीद द्वारा चालू वर्ष के दौरान कितना राजस्व अर्जित किया गया?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थामस): (क) कपास मौसम 2008-09 के दौरान भारत कपास निगम और नेफेड न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्य के अधीन केन्द्रीय एजेंसियां हैं। देश में कपास का कुल आवक 284.20 लाख गांठें हैं जिनमें से भारतीय कपास निगम (89.35 लाख गांठें) और नेफेड (37.72 लाख गांठें) द्वारा लगभग 127.07 लाख गांठें खरीदी गई हैं। जो लगभग 44 प्रतिशत हैं।

(ख) वर्ष 2008-09 कपास फसल मौसम के दौरान भारतीय कपास निगम और नेफेड द्वारा कपास की गांठों की खरीद का राज्य-वार ब्यौरा निम्नलिखित है:

(संख्या-लाख गांठ)

राज्य	भारतीय कपास निगम	नेफेड
महाराष्ट्र	19.97	35.21
आंध्र प्रदेश	32.77	1.34
गुजरात	12.36	1.17
पंजाब	10.43	–
हरियाणा	2.58	–
राजस्थान	1.55	–
मध्य प्रदेश	7.36	–
कर्नाटक	1.62	–
उड़ीसा	0.71	–
कुल	89.35	37.72

(ग) न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यक्रम के अधीन कपास की खरीद हेतु भारतीय कपास निगम और नेफेड केन्द्रीय एजेंसियां हैं। यदि न्यूनतम समर्थन मूल्य के अधीन खरीद में किसी प्रकार की क्षति होती है तो भारत सरकार द्वारा पूर्णरूपेण उसकी क्षतिपूर्ति की जाती है। चूंकि कपास मौसम 2008-09 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की लागत बाजार मूल्य से अधिक थी अत: ऐसे कार्यों के अधीन राजस्व (लाभ) प्राप्त हुआ।

खादी एवं ग्राम उद्योगों को छूट

386. श्री पी. करुणाकरन:
श्री विलास मुत्तेमवार:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में खादी एवं ग्राम उद्योगों के विकास के लिए सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाली छूट का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार के पास उक्त छूट योजना को वापस लेने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार वर्ष-दर-वर्ष आधार पर इस योजना को बढ़ाने की बजाय इसका परिरूप पुन: तैयार करने के लिए योजना आयोग से स्वीकृति लेने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या इस संबंध में कोई संशोधित योजना तैयार की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) देश में खादी एवं ग्राम उद्योगों तथा वस्त्र क्षेत्र को बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या अन्य उपाय किए जा रहे हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) विगत तीन वर्षों के दौरान, सरकार द्वारा खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से खादी एवं खादी उत्पादों की बिक्री पर प्रदान की गई छूट का ब्यौरा निम्नोक्त है:

वर्ष	राशि (करोड़ रु.)
2006-07	101.47
2007-08	84.05
2008-09	136.22

(ख) से (च) सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष खादी एवं खादी उत्पादों की खुदरा बिक्री पर छूट घोषित की जाती है। उपभोक्ताओं को वर्ष भर खादी की बिक्री पर 10 प्रतिशत की सामान्य छूट दी जाती है तथा स्थानीय त्यौहारों, आदि के समय 108 दिवसों के लिए 10 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त विशेष छूट भी दी जाती है। सरकार द्वारा गठित कई समितियों ने खादी पर छूट देने संबंधी प्रश्नों पर विचार किया है और यह पाया कि खादी को विकसित करने के उद्देश्य की पूर्ति के लिए इसकी कम उत्पादकता को ध्यान में रखते हुए समर्तन दिए जाने की आवश्यकता है, ताकि यह क्षेत्र मुक्त बाजार संबंधी प्रतिस्पर्धात्मकता का सामान करने योग्य बन सकें और उपभोक्ताओं का न केवल छूट अपितु गुणवत्ता, डिजाइन और अपील के जरिए आकर्षित किया जा सके।

विभिन्न समितियों की सिफारिशों तथा वित्त मंत्रालय द्वारा की गई अभ्युक्तियों के आधार पर सरकार ने छूट योजना का प्रभावी विकल्प खोजने की आवश्यकता अनुभव की है और खादी के उत्पादन संबंधी विपणन विकास सहायता (एमडीए) योजना पर विचार कर रही है। योजना के विस्तृत विवरण तैयार किए जा रहे हैं।

(छ) सरकार ने खादी एवं ग्रामोद्योग क्षेत्रों के विकास के लिए कई उपाय किए हैं, जिनमें दो नई योजनाएं, अर्थात् कारीगरों को बेहतर कार्य वातावरण उपलब्ध कराते हुए वर्कशेड के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने हेतु 'खादी कारीगरों के लिए वर्कशेड योजना' तथा अप्रचलित एवं पुरानी मशीनरी एवं उपकरण प्रतिस्थापित करके खादी उद्योग को और अधिक बाजार चालित एवं लाभदायी उत्पादन के जरिए प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए 200 खादी संस्थानों की सहायता के लिए 'खादी उद्योग एवं कारीगरों के उत्पादकता एवं प्रतिस्पर्धात्मकता में विस्तार' संबंधी योजना शामिल हैं।

[हिन्दी]

जाली मुद्रा

387. श्री संजय सिंह चौहान: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में लाई गई जाली मुद्राओं को बैंकों तथा तस्करों से जब्त किया गया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष में विभिन्न सीमाओं से तस्करी कर देश में लाई गई जाली मुद्राओं की मात्रा सीमा-वार कितनी है; और

(ग) देश में जाली मुद्रा को आने से रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार तस्करों और बैंकों से जाली भारतीय मुद्रा नोटों की क्रमश: जब्ती और वसूली की सूचना सरकार के नोटिस में आई हैं। भारत में तस्करी करके लाए गए जाली भारतीय मुद्रा के नोटों का सीमा क्षेत्रवार ब्यौरा केन्द्रीय रूप से नहीं रखा जाता है।

(ग) जाली भारतीय मुद्रा के नोटों (एफआईसीएन) के बहुआयामी पहलुओं का समाधान करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, केन्द्र का आसूचना ब्यूरो, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो जैसी अनेक एजेंसियां भारतीय जाली मुद्रा के नोटों से संबंधित कुत्सित कार्यकलापों को विफल करने के लिए मिलकर

कार्य करती हैं। इन एजेंसियों की गतिविधियों की आवधिक समीक्षा इस प्रयोजन के लिए गठित एक नोडल ग्रुप द्वारा की जाती है। इस संदर्भ में, कार्यात्मक स्तर पर, राज्यों के साथ समन्वय के लिए सीबीआई को नोडल एजेंसी के रूप में घोषित किया गया है, राजस्व आसूचना महानिदेशालय को इस प्रयोजन के लिए प्रमुख आसूचना एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। उक्त के अलावा, इस संबंध में राज्य सरकारों से यह कहा गया है कि वे वरिष्ठ स्तर के पर्यवेक्षण के अंतर्गत एक समर्पित और सुसज्जित सैल का गठन करें जो एफआईसीएन सहित संगठित अपराधों का व्यापक रूप से अनुवीक्षण करें और उनसे निपटें तथा एफआईसीएन से संबंधित कार्यकलापों के समन्वयन के लिए एक विशिष्ट नोडल अधिकारी विनिर्दिष्ट करें। राज्य सरकारों से यह भी कहा गया है कि वे राज्य के डीजीपी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करें जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक के जी एम/डी जी एम, एस आई बी राज्य पुलिस की आसूचना शाखा, राज्य पुलिस की सीआईडी के वरिष्ठ अधिकारी सदस्य के रूप में हों।

[अनुवाद]

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क

388. श्री वैजयंत पांडा: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उड़ीसा सहित देश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क का पुनरुद्धार करने का है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे क्षेत्रों में की जाने वाली प्रस्तावित सड़क परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रांची-विजयवाड़ा सड़क परियोजना से नक्सल खतरे का सामना करने में राज्यों को मदद मिलने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो इस परियोजना की स्थिति क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने उड़ीसा सहित 8 राज्यों के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 7300 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर 1202.44 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों और 4363.45 किलोमीटर राज्यीय राजमार्गों के विकास की एक योजना को अनुमोदित किया है। इस योजना में शामिल की गई सड़कों की राज्य-वार लंबाई संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ग) और (घ) जी, हां। रांची-विजयवाड़ा मार्ग की कुल लंबाई लगभग 1651 किलोमीटर है जिसमें से 196 किलोमीटर झारखंड में, 1219 किलोमीटर उड़ीसा में और 236 किलोमीटर आंध्र प्रदेश में है। इस खंड का सुधार कार्य विभिन्न चरणों में है और इस परियोजना की स्थिति संलग्न विवरण-II में दी गई है।

विवरण I

क्र.सं.	राज्य	राष्ट्रीय राजमार्ग लंबाई (किमी.)	राज्यीय सड़कें लंबाई (किमी.)
1.	आंध्र प्रदेश	119.95	339.89
2.	बिहार	75.50	1306.47
3.	छत्तीसगढ़	410.00	1603.50
4.	झारखंड	534.16	41.05
5.	मध्य प्रदेश	–	120.80
6.	महाराष्ट्र	–	401.86
7.	उड़ीसा	–	470.11
8.	उत्तर प्रदेश	62.83	79.77
	जोड़	1202.44	4363.45

विवरण II

क्र.सं.	राज्य	लम्बाई (किमी. में)	स्थिति
1	2	3	4
1.	झारखंड	196	• 13 किमी. सड़कों के लिए कार्य संस्वीकृत किया गया। निविदा कार्य प्रगति पर है। • 54 किमी. सड़क के लिए कार्य प्रगति पर है। • 129 किमी. सड़क में सुधार के लिए प्रस्ताव तैयार किया जाना है और राज्य लोक निर्माण विभाग को प्रस्तुत किया जाना है।
2.	उड़ीसा	1219	• 176 किमी. सड़क पहले ही 2 लेन की है। • 321 किमी. लंबाई में कार्य प्रगति पर है।

1	2	3	4
			• विश्व बैंक की योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा 166 किमी. सड़क पर विचार किया जा रहा है। • 556 किमी. सड़कों के लिए डीपीआर तैयार करने का काम चल रहा है।
3.	आंध्र प्रदेश	236	• राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-4 में 170 किमी. सड़क शामिल कर ली गई है और इसके विकास के लिए साध्यता अध्ययन तैयार करने हेतु राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है। • 66 किमी. सड़क में सुधार के लिए राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं।
	कुल	1651	

खाद्य के बदले नकद धनराशि योजना

389. श्री आनंदराव अडसुल:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
डॉ. प्रसन्न कुमार पाटसाणी:
श्री प्रदीप माझी:
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने विद्यमान सार्वजनिक वितरण योजना को समाप्त कर इसके स्थान पर खाद्य के बदले नकद धनराशि योजना शुरू करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इससे क्या-क्या प्राप्त होने की संभावना है; और

(ग) सरकार द्वारा यह किस प्रकार सुनिश्चित किया जाएगा कि उक्त योजना के अंतर्गत प्रदत्त लाभ/नकद धनराशि आशयित लाभार्थियों को पहुंच सके?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थामस): (क) से (ग) योजना आयोग ने वर्तमान लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बंद करने और इसके स्थान पर खाद्यान्न के लिए नकद स्कीम लागू करने की सिफारिश नहीं की है। तथापि, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली की राज्य सरकारों ने 5 जिलों अर्थात् उत्तर प्रदेश में लखीमपुरखीरी और हरदोई, हरियाणा में पंचकुला और झज्जर और दिल्ली में मध्य जिले में पाइलट आधार पर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों के स्थान पर गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को नकद में खाद्य राजसहायता का सीधा संवितरण करने के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव भेजे हैं। इन प्रस्तावों के आधार पर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन गरीबी रेखा से नीचे/अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों को खाद्य राजसहायता अंतरित करने की वैकल्पिक विधि की व्यवहार्यता का परीक्षण करने के लिए स्कीम का प्रारूप तैयार किया गया है। स्कीम के प्रारूप की जांच की जा रही है।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

390. श्री अधीर चौधरी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत कितने राज्यों ने प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं;

(ख) इन प्रस्तावों को राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के अंतर्गत राज्यों को क्या-क्या प्रोत्साहन एवं सहायता प्रदान की जाती है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थामस): (क) आठ।

(ख) और (ग) ब्यौरे निम्नानुसार दिए गए हैं:-

क्र.सं.	राज्य का नाम	प्राप्त प्रस्तावों के लिए राशि	राशि जिसके लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ है	निर्मुक्त निधि (करोड़ रु.)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	315.33	497.39	118.25 (26.6.2009 को)
2.	हरियाणा	96.91	178.49	#

1	2	3	4	5
3.	राजस्थान	145.72	126.92	##
4.	महाराष्ट्र	302.70	330.62	##
5.	केरल	99.48	57.23	#
6.	उत्तर प्रदेश	315.33	437.19	##
7.	मध्य प्रदेश	202.39	134.01	#
8.	तमिलनाडु	87.57	87.27	#

#परियोजनाओं के अनुमोदन के लिए राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति (एसएलएससी) की बैठक शीघ्र की जानी है।

##वर्ष 2009-10 के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अधीन परियोजनाओं के अनुमोदन के लिए एसएलएमसी की बैठक हो चुकी है। निधियों की निर्मुक्ति की जा रही है।

साम्प्रदायिक दंगे

391. श्री रूद्रमाधव राय: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में साम्प्रदायिक दंगों की घटनाओं की कोई जांच की हैं; और

(ख) यदि हां, तो जांच का ब्यौरा तथा इसके परिणाम क्या हैं तथा ऐसे दंगों के शिकार व्यक्तियों को पुनर्वास हेतु क्या विशेष पैकेज प्रदान किया गया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) जी नहीं, महोदया।

(ख) उड़ीसा सरकार ने सूचना दी है कि वर्ष 2008 के उत्तरार्ध में राज्य में घटित साम्प्रदायिक हिंसा के पीड़ितों को निम्नलिखित सहायता और पुनर्वास उपाय प्रदान किए है:

(क) प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत निधि (पीएमएनआरएफ) से:

(1) पूर्णरूप से क्षतिग्रस्त 1193 मकानों हेतु प्रत्येक को 20,000 रुपये की सहायता (238.60 लाख)।

(2) पूर्णरूप से क्षतिग्रस्त 21 स्थानीय संस्थानों हेतु प्रत्येक को 2.0 लाख रुपये की सहायता (42.00 लाख रुपये)।

(3) आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त 3232 मकानों हेतु प्रत्येक को 10,000 रुपये की सहायता (323.20 लाख रुपये)।

(4) आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त 51 स्थानीय संस्थानों हेतु प्रत्येक को 1.00 लाख रुपये की सहायता (51.00 लाख रुपये)।

(ख) मुख्यमंत्री राहत निधि से:

(1) साम्प्रदायिक/नृजातीय हिंसा के कारण हुई मौतों के मामलों में व्यक्ति के रिस्तेदार को अनुग्रह पूर्वक 2 लाख रुपये।

(2) पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त 1069 मकानों को 50,000 रुपये प्रति तथा आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त 2807 मकानों को 20,000 रुपये प्रति मकान सहायता।

(3) क्षतिपूर्ण आकलन के अनुसार क्षतिग्रस्त दुकान/दुकान सहित मकान हेतु प्रति 15,000 रुपये से 40,000 रुपये की सहायता।

(4) क्षतिग्रस्त साइकिलों हेतु प्रत्येक को 2000 रुपये की सहायता।

(5) क्षतिग्रस्त स्थानीय संस्थानों जैसे कि स्कूल, क्लीनिक, हास्पीटल, होस्टल, अनाथालय इत्यादि को प्रति 2 लाख रुपये की दर से की सहायता।

(6) वापिस गांवों में लोटने वाले परिवारों हेतु खाने, सफाई और स्वच्छता हेतु सामान, घरेलू कीट तथा अन्य समानों से बनी राहत किट।

(7) क्षतिग्रस्त प्रार्थना घरों तथा चर्चा हेतु मुआवजा।

(क) प्रार्थना घरों हेतु:

(1) पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त को 50,000 रुपये

(2) बुरी तरह से क्षतिग्रस्त को 20,000 रुपये

(3) आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त को 10,000 रुपये

(ख) चर्चो हेतु:

(1) बुरी तरह से क्षतिग्रस्त को 2.00 लाख रुपये

(2) आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त को 1.00 लाख रुपये

इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने ''आतंकवाद और साम्प्रदायिक हिंसा के पीड़ितों को सहायता देने की स्कीम'' के तहत हिंसा से पीड़ित परिवारों को सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्र सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत किया हुआ है। अब तक 3 लाख रुपये की राशि की सहायता के 28 मामलों का अनुमोदन किया गया है।

खाद्यान्नों की खरीद

392. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार खाद्यान्नों की खरीद की विद्यमान प्रणाली को समाप्त करने तथा इसका पुनर्गठन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या विभिन्न कृषि फसलों के मध्य समानता की कमी है जिसके परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था में विरूपण होता है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर क्या सुधारात्मक कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थामस): (क) और (ख) खाद्यान्नों की खरीदारी की मौजूदा प्रणाली की पुनर्संरचना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) कृषि लागत एवं मूल्य आयोग मूल्य नीति पर अपनी सिफारिशें तैयार करते समय अंतर फसल मूल्य समानता सहित कई महत्वपूर्ण घटकों पर विचार करता है।

अल्पसंख्यकों पर अत्याचार

393. **श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार:**
श्री नरहरि महतो:
श्री नृपेन्द्र नाथ राय:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में ईसाईयों सहित अल्पसंख्यकों पर किए गए अत्याचारों के संबंध में सरकार द्वारा कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण के क्या परिणाम निकले तथा गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष में रिपोर्ट किए गए ऐसे मामलों की कुल संख्या राज्य-वार कितनी है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस संबंध में राज्य-वार कुल कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया; और

(घ) देश में इस प्रकार के अत्याचारों को कम करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ''पुलिस'' एवं ''लोक व्यवस्था'' चूंकि संविधान के अंतर्गत राज्य के विषय हैं, इसलिए अपराध को दर्ज करने, जांच करने तथा अभियोग चलाने की प्राथमिक जिम्मेवारी राज्य सरकारों की होती है। केन्द्र सरकार गिरफ्तारियों से संबंधित कोई केन्द्रीकृत सूची नहीं रखती है।

(घ) देश में साम्प्रदायिक सौहार्द्र को बनाए रखने के लिए, केन्द्र सरकार आसूचना का आदान-प्रदान करने, चेतावनी सूचनाएं भेजने, संयुक्त द्रुत कार्रवाई बल, जिसे विशेषकर साम्प्रदायिक परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार किया गया है, सहित विशेष मांग पर संबंधित राज्य सरकारों के पास केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों को भेजने और राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण करने जैसे विभिन्न तरीकों से राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों की सहायता करती है। इसके अतिरिक्त, केन्द्र सरकार समय-समय पर इससे संबंधित दिशानिर्देश भेजती रहती है। केन्द्र सरकार ने साम्प्रदायिक सौहार्द्र को बढ़ावा देने के लिए जून, 2008 माह में राज्यों एवं संघशासित प्रदेशों के बीच संशोधित दिशानिर्देश परिचालित किए हैं।

इसके अलावा, केन्द्र सरकार ने साम्प्रदायिक हिंसा के मामले में विभिन्न पहलुओं से निपटने के लिए राज्य सभा में ''साम्प्रदायिक हिंसा (रोकथाम, नियंत्रण एवं पीड़ितों का पुनर्वास) विधेयक, 2005'' नामक एक विधेयक पेश किया है।

चीनी की उपलब्धता

394. **डॉ. के.एस. राव:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्रामीण तथा शहरी भारत में चीनी की खपत तथा मानव एवं औद्योगिक खपत का ढांचा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष चीनी की मांग, इसके उत्पादन तथा इसकी उपलब्धता कितनी है तथा इस संबंध में वर्तमान वर्ष के लिए क्या अनुमान हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार चीनी के आयात की शर्तों में परिवर्तन कर तथा चीनी मिलों को घरेलू बाजार में सफेद चीनी की बिक्री करने की अनुमति प्रदान कर घरेलू खपत के लिए तैयार चीनी के आयात को बढ़ावा देने का है ताकि उपलब्धता में वृद्धि की जा सके तथा इसके मूल्यों को नियंत्रित किया जा सके; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थामस): (क) सरकार ग्रामीण और शहरी भारत में चीनी की खपत तथा मानव एवं औद्योगिक खपत के पैटर्न के बारे में आंकड़े नहीं रखती है।

(ख) गत तीन वर्षों (चीनी मौसमों) (अक्तूबर-सितम्बर) के प्रत्येक वर्ष के दौरान और वर्तमान वर्ष/चीनी मौसम (अक्तूबर-सितम्बर) के लिए चीनी की मांग/घरेलू खपत, उत्पादन और अनुमानित उपलब्धता के अनुसार निम्नानुसार हैं:-

(लाख टन)

क्र.सं.	मौसम	मांग/आंतरिक खपत	उत्पादन	चीनी की उपलब्धता
1.	2005-06	183.21	189.59	233.21
2.	2006-07	199.00	282.00	326.00
3.	2007-08 (अ.)	210.00	263.00	368.00
4.	2008-09 (अनु.)	225.00	150-155	269-274

(अ.)-अनंतिम (अनु.)-अनुमानित

(ग) और (घ) चीनी की घरेलू उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने दिनांक 17.4.2009 की अधिसूचना द्वारा खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन 1.8.2009 तक नामनिर्दिष्ट एजेंसियों द्वारा 1 मिलियन टन तक व्हाइट/रिफाइंड चीनी के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी है। इसके अलावा सरकार ने चीनी फैक्ट्रियों को अग्रिम प्राधिकार स्कीम के अधीन 30.9.2009 तक और खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन 1.8.2009 तक कच्ची चीनी का आयात करने और संसाधित कच्ची चीनी को भारत के भीतर बेचने की भी अनुमति दी है ताकि घरेलू बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ाई जा सके। यह चीनी के मूल्यों को उचित स्तर पर बनाए रखने के उद्देश्य से किया गया है।

वाणिज्य विभाग से प्राप्त अद्यतन रिपोर्ट (29.6.2009) के अनुसार नामनिर्दिष्ट एजेंसियों द्वारा व्हाइट/रिफाइंड चीनी की ठेकाबद्ध कुल मात्रा 108895 मीटरी टन है। व्यापार हलकों के अनुसार भारतीय चीनी फैक्ट्रियों द्वारा लगभग 25 लाख टन कच्ची चीनी की ठेका किया गया है जिसमें से 17.43 लाख टन मात्रा पहले ही पहुंच चुकी है या शीघ्र ही पहुंचने वाली है। तथापि, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड से प्राप्त सूचना से 17.4.2009 से 30.6.2009 तक सीमा शुल्क भांडागारों से 5.83 लाख टन कच्ची चीनी की क्लीयरेंस का संकेत मिलता है।

महिला कैदी

395. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने देश की विभिन्न कारागारों में महिला कैदियों के दमन की घटनाओं में वृद्धि को गंभीरता से लिया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष रिपोर्ट की गई ऐसी घटनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए कोई विशेष दिशानिर्देश तैयार किया हैं/किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग देश में जेलों की आधारभूत संरचना तथा महिला कैदियों सहित समस्त कैदियों की स्थिति पर निगरानी रखता है। देश भर में दौरा करने वाले आयोग के सदस्यों एवं विशेष संपर्ककर्त्ताओं के अवलोकनों को कार्यान्वयन हेतु समय-समय पर राज्य सरकारों को भेज दिया जाता है।

(ख) विगत तीन वर्षों में जेलों में महिलाओं के उत्पीड़न से संबंधित आयोग में दर्ज मामलों के राज्यवार ब्यौरे को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) 'पुलिस' और 'जेल' संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य का विषय हैं और इसकी जिम्मेवारी प्राथमिकत: संबंधित राज्य सरकारों की होती है। फिर भी, दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के लिए इस संबंध में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर दिशानिर्देश जारी किए जाते हैं। भारत सरकार ने मार्ग दर्शन एवं अंगीकरण के लिए 2003 में समस्त राज्यों/संघशासित प्रदेशों को एक आदर्श जेल नियमावली को भी परिचालित किया है जिसमें महिला कैदियों का विशेष सुविधाएं देने हेतु विशेष प्रावधान हैं, जैसे कि महिला कैदियों एवं उनके बच्चों के लिए पृथक जेल/बैरक, महिला कैदियों के बच्चों के लिए शैक्षणिक सुविधाएं, सैनेटरी नैपकिन आदि जैसी मूलभूत सुविधाएं, विभिन्न मनोरंजनात्मक एवं सुधारात्मक कार्यक्रम आदि।

विवरण

महिला कैदियों के दमन के संबंध में विगत 3 वर्षों के दौरान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में दर्ज मामलों का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	वर्ष		
		2006-07	2007-08	2008-09
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	0	7	3
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	1
3.	असम	1	1	0

1	2	3	4	5
4.	बिहार	6	4	5
5.	चंडीगढ़	0	1	0
6.	छत्तीसगढ़	0	2	1
7.	दिल्ली	3	5	6
8.	गोवा	0	0	0
9.	गुजरात	1	1	23
10.	हरियाणा	2	2	2
11.	हिमाचल प्रदेश	1	0	0
12.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0
13.	झारखंड	1	3	4
14.	कर्नाटक	1	3	0
15.	केरल	2	1	1
16.	लक्षद्वीप	0	0	0
17.	मध्य प्रदेश	1	4	3
18.	महाराष्ट्र	3	11	11
19.	मणिपुर	0	0	0
20.	मेघालय	0	0	0
21.	मिजोरम	0	0	0
22.	नागालैंड	0	0	0
23.	उड़ीसा	1	5	3
24.	पुडुचेरी	0	1	0
25.	पंजाब	8	2	2
26.	राजस्थान	0	3	2
27.	सिक्किम	0	0	0
28.	तमिलनाडु	3	4	8
29.	त्रिपुरा	0	0	0
30.	उत्तर प्रदेश	16	26	21
31.	उत्तराखंड	3	2	0
32.	पश्चिम बंगाल	2	6	7
	कुल	55	94	103

दिल्ली तथा जयपुर के बीच एक्सप्रेसवे

396. श्री दुष्यंत सिंह: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली तथा जयपुर के बीच एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए प्रस्ताव लंबित है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसके लिए राशि का आबंटन करने तथा एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य शुरू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर आर.पी.एन. सिंह): (क) से (ग) दिल्ली से गुड़गांव तक एक्सप्रेस मार्ग पहले ही चालू हो गया है। रारा-8 के गुड़गांव-जयपुर खण्ड के विद्यमान चार लेन से 6 लेन मानक तक उन्नयन जिससे अगले 10-12 वर्ष के लिए यातायात घनत्व का ध्यान रखा जा सकेगा, के लिए रियायत करार पर पहले ही जून, 2008 में हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। वर्तमान में, दिल्ली और जयपुर के बीच एक नए एक्सप्रेस मार्ग के निर्माण का विचार नहीं है।

विनिर्माण इकाइयों का बंद होना

397. श्रीमती मेनका गांधी: क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नोएडा सहित देश के विभिन्न राज्यों में काफी संख्या में लघु उद्योग बंद हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष में राज्य-वार ऐसे कितने उद्योगों को बंद किया गया है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त उद्योगों को बचाने तथा रोजगार के वैकल्पिक अवसर प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) संदर्भ वर्ष 2001-02 के लिए लघु उद्योगों की तृतीय अखिल भारतीय गणना के आधार पर 31.3.2001 तक पंजीकृत 22,62,401 लघु उद्योग इकाइयों में से 39 प्रतिशत (अर्थात् सं. 8,87,427) इकाइयां बंद पाई गईं थीं। इन बंद इकाइयों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है। कार्यशील पूंजी की कमी, विशिष्ट उत्पादों की मांग में कमी, प्रौद्योगिकी में बदलाव, कच्चे माल की कमी, विपणन समस्याएं और प्रतिस्पर्धा में बढ़ोतरी, इन इकाइयों के बंद होने के प्रमुख कारण हैं। लघु उद्योगों (एसएसआई) के बंद होने संबंधी वर्ष-वार सूचना केन्द्रीय तौर पर नहीं रखी जाती है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने एमएसएमई के पुनरुज्जीवन के लिए विभिन्न उपायों की घोषणा की है, जिनमें, अन्य बातों के अलावा, (1) एकबारगी उपाय के रूप में बैंकों द्वारा 30 जून, 2009 तक एक्सपोजर के लिए दूसरा पुनर्गठन भी विशेष विनियामक व्यवहार के लिए पात्र होगा; और (2) अपने बड़े कारपोरेट लेनदारों के लिए क्रेडिट सीमा स्वीकृत/नवीकृत करते समय बैंकों को सम्पूर्ण सीमाओं के भीतर, विशेष रूप से एमएसई से खरीद के संबंध में भुगतान संबंधी बाध्यताओं को पूरा करने के लिए अलग-अलग उप-सीमाएं तय करने की सलाह दी गई है। हाल ही में, आरबीआई ने बैंकों को ऋण पुनर्गठन पर रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों को सकारात्मक रूप में तथा सिद्धांत और व्यवहार रूप में लागू करने और एमएसएमई के लिए निष्पक्ष एक बारगी निपटान योजना तैयार करने की सलाह दी है। सरकार ने एमएसएमई के बिलों के त्वरित भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को एक परामर्शी भी जारी की है।

इसके अलावा, सरकार ने एमएसएमई के संवर्धन और विकास को सुगम बनाने के लिए तथा उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 अधिनियमित किया है। इस अधिनियम में अन्य बातों के साथ-साथ सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को विलंबित भुगतान संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए कड़े प्रावधानों की भी व्यवस्था है।

सरकार नए और विद्यमान उद्यमियों तथा अन्य व्यक्तियों को उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में रोजगार योग्य बनाने के लिए उद्यमिता विकास, कौशल विकास, प्रबंध विकास, आदि के लिए कई कार्यक्रम चला रही है। इसके अतिरिक्त सरकार ने ग्रामीण तथा साथ ही साथ शहरी इलाकों में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना करके रोजगार अवसर सृजित करने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) नाम से एक नए क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी कार्यक्रम की शुरूआत की है।

विवरण

पंजीकृत लघु उद्योगों की तृतीय अखिल भारतीय गणना, 2001-02 के अनुसार बंद लघु उद्योग इकाइयों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार वितरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	बंद इकाइयों की कुल संख्या
1	2	3
1.	जम्मू और कश्मीर	22709
2.	हिमाचल प्रदेश	6509
3.	पंजाब	82731
4.	चंडीगढ़	1405
5.	उत्तराखंड	12100
6.	हरियाणा	27546
7.	दिल्ली	8357
8.	राजस्थान	36847
9.	उत्तर प्रदेश	122282
10.	बिहार	20525
11.	सिक्किम	155
12.	अरुणाचल प्रदेश	248
13.	नागालैंड	129
14.	मणिपुर	1226
15.	मिजोरम	1313
16.	त्रिपुरा	1077
17.	मेघालय	1908
18.	असम	10338
19.	पश्चिम बंगाल	26080
20.	झारखंड	13822
21.	उड़ीसा	9708
22.	छत्तीसगढ़	27830
23.	मध्य प्रदेश	65649
24.	गुजरात	39159
25.	दमन और दीव	454
26.	दादरा और नगर हवेली	423
27.	महाराष्ट्र	54243
28.	आंध्र प्रदेश	38582
29.	कर्नाटक	46611
30.	गोवा	2327

1	2	3
31.	लक्षद्वीप	16
32.	केरल	74832
33.	तमिलनाडु	127185
34.	पुडुचेरी	2586
35.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	515
	अखिल भारतीय	8,87,427

[हिन्दी]

आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर

398. श्री जगदीश शर्मा:
डा. मुरली मनोहर जोशी:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पड़ोसी देशों में आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर चलाए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले को उन देशों के साथ उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (घ) उपलब्ध इनपुटों से यह संकेत मिला है कि आतंकवादियों के कुछ पड़ोसी देशों में शिविर हैं। सरकार ने इस उद्देश्य के लिए मौजूद द्विपक्षीय मंच पर इस मामले को, समय-समय पर उठाया है। उन देशों ने आश्वस्त किया है कि भारत के लिए हानिकर किसी भी गतिविधि के लिए उनके भूभाग का प्रयोग नहीं किया जाएगा।

[अनुवाद]

पुलिस कार्मिकों का प्रशिक्षण

399. श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर:
श्री बलीराम जाधव:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्यों के पुलिस कार्मिकों के पास बढ़ती हुई आतंकवादी एवं नक्सलवादी गतिविधियों का सामना करने के लिए पर्याप्त एवं कारगर हथियार नहीं हैं; और

(ख) देश में आतंकवादी तथा नक्सलवादी गतिविधियों का सामना करने के लिए देश के पुलिस बलों को आधुनिक बनाने तथा पुलिस कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) ''पुलिस'' राज्य का विषय होने के कारण अपने पुलिस बलों को आधुनिक हथियारों से उपयुक्त रूप से सज्जित करना प्राथमिकत: राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। तथापि गृह मंत्रालय राज्य पुलिसबलों का आधुनिकीकरण (एमपीएफ स्कीम) करने के लिए एक योजनेतर स्कीम के अंतर्गत राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण करने हेतु राज्य सरकारों के प्रयासों को सहायता प्रदान करता है। इस स्कीम के अंतर्गत राज्यों को आधुनिक हथियारों का प्रापण करने, रिहायशी एवं गैर रिहायशी भवनों का निर्माण करने, सचलता, संचार/सुरक्षा/विधिविज्ञान उपस्कर, प्रशिक्षण अवस्थापना सुविधाओं के लिए सहायता दी जाती है। इस स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकारों को इन्यास राइफलें, एके-47, 9 एमएम कार्बाइन, एसएलआर 7.62 एमएम जैसे अत्याधुनिक हथियार दिए गए हैं।

(ख) एमपीएफ योजना के अंतर्गत राज्यों को निधियां, अन्य बातों के अतिरिक्त, पुलिस प्रशिक्षण अवस्थापना का सृजन करने और उन्नयन करने तथा संबंधित प्रशिक्षण उपकरणों का प्रापण करने के लिए दी जाती है। पुलिस राज्य का विषय होने के कारण राज्य पुलिस कार्मिकों को प्रशिक्षण देने की जिम्मेदारी प्राथमिकत: राज्य सरकारों की है। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों से सभी रैंकों के पुलिस कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण एवं विषय हित पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है/राज्य पुलिस के विभिन्न बलों को केन्द्रीय पुलिस बलों के प्रशिक्षण संस्थानों पर प्रशिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखण्ड और उड़ीसा राज्यों में 11वीं योजनावधि के दौरान चार अस्थाई विद्रोह विरोधी एवं आतंकवाद रोधी स्कूल स्थापित करने के लिए वर्ष 2008-09 से एक योजनेतर स्कीम कार्यान्वित की जा रही है ताकि नक्सलवाद की चुनौती से निपटने के लिए इन राज्यों के पुलिस कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जा सके। इसके अतिरिक्त, नक्सल रोधी अभियानों सहित विभिन्न प्रचालनों के लिए भारतीय सेना द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न पाठ्यक्रमों के माध्यम से भी राज्य पुलिस बलों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

[हिन्दी]

दिल्ली-गुड़गांव एक्सप्रेसवे पर पथकर

400. डा. मुरली मनोहर जोशी:
श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ **ललन सिंह:**

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली-गुड़गांव एक्सप्रेसवे पर चलने वाले वाहनों से वसूल किया जाने वाला पथकर अप्रैल 2009 में बढ़ा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त वृद्धि कितने प्रतिशत की गई है;

(ग) क्या उक्त वृद्धि मुद्रास्फीति की दर के आधार पर की गई है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) बढ़ाए गए पथकर का ब्यौरा क्या है तथा इसमें कितनी बार वृद्धि की गई है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर आर.पी.एन. सिंह): (क) जी, हां।

(ख) वृद्धि का प्रतिशत 5.77 है।

(ग) यह वृद्धि, थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू पी आई) में हुए बदलावों पर आधारित है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) दिल्ली-गुड़गांव बीओटी परियोजना पर फीस संग्रहण, दिसम्बर, 2006 के थोक मूल्य सूचकांक (208.40) के आधार पर 28 जनवरी, 2008 से शुरू किया गया था। अभी तक फीस की दरों में दो बार वृद्धि की गई है। पहला संशोधन, 1 अप्रैल, 2008 (31 दिसम्बर, 2007 को अथवा उसके निकटतम समाप्त होने वाले सप्ताह के लिए थोक मूल्य सूचकांक 216.7 के आधार पर) से 3.98 प्रतिशत की वृद्धि के साथ लागू किया गया था। दूसरा संशोधन, 1 अप्रैल, 2009 (31 दिसम्बर, 2008 को अथवा उसके निकटतम समाप्त होने वाले सप्ताह के थोक मूल्य सूचकांक 229.20 के आधार पर) से 5.77 प्रतिशत की वृद्धि के साथ लागू किया गया।

देश में सड़कों का विकास

401. श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे:
डा. प्रसन्न कुमार पाटसाणी:

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष में देश में विशेषकर पिछड़े तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के विकास के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्यों, अनुमानित व्यय, कुल स्वीकृत एवं उपयोग की गई राशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन राज्यों में सड़क विकास कार्यक्रमों के वित्तपोषण के लिए क्या कार्य-योजना तैयार की गई है;

(ग) परियोजनाओं को पूरा करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष में देश में सड़कों के विकास एवं सुधार के लिए विश्व बैंक तथा एशियाई विकास बैंक एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा कितनी राशि प्रदान की गई; और

(ङ) इस संबंध में वास्तव में राज्य-वार कितनी राशि व्यय की गई?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वित्त वर्ष में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए राज्य-वार आबंटन, व्यय और संस्वीकृतियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। परियोजनाएं राज्य-वार संस्वीकृत की जाती हैं और इसीलिए पिछड़े क्षेत्रों अथवा ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित विवरण नहीं रखा जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान आबंटित निधियों का उपयोग कर लिया गया था।

(ग) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और परियोजनाएं, पारस्परिक प्राथमिकता और धनराशि की उपलब्धता के आधार पर संस्वीकृत की जाती हैं। सामान्यत: परियोजनाओं को उनकी प्रकृति और विस्तार के आधार पर 12 से 36 माह के अन्दर पूरा किए जाने का लक्ष्य होता है।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा इस प्रकार है:-

क्र.सं.	वर्ष	विदेशी सहायता (करोड़ रुपए)
1.	2006-07	1978.00
2.	2007-08	2220.00
3.	2008-09	1894.00
4.	2009-10 (मई, 2009 तक)	शून्य

सम्पूर्ण सहायता का उपयोग कर लिया गया था। यह सहायता, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के माध्यम से प्रदान की गई थी जिसके लिए राज्य-वार ब्यौरा नहीं रखा जा रहा है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए आबंटन, व्यय और संस्वीकृतियों का राज्य-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2006-07			2007-08			2008-09			2009-2010		
		आबंटन	व्यय	संस्वीकृति	आबंटन	व्यय	संस्वीकृति	आबंटन	व्यय	संस्वीकृति	प्रस्तावित आबंटन	व्यय (31.5.09 तक)	संस्वीकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	58.41	58.06	128.77	76.00	75.89	113.46	187.31	187.31	339.80	165.00	54.89	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	8.30	8.29	0.00	6.00	5.65	0.00	1.10	1.10	4.78	10.00	0.00	0.00
3.	असम	77.25	76.49	93.00	86.00	85.24	112.00	86.30	86.30	215.00	120.00	28.05	0.00
4.	बिहार	97.20	97.13	112.30	83.00	82.89	174.72	91.10	91.10	276.07	150.00	37.57	4.30
5.	चंडीगढ़	1.00	0.96	0.00	2.00	2.00	3.56	3.39	3.39	4.19	4.00	0.00	0.00
6.	छत्तीसगढ़	37.00	36.19	91.39	39.00	38.78	69.90	63.66	63.66	96.17	75.00	23.73	0.00
7.	दिल्ली	3.00	1.47	13.29	9.00	8.30	14.63	15.80	15.80	7.48	15.00	2.39	0.00
8.	गोवा	2.95	2.64	17.10	15.00	15.00	41.18	34.39	34.39	25.53	33.00	1.03	0.00
9.	गुजरात	60.00	60.00	96.52	62.00	62.00	136.04	97.00	97.00	356.00	125.00	29.94	0.00
10.	हरियाणा	64.00	64.00	124.92	81.25	81.24	128.74	103.23	103.23	117.65	105.00	23.33	0.00
11.	हिमाचल प्रदेश	39.50	39.44	123.76	57.00	57.00	34.05	76.21	76.21	96.05	78.00	12.13	0.00
12.	झारखंड	34.86	35.00	91.14	57.25	57.24	187.11	96.41	96.41	180.77	120.00	9.16	0.00
13.	कर्नाटक	85.00	84.84	159.39	99.50	99.48	175.31	211.79	211.79	365.38	196.00	34.63	0.00
14.	केरल	55.00	54.44	60.25	50.00	50.00	159.74	62.74	62.74	81.35	80.00	36.49	0.00
15.	मध्य प्रदेश	84.09	82.92	136.26	65.00	65.98	67.27	92.97	92.97	91.89	110.00	22.01	1.67
16.	महाराष्ट्र	148.75	148.75	204.30	133.79	133.79	96.65	187.50	187.50	229.48	208.00	69.22	9.00
17.	मणिपुर	14.65	14.65	9.96	12.00	10.24	37.97	23.65	23.65	30.38	40.00	0.00	0.73
18.	मेघालय	24.50	24.31	32.93	22.00	22.33	43.87	50.77	50.77	81.78	60.00	0.83	39.86
19.	मिजोरम	15.53	15.53	9.61	15.00	15.00	21.95	13.55	13.55	40.26	28.00	0.80	8.29
20.	नागालैंड	11.82	11.81	0.00	12.00	10.20	47.08	30.60	30.60	57.90	40.00	0.00	0.00
21.	उड़ीसा	72.00	72.00	219.04	137.50	137.50	207.32	207.68	207.68	548.66	200.00	50.94	0.00
22.	पुडुचेरी	5.00	4.99	4.61	7.55	7.49	6.36	2.95	2.95	11.22	7.00	0.01	0.00
23.	पंजाब	72.00	72.00	80.07	82.90	82.90	180.15	154.00	154.00	146.68	154.00	29.26	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24.	राजस्थान	75.00	74.38	130.78	99.00	98.98	186.84	209.91	209.91	224.49	184.00	47.14	13.17
25.	तमिलनाडु	82.00	79.40	98.58	91.25	91.25	165.17	131.96	131.96	210.50	129.00	43.00	27.74
26.	उत्तर प्रदेश	91.40	91.32	66.60	130.00	130.00	357.34	215.64	215.64	429.07	250.00	78.81	0.00
27.	उत्तराखंड	52.75	52.64	3.22	38.95	38.94	142.77	109.51	109.51	193.24	90.00	19.26	18.00
28.	पश्चिम बंगाल	47.00	46.77	101.00	58.00	57.99	115.00	95.30	95.30	168.53	142.00	46.83	1.65

सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पुनरुद्धार

402. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:**
श्री कोडिकुन्नील सुरेश:
श्री गोरख प्रसाद जायसवाल:
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:
श्री कमल किशोर उर्फ **कमांडो:**
श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी:
श्री पशुपति नाथ सिंह:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों की पहचान के अभाव में अनेक राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली खत्म होने के कगार पर है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों की पहचान का कार्य शीघ्र पूरा करने और राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण में सुधार करने के निर्देश दिए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले;

(घ) क्या सरकार का विचार बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के मद्देनजर सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पुनरुद्धार करने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थामस): (क) से (ङ) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्रियान्वयन भारत सरकार और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है जिसमें जिम्मेदारियों की हिस्सेदारी होती है। भारत सरकार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खाद्यान्नों की खरीदारी, उनका भंडारण, ढुलाई और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को उनका आबंटन करती है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के अंदर खाद्यान्नों का आबंटन करने, योजना आयोग के अनुमानों पर आधारित गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय अन्न योजना परिवारों की पहचान करने और उन्हें राशन कार्ड जारी करने तथा उचित दर दुकानों के जरिए पात्र राशन कार्डधारकों को आबंटित खाद्यान्नों के वितरण का पर्यवेक्षण करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की होती है।

गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की पहचान करने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 के अधीन यथा विहित दिशा-निर्देश तैयार किए जाने होते हैं। इस कार्य को करने के लिए योजना आयोग से परामर्श करते हुए ग्रामीण विकास और आवास तथा शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय दिशा-निर्देश जारी करता है।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्नों का आबंटन करने के लिए खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग योजना आयोग के 1993-94 के गरीबी अनुमानों और 1 मार्च, 2000 को भारत के महापंजीयक के आबादी अनुमानों पर आधारित गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की संख्या का उपयोग करता है। गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की यह संख्या 6.52 करोड़ है।

तथापि, जून, 2009 तक की सूचना के अनुसार राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने 10.86 करोड़ गरीबी रेखा से नीचे के राशन कार्ड जारी कर रखे हैं जिनमें 2.43 करोड़ अंत्योदय अन्न योजना के कार्ड शामिल हैं।

कुछ राज्य सरकारों द्वारा अधिक संख्या में गरीबी रेखा से नीचे के राशन कार्ड जारी करने के कारण गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए जारी की जाने वाली खाद्यान्नों की प्रति माह मात्रा इन राज्यों में 35 किलोग्राम से कम है।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण में सुधार करने के लिए सरकार नियमित रूप से राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अनुरोध कर रही है। सरकार ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुप्रवाही बनाने के लिए निम्नानुसार उपाय शुरू किए हैं:-

(1) गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय अन्न योजना परिवारों की सूचियों की निरन्तर समीक्षा करना और उचित दर दुकानों पर खाद्यान्नों की समय से उपलब्धता सुनिश्चित करना;

(2) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करना;

(3) विभिन्न स्तरों पर मानीटरिंग और सतर्कता को बेहतर बनाना;

(4) विभिन्न स्तरों पर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रचालनों का कंप्यूटरीकरण करने, आवश्यक वस्तुओं की स्मार्ट कार्ड आधारित सुपुर्दगी करने जैसी नई प्रौद्योगिकियां लागू करना; और

(5) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण का आवधिक रूप से मूल्यांकन करवाना।

राष्ट्रीय राजमार्ग-7 के समानान्तर पाइपलाइन बिछाना

403. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नागपुर (महाराष्ट्र) में प्रस्तावित मल्टी माडल अंतर्राष्ट्रीय परियोजना के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-7) के समानान्तर जलापूर्ति की पाइपलाइन बिछाने हेतु आवश्यक मंजूरी जारी की जा चुकी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महाराष्ट्र राज्य सरकार ने उक्त परियोजना के लिए केन्द्र सरकार से अनुमति मांगी है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर आर.पी.एन. सिंह): (क) से (घ) महाराष्ट्र एअरपोर्ट डेवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड द्वारा नागपुर में मल्टी माडल इंटरनेशनल पैसेंजर एण्ड कार्गो हब एअरपोर्ट को जल आपूर्ति के लिए रारा-7 के साथ कि.मी. 18.765 से किमी. 34.140 तक सड़क खंड में पानी की बड़ी पाइप लाइन बिछाने के लिए अनुमति, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा दिनांक 7.1.2009 के पत्र के तहत प्रदान कर दी गई है।

[अनुवाद]

मक्का की बिक्री हेतु बोली

404. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने मक्का की बिक्री के लिए बोलियां आमंत्रित की हैं;

(ख) यदि हां, तो भारतीय खाद्य निगम के पास बिक्री हेतु मक्का की कितनी मात्रा उपलब्ध है;

(ग) मक्का का उत्पादन मूल्य क्या है और इसे किस मूल्य पर बेचने का प्रस्ताव है; और

(घ) विभिन्न खाद्यान्न आधारित कल्याण कार्यक्रमों के अंतर्गत उचित दर दुकानों पर कितनी मक्का की आपूर्ति की गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थामस): (क) जी, हां।

(ख) खरीफ विपणन मौसम 2008-09 के दौरान केन्द्रीय पूल में 9,94,691 टन मक्का की खरीदारी की गई है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन किए गए आबंटनों को पूरा करने के बाद शेष मात्रा की बिक्री भारतीय खाद्य निगम द्वारा निविदाओं के जरिए की जाएगी।

(ग) इस स्टाक की खरीदारी खरीफ विपणन मौसम 2009-10 के लिए सरकार द्वारा घोषित 840 रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की गई थी।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा मक्का की बिक्री विगत में खुली निविदाओं के जरिए की गई है और इसकी दरें डिपुओं तथा राज्यों में भिन्न-भिन्न होती हैं। 2009-10 में भी भारतीय खाद्य निगम मक्का की बिक्री को निविदाओं के जरिए अंतिम रूप देगा।

(घ) वर्ष 2009-10 के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु विभिन्न राज्यों को 34,253 टन मक्का का आबंटन किया गया है।

ड्रिप सिंचाई

405. श्री रायापति सांबासिवा रावः क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में ड्रिप सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए कोई राष्ट्रीय नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो उक्त नीति कब तक तैयार किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार का विचार ड्रिप सिंचाई उपकरणों पर लगने वाले सीमा शुल्क/उत्पाद शुल्क पर शत-प्रतिशत की छूट देने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थामस): (क) से (ग) जी, हां। सरकार ने देश में ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली स्थापित करने के लिए माइक्रो सिंचाई पर एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम शुरू की है। ड्रिप सिंचाई के लिए प्रणाली की कुल लागत का 50 प्रतिशत वित्तीय सहायता दी जाती है जिसमें 40 प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा और 10 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है तथा शेष 50 प्रतिशत लाभग्राहियों द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों से अथवा वित्तीय संस्था द्वारा सुलभ ऋण लेकर वहन किया जाता है। ड्रिप सिंचाई प्रणाली के लिए सहायता प्रति लाभग्राही परिवार अधिकतम 5 हैक्टेयर क्षेत्र की सीमा तक है और इस स्कीम के अधीन सभी श्रेणी के किसान शामिल हैं। इस स्कीम के अधीन चाय, रबर और आयलपाम को छोड़कर सभी कृषि और बागवानी फसल शामिल किए जाते हैं।

(घ) और (ङ) ड्रिप सिंचाई उपकरण पर उत्पाद शुल्क में 100 प्रतिशत छूट है, परन्तु ऐसे उपकरण पर 5 प्रतिशत सीमा शुल्क लगाई जाती है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा ठेके देना

406. श्री प्रदीप माझीः
श्री किसनभाई वी. पटेलः

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किसी भी परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण हो जाने के पश्चात ही ठेके देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है जिन्हें भूमि अधिग्रहण न हो पाने के कारण समय पर पूरा नहीं किया जा सका है;

(घ) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा भूमि के अधिग्रहण में जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है वे किस प्रकार की हैं और उनका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) जी, हां। एनएचएआई बोर्ड ने दिनांक 8 मई, 2009 को हुई बैठक में यह निर्णय लिया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के भाग 3डी(1) के अंतर्गत निजी भूमि स्वामियों से अधिगृहीत की जाने वाली सम्पूर्ण भूमि के लिए अधिसूचना जारी किए जाने के बाद ही ठेके सौंपे जाएंगे। यह अधिसूचना, भूमि को केन्द्रीय सरकार में पूरी तरह निहित करती है।

(ग) भूमि अधिग्रहण में होने वाली देरी उन विभिन्न कारणों में से एक है जो परियोजना को समय पर पूरा नहीं होने देते। भूमि अधिग्रहण सहित विभिन्न कारणों से पूरा न होने वाली भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(घ) और (ङ) ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण I

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की विलम्ब से चल रही परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	परियोजनाओं की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	25
2.	असम	27
3.	बिहार	19

1	2	3
4.	छत्तीसगढ़	1
5.	दिल्ली	3
6.	गोवा	1
7.	गुजरात	10
8.	हरियाणा	4
9.	जम्मू और कश्मीर	7
10.	झारखंड	1
11.	कर्नाटक	13
12.	केरल	2
13.	मध्य प्रदेश	13
14.	महाराष्ट्र	17
15.	उड़ीसा	9
16.	पंजाब	6
17.	राजस्थान	19
18.	तमिलनाडु	38
19.	उत्तर प्रदेश	41
20.	पश्चिम बंगाल	12

विवरण II

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की भूमि अधिग्रहण संबंधी समस्याएं

1. राज्य सरकार के राजस्व विभागों द्वारा भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकारियों का बार-बार स्थानांतरण।
2. भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1984 की तुलना में राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 में मुआवजे के निर्धारण संबंधी प्रावधानों के कारण समस्याएं।
3. राज्य सरकारों की भूमि के लिए उनके द्वारा मुआवजे की मांग।
4. अपूर्ण राजस्व अभिलेख।
5. अन्य विभागों से भूमि के अधिग्रहण में समस्याएं।

भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपचारात्मक उपाए

1. भूमि के अधिग्रहण के लिए अधिसूचना जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाना।
2. भूमि अधिग्रहण में सहायता के लिए सेवानिवृत्त राजस्व अधिकारियों की नियुक्ति के लिए परियोजना कार्यान्वयन इकाईयों को प्राधिकृत किया गया।
3. भूमि अधिग्रहण/निर्माण पूर्व कार्यों के लिए राज्य स्तरीय समन्वयकर्ता की नियुक्ति।

ट्रांसमीटरों को शुरू करना

407. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान दूरदर्शन और आकाशवाणी द्वारा आंध्र प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में स्थापित उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटर, कम शक्ति वाले और बहुत कम शक्ति वाले ट्रांसमीटरों को शुरू नहीं किया जा सका है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इनमें से प्रत्येक पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(घ) इन परियोजनाओं को शुरू करने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(ङ) इन ट्रांसमीटरों के कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. जगतरक्षकन): (क) से (घ) आकाशवाणी के मामले में, प्रचालन एवं रखरखाव (ओ एंड एम) संबंधी स्टाफ को स्वीकृत न किए जाने के कारण, आंध्र प्रदेश में एक एफ.एम. ट्रांसमीटर सहित 5 ट्रांसमीटरों को चालू नहीं किया जा सका।

डब्ल्यू.पी.सी. से फ्रिक्वेंसी संबंधी अनापत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण आंध्र प्रदेश में दो ट्रांसमीटर सहित 100 वाट के 94 एफ.एम. रिले ट्रांसमीटर (पूर्वोत्तर क्षेत्र में 49 तथा देश के शेष भाग में 45) चालू नहीं किए जा सके। उनमें से प्रत्येक ट्रांसमीटर पर खर्च की गई कुल राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

जहां तक दूरदर्शन का संबंध है, पिछले तीन वर्षों के दौरान स्थापित सभी नये ट्रांसमीटर चालू किए जा चुके हैं। अंतिम तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में कोई भी नई ट्रांसमीटर परियोजना संस्थापित नहीं की गयी है।

(ङ) आकाशवाणी ट्रांसमीटरों का आरंभ किया जाना स्टाफ की उपलब्धता तथा फ्रिक्वेंसी संबंधी अनापत्ति पर निर्भर करता है।

विवरण

आकाशवाणी की प्रत्येक स्कीम पर व्यय की गई कुल राशि

क्र.सं.	स्थान/ट्रांसमीटर	पूंजीगत लागत (करोड़ रुपये)
1.	धर्मानगर (त्रिपुरा)-1 कि.वा.मी. वे ट्रांसमीटर (ट्रां)	4.00
2.	ओरस (सिंधदुर्गनगरी) (महाराष्ट्र)-5 कि.वा. एफ.एम. ट्रांसमीटर	3.69
3.	डुंगरपुर (राजस्थान)-1 कि.वा.मी. वे ट्रांसमीटर	2.90
4.	सूर्यपेठ (आंध्र प्रदेश)-(1 कि.वा. एफएम ट्रांसमीटर, 10 कि.वा. एफ.एम. ट्रांसमीटर का अंतरिम ढांचा)	0.34
5.	रायरंगपुर (उड़ीसा)-300 मीटर टॉवर सहित 1 कि.वा. एफएम ट्रांसमीटर	3.66
6.	सामान्य योजना के अंतर्गत 100 वाट एफ एम रिले ट्रांसमीटर (45 स्थान)	3.73
7.	पूर्वोत्तर पैकेज चरण-2 के अंतर्गत 100 वाट एफएम रिले ट्रांसमीटर (49 स्थान)	3.92

[हिन्दी]

प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना

408. श्री के.डी. देशमुख: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना के अंतर्गत देश में सड़कों के आधुनिकीकरण संबंधी कार्य की गति धीमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने सड़कों के आधुनिकीकरण संबंधी कार्यों को गति देने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) इस समय 'प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना' नामक कोई कार्यक्रम नहीं है। तथापि, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय राजमार्गों का आधुनिकीकरण चल रहा है। परियोजनाओं के सौंपने की प्रक्रिया में कुछ विलम्ब हुआ है क्योंकि व्यवहार्यता के अभाव में और व्याप्त आर्थिक मंदी के कारण आवश्यक धन जुटाने में डेवलपरों की अक्षमता के कारण ये परियोजनाएं निविदादाताओं को आकर्षित नहीं कर पाईं।

(ग) और (घ) व्यवहार्यता और पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर परियोजनाएं सौंपने के लिए कार्य योजना को अन्तिम रूप देने हेतु संगठित प्रयास किए जा रहे हैं। वर्ष 2009-10 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों की लगभग 3165 कि.मी. लम्बाई में 4 लेन बनाने का कार्य पूरा करने और 9800 कि.मी. लम्बाई के लिए परियोजनाएं सौंपने की योजना है।

[अनुवाद]

दिल्ली में बढ़ते हुए अपराध

409. श्री तथागत सत्पथी: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अपराध की घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा बढ़ते हुए अपराधों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) से (ग) वर्ष 2008 की समसामयिक अवधि की तुलना में 1 जनवरी से 15 जून 2009 के दौरान आईपीसी अपराधों में 3.38% की कमी, दर्ज की गई, जघन्य अपराधों में 10.01% की कमी आई है। दिल्ली में अपराध कम करने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा उठाए गए कदमों में शामिल है ग्रास रूट स्तर पर-आसूचना संग्रहण में सुधार करने की 'आइज एण्ड ईअर्स' स्कीम की शुरूआत करना, अपराध प्रवृत्तियों के सतत विश्लेषण के आधार पर संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करना, आम जनता के साथ बेहतर संबंधों के लिए समुदाय पुलिस व्यवस्था पर जोर देना, दिल्ली विश्वविद्यालय के उत्तरी कैम्पस में क्षेत्र सुरक्षा समिति स्थापित करना, उच्च अपराध दर वाले पुलिस थानों की पहचान करना और इन पुलिस थानों के लिए अतिरिक्त मानवशक्ति एवं मोटर साइकिल पैट्रोल का

प्रावधान करना, दुस्साहसी अपराधियों की गतिविधियों पर सतत चौकसी, अंधेरी रात में अपराधियों के हमलों को रोकने के उद्देश्य से विशेष पैट्रोलिंग की व्यवस्था करना, पुलिस मुख्यालय में ''वरिष्ठ नागरिक सुरक्षा प्रकोष्ठ'' स्थापित करना, वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित डिस्ट्रेस फोन कालों को अटैण्ड करने के लिए 1291 नवम्बर की विशेष हैल्प लाइन की शुरूआत, वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल करने के लिए विविध समुदाय पुलिसिंग कार्यक्रम की शुरूआत करना, वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं के प्रति पुलिस जनों को संवेदनशील बनाना, सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं और आधुनिक गैजटों के प्रयोग के बारे में वरिष्ठ नागरिकों के बीच जागरूकता सृजित करने के लिए आवधिक सुरक्षा मेलों का आयोजन करना, वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए 'क्या करें' क्या न करे के संबंध में पैम्फलेट्स वितरित कराना और मुद्रित मीडिया के जरिए उनमें जागरूकता सृजित करना, महिलाओं की शिकायतों का निराकरण सुलभ बनाने के उद्देश्य से माता-पिता, अध्यापकों एवं विद्यार्थियों आदि को शामिल एवं शिक्षित करने के लिए परिवर्तन योजना की शुरूआत करना, बीट डियूटी पर महिला पुलिस अधिकारियों की तैनाती करना, महिलाओं के प्रति किए जाने वाले अपराधों को नियंत्रित करने के लिए महिला पुलिस कार्मिकों को विशेष प्रशिक्षण देना, पुलिस कार्मिकों के लिए लिंग संवेदीकरण एवं विधिक जागरूकता कार्यक्रम शुरू करना, महिलाओं के प्रति अपराधों से संबंधित मामलों के लिए पुलिस थानों की स्थापना करना, महिलाओं की शिकायतों को सुनने के लिए समर्पित महिला हैल्पलाइन शुरू करना, चौबीसों घण्टों महिलाओं की परेशानी वाले फोन काल सुनने के लिए 'महिला मोबाइल टीम' का गठन करना, मुख्य कालेजों को कवर करते हुए क्षेत्रों में गश्त लगाने वाली हर पीसीआर वैन में एक महिला कांस्टेबल तैनात करना आदि।

[हिन्दी]

कश्मीरी विस्थापितों को सहायता

410. **श्री अशोक कुमार रावत:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान कश्मीरी विस्थापितों के लिए अनुग्रह राशि और ऋण के रूप में पृथक्-पृथक् कितनी धनराशि स्वीकृत की गई और कुल कितनी धनराशि संवितरित की गई है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान वर्षवार कितने कश्मीरी परिवार विस्थापित हुए जो अब जम्मू, दिल्ली और अन्य राज्यों में स्थापित की गई आवासीय इकाइयों/कैंपों में रह रहे हैं;

(ग) अब तक घाटी में कितने परिवार वापस गए हैं और इनका प्रतिशत क्या हैं; और

(घ) सरकार द्वारा विस्थापित कश्मीरियों को उनके घरों में बसाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (घ) जम्मू व कश्मीर सरकार उग्रवादी घटनाओं से प्रभावित पीड़ितों को क्रमश: मृत्यु की दशा में 1.00 लाख रुपए स्थाई विकलांगता के लिए 75,000 रुपए, गंभीर रूप से घायल के लिए 50,000 रुपए तथा हल्के रूप से घायल के लिए 1,000 रुपये की दर से उग्रवाद से पीड़ितों के नजदीकी रिश्तेदारों को अनुग्रह राहत प्रदान करती रही है। उग्रवाद से क्षतिग्रस्त परिसम्पत्ति के लिए अधिकतम 1.00 लाख रुपये तक स्थायी परिसम्पत्ति की हानि के 50% तक अनुग्रह के रूप में दिया जाता है। जम्मू व कश्मीर सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों एवं वर्तमान वर्ष के दौरान कश्मीरी विस्थापितों को दिए गए अनुग्रह का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10 (30.6.09 तक)
वितरित निधि	36.95	18.10	19.58	शून्य

सरकार द्वारा विस्थापितों को ऋण वितरित करने की कोई अलग योजना नहीं है। दिल्ली सरकार ने भी कश्मीरी विस्थापितों को कोई अनुग्रह या ऋण प्रदान नहीं किया है। विस्थापित सीधे तौर पर निहित प्रक्रियाओं के अनुरूप ऋणों की मंजूरी के लिए बैंकों के पास जा सकते हैं। वैयक्तिक ऋणों के वितरण से संबंधित जानकारी केन्द्र स्तर पर नहीं रखी जाती है।

कश्मीरी विस्थापितों के 57,981 पंजीकृत परिवार हैं जो जम्मू, दिल्ली एवं अन्य राज्यों में रह रहे हैं। इनमें से 5,000 परिवार जम्मू में विभिन्न शिविरों में रह रहे हैं और 13 परिवार दिल्ली में शिविरों में रह रहे हैं। कथित अवधि के दौरान पंजीकृत विस्थापितों की संख्या स्थायी रही है। हालांकि, कई परिवारों ने घाटी में लौटने में उत्कट इच्छा जाहिर की है, परन्तु अभी तक कोई परिवार लौटा नहीं है।

घाटी में लौटने के इच्छुक विस्थापितों को लौटने की सुविधा प्रदान करने के लिए, केन्द्र सरकार ने बड़गाम जिले में शेखुपुरा में 200 फ्लैटों के निर्माण को मंजूरी प्रदान की है। मट्टन एवं खीर भवानी धर्मस्थल को दो आदर्श बस्तियों के रूप में विकसित किया गया है जहां कश्मीरी विस्थापितों के लिए अस्थायी शरणस्थली बनाई गई हैं जहां पर वे तब तक अस्थायी रूप से रह सकें जब तक वे अपने विद्यमान आवासी मकानों की मरम्मत न कर लें। राज्य सरकार ने मट्टन में 18 फ्लैटों तथा खीर भवानी में 100 वन-रूम टेनमेंट्स का निर्माण किया है। घाटी में कश्मीरी विस्थापितों

के लौटने एवं पुनर्वास के लिए 1618.40 करोड़ रुपए के एक पैकेज की घोषणा 25.4.2008 को की गई है और 8.35 करोड़ रुपए की शुरुआती धनराशि निर्गत कर दी गई है। पैकेज में क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत/जीर्णोद्धार के लिए सहायता, पारगमन आवास, नकद एवं राशनों की राहत को जारी रखना, छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, सरकार में नौकरी तथा स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता, कृषकों एवं बागवानीकर्ताओं को वित्तीय सहायता और ऋणों पर ब्याज को समाप्त करने का प्रावधान है।

[अनुवाद]

वडोदरा-मुम्बई एक्सप्रेसवे के कार्य की स्थिति

411. श्री हरिन पाठक: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वडोदरा-मुम्बई एक्सप्रेसवे की प्लानिंग के चरणों तथा परियोजना को लागू करने सहित वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या गुजरात राज्य सरकार ने एक्सप्रेसवे के प्रस्तावित संरेखण के लिए भूमि निर्धारित की थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण शुरू करने और निर्माण कार्य शुरू करने हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर आर.पी.एन. सिंह): (क) वडोदरा-मुम्बई एक्सप्रेसवे के संरेखण की उपग्रह से लिए गए चित्रों के आधार पर अंतिम रूप दिया गया है। साध्यता अध्ययन के लिए परामर्शदाता की नियुक्ति की गई है। परामर्शदाता ने पहले ही फरवरी 2009 से कार्य शुरू कर दिया है। साध्यता अध्ययन का कार्य एक वर्ष की अवधि में पूरा कर लिए जाने की संभावना है। इसके बाद संरेखण के साथ विस्तृत भूमि योजना अनुसूचियां तैयार की जाएंगी और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

(ख) और (ग) जी, हां। गुजरात सरकार ने गुजरात में 300 मीटर चौड़ा एक महामार्ग निश्चित किया है। प्रस्तावित संरेखण अधिकांशत: इसी महामार्ग से गुजर रहा है।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त परियोजना हेतु भूमि अधिग्रहण के लिए दो वर्ष की समय सीमा निर्धारित की गई है और इसका निर्माण कार्य, दिसम्बर, 2015 के अंत तक पूरा किए जाने की संभावना है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

सीमा सुरक्षा की समीक्षा

412. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री मधु गौड यास्खी:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर हाई स्पीड इंटरसेप्टर नौकाओं, बाड़ लगाने, सड़क निर्माण, फल्ड लाइट लगाने, सीमा चौकियों के निर्माण इत्यादि के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है और इसमें कितनी धनराशि खर्च होगी?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) से (ग) जी हां, महोदया। सरकार के विभिन्न स्तरों पर यह समीक्षा की गई है। तटवर्ती राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इण्टरसेप्टर नावों की सुपुर्दगी अप्रैल, 2009 में शुरू हुई थी। अब तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 14 नावों की सुपुर्दगी की गई है। चरण-2 परियोजना में भारत-बंगलादेश सीमा पर 1800.09 किमी. बाड़ लगाने और 718.64 किमी. सड़क बनाने का कार्य पूरा कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त, चरण-3 परियोजना के अंतर्गत 376 किमी. बाड़ के प्रतिस्थापन कार्य को पूरा कर लिया गया है। फ्लड लाइटिंग के प्रतिष्ठान का कार्य प्रगति पर है। भारत-बंगलादेश और भारत-पाकिस्तान सीमाओं पर अतिरिक्त सीमा बाह्य चौकियां बनाने का कार्य सौंप दिया गया है। भारत-चीन सीमा पर 10 रणनीतिक सड़कों के निर्माण का कार्य शुरू हो गया है।

विभिन्न तथ्यों का आकलन करने के पश्चात् सीमा कार्यों के लिए वार्षिक कार्य योजना तैयार कर ली गई है और वर्ष 2009-10 के लक्ष्य निर्धारित कर दिए गए है। तटीय सुरक्षा योजना के अंतर्गत 9 तटीय राज्यों और 4 संघ राज्य क्षेत्रों को इण्टरसेप्टर नावों की आपूर्ति के लक्ष्यों को भी अन्तिम रूप दे दिया गया है।

परियोजनाओं, प्रचालन का क्षेत्र, इन परियोजनाओं के पूरा करने की समय सीमा तथा वित्तीय निहितार्थ निम्नलिखित है-

क्र.सं.	परियोजना	परियोजना संघटक	प्रचालन का क्षेत्र	पूरा करने की समय सीमा	वित्तीय निहितार्थ (करोड़ रुपये में)
1.	चरण-2 परियोजना (बाड़ लगाने एवं सड़क निर्माण का कार्य)	बाड़ 2579.22 किमी. सड़क 1422.45 किमी.	भारत-बंगलादेश सीमा	2000-2010	4393.67
2.	चरण-3 परियोजना (बाड़ लगाने एवं सड़क का प्रतिस्थापन)	बाड़ 861.72 किमी.	भारत-बंगलादेश सीमा	2006-2010	884.00
3.	फ्लड लाइटिंग कार्य	2840.90 किमी.	भारत-बंगलादेश सीमा	2007-2012	1327.77
4.	सीमा बाह्य चौकियों का निर्माण	509 संख्या (आईबीपी-126, आईबीबी-383)	भारत-बंगलादेश और भारत-पाकिस्तान सीमा	2008-2014	1832.50
5.	सीमा सड़क का निर्माण	आईटीबीपी के प्रचालनात्मक महत्व वाली 804 किमी. लम्बी 27 सम्पर्क सड़कों का निर्माण	जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों में भारत-चीन सीमा पर	2008-2013	1937.00
6.	इण्टरसेप्टर नावों की आपूर्ति (तटीय सुरक्षा योजना के अंतर्गत)	वर्तमान तटीय सुरक्षा के अंतर्गत 204 इण्टरसेप्टर नावों, 153 जीपो और 312 मोटर साइकिलों सहित 73 तटीय पुलिस थानों, 97 चैक पोस्टों, 58 आउटपोस्टों और 30 बैरको का अनुमोदन किया गया है	9 तटीय राज्यों और 4 संघ राज्य क्षेत्रों में	2005-2010	400.00

रेडियो स्टेशन

413. श्री निशिकांत दुबे: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय राज्यवार कितने आकाशवाणी केंद्र और निजी रेडियो स्टेशन काम कर रहे हैं;

(ख) क्या देश में नए आकाशवाणी केन्द्र और निजी रेडियो स्टेशनों की स्थापना का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या गत तीन वर्षों के दौरान आकाशवाणी केन्द्रों और निजी रेडियो स्टेशनों के कार्यनिष्पादन की तुलनात्मक समीक्षा की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त समीक्षा के क्या परिणाम निकले; और

(च) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष व्यावसायिक विज्ञापनों से कुल कितना राजस्व अर्जित हुआ है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. जगतरक्षकन): (क) देश में 232 आकाशवाणी केन्द्र कार्यशील हैं। इनका ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। 248 निजी एफ.एम. स्टेशनों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

आकाशवाणी केन्द्रों के लिए 11वें योजनागत प्रस्ताव को अभी अनुमोदित किया जाना है।

जहां तक निजी एफ.एम. रेडियो स्टेशनों का संबंध है, देश में निजी एफ.एम. रेडियो प्रसारण के विस्तार के चरण-III के

संबंध में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) की सिफारिशों पर सरकार की राय कायम करने की प्रक्रिया चल रही है।

(घ) और (ङ) जहां तक आकाशवाणी का संबंध है, वर्ष 2008-09 में श्रोता अनुसंधान एकक ने देशभर के 18 स्थानों में आकाशवाणी और निजी चैनलों के श्रोताओं का सर्वेक्षण कराया है, आकाशवाणी और निजी चैनलों के श्रोताओं का ब्यौरा संलग्न विवरण-IV में दिया गया है।

(च) गत तीन वर्षों के दौरान आकाशवाणी के संबंध में अर्जित वाणिज्यिक राजस्व निम्नानुसार है:-

2008-09	208,59,19,206/- रुपये
2007-08	233,29,60,007/- रुपये
2006-07	236,15,37,603/- रुपये
2005-06	222,76,94,290/- रुपये

जहां तक निजी रेडियो स्टेशनों का संबंध है, उनके द्वारा वाणिज्यिक विज्ञापनों से अर्जित राजस्व के संबंध में ऐसा कोई आंकड़ा इस मंत्रालय में नहीं रखा जाता है।

विवरण I

आकाशवाणी के मौजूदा स्टेशन

क्र.सं.	राज्य	कुल
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	13
2.	अरुणाचल प्रदेश	5
3.	असम	10
4.	बिहार	6
5.	छत्तीसगढ़	6
6.	दिल्ली	1
7.	गोवा	1
8.	गुजरात	8
9.	हरियाणा	3
10.	हिमाचल प्रदेश	6
11.	जम्मू और कश्मीर	16
12.	झारखंड	5
13.	कर्नाटक	14
14.	केरल	8
15.	मध्य प्रदेश	16
16.	महाराष्ट्र	20
17.	मणिपुर	1
18.	मेघालय	5
19.	मिजोरम	3
20.	नागालैंड	4
21.	उड़ीसा	13
22.	पंजाब	3
23.	राजस्थान	17
24.	सिक्किम	1
25.	तमिलनाडु	11
26.	त्रिपुरा	3
27.	उत्तराखंड	6
28.	उत्तर प्रदेश	14
29.	पश्चिम बंगाल	7
30.	संघ राज्य क्षेत्र	6
	कुल	232

विवरण II

मौजूदा निजी एफएम स्टेशन

क्र.सं.	राज्य	कुल
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	13
2.	अरुणाचल प्रदेश	1
3.	असम	4

1	2	3
4.	बिहार	2
5.	छत्तीसगढ़	5
6.	दिल्ली	8
7.	गोवा	3
8.	गुजरात	16
9.	हरियाणा	6
10.	हिमाचल प्रदेश	–
11.	जम्मू और कश्मीर	2
12.	झारखंड	7
13.	कर्नाटक	14
14.	केरल	17
15.	मध्य प्रदेश	16
16.	महाराष्ट्र	31
17.	मणिपुर	–
18.	मेघालय	2
19.	मिजोरम	–
20.	नागालैंड	–
21.	उड़ीसा	5
22.	पंजाब	12
23.	राजस्थान	19
24.	सिक्किम	2
25.	तमिलनाडु	21
26.	त्रिपुरा	1
27.	उत्तराखंड	–
28.	उत्तर प्रदेश	21
29.	पश्चिम बंगाल	15
30.	संघ राज्य क्षेत्र	5
	कुल	248

विवरण III

10वीं योजना के नए आकाशवाणी केन्द्र, जिन्हें 11वीं योजना में जारी रखा गया

क्र.सं.	राज्य	कुल
1.	आंध्र प्रदेश	4
2.	अरुणाचल प्रदेश	5
3.	असम	3
4.	गुजरात	1
5.	झारखंड	1
6.	मध्य प्रदेश	1
7.	महाराष्ट्र	2
8.	मणिपुर	3
9.	मेघालय	1
10.	मिजोरम	3
11.	नागालैंड	3
12.	उड़ीसा	1
13.	पंजाब	2
14.	राजस्थान	2
15.	त्रिपुरा	4
16.	उत्तर प्रदेश	4
17.	उत्तराखंड	6
18.	पश्चिम बंगाल	3
19.	100 वाट एफएम ट्रां.	145 (पूर्वोत्तर क्षेत्र में 100 और शेष देश में 45 ट्रां.)
	कुल	194

*पूर्वोत्तर क्षेत्र में 100 वाट के 49 एफएम स्टेशन और शेष देश में 100 वाट के 45 एफएम स्टेशन तकनीकी रूप से तैयार हैं।

*चूड़ाचांदपुर, रायरंगपुर, धर्मानगर, औरस और डुंगरपुर तकनीकी रूप से तैयार हैं।

विवरण IV

महानगरों में एफएम स्टेशनों की तुलनात्मक श्रोतागण संख्या

(आंकड़े प्रतिशत में)

(2008-09)

क्र.सं.	स्टेशन	रेनबो	गोल्ड	मिर्ची	रेड एफएम	रेडियो सिटी	सूर्यन एफएम	अमर एफएम	पावर एफएम	जीओ	बिग एफएम	रेडियो इंडिगो
1.	दिल्ली	28.0	47.0	38.0	22.0	26.0					9.8	
2.	चेन्नई	24.3	3.0	21.0		2.8	52.5				10.3	
3.	कोलकाता	28.7	21.7	27.5	14.5			9.8	4.3		10.0	
4.	मुंबई	45.5	51.0	39.6	15.9	17.1				6.4	13.5	
5.	कानपुर	69.3	–	5.8							5.8	
6.	बंगलौर	73.0	–	25.0		7.0					19.0	1.8
7.	कोयंबटूर	59.5	–	3.5		1.0	37.0					
8.	विशाखापट्टनम	62.0	–	28.0		32.5					18.0	
9.	लखनऊ	72.3	–	3.3		33.8					3.3	
10.	कटक	25.0	–								12.0	
11.	जालंधर	55.8		9.8							5.3	
12.	पणजी	29.5	–	29.0							30.0	1.5
13.	तिरुचिरापल्ली	56.5	–				37.5					
14.	शिलांग	45.5	38.5									
15.	कुर्सियांग	37.5	–									
16.	मसूरी	34.0	16.0	11.0	6.0	1.5						
17.	हैदराबाद	79.0	–	59.0		55.0					66.3	
18.	अलीगढ़	65.0										
	औसत	49.5	29.5	23.1	14.6	19.6	42.3	9.8	4.3	6.4	16.69	1.65

क्र.सं.	स्टेशन	एफएम रिलायंस	हैल्लो	चाकलेट	एस एफएम	एफएम फीवर	मियो एफएम	रेडियो वन	माई एफएम	रेडियो मैन	फ्रेंड्स एफएम	रेडियो मस्ती
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	दिल्ली					10.0	13.0	7.2				
2.	चेन्नई		6.2					2.3				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.	कोलकाता					3.8	4.7				8.5	
4.	मुंबई					6.4	5.2	7.7				
5.	कानपुर				0.8							
6.	बंगलौर				7.8	6.8		3.3				
7.	कोयंबटूर		2.0									
8.	विशाखापट्टनम				50.0							
9.	लखनऊ				4.0							
10.	कटक			41.0	4.5							
11.	जालंधर								6.3	6.0		
12.	पणजी											
13.	तिरूचिरापल्ली		28.0									
14.	शिलांग											
15.	कुर्सियांग											33.5
16.	मसूरी											
17.	हैदराबाद				73.5							
18.	अलीगढ़	51.5										
	औसत	51.5	12.1	41.0	23.4	6.8	7.6	5.1	6.3	6.0	8.5	33.5

क्र.सं.	स्टेशन	एफएम रेडियो हाय	91.9 एफएम	एफएम कंचनजंगा	एफएम कोसी (नेपाल)	एफएम सप्तकोसी (नेपाल)	आहा एफएम	चेन्नई एफएम	अमृतावर्षिनी
1.	कुर्सियांग	4.5	6.5	43.0	3.0	2.5			
2.	चेन्नई						2.2	0.5	
3.	बंगलौर								16.0
	औसत	4.5	6.5	43.0	3.0	2.5	2.2	0.5	16.0

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण

414. श्री भर्तृहरि महताब: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की स्थापना हो चुकी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में राज्यों से उनके विचार मिले हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण का गठन कर दिया गया है और उसके महानिदेशक की नियुक्ति कर दी गई है और उन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया है। 217 अतिरिक्त पद मंजूर किए गए हैं। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण को अन्वेषण और अभियोजन के लिए तीन मामले सौंपे गए हैं।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण का गठन संसद के एक अधिनियम के अंतर्गत किया गया है जिसे समुचित विचार-विमर्श किए जाने के पश्चात् भारत की प्रभुसत्ता, सुरक्षा और एकता, राज्य की सुरक्षा, विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों और राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की अनुसूची में सूचीबद्ध अधिनियमों के अंतर्गत आने वाली अन्तर्राष्ट्रीय संधियों, करारों और अभिसमयों को अधिनियमित करने वाले अधिनियमों पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के अन्वेषण और अभियोजन के लिए पारित किया गया है। यह अभिकरण समवर्ती अधिकारिता में कार्य करेगा और चुनिंदा मामलों को ही अपने हाथ में लेगा। इस अधिनियम के प्रावधानों पर 6.1.2009 को आंतरिक सुरक्षा विषय पर सम्पन्न हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में भी विचार-विमर्श किया गया था। इस सम्मेलन के पश्चात् गृह मंत्री ने सभी मुख्य मंत्रियों को अधिनियम के प्रावधानों के क्षेत्र, मात्रा और अनुप्रयोग के ब्यौरे और स्पष्टीकरण वाला पत्र लिखा था जिसमें यह भी उल्लेख किया गया था कि यदि उन्हें इस संबंध में कोई प्रश्न या संदेह हो तो उनको स्पष्ट किया जाएगा। कुछ राज्यों से प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है और स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

[हिन्दी]

बच्चों का अपहरण

415. श्री प्रहलाद जोशी: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अपहरण के मामलों में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और देश के अन्य भागों से जिन बच्चों का अपहरण हुआ है उन्हें बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा कितने बच्चों को बचाया गया;

(घ) क्या इस बात की जानकारी मिली है कि जिन बच्चों का अपहरण हुआ है उनके शरीर से अंगों को निकाला जाता है और तत्पश्चात् उन्हें बेच दिया जाता है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा अपहरण की घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के अनुसार वर्ष 2005-2007 के दौरान देश में अपहरण और व्यपहरण के कुल 22,832, 23,991 और 27,561 मामले सूचित किए गए थे। वर्ष 2005 में 3518, वर्ष 2006 में 5102 और वर्ष 2007 में 6377 मामले बच्चों के अपहरण और व्यपहरण के थे।

(ख) अपराध निवारण, उसका पता लगाने, दर्ज करने, जांच-पड़ताल करने और अभियोजन चलाने की मुख्य जिम्मेदारी राज्य की है। तथापि, संघ सरकार, राज्य सरकारों को समय-समय पर इस आशय की सलाह जारी करती रहती है कि वे अपने अधिकार क्षेत्रों में अपराध निवारण और नियंत्रण पर विशेष ध्यान दें। वर्ष 2005-2007 के दौरान 18 वर्ष की आयु तक अपहरण और व्यपहरण किए गए बच्चों के मामले में दर्ज किए गए मामलों, आरोप पत्र दायर किए गए मामलों, दोष सिद्ध मामलों, आरोप पत्र दायर किए गए मामलों, दोष सिद्ध मामलों, गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I और IV में दिया गया है। एनसीआर के विभिन्न जिलों में अपहरण और व्यपहरण के तहत दर्ज किए गए मामलों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) एनसीआरबी, देश में पुलिस द्वारा प्राप्त की गई प्रथम सूचना रिपोर्टों के आधार पर अपराध संबंधी आंकड़े संकलित करता है। चूंकि ''गुमशुदा व्यक्ति'' एक संज्ञेय अपराध नहीं है इसलिए एनसीआरबी इस संबंध में आंकड़े संबंधी सूचना एकत्र नहीं करता है। चूंकि सामान्यतया पता लगाए व्यक्ति के बारे में राज्य कोई सूचना नहीं भेजते हैं इसलिए यह सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) और (ङ) एनसीआरबी के अनुसार अपहरण किए गए बच्चों के शरीर से अंग निकाले जाने के बारे में कोई सूचना संकलित नहीं की जा रही है। शरीर के अंगों को बेचने के प्रयोजनार्थ अपहरण और व्यपहरण के शिकार बच्चों (18 वर्ष की आयु तक) के संबंध में वर्ष 2005-2007 के दौरान बिहार सरकार द्वारा केवल 3 मामलों की सूचना दी गई है जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

(च) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार ''पुलिस'' और ''लोक व्यवस्था'' राज्य के विषय हैं और इस प्रकार अपराध निवारण, उसका पता लगाने, दर्ज करने, जांच-पड़ताल करने और अभियोजन चलाने की मुख्य जिम्मेदारी राज्यों की है। गृह मंत्रालय समय-समय पर राज्य सरकारों को इस आशय की सलाह जारी करता रहा है कि वे बच्चों के प्रति अपराध निवारण सुनिश्चित करने और उन्हें रक्षा और संरक्षण प्रदान करने के लिए अधिक ध्यान दें और प्रभावी कार्रवाई करें। सरकार ने बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 अधिसूचित किया है। बाल अधिकारों को उचित रूप से लागू करने और बच्चों से संबंधित कानूनों और कार्यक्रमों का प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन करने के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का पहले ही गठन कर दिया गया है। महिला और बाल विकास मंत्रालय के तत्वावधान में कई शहरों में जरूरतमंद बच्चों की देखभाल करने और संरक्षण प्रदान करने के लिए 24 घंटे की कर मुक्त आपात हेल्पलाइन सेवा भी है। सरकार, बच्चों के प्रति अपराध रोकने और अपराध तथा शोषण के प्रति उन्हें संरक्षण प्रदान करने के लिए विस्तृत उपाय करने के लिए प्रतिबद्ध है।

विवरण I

वर्ष 2005 से 2007 के दौरान बच्चों के अपहरण और व्यपहरण के लिए दर्ज मामले (सीआर), आरोप-पत्र दाखिल मामले (सीएस), दोष सिद्ध मामले (सीवी) गिरफ्तार व्यक्ति (पीएआर), आरोप पत्र दाखिल व्यक्ति (पीसीवी) और दोष सिद्ध व्यक्ति (पीसीवी)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2005						2006						2007					
		सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	आंध्र प्रदेश	332	205	19	448	385	38	498	281	37	600	489	78	609	447	35	654	651	54
2.	अरुणाचल प्रदेश	12	9	0	13	9	0	27	12	0	18	11	0	3	8	0	3	5	0
3.	असम	18	16	0	18	13	0	25	18	2	25	18	2	29	24	10	29	22	10
4.	बिहार	72	23	0	74	51	0	25	30	5	44	42	8	421	130	6	603	243	16
5.	छत्तीसगढ़	110	101	11	95	95	10	113	109	24	115	114	18	103	82	9	87	85	14
6.	गोवा	11	6	1	12	8	2	10	11	0	14	15	0	7	3	2	5	3	3
7.	गुजरात	285	241	9	369	365	16	360	259	8	391	387	16	436	317	18	505	464	19
8.	हरियाणा	101	40	2	60	58	10	158	88	20	123	118	21	107	31	5	138	141	28
9.	हिमाचल प्रदेश	37	25	0	52	44	0	52	19	0	41	41	0	61	32	2	32	29	0
10.	जम्मू और कश्मीर	48	19	0	19	19	0	72	55	0	57	57	0	8	20	0	9	9	0
11.	झारखंड	11	7	3	18	20	1	11	8	1	23	17	0	7	8	6	6	7	17
12.	कर्नाटक	35	30	0	45	38	0	62	41	0	50	56	0	62	46	1	62	54	1
13.	केरल	45	81	23	107	87	23	73	52	1	126	98	4	73	58	4	96	91	8
14.	मध्य प्रदेश	240	216	62	351	357	75	237	215	24	304	285	36	283	205	47	271	285	85
15.	महाराष्ट्र	420	346	12	503	494	16	552	431	13	612	561	17	590	415	8	680	614	13
16.	मणिपुर	13	0	0	11	0	0	32	0	0	30	0	0	42	0	0	17	0	0
17.	मेघालय	11	4	0	2	1	0	13	8	0	1	1	0	9	3	0	7	3	0
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	2	1	2	2	1
20.	उड़ीसा	16	13	1	25	22	3	17	13	1	23	23	2	36	29	0	36	34	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21.	पंजाब	59	46	6	90	70	7	169	73	16	67	47	13	296	127	12	165	128	29
22.	राजस्थान	132	63	6	85	88	18	392	225	17	255	254	32	589	278	19	300	298	23
23.	सिक्किम	2	1	0	2	2	0	6	0	0	0	0	0	5	1	0	3	2	0
24.	तमिलनाडु	69	37	5	68	58	9	118	71	15	146	96	18	197	84	3	197	115	12
25.	त्रिपुरा	6	5	0	17	16	0	0	0	1	0	0	1	11	8	2	9	8	3
26.	उत्तर प्रदेश	749	629	292	1192	1115	568	734	624	304	1120	1061	601	1041	729	372	1563	1240	607
27.	उत्तराखंड	41	22	1	50	36	1	5	15	2	7	16	2	46	31	6	49	38	13
28.	पश्चिम बंगाल	102	70	0	124	78	0	156	111	8	233	170	10	88	38	1	110	51	1
	कुल राज्य	2977	2255	453	3850	3529	797	3917	2770	500	4425	3977	879	5161	3156	569	5638	4622	957
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2	0	0	0	0	0	4	6	0	4	4	0	7	2	0	6	3	0
30.	चंडीगढ़	23	8	1	29	28	1	43	18	5	29	24	6	30	8	10	36	20	14
31.	दादरा और नगर हवेली	4	3	0	4	3	0	10	9	0	10	11	0	6	4	0	4	4	0
32.	दमण और दीव	2	1	0	4	4	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली संघ शासित राज्य	507	139	23	157	146	87	1114	334	33	396	170	34	1161	236	41	410	383	48
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पुडुचेरी	3	3	0	5	3	0	13	8	0	23	18	0	12	13	0	10	17	0
	कुल संघ शासित राज्य	541	154	24	199	184	88	1185	376	38	463	228	40	1216	263	51	466	427	62
	कुल अखिल भारत	3518	2409	477	4049	3713	885	5102	3146	538	4888	4205	919	6377	3419	620	6104	5049	1019

स्रोत: भारत में अपराध

टिप्पणी: पुलिस और अदालतों द्वारा निपटाए गए मामलों संबंधी सूचना में विगत वर्षों से लम्बित मामलों संबंधी सूचना भी शामिल है।

विवरण II

वर्ष 2005-2007 ''के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बच्चों के अपहरण और व्यपहरण'' अपराध शीर्ष के तहत दर्ज किए गए मामले

क्र.सं.	एनसीआर	2005	2006	2007
1	2	3	4	5
1.	अलवर	0	17	30
2.	बागपत	5	5	9
3.	बुलन्दशहर	5	0	26
4.	दिल्ली संघ शासित क्षेत्र कुल	507	1114	1161
5.	फरीदाबाद	58	58	0
6.	गौतमबुद्ध नगर	3	14	15
7.	गाजियाबाद	53	22	61
8.	गुड़गांव	11	36	46
9.	झज्झर	0	0	0
10.	मेरठ	21	29	32
11.	पानीपत	15	29	8
12.	रिवाड़ी	2	2	11
13.	रोहतक	0	0	0
14.	सोनीपत	0	0	0
	कुल एनसीआर	680	1326	1399

स्रोत: भारत में अपराध

विवरण III

वर्ष 2005-2007 के दौरान शरीर के अंग बेचने के लिए अपहरण और व्यपहरण के शिकार बच्चों (18 वर्ष की आयु तक) का विवरण

क्र.सं.	राज्य	2005	2006	2007
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	0	0	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0
3.	असम	0	0	0
4.	बिहार	3	0	0
5.	छत्तीसगढ़	0	0	0
6.	गोवा	0	0	0
7.	गुजरात	0	0	0
8.	हरियाणा	0	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0
10.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0
11.	झारखंड	0	0	0
12.	कर्नाटक	0	0	0
13.	केरल	0	0	0
14.	मध्य प्रदेश	0	0	0
15.	महाराष्ट्र	0	0	0
16.	मणिपुर	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	0
18.	मिजोरम	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0
20.	उड़ीसा	0	0	0
21.	पंजाब	0	0	0
22.	राजस्थान	0	0	0
23.	सिक्किम	0	0	0
24.	तमिलनाडु	0	0	0
25.	त्रिपुरा	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	0	0	0
27.	उत्तराखंड	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	0	0	0
	कुल राज्य	3	0	0
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0
33.	दिल्ली	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0
35.	पुडुचेरी	0	0	0
	कुल संघ शासित राज्य	0	0	0
	कुल अखिल भारत	3	0	0

स्रोत: भारत में अपराध

विवरण IV

वर्ष 2005 से 2007 के दौरान अपहरण और व्यपहरण में दायर किए गए मामले (सीआर), आरोप पत्र दायर किए गए मामले (सीएस), दोष सिद्ध मामले (सीवी), गिरफ्तार किए गए व्यक्ति (पीएआर), आरोप पत्र दाखिल किए गए व्यक्ति (पीसीएस) और दोष सिद्ध व्यक्ति (पीसीवी)

क्र.सं.	राज्य	2005						2006						2007					
		सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	आंध्र प्रदेश	1612	950	89	2156	1849	174	2030	1005	100	2106	1976	275	2097	1363	81	2605	2285	256
2.	अरुणाचल प्रदेश	58	40	6	45	30	6	75	44	5	70	44	8	68	44	4	66	48	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3.	असम	1751	890	148	2846	1683	202	1825	919	124	2162	1292	152	1971	1154	299	2170	1313	298
4.	बिहार	2693	1723	197	5218	4336	369	2619	1886	389	5506	4144	800	2530	1986	268	5261	4295	552
5.	छत्तीसगढ़	246	204	33	339	334	58	239	196	50	322	318	77	244	192	23	286	283	56
6.	गोवा	17	9	1	32	12	2	16	12	0	22	21	0	12	4	2	12	7	3
7.	गुजरात	1164	763	57	1627	1568	89	1128	765	81	1441	1461	145	1312	1018	61	1768	1721	104
8.	हरियाणा	492	249	66	531	506	121	635	378	73	757	740	108	801	433	67	860	830	144
9.	हिमाचल प्रदेश	118	57	2	143	121	5	130	56	6	130	113	7	171	59	3	124	101	7
10.	जम्मू और कश्मीर	748	485	7	793	764	7	789	596	8	934	916	19	758	530	2	1018	1013	2
11.	झारखंड	621	322	64	721	415	154	635	350	78	799	936	123	762	526	219	845	758	235
12.	कर्नाटक	589	305	18	690	614	39	563	335	14	669	625	32	680	409	16	776	718	30
13.	केरल	226	159	6	367	409	24	294	231	10	405	365	25	255	205	14	379	370	24
14.	मध्य प्रदेश	847	680	213	1557	1556	444	808	680	271	1361	1349	429	922	756	196	1435	1454	473
15.	महाराष्ट्र	1194	786	46	2046	1840	87	1261	819	45	1900	1680	69	1312	914	60	1949	1856	88
16.	मणिपुर	106	2	1	81	2	1	130	1	2	57	1	1	150	2	1	95	2	1
17.	मेघालय	48	13	0	43	26	0	57	18	0	93	29	0	52	13	4	46	26	6
18.	मिजोरम	13	5	2	6	5	10	6	6	11	6	8	2	4	7	6	2	4	6
19.	नागालैंड	26	27	84	30	35	57	31	12	7	22	16	10	17	15	17	34	17	24
20.	उड़ीसा	641	399	29	685	673	49	704	472	64	737	709	78	801	493	36	859	829	82
21.	पंजाब	478	235	24	568	460	47	591	238	44	779	494	95	760	312	34	840	573	84
22.	राजस्थान	1993	681	214	1597	1606	513	1970	763	303	1661	1665	733	2177	774	183	1554	1553	398
23.	सिक्किम	3	2	0	3	1	0	8	5	0	0	2	0	9	2	0	3	3	0
24.	तमिलनाडु	1029	457	92	1268	1276	203	906	428	90	1405	998	261	1270	565	63	1465	1144	189
25.	त्रिपुरा	85	73	16	105	126	22	105	60	10	107	79	8	113	112	10	126	117	17
26.	उत्तर प्रदेश	2955	2092	944	5098	4643	2195	3318	2286	1166	5806	5488	2847	4478	2408	1042	7890	5747	2578
27.	उत्तराखंड	203	114	45	391	242	85	212	152	53	384	318	151	253	127	67	397	307	108
28.	पश्चिम बंगाल	1207	952	106	1841	1703	346	1355	940	134	1886	1430	198	1800	1034	34	1986	1762	64
	कुल राज्य	21163	12674	2510	30827	26835	5309	22440	13653	3138	31527	27217	6653	25799	15457	2812	34851	29136	5834
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2	0	0	0	0	0	5	7	0	10	10	0	12	3	0	6	3	0
30.	चंडीगढ़	54	13	1	46	27	3	65	34	6	65	63	8	52	24	12	50	33	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
31.	दादरा और नगर हवेली	13	7	0	17	22	0	18	11	0	18	19	0	9	5	0	12	7	0
32.	दमण और दीव	4	3	0	13	13	0	3	1	0	1	1	0	1	1	0	3	3	0
33.	दिल्ली संघ शासित राज्य	1590	371	34	873	615	91	1442	379	46	684	524	87	1688	402	54	614	481	98
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पुडुचेरी	6	8	1	14	26	1	17	13	0	34	31	0	20	13	1	26	24	3
	कुल संघ शासित राज्य	1669	402	36	963	703	95	1551	445	52	812	648	95	1782	448	67	711	551	117
	कुल अखिल भारत	22832	13076	2546	31790	27538	5404	23991	14098	3190	32339	27865	6748	2756	15905	2879	15562	29687	5951

स्रोत: भारत में अपराध

टिप्पणी: पुलिस और अदालतों द्वारा निपटाए गए मामलों संबंधी सूचना में विगत वर्षों से लम्बित मामलों संबंधी सूचना भी शामिल है।

ईंधन की खपत

416. श्री बृजभूषण शरण सिंह: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों की जीर्ण-शीर्ण हालत के परिणामस्वरूप ईंधन की खपत ज्यादा होती है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) सड़कों की खराब हालत के कारण एक वर्ष में अनुमानत: कितने मूल्य के अतिरिक्त पेट्रोल/डीजल की खपत होती है; और

(घ) इस मामले में क्या सुधारात्मक कार्रवाई की गई है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर आर.पी.एन. सिंह): (क) जी, नहीं। राष्ट्रीय राजमार्गों को पारस्परिक प्राथमिकता और निधियों की उपलब्धता के आधार पर यातायात योग्य स्थिति में रखा जाता है।

(ख) से (घ) सड़कों की खराब स्थिति के कारण बढ़ी हुई वाहन संचालन लागत कम करने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के सुदृढ़ीकरण, चौड़ीकरण, ज्यामितीय सुधारों आदि के द्वारा इनमें सुधार करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों का सुधार और अनुरक्षण किया जाना एक सतत् प्रक्रिया है। सड़कों की खराब स्थिति के कारण एक वर्ष में खपत होने वाले अतिरिक्त पेट्रोल/डीजल का अनुमान लगाना अनेक कारकों जैसे सड़क प्रयोग करने वाले वाहनों की संख्या, वाहनों की गति, चालक का वाहन चलाने का तरीका, वाहनों का अधिक भार लदान, पेट्रोल/डीजल के मूल्य आदि पर निर्भर करेगा। इसलिए कोई अनुमान नहीं लगाया जा सका।

शिक्षित युवाओं में अपराध की प्रवृत्ति

417. श्रीमती सुमित्रा महाजन: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अपराध जगत में प्रवेश करने के प्रति शिक्षित युवाओं की प्रवृत्ति में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(घ) यदि हां, तो उक्त सर्वेक्षण के क्या परिणाम निकले; और

(ङ) सरकार द्वारा युवाओं में ऐसी आपराधिक प्रवृत्ति को समाप्त करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो इस संबंध में अलग से जानकारी नहीं रखता है। हालांकि, राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा संकलित जानकारी के अनुसार, 2005-07 के दौरान देश में आईपीसी एवं एसएलएल के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की कुल संख्या में गिरफ्तार किए गए युवाओं, अर्थात् 18-30 वर्षों के आयु समूह के व्यक्तियों, का प्रतिशत क्रमश: 44%, 43.7% और 44.6% है जो दर्शाता है कि ऐसा निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता है कि अपराध की दुनिया में युवाओं के प्रवेश करने की प्रवृत्ति में कोई बढ़ोत्तरी हो रही है। इसके बाद, राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा संकलित जानकारी देश की आबादी तथा अपराध की घटना में वृद्धि के बीच सकारात्मक सहसंबंध दर्शाती है। आबादी के अतिरिक्त एक विशेष स्थान पर अपराध की स्थिति को प्रभावित करने वाले अन्य घटक पड़ोसी स्थानों से आबादी के आव्रजन को बढ़ावा देने

वाला बढ़ता शहरीकरण, अवैध बसावटें, विविधि सामाजिक-सांस्कृतिक भिन्नताएं, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता, आदि हो सकते हैं।

(ग) केन्द्रीय गृह मंत्रालय को ऐसे किसी सर्वेक्षण की कोई जानकारी नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) ''पुलिस'' और ''लोक व्यवस्था'' भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य का विषय हैं और इसी कारणवश राज्य सरकारें प्राथमिक तौर पर अपराध की रोकथाम, खोजबीन, पंजीकरण तथा जांच के लिए एवं अपनी कानून प्रवर्तन एजेंसियों की मशीनरी के माध्यम से अपराधियों पर अभियोग चलाने के लिए उत्तरदायी हैं। हालांकि, केन्द्र सरकार अपराध की रोकथाम के मामले को अत्यधिक महत्व देती है और इसी कारणवश समय-समय पर राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों की प्रशासनों को सुझाव देती रही है कि आपराधिक न्याय प्रणाली के संचालन को सुधारने पर और अधिक ध्यान दें तथा अपराध की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए यथा आवश्यक ऐसे उपाय करें।

सी.एन.जी. चालित वाहन

418. **श्री राधा मोहन सिंह:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में संपीडित प्राकृतिक गैस (सी.एन.जी.) चालित बसों और आटो में आग लगने की अनेक घटनाएं हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो गत छह महीनों के दौरान श्रेणी-वार ऐसी कितनी घटनाएं हुई हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने उक्त घटनाओं की कोई जांच कराई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सी.एन.जी. बसों सहित अधिकतर सी.एन.जी. चालित वाहनों की चेसिस नहीं बदली गई थी और उसमें सिलेंडर सही तरीके से नहीं लगाए गए थे;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सी.एन.जी. बसों और आटो की समय पर जांच नहीं की जाती है जिसके परिणामस्वरूप उक्त वाहनों की दोषपूर्ण प्रणाली के चलते होने वाली दुर्घटनाओं में यात्रियों को अपनी जान गंवानी पड़ती है; और

(ज) यदि हां, तो उक्त वाहनों की जांच के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह खंडेला): (क) से (ज) यह मंत्रालय, उन मोटर यानों के संबंध में मानक और सुरक्षा मानदंडों को अधिसूचित करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है जिनमें सीएनजी किट लगाई गई होती है। इस बारे में नियम, पहले ही केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के अंतर्गत अधिसूचित कर दिए गए हैं। यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की है कि इन नियमों को कड़ाई से लागू किया जाए और कि सीएनजी विधि में परिवर्तित वाहन, सुरक्षा मानदंडों का अनुपालन करें। आगे, राज्य सरकार की यह जिम्मेदारी भी है कि वह ऐसी घटनाओं के कारण का पता लगाने और उपचारात्मक कदम उठाने के लिए इन घटनाओं की जांच भी करे। सीएनजी से चलने वाली बसों और आटो में आग लगने की घटनाओं के बारे में इस मंत्रालय में कोई आंकड़े नहीं रखे जाते।

गांव और ग्रामीण उद्योग

419. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल:**
श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार गांव/ग्रामीण उद्योगों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन दे रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में चल रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है और उक्त योजना के अंतर्गत गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य-वार कितनी धनराशि प्रदान की गई;

(ग) आंध्र प्रदेश सहित प्रत्येक राज्य में कितने ग्रामीण उद्योगों की स्थापना की गई है;

(घ) इससे सृजित रोजगार का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने ग्रामीण औद्योगिकीकरण और तकनीकी प्रगति के लिए कोई योजना तैयार की है/तैयार करने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) से (च) सरकार, (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय में) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से ग्राम/ग्रामीण उद्योगों के संवर्धन के लिए ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी), एक क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम

कार्यान्वित कर रही थी। 31 मार्च, 2008 के बाद से उक्त कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है और बैकवर्ड और फारवर्ड लिंकेज के लिए 250 करोड़ रु. सहित 4735 करोड़ रु. के कुल योजना परिव्यय से अगस्त 2008 में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) नाम से एक नई योजना अनुमोदित की गई है।

इस कार्यक्रम के तहत सूक्ष्म-उद्यमों की स्थापना के लिए सेवा/व्यवसाय क्षेत्र में 10 लाख रु. तक की तथा विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख रु. तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह सहायता ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत के 25 प्रतिशत तक (कमजोर वर्गों के लिए 35 प्रतिशत) सब्सिडी के रूप में प्रदान की जाती है, जबकि शहरी क्षेत्रों के लिए यह सब्सिडी 15 प्रतिशत (कमजोर वर्गों के लिए 25 प्रतिशत) है। इसे राष्ट्रीय स्तर की एकल शीर्ष एजेंसी के रूप में केवीआईसी के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर योजना का कार्यान्वयन केवीआईसी के फील्ड कार्यालयों, बैंकों को शामिल करते हुए, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्डों और जिला उद्योग केन्द्रों (डीआईसी) के माध्यम से किया जाता है। पीएमईजीपी के कार्यान्वयन संबंधी विस्तृत दिशानिर्देश मंत्रालय की वेबसाइट www.msme.gov.in पर उपलब्ध हैं।

विगत तीन वर्षों के दौरान तत्कालीन आरईजीपी और हाल ही में शुरू की गई पीएमईजीपी योजनाओं के तहत स्थापित इकाइयों की संख्या, मार्जिन मनी के लिए प्रदान की गई निधियों एवं अनुमानत: सृजित रोजगार अवसरों का आंध्र प्रदेश सहित राज्य-वार ब्यौरा क्रमश: विवरण-I, II और III में दिया गया है।

विवरण I

विगत तीन वर्षों के दौरान आरईजीपी और पीएमईजीपी के तहत सहायता प्राप्त इकाइयों की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आरईजीपी के तहत		पीएमईजीपी के तहत
		2006-07	2007-08	2008-09*
1	2	3	4	5
1.	चंडीगढ़	2	9	31
2.	दिल्ली	13	12	5
3.	हरियाणा	869	1346	821
4.	हिमाचल प्रदेश	803	1167	340
5.	जम्मू और कश्मीर	1716	2999	1821
6.	पंजाब	1022	1625	887
7.	राजस्थान	1340	3157	703
8.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	127	97	8
9.	बिहार	849	927	6741
10.	झारखंड	221	239	940
11.	उड़ीसा	857	1105	1976
12.	पश्चिम बंगाल	2290	7334	5667
13.	अरुणाचल प्रदेश	88	186	130
14.	असम	1599	2560	728
15.	मणिपुर	139	77	3

1	2	3	4	5
16.	मेघालय	165	409	3
17.	मिजोरम	990	1290	23
18.	नागालैंड	156	462	31
19.	त्रिपुरा	212	608	5
20.	सिक्किम	89	143	4
21.	आंध्र प्रदेश	2113	3105	903
22.	कर्नाटक	1689	2228	2423
23.	केरल	912	1398	389
24.	लक्षद्वीप	0	6	4
25.	पुडुचेरी	164	380	42
26.	तमिलनाडु	1075	2110	1473
27.	गोवा	104	128	7
28.	गुजरात	412	536	307
29.	महाराष्ट्र	2296	2502	3368
30.	छत्तीसगढ़	691	1282	1078
31.	मध्य प्रदेश	934	1333	628
32.	उत्तराखंड	641	901	378
33.	उत्तर प्रदेश	1509	2624	4414
	सकल योग	26087	44285	36281

*अनंतिम।

विवरण II

विगत तीन वर्षों के दौरान आरईजीपी और पीएमईजीपी के तहत राज्य-वार प्रदत्त मार्जिन मनी

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आरईजीपी के तहत		पीएमईजीपी के तहत
		2006-07	2007-08	2008-09*
1	2	3	4	5
1.	चंडीगढ़	3.47	12.30	8.09
2.	दिल्ली	18.37	13.23	4.15

1	2	3	4	5
3.	हरियाणा	1749.31	2949.39	1437.76
4.	हिमाचल प्रदेश	1165.42	1799.85	452.11
5.	जम्मू और कश्मीर	1565.20	1753.83	1452.17
6.	पंजाब	1826.00	3273.35	1407.93
7.	राजस्थान	2106.77	3871.78	1461.95
8.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	22.15	34.84	2.36
9.	बिहार	715.67	1163.37	4524.59
10.	झारखंड	357.92	461.04	1128.00
11.	उड़ीसा	1055.54	1456.41	3004.88
12.	पश्चिम बंगाल	2396.03	6367.70	6465.81
13.	अरुणाचल प्रदेश	144.45	325.67	95.00
14.	असम	1717.35	2887.94	525.16
15.	मणिपुर	128.99	82.39	1.80
16.	मेघालय	255.06	512.55	3.00
17.	मिजोरम	1043.60	1125.97	71.23
18.	नागालैंड	192.13	471.18	61.08
19.	त्रिपुरा	151.47	681.83	4.30
20.	सिक्किम	278.41	273.58	6.70
21.	आंध्र प्रदेश	3674.06	5456.10	2605.60
22.	कर्नाटक	2424.27	3315.64	3246.82
23.	केरल	1567.36	2358.49	610.79
24.	लक्षद्वीप	0.00	7.78	5.33
25.	पुडुचेरी	42.76	132.25	15.96
26.	तमिलनाडु	1438.04	3163.38	2926.56
27.	गोवा	95.25	112.73	12.95
28.	गुजरात	756.10	1075.28	445.22
29.	महाराष्ट्र	1837.03	2770.70	4192.19
30.	छत्तीसगढ़	1215.03	1788.20	1942.19

1	2	3	4	5
31.	मध्य प्रदेश	1531.38	2291.58	1351.48
32.	उत्तर प्रदेश	601.44	1074.43	466.77
33.	उत्तराखंड	2903.32	4994.83	10660.40
	कुल	34979.35	58059.59	50600.33

*अनंतिम।

विवरण III

विगत तीन वर्षों के दौरान आरईजीपी और पीएमईजीपी के तहत राज्य-वार अनुमानित सृजित रोजगार अवसर

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आरईजीपी के तहत		पीएमईजीपी के तहत
		2006-07	2007-08	2008-09*
1	2	3	4	5
1.	चंडीगढ़	50	199	310
2.	दिल्ली	267	215	50
3.	हरियाणा	28339	45185	8210
4.	हिमाचल प्रदेश	17102	26848	3400
5.	जम्मू और कश्मीर	23274	43865	18210
6.	पंजाब	35604	37412	8870
7.	राजस्थान	44168	94468	7030
8.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	323	273	80
9.	बिहार	12334	20057	67410
10.	झारखंड	7289	9064	9400
11.	उड़ीसा	16311	21857	19760
12.	पश्चिम बंगाल	42834	120126	56670
13.	अरुणाचल प्रदेश	2106	1783	1300
14.	असम	30912	48303	7280
15.	मणिपुर	1881	1105	30
16.	मेघालय	2174	3509	30
17.	मिजोरम	16455	17299	230

1	2	3	4	5
18.	नागालैंड	3358	6910	310
19.	त्रिपुरा	5851	14178	50
20.	सिक्किम	2208	2260	40
21.	आंध्र प्रदेश	59750	98449	9030
22.	कर्नाटक	42420	58855	24230
23.	केरल	30144	48668	3890
24.	लक्षद्वीप	0	36	40
25.	पुडुचेरी	854	2099	420
26.	तमिलनाडु	25216	54634	14730
27.	गोवा	1389	809	70
28.	गुजरात	13520	19271	3070
29.	महाराष्ट्र	27182	33266	33680
30.	छत्तीसगढ़	17719	25933	10780
31.	मध्य प्रदेश	22332	42793	6280
32.	उत्तराखंड	10962	19270	3780
33.	उत्तर प्रदेश	51123	56652	44140
	कुल	595451	975651	362810

*अनंतिम।

[अनुवाद]

कोंकण हेतु सांविधिक विकास बोर्ड

420. श्रीमती सुप्रिया सुले: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र सरकार से कोंकण के लिए पृथक सांविधिक विकास बोर्ड का कोई अनुरोध मिला है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कोंकण के लिए पृथक सांविधिक विकास बोर्ड की स्थापना कब तक होने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) सरकार ने महाराष्ट्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों द्वारा 20 फरवरी, 2005 को पारित एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसमें राज्य के कोंकण क्षेत्र हेतु पृथक विकास बोर्ड स्थापित करने की संस्तुति की गई है। योजना आयोग, जिससे इस मामले पर फरवरी, 2006 में परामर्श किया गया था, का विचार है (मई 2006) कि पृथक कोंकण क्षेत्र विकास बोर्ड स्थापित करने के लिए संवैधानिक संशोधन हेतु पिछड़ापन कोई एक कारण नहीं है क्योंकि विकासात्मक तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकारों के पास अन्य साधन भी उपलब्ध है। इस मामले को महाराष्ट्र सरकार की मौजूदा मांग के मद्देनजर उस पर पुन: विचार करने के लिए 2007 में योजना आयोग को पुन: भेजा गया था। तथापि, उन्होंने अपने पूर्व दृष्टिकोण को ही फिर दहोराया। इस संबंध में, कोई निश्चित समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

एफ.सी.आई. के गोदाम

421. श्री ए. सम्पत: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम का विचार नए गोदामों की स्थापना या विद्यमान गोदामों में किसी गोदाम को बंद करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थामस): (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम का भंडारण गोदामों का निर्माण की योजना स्कीम के अधीन नए गोदाम बनाने का प्रस्ताव है। भारतीय खाद्य निगम ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याण योजनाओं में आपूर्ति हेतु पर्याप्त स्टाक की खरीदारी/रखरखाव का प्रबंधन करने के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) के दौरान विभिन्न राज्यों में 3.41 लाख टन क्षमता के नए गोदाम बनाने की परियोजनाओं का शैल्फ तैयार किया है। 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) के लिए परियोजनाओं के शैल्फ के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। इसमें से शुरू किए जाने वाले गोदामों की वास्तविक संख्या योजना अवधि के दौरान निधियों की मंजूरी तथा राज्य सरकार से भूमि की उपलब्धता पर निर्भर करेगी। क्षमता सृजित करने की स्कीम के तहत भारतीय खाद्य निगम का गोदाम किराये पर लेकर 5 वर्षीय गारंटी स्कीम के अधीन लगभग 126 लाख टन अतिरिक्त क्षमता सृजित करने का प्रस्ताव है। विभिन्न राज्यों में सृजित की जाने वाली प्रस्तावित अतिरिक्त क्षमता के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

भारतीय खाद्य निगम के पास उन स्थानों पर गोदाम खाली करने की शक्तियां मौजूद हैं जहां इन गोदामों के उपयोग की संभावना नहीं है।

विवरण I

11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) के दौरान गोदामों के निर्माण के लिए प्रस्तावित केन्द्रों की प्राथमिकता सूची

क्र.सं.	सेंटर का नाम	प्रस्तावित क्षमता (आंकड़े में)	अनुमानित लागत (करोड़ रुपए)
1	2	3	4
I.	**असम क्षेत्र**		
1.	चांगसोरी	50,000 साइडिंग के साथ	25
2.	हैलकांडी	5,000	1.5
3.	करीमगंज	5,000	1.75
4.	कोकराझार	5,000	1.75
5.	नवागांव	25,000 साइडिंग के साथ	17.5
6.	डिब्रूगढ़	25,000 साइडिंग के साथ	17.5
7.	फकीराग्राम	5,000	1.75
	जोड़	1.20 लाख	66.75
II.	**त्रिपुरा**		
1.	नंदननगर	2,500 (मौजूदा काम्प्लैक्स के अंदर)	1.25
2.	कुमारघाट	5,000	3.0
	जोड़	7,500	4.25
III.	**मणिपुर**		
1.	जीरीबाम	7,500	4.5
2.	सेनापति	5,000	3.00
3.	चूराचांदपुर	2,500	1.50
	जोड़	15,000	9.0
IV.	**नागालैंड**		
1.	कोहिमा	5,000	3.0
2.	दीमापुर	5,000	3.0
	जोड़	10,000	6.0
V.	**मेघालय**		
1.	बाघमारा/दक्षिण गारो हिल्स	2,500	1.50
2.	शिलांग	5,000	3.00
	जोड़	7,500	4.50
उत्तर अंचल			
VI.	**जम्मू और कश्मीर**		
1.	श्रीनगर घाटी (रेलवे साइडिंग)	20,000	12
2.	पुलवामा	2,500	1.5

1	2	3	4
3.	उधमपुर	15,000	9.0
	जोड़	37,500	22.5
VII.	**हिमाचल प्रदेश**		
1.	किन्नौर	1,670	1.0
2.	बिलासपुर	5,000	2.0
3.	मंडी	5,000	2.0
4.	नाहन	5,000	2.0
5.	नगरोटा बांगवा	5,000	2.0
6.	शिमला	5,000	2.0
	जोड़	26,670	11.0
VIII.	**सिक्किम**		
1.	जोरथांग	5,000	3.0
IX.	**झारखंड**		
1.	चक्रधरपुर	15,000	7.50
X.	**बिहार**		
1.	मोहनिया/कैमूर	25,000	7.25
XI.	**उड़ीसा**		
1.	डुंगरपल्ली	10,000	3.0
2.	मंचेश्वर	10,000	3.0
3.	बारीपेडा	10,000	3.0
	जोड़	30,000	9.00
XII.	**पश्चिम बंगाल**		
1.	जलपाईगुड़ी	10,000	3.0
पश्चिम अंचल			
XIII.	**छत्तीसगढ़**		
1.	बलोड	10,000	3.0
2.	अकलतारा	10,000	3.0
	जोड़	20,000	6.0
XIV.	**महाराष्ट्र**		
1.	बांद्रा	10,000	3.0
दक्षिण अंचल			
XV.	**संघ राज्य क्षेत्र**		
1.	लक्षद्वीप	2,500	1.25
	जोड़	2,500	1.25
	सकल जोड़	3,41,670	164.00

विवरण II

पांच वर्ष की गारंटी देते हुए निजी उद्यम गोदामों की योजना-2008 के तहत बनाए जाने के लिए प्रस्तावित अतिरिक्त क्षमता का ब्यौरा

(आंकड़े टन में)

दक्षिण अंचल		
तमिलनाडु	–	3,20,000
कर्नाटक	–	1,00,000
केरल	–	15,000
आंध्र प्रदेश	–	36,000
पश्चिम अंचल		
महाराष्ट्र	–	99,500
गुजरात	–	45,000
छत्तीसगढ़	–	5,000
पूर्वी अंचल		
बिहार	–	3,00,000
झारखंड	–	1,75,000
पश्चिम बंगाल	–	5,000
उत्तर अंचल		
पंजाब	–	81,35,000*
हरियाणा	–	43,75,000*
हिमाचल प्रदेश	–	1,42,000
जम्मू और कश्मीर	–	3,66,000
उत्तराखंड	–	25,000
सकल जोड़	–	126.44 लाख टन

*पंजाब और हरियाणा में सभी गोदामों को मिलाकर कुल भंडारण क्षमता को 15 लाख टन तक कम कर दिया जाएगा।

किसानों से चावल की सीधी खरीद

422. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऐसी मांग की जा रही है कि मिल मालिकों के स्थान पर भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) किसानों से सीधे चावल की खरीद करे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि मिल मालिक किसानों को शोषण कर रहे हैं; और

(घ) मिल मालिकों की भूमिका तथा किसानों का शोषण समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थामस): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) किसी भी राज्य सरकार से मिल मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) खाद्यान्नों की खरीदारी करने की मौजूदा नीति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकारों की एजेंसियां किसानों से धान की खरीदारी करती हैं ताकि न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ किसानों को दिया जा सके। लेवी चावल के मामले में भी भारतीय खाद्य निगम द्वारा राज्य सरकार से मिल मालिकों को भुगतान करने से पहले इस बात का प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाता है कि मिल मालिकों द्वारा किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (जमा बोनस, यदि कोई हो) का भुगतान किया गया है।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर रिफलेक्टर्स

423. श्री मुकेश भैरवदानजी गढ़वी: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार वाहनों की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्ग-8 सहित राज्यों में सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर रिफलेक्टरों की सुविधा प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) जी, हां। गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्गों पर वाहन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए स्थल विशेष की जरूरत और निधि की उपलब्धता के आधार पर एक नीति के रूप में परावर्तक सड़क संकेतक, सड़क चिह्नांकन और सड़क रेखांकन का प्रावधान किया जाता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बी.आर.डी.ओ. द्वारा अजनाला-लोपोके के बीच सड़क का निर्माण

424. डा. रतन सिंह अजनाला: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को सीमा सड़क विकास संगठन (बी.आर.डी.ओ.) द्वारा अजनाला-लोपोके के बीच सड़क के त्वरित निर्माण के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर आर.पी.एन. सिंह): (क) अजनाला-लोपोके के बीच सड़क के त्वरित निर्माण के संबंध में इस मंत्रालय को कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

मृदा उर्वरता पर उर्वरकों का प्रभाव

425. श्री मनसुखभाई डी. वसावा:
श्री यशवंत लागुरी:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मृदा की उर्वरता पर रासायनिक उर्वरकों के प्रतिकूल प्रभाव को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) इसके परिणामस्वरूप कितनी सफलता प्राप्त हुई है;

(ग) रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से राज्य-वार कुल कितना भूमि क्षेत्र प्रभावित हुआ है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थामस): (क) से (घ) सामान्यत: मृदा उर्वरता पर रासायनिक उर्वरकों के प्रतिकूल प्रभाव पर सुझाव देने का कोई वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं है। तथापि कुछ अध्ययन हुए हैं जो यह दर्शाते हैं कि जैव खाद के किसी प्रयोग के बिना रासायनिक उर्वरकों के असंतुलित प्रयोग ने देश के कुछ भागों, विशेषकर सिन्धु-गंगा के मैदानी भागों में मृदा स्वास्थ्य और उत्पादकता को प्रभावित किया है।

वर्मी कम्पोस्ट जैसे कार्बनिक खाद का प्रयोग उन्नत जैव कार्बन और माइक्रोबियल भार जैसे मृदा स्वास्थ्य के अतिरिक्त लाभों के साथ रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता को कम करता है। उर्वरकों का संतुलित प्रयोग और कम सूक्ष्म-पोषक तत्वों का अनुप्रयोग मृदा स्वास्थ्य और उत्पादकता में सुधार ला सकता है।

सरकार मृदा स्वास्थ्य और उत्पादकता के अनुरक्षण के लिए रासायनिक उर्वरकों, जैव उर्वरकों और स्थानीय रूप से उपलब्ध कार्बनिक खादों के मृदा परीक्षण आधारित संतुलित और विवेकपूर्ण प्रयोग को बढ़ावा दे रही है। कार्बनिक खाद के संयोजन से रासायनिक उर्वरकों के मृदा परीक्षण आधारित संतुलित और विवेकपूर्ण प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु वर्ष 2008-09 के दौरान राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता प्रबंधन परियोजना नामक एक नई स्कीम शुरू की गई है। इस स्कीम के अंतर्गत 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 500 नई स्थायी मृदा प्रयोगशालाओं और 250 नई चलती फिरती मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना का प्रावधान है। इसमें कार्बनिक खाद, सूक्ष्म पोषक तत्वों के प्रयोग और मृदा सुधार के लिए वित्तीय सहायता का भी प्रावधान है।

राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना के अंतर्गत प्रशिक्षणों, प्रदर्शनों और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से जैविक खाद और जैव-वैज्ञानिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाता है। जैविक और जैव वैज्ञानिक उर्वरकों की उपलब्धता में वृद्धि लाने के लिए फल/सब्जी मण्डी अपशिष्ट कम्पोस्ट एककों और वर्मी-कम्पोस्ट एवं जैव उर्वरक उत्पादन एककों और वर्मी-कम्पोस्ट एवं जैव उर्वरक उत्पादन एककों की स्थापना हेतु 25 प्रतिशत बैक-एन्डेड राजसहायता दी जाती है।

राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत जैविक खेती को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

[अनुवाद]

बोडो समझौते का क्रियान्वयन

426. श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 10 फरवरी 2003 को हस्ताक्षरित बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद समझौते के सभी खण्डों के क्रियान्वयन हेतु कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कार्बी आंगलोंग और उत्तरी कछार की पहाड़ियों में रहने वाले बोडो-कोछारियों को अनुसूचित जनजातियों (पहाड़ी) की सूची में शामिल करने तथा राहत और पुनर्वास सहित विभिन्न विभागों के अंतरण से संबंधित उक्त समझौते के उपबंधों को क्रियान्वित कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार का विचार बोडो समझौते के क्रियान्वित न किए गए खण्डों को समय-सीमा के भीतर क्रियान्वित करने का है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद क्षेत्र को क्षेत्रीय पुलिस बटालियन बनाने की अनुमति देने सहित वहां कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार, असम सरकार और बोडो लिबरेशन टाइगर (बीएलटी) के बीच दिनांक 10.02.2003 को एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया था। इस समझौता ज्ञापन के मुख्य खण्डों में अन्य बातों के साथ-साथ भारत के संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत असम राज्य में बोडोलैंड भू-भागीय परिषद स्थापित करना, भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में बोडो भाषा को शामिल करना, असम राज्य के लिए अनुसूचित जनजाति की सूची में तब्दीली करना, केन्द्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करना, असम राज्य को सामान्य योजना सहायता के अतिरिक्त विकास पैकेज, बीलएटी काडरों का पुनर्वास आदि शामिल है। इस समझौता ज्ञापन को कार्यान्वित करने के लिए निम्नलिखित अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है:

(1) बोडोलैण्ड भू-भागीय परिषद का सृजन करने के लिए भारत के संविधान की छठी अनुसूची को संशोधित किया गया।

(2) इस परिषद के आम चुनाव 13.05.2005 को आयोजित किए गए तथा बोडोलैण्ड भू-भागीय परिषद ने कार्यभार संभाल लिया।

(3) बोडो जनजातीय लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950 में संशोधन करके असम की अनुसूचित जनजाति (सूची) में तब्दीली की गयी।

(4) भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में बोडो भाषा को शामिल किया गया।

(5) असम राज्य की विधान परिषद में बोडोलैंड भू-भागीय क्षेत्र जिला (बीटीएडी) से अनुसूचित जनजाति और गैर अनुसूचित जनजाति का मौजूदा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए संविधान (नब्बेवां) संशोधन अधिनियम, 2003 अधिनियमित करके भारत के संविधान के अनुच्छेद 332(6) में संशोधन किया गया है।

(6) बीटीएडी में प्रशासनिक अवस्थापना विकास के लिए वर्ष 2003-04 से 2008-09 के दौरान 57.37 करोड़ रुपए रिलीज किए गए है।

(7) वर्ष 2004-05 से सामाजिक आर्थिक अवस्थापना का सृजन करने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने 476.26 करोड़ रुपए मूल्य की 42 परियोजनाओं को मंजूरी दी है और असम राज्य सरकार को 437.05 करोड़ रुपये मंजूर किए गए है।

(8) केन्द्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने वर्ष 2006 से कोकराझार में काम करना शुरू कर दिया है।

(9) 835 पूर्वी-बीएलटी काडरों की केन्द्रीय पुलिस बलों में भर्ती की गई है और 400 पूर्व बीएलटी काडरों की विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में नियुक्ति करने के लिए राज्य सरकार को मंजूरी दी गई है।

(ग) से (ङ) असम सरकार ने सूचित किया है कि कार्बी आंगलांग और एनसी हिल्स जिलों में रह रहे बोडो कछारी लोगों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के मामले पर व्यापक परामर्श एवं सम्मति चाहिए। समझौता ज्ञापन के अनुरूप राहत एवं पुनर्वास विभाग को छोड़कर बीटीसी को विषय अन्तरित कर दिए गए हैं।

(च) और (छ) जैसा कि ऊपर बताया गया है बोडो समझौते के विभिन्न खण्डों को कार्यान्वित किया गया है। सरकार इस समझौता ज्ञापन को पूर्ण मनोयोग से कार्यान्वित करने के लिए वचनबद्ध है। इस समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन की मंत्रालय में आवधिक समीक्षा की जा रही है।

(ज) असम सरकार परिषद क्षेत्र में जिले के पुलिस अधीक्षक के जरिए कानून एवं व्यवस्था बनाए रखता है। बोडो समझौते के अनुरूप बोडोलैण्ड भू-भागीय क्षेत्र जिला में पुलिस महानिरीक्षक का एक पद सृजित किया गया है। इसके अतिरिक्त, बीटीएडी के सभी चार जिलों में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी उप पुलिस महानिरीक्षक को सौंपी गई है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्न कोटा

427. श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारीदना: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गोवा सहित विभिन्न राज्यों को खाद्यान्न का कितना कोटा आवंटित किया गया है;

(ख) क्या गोवा सरकार से आवंटन बढ़ाने हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थामस): (क) से (ग) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों का आबंटन अंत्योदय अन्न योजना परिवारों सहित गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए 1.3.2000 की स्थिति के अनुसार भारत के महापंजीयक के आबादी अनुमानों पर आधारित योजना आयोग के 1993-94 के गरीबी अनुमानों अथवा राज्य सरकार द्वारा वास्तव में पहचान किए गए परिवारों और उन्हें जारी राशन कार्डों की संख्या, जो भी कम हो के आधार पर किया जाता है। तदनुसार सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए समस्त स्वीकृत 6.52 करोड़ परिवारों हेतु 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह की दर पर अंत्योदय अन्न योजना और गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी के लिए खाद्यान्नों का आबंटन किया जाता है।

गरीबी रेखा से ऊपर की श्रेणी के अधीन आबंटन केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों के स्टाक की उपलब्धता और विगत के उठान पर निर्भर करते हुए किया जाता है। गोवा सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 2008-09 के दौरान गरीबी रेखा से ऊपर की श्रेणी के अधीन चावल का आबंटन 2006-07 और 2007-08 के दौरान हुए औसत उठान स्तर के आधार पर किया गया था। इस श्रेणी के अधीन गेहूं का आबंटन 2007-08 के स्तर पर बनाए रखा गया है। तथापि, केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों की अधिक उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए बाद में 2008-09 के दौरान गेहूं का अतिरिक्त आबंटन किया गया था। फिलहाल, विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आबंटन की रेंज 10 किलोग्राम और 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह के

बीच है। गोवा सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को किए गए खाद्यान्नों (गेहूं और चावल) के मासिक आबंटन (जुलाई, 2009 के लिए) संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

गोवा सरकार से मासिक आबंटन को बढ़ाकर 3200 टन चावल और 1200 टन गेहूं करने के अनुरोध प्राप्त हुए हैं। राज्य सरकार के अनुरोध पर विचार करते हुए 2008-09 के लिए राज्य हेतु गरीबी रेखा से ऊपर के चावल के आबंटन को 500 टन प्रति माह से बढ़ाकर 896 टन प्रति माह किया गया था। 2009-10 के लिए सरकार ने मार्च, 2009 में गोवा के लिए गरीबी रेखा से ऊपर के चावल के मासिक आबंटन को 896 टन से बढ़ाकर 2222 टन और गेहूं के आबंटन को 201 टन से बढ़ाकर 498 टन कर दिया है जिससे गरीबी रेखा से ऊपर के प्रत्येक परिवार के लिए प्रति माह 10 किलोग्राम खाद्यान्नों का न्यूनतम आबंटन सुनिश्चित हो सके।

विवरण

2009-10 के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अंत्योदय अन्न योजना, गरीबी रेखा से नीचे और गरीबी रेखा से ऊपर की श्रेणी के लिए गेहूं और चावल का मासिक आवंटन-जुलाई, 2009 तक के लिए

(हजार टन)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	गेहूं				चावल				कुल खाद्यान्न
		अंअयो	गरेनी	गरेऊ	जोड़	अंअयो	गरेनी	गरेऊ	जोड़	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	0	0	2.754	2.754	54.254	87.674	171.334	313.532	316.286
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0.256	0.530	0.786	1.331	1.871	4.475	7.677	8.463
3.	असम	0	0	18.697	18.697	24.641	39.602	34.248	98.491	117.188
4.	बिहार	34.000	37.312	53.486	124.798	50.999	106.005	0.074	157.078	281.876
5.	छत्तीसगढ़	0	2.610	15.000	17.610	25.162	37.864	10.360	73.386	90.996
6.	दिल्ली	3.755	6.293	27.064	37.112	1.502	2.765	8.000	12.267	49.379
7.	गोवा	0	0	0.498	0.498	0.509	0.455	2.222	3.186	3.684
8.	गुजरात	15.373	31.377	66.370	113.120	12.967	14.487	0.000	27.454	140.574
9.	हरियाणा	10.235	17.381	23.590	51.206	0.000	0.000	0.000	0.000	51.206
10.	हिमाचल प्रदेश	3.942	6.338	14.490	24.770	2.953	4.757	7.118	14.828	39.598
11.	जम्मू और कश्मीर	1.762	4.1881	13.693	19.636	7.187	12.627	23.617	43.431	63.067
12.	झारखंड	12.530	13.433	19.428	45.391	19.598	38.230	0.192	58.020	103.411
13.	कर्नाटक	7.282	11.712	5.417	24.411	34.709	55.820	57.663	148.192	172.603
14.	केरल	0.000	6.963	11.777	18.740	20.855	26.566	36.056	83.477	102.217
15.	मध्य प्रदेश	46.683	79.089	55.780	181.552	8.672	9.929	0.000	18.601	200.153
16.	महाराष्ट्र	43.725	73.779	93.500	211.004	42.515	68.673	18.430	129.618	340.622
17.	मणिपुर	0	0.106	1.000	1.106	2.227	3.478	2.182	7.887	8.993

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	मेघालय	0	0	1.430	1.430	2.457	3.948	4.438	10.843	12.273
19.	मिजोरम	0	0	0.624	0.624	0.910	1.470	3.905	6.285	6.909
20.	नागालैंड	0.326	0.517	1.873	2.716	1.338	2.159	4.360	7.857	10.573
21.	उड़ीसा	0	0	32.735	32.735	44.260	97.131	2.195	143.586	176.321
22.	पंजाब	6.280	10.098	45.682	62.060	0	0	0.000	0.000	62.060
23.	राजस्थान	32.624	52.461	64.360	149.445	0	0	0.000	0.000	149.445
24.	सिक्किम	0	0	0.245	0.245	0.578	0.942	1.920	3.440	3.685
25.	तमिलनाडु	0	0	13.783	13.783	65.262	104.936	126.255	296.453	310.236
26.	त्रिपुरा	0	0	2.337	2.337	3.960	6.365	12.505	22.830	25.167
27.	उत्तराखंड	1.582	4.043	14.766	20.391	3.711	8.095	2.324	14.130	34.521
28.	उत्तर प्रदेश	47.156	99.862	154.630	301.648	96.134	130.613	0.000	226.747	528.395
29.	पश्चिम बंगाल	22.716	49.758	86.465	158.939	29.091	79.707	6.975	115.773	274.712
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.021	0.061	0.597	0.679	0.129	0.359	1.439	1.927	2.606
31.	चंडीगढ़	0	0.037	1.800	1.837	0.052	0.230	0.000	0.282	2.119
32.	दादरा और नगर हवेली	0.013	0.016	0.024	0.053	0.170	0.361	0.156	0.687	0.740
33.	दमन और दीव	0.005	0.007	0.157	0.169	0.048	0.080	0.063	0.191	0.360
34.	लक्षद्वीप	0	0	0.000	0.000	0.041	0.063	0.280	0.384	0.384
35.	पुडुचेरी	0	0	1.290	1.290	1.129	1.797	0.110	3.036	4.326
	जोड़	290.010	507.690	845.872	1643.572	559.621	949.059	542.896	2051.576	3695.148

[हिन्दी]-

सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्य-निष्पादन

428. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के संदर्भ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्य-निष्पादन का हाल ही में मूल्यांकन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर निर्भर लोगों के संतोष स्तर/शिकायतों का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसका क्या परिणाम निकला; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थामस): (क) से (ङ) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के

कार्यकरण का आकलन करने के लिए 12 राज्यों में राष्ट्रीय प्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद और 14 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान को समवर्ती मूल्यांकन अध्ययन का कार्य सौंपा गया था। इन 26 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के ब्यौरे संलग्न विरण में दिए गए हैं।

राष्ट्रीय प्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद ने सभी 12 राज्यों की लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में रिपोर्टें प्रस्तुत कर दी हैं। इस अध्ययन में यह पाया गया है कि चुनिन्दा 12 में से 8 राज्यों में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सुपुर्दगी तंत्र काफी प्रभावी था। इन राज्यों में गरीबी रेखा से नीचे के 80 प्रतिशत से अधिक परिवार अनाजों की अपनी पात्रता की मात्रा नियमित रूप से प्राप्त कर रहे थे। चुनिंदा राज्यों में बिहार, मिजोरम और मध्य प्रदेश को छोड़कर अंत्योदय अन्न योजना के अधिकांश परिवार चावल और गेहूं की निर्धारित पात्रता (35 किलोग्राम) के आसपास खाद्यान्न प्राप्त कर रहे थे। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्नों के लिए अधिकांश अंत्योदय परिवारों के संबंध में गेहूं के लिए 2 रुपये प्रति किलोग्राम और चावल के लिए 3 रुपये प्रति किलोग्राम के आसपास मूल्य लिया गया था।

इन रिपोर्टों को सरकार ने स्वीकार कर लिया है और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुप्रवाही बनाने के लिए आवश्यक उपचारात्मक उपाय करने हेतु संबंधित राज्य सरकारों को भेज दिया है।

भारतीय लोक प्रशासनिक संस्थान ने 14 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में अपनी अंतिम रिपोर्ट अभी तक प्रस्तुत नहीं की है।

विवरण

उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम जिनका समवर्ती मूल्यांकन अध्ययन राष्ट्रीय प्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद तथा भारतीय लोक प्रशासनिक संस्थान को सौंपा गया

राज्य, जिनका मूल्यांकन अध्ययन कार्य राष्ट्रीय प्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद को सौंपा गया:

1. असम
2. मिजोरम
3. उत्तर प्रदेश
4. बिहार
5. छत्तीसगढ़
6. राजस्थान
7. केरल
8. महाराष्ट्र
9. उत्तराखंड
10. मध्य प्रदेश
11. झारखंड
12. दिल्ली

राज्य, जिनका मूल्यांकन अध्ययन कार्य भारतीय लोक प्रशासनिक संस्थान को सौंपा गया:

1. उड़ीसा
2. पश्चिम बंगाल
3. त्रिपुरा
4. नागालैंड
5. अरुणाचल प्रदेश
6. मणिपुर
7. जम्मू और कश्मीर
8. हिमाचल प्रदेश
9. हरियाणा
10. पंजाब
11. आंध्र प्रदेश
12. तमिलनाडु
13. कर्नाटक
14. चण्डीगढ़

राष्ट्रीय राजमार्ग-77 को चार लेन का बनाना

429. डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग-77 को चार लेन वाला बनाने संबंधी परियोजना को स्वीकृति दी जा चुकी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसमें अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ग) उक्त राजमार्ग को चार लेन वाला राजमार्ग बनाने का कार्य कब तक शुरू हो जाने की संभावना है;

(घ) इस परियोजना को पूरा करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा कार्य शुरू करने में क्या कठिनाइयां आ रही हैं; और

(ङ) इन समस्याओं को सुलझाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर आर.पी.एन. सिंह): (क) राष्ट्रीय राजमार्ग-77 के हाजीपुर (पटना) से मुज्जफरपुर तक के सड़क खंड को बीओटी (वार्षिकी) के अधीन चार लेन का बनाने के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया है। तथापि, राष्ट्रीय राजमार्ग-77 की मुज्जफरपुर से सोनबरसा तक की आंशिक लम्बाई को बीओटी (पथकर) के अंतर्गत पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन का बनाने के लिए अनुमोदन, सार्वजनिक निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति द्वारा दिया गया है क्योंकि उक्त खंड को बीओटी (वार्षिकी) आधार पर चार लेन का बनाए जाने के लिए व्यवहार्य नहीं पाया गया।

(ख) से (ङ) राष्ट्रीय राजमार्ग-77 के हाजीपुर (पटना) से मुज्जफरपुर तक के सड़क खंड के लिए पहली बार आमंत्रित किए जाने पर प्राप्त निविदाएं काफी ऊंची दर वाली थीं और इन्हें स्वीकार नहीं किया गया। इसलिए निविदाएं पुन: आमंत्रित की गई हैं। निविदा प्राप्त किए जाने की अंतिम तिथि 3.8.2009 और निर्माण अवधि 30 माह है।

राष्ट्रीय राजमार्ग-77 के मुज्जफरपुर से सोनबरसा तक के सड़क खंड के लिए बीओटी (पथकर) आधार पर चार लेन बनाने के लिए दो बार निविदाएं आमंत्रित किए जाने पर भी कोई जवाब नहीं आया। इसलिए सार्वजनिक निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति के निदेशों के अनुसार पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन का बनाने के लिए परियोजना की पुनर्संरचना का काम चल रहा है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग-9 को छह लेन का बनाना

430. श्री गुथा सुखेन्द्र रेड्डी: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन.एच.ए.आई.) से हैदराबाद और विजयवाड़ा के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग-9 पर छह लेनों के निर्माण हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर आर.पी.एन. सिंह): (क) से (ग) जी, हां। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्यसमिति ने हैदराबाद और विजयवाड़ा के मध्य रारा 9 पर कि.मी. 40/000 से कि.मी. 221/500 तक सड़क खंड को 1603.51 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से छह लेन का बनाने के लिए इस परियोजना को अनुमोदन प्रदान किया है। कार्य शुरू करने के लिए, कार्य सौंपने का पत्र, मैसर्स जी एम आर-पुंज लायड कंसोर्टियम को जारी कर दिया गया है।

चावल अनुसंधान केन्द्र

431. श्री कालीकेश नारायण सिंह देव: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार देश में चावल अनुसंधान केन्द्रों के अनुसंधान नेटवर्क पर पर्याप्त बल दे रही है जिससे कि इन संस्थानों को किसान हितैषी बनाया जा सके;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्य-योजना तैयार की गई है;

(ग) उड़ीसा के विद्याधरपुर और चिपलिया में किसानों की सहायता के लिए चावल अनुसंधान संस्थान द्वारा क्या कार्यक्रम बनाए गए है;

(घ) इन केन्द्रों द्वारा विकसित तथा किसानों में लोकप्रिय फसलों की नई किस्में कौन-कौन सी हैं; और

(ङ) इन किस्मों के बारे में किसानों ने किस सीमा तक सकारात्मक प्रतिक्रिया दर्शाई गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थामस): (क) और (ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (भा.कृ.अ.प.) देश में चावल अनुसंधान केन्द्रों के अनुसंधान नेटवर्कों पर पर्याप्त ध्यान दे रही है। चावल अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद अखिल भारतीय समन्वित चावल सुधार कार्यक्रम के तहत किस्मगत और प्रबंधन प्रौद्योगिकियों के बहुस्थानीय, बहुविषयी परीक्षणों को समन्वित करने के प्रमुख अधिदेशों के साथ देश भर के विभिन्न राज्य कृषि विश्वविद्यालयों/राज्य कृषि विभागों आदि में स्थापित 47 वित्तपोषित चावल अनुसंधान नेटवर्कों के साथ समन्वय करता है।

केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक (उड़ीसा) भी चावल पर अनुसंधान कार्य करता है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली विशेष रूप से बासमती चावल के लिए अनुसंधान करता है और विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अलमोड़ा पहाड़ी चावल के लिए अनुसंधान करता है और उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र (एनईएच) के लिए भा.कृ.अ.प. का अनुसंधान परिसर, उनियाम (मेघालय) करता है।

चावल की 800 से ज्यादा किस्मों/संकरों को, उनके उत्पादन/संरक्षण प्रौद्योगिकियों के साथ विभिन्न पारिस्थितियों के लिए उपयुक्त हैं, विकसित किया गया है और किसानों के खेतों में उनकी उपयुक्तता के लिए अग्रपंक्ति के प्रदर्शनों के तहत परीक्षण भी किया गया है। किसानों की विभिन्न समस्याओं पर ध्यान देने के लिए देश भर में विभिन्न राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के केन्द्रों और कृषि विज्ञान केन्द्रों के माध्यम से किसान मेलों, किसान प्रशिक्षणों आदि का भी आयोजन किया जाता है।

(ग) से (ङ) केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (सीआरआरआई), कटक (विद्याधरपुर) और उड़ीसा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर के बीच घनिष्ठ समन्वय और इनके चिकित्सा/अन्य स्थानों तथा राज्य कृषि विभाग में अनुसंधान स्टेशन हैं। आगामी फसल मौसम के लिए अपनाई जाने वाली चावल की सुधरी कृषि क्रियाओं की कार्रवाई योजना के बारे में विचार-विमर्श करने के लिए राज्य कृषि विभाग, केन्द्रीय चावल अनुसंधान संसथान तथा उड़ीसा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों के बीच वर्ष में दो बार (एक खरीफ से पहले तथा दूसरी रबी मौसम से पहले) परस्पर मेल-जोल बैठकें होती हैं।

केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान तथा उड़ीसा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने चावल की अनेक किस्में/संकर किस्में विकसित की हैं। कुछ लोकप्रिय किस्मों/संकर किस्मों में वंदना, गायत्री, सावित्री, राजलक्ष्मी, (संकर किस्म), अजय (संकर किस्म), वीरेन्द्र, अभिषेक, चन्द्रमा, वर्षाधान, ललाट, भांजा, बिरुपा, गजपती आदि।

केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान/उड़ीसा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में विकसित नई किस्मों तथा प्रौद्योगिकियों को किसानों ने काफी अपनाया है जिन्होंने खेतों में अग्रपंक्ति प्रदर्शन के तहत बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है।

महानगर तथा मरुस्थल क्षेत्र में पुलिस गश्त

432. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने पुलिस बल आधुनिकीकरण (एम.पी.एफ.) हेतु योजना के अंतर्गत गुजरात को स्वीकृत धनराशि जारी नहीं की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या एम.पी.एफ. योजना के अंतर्गत अनुदान के प्रयोजनार्थ महानगर पुलिस गश्त तथा मरुस्थल क्षेत्र पुलिस गश्त के घटकों का विलय कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार गुजरात में आतंकवाद के परिदृश्य के मद्देनजर इन घटकों हेतु अलग-अलग पर्याप्त धनराशि जारी करने पर विचार कर रही है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): *(क) और (ख) जी नहीं, महोदया। वर्ष 2008-09 के दौरान गुजरात राज्य को राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण योजना (एमपीएफ) के अंतर्गत किए गए कुल 40.00 करोड़ रुपये के केन्द्रीय आबंटन में से गुजरात राज्य सरकार को समस्त राशि गृह मंत्रालय द्वारा रिलीज की गई थी। इसके अतिरिक्त गुजरात राज्य सरकार को 31 मार्च, 2009 को 8.00 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि भी रिलीज की गई थी। 2.5 लाख रुपये की राशि गुजरात में पोलनेट के लिए समन्वय निदेशालय (पुलिस वायरलैस) को भी रिलीज की गई थी। इस प्रकार गुजरात को वर्ष 2008-09 में एमपीएफ योजना के अंतर्गत कुल 48.025 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी।

चालू वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान गुजरात एमपीएफ योजना के अंतर्गत 5.92 करोड़ रुपये की प्रथम किस्त पहले ही रिलीज कर दी गई है।

*(ग) से (छ) मेगा सिटी पुलिस व्यवस्था एवं रेगिस्तानी क्षेत्र पुलिस व्यवस्था राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण योजना के अभिन्न अंग है। मेगा सिटी पुलिस व्यवस्था और रेगिस्तानी पुलिस व्यवस्था के लिए निधियों का प्रावधान एमपीएफ योजना के अंतर्गत समग्र आबंटन में किया जाता है। मेगा सिटी पुलिस व्यवस्था और रेगिस्तानी क्षेत्र पुलिस व्यवस्था के लिए कोई पृथक योजना नहीं है।

*दिनांक 7.7.2009 के वाद-विवाद में अतारांकित प्रश्न संख्या 432 के भाग (क) और (ख) तथा (ग) से (घ) के उत्तर में तदन्तर दिनांक 4.8.2009 को सभा में दिए गए शुद्धि विवरण के माध्यम से शुद्धि की गई।

जैव-ईंधन फसलें

433. श्री एन. चेलुवरया स्वामी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार जैव-ईंधन फसलों के अंतर्गत और अधिक क्षेत्र लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) जैव-ईंधन पौधारोपण हेतु किस प्रकार की भूमि को इस्तेमाल किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) भारत की खाद्य सुरक्षा एवं पर्यावरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थामस): (क) से (घ) अवक्रमित भूमि में जैव-ईंधन के पौध रोपण को बढ़ावा दिया जाता है। जैव ईंधन का बागान लगाने के लिए कृषि भूमि का उपयोग नहीं किया जा रहा है। अत: भारत की खाद्य सुरक्षा और पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

पश्चिम बंगाल में चीनी मिलें

434. श्री नरहिर महतो: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पश्चिम बंगाल में चल रही चीनी मिलों का क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इसका वार्षिक टर्नओवर का क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार चालू वर्ष के दौरान पश्चिम बंगाल में सहकारी क्षेत्र में नई चीनी मिलों की स्थापना करने का है;

(घ) यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर इन सहकारी चीनी मिलों की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थामस): (क) केवल एक चीनी मिल, नामत: मैसर्स खेतान एग्रो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, प्लासी, जिला नादिया, जो निजी क्षेत्र में है, कार्य कर रही है।

(ख) केन्द्रीय सरकार चीनी मिलों के वार्षिक कारोबार की स्थिति के संबंध में आंकड़े नहीं रखती है।

(ग) केन्द्रीय सरकार की स्वयं नई चीनी मिलें स्थापित करने की कोई नीति नहीं है। अत: केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्तमान वर्ष के दौरान पश्चिम बंगाल में सहकारी क्षेत्र में नई चीनी मिलें स्थापित करने का प्रश्न नहीं उठता है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में अत्यधिक विनियमन

435. श्री राजैया सिरिसिल्ला: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में बहु परमिट तथा अन्य ऐसे विनियम परिवहन क्षेत्र में अत्यधिक तथा पुरानी विनियमन रूपरेखा विद्यमान है;

(ख) यदि हां, तो परिवहन क्षेत्र के विकास में बाधा डालने वाली पुरातन विनियमन रूपरेखा का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पुराने विनियमनों से निपटने के लिए क्या सुधारात्मक कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह खंडेला): (क) से (ग) मोटर यान अधिनियम, 1988 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियम, सड़क परिवहन क्षेत्र में मुख्य तौर से सड़क पर मोटर वाहन यातायात के विनियमन के लिए प्रधान विधिक दस्तावेज हैं। इस अधिनियम में, यात्री और माल दोनों के परिवहन के लिए व्यावसायिक वाहनों के भिन्न-भिन्न प्रवर्गो के संचालन के लिए परमिट की आवश्यकता का प्रावधान है। इस अधिनियम से सड़क परिवहन क्षेत्र के विकास में बाधा नहीं आती। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 में परमिट जारी किए जाने के माध्यम से लागू किया जाने वाला कोई भी विनियामक प्रावधान नहीं है। राजमार्ग (भूमि और यातायात) नियंत्रण अधिनियम, 2002 जो 27.01.2005 से लागू हुआ था, में कतिपय प्रावधान शामिल हैं जिनके द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के पहुंच बिंदुओं का विनियमन किया जाता है और राष्ट्रीय राजमार्गों पर यातायात की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित किए जाने की दृष्टि से यातायात को विनियमित किया जाता है।

मोनोक्रोटोफोस कीटनाशक का इस्तेमाल

436. श्री वैजयंत पांडा: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसान कृषि के अलावा अन्य प्रयोजनों हेतु मानव के लिए विषैले मोनोक्रोटोफोस नाम कीटनाशक का इस्तेमाल कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में इस्तेमाल किया जाने वाला यह कीटनाशक अन्य देशों में प्रतिबंधित है;

(घ) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन के अध्ययन के अनुसार कतिपय देशों में इसका इस्तेमाल बंद कर देने के पश्चात् किसानों की मौतों की संख्या घटकर आधी हो गई है; और

(ङ) यदि हां, तो इस मुद्दे के समाधान हेतु सरकार की कार्य योजना क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थामस): (क) और (ख) मोनोक्रोटोफोस को देश में प्रयोग के लिए सब्जी फसलों को छोड़कर विभिन्न कृमि के नियंत्रण के लिए कीटनाशी अधिनियम 1968 की धारा 5 के अंतर्गत गठित पंजीकरण समिति द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है। तथापि, सरकार के पास किसानों द्वारा कृषि से अन्य किसी उद्देश्यों के लिए इसके उपयोग की कोई प्रमाणिक सूचना नहीं है।

(ग) से (ङ) मोनोक्रोटोफोस विश्व के अनेक देश, अंगोला, अर्जेंटीना, बंगलादेश, बोलिविया, ब्राजील, बुलगारिया, कैमरून, चिल्ली, चीन, क्यूबा, कोलम्बिया, कोस्टारिका, डोमिनिकन गणराज्य, इक्वाडोर, मिस्र, एलसलवाडोर, इथिपोयिा, फ्रांस, ग्रीस, ग्वाटेमाला, हैती होन्डुरास, इन्डोनेशिया, ईरान, इस्राइल, इटली, आइवरी कोस्ट, जापान, जोर्डन, कोरिया, मलेशिया, मेक्सिको, मोरक्को, मोजाम्बिक, निकारागुआ, पनामा, पराग्वे, पेरू, फिलीपीन्स, पोलैण्ड, रोमानिया, सोमालिया, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन, सूडान, सूरीनाम, ताई वान, तांजानिया, थाईलैण्ड, टयूनिशिया, टर्की, उरूग्वे, वेजनजुएला, वियतनाम, यूगोस्लाविया और जिम्मबाववे में प्रयोग में लाया जा रहा है।

तथापि यह हंगरी, कुवैत, लीबिया, संयुक्त सोवियत सोसलिस्ट गणराज्य और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में निषेद्धित है और आस्ट्रेलिया, चीन, कोरिया, श्रीलंका और मलेशिया में प्रतिबंधित है।

कीटनाशी, संपरीक्षण और निरीक्षण के बाद कीटनाशी अधिनियम 1968 के अधीन पंजीकृत किए जाते हैं। नकारात्मक विषैली सूचना के मामले में कुछ कीटनाशकों पर अंतर्राष्ट्रीय अथवा राष्ट्रीय रूप से इनके प्रयोग के दौरान सरकार को सूचना मिलने पर सरकार द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समितियों द्वारा समीक्षा की जाती है। वर्ष 1993, 1995 और 2006 मे तीन विशेषज्ञ समितियों द्वारा मनोक्रोपोटोफोस के प्रयोग की समीक्षा की गई है। विशेषज्ञों द्वारा मोनोक्रोटोफोस के प्रयोग किए जाने के लिए की गई अनुशंसा के अनुसार सब्जियों को छोड़कर फसलों पर प्रयोग की अनुमति दी गई है।

सरकार समेकित कीट प्रबंधन (आईपीएम) की कार्यकुशलता का संवर्धन कर रही है जो संवर्धनात्मक क्रियाविधि, जीव विज्ञानी और अन्य कीट नियंत्रण की प्रणालियों और केवल रासायनिक कीटनाशी के प्रयोग के विवेकपूर्ण प्रयोग किए जाने पर आधारित है। इसके अतिरिक्त, राज्य और केन्द्रीय सरकार के विस्तार कर्मी किसानों को शिक्षित करते हैं और डीलरों को विभिन्न कीटनाशियों, रोगों और विभिन्न फसलों के खरपतवार के विभिन्न विवेकपूर्ण प्रयोग और संरक्षित प्रणालियों के लिए शिक्षित करते हैं।

स्वाइन फ्लू

437. श्री आनंदराव अडसुल:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.) ने एच1एन1 (स्वाइन फ्लू) महामारी से लड़ने के लिए कोई आकस्मिक योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) एन.डी.एम.ए. द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इस स्थिति से निपटने के लिए क्या अनुदेश जारी किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) से (ग) जी हां, महोदया, एनडीएमए ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की 5 मई 2009 को महामारी सचेतक चरण-6 की स्थिति एच1एन1 (स्वाइन फ्लू) इन्फ्लूएंजा के प्रबंधन के लिए एक आकस्मिकता प्लान जारी किया है। इस आकस्मिकता प्लान की विषय-वस्तु निम्नवत् है:-

(क) राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर योजना बनाना और तैयारी करना।

(ख) महामारी रूपी इन्फलूएंजा प्रबंधन के लिए तैयारीगत योजना बनाना।

(ग) स्वास्थ्योपरि सैक्टर तैयार करना।

(घ) समुदाय, परिवार और व्यक्तियों को तैयार करना।

(ङ) गैर-सरकारी संगठनों को तैयार करना।

(च) अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम, 2005 के अंतर्गत अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय।

(छ) त्वरित प्रतिक्रिया और निवारण के उपायों के लिए तैयारी।

(ज) राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर समन्वय तंत्र की स्थापना।

(झ) एच1एन1 वेक्सीन विकसित उत्पादित किए जाने संबंधी प्रयास।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आवंटन

438. श्री अधीर चौधरी:
श्री ओम प्रकाश यादव:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) श्रेणीवार और राज्यवार कुल कितने राशन कार्ड धारक मौजूद हैं;

(ख) क्या कुछ राज्य खाद्यान्नों का अपना कोटा उठाने में विफल रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या कुछ राज्यों के लिए आवंटन उनकी आवश्यकता से कम रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थामस): (क) 30.6.2009 की स्थिति के अनुसार राज्यों द्वारा अद्यतन गरीबी रेखा से नीचे, अंत्योदय अन्न योजना और गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों को जारी किए गए राशन कार्डों की राज्यवार संख्या दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) 2008-09 के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों के राज्यवार आबंटन और उठान के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं। राज्य सरकारों द्वारा कम उठान करने के विभिन्न कारण हो सकते हैं। इनमें राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की संसाधनों की समस्या, भारतीय खाद्य निगम को भुगतान में विलंब, संचलन के लिए रेल मालगाड़ियों की अनुपलब्धता, प्राकृतिक आपदाओं, बंद, मार्ग अवरुद्धता आदि से पैदा हुई प्रशासनिक अथवा इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी समस्याएं आदि शामिल होती हैं।

(घ) और (ङ) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों का आबंटन अंत्योदय अन्न योजना परिवारों सहित गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए 1.3.2000 की स्थिति के अनुसार भारत के महापंजीयक के आबादी अनुमानों पर आधारित योजना आयोग के 1993-94 के गरीबी अनुमानों अथवा राज्य सरकार द्वारा वास्तव में पहचान किए गए परिवारों और उन्हें जारी राशन कार्डों की संख्या, जो भी कम हो के आधार पर किया जाता है। तदनुसार सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए समस्त स्वीकृत 6.52 करोड़ परिवारों हेतु 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह की दर पर अंत्योदय अन्न योजना और गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी के लिए खाद्यान्नों का आबंटन किया जाता है।

गरीबी रेखा से ऊपर की श्रेणी के अधीन आबंटन केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों के स्टाक की उपलब्धता और विगत के उठान पर निर्भर करते हुए किया जाता है। 2008-09 के दौरान गरीबी रेखा से ऊपर की श्रेणी के अधीन चावल का आबंटन 2006-07 और 2007-08 के दौरान हुए औसत उठान स्तर के आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को किया गया था। तथापि, इस श्रेणी के अधीन गेहूं का आबंटन 2007-08 के स्तर पर बनाए रखा गया है। केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों की अधिक उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए बाद में 2008-09 के दौरान गेहूं का अतिरिक्त आबंटन किया गया था। फिलहाल, विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आबंटन की रेंज 10 किलोग्राम और 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह के बीच है।

विवरण I

गरीबी रेखा से नीचे, अंत्योदय अन्न योजना और गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों को जारी किए गए राशन कार्डों की राज्यवार संख्या

(आंकड़े लाख में)
(30.6.2009 को सूचित)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी राशन कार्ड				
		गरेनी	अंअयो	जोड़ (गरेनी+अंग्रेजी)	गरेऊ	जोड़
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	175.54	15.58	191.12	39.18	230.30
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.61	0.38	0.99	2.19	3.18

1	2	3	4	5	6	7
3.	असम	12.02	7.04	19.06	38.44	57.50
4.	बिहार	39.94	24.29	64.23	15.23	79.76
5.	छत्तीसगढ़	11.56	7.1	18.75	26.42	45.17
6.	दिल्ली	2.88	1.5	4.38	27.02	31.40
7.	गोवा	0.13	0.14	0.27	3.16	3.43
8.	गुजरात	25.75	8.1	33.85	88.77	122.62
9.	हरियाणा	9.05	2.92	11.97	42.26	54.23
10.	हिमाचल प्रदेश	3.17	1.97	5.14	10.37	15.51
11.	जम्मू और कश्मीर	4.80	2.56	7.36	10.92	18.28
12.	झारखंड	14.76	9.18	23.94	5.15	29.09
13.	कर्नाटक	76.77	12	88.77	54.14	142.91
14.	केरल	14.82	5.96	20.78	49.56	70.34
15.	मध्य प्रदेश	52.65	15.82	62.47	82.10	150.57
16.	महाराष्ट्र	45.13	24.64	69.77	143.96	213.73
17.	मणिपुर	1.02	0.64	1.66	2.41	4.07
18.	मेघालय	1.13	0.7	1.83	2.66	4.49
19.	मिजोरम	0.42	0.26	0.68	1.98	2.66
20.	नागालैंड	0.77	0.47	1.24	1.83	3.07
21.	उड़ीसा	37.63	12.65	50.28	36.02	86.30
22.	पंजाब	2.89	1.79	4.68	55.60	60.28
23.	राजस्थान	16.53	9.32	25.85	111.60	137.45
24.	सिक्किम	0.27	0.16	0.43	4.06	4.49
25.	तमिलनाडु*	181.91	18.65	200.56	0.00	200.56
26.	त्रिपुरा	1.82	1.13	2.95	4.31	7.26
27.	उत्तर प्रदेश	65.84	40.95	106.79	331.00	437.79
28.	उत्तराखंड	3.46	1.51	4.97	17.78	22.75
29.	पश्चिम बंगाल	37.98	14.8	52.78	121.74	174.52

1	2	3	4	5	6	7
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.13	0.04	0.17	0.80	0.97
31.	चंडीगढ़	0.09	0.02	0.11	2.30	2.41
32.	दादरा और नगर हवेली	0.12	0.05	0.17	0.37	0.54
33.	दमन और दीव	0.03	0.01	0.04	0.32	0.36
34.	लक्षद्वीप	0.02	0.012	0.03	0.13	0.16
35.	पुडुचेरी	1.14	0.32	1.46	1.76	3.22
	जोड़	842.78	242.75	1085.53	1335.84	2421.37

*चूंकि तमिलनाडु में गरीबी रेखा से ऊपर/गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के बीच कोई श्रेणीकरण नहीं है इसलिए तमिलनाडु सरकार द्वारा गरीबी रेखा से ऊपर/गरीबी रेखा से नीचे के कार्डों के अलग-अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए गए हैं।

विवरण II

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वर्ष 2008-09 (अनंतिम) के लिए चावल और गेहूं का आवंटन एवं उठान

(हजार टन)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवंटन				उठान				उठान प्रतिशत			
		गरेनी	गरेऊ	अंअयो	जोड़	गरेनी	गरेऊ	अंअयो	जोड़	गरेनी	गरेऊ	अंअयो	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	1,052.88	1,871.306	654.288	3,571.682	1,035.657	1,852.540	644.569	3,532.766	98.438	98.997	98.515	98.740
2.	अरुणाचल प्रदेश	25,524	60.060	15,972	101.556	25.309	49.889	15.860	91.058	99.158	83.065	99.299	89.660
3.	असम	475.224	635.340	295.692	1,406,256	473.790	632.043	295.009	1,400.842	99.698	99.481	99.769	99.620
4.	बिहार	1,719.804	218.330	1,019.988	2,958.122	738.798	17.729	772.495	1,529.022	42.598	8.120	75.736	51.690
5.	छत्तीसगढ़	485.688	150.066	301.944	937.698	472.694	31.117	301.944	805.755	97.325	20.736	100.000	85.930
6.	दिल्ली	108.696	420.768	63.084	592.548	88.359	420.295	53.161	561.815	81.290	99.888	84.270	94.810
7.	गोवा	5,460	24.787	6.108	36.355	5,460	23.142	5,356	33.958	100.000	93.363	87.688	93.410
8.	गुजरात	486.469	215.491	340.080	1,042.040	445.348	70.865	340.753	856.966	91.547	32.885	100.198	82.240
9.	हरियाणा	208.572	272.101	122.820	603.493	197.589	77.792	112.235	387.616	94.734	28.589	91.382	64.230
10.	हिमाचल प्रदेश	133.140	247.296	82.740	463.176	125.083	251.615	83.703	460.401	93.498	101.746	101.164	99.400
11.	जम्मू व कश्मीर	201.696	467.720	107.388	776.804	204.558	454.501	111.223	770.282	101.419	97.174	103.571	99.160
12.	झारखंड	619.956	60.438	385.536	1,065.930	505.608	10.654	367.101	883.363	81.555	17.628	95.218	82.870
13.	कर्नाटक	798.864	730.586	503.892	2,033.342	799.817	647.726	503.729	1,951.272	100.119	88.658	99.968	95.960

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14.	केरल	402.348	511.996	250.260	1,164.604	402.458	467.888	250.585	1,120.931	100.027	91.385	100.130	96.250
15.	मध्य प्रदेश	1,068.216	353.207	664.260	2,085.683	1,147.915	182.422	655.125	1,985.462	107.461	51.647	98.625	95.190
16.	महाराष्ट्र	1,709.424	421.481	1,034.880	3,165.785	1,545.760	258.555	902.623	2,706,938	90.426	61.344	87.220	85.510
17.	मणिपुर	43.008	36.684	26.724	106.416	37.272	37.861	22.905	98.038	86.663	103.208	85.709	92.130
18.	मेघालय	47.376	67.416	29.484	144.276	48.021	67.973	29.739	145.733	101.361	100.826	100.865	101.010
19.	मिजोरम	17.460	54.348	10.920	82.908	15.440	49.788	10.070	75.298	87.528	91.610	92.216	90.820
20.	नागालैंड	32.112	74.796	19.968	126.876	34.375	83.375	21.246	139.044	107.047	111.534	106.400	109.590
21.	उड़ीसा	1,165.572	170.091	531.120	1,866.783	1,159.265	135.127	531.950	1,826.342	99.459	79.444	100.156	97.830
22.	पंजाब	121.176	466.384	75.360	662.920	104.231	354.574	46.533	505.338	86.016	76.026	61.748	76.230
23.	राजस्थान	629.532	343.604	391.488	1,364.624	614.179	289.057	377.563	1,280.799	97.561	84.125	96.443	93.860
24.	सिक्किम	11.304	25.980	6.936	44.220	12.123	25.540	6.936	44.599	107.245	98.306	100.000	100.860
25.	तमिलनाडु	1,259.232	1,640.456	783.144	3,682.832	1,349.833	1,629.144	827.174	3,806.151	107.195	99.310	105.622	103.350
26.	त्रिपुरा	76.380	151.104	47.520	275.004	77.797	141.336	48.879	268.012	101.855	93.536	102.860	97.460
27.	उत्तर प्रदेश	2,765.700	440.674	1,719.480	4,925.854	2,456.513	190.049	1,608.775	4,255.337	88.821	43.127	93.562	86.390
28.	उत्तराखंड	145.656	153.080	63.516	362.252	125.746	127.307	55.065	308.118	86.331	83.164	86.695	85.060
29.	पश्चिम बंगाल	1,553.580	856,678	621.684	3,031.942	1,381.671	824.037	512.809	2,718.517	88.935	96.190	82.487	89.660
30.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	5.040	22.501	1.800	29.341	4,010	10.920	1.449	16.379	79.653	48.531	80.500	55.820
31.	चंडीगढ़	3,006	1.800	0.822	5.628	2,984	0.000	0.526	3.510	99.268	0.000	63.990	62.370
32.	दादरा और नगर हवेली	4.524	1.434	2.196	8.154	4.524	1.368	2.196	8.088	100.000	95.397	100.000	99.190
33.	दमन और दीव	1.044	0.690	0.636	2.370	0.235	0.088	0.100	0.423	22.510	12.754	15.723	17.850
34.	लक्षद्वीप	0.756	3.360	0.492	4.608	0.756	2.455	0.492	3.703	100.000	73.065	100.000	80.360
35.	पुडुचेरी	21.564	3.237	13.548	38.349	12.605	1.564	4.759	18.928	58.454	48.316	35.127	49.360
	जोड़	17,405.371	11,175.290	10,195.770	38,776.431	15,655.783	9,420.384	9,524.637	34,600.804	89.948	84.297	93.418	89.232

कृभको संयुक्त उद्यम

439. श्री रुद्रमाधव रायः क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृभको ने सहकारी समितियों के अपने नेटवर्क के माध्यम से कम्युनिकेशंस सेवाओं और उत्पादों के वितरण के लिए एक संयुक्त उद्यम का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके अंतर्गत किन-किन सेवाओं और उत्पादों को लाए जाने की आवश्यकता है और किन-किन राज्यों में इस योजना को लागू किया जाएगा;

(ग) क्या सरकार की ग्रामीण भारत के उत्थान के लिए ऐसे संयुक्त उद्यम को बढ़ावा देने की योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा ग्रामीण भारत के विकास में शामिल कंपनियों को क्या लाभ पेश किए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थामस): (क) जी, हां।

(ख) कृभको ने सहकारी समितियों और अन्य खुदरा माध्यमों से कृभको नेटवर्क के जरिए रिलायंस कम्युनिकेशन्स से टेलीकाम उत्पादों और सेवाओं के वितरण हेतु रिलायंस कम्युनिकेशन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. के साथ एक संयुक्त उद्यम बनाया है। प्रारंभ में संयुक्त उद्यम का प्रस्ताव रिलायंस कम्युनिकेशन्स द्वारा दी जा रही विभिन्न टेलीकाम उत्पादों और सेवाओं को शामिल करना है। परियोजना उन सभी मुख्य राज्यों में चरणबद्ध ढंग से शुरू करने का प्रस्ताव है जहां कृभको का अपना उर्वरक संबंधी प्रचालन है।

(ग) ऐसा कोई भी प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

खेलों से जुड़ी प्रतिभा

440. श्री पूर्णमासी राम: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार अनुसूचित जातियों के लोगों सहित ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों से जुड़ी प्रतिभा की पहचान करने के लिए उपाय करने का है;

(घ) यदि हां, तो उड़ीसा के पिछड़े क्षेत्रों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में कितनी धनराशि आबंटित की गई है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों में कितने युवा विकास केन्द्रों की स्थापना की गई है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) और (ख) खेल-कूद का संवर्धन मुख्यत: राज्य सरकारों का दायित्व है, क्योंकि 'खेल' राज्य का विषय है। तथापि, राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता देने के लिए देश में खेलकूद के संवर्धन हेतु युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय तथा भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित योजनाएं संचालित तथा कार्यान्वित की जा रही हैं:-

क्र.सं.	योजना का नाम	योजना का मुख्य उद्देश्य
1	2	3
1.	पंचायत युवा क्रीडा और खेल अभियान (पीवाईकेकेए)	10 वर्ष की अवधि में चरणबद्ध ढंग से देश की सभी ग्राम एवं ब्लाक पंचायतों में मूलभूत खेल अवसंरचना का सृजन तथा ब्लाक, जिला, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तरों पर संगठित खेल प्रतियोगिताओं के लिए पहुंच उपलब्ध कराना।
2.	राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता की योजना	भारत में राष्ट्रीय चैम्पियनशिपों तथा अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों के आयोजन, विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में राष्ट्रीय टीमों की सहभागिता, प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन, खेल उपस्करों की खरीद, विदेशी प्रशिक्षकों की तैनाती आदि के लिए राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता प्रदान करना।
3.	प्रतिभा खोज तथा प्रशिक्षण	प्रतिभावान तथा उदीयमान खिलाड़ियों को प्रशिक्षण, प्रतियोगिता के अवसर तथा उपस्कर की खरीद हेतु सहायता प्रदान करना।
4.	राष्ट्रीय खेल विकास निधि	मुख्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में सहभागिता हेतु प्रशिक्षण और तैयारी के लिए विशिष्ट एथलीटों को अनुकूल सहायता प्रदान करना।

1	2	3
5.	भाखेप्रा की योजनाएं अर्थात् राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता की योजना, सेना बाल खेल कम्पनी योजना, विशेष क्षेत्र खेल योजना, उत्कृष्टता केन्द्र योजना, राष्ट्रीय प्रशिक्षण योजना तथा पूंजीगत परियोजनाएं	खेलों को विस्तृत आधार प्रदान करना और खेलों में उत्कृष्टता का संवर्धन करना जिसमें प्रतिभा की पहचान और विकास, राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन और खेल अकादमियों का विकास शामिल है।
6.	लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय, ग्वालियर	शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में योग्य नेता तैयार करना, शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान प्रारंभ करना, संवर्धन करना तथा इसका प्रचार करना और साहित्य का प्रकाशन करना, अन्य संस्थानों आदि को व्यावसायिक तथा अकादमिक नेतृत्व प्रदान करना।
7.	अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के विजेताओं और उनके कोचों को विशेष पुरस्कार	उच्च उपलब्धियों के लिए उत्कृष्ट खिलाड़ियों को प्रोत्साहित और अभिप्रेरित करना तथा खेलों को अमेच्योर व पेशेवर दोनों के रूप में लेने हेतु युवा पीढ़ी को आकर्षित करना।
8.	पुरस्कार योजनाएं अर्थात् राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, खेलकूद में जीवन पर्यंत उपलब्धियों के लिए ध्यानचंद पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्राफी	उत्कृष्ट खिलाड़ियों, कोचों तथा अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंटों में सर्वेश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को मान्यता और सम्मान प्रदान करना।
9.	उत्कृष्ट खिलाड़ियों को पेंशन की योजना	आश्वस्त मासिक पेंशन के रूप में जीवनपर्यंत सहायता सहित उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए उत्कृष्ट खिलाड़ियों को पुरस्कृत करना।
10.	खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण निधि	खेलों से सन्यास ले चुके उन खिलाड़ियों को सहायता प्रदान करना जिन्होंने देश में ख्याति और गरिमा दिलायी है परंतु अब दरिद्र अवस्था में रह रहे हैं।
11.	महिलाओं के लिए राष्ट्रीय खेल चैम्पियनशिप	महिलाओं में खेलकूद का संवर्धन।
12.	डोप विरोधी गतिविधियों के लिए सहायता की योजना	डोप विरोधी उपायों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।

(ग) और (घ) भाखेप्रा विशेष क्षेत्र खेल योजना और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की हाल ही में शुरू की गई पीवाईकेकेए योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभा का पता लगाना है। मंत्रालय और भाखेप्रा की योजनाएं सभी पात्र ग्रामीण युवाओं पर लागू है जिसमें उड़ीसा के अनुसूचित जातियों और पिछड़े क्षेत्रों के युवा शामिल है।

(ङ) खेलों के प्रशिक्षण और विकास सहित ग्रामीण युवाओं के समग्र विकास के लिए नेहरू युवा केन्द्र संगठन द्वारा स्थापित युवा विकास केन्द्र (वाईडीपी) 10 गांवों के समूह की देखरेख करते हैं। प्रत्येक वाईडीसी को 30,000/- रु. की एकबारगी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों को आबंटित धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2006-07		2007-08		2008-09		2009-10	
		स्थापित किए गए युवा विकास केन्द्र	जारी की गई धनराशि	स्थापित किए गए युवा विकास केन्द्र	जारी की गई धनराशि	स्थापित किए गए युवा विकास केन्द्र	जारी की गई धनराशि	स्थापित किए गए युवा विकास केन्द्र	जारी की गई धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	शून्य	0	शून्य	0	शून्य	0	शून्य
2.	आंध्र प्रदेश	4	1,20,000	0	शून्य	10	3,00,000	0	शून्य
3.	अरुणाचल प्रदेश	1	30,000	0	शून्य	2	60,000	0	शून्य
4.	असम	69	20,70,000	0	शून्य	29	8,70,000	0	शून्य
5.	बिहार	12	3,60,000	0	शून्य	0	शून्य	0	शून्य
6.	चंडीगढ़	0	शून्य	0	शून्य	0	शून्य	0	शून्य
7.	दिल्ली	8	2,40,000	0	शून्य	0	शून्य	0	शून्य
8.	दमन और दीव	1	30,000	0	शून्य	0	शून्य	0	शून्य
9.	दादरा और नगर हवेली	0	शून्य	0	शून्य	0	शून्य	0	शून्य
10.	गोवा	0	शून्य	0	शून्य	0	शून्य	0	शून्य
11.	गुजरात	3	90,000	0	शून्य	0	शून्य	0	शून्य
12.	हरियाणा	48	14,40,000	0	शून्य	15	4,50,000	0	शून्य
13.	हिमाचल प्रदेश	12	3,60,000	0	शून्य	4	1,20,000	0	शून्य
14.	जम्मू और कश्मीर	14	4,20,000	0	शून्य	4	1,20,000	0	शून्य
15.	कर्नाटक	6	1,80,000	0	शून्य	7	2,10,000	0	शून्य
16.	केरल	28	8,40,000	0	शून्य	16	4,80,000	0	शून्य
17.	लक्षद्वीप	0	शून्य	0	शून्य	0	शून्य	0	शून्य
18.	मध्य प्रदेश	19	5,70,000	0	शून्य	0	शून्य	0	शून्य
19.	महाराष्ट्र	42	12,60,000	0	शून्य	2	60,000	0	शून्य
20.	मणिपुर	11	3,30,000	0	शून्य	3	90,000	0	शून्य
21.	मेघालय	1	30,000	0	शून्य	2	60,000	0	शून्य
22.	मिजोरम	0	शून्य	0	शून्य	0	शून्य	0	शून्य

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.	नागालैंड	0	शून्य	0	शून्य	0	शून्य	0	शून्य
24.	उड़ीसा	19	5,70,000	0	शून्य	8	2,40,000	0	शून्य
25.	पंजाब	37	11,10,000	0	शून्य	1	30,000	0	शून्य
26.	पुडुचेरी	3	90,000	0	शून्य	0	शून्य	0	शून्य
27.	राजस्थान	7	2,10,000	0	शून्य	2	60,000	0	शून्य
28.	सिक्किम	9	2,70,000	0	शून्य	1	30,000	0	शून्य
29.	तमिलनाडु	13	3,90,000	0	शून्य	14	4,20,000	0	शून्य
30.	त्रिपुरा	8	2,40,000	0	शून्य	0	शून्य	0	शून्य
31.	उत्तर प्रदेश	55	16,50,000	0	शून्य	8	2,40,000	0	शून्य
32.	पश्चिम बंगाल	59	17,70,000	0	शून्य	69	20,70,000	0	शून्य
	जोड़	489	1,46,70,000	0	शून्य	197	59,10,000	0	शून्य

आतंकवाद को रोकने के उपाय

441. श्री चंद्रकांत खैरे:
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र सहित राज्य सरकारों को मुंबई आतंकवादी हमले के पश्चात् अपनी सुरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए कोई निर्देश जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ राज्यों ने आतंकवाद से निपटने के लिए अतिरिक्त धनराशि और सुरक्षा बलों की मांग की है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान उपलब्ध कराई गई सहायता का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान हाल ही के आतंकवादी हमलों में घायल हुए और मारे गए सुरक्षाकार्मियों का ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार ने आतंकवाद को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार समय-समय पर देश की आन्तरिक सुरक्षा की स्थिति की समीक्षा करती है और तदनुसार राज्य सरकारों को उपयुक्त उपाय करने का सुझाव देती है। देश की आन्तरिक सुरक्षा स्थिति पर 6.1.2009 को आयोजित ''आन्तरिक सुरक्षा पर मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन'' में भी विचार किया गया था जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, राज्यों को कुछ निश्चित उपाय करने की सलाह दी गई जिसमें शामिल हैं पुलिस रिक्तियों को भरना, अतिरिक्त पदों का सृजन करना, आतंकी हमलों में जवाबी कार्रवाई करने के लिए विशेष कमाण्डों बल, राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना करना, सीसीटीवी का अधिष्ठापन, बड़े अधिष्ठापनों में ऐक्सेस कन्ट्रोल आदि, पुलिस थानों की संख्या बढ़ाना, पुलिस कार्मिकों को उपयुक्त प्रशिक्षण, तटीय पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ करना, मात्स्यिकी नावों का पंजीयन, 24×7 नियंत्रण कक्षा की स्थापना आदि।

(ग) उपलब्ध जानकारी के अनुसार वर्ष 2008-09 के दौरान 13 राज्यों को 96.50 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि दी गई थी जिसमें महाराष्ट्र राज्य को 6 करोड़ रुपये शामिल हैं। केन्द्रीय सरकार कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य सरकारों की सहायतार्थ, यथोपक्षित एवं व्यवहार्य पाए जाने पर, केन्द्रीय अर्ध सैनिक बल मुहैय्या कराता है।

(घ) पुलिस बलों का आधुनिकीकरण स्कीम के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को रिलीज की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ङ) संबंधित ब्यौरा विवरण-II के रूप में संलग्न है।

(च) सरकार, आतंकवाद सहित, उभरती चुनौतियों के आलोक में सुरक्षा व्यवस्था की सतत आधार पर समीक्षा कर रही है और कई महत्वपूर्ण निर्णय एवं उपाय किए गए हैं। इन उपायों में शामिल हैं केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों की नफरी बढ़ाना, के.औ.सु. बल की संयुक्त उद्यम या गैर सरकारी औद्योगिक उपक्रम में तैनाती करने में सक्षम बनाने के लिए सीआईएसएफ अधिनियम में संशोधन करना, चेन्नै, कोलकाता, हैदराबाद और मुम्बई में एनएसजी हबों की स्थापना करना, आपातकाल की स्थिति में एनएसजी कार्मिकों की आवाजाही के लिए एयरक्राफ्टों मांग करने हेतु डीजी, एनएसजी को अधिकार प्रदान करना, आसूचना ब्यूरो में बहु अभिकरण केन्द्र को पुनर्गठित एवं सुदृढ़ करना ताकि यह रियल टाइम परितुलन एवं अन्य आसूचना एवं सुरक्षा एजेंसियों के साथ आसूचना भागीदारी के लिए 24×7 आधार पर कार्य करने में सक्षम हो सके, बहु-एजेन्सी केन्द्र संयोजकता। आतंकवाद से निपटने के लिए दण्डात्मक उपाय सुदृढ़ करने हेतु विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 को 2008 में संशोधित एवं अधिसूचित किया गया है। अनुसूची में दिए गए अधिनियमों के अंतर्गत अपराधों की जांच एवं अभियोजन के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम, 2008 के अंतर्गत एक राष्ट्रीय जांच एजेंसी गठित की गई है।

विवरण I

राज्य का नाम	के दौरान रिलीज की गई केन्द्रीय निधियां (करोड़ रुपये)			
	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10-एक छठवीं राशि रिलीज की गई
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	88.12	87.34	83.83	9.71
अरुणाचल प्रदेश	11.53	10.70	14.72	0.91
असम	51.18	87.82	68.11	6.11
बिहार	51.62	16.24	41.57	6.39
छत्तीसगढ़	57.06	41.72	26.54	2.25
गोवा	1.00	2.00	4.00	0.24
गुजरात	45.52	51.90	48.02	5.92
हरियाणा	19.69	35.75	27.51	2.655
हिमाचल प्रदेश	3.92	10.27	9.99	0.81
जम्मू और कश्मीर	88.13	115.34	109.65	9.235
झारखंड	47.00	50.95	69.85	2.13
कर्नाटक	64.15	78.13	69.61	8.88
केरल	24.53	40.00	22.9	3.73
मध्य प्रदेश	43.24	57.68	40.37	6.28
महाराष्ट्र	105.10	78.87	75.86	10.90
मणिपुर	14.09	32.07	39.23	2.21

1	2	3	4	5
मेघालय	8.59	15.44	10.81	0.87
मिजोरम	10.48	11.00	12.69	1.105
नागालैंड	22.68	30.72	38.42	2.48
उड़ीसा	38.00	45.80	42.54	3.61
पंजाब	15.00	34.94	21.56	3.80
राजस्थान	40.47	49.60	49.1	7.23
सिक्किम	3.46	4.42	6.12	0.41
तमिलनाडु	61.65	75.75	50.1	8.06
त्रिपुरा	11.34	14.47	20.66	1.815
उत्तर प्रदेश	94.28	115.44	102.31	14.62
उत्तराखंड	5.28	9.89	19.39	0.78
पश्चिम बंगाल	37.11	44.45	32.18	6.69
कुल	1065.22	1248.70	1157.64	129.83

विवरण II

उपलब्ध जानकारी के अनुसार विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान हाल ही में हुए आतंकी हमलों में मारे गए सुरक्षा बल कार्मिकों का विवरण निम्नलिखित हैं:-

	2006	2007	2008	2009 (31.5.2009 तक)
जम्मू और कश्मीर	151	110	75	20
पूर्वोत्तर राज्य	76	79	46	27
नक्सल प्रभावित राज्य	157	236	231	144

इसके अतिरिक्त, उपलब्ध जानकारी के अनुसार वर्ष 2007 में, अन्त:भूमि में हुई बड़ी आतंकी घटनाओं में समझौता एक्सप्रेस में हुए विस्फोट में 3 सुरक्षा बल कार्मिक मारे गए जबकि वर्ष 2008 में सीआरपीएफ ग्रुप केन्द्र, रामपुर (उत्तर प्रदेश) पर आतंकी हमले में 7 सुरक्षा बल कार्मिक मारे गए, जयपुर में हुए आतंकी हमले में 3 सुरक्षा बल कार्मिक मारे गए और मुम्बई में हुए आतंकी हमले में 18 सुरक्षा बल कार्मिक मारे गए। देश में हुई आतंकी हमलों की विभिन्न बड़ी घटनाओं में घायल हुए सुरक्षा बल कार्मिकों के आंकड़े केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं।

एन.एच.डी.पी. परियोजनाओं का ठेका दिया जाना

442. श्री एम. राजा मोहन रेड्डी: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार 47,000 करोड़ रु. की राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम/एन.एच.डी.पी. की परियोजनाओं का ठेका दिए जाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने वर्ष 2009-10 के लिए कार्य योजना बनाने का कार्य शुरू किया है जिसमें निम्नलिखित विवरण के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अधीन विभिन्न परियोजनाओं के

लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी आधार पर निविदाएं आमंत्रित किया जाना शामिल है:

क्र.सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण	परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत (करोड़ रुपए)
1.	II	7	10,347
2.	III	23	21,298
3.	V	7	10,006
4.	VII	1	680
	जोड़	38	42,331

सहकारी क्षेत्र को बढ़ावा देना

443. श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी क्षेत्र को बढ़ावा देने और इसके विकास के लिए कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थामस): (क) सरकार ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीय सहकारी नीति तैयार करने, बहु-राज्यीय सहकारी संस्था (एमएससीएस) अधिनियम, 2002 का अधिनियमन, सहकारी ऋण ढांचा इत्यादि के पुनरुद्धार के लिए नीतिगत पहले जैसे सहकारी क्षेत्र के संवर्धन और विकास के लिए अनेक उपाय किए हैं। सरकार भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (एनसीयूआई) और राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (एनसीसीटी) के माध्यम से सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण हेतु केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम भी कार्यान्वित कर रही है। इसके अतिरिक्त, सहकारिता विकास के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) द्वारा केन्द्रीय क्षेत्र स्कीमों को कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ख) राष्ट्रीय सहकारी नीति और बहु-राज्यीय सहकारी संस्था अधिनियम, 2002 में राज्यों के लिए उनके सहकारी विधान लाने हेतु मार्गदर्शन सिद्धांतों का प्रावधान है जिसमें उनके राज्यों में सहकारिता का स्वायत्तशासी, लोकतांत्रिक और व्यवसायिक तरीके से कार्य करने की सुविधा है। एनसीयूआई, एनसीसीटी और एनसीडीसी के माध्यम से कार्यान्वित केन्द्रीय सरकार की स्कीमें और सहकारी ऋण ढांचा के पुनरुद्धार हेतु नीतिगत पहलें ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारिता विकास के लिए सहायक रहे हैं।

नक्सलवाद से लड़ने के लिए धनराशि

444. डॉ. के.एस. राव:
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान नक्सल प्रभावित राज्यों को उपलब्ध कराई गई धनराशि का ब्यौरा क्या है और सुरक्षा उपकरणों के उन्नयन के लिए कितनी धनराशि उपयोग में लाई गई है;

(ख) इस संबंध में सीएजी द्वारा की गई निष्पादन लेखा परीक्षा के निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार सुरक्षा से जुड़े मुद्दों की समीक्षा करने और धनराशि के उचित उपयोग के लिए नए दिशानिर्देश तैयार करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उड़ीसा और छत्तीसगढ़ सहित नक्सल प्रभावित राज्यों ने इस प्रयोजनार्थ अतिरिक्त आबंटन की मांग की है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में किए गए आबंटन का राज्यवार ब्यौरा क्या है और नक्सल प्रभावित राज्यों की सुरक्षा को सुदृढ़ कराने के लिए क्या बजटीय प्रावधान किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत विगत तीन वर्षों यथा 2006-07, 2007-08, 2008-09 एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान नक्सल प्रभावित राज्यों को निर्गत की गयी केन्द्रीय निधियों का ब्यौरा विवरण-I के रूप में संलग्न है। इस योजना के अंतर्गत निधियां, अन्य बातों के साथ-साथ, पुलिस प्रशिक्षण ढांचा तैयार करने के लिए, संबंधित प्रशिक्षण उपकरणों को प्राप्त करने तथा पुलिस थानों के निर्माण, पुलिस आवास, संचार उपकरणों, आबाजाही आदि जैसी मदों के लिए दी जाती है।

इसके अतिरिक्त, एसआरई एवं एसआईएस योजनाओं के अंतर्गत भी सहायता प्रदान की जाती है। इन योजनाओं के अंतर्गत निर्गत की गयी निधियों का ब्यौरा क्रमश: विवरण-II और विवरण-III के रूप में संलग्न है।

(ख) कुछेक नक्सल प्रभावित राज्यों सहित 16 राज्यों में एमपीएफ योजना के कार्यान्वयन का लेखा-परीक्षण सी एण्ड ए जी द्वारा करवाया गया। ''भारत में पुलिस बल का आधुनिकीकरण का लेखा-परीक्षण आकलन'', खण्ड-1 सी एण्ड ए जी द्वारा जनवरी, 2009 में प्रकाशित किया गया था। लेखा-परीक्षण में राज्य विशिष्ट परिणाम दिए गए थे। हालांकि, सी एण्ड ए जी के निष्कर्षों एवं सिफारिशों का सार राज्यों द्वारा कार्ययोजना को प्रस्तुत किए जाने तथा गृह मंत्रालय द्वारा स्वीकृति दिए जाने में अत्यधिक विलम्ब से संबंधित था जिसके कारण उसी वर्ष के दौरान योजना की निधियों का कम उपयोग हुआ, समस्त राज्यों को वाहनों की कमी हुई, पुराने एवं बेकार हथियारों पर पुलिस को निर्भर रहना पड़ा, पुलिस अनुसंधान एवं विकास मानदण्डों के अनुरूप अपेक्षाओं की तुलना में गैर-आवासीय एवं आवासीय भवनों में कमी हुई, कुछ राज्यों में पुलिस संचार तंत्र में अनुपयुक्तता रही और उपयुक्त पुलिस प्रशिक्षण ढांचे आदि में अनुपयुक्तता रही। सी एण्ड ए जी रिपोर्टों के सार को जनवरी, 2009 तक 2009-10 हेतु अपनी वार्षिक कार्ययोजनाएं प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। प्राप्त हुई समस्त योजनाओं (4 राज्यों को छोड़कर) को 31.3.2009 तक गृह मंत्रालय द्वारा मंजूरी प्रदान कर दी गई थी। अन्तिम 4 योजनाओं को भी अप्रैल-जून, 2009 में मंजूरी दे दी गयी थी और 2009-10 हेतु निधियों की प्रथम किस्त भी निर्गत कर दी गयी है। 2008-09 की अन्तिम तिमाही से समवर्ती लेखा-परीक्षण की एक प्रणाली शुरू की गयी है।

(ग) और (घ) राज्य सरकारें अपनी वार्षिक कार्य योजनाओं में एमपीएफ योजना के अंतर्गत अपनी अपेक्षाओं की वरीयता निर्धारित करती हैं जिसमें परिवर्तित सुरक्षा परिदृश्यों को ध्यान में रखा जाता है और राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श से उच्च अधिकार प्राप्त समिति में इस पर विचार कर लिए जाने के बाद, वार्षिक कार्य योजनाओं को मंजूरी प्रदान की जाती है तथा स्वीकृत मदों के लिए राज्यों को निधियां प्रदान की जाती हैं। निधियों के उपयोग के संबंध में, जैसा कि उपरोक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर में कहा गया है, 2008-09 की अन्तिम तिमाही में मंत्रालय के आन्तरिक लेखा-परीक्षण करवाया गया है। लेखा-परीक्षण की टिप्पणियों का अनुपालन करने के लिए संबंधित राज्यों को लेखा-परीक्षण रिपोर्टें भेज दी गयी हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष में निधियों को राज्यों द्वारा की गयी उपयुक्त कार्रवाई के आधार पर निर्गत किया गया है। इसके बाद, सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीएस) ने जनवरी, 2009 अन्य बातों के साथ-साथ एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है, जिसके अनुसार किसी राज्य से उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं होने की स्थिति में, किसी राज्य को निधियां निर्गत करना संभव नहीं होता है। एक वित्तीय वर्ष के 30 नवम्बर को इस आकलित तरह से निर्गत नहीं की गई धनराशि को एक जगह एकत्रित किया जा सकता है और विशिष्ट अपेक्षाओं के मद्देनजर अपने सामान्य आबंटन से अधिक निधियों की मांग करने वाला तथा उपयोग प्रमाणपत्रों को लंबित/पिछला बकाया नहीं रखने वाले बेहतर निष्पादन करने वाले राज्यों को निर्गत कर दिया जाता है।

(ङ) और (च) वर्ष 2008-09 के दौरान, उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़ की राज्य सरकारों ने अपने वास्तविक आबंटनों से अलग हटकर अतिरिक्त निधियों की मांग की थी। जबकि उड़ीसा को 7.42 करोड़ रुपये की अतिरिक्त निधि निर्गत की गयी, वहीं छत्तीसगढ़ के पास बड़ी मात्रा में अप्रयुक्त धनराशि होने के कारण कोई अतिरिक्त निधि राज्य को निर्गत नहीं की जा सकी।

विवरण I

राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण योजना 2006-07 से 2009-10 (3.7.2009 तक) की अवधि के लिए नक्सल प्रभावित राज्यों को निर्गत की गयी निधियां

(करोड़ रुपए)

राज्य का नाम	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10-आबंटन का 1/6वां हिस्सा निर्गत
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	88.12	87.34	83.83	9.71
बिहार	51.62	16.24	41.57	6.39
छत्तीसगढ़	57.06	41.72	26.54	2.25
झारखंड	47.00	50.95	69.85	2.13

1	2	3	4	5
मध्य प्रदेश	43.24	57.68	40.37	6.28
महाराष्ट्र	105.10	78.87	75.86	10.90
उड़ीसा	38.00	45.80	42.54	3.61
उत्तर प्रदेश	94.28	115.44	102.31	14.62
पश्चिम बंगाल	37.11	44.45	32.18	6.69
कुल	561.53	538.49	515.05	62.58

विवरण II

सुरक्षा संबंधी व्यय योजना

(लाख रुपए में)

राज्य	2002-03 से 2006-07 निर्गत धनराशि	2007-08			2008-09		
		स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना	31.03.2008 तक निर्गत धनराशि		स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना	निर्गत धनराशि	
	अग्रिम + प्रतिपूर्ति दोनों		अग्रिम	प्रतिपूर्ति		अग्रिम	प्रतिपूर्ति
आंध्र प्रदेश	2646.54	726	500.00	579.25	1095.20	273.80	308.79
बिहार	723.23	1049	230.00	0.00	1283.00	216.49	305.18
छत्तीसगढ़	2637.29	2891	650.00	395.00	2791.00	470.95	1540.69
झारखंड	2571.41	1973.25	440.00	1284.50	2809.00	473.99	1876.25
मध्य प्रदेश	604.96	343.63	170.00	0.00	74.00	18.50	381.36
महाराष्ट्र	1005.13	738	370.00	92.00	329.96	82.49	389.49
उड़ीसा	1291.65	893	200.00	1016.62	1356.30	339.07	969.91
उत्तर प्रदेश	225.48	368.50	80.00	0.00	296.26	74.06	111.46
पश्चिम बंगाल	377.53	553.25	280.00	8.00	399.00	67.33	100.19
कुल	12083.22	9535.63	2920.00	3375.37	10433.72	2016.68	5983.32
			6295.37			8000.00	

टिप्पणी: वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए 9.6.2009 को एसआरई समिति ने आंध्र प्रदेश के लिए 1290.80 लाख रुपए, बिहार के लिए 1806.00 लाख रुपए, झारखंड के लिए 3259.00 लाख रुपए, छत्तीसगढ़ के लिए 3003.00 लाख रुपए, महाराष्ट्र के लिए 438 लाख रुपए और उड़ीसा के लिए 2423.40 लाख रुपए की कार्य योजना सीमा के साथ इन राज्यों को वार्षिक एसआरई कार्य योजनाओं को स्वीकृति प्रदान कर दी। जैसे ही 2009-10 हेतु बजट को स्वीकृति मिल जाती है, वैसे ही राज्यों को एसआरई अग्रिम निर्गत कर दिया जाएगा।

विवरण III

वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों में विशेष अवसंरचना संबंधी योजना

(लाख रुपए)

राज्य	जिला	निर्गत निधि
छत्तीसगढ़	बीजापुर	1615.00
	दांतेवाड़ा	1135.00
बिहार	औरंगाबाद	986.00
	गया	619.00
उड़ीसा	मलकानगिरी	638.00
	रायागढ़	539.00
मध्य प्रदेश	बालाघाट	293.00
आंध्र प्रदेश	खम्माम	589.00
झारखंड	छत्र	960.00
	पलामू	1420.00
महाराष्ट्र	गढ़चिरौली	170.00
	गौंडिया	169.92
उत्तर प्रदेश	सोनभद्रा	866.00
कुल जारी किया गया		9999.92

रेललाइनों पर पुलों का निर्माण

445. श्री असादुद्दीन ओवेसी: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दसवीं योजना के दौरान स्थानवार तथा राज्य-वार राष्ट्रीय राजमार्गों पर रेललाइनों के ऊपर कितने पुलों का निर्माण किया गया;

(ख) इस संबंध में कितनी धनराशि जारी की गई और कितना व्यय हुआ; और

(ग) उन पुलों के निर्माण के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है जिनका निर्माण कार्य अभी तक पूरा नहीं किया गया है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर आर.पी.एन. सिंह): (क) से (ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों पर रेलवे लाइनों के ऊपर निर्मित पुलों की राज्य-वार और स्थल-वार संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है। रेलवे लाइनों पर पुलों का बनाना, राजमार्ग सुधार परियोजनाओं का एक भाग है और इसीलिए, रेलवे लाइनों पर पुलों को बनाने के लिए अलग से कोई आबंटन नहीं किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर रेलवे लाइनों पर अभी तक पूरे न हुए पुलों और उनके पूरा किए जाने की लक्ष्य तिथि का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण I

दसवीं योजना के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों पर रेल लाइनों पर बनाए गए पुलों की संख्या का राज्य-वार और स्थल-वार विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	दसवीं योजना के दौरान रेल लाइनों पर बनाए गए पुलों की संख्या अवस्थिति
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	5	किमी 754.399
		5	किमी 773.607
		5	किमी 572.224
		5	किमी 554.497
		5	किमी 494.97
		5	किमी 421.97
		5	किमी 20/4-5
		5	किमी 14.727
		5	किमी 0.800 (एलुरू बाइपास)
		5	किमी 17.200 (एलुरू बाइपास)
		5	किमी 106.760 (बादमपुडी)

1	2	3	4
		5	किमी 119.328 (प्रतिपाडु)
		5	किमी 131.764 (तानकु)
		5	किमी 186.484 (हुकुमपेट)
		5	किमी 292.905 (तुनी)
		5	किमी 179/34-36 (पुदुगुपाडु)
		5	किमी 236/04-06 (तेट्टू)
		5	किमी 153/07-09 (वेंकटचलम)
		5	किमी 166/02-04 (नेल्लूर)
		5	किमी 100/1 (नेलबल्ली)
		5	किमी 202/16-18 (अलुरू रोड)
2.	असम	44	किमी 0.290 (करीमगंज बाइपास)
		44	किमी 1.850 (करीमगंज बाइपास)
3.	झारखंड	2	किमी 282.358 (बढ़ी)
		32	किमी 19 (करकेंड)
4.	कर्नाटक	4	किमी 501.475
		4	किमी 50.650 से 56.200
		4	किमी 64.900 (तुमकुर बाइपास)
5.	केरल	17	किमी 196/300 (चोरोडे)
		47	चकई
6.	मध्य प्रदेश	7	कटनी बाइपास का हिस्सा
		7	रीवा बाइपास का हिस्सा
7.	महाराष्ट्र	4ही	किमी 5.200 (पगोटे पुल)
		4बी	किमी 0.090
8.	उड़ीसा	60	किमी 7.319
		60	किमी 49.283
		215	किमी 118.322
9.	पंजाब	22	किमी 32.08 (डेरा बस्सी)
		21	किमी 26.428 (कुराली)
10.	तमिलनाडु	4	वेल्लई गेट
		45	किमी 101.10 (तोजेपेडु)
		46	किमी 33.9 (नेत्रमपल्ली)
		46	किमी 45.4 (पेडाकलुपल्ली)
		46	किमी 47.9 (पेडाकलुपल्ली)
		46	किमी 53.9 (वनियमबाड़ी)
		46	किमी 75.6 (पचकुप्पम)
		46	किमी 117.8 (शेनपक्कम)
11.	उत्तर प्रदेश	2	किमी 143 (बरूण)
		3	किमी 25
		24	किमी 160.500
		24	किमी 166.130
		58	किमी 88 (सुकंडी टांडा)

विवरण II

उन रेल उपरि पुलों का ब्योरा जिनका कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है तथा उनका कार्य पूरा करने की लक्ष्य तिथि

क्र.सं.	राज्य	रारा सं.	रारा किमी	कार्य पूरा होने की लक्ष्य तिथि
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	7	261.48	सितंबर-09
		7	306.6	सितंबर-09
		7	351.200 और 351.320	सितंबर-09
		7	471.660	अगस्त-09
		7	21.7	अगस्त-09
		7	196	जून-10
		7	158.4	नवंबर-09
		7	165.14	नवंबर-09
		7	397.02	सितंबर-09
		7	421.2	सितंबर-09
		214	19.8	मार्च-10
2.	असम	31	1113.8	दिसंबर-10
		31	1075.323	दिसंबर-10
		31	1029	दिसंबर-10
		31	1083.085	दिसंबर-10
		54	122.75	दिसंबर-10
		54	58.72	दिसंबर-10
		37	0.727	मार्च-10
		37	240.11	दिसंबर-10
		37	14.092	मार्च-10
		54	298.98	जून-10
		54	150.526	दिसंबर-10
		54	169.617	दिसंबर-10
		54	179.283	दिसंबर-10
		54	185.73	दिसंबर-10
		54	189.302	दिसंबर-10
		54	150.592	दिसंबर-10
		31सी	88.05	दिसंबर-10
		31सी	79.829	दिसंबर-10
		37	118	मार्च-10
		37	587	जून-10
3.	बिहार	28	516.035	दिसंबर-10
		47	238.00	दिसंबर-10
		57	223.782	दिसंबर-10
		57	210.00	दिसंबर-10
		57	61.954	जून-10
		57	83.84	दिसंबर-10
		57	105.85	दिसंबर-10
		288	451.927	दिसंबर-10
		28	368.9	मार्च-10
		31	चुकटी एलसी	मार्च-11
4.	छत्तीसगढ़	6	262	दिसंबर-09
		6	281.800	दिसंबर-09
		200	114/4	जुलाई-09
5.	गुजरात	8ए	210.942	जुलाई-09
		8ए	267.100	अगस्त-09
		8	205.900	जुलाई-09
		8	225.700	जुलाई-09
		8	262.625	जुलाई-09
6.	झारखंड	33	132	अक्तूबर-10

1	2	3	4	5
7.	जम्मू और कश्मीर	1ए	48.45	अगस्त-09
		1ए	14.11	जून-10
8.	कर्नाटक	7	24/650	नवंबर-09
		7	508/129	सितंबर-09
		7	518	अगस्त-09
		7	524	अगस्त-09
		17	364.365	मार्च-10
		4	256+762	जून-10
		4	311	जून-10
		4	28	जून-10
9.	केरल	47	320.09	दिसंबर-09
		47	209	मार्च-12
		17	437.375	सितंबर-10
		17	90.659	जनवरी-11
10.	महाराष्ट्र	7	22.865	दिसंबर-09
		7	37.417	जनवरी-10
		7	76.39	दिसंबर-09
		3	445.235	दिसंबर-09
		3	451.090	दिसंबर-09
		3	458.978	दिसंबर-09
		3	486.522	दिसंबर-09
		3	494.767	दिसंबर-09
		3	514.488	दिसंबर-09
		3	265.00	जुलाई-09
		7	73.45	जून-10
11.	मध्य प्रदेश	26	3	जून-10
		26	322.369	दिसंबर-10
		7	606	जून-10
		3 और 75	1.279	अक्तूबर-10
		3 और 75	7.792	अक्तूबर-10
12.	उड़ीसा	5	297.154	मार्च-10
13.	पंजाब	1ए	83+100	अक्तूबर-10
		1ए	111+444	जून-10
		1ए	115+910	जून-10
		1ए	9+508.790	दिसंबर-09
		1	408.51	सितंबर-09
		1	415.208	सितंबर-09
		1	451.249	सितंबर-09
		1	455.672	सितंबर-09
		21	41.65	जून-10
		21	41.001	अगस्त-10
14.	राजस्थान	3	53.145	मई-11
		76	16.443	जून-10
15.	तमिलनाडु	45	318.614	सितंबर-09
		45	310.682	सितंबर-09
		45	321.6	दिसंबर-09
		4 और 5	14.1	दिसंबर-09
		47	20.538	दिसंबर-09
		47	23.150	दिसंबर-09
		7	375.398	जुलाई-09
		7	394.786	जुलाई-09
		7	210.306	सितंबर-10
		7	232.677	सितंबर-09
		7	221.035	जुलाई-09
		7	0.290 (मदुरै बाइपास)	सितंबर-09

1	2	3	4	5
		7	8.844 (मदुरै बाइपास)	सितंबर-09
		7	47.136	सितंबर-09
		7	142.676	सितंबर-09
		7	153.681	सितंबर-09
		7	169.977	सितंबर-09
		7	66.872	सितंबर-09
		47	1.604	मार्च-10
		45-बी	174/100	जनवरी-11
		45-बी	259.655	जनवरी-11
		67	83.4	जुलाई-11
		67	81.4	मार्च-10
		67	129/183	मार्च-10
		67	135/729	मार्च-10
		7	163/350	अगस्त-09
16.	उत्तर प्रदेश	24	181	अगस्त-09
		28	20.45	अक्तूबर-09
		28	83.275	अक्तूबर-09
		28	1.25	सितंबर-09
		28	1.975	सितंबर-09
		28-सी	11.6	सितंबर-09
		56ए और बी	4	जून-10
		56ए और बी	14	जून-10
		58	69.49	मार्च-11
		58	87.575	मार्च-11
		58	114.3	मार्च-11
		2	241	जुलाई-09
		28	200.838	दिसंबर-09
		28	244.2	दिसंबर-09
		28	25.893	अक्तूबर-09
		2 और 3	34.048	फरवरी-11
		2 और 3	13.375	फरवरी-11
		2 और 3	0.34	फरवरी-11
		2 और 3	8.99	फरवरी-11
		25	96.4	सितंबर-09
		25	121.53	मार्च-10
		25	218.989	मार्च-10
		25	101.456	सितंबर-09
		2	219	दिसंबर-09
17.	उत्तराखंड	72	175	जनवरी-10
18.	पश्चिम बंगाल	41	2.076	सितंबर-10
		41	13.058	सितंबर-10
		41	29.5	सितंबर-10

राष्ट्रीय राजमार्गों की प्रगति

446. श्री दुष्यंत सिंह: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग-76 (पश्चिम गलियारा) कोटा-बारन खंड राष्ट्रीय राजमार्ग-76 के पिंडवारा-उदयपुर खंड, राष्ट्रीय राजमार्ग-11 की जयपुर-आगरा सड़क और राष्ट्रीय राजमार्ग-8 की जयपुर-दिल्ली सड़क सहित देश के अनेक भागों में राष्ट्रीय राजमार्गों का रखरखाव असंतोषजनक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) राजस्थान सहित देश में चार लेन की सड़क बनाने संबंधी कार्यों की स्थिति क्या है और इन परियोजनाओं के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई, इनकी अनुमानित लागत कितनी है तथा कितनी धनराशि उपयोग में लाई गई है; और

(घ) राजमार्गों को चार लेन/छह लेन का बनाने संबंधी कार्यों को शीघ्र पूरा करने और मौजूदा सड़कों के रखरखाव में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर आर.पी.एन. सिंह): (क) से (घ) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और अनुरक्षण एक सतत् प्रक्रिया है और देश में राष्ट्रीय राजमार्गों को यातायात घनत्व और कार्यों की पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध संसाधनों के अंदर यातायात योग्य स्थिति में रखा जाता है। तदनुसार बाढ़, वर्षा आदि से विभिन्न राज्यों में क्षति-ग्रस्त राष्ट्रीय राजमार्गों के खंडों को बहाल करने के लिए समय-समय पर कार्य किए जाते हैं ताकि ऐसे खंडों को यातायात योग्य स्थिति में रखा जा सके। जहां कहीं भी 4/6 लेन बनाने का कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत कार्यान्वयन के अधीन है वहां विद्यमान सड़कों को यातायात योग्य स्थिति में रखने के लिए ठेकेदार/रियायतग्राही द्वारा, ठेका/रियायत करार के अंतर्गत अपने दायित्व के तौर पर, इनका अनुरक्षण कार्य किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों के विद्यमान खंडों का अनुरक्षण कार्य या तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है या फिर जहां ऐसे खंडों में 4/6 लेन बनाने का कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं हुआ है, वहां भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गई धनराशि से संबंधित राज्य लोक निर्माण विभागों के माध्यम से अनुरक्षण कराया जाता है। राजस्थान राज्य के राष्ट्रीय राजमार्गों सहित ऐसे सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को धनराशि की उपलब्धता, यातायात घनत्व, क्षति की सीमा तथा पारस्परिक प्राथमिकता के अनुसार यातायात योग्य स्थिति में रखा जाता है।

राष्ट्रीय राजमार्गों को 4 लेन मानक का बनाने का कार्य मुख्यत: राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण 1, 2 और 3 के अंतर्गत किया जा रहा है। राजस्थान सहित देश में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण 1, 2 और 3 के अंतर्गत कार्यों की ब्यौरे-वार स्थिति संलग्न विवरण-I में दी गई है जिसमें कुल लम्बाई, अनुमोदित अनुमानित लागत किया गया व्यय (31.03.2009 तक), पूर्ण हो चुकी लम्बाई, कार्यान्वयन के अधीन लम्बाई आदि दर्शाई गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत निधियों का राज्य-वार और परियोजना-वार आबंटन नहीं किया जाता है और राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना पर व्यय, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को आबंटित निधियों से पूरा किया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना से भिन्न कुछ रारा खंडों को 4 लेन का बनाने का कार्य, राज्य लोक निर्माण विभागों और सीमा सड़क संगठन द्वारा भी किया जाता है। रारा खंडों की लगभग 153 कि.मी. लम्बाई में जारी ऐसे सुधार कार्यों की कुल संस्वीकृत लागत 762.68 करोड़ रुपए है। इन पर किया गया व्यय लगभग 340 करोड़ रुपए है। राष्ट्रीय राजमार्गों को तीव्रता से 4/6 लेन का बनाने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण I

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के चरण-I, II और III की 31.05.2009 तक की समग्र स्थिति

एनएचडीपी चरण	कुल लम्बाई (कि.मी.)	अनुमोदित अनुमानित लागत (करोड़ रुपए में)	31.3.2009 तक व्यय (करोड़ रुपए में)	पूर्ण हो चुकी लम्बाई (कि.मी.)	कार्यान्वयन के अधीन लम्बाई (कि.मी.)	शेष लम्बाई (कि.मी.)	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि
चरण-I जीक्यू, ईडब्ल्यू, एनएस कारिडोर, पोर्ट कनेक्टीविटी	7,498	30,300	35408.24	7196	296	6	मार्च 2010 तक जीक्यू का 99% कार्य सम्पूर्ण हो जाएगा।
चरण-II पूरब-पश्चिम-उत्तर-दक्षिण कारडिरो, अन्य में 4/6 लेन बनाना	6,647	34,339	29334.82	3059	2836	752	दिसम्बर, 2010
चरण-III उन्नयन 4/6 लेन बनाना	12,109	80,626	8431.06	859	1888	9446	दिसम्बर, 2013

विवरण II

राष्ट्रीय राजमार्गों को तीव्रता से 4/6 लेन का बनाने के लिए किए गए उपाय:-

(क) विभिन्न स्तरों पर ठेकों की नियमित निगरानी की जाती है।

(ख) राज्य सरकारों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना से संबंधित समस्याओं जैसे भूमि अधिग्रहण, सुविधाओं के स्थानांतरण, वन/प्रदूषण/पर्यावरण स्वीकृति आदि के समाधान के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की नोडल अधिकारियों के रूप में नियुक्ति की गई है। ये नोडल अधिकारी परियोजनाओं की समीक्षा के लिए समय-समय पर बैठकें करते हैं तथा समस्याओं के समाधान के लिए कार्रवाई करते हैं।

(ग) भूमि अधिग्रहण, सुविधाओं के स्थानांतरण, पर्यावरण संबंधी अनुमोदन, सड़क उपरि पुलों की स्वीकृति आदि जैसे अंतर-मंत्रालयी और केन्द्र-राज्य मुद्दों के समाधान के लिए मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की एक समिति का गठन किया गया है।

(घ) भूमि अधिग्रहण की अधिसूचनाएं जारी करने की प्रक्रिया अब आसान बना दी गई है।

(ङ) सड़क उपरि पुलों के शीघ्र निर्माण के लिए रेलवे के एक अधिकारी को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में तैनात किया गया है ताकि रेल मंत्रालय के साथ समन्वय किया जा सके। कुछ सड़क उपरि पुलों के निर्माण के लिए मै. इरकान इंटरनेशनल लि. के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(च) नान-पर्फोमिंग ठेकेदारों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है और उन्हें तब तक भावी परियोजनाओं के लिए निविदाएं देने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक वे विद्यमान ठेकों में अपने कार्य निष्पादन में सुधार नहीं कर लेते।

(छ) ठेकेदार के अनुरोध पर ब्याजशुदा विवेकाधीन अग्रिम प्रदान करके, समान राशि की बैंक गारंटी पर रिटेंशन मनी जारी करके, अग्रिम ब्याज आधार पर अग्रिमों की वसूली स्थगित करके तथा न्यूनतम अंतरिम भुगतान प्रमाणपत्र (आईपीसी) राशि में छूट प्रदान करके ठेकेदारों की नकदी की व्यवस्था संबंधी समस्या में सुधार लाने के उपाय किए गए हैं।

बांग्लादेशियों का अवैध प्रवेश

447. श्रीमती मेनका गांधी: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या व्यापक स्तर पर बांग्लादेशियों के अवैध प्रवेश ने सिलीगुड़ी और डोर क्षेत्र की संपूर्ण जनसांख्यिकी को परिवर्तित कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के अवैध प्रवेश को रोकने के लिए सरकार ने क्या सुधारात्मक कार्रवाई की है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) बांग्लादेश के साथ भारत की लम्बी और सुभेद्य सीमा भौगोलिक समीपता, पारिवारिक संबंध और नृजातीय एकरूपता, साथ ही भारत में बेहतर आर्थिक अवसरों के परिणामस्वरूप बांग्लादेश से अवैध आप्रवासन होता है। चूंकि अभी हाल में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है इसलिए यह बिल्कुल निश्चित तौर पर बताना सम्भव नहीं है कि कितने बंगलादेशी आप्रवासियों ने प्रछन्न रूप से सीमा पार की है।

विदेशी नागरिकों को वापस भेजने की शक्ति विदेशी विषयक अधिनियम, 1946 की धारा 3(2) (ग) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार में निहित है। नियत अवधि से अधिक अवधि तक अवैध रूप से ठहरने वाले विदेशी नागरिक की पहचान करने और उन्हें वापस भेजने की शक्तियां राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को भी प्रत्यायोजित की गई हैं। अवैध बंगलादेशी आप्रवासियों के संसूचन या निर्वासन के लिए क्रियाविधि भी बना दी गई है और उसे सतत आधार पर कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को परिचालित कर दिया गया है।

बंग्लादेश से अवैध आप्रवासन को रोकने के लिए भारत सरकार ने एक बहुआयामी नीति अंगीकार की है जिसमें निम्नलिखित उपाय करना शामिल हैं:-

(1) सीमा सड़क निर्माण, सीमा पर बाढ़ लगाना और तेज रोशनी की व्यवस्था करना।

(2) सीमा सुरक्षा बल द्वारा सीमा की चौबीसों घंटे निगरानी।

(3) प्रभावी सीमा अधिपत्य के लिए अन्तर-बीओपी दूरी कम करने हेतु बंगलादेश सीमा पर 1185 सीमा बाह्य चौकियों की स्थापना किया जाना जिनमें से 802 बाह्य चौकियां पहले ही स्थापित की जा चुकी हैं। शेष 383 बीओपी स्थापित करने को मंजूरी दे दी गई है।

(4) नाईट विजन डिवाइस सहित उच्च तकनीक वाले निगरानी उपस्करों को लगाना।

[हिन्दी]

आत्महत्या के मामले

448. डॉ. मुरली मनोहर जोशी:
श्री अनंत कुमार हेगड़े:
डा. के.एस. राव:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में आत्महत्या के मामलों में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्यवार और महिला-पुरुषवार ऐसे कुल कितने मामले पंजीकृत किए गए;

(ग) किस आयु समूह में आत्महत्या की अधिकतम दर रिकार्ड की गई है;

(घ) क्या सरकार ने इसके कारणों का पता लगाया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस समस्या के समाधान के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा समेकित जानकारी के अनुसार, 2005 से 2007 के दौरान देश में सूचित आत्महत्याओं की कुल संख्या क्रमश: 113914, 118112 एवं 122637 थी, जो बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाती है।

(ख) 2005 से 2007 के दौरान राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा एनसीआरबी को दी गयी सूचना के अनुसार, आत्महत्या करने वाले व्यक्तियों की राज्य/संघ शासित प्रदेश एवं लिंगवार संख्या संलग्न विवरण-I में है।

(ग) 2005 से 2007 के प्रत्येक वर्षों में 15-29 वर्षों की आयु समूह में आत्महत्या करने वालों की संख्या सबसे अधिक थी।

(घ) और (ङ) आत्महत्या के कारणों का उद्गम एक व्यक्ति की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक मनोवैज्ञानिक एवं स्वास्थ्य की स्थिति से होता है। आत्महत्या बहुकारक, आवर्ती और प्रगतिशील प्रकृति की हैं। इनमें से प्रमुख मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं, खिन्नता, खंडित मनसिकता, अल्कोहल का आदी, प्रभावी अव्यवस्थाएं, मादक पदार्थों पर निर्भरता, समायोजन अव्यवस्थाएं, मानसिक स्थिति एवं व्यक्तित्व समस्याएं उन समस्याओं में अभिनिर्धारित की गयी हैं जो पूर्णत: और बारंबार आत्महत्या के कारक हैं। एनसीआरबी द्वारा किए गए समेकन के अनुसार 2005 से 2007 के दौरान की गयी आत्महत्याओं की कारणवार संख्या के ब्यौरे को संलग्न विवरण-II में दर्शाया गया है।

(च) 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अपने राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम को फिर से युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव है जिससे आत्महत्या रोकथाम सेवाओं संबंधी अतिरिक्त घटकों, कार्यस्थल पर दबाव प्रबंधन, जीवन कौशल प्रशिक्षण तथा विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में परामर्श सहित देश में अधिकाधिक जिलों में जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम को प्रसारित किया जा सके।

विवरण I

2005-2007 के दौरान आत्महत्याओं की राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघशासित प्रदेश	2005			2006			2007		
		पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
राज्य:										
1.	आंध्र प्रदेश	8865	4577	13442	8863	4413	13276	9949	4933	14882
2.	अरुणाचल प्रदेश	49	21	70	96	33	129	98	31	129
3.	असम	1951	895	2846	2116	915	3031	2116	946	3062
4.	बिहार	327	216	543	299	319	618	534	431	965

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	छत्तीसगढ़	3305	1576	4881	3060	1566	4626	3256	1583	4839
6.	गोवा	197	85	282	183	92	275	178	92	270
7.	गुजरात	2902	1863	4765	3048	1987	5035	3375	2205	5580
8.	हरियाणा	1493	553	2046	1766	550	2316	1852	581	2433
9.	हिमाचल प्रदेश	214	145	359	301	150	457	258	144	402
10.	जम्मू और कश्मीर	196	98	294	152	110	262	153	81	234
11.	झारखंड	523	285	808	521	335	856	880	409	1289
12.	कर्नाटक	7707	3850	11557	8046	4104	12212	8392	3912	12304
13.	केरल	6830	2414	9244	6583	2443	9026	6588	2374	8962
14.	मध्य प्रदेश	2851	2597	5448	3503	2932	6435	3470	2859	6329
15.	महाराष्ट्र	9603	4823	14426	10510	4984	15494	10420	4764	15184
16.	मणिपुर	23	4	27	24	12	36	28	11	39
17.	मेघालय	50	21	71	69	23	92	60	27	87
18.	मिजोरम	47	8	55	60	10	70	22	6	28
19.	नागालैंड	21	6	27	19	9	28	17	7	24
20.	उड़ीसा	2554	1654	4208	2373	1692	4065	2488	1820	4308
21.	पंजाब	482	106	588	610	162	772	632	215	847
22.	राजस्थान	2858	1320	4178	2910	1353	4263	3154	1283	4437
23.	सिक्किम	62	47	109	98	47	145	84	38	122
24.	तमिलनाडु	7507	4569	12076	7509	4872	12381	8687	5124	13811
25.	त्रिपुरा	401	314	715	428	337	765	419	286	705
26.	उत्तर प्रदेश	1772	1677	3449	1761	1338	3099	2054	1873	3927
27.	उत्तराखंड	180	93	273	173	153	326	130	118	248
28.	पश्चिम बंगाल	8614	6401	15015	9120	6605	15725	8505	6355	14860
	कुल (राज्य)	71584	40218	111802	74203	41612	115815	77799	42508	120307
संघ शासित राज्यः										
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	86	53	139	96	37	133	100	56	156

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	चंडीगढ़	63	26	89	56	24	80	60	22	82
31.	दादरा और नगर हवेली	41	28	69	23	19	42	44	32	76
32.	दमन और दीव	25	7	32	14	8	22	6	9	15
33.	दिल्ली (संघ शासित)	777	468	1245	960	532	1492	966	515	1481
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	1	1	2	1	2	3
35.	पुडुचेरी	340	198	538	349	177	526	319	198	517
	कुल (संघ शासित राज्य)	1332	780	2112	1499	798	2297	1496	834	2330
	कुल (अखिल भारत)	72916	40998	113914	75702	42410	118112	79295	43342	122637

स्रोत: एनसीआरबी रिपोर्ट- भारत में दुर्घटनात्मक मौतें और आत्महत्याएं।

विवरण II

2005-2007 के दौरान आत्महत्याओं की कारणवार संख्या

क्र.सं.	आत्महत्या के कारण	2005			2006			2007		
		पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	दिवालिया या आर्थिक स्थिति में अचानक परिवर्तन	2688	407	3095	2918	402	3320	3010	302	3312
2.	संकास्पद/अवैध संबंध	562	658	1220	502	632	1134	586	713	1299
3.	विवाह रद्द होना/तय न होना	441	516	957	349	516	865	413	571	984
4.	बच्चे न होना (बांझपन/नपुसंकता)	223	552	775	186	456	642	233	568	801
5.	बीमारी	16209	8852	25061	17233	9386	26619	17703	9629	27332
	(1) एड्स/एस टी डी	694	405	1099	504	289	793	618	334	952
	(2) कैंसर	512	236	748	524	223	747	547	247	794
	(3) लकवा	571	219	790	377	160	537	327	169	496
	(4) पागलपन/मानसिक बीमारी	4947	2657	7604	5282	2763	8045	5611	3027	8638
	(5) अन्य दीर्घकालीन बीमारी	9485	5335	14820	10546	5951	16497	10660	5852	16452
6.	प्रिय व्यक्ति की मृत्यु	474	346	820	480	399	879	364	355	719
7.	दहेज विवाद	46	2305	2351	60	2276	2336	38	3110	3148
8.	तलाक	101	216	317	168	226	394	130	205	335
9.	नशे की लत/आदी	1951	81	2032	2097	91	2188	2250	82	2332

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	परीक्षा में असफलता	1280	1003	2283	1335	1043	2378	1086	890	1976
11.	सामाजिक प्रतिष्ठा में गिरावट	1035	537	1572	889	456	1345	695	410	1105
12.	पारिवारिक समस्याएं	15357	10084	25441	18672	12099	30771	18336	10902	29238
13.	वैचारिक कारण/हीरों की पूजा करना	141	74	215	180	109	289	161	100	261
14.	अनैतिक गर्भधारण	7	164	171	10	257	267	14	144	158
15.	प्रेम प्रसंग	1826	1670	3496	2195	1869	4064	1745	1638	3383
16.	शारीरिक अपमान (बलात्कार/निषिद्ध समागम आदि)	67	135	202	86	229	315	121	184	305
17.	निर्धनता	1948	600	2548	1995	648	2643	2147	662	2809
18.	पेशेवर/कैरियर समस्या	666	69	735	955	136	1091	1117	156	1273
19.	सम्पत्ति विवाद	1214	345	1559	1647	597	2244	1067	344	1411
20.	बेरोजगारी	1828	344	2172	1664	227	1891	2115	279	2394
21.	उपरोक्त श्रेणियों से अलग कारण	13063	6384	19447	10262	5016	15278	10285	5568	17653
22.	अज्ञात कारण	11789	5656	17445	11819	5340	17159	13879	6530	20490
	कुल	72916	40998	113914	75702	42410	118112	79295	43342	122637

फसलों की खरीद

449. श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यों से विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों में गेहूं, चावल, गन्ने और अन्य खरीफ फसलों की कितनी मात्रा में खरीद की गई; और

(ख) इससे कितने किसानों को लाभ पहुंचा?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थामस): (क) पिछले तीन वर्षों में केन्द्रीय पूल के लिए भारतीय खाद्य निगम और अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा खरीदे गए गेहूं, चावल और अन्य खरीद फसलों की राज्यवार मात्रा संलग्न विवरण में दी गई है। केन्द्रीय पूल के लिए सरकारी एजेंसियों द्वारा गन्ने की खरीदारी नहीं की जाती है।

(ख) यह आंकड़ा विभाग में नहीं रखा जाता है क्योंकि सभी किसान अपना उत्पादन (गेहूं और धान) न्यूनतम समर्थन मूल्य और सरकार द्वारा घोषित किसी प्रकार के प्रोत्साहन बोनस सहित भारतीय खाद्य निगम/राज्य एजेंसियों को बेचने के लिए स्वतंत्र होते हैं।

विवरण

विगत तीन रबी विपणन मौसम में गेहूं की राज्य-वार खरीद

(लाख टन में)

क्र.सं.	राज्य	2007-08	2008-09	2009-10*
1	2	3	4	5
1.	पंजाब	67.57	99.39	107.19
2.	हरियाणा	33.46	52.37	69.12
3.	उत्तर प्रदेश	5.49	31.37	37.39

1	2	3	4	5
4.	राजस्थान	3.84	9.35	11.45
5.	चंडीगढ़	–	0.10	0.12
6.	दिल्ली	0.01	0.06	0.00
7.	हिमाचल प्रदेश	–	उ.न.	0.01
8.	मध्य प्रदेश	0.57	24.10	19.18
9.	गुजरात	–	4.15	0.75
10.	बिहार	0.08	5.00	2.26
11.	उत्तराखंड	0.01	0.84	1.44
12.	छत्तीसगढ़	–	–	0
	जोड़	111.28	226.89	248.91

*2.7.2009 की स्थिति के अनुसार।

चावल की राज्यवार खरीद

(लाख टन)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2006-07	2007-08	2008-09*
1	2	3	4
अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00
आंध्र प्रदेश	53.28	74.17	75.48
अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00
असम	0.00	0.00	0.03
बिहार	4.76	5.12	10.24
चंडीगढ़	0.1	0.09	0.10
छत्तीसगढ़	28.65	27.43	25.57
दिल्ली	0.00	0.00	0.00
गुजरात	0.00	0.19	0.00
हरियाणा	17.77	15.72	14.25
हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00
जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.06
झारखंड	0.05	0.19	1.28
कर्नाटक	0.22	0.18	1.04
केरल	1.51	1.68	2.37
मध्य प्रदेश	0.74	0.69	2.09
महाराष्ट्र	0.97	1.60	2.39
नागालैंड	0.00	0.00	0.00
उड़ीसा	2.02	23.38	23.64
पुडुचेरी	0.07	0.06	0.06
पंजाब	78.29	79.08	85.44
राजस्थान	0.1	0.19	0.10
तमिलनाडु	10.77	9.68	11.29
उत्तर प्रदेश	25.59	28.91	36.11
उत्तराखंड	1.76	1.47	3.47
पश्चिम बंगाल	6.42	15.08	13.28
अखिल भारत जोड़	251.07	284.91	308.29

*2.7.2009 की स्थिति के अनुसार।

मोटे अनाजों की राज्यवार खरीद

(हजार टन)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2006-07	2007-08	2008-09*
आंध्र प्रदेश	–	61	179
छत्तीसगढ़	–	2	9
गुजरात	–	–	–
हरियाणा	–	124	310
कर्नाटक	–	14	712
मध्य प्रदेश	–	1	60
महाराष्ट्र	–	2	107
जोड़	–	204	1377

*30.6.2009 की स्थिति के अनुसार।

धोखाधड़ी के मामले

450. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली और एनसीआर सहित देश में धोखाधड़ी के मामलों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान पुलिस द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित राज्यवार ऐसे कुल कितने मामले दर्ज किए गए;

(ग) क्या दिल्ली और एनसीआर में बिल्डरों और अन्य व्यक्तियों द्वारा फ्लैटों के आबंटन में धोखाधड़ी के मामले प्रकाश में आए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा संकलित सूचना के अनुसार, वर्ष 2005 से 2007 के दौरान देश में सूचित धोखाधड़ी के क्रमश: 53625, 58076 और 65326 मामले थे, जोकि वृद्धि की प्रवृत्ति को दर्शाते हैं।

(ख) वर्ष 2005 से 2007 के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राज्यों द्वारा एनसीआरबी को सूचित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सहित धोखाधड़ी के मामलों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राज्य-वार संख्या विवरण में संलग्न है।

(ग) एनसीआरबी के पास फ्लैटों के आबंटन में बिल्डरों और अन्यों द्वारा की गई धोखाधड़ी से संबंधित कोई विशिष्ट सूचना नहीं है।

(घ) ''पुलिस'' और ''लोक व्यवस्था'' भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत राज्य के विषय हैं और इसलिए, अपराध के निवारण, पता लगाने, दर्ज करना और जांच करना तथा अपनी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के तंत्र के माध्यम से अपराधियों पर अभियोग चलाने की जिम्मेवारी मुख्यतया राज्य सरकारों की होती है। केन्द्र सरकार, तथापि, अपराध निवारण के मामले को अत्यधिक महत्व देती है और इसलिए राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को अपराध न्याय प्रणाली के प्रशासनों को उन्नत बनाने हेतु और अधिक ध्यान देने के लिए और अपराध के निवारण और नियंत्रण के लिए आवश्यक ऐसे उपायों हेतु, समय-समय पर सलाह देती रहती है।

विवरण

वर्ष 2005 से 2007 के दौरान धोखाधड़ी (आईपीसी की धारा 419 से 420) के तहत दर्ज मामले (सीआर), आरोप पत्र दाखिल मामले (सीएस), दोष सिद्ध मामले (सीवी), गिरफ्तार व्यक्ति (पीएआर), आरोप पत्र दाखिल व्यक्ति (पीसीएस) और दोष सिद्ध व्यक्ति (पीसीवी)

क्र.सं.	राज्य	2005						2006						2007					
		सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	आंध्र प्रदेश	7909	4337	293	5984	5609	695	8363	3906	393	6324	5483	802	8103	4339	357	6613	6448	548
2.	अरुणाचल प्रदेश	58	14	13	23	10	15	38	29	5	45	37	6	33	15	8	43	29	10
3.	असम	873	391	74	1053	604	96	905	550	125	934	568	162	895	496	125	951	675	144
4.	बिहार	1829	1216	85	2865	2230	127	2171	1237	151	2835	2231	268	2358	1767	145	3619	2871	239
5.	छत्तीसगढ़	431	325	94	458	462	156	507	417	47	610	496	70	467	426	34	615	658	51
6.	गोवा	58	29	10	73	58	12	55	22	2	50	32	2	55	18	2	50	28	3
7.	गुजरात	1541	1156	24	2686	2711	58	1529	1067	25	2417	2369	47	1116	955	28	1682	1790	69
8.	हरियाणा	1204	772	177	1261	1301	277	1424	776	129	1468	1430	221	1232	809	141	1470	1513	277
9.	हिमाचल प्रदेश	163	95	9	134	158	13	129	64	10	147	115	18	212	73	8	140	111	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
10.	जम्मू और कश्मीर	403	200	10	559	546	19	463	299	14	565	558	29	489	419	8	652	653	3
11.	झारखंड	643	433	65	590	176	81	833	471	58	633	631	159	814	482	141	675	714	155
12.	कर्नाटक	2909	1047	82	1891	1803	104	2910	850	64	1714	1439	87	3600	3598	76	2085	1964	118
13.	केरल	3261	2017	162	2573	2183	283	3316	2610	255	2803	3019	446	4216	2407	146	3613	3097	238
14.	मध्य प्रदेश	1292	1017	225	1740	1777	399	1522	1208	247	2128	2034	359	1661	1116	207	2156	2168	448
15.	महाराष्ट्र	6391	3588	107	7970	7804	169	6234	3883	136	7409	7112	213	6235	3689	103	7266	6516	163
16.	मणिपुर	122	3	0	76	3	0	82	2	4	14	4	3	93	4	0	20	4	0
17.	मेघालय	39	19	1	30	18	1	83	27	0	45	37	0	164	28	11	145	29	13
18.	मिजोरम	58	54	20	56	18	48	78	76	93	92	94	49	66	64	55	66	98	57
19.	नागालैंड	41	29	37	29	36	57	37	21	16	25	17	10	34	18	28	36	14	31
20.	उड़ीसा	1040	730	53	1089	1061	75	1364	926	60	1340	1321	82	1263	865	60	1200	1108	95
21.	पंजाब	2934	2213	182	3721	3558	366	3393	2749	296	4742	4071	670	3581	2632	380	4717	4468	708
22.	राजस्थान	8341	1698	452	2529	2526	574	10191	2102	522	3686	3679	896	11919	2388	435	4077	4061	711
23.	सिक्किम	44	8	1	15	8	1	37	18	1	48	31	1	34	8	7	34	23	7
24.	तमिलनाडु	2694	1403	304	1989	1701	469	2116	1524	211	2032	1633	344	2510	1411	177	2356	1881	224
25.	त्रिपुरा	59	32	6	24	25	5	84	38	6	51	31	9	85	84	4	42	42	2
26.	उत्तर प्रदेश	4556	2955	1154	5828	5075	1934	5142	3402	1334	6790	6027	2544	8399	4077	1577	12525	8310	3039
27.	उत्तराखंड	396	216	72	634	472	187	514	271	51	892	605	95	697	339	72	1245	824	185
28.	पश्चिम बंगाल	1760	825	46	1872	1088	63	1947	1022	28	2120	1361	49	2406	1270	40	2559	1427	53
	कुल राज्य	51019	26882	3758	47752	43021	6284	55467	29567	4283	51959	46465	7641	62736	33797	4375	60652	51524	7609
संघ शासित राज्य																			
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	13	4	1	19	9	1	15	18	1	18	25	1	23	8	2	39	13	3
30.	चंडीगढ़	161	73	19	197	104	31	232	94	31	251	138	40	170	56	23	120	123	72
31.	दादरा और नगर हवेली	10	5	0	6	6	0	10	2	1	6	5	3	10	4	0	16	5	0
32.	दमण और दीव	3	3	0	2	4	0	3	0	0	13	0	0	6	0	0	2	0	0
33.	दिल्ली (संघ शासित)	2378	1429	479	1836	1848	493	2313	1489	537	1641	1531	559	2336	1320	552	1524	1364	607
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पुडुचेरी	41	28	8	48	41	14	36	20	7	37	20	14	45	39	7	32	43	10
	कुल (संघ शासित राज्य)	2606	1542	507	2108	2012	539	2609	1623	577	1966	1719	617	2590	1427	584	1733	1548	692
	कुल (अखिल भारत)	53625	28424	4265	49860	45033	6823	58076	31190	4860	53925	48184	8258	65326	35224	4959	62385	53072	8301

स्रोत: भारत में अपराध

टिप्पणी: पूर्व वर्ष के लंबित मामलों की सूचना सहित पुलिस और न्यायालयों द्वारा दी गई सूचना।

मत्स्य उत्पादन

451. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत विशाल सामुद्रिक संसाधनों के बावजूद वैश्विक मत्स्य उत्पादन में निचले पायदान पर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान देश में कुल मत्स्य उत्पादन की मात्रा कितनी है;

(घ) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मत्स्य उत्पादन के लिए निर्धारित लक्ष्य के अलावा प्राप्त किए गए लक्ष्य का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उच्च आनुवांशिक गुणवत्ता और रोग रोधी मत्स्य बीज किसानों को वहनीय मूल्यों पर उपलब्ध कराए गए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थामस): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वर्ष	मत्स्य उत्पादन (मिलियन मीट्रिक टन में)
2005-06	6.57
2006-07	6.87
2007-08	7.13
2008-09 (अनन्तिम)	7.57

(घ) 10 मिलियन मीट्रिक टन। 2007-08 और 2008-09 के दौरान हासिल किया गया लक्ष्य उक्त (ग) के अनुसार है।

(ङ) और (च) केन्द्रीय ताजा जल जलकृषि संस्थान, भुवनेश्वर में उच्च उत्पादन निष्पादन के लिए उच्च गुणवत्ता वाली आनुवांशिक सामग्री का विकास किया गया है और उसे जयन्ती रोहू के नाम पर रिलीज किया गया है। रोग प्रतिरोध रोहू के विकास के लिए अनुसंधान चल रहा है। इसके अलावा, विशिष्ट रोग प्रतिरोध बीजों के उत्पादन के लिए हैचरियों और ब्रूड स्टाक के सृजन के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना के माध्यम से तथा राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड द्वारा वित्तीय समर्थन उपलब्ध कराया जाता है।

[अनुवाद]

केरल के किसानों के लिए राहत पैकेज

452. श्री पी. करुणाकरन:
श्री के.सी. वेणुगोपाल:
श्री एम.के. राघवन:
श्री पी.टी. थामस:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल के किसानों के लिए कुट्टानाड और इडुक्की पैकेज के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) उपरोक्त पैकेजों के अंतर्गत प्रस्तावित योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केरल की सरकार ने उपरोक्त कार्यक्रमों से संबद्ध शर्तों में कोई परिवर्तन का सुझाव दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उपरोक्त दो कार्यक्रमों के त्वरित कार्यान्वयन में आ रही रूकावटों को दूर करने के लिए सरकार ने कौन से कदम उठाए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थामस): (क) केरल सरकार ने कुट्टानाड पैकेज के अधीन 364.90 करोड़ रुपये की 26 परियोजनाएं तथा इडुक्की पैकेज के अधीन 401.76 करोड़ रुपये की 10 परियोजनाएं प्रस्तुत की हैं। कुट्टानाड पैकेज के अधीन ''पश्चजल (वेम्बानार्ड वेटलैण्ड) में जैव विभिन्नता बढ़ाने के उपाय'' से संबंधित परियोजना मंजूर की गई है और इस घटक के अधीन केरल राज्य सरकार के लिए 15.75 लाख रुपये निर्गत किए जा चुके हैं। इडुक्की पैकेज के अधीन 5 वर्ष की अवधि में कार्यान्वित किए जाने के लिए 230.58 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय से इडुक्की में काली मिर्च विकास कार्यक्रम मंजूर किया गया है।

(ख) 24.7.2008 को सरकार ने कुट्टानाड नम भूमि पारिस्थितिक प्रणाली के विकास हेतु विभिन्न कार्यक्रमों/हस्तक्षेपों के क्रियान्वयन लिए 1840.75 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान

करने के लिए सिद्धांतत: अनुमोदन दे दिया गया है। 20.11.2008 को सरकार ने इडुक्की जिले में कृषि संबंधी विपदाओं को कम करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों/हस्तक्षेपों के कार्यान्वयन के लिए 764.45 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता देने के लिए भी अनुमोदन दे दिया है।

कुट्टानाड और इडुक्की पैकेजों के अधीन परिकल्पित कार्यक्रमों/हस्तक्षेपों का क्रियान्वयन विद्यमान स्कीमों के अधीन तथा विद्यमान वित्त पोषण प्रतिमानों के अनुसार भारत सरकार के संबद्ध मंत्रालयों/विभागों द्वारा किया जायेगा। केरल सरकार शुरू किए जाने वाले कार्यकलापों की पहचान करके विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के बाद उचित प्रस्ताव आवश्यक निधियों की निर्मुक्ति हेतु ऐसी स्कीमों के लिए अनुमोदित दिशा निर्देशों/प्रक्रियाओं के अनुसार भारत सरकार के सम्बद्ध मंत्रालयों/विभागों को प्रस्तुत करेगा। दोनों पैकेजों के अधीन 50.00 लाख तक के वित्तीय परिव्यय वाले कार्यक्रम/हस्तक्षेप भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित किए जाएंगे।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) कुट्टानाड और इडुक्की पैकेज के अधीन केरल सरकार द्वारा प्रस्तुत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में कुछ आशोधन/परिशोधन की जरूरत है और केरल सरकार को पहले ही परियोजनाओं के मंजूरी में आने वाले मामलों को छांटने के लिए भारत सरकार के सम्बद्ध मंत्रालय/विभागों के साथ प्रभावीरूप से समन्वयन और विचार-विमर्श करने की सलाह दी जाती है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा मांगा गया बजटीय आवंटन

453. डॉ. प्रसन्न कुमार पाटसाणी: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने चालू परियोजनाओं के लिए 6000 करोड़ रुपए के बजटीय आवंटन की मांग की है तथा विभिन्न राज्य सरकार एजेंसियों तथा नगर निगम इकाइयों द्वारा सड़क निर्माण कार्य के लिए धनराशि निर्धारित की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अंतर्गत उड़ीसा राज्य सहित प्रत्येक राज्य में चिह्नित सड़कों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सड़क विस्तार के चयन के लिए अपनाए गए मापदण्ड क्या हैं; और

(घ) परियोजना को पूरा करने के लिए अपनाई गई कार्य योजना क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर आर.पी.एन. सिंह): (क) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण विकास परियोजना की योजनाओं के अंतर्गत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के आंतरिक एवं अतिरिक्त संसाधन (आईईबीआर) सहित वर्ष 2009-10 के लिए 13,317 करोड़ रुपए के बजट आबंटन की आवश्यकता का अनुमान लगाया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निधियां राज्य-वार निर्धारित नहीं की जाती हैं और राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना की योजनाओं के अंतर्गत प्रत्येक परियोजना के लिए व्यय, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के लिए किए गए समग्र आबंटन से पूरा किया जाता है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार की विभिन्न एजेंसियों और नगरपालिकाओं द्वारा किए जाने वाले सड़कों के निर्माण के लिए धनराशि, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा आबंटित नहीं की जाती है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

कीटनाशकों का विपरीत प्रभाव

454. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कीटनाशकों के उपयोग तथा प्रभाव में आने से आंध्र प्रदेश सहित राज्यवार प्रभावित किसानों/कृषि मजदूरों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या कीटनाशकों के उपयोग अधिक प्रभाव में आने से किसी की मृत्यु संबंधी बात प्रकाश में आई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रभावितों को बतौर क्षतिपूर्ति कोई राशि दी गई है;

(घ) यदि हां, तो राज्यवार कितने किसानों को क्षतिपूर्ति राशि दी गई है; और

(ङ) किसानों को कीटनाशकों के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक बनाने के लिए कौन-कौन से उपाय किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थामस): (क) और (ख) गत पांच वर्षों (2003-04 से 2007-08) के दौरान आंध्र प्रदेश सहित राज्यवार कीटनाशक विषाक्तता संबंधी मामलों (आत्महत्या संबंधी/मानवहत्या संबंधी/दुर्घटना संबंधी/व्यवसाय संबंधी) की संख्या दर्शाने वाला एक विवरण-I संलग्न है इन मामलों में निश्वसन/विगोपन के कारण प्रभावित कृषकों/कृषि कामगारों के विषाक्त हो जाने के मामले भी शामिल हैं।

निश्वसन/अत्यधिक विगोपन सहित विभिन्न कारणों की वजह से कीटनाशकों की विषाक्तता के कारण गत पांच वर्षों (2003-04 से 2007-08) के दौरान राज्यवार हुई मौतों (आत्महत्या संबंधी/मानवहत्या संबंधी/दुर्घटना संबंधी/व्यवसाय संबंधी) की संख्या दर्शाने वाला विवरण-II संलग्न है।

(ग) और (घ) यह सूचना केन्द्र सरकार द्वारा नहीं रखी जाती।

(ङ) केन्द्र तथा राज्य सरकारें कीटनाशकों के सुरक्षित तथा विवेकपूर्ण उपयोग के संबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करती हैं ताकि किसानों को शिक्षित किया जा सके और कीटनाशकों के दुरुपयोग संबंधी दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता लाई जा सके।

सरकार समेकित कृमि प्रबंधन की नीति को लोकप्रिय बना रही है जिसमें संवर्धनात्मक, यांत्रिक, जैविकीय और अन्य कृमि-नियंत्रण पद्धतियां तथा कीटनाशकों का केवल सुरक्षित और विवेकपूर्ण उपयोग शामिल है।

विवरण I

कीटनाशक विशाक्तता मामलों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

(गत पांच वर्षों के दौरान राज्यवार)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
1	2	3	4	5	6	7
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	एनआर	शून्य	शून्य	एनआर	एनआर
2.	आंध्र प्रदेश	51	708	शून्य	शून्य	219
3.	अरुणाचल प्रदेश	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
4.	असम	एनआर	शून्य	शून्य	एनआर	एनआर
5.	बिहार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
6.	चंडीगढ़	360	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
7.	छत्तीसगढ़	शून्य	शून्य	02	02	शून्य
8.	दादरा और नगर हवेली	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	शून्य
9.	दमन और दीव	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
10.	दिल्ली	एनआर	एनआर	शून्य	शून्य	एनआर
11.	गोवा	एनआर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
12.	गुजरात	एनआर	04	शून्य	03	02
13.	हरियाणा	409	361	439	373	280
14.	हिमाचल प्रदेश	13	03	11	11	13
15.	जम्मू और कश्मीर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	35
16.	झारखंड	शून्य	01	333	399	96
17.	कर्नाटक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
18.	केरल	560	1579	1181	504	943

1	2	3	4	5	6	7
19.	लक्षद्वीप	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
20.	मध्य प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
21.	महाराष्ट्र	2282	2665	7893	6604	2210
22.	मणिपुर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
23.	मेघालय	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
24.	मिजोरम	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
25.	नागालैंड	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
26.	उड़ीसा	शून्य	शून्य	28	शून्य	शून्य
27.	पुडुचेरी	230	676	1341	1232	1373
28.	पंजाब	474	748	284	262	320
29.	राजस्थान	397	249	333	317	235
30.	सिक्किम	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
31.	तमिलनाडु	शून्य	96	शून्य	शून्य	शून्य
32.	त्रिपुरा	शून्य	एनआर	शून्य	एनआर	एनआर
33.	उत्तराखंड	शून्य	शून्य	13	346	71
34.	उत्तर प्रदेश	एनआर	शून्य	1259	1414	108
35.	पश्चिम बंगाल	शून्य	एनआर	20	39	57
	कुल	4776	7090	13137	11506	5962

*विशाक्तता (आत्महत्या संबंधी/मानवहत्या संबंधी/दुर्घटना संबंधी/व्यवसाय संबंधी) हो सकती है

एनआर–सूचित नहीं

विवरण II

कीटनाशक विशाक्तता के मामलों के कारण हुई मौतों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

(गत पांच वर्षों के दौरान राज्यवार)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07	2007–08
1	2	3	4	5	6	7
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	एनआर	शून्य	शून्य	एनआर	एनआर
2.	आंध्र प्रदेश	19	708	शून्य	शून्य	25
3.	अरुणाचल प्रदेश	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर

1	2	3	4	5	6	7
4.	असम	एनआर	शून्य	शून्य	एनआर	एनआर
5.	बिहार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
6.	चंडीगढ़	83	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
7.	छत्तीसगढ़	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
8.	दादरा और नगर हवेली	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
9.	दमन और दीव	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
10.	दिल्ली	एनआर	एनआर	एनआर	शून्य	एनआर
11.	गोवा	एनआर	शून्य	एनआर	शून्य	शून्य
12.	गुजरात	एनआर	02	शून्य	03	02
13.	हरियाणा	81	57	67	48	40
14.	हिमाचल प्रदेश	05	01	05	03	2
15.	जम्मू और कश्मीर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	35
16.	झारखंड	शून्य	01	66	46	34
17.	कर्नाटक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
18.	केरल	124	387	310	96	203
19.	लक्षद्वीप	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
20.	मध्य प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
21.	महाराष्ट्र	414	557	1236	1413	174
22.	मणिपुर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
23.	मेघालय	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
24.	मिजोरम	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
25.	नागालैंड	शून्य	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
26.	उड़ीसा	16	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
27.	पुडुचेरी	90	17	16	40	25
28.	पंजाब	323	86	119	88	70
29.	राजस्थान	एनआर	223	331	317	59
30.	सिक्किम	शून्य	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
31.	तमिलनाडु	शून्य	96	शून्य	शून्य	शून्य

1	2	3	4	5	6	7
32.	त्रिपुरा	शून्य	एनआर	शून्य	एनआर	एनआर
33.	उत्तराखंड	एनआर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
34.	उत्तर प्रदेश	शून्य	शून्य	190	934	24
35.	पश्चिम बंगाल	शून्य	एनआर	01	01	शून्य
	कुल	1155	2135	2341	2989	693

*विशाक्तता (आत्महत्या संबंधी/मानवहत्या संबंधी/दुर्घटना संबंधी/व्यवसाय संबंधी) हो सकती है
एनआर–सूचित नहीं

[हिन्दी]

भूमि अधिग्रहण के बदले किसानों को दी गई क्षतिपूर्ति

455. श्री संजय सिंह चौहान: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जिन किसानों की भूमि का अधिग्रहण राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के लिए किया गया है उनको पर्याप्त क्षतिपूर्ति देने के लिए सरकार की नीति क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष में राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण हेतु अधिगृहीत भूमि के लिए सरकार ने क्या क्षतिपूर्ति का भुगतान किया है; और

(ग) यदि हां, तो दिल्ली-हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए अधिगृहीत भूमि के लिए जिन किसानों को भुगतान किया गया है उनकी संख्या कितनी है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर आर.पी.एन. सिंह): (क) राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए अधिगृहीत भूमि के लिए क्षतिपूर्ति का भुगतान, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3जी के प्रावधान के अनुसार किया जाता है।

(ख) जी, हां।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार आज तक 2924 किसानों को अधिगृहीत भूमि के लिए क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया है।

मत्स्यग्रहण क्षेत्रों के लिए सहायता

456. श्री के.डी. देशमुख:
श्री हरिन पाठक:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में पिछले कुछ समय के दौरान कुछ मत्स्य ग्रहण क्षेत्रों को शत प्रतिशत केन्द्रीय अनुदान की स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वित्तीय वर्ष में गुजरात के झखाऊ मत्स्य ग्रहण क्षेत्र सहित अन्य मत्स्य ग्रहण क्षेत्रों की राज्यवार स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का प्रस्ताव देश में नई प्रौद्योगिकी आधारित मत्स्य प्रशिक्षण संस्थान को स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कब तक स्थापित कर लिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थामस): (क) और (ख) जी, नहीं। केन्द्र सरकार ने विगत तीन वर्षों के दौरान देश में किसी भी मत्स्यन बंदरगाह के निर्माण के लिए 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता का अनुमोदन नहीं किया है। गुजरात के कच्छ जिले के झखाऊ में मई, 1993 में मात्स्यिकी बंदरगाह को 100% केन्द्रीय सहायता से अनुमोदित किया गया था क्योंकि इस स्थान का सामरिक महत्व था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

उपभोक्ता मंच का गठन

457. श्री अशोक कुमार रावत: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य तथा जिला स्तरों पर उपभोक्ता अदालतों/मंचों का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार इन अदालतों/मंचों की स्थापना हेतु राज्य सरकारों को कोई सहायता प्रदान करती है;

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ङ) राष्ट्रीय, राज्य तथा जिला स्तर पर अदालतों/मंचों में पंजीकृत, निपटाए गए तथा लंबित मामलों की राज्यवार संख्या कितनी है; और

(च) इन मामलों के लंबित होने के क्या कारण हैं तथा इनके शीघ्र निपटान हेतु क्या प्रभावी कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थामस): (क) जी, हां। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 9 के उपबंधों के अनुसरण में सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों ने राज्य और जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंचों अथवा उपभोक्ता मंचों की स्थापना कर ली है जिनको क्रमश: राज्य आयोग और जिला मंच कहा जाता है।

(ख) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा स्थापित राज्य आयोगों और जिला मंचों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दर्शाए गए हैं।

(ग) जिला और राज्य स्तर पर उपभोक्ता मंचों की स्थापना करना राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की जिम्मेदारी है।

तथापि, राज्यों के प्रयासों को संबल प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार ने उपभोक्ता मंचों के ढांचे को मजबूत बनाने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की है।

(घ) उपभोक्ता मंचों के आधार ढांचे को मजबूत बनाने के लिए पिछले तीन सालों के दौरान दी गई वित्तीय सहायता के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गये हैं।

(ङ) राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर उपभोक्ता मंचों में दायर किये गये, निपटाये गए और लम्बित मामलों की संख्या के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-III में दिए गये हैं।

(च) लम्बित मामलों की संख्या में वृद्धि सामान्यतया उपभोक्ता मंचों में अध्यक्ष/सदस्यों के रिक्त पदों को लम्बे समय से न भरे जाने के कारण मंचों द्वारा काम न किए जाने के कारण होती है। मामलों के लम्बित होने के अन्य कारण कर्मचारियों की कमी, आधार ढांचे की अपर्याप्तता और उपभोक्ता जागरूकता बढ़ने के कारण अधिक मामले दायर किए जाना है। उपभोक्ता मंचों के अबाध कार्यकरण को सुनिश्चित करने तथा लम्बित मामलों की संख्या को कम करने के लिए केन्द्र सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से निम्नलिखित उपाय करने का अनुरोध किया है:-

(1) रिक्त पदों को भरने के लिए अग्रिम कार्रवाई करना।

(2) रिक्त पदों को भरने के लिए अभ्यर्थियों का एक पैनल बनाना।

(3) जहां अपेक्षित हो पड़ोसी जिला मंचों को एक साथ मिलाना।

(4) लम्बित मामलों को निपटाने के लिए जहां संभव हो लोक अदालत की तर्ज को अपनाना।

(5) उपभोक्ता मंचों को पर्याप्त स्टाफ और आधार ढांचा संबंधी सुविधाएं प्रदान करना।

इसके अलावा उपभोक्ता संगठन अधिनियम, 1986 में 2002 में संशोधन करके किसी कारणवश अध्यक्ष के अनुपस्थित होने पर राज्य आयोग अथवा जिला मंच व वरिष्ठतम सदस्य द्वारा मंच की अध्यक्षता करने की व्यवस्था की गई है ताकि उपभोक्ता मंच कार्य करता रहे। इन उपायों से मामलों के निपटान में तेजी आई। जैसा कि ऊपर (घ) में कहा गया है केन्द्र सरकार ने उपभोक्ता मंचों के आधार ढांचे को मजबूत बनाने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की है ताकि प्रत्येक उपभोक्ता मंच को उसके प्रभावी कार्यकरण के लिए अपेक्षित सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

विवरण I

उपभोक्ता मंचों की स्थापना के बारे में राज्य-वार सूचना

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	स्थापित किए गए उपभोक्ता मंचों की संख्या		निम्नलिखित तारीख को
		राज्य आयोग	जिला मंच	
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1	29	31.03.2009
2.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	1	31.03.2006

1	2	3	4	5
3.	अरुणाचल प्रदेश	1	16	31.03.2009
4.	असम	1	23	31.03.2009
5.	बिहार	1	38	31.03.2009
6.	चंडीगढ़	1	2	31.03.2009
7.	छत्तीसगढ़	1	16	31.03.2009
8.	दमण व दीव	1	2	30.06.2008
9.	दादरा व नगर हवेली	1	1	30.09.2008
10.	दिल्ली	1	10	31.03.2009
11.	गोवा	1	2	31.01.2009
12.	गुजरात	1	30	31.03.2009
13.	हरियाणा	1	19	31.03.2009
14.	हिमाचल प्रदेश	1	12	31.03.2009
15.	जम्मू व कश्मीर	1	2	31.03.2009
16.	झारखंड	1	22	30.06.2008
17.	कर्नाटक	1	30	31.03.2009
18.	केरल	1	14	30.06.2008
19.	लक्षद्वीप	1	1	31.03.2009
20.	मध्य प्रदेश	1	48	31.03.2009
21.	महाराष्ट्र	1	40	31.03.2009
22.	मणिपुर	1	9	31.12.2008
23.	मेघालय	1	7	31.12.2008
24.	मिजोरम	1	8	31.03.2009
25.	नागालैंड	1	8	31.12.2008
26.	उड़ीसा	1	31	31.03.2009
27.	पुडुचेरी	1	1	31.03.2009
28.	पंजाब	1	20	31.03.2009
29.	राजस्थान	1	33	31.03.2009
30.	सिक्किम	1	4	31.12.2008

1	2	3	4	5
31.	तमिलनाडु	1	30	31.03.2009
32.	त्रिपुरा	1	4	31.03.2009
33.	उत्तर प्रदेश	1	74	31.03.2009
34.	उत्तराखंड	1	13	31.03.2009
35.	पश्चिम बंगाल	1	21	31.12.2008
	कुल	35	621	

विवरण II

उपभोक्ता मंचों के आधार-ढांचे के सुदृढ़ीकरण के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान दी गई सहायता के राज्यवार ब्यौरे

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	पिछले तीन सालों में दी गई सहायता			रिलीज की गई कुल राशि
		2006-07	2007-08	2008-09	
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	3,99.85	–	2,10.85	6,10.70
2.	अरुणाचल प्रदेश	2,57.80	1,46.75	–	4,04.55
3.	छत्तीसगढ़	2,98.22	1,94.42	–	4,92.64
4.	गुजरात	3,31.92	2,96.25	5,08.25	11,36.42
5.	हरियाणा	–	1,86.59	–	1,86.59
6.	हिमाचल प्रदेश	1,97.27	7.80	–	2,05.07
7.	कर्नाटक	–	5,42.11	3,84.61	9,26.72
8.	केरल	2,65.50	1,66.50	–	4,32.00
9.	मध्य प्रदेश	4,49.52	2,20.52	–	6,70.04
10.	महाराष्ट्र	3,11.24	93.00	–	4,04.24
11.	मणिपुर	–	1,07.49	–	1,07.49
12.	मेघालय	75.86	–	–	75.86
13.	मिजोरम	1,54.50	91.50	–	2,46.00
14.	उड़ीसा	2,96.61	–	1,03.50	4,00.11
15.	पंजाब	–	1,23.43	–	1,23.43

1	2	3	4	5	6
16.	राजस्थान	2,73.30	–	–	2,73.30
17.	सिक्किम	67.30	42.00	–	1,09.30
18.	त्रिपुरा	51.20	–	20.85	72.05
19.	उत्तराखंड	1,43.04	96.50	–	2,39.54
20.	उत्तर प्रदेश	4,59.00	9,53.19	9.81	14,94.00
21.	पश्चिम बंगाल	–	91.70	–	91.70
	कुल	40,32.13	33,49.75	13,19.87	87,01.75

विवरण III

राष्ट्रीय आयोग और राज्य आयोगों में दायर किए गए/निपटाए गए/लंबित मामलों का विवरण

क्र.सं.	विवरण	स्थापना काल से दायर किए गए मामले	स्थापना काल से निपटाए गए मामले	लंबित मामले	निपटान का प्रतिशत	निम्नलिखित तारीख को निपटान
1	2	3	4	5	6	7
	राष्ट्रीय आयोग	58720	50355	8365	85.75	30.04.2009
	राज्य आयोग					
1.	आंध्र प्रदेश	23893	20361	3532	85.22	30.04.2009
2.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	42	38	4	90.48	31.01.2008
3.	अरुणाचल प्रदेश	52	40	12	76.92	31.03.2009
4.	असम	2237	1226	1011	54.81	30.04.2009
5.	बिहार	12939	9275	3664	71.68	31.03.2009
6.	चंडीगढ़	9983	8934	1049	89.49	30.04.2009
7.	छत्तीसगढ़	5381	4680	701	86.97	31.05.2009
8.	दमण व दीव और दादरा व नगर हवेली	29	29	0	100.00	30.09.2008
9.	दिल्ली	29385	28465	920	96.87	30.04.2009
10.	गोवा	2036	1892	144	92.93	31.01.2009
11.	गुजरात	30659	24956	5703	81.40	30.04.2009
12.	हरियाणा	37228	23005	14223	61.79	31.05.2009

1	2	3	4	5	6	7
13.	हिमाचल प्रदेश	6153	5508	645	89.52	30.04.2009
14.	जम्मू व कश्मीर	5630	4838	792	85.93	31.03.2009
15.	झारखंड	3998	2941	1057	73.56	30.04.2009
16.	कर्नाटक	29140	28584	556	98.09	31.05.2009
17.	केरल	21993	19307	2686	87.79	30.04.2009
18.	लक्षद्वीप	16	15	1	93.75	31.05.2009
19.	मध्य प्रदेश	32097	29231	2866	91.07	31.03.2009
20.	महाराष्ट्र	46889	29378	17511	62.65	30.04.2009
21.	मणिपुर	139	96	43	69.06	30.09.2008
22.	मेघालय	115	109	6	94.78	31.05.2007
23.	मिजोरम	154	146	8	94.81	30.04.2009
24.	नागालैंड	94	64	30	68.09	31.12.2006
25.	उड़ीसा	18336	11099	7237	60.53	30.04.2009
26.	पुडुचेरी	878	823	55	93.74	30.04.2009
27.	पंजाब	21923	16694	5229	76.15	30.04.2009
28.	राजस्थान	40979	37125	3854	90.60	3105.2009
29.	सिक्किम	31	31	0	100.00	31.03.2009
30.	तमिलनाडु	20565	17791	2774	86.51	30.04.2009
31.	त्रिपुरा	1142	1130	12	98.95	31.05.2009
32.	उत्तर प्रदेश	55216	22523	32693	40.79	30.04.2009
33.	उत्तराखंड	3501	2722	779	77.75	30.04.2009
34.	पश्चिम बंगाल	12769	12164	605	95.26	31.12.2008
	कुल	475622	365220	110402	76.79	

जिला मंचों में दायर किए गए/निपटाए गए/लंबित मामलों का विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	स्थापना काल से दायर किए गए मामले	स्थापना काल से निपटाए गए मामले	लंबित मामले	निपटान का प्रतिशत	निम्नलिखित तारीख को निपटान
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	174222	169385	4837	97.22	30.04.2009
2.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	330	301	29	91.21	31.03.2006

1	2	3	4	5	6	7
3.	अरुणाचल प्रदेश	297	258	39	86.87	31.03.2009
4.	असम	12720	11539	1181	90.72	31.01.2009
5.	बिहार	73843	62913	10930	85.20	31.03.2009
6.	चंडीगढ़	38084	37104	980	97.43	30.04.2009
7.	छत्तीसगढ़	28565	25857	2708	90.52	31.05.2009
8.	दमण व दीव और दादरा व नगर हवेली	129	103	26	79.84	30.09.2008
9.	दिल्ली	198507	184869	13638	93.13	31.03.2009
10.	गोवा	5698	5076	622	89.08	31.01.2009
11.	गुजरात	142563	120550	22013	84.56	30.04.2009
12.	हरियाणा	181465	162082	19383	89.32	31.05.2009
13.	हिमाचल प्रदेश	48721	45888	2833	94.19	30.04.2009
14.	जम्मू व कश्मीर	20792	18855	1937	90.68	31.12.2007
15.	झारखंड	29991	27729	2262	92.46	30.04.2009
16.	कर्नाटक	120787	116894	3984	96.70	31.05.2009
17.	केरल	159516	150837	8679	94.56	31.03.2009
18.	लक्षद्वीप	55	55	0	100.00	31.05.2009
19.	मध्य प्रदेश	136567	125886	10681	92.18	31.03.2009
20.	महाराष्ट्र	214188	197573	16615	92.24	30.04.2009
21.	मणिपुर	1037	1012	25	97.59	30.09.2008
22.	मेघालय	322	308	14	95.65	31.03.2007
23.	मिजोरम	2065	2011	54	97.38	31.12.2006
24.	नागालैंड	246	205	41	83.33	30.06.2006
25.	उड़ीसा	77662	72973	4689	93.96	30.04.2009
26.	पुडुचेरी	2600	2466	134	94.85	30.04.2009
27.	पंजाब	118626	113485	5141	95.67	30.04.2009
28.	राजस्थान	232971	216057	16914	92.74	31.05.2009
29.	सिक्किम	234	221	13	94.44	31.03.2009

1	2	3	4	5	6	7
30.	तमिलनाडु	89535	81726	7809	91.28	30.04.2009
31.	त्रिपुरा	2015	1807	208	89.68	30.09.2008
32.	उत्तर प्रदेश	472000	391036	80964	82.85	30.04.2009
33.	उत्तराखंड	30382	28484	1898	93.75	30.04.2009
34.	पश्चिम बंगाल	66155	61905	4250	93.58	30.11.2008
	कुल	2682981	2437450	245531	90.85	

[अनुवाद]

गुजरात में तटीय राजमार्गों का उन्नयन

458. श्री हरिन पाठक: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात के तटों सहित तटीय राज्यमार्गों के सभी खण्डों का राष्ट्रीय राजमार्गों में उन्नयन कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) उन्नयन कार्य को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है;

(घ) क्या गुजरात के नजदीक संघ राज्य क्षेत्रों को जोड़ने वाली सड़कों का राष्ट्रीय राजमार्गों में उन्नयन नहीं किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इसको कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर आर.पी.एन. सिंह): (क) से (ङ) तटीय राजमार्गों की लगभग 1729 कि.मी. कुल लम्बाई में से केवल लगभग 660 कि.मी. में राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और शेष राज्यीय राजमार्ग हैं। गुजरात को संघ राज्य क्षेत्रों से जोड़ने वाली निम्नलिखित सड़कें राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं हैं:-

1.	उना-देलवाडा-अहमदपुर मांडवी-दीउ सड़क	11 कि.मी.
2.	वापी-दमन सड़क	09 कि.मी.
3.	वापी-सेल्वासा सड़क	12 किमी.
4.	रारा 8 विस्तार को जोड़ने वाली वनकाबाडा-कोटड़ा सड़क	30 कि.मी.

फिलहाल, सरकार की प्राथमिकता और सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की नहीं है। विद्यमान लगभग 70,548 कि.मी. के राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली में की कई कमियां हैं और इस प्रणाली में आगे विस्तार किए जाने की बजाए विद्यमान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास पर ध्यान केन्द्रित किए जाने की आवश्यकता है। जब कभी सरकार इस नेटवर्क का विस्तार करने की स्थिति में होगी तब पारस्परिक प्राथमिकता और निधियों की उपलब्धता के अधीन विभिन्न राज्यों की अपेक्षाओं पर समुचित विचार किया जाएगा।

जी.एस.आई. द्वारा सर्वेक्षण

459. श्री निशिकांत दुबे: क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्थान द्वारा देश में खनिज भंडार की खोज के लिए कितने सर्वेक्षण करवाए गए हैं;

(ख) ऐसे सर्वेक्षणों का परिणाम क्या रहा;

(ग) इन क्षेत्रों में धातु और खनिजों की मात्रा कितनी है; और

(घ) उपरोक्त अवधि के दौरान जी.एस.आई. द्वारा सर्वेक्षणों के लिए कुल आवंटित धनराशि/लागत व्यय राज्यवार कितना है?

खान मंत्री और उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री बी.के. हान्डिक): (क) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी.एस.आई.) देश में खनिज संसाधनों के लिए क्षेत्रीय पैमाने पर सर्वेक्षण करता रहा है। पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार तथा खनिजवार किए गए ऐसे सर्वेक्षणों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

खनिज	फील्ड सत्र 2006-07	फील्ड सत्र 2007-08	फील्ड सत्र 2008-09
कोयला/लिग्नाइट	पश्चिम बंगाल (2), झारखंड (4), उड़ीसा (5), महाराष्ट्र (2), मध्य प्रदेश (7), छत्तीसगढ़ (5), राजस्थान (3), आंध्र प्रदेश (2), तमिलनाडु (3)	पश्चिम बंगाल (1) झारखंड (5), उड़ीसा (4), मध्य प्रदेश (4), छत्तीसगढ़ (4), राजस्थान (2), आंध्र प्रदेश (1), तमिलनाडु (1)	पश्चिम बंगाल (3) झारखंड (1), उड़ीसा (4), मध्य प्रदेश (5), छत्तीसगढ़ (4), राजस्थान (1), आंध्र प्रदेश (1), तमिलनाडु (1)
आधार धातु	महाराष्ट्र (3), मध्य प्रदेश (3), राजस्थान (12), गुजरात (1), उत्तर प्रदेश (1), हरियाणा (1), मेघालय (1)	महाराष्ट्र (2), मध्य प्रदेश (3), राजस्थान (13), हिमाचल प्रदेश (2), हरियाणा (1), मेघालय (2),	पश्चिम बंगाल (1), महाराष्ट्र (1), मध्य प्रदेश (3), राजस्थान (8), हिमाचल प्रदेश (2), हरियाणा (2), मेघालय (3)
सोना	पश्चिम बंगाल (1), झारखंड (5), महाराष्ट्र (1), छत्तीसगढ़ (1), राजस्थान (5), आंध्र प्रदेश (3), कर्नाटक और गोवा (6), तमिलनाडु (1), केरल (1), उत्तर प्रदेश (1)	पश्चिम बंगाल (2), झारखंड (5), राजस्थान (5), आंध्र प्रदेश (3), कर्नाटक और गोवा (6), तमिलनाडु (1), केरल (1), उत्तराखंड (1)	पश्चिम बंगाल (1), झारखंड (2), बिहार (1), राजस्थान (4), आंध्र प्रदेश (3), कर्नाटक और गोवा (4), केरल (1), उत्तराखंड (1)
हीरा	उड़ीसा (1), मध्य प्रदेश (2), छत्तीसगढ़ (2), आंध्र प्रदेश (7), कर्नाटक और गोवा (1)	उड़ीसा (2), मध्य प्रदेश (3), छत्तीसगढ़ (3), आंध्र प्रदेश (4)	उड़ीसा (2), मध्य प्रदेश (2), छत्तीसगढ़ (3), आंध्र प्रदेश (4)
प्लेटिनॉयड ग्रुप आफ एलीमेंट्स (पीजीई)	उड़ीसा (1), महाराष्ट्र (1), कर्नाटक और गोवा (3), तमिलनाडु (2), मेघालय (1)	महाराष्ट्र (1), कर्नाटक और गोवा (3), तमिलनाडु (2), उत्तर प्रदेश (1), मेघालय (1)	महाराष्ट्र (1), तमिलनाडु (2)
लौह अयस्क	पश्चिम बंगाल (1), झारखंड (2), बिहार (1), उड़ीसा (3), छत्तीसगढ़ (1), कर्नाटक और गोवा (3), तमिलनाडु (1)	उड़ीसा (1), राजस्थान (1), कर्नाटक और गोवा (1), तमिलनाडु (1)	उड़ीसा (2), छत्तीसगढ़ (1), राजस्थान (1), तमिलनाडु (1)
मैग्नीज	झारखंड (2)	उड़ीसा (1)	उड़ीसा (1)

टिप्पणी: (1) अन्वेषणों की संख्या कोष्ठक में दी गई है।

(2) जीएसआई के कार्यक्रम फील्ड सत्र वार (एफएस) होते हैं जो 1 अक्तूबर से आरम्भ होते हैं। चालू वर्ष अर्थात् 2009-10 का फील्ड सत्र 1.10.09 से प्रारंभ होगा।

(ख) और (ग) जीएसआई खनिज संसाधनों को क्षेत्रीय पैमाने पर किए गए सर्वेक्षणों द्वारा आंकलित करता है और सर्वेक्षण रिपोर्टें जीएसआई द्वारा प्रकाशित की जाती हैं। खनिज भण्डारों का आंकलन, जिसके लिए विस्तृत गवेषण और पूर्वेक्षण की आवश्यकता होती है, जीएसआई द्वारा नहीं किया जाता है। विशिष्ट क्षेत्रों के संबंध में भण्डारों का अनुमान लगाया जाता है जिनके लिए दूसरी केन्द्रीय तथा राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा अथवा निजी क्षेत्र द्वारा पूर्वेक्षण प्रचालनों के माध्यम से पूर्वेक्षण किया जाता है। खनिज भण्डारों के अनुमानों को भारतीय खान ब्यूरो द्वारा 'भारतीय खनिज ईयरबुक' में वार्षिक रूप से प्रकाशित किया जाता है।

(घ) सर्वेक्षण तथा गवेषण कार्य में हवाई सर्वेक्षण जैसे केंद्रीय संसाधन तथा क्षेत्रीय संसाधन अंतर्ग्रस्त रहता है। सर्वेक्षण तथा गवेषण कार्य में लगाए गए कार्मिक 'आफ सीजन' के दौरान दूसरे कार्यकलाप भी करते हैं। इस प्रकार सर्वेक्षणों पर राज्यवार खर्च के ब्यौरे को रिकार्ड करना संभव नहीं है। तथापि, क्षेत्रवार प्रचालन व्यय (वेतन तथा अन्य खर्चों को छोड़कर) नीचे दिया गया है:

क्षेत्र	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10 (मई, 09 तक)
पूर्वी क्षेत्र (ईआर)	110.48	96.42	96.76	11.58
कोयला खंड (सीडब्ल्यू)	473.39	460.42	544.00	51.71
उत्तर पूर्व क्षेत्र (एनईआर)	25.35	17.08	15.26	1.52
उत्तरी क्षेत्र (एनआर)	83.04	84.64	130.21	21.78
मध्य क्षेत्र	105.80	82.06	62.74	11.85
पश्चिमी क्षेत्र (डब्ल्यूआर)	156.07	131.80	133.01	15.79
दक्षिणी क्षेत्र (एसआर)	190.68	171.17	189.27	23.38

टिप्पणी: सीआर-महाराष्ट्र मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़
सीडब्ल्यू-कोयला खंड
ईआर-अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, झारखंड, बिहार, उड़ीसा
एनईआर-अरुणाचल प्रदेश, असम मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा
एनआर-उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जम्मू और कश्मीर
एसआर-आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, केरल
डब्ल्यूआर-राजस्थान, गुजरात

[हिन्दी]

गन्ने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य

460. **श्री बृजभूषण शरण सिंह:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार आगामी पेराई मौसम में गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार देश भर में गन्ने के लिए एकसमान मूल्य दरें निर्धारित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसको कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थामस): (क) से (ङ) सरकार ने हाल ही में चीनी मौसम 2009-10 के लिए गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य का 9.5 प्रतिशत की मूल्य रिकवरी दर पर 107.76 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर इस शर्त के अध्यधीन निर्धारण का अनुमोदन किया है कि रिकवरी में उक्त स्तर से अधिक के लिए प्रत्येक 0.1 प्रतिशत वृद्धि हेतु 1.13 रुपये का प्रीमियम देय होगा। यह पिछले चीनी मौसम के सांविधिक न्यूनतम मूल्य की तुलना में काफी अधिक है जो 9 प्रतिशत की मूल रिकवरी पर 81.18 रुपये प्रति क्विंटल इस शर्त के अध्यधीन था कि उक्त स्तर से अधिक के लिए प्रत्येक 0.1 प्रतिशत वृद्धि हेतु 0.90 रुपये का प्रीमियम देय होगा। उपर्युक्त सांविधिक न्यूनतम मूल्य सम्पूर्ण देश के सभी चीनी कारखानों के लिए एक समान रूप से लागू है।

विदेशी महिलाओं के विरुद्ध अपराध

461. **श्री राधा मोहन सिंह:**
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री मधु गौड यास्खी:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न शहरों में विदेशी महिलाओं के विरुद्ध अपराध के मामलों में बढ़ोत्तरी हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष हत्या, बलात्कार, छेड़छाड़ तथा लूटपाट सहित ऐसे मामलों की कुल पंजीकृत संख्या राज्यवार तथा अपराध-वार कितनी है;

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान हिरासत में लिए गए कुल दोषी व्यक्तियों तथा उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में ऐसे अपराधों पर नियंत्रण के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) एनसीआरबी विदेशी महिलाओं के प्रति अपराध की सूचना पृथक से नहीं रखता है। ''भारत में अपराध'' नामक रिपोर्ट में संग्रहीत और प्रकाशित महिलाओं के प्रति अपराध के आंकड़ों में विदेशी महिलाओं के प्रति अपराध के आंकड़े भी शामिल हैं। वर्ष 2005 से 2007 के दौरान 35 बड़े (मेगा) शहरों में (2001 की जनगणना के अनुसार जिन शहरों की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है) महिलाओं के प्रति अपराध के कुल 20,997, 21,861 और 24,709 मामले सूचित किए गए थे जो कि वृद्धि को दर्शाते हैं। बड़े शहरों में 2005 से 2007 के दौरान महिलाओं के प्रति अपराध की घटनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) उक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न पैदा नहीं होते।

(घ) ''पुलिस'' और ''लोक व्यवस्था'' राज्य के विषय हैं और इस प्रकार अपराध की रोकथाम, पता लगाना, पंजीकरण, अन्वेषण और अभियोजन का दायित्व प्रमुख रूप से राज्य का होता है। तथापि, संघ सरकार ने समय-समय पर परामर्शी पत्र जारी किए हैं जिनमें महिलाओं के प्रति अत्याचार की रोकथाम पर विशेष बल देते हुए अपनी अधिकारिता में अपराधों की रोकथाम और नियंत्रण किए जाने के लिए ध्यान केन्द्रित किए जाने का उल्लेख किया गया है। इसके साथ ही, समेकित परामर्शी पत्र भी जारी किया गया था जिसमें महिलाओं के प्रति अत्याचार के मामलों पर कार्रवाई करने के लिए तंत्र की प्रभाविकता में सुधार करने और कानून और व्यवस्था तंत्र के उत्तरदायित्व में वृद्धि करने के लिए विभिन्न कदमों का उल्लेख किया गया है (प्रति विवरण के रूप में संलग्न) सड़कों पर महिलाओं की सुरक्षा स्थिति में सुधार किए जाने के लिए 8 जून, 2009 को भी एक परामर्शी-पत्र जारी किया गया है। (प्रति विवरण के रूप में संलग्न)।

विवरण

वर्ष 2005 के दौरान बड़े शहरों में महिलाओं के प्रति विभिन्न अपराधों के लिए दर्ज किए गए मामले

क्र.सं.	बड़े शहर	बलात्कार	अपहरण और व्यपहरण	दहेज के कारण मृत्यु	छेड़छाड़	यौन शोषण (महिलाओं को छेड़ना)	पति और रिश्तेदारों की क्रूरता	बालिकाओं का आयात	अनैतिक व्यापार (पी अधिनियम)	दहेज निषेध अधिनियम	महिला अधिनियम का गलत प्रस्तुतीकरण	सति निवारण अधिनियम	महिलाओं के प्रति कुल अपराध
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आगरा	20	66	15	46	146	190	0	6	0	0	0	489
2.	अहमदाबाद	35	136	1	54	26	745	0	7	0	0	0	1004
3.	इलाहाबाद	5	15	8	4	19	38	0	0	13	0	0	102
4.	अमृतसर	4	12	2	6	3	34	0	5	0	0	0	66
5.	आसनसोल	9	14	4	10	0	340	0	0	0	0	0	377
6.	बंगलुरू	38	25	39	167	39	287	0	654	239	0	0	1488
7.	भोपाल	54	21	7	120	41	119	0	2	0	0	0	364
8.	चैन्नई	43	31	30	82	102	236	0	284	5	2	0	815
9.	कोयम्बतूर	6	3	3	21	5	31	0	260	0	2	0	331
10.	दिल्ली (शहर)	562	900	94	654	197	1287	1	147	7	1	0	3850

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11.	धनबाद	24	24	18	1	0	7	0	0	18	0	0	92
12.	फरीदाबाद	18	44	7	16	199	119	0	5	2	0	0	410
13.	हैदराबाद	67	70	27	119	348	1309	0	56	0	61	0	2057
14.	इंदौर	71	30	19	133	49	213	0	6	1	0	0	522
15.	जबलपुर	49	15	19	133	94	97	0	3	5	0	0	415
16.	जयपुर	57	123	16	121	1	392	0	33	0	39	0	782
17.	जमशेदपुर	28	32	8	21	0	36	0	5	38	0	0	168
18.	कानपुर	18	90	51	43	227	205	0	1	9	0	0	644
19.	कोची	7	1	2	33	12	66	0	6	0	2	0	129
20.	कोलकाता	13	66	6	148	35	236	0	40	0	0	0	544
21.	लखनऊ	28	103	22	36	144	247	0	2	0	0	0	582
22.	लुधियाना	39	36	5	25	25	84	0	1	0	0	0	215
23.	मदुरई	5	23	3	28	29	43	0	130	0	0	0	261
24.	मेरठ	12	35	11	28	76	191	0	0	0	0	0	353
25.	मुम्बई	201	122	9	385	99	336	0	136	0	0	0	1288
26.	नागपुर	52	48	4	76	52	185	0	15	8	0	0	440
27.	नासिक	21	13	0	35	13	121	0	4	0	0	0	207
28.	पटना	27	32	32	4	2	121	0	6	2	0	0	226
29.	पुणे	79	72	1	107	95	201	0	10	0	0	0	565
30.	राजकोट	7	33	0	7	7	153	0	4	0	0	0	211
31.	सूरत	23	72	12	50	4	190	0	28	0	0	0	379
32.	वड़ोदरा	5	26	0	13	2	136	0	7	0	0	0	189
33.	वाराणसी	6	12	7	1	34	21	0	5	0	0	0	86
34.	विजयवाड़ा	32	49	8	64	122	296	0	42	0	0	0	613
35.	विशाखापत्तनम	28	15	2	45	86	361	0	196	0	0	0	733
	कुल शहर	1693	2409	492	2836	2333	8673	1	2106	347	107	0	20997

वर्ष 2006 के दौरान बड़े शहरों में महिलाओं के प्रति विभिन्न अपराधों के लिए दर्ज किए गए मामले

क्र.सं.	बड़े शहर	बलात्कार	अपहरण और व्यपहरण	दहेज के कारण मृत्यु	छेड़छाड़	यौन शोषण (महिलाओं को छेड़ना)	पति और रिश्तेदारों की क्रूरता	बालिकाओं का आयात	अनैतिक व्यापार (पी अधिनियम)	दहेज निषेध अधिनियम	महिला अधिनियम का गलत प्रस्तुतीकरण	सति निवारण अधिनियम	महिलाओं के प्रति कुल अपराध
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आगरा	15	110	34	59	128	286	0	12	0	0	0	644
2.	अहमदाबाद	46	146	4	72	22	956	0	3	0	0	0	1249
3.	इलाहाबाद	5	27	10	9	23	72	0	8	72	0	0	226
4.	अमृतसर	12	19	4	5	0	47	0	9	0	0	0	96
5.	आसनसोल	19	12	13	11	0	158	0	0	0	0	0	213
6.	बंगलुरू	33	29	50	143	2	290	0	480	265	0	0	1292
7.	भोपाल	52	38	15	121	33	97	0	1	1	0	0	358
8.	चैन्नई	29	41	32	87	88	213	0	135	2	0	0	627
9.	कोयम्बतूर	8	3	5	11	11	30	0	127	0	3	0	198
10.	दिल्ली (शहर)	533	953	120	629	129	1646	0	109	14	1	0	4134
11.	धनबाद	21	11	15	3	0	10	0	0	13	0	0	73
12.	फरीदाबाद	40	66	14	35	144	146	0	6	3	0	0	454
13.	हैदराबाद	93	77	29	189	108	1160	0	88	11	0	0	1755
14.	इंदौर	73	27	12	162	43	218	0	1	0	0	0	541
15.	जबलपुर	54	20	13	161	68	118	0	1	0	0	0	435
16.	जयपुर	58	137	23	110	2	451	0	40	0	31	0	852
17.	जमशेदपुर	29	24	16	33	1	73	0	0	21	0	0	197
18.	कानपुर	27	87	67	64	179	273	0	0	4	0	0	701
19.	कोची	14	8	0	65	20	87	0	20	0	1	0	215
20.	कोलकाता	38	76	4	173	37	276	1	31	0	0	0	636
21.	लखनऊ	29	131	21	56	154	315	0	3	0	0	0	709
22.	लुधियाना	36	57	10	24	16	86	0	4	0	1	0	234
23.	मदुरई	9	7	4	12	15	35	0	110	0	0	0	192

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24.	मेरठ	13	44	5	29	72	162	0	2	0	0	0	327
25.	मुम्बई	165	129	17	357	102	327	1	236	0	0	0	1334
26.	नागपुर	51	42	7	72	42	180	0	32	5	1	0	432
27.	नासिक	14	22	2	36	15	119	0	1	1	0	0	210
28.	पटना	25	54	34	9	2	165	0	3	28	0	0	320
29.	पुणे	77	74	6	104	87	236	0	32	0	0	0	616
30.	राजकोट	4	18	1	5	12	165	0	0	0	0	0	205
31.	सूरत	31	86	22	46	6	249	0	60	1	0	0	501
32.	वड़ोदरा	6	42	0	17	2	181	0	6	0	0	0	254
33.	वाराणसी	5	29	15	29	25	50	0	1	4	0	0	158
34.	विजयवाड़ा	21	60	8	135	158	336	0	33	0	0	0	751
35.	विशाखापत्तनम	21	40	10	62	30	397	0	162	0	0	0	722
	कुल शहर	1706	2746	642	3135	1776	9610	2	1759	447	38	0	21861

वर्ष 2007 के दौरान बड़े शहरों में महिलाओं के प्रति विभिन्न अपराधों के लिए दर्ज किए गए मामले

क्र.सं.	बड़े शहर	बलात्कार	अपहरण और व्यपहरण	दहेज के कारण मृत्यु	छेड़छाड़	यौन शोषण (महिलाओं को छेड़ना)	पति और रिश्तेदारों की क्रूरता	बालिकाओं का आयात	अनैतिक व्यापार (पी अधिनियम)	दहेज निषेध अधिनियम	महिला अधिनियम का गलत प्रस्तुतीकरण	सति निवारण अधिनियम	महिलाओं के प्रति कुल अपराध
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आगरा	15	113	34	48	101	287	0	7	0	0	0	605
2.	अहमदाबाद	37	147	4	104	13	1221	0	8	0	0	0	1535
3.	इलाहाबाद	4	24	10	6	37	105	0	3	6	0	0	195
4.	अमृतसर	21	46	5	20	6	78	0	7	0	0	0	183
5.	आसनसोल	15	10	11	20	1	242	0	0	4	0	0	303
6.	बंगलुरू	62	35	54	187	2	290	0	345	265	0	0	1240
7.	भोपाल	62	41	22	146	29	129	0	5	2	0	0	436
8.	चैन्नई	46	59	43	108	126	323	0	202	0	0	0	907

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9.	कोयम्बतूर	10	8	4	12	2	50	0	143	1	1	0	231
10.	दिल्ली (शहर)	524	1021	111	744	148	1711	0	58	14	0	0	4331
11.	धनबाद	5	20	7	5	0	12	0	0	23	0	0	72
12.	फरीदाबाद	37	117	19	23	0	167	0	10	1	0	0	374
13.	हैदराबाद	58	74	41	216	128	1365	0	48	1	0	0	1931
14.	इंदौर	74	32	12	178	34	259	0	7	1	0	0	597
15.	जबलपुर	40	18	24	145	34	101	0	0	12	0	0	374
16.	जयपुर	62	179	25	101	0	484	0	33	1	40	0	925
17.	जमशेदपुर	39	30	15	12	0	41	0	5	36	0	0	178
18.	कानपुर	46	222	59	102	165	673	0	1	4	0	0	1272
19.	कोची	23	6	0	75	5	88	0	37	0	0	0	234
20.	कोलकाता	44	88	8	189	58	296	3	31	0	0	0	717
21.	लखनऊ	51	176	32	59	150	445	0	7	0	0	0	920
22.	लुधियाना	53	89	9	21	11	100	0	0	0	0	0	283
23.	मदुरई	4	16	10	11	31	76	0	14	0	0	0	162
24.	मेरठ	18	51	22	29	101	278	0	0	0	0	0	499
25.	मुम्बई	174	120	17	365	112	380	0	185	0	0	0	1353
26.	नागपुर	50	50	7	96	51	251	0	16	8	2	0	531
27.	नासिक	7	17	1	34	11	127	0	3	0	0	0	200
28.	पटना	42	46	30	16	0	195	0	1	0	0	0	330
29.	पुणे	66	93	6	79	77	250	0	48	0	0	0	619
30.	राजकोट	4	36	3	17	22	240	0	0	0	0	0	322
31.	सूरत	24	80	21	44	8	332	0	14	0	0	0	523
32.	वड़ोदरा	8	37	0	11	8	268	0	2	0	0	0	334
33.	वाराणसी	9	34	21	9	89	101	0	0	4	0	0	267
34.	विजयवाड़ा	17	49	10	131	202	531	0	33	0	0	0	973
35.	विशाखापत्तनम	24	23	14	100	25	535	0	31	0	1	0	753
	कुल शहर	1775	3207	711	3463	1787	12031	3	1305	383	44	0	24709

सं. 15011/21/2004-एससी/एसटी-सैल-2
भारत सरकार
गृह मंत्रालय

नई दिल्ली,
दिनांक: 5 मई, 2004

सेवा में,

मुख्य सचिव,
सभी राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन

विषय: महिलाओं पर अपराध-इन्हें रोकने के उपायों की जरूरतों के संबंध में

महोदय/महोदया,

भारत सरकार समय-समय पर राज्य सरकारों को महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने और विशेष रूप से उनके प्रति अपराधों की घटनाओं को रोकने के लिए और अधिक उपाय किए जाने की जरूरत के संबंध में कदम उठाए जाने की सलाह जारी करती रही है। महिलाओं के प्रति अपराध के विशेष संदर्भ में इससे पहले जारी किए गए दिनांक 17.4.1995 के अ.शा. पत्र सं. 15018/214/94-जीपीए-6, दिनांक 12.9.1996 के पत्र सं. 24013/65/96-जीपीए-6, दिनांक 18.3.1997 के पत्र सं. 15018/214/96-जीपीए-6, दिनांक 6.10.1997 के पत्र सं. 24013/84/97-जीपीए-6, दिनांक 8/11.9.1998 का पत्र सं. 24013/50/98-जीपीए-6 और दिनांक 19/26.3.2002 के पत्र सं. 24013/83/2001-जीपीए-6 का इस संबंध में विशेष संदर्भ लें। इन सलाहों में अन्य बातों के साथ-साथ पुलिस कार्मिकों को महिलाओं के प्रति सुग्राही बनाना, महिलाओं के विरुद्ध हिरासती हिंसा में दोषी पाए गए जनता के सेवकों को तत्काल और कड़ा दंड देने के लिए उचित उपाय अपनाना, महिलाओं की हत्या, बलात्कार और उत्पीड़न की जांच-पड़ताल में कम से कम विलम्ब होना और इसकी जांच-पड़ताल गुणवत्ता में सुधार करना, उन जिलों में 'महिलाओं के प्रति अपराध कक्ष' स्थापित करना जहां ये कक्ष नहीं हैं, जो महिलायें इन अपराधों की शिकार हैं उन्हें सलाह देने के लिए पर्याप्त रूप से ऐसे केन्द्र और आश्रय स्थल प्रदान करना, महिलाओं के लिए विशेष अदालतें स्थापित करना और जो महिलायें अपराधों की शिकार हुई हैं उनके लिए विकसित योजनाओं की प्रभावकारिता में सुधार करना शामिल है जिसमें आय अर्जित करने पर अधिक ध्यान दिया जाता है ताकि महिलाओं को और अधिक स्वतंत्र और आत्म-निर्भर बनाया जा सके।

2. उक्त सलाहों के माध्यम से राज्य सरकारों से यह अनुरोध भी किया गया है कि वे महिलाओं की समस्या को हल करने वाले तंत्र की प्रभावकारिता की विस्तृत समीक्षा करें और कानून और व्यवस्था तंत्र की जवाबदेही बढ़ाने के उद्देश्य से उचित उपाय करें। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कुछ राज्य सरकारों ने इस संबंध में कुछ उपाय किए हैं। तथापि, महिलाओं के प्रति अपराध के संबंध में इस मंत्रालय के पास उपलब्ध सूचना से यह पता चलता है कि इन उपायों को सुदृढ़ बनाए जाने की जरूरत है ताकि महिलायें अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें, वे अपने मानवाधिकारों का उपयोग कर सकें और अपना जीवन स्वाभिमान और आदर के साथ जी सकें जिसकी वे अधिकारी हैं।

3. राष्ट्रीय महिला आयोग विभिन्न राज्यों का दौरा करता रहा है ताकि वह महिलाओं की स्थिति की समीक्षा कर सके और महिलाओं के प्रति अपराध की गंभीर घटनाओं के कुछ मामलों की अपनी ओर से जांच-पड़ताल भी करता रहा है। आयोग, अपनी जांच के निष्कर्षों को संबंधित राज्य सरकारों तथा इस मंत्रालय को भेजता रहा है। इन विशिष्ट घटनाओं में आयोग द्वारा की गई जांच रिपोर्टों से पता चलता है कि संवेदनशीलता और सावधानी के जिस स्तर पर महिलाओं के प्रति अपराध से निपटा जाना चाहिए यह उस वांछित स्तर का नहीं है। आयोग ने कुछ विशिष्ट मामलों में कुछ पुलिस पदाधिकारियों की तरफ से लापरवाही और असंवेदनशीलता के बारे में बताया है। आयोग ने यह महसूस किया कि जघन्य मामलों में भी प्राथमिकी दायर करना अभी भी समस्या बना हुआ है। महिलाओं के प्रति अपराध की मुख्य घटनाओं की जांच-पड़तालों की अपनी विभिन्न रिपोर्टों में राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां और सिफारिशें की गई हैं जिन्हें अनुलग्नक में लगाया गया है।

4. भारत सरकार इस प्रवृत्ति और मूल स्थिति से अत्यंत चिंतित है इसलिए वह इस बात पर पुन: जोर देती है कि निम्नलिखित पर तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए:

अपराध संभावित क्षेत्रों की पहचान की जानी चाहिए और महिला विद्यार्थियों की रक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विद्यालयों/महाविद्यालयों में ऐसी घटनाओं पर नजर रखने के लिए एक तंत्र बनाया जाना चाहिए। पुलिस आधारभूत संरचना से पूरी तरह पर्याप्त मात्रा में महिला पुलिस अधिकारियों को ऐसे क्षेत्रों में तैनात किया जाए।

* महिलाओं के प्रति अपराध के सभी मामलों में प्राथमिकी दर्ज किए जाने में किसी भी प्रकार का विलंब न किया जाए।

* प्राथमिकी में दर्ज सभी दोषियों को पकड़ने के लिए यथासंभव सभी प्रयास किए जाएं ताकि पीड़ित और उसके परिवार के सदस्यों में भरोसा सृजित हो।

* मामलों की गहराई से जांच की जाए और दोषी व्यक्ति के विरुद्ध आरोप-पत्र, घटना घटित होने के तीन माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए और इस संबंध में जांच की गुणवत्ता के साथ कोई समझौता न किया जाए।

* महिलाओं के प्रति अपराध सैल के हैल्प लाइन नम्बरों को अस्पतालों/विद्यालयों/महाविद्यालयों में और अन्य उपयुक्त स्थानों पर प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाए।

* थानों में महिला पुलिस सैल और आवश्यकतानुसार महिला पुलिस थाने स्थापित किए जाएं।

* महिला संरक्षण के दायित्व वाले पुलिस अधिकारियों को पर्याप्त रूप से सुविज्ञ किया जाए।

* पुलिस कार्मिकों को महिला उत्पीड़न से संबंधित विशेष कानूनों में पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित किया जाए।

* प्रवर्तन पहलू पर पर्याप्त जोर दिया जाए ताकि इसे कारगर बनाया जा सके।

* राज्य पुलिस बलों में महिला पुलिस कार्मिकों की व्यापक रूप से भर्ती की जाए।

* पुलिस और महिला संबंधी गैर-सरकारी संगठनों के बीच पूर्ण समन्वय सुनिश्चित किया जाए।

* प्रभावित क्षेत्रों में गश्त के लिए स्थानीय पुलिस का प्रबंध करना चाहिए और यह प्रबंध विशेष कर समाज के कमजोर वर्गों के क्षेत्र में करना चाहिए। डीए और एसपी के आवधिक दौरों से इन वर्गों के लोगों के मन में सुरक्षा और संरक्षा की भावना पैदा होगी।

* अपराध के सदमें से उबरने के लिए पीड़ित और उसके परिवार के सदस्यों के लिए पेशेवर सलाहकारों के माध्यम से सलाह देना अपेक्षित है।

* पीड़ित महिला के कल्याण और पुनर्वास के लिए विकसित स्कीमों की प्रभावकारिता में सुधार किया जाए।

5. अनुरोध है कि इस संबंध में की-गई-कार्रवाई की समीक्षा राज्य सरकारें/संघ राज्य प्रशासनों द्वारा की जाए और मौजूदा स्थिति के उल्लेख वाली एक रिपोर्ट इस मंत्रालय को एक माह के भीतर भेजी जाए।

6. कृपया इस पत्र की पावती तुरंत भेजें।

भवदीय
ह./
(ए.के. श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव (सीएस)

प्रति सूचनार्थ:-

अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग, 4-दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002

भवदीय
ह./
(ए.के. श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव (सीएस)

गुप्त
फैक्स संदेश (आई फैक्स के माध्यम से)

प्रेषक-गृह नई दिल्ली

सेवा में,

सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशक और आयुक्त, दिल्ली पुलिस

सूचनार्थ सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव

फा.सं. 1-11034/2/2009-IS-IV दिनांक 8 जून, 2009

महिलाओं के प्रति अपराध की रोकथाम के लिए सड़क पर सुरक्षा स्थिति में सुधार हेतु लिंग समानता और समाजिक बुराई से संघर्ष के लिए सरकारी कार्यक्रमों के संकेन्द्रन और समन्वय संबंधी कार्रवाई योजना से अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सुझाव उभरे हैं:-

* बीट कांस्टेबलों की संख्या में वृद्धि।

* विशेषकर सुदूर एवं एकांत स्थानों पर पुलिस सहायता बूथों/कियोस्कों की संख्या में वृद्धि करना।

* रात्रिकाल में पुलिस गश्त में वृद्धि करना।

* सचल पुलिस वेनों में महिला पुलिस अधिकारियों की संख्या में वृद्धि करना।

2. अनुरोध है कि महिलाओं के लिए सड़क पर सुरक्षा में सुधार करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने हेतु उक्त सुझावों को नोट किया जाए।

(पी.के. मिश्रा)
निदेशक (आईएस-II)

प्रति सूचनार्थ:

सीएस प्रभाग (श्री पी.एन. सक्सैना, उप-सचिव-सीएस-I) को उनके दिनांक 4.6.2009 के का.ज्ञा. सं. 15011/15-2009-एससी/एसटी-डब्ल्यू के समर्थन में।

[अनुवाद]

स्वतंत्रता सेनानी पेंशन

462. श्री जय प्रकाश अग्रवाल:
श्री ए. सम्पत:
श्री गणेश सिंह:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख के अनुसार देश में स्वतंत्रता सेनानी पेंशन प्राप्त कर रहे स्वतंत्रता सेनानियों, उनकी विधवाओं तथा अन्य योग्य आश्रितों की राज्यवार अलग-अलग कुल संख्या कितनी है;

(ख) सरकार के पास अनुमोदन के लिए अभी तक लंबित स्वतंत्रता सेनानी पेंशन आवेदनों की राज्यवार कुल संख्या क्या है;

(ग) उक्त प्रकार के लंबित आवेदनों को कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार को पेंशन प्राप्त कर रहे फर्जी स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में शिकायतें मिली हैं;

(ङ) यदि हां, तो प्राप्त शिकायतों, दर्ज मामलों तथा दोषियों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही संबंधी मामलों की राज्यवार संख्या क्या है;

(च) क्या सरकार को ऐसी रिपोर्ट भी प्राप्त हुई है कि कुछ वास्तविक स्वतंत्रता सेनानी अभी तक पेंशन तथा अन्य लाभों से वंचित हैं; और

(छ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इस बारे में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) 1972 में शुरू की गई स्वतंत्रता सेनानी पेंशन योजना के तहत दिनांक 30.6.2009 तक लगभग 1.70 लाख स्वतंत्रता सेनानियों और उनके पात्र आश्रितों को पेंशन मंजूर की जा चुकी है। जिन स्वतंत्रता सेनानियों/आश्रितों को पेंशन मंजूर की गई है उनका राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इस मंत्रालय के पास उन स्वतंत्रता सेनानियों और उनके पात्र आश्रितों की सही-सही संख्या नहीं है जो इस समय जीवित हैं और पेंशन ले रहे हैं। स्वतंत्रता सेनानियों और उनके पात्र आश्रितों, जो इस समय जीवित हैं और पेंशन आहरित कर रहे हैं, की संख्या में संबंधित यथार्थ आंकड़े केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं क्योंकि पेंशन का वितरण बैंकों/कोषागारों के जरिए गैर-केन्द्रीकृत रूप से किया जाता है।

(ख) और (ग) स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन मंजूर करने के लिए आवेदन प्राप्त करना और उन्हें निपटाना एक निरंतर प्रक्रिया है। जो आवेदन सीधे आवेदकों से प्राप्त होते हैं या जो राज्य सरकारों की सत्यापन रिपोर्टों के बगैर प्राप्त होते हैं उनका कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है। तथापि, राज्य सरकारों की सत्यापन रिपोर्टों के साथ 1198 आवेदन आंध्र प्रदेश सरकार से प्राप्त 1032 आवेदनों सहित प्राप्त हुए हैं। इन मामलों पर कार्रवाई करने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। तथापि, कोई समय-सीमा नहीं बताई जा सकती है।

(घ) और (ङ) स्वतंत्रता सेनानी पेंशन के फर्जी/धोखाधड़ी पूर्ण दावों के संबंध में समय-समय पर शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं। ऐसी सभी शिकायतों की जांच, राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके पेंशन योजना पर लागू उपबंधों के संदर्भ में की जाती है। ऐसे मामलों में, जिनमें आरोप सिद्ध होते हैं, दावे नामंजूर कर दिए जाते हैं और यदि पेंशन मंजूर कर दी गई हो तो उसे निलम्बित/रद्द कर दिया जाता है तथा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद पेंशन वसूली के आदेश दिए जाते हैं।

(च) और (छ) जी नहीं, महोदया, केन्द्रीय सम्मान पेंशन उन स्वतंत्रता सेनानियों को मंजूर की जाती है जो पात्रता मानदंड पूरे करते हों और अपने दावों के समर्थन में आवश्यक प्रमाणिक सबूत प्रस्तुत करते हों, जिसे राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा विधिवत रूप से संस्तुत किया गया है। सभी प्राप्त दावों की जांच की जाती है और उपर्युक्त मानदण्डों में दी गई शर्तों के अनुरूप मंजूर/नामंजूर किया जाता है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मंजूर की गई पेंशनों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	14,658
2.	अरुणाचल प्रदेश	0
3.	असम	4,438
4.	बिहार और झारखंड	24,876
5.	गोवा	1,496
6.	गुजरात	3,598
7.	हरियाणा	1,688
8.	हिमाचल प्रदेश	624
9.	जम्मू और कश्मीर	1,807

1	2	3
10.	कर्नाटक	10,090
11.	केरल	3,301
12.	मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़	3,471
13.	महाराष्ट्र	17,897
14.	मणिपुर	62
15.	मेघालय	86
16.	मिजोरम	04
17.	नागालैंड	03
18.	उड़ीसा	4,190
19.	पंजाब	7,018
20.	राजस्थान	812
21.	तमिलनाडु	4,109
22.	त्रिपुरा	887
23.	उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड	17,993
24.	पश्चिम बंगाल	22,487
25.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	03
26.	चंडीगढ़	91
27.	दादरा और नगर हवेली	83
28.	दमण और दीव	33
29.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	2,044
30.	पुडुचेरी	317
31.	आजाद हिन्द फौज (आईएनए)	22,468
	कुल	1,70,634

[अनुवाद]

टी.वी. चैनलों के लिए नए दिशानिर्देश

463. श्रीमती सुप्रिया सुले: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार टी.वी. चैनलों के नियमन के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समाचार प्रसारक संघ (एनबीए) ने टेलीविजन रिपोर्टिंग तथा चैनलों की अस्वस्थकर प्रतिस्पर्धा से बचने की सलाह देने वाले स्वनियामक दिशानिर्देशों का एक व्यापक प्रस्ताव पेश किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) समाचार प्रसारक संघ के इन दिशानिर्देशों का टी.वी. चैनल किस सीमा तक अनुपालन कर रहे हैं; और

(च) इन उपायों ने प्रसारण क्षेत्र के हित की किस सीमा तक रक्षा की है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी मोहन जतुआ): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) समाचार प्रसारक संघ (एन.बी.ए.) ने अपनी आचार संहिता एवं प्रसारक मानक तैयार किए हैं। मुंबई में आतंकवादी हमले के पश्चात् एन.बी.ए. ने आपात परिस्थितियों के दौरान समाचार प्रसारण हेतु दिशानिर्देश भी जारी किए और उनके सदस्य-प्रसारकों द्वारा अनुपालन किए जाने हेतु रिपोर्ताज कवर करने संबंधी विशिष्ट दिशानिर्देश भी जारी किए, जो कि उनकी वेबसाइट http://nbanewdelhi.com पर उपलब्ध हैं।

(ङ) और (च) सभी निजी टी.वी. चैनलों को केबल टीवी नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 तथा उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत निर्धारिक मौजूदा कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिताओं का अनुपालन करना होता है। जहां तक एन.बी.ए. के दिशानिर्देशों का संबंध है, एन.बी.ए. ने यह कहा है कि उनके सभी सदस्य चैनल स्व-विनियमन के रूप में उनकी आचार संहिता एवं प्रसारण मानकों को स्वेच्छा से अंगीकार कर रहे हैं।

चावल की खरीद

464. श्री जी.एम. सिद्देश्वर: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान देश में चावल के भंडारण के उद्देश्य से सीधे तौर पर किसानों से कितनी मात्रा में चावल की खरीद की गई है;

(ख) उक्त खरीद के लिए किसानों को प्रति क्विंटल क्या मूल्य अदा किया गया है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान कितने चावल का आयात किया गया है; और

(घ) उक्त आयात में प्रति क्विंटल चावल की क्या कीमत अदा की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थामस): (क) खाद्यान्न खरीदारी की मौजूदा नीति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकार की एजेंसियां न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रचालन के अधीन किसानों से धान की सीधे खरीदारी करती हैं। खरीफ विपणन मौसम 2006-07, 2007-08 और 2008-09 (30.6.2009 की स्थिति के अनुसार) के दौरान किसानों से खरीदी गई धान की मात्रा निम्नानुसार है:-

(लाख टन)

विपणन मौसम	धान
2006-07	236.94
2007-08*	246.83
2008-09 (30.6.2009 की स्थिति के अनुसार)	295.39

(ख) खरीफ विपणन मौसम 2006-07, 2007-08 और 2008-09 के दौरान साधारण और ग्रेड ए किस्मों के लिए किसानों को अदा किए गए धान के मूल्य निम्नानुसार हैं:-

(रुपए प्रति क्विंटल)

विपणन मौसम	न्यूनतम समर्थन मूल्य		बोनस	जोड़	
	साधारण	ग्रेड 'ए'		साधारण	ग्रेड 'ए'
2006-07	580	610	40	620	650
2007-08*	645	675	100	745	775
2008-09	850	880	50	900	930

*24.6.2008 से धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीफ विपणन मौसम 2007-08 में साधारण और ग्रेड ए किस्मों के लिए बढ़ाकर क्रमश: 850 रुपये और 880 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया था।

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान केन्द्रीय पूल के लिए चावल का कोई आयात नहीं किया गया।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

स्थानीय क्षेत्र में ही खाद्यान्न लेवी

465. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने परिवहन तथा अन्य लागत मूल्यों में बचत के उद्देश्य से स्थानीय क्षेत्र के अंतर्गत ही खाद्यान्न लेवी की खरीद को सीमित रखने, उनका भंडारण करने और उनका वितरण करने संबंधी नीति शुरू की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे क्या फायदे होंगे?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थामस): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अंतर राज्य संपृक्तता योजना

466. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार आर्थिक महत्व तथा अंतर राज्य संपृक्तता योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों को निधियां प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यह योजना किस तिथि से लागू है;

(ग) इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक राज्य के लिए कितनी निधियां निर्धारित की गई हैं और कितनी निधियां जारी की गई हैं;

(घ) क्या सरकार ने उक्त निधियों के उपयोग की कोई समीक्षा की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) सरकार, केन्द्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के अनुसार आर्थिक महत्व और अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क की योजनाओं के अंतर्गत राज्यीय सड़कों के विकास के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षत्रों को धनराशि प्रदान करती है। जबकि अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क की परियोजनाओं का पूर्ण वित्त पोषण सरकार द्वारा किया जाता है वहीं आर्थिक महत्व की परियोजनाओं की अनुमोदित लागत का 50% वित्त पोषण सरकार द्वारा किया जाता है और लागत का शेष 50% संबंधित राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। केन्द्रीय सड़क निधि, वर्ष 1929 में अस्तित्व में थी। यह निधि 1977 के संसदीय

संकल्प द्वारा शासित की जा रही थी। तत्पश्चात, दिसम्बर, 2000 में केन्द्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 लागू हुआ।

(ग) सरकार ने वर्ष 2000-01 से 2009-10 के दौरान राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए आर्थिक महत्व और अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क की योजनाओं के अंतर्गत 1344.52 करोड़ रुपए आबंटित किए हैं और अभी तक 609.76 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। वर्ष 2000-01 से 2009-10 के दौरान आबंटित धनराशि और आर्थिक महत्व और अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क की योजनाओं के अंतर्गत अभी तक जारी धनराशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) सरकार, जारी की गई निधियों के उपयोग की नियमित आधार पर समीक्षा करती रहती है। किसी वित्त वर्ष के दौरान निधि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आबंटन आवश्यकताओं और धनराशि की उपलब्धता के अनुसार किया जाता है। किसी वित्त वर्ष के दौरान धनराशि की प्रथम किश्त, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को आवश्यकता के आधार पर जारी की जाती है। उत्तरवर्ती किश्तें, कार्य की प्रगति और निष्पादन एजेंसी द्वारा सूचित वास्तविक व्यय के आधार पर जारी की जाती हैं। 50% वित्त पोषित कार्यों (अर्थात् आर्थिक महत्व की परियोजनाओं) के लिए धनराशि, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संसाधनों से किए जाने वाले प्रस्तावित व्यय के अनुपात में जारी की जाती है।

विवरण

वर्ष 2000-01 से 2009-10 के दौरान आर्थिक महत्व और अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क की योजनाओं के अंतर्गत आबंटित और जारी की गई धनराशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य	2000-01 से 2003-04$ तक आबंटित कुल धनराशि	2004-05 से 2008-09 तक आबंटित कुल धनराशि	2009-10® के दौरान आबंटित कुल धनराशि	2000-01 से अब तक जारी की गई कुल धनराशि
1	2	3	4	5	5
1.	आंध्र प्रदेश		38.95		20.20
2.	अरुणाचल प्रदेश		30.91		28.33
3.	असम		46.38		16.38
4.	बिहार		15.08		0.00
5.	छत्तीसगढ़		8.42		7.45
6.	गोवा		0.00		0.32
7.	गुजरात		46.47		43.61
8.	हरियाणा		34.67		13.79
9.	हिमाचल प्रदेश		16.05		11.80
10.	जम्मू और कश्मीर		4.02		0.13
11.	झारखंड		3.43		1.99
12.	कर्नाटक	317.62	91.74	213.97	85.94
13.	केरल		4.18		1.25
14.	मध्य प्रदेश		32.06		18.87
15.	महाराष्ट्र		38.56		20.85

1	2	3	4	5	5
16.	मणिपुर		2.27		2.35
17.	मेघालय		3.99		2.14
18.	मिजोरम		23.74		25.84
19.	नागालैंड		21.10		26.38
20.	उड़ीसा		76.95		74.07
21.	पंजाब		21.53		16.43
22.	राजस्थान		41.81		45.73
23.	सिक्किम		45.87		45.89
24.	तमिलनाडु		4.60		8.21
25.	त्रिपुरा		7.43		7.39
26.	उत्तराखंड		28.35		39.75
27.	उत्तर प्रदेश	317.62	52.52	213.97	29.77
28.	पश्चिम बंगाल		15.42		13.30
29.	राज्यों के लिए संस्वीकृत किए जाने वाले नये कार्यों के लिए आरक्षित		0.28		
	उप जोड़	317.62	756.80	213.97	608.16
संघ राज्य क्षेत्र					
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह		0.00		0.00
2.	चंडीगढ़		4.00		0.00
3.	दादरा और नगर हवेली		3.50		0.00
4.	दमन और दीव	0.00	5.90	16.03	1.60
5.	दिल्ली		0.00		0.00
6.	लक्षद्वीप		0.00		0.00
7.	पुडुचेरी		0.00		0.00
8.	संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संस्वीकृत किए जाने वाले नये कार्यों के लिए आरक्षित		26.7		0.00
	उप जोड़	0.00	40.10	16.03	1.60
	कुल जोड़	317.62	796.90	230.00	609.76

[$]2000-01 से 2003-04 के दौरान आर्थिक महत्व और अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क की योजनाओं के लिए धनराशि का आबंटन राज्यवार नहीं किया।

[®]2009-10 के लिए आर्थिक महत्व और अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क की योजनाओं के लिए धनराशि का राज्यवार आबंटन अभी किया जाना है।

गेहूं और चावल का उठान

467. डा. रतन सिंह अजनाला: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम तथा दूसरी सरकारी एजेंसियों द्वारा गेहूं और चावल की खरीद करने/उनके स्टाक को उठाने में विफलता के कारण पंजाब की कई अनाज मंडियों में गेहूं और चावल पड़ा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) भारतीय खाद्य निगम तथा दूसरी खाद्य एजेंसियों द्वारा गेहूं और चावल की खरीद करने/स्टाक को उठाने के लिए फौरी तौर पर क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थामस): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

प्याज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य

468. श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को प्याज उत्पादकों के हितों की रक्षा हेतु प्याज के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की घोषणा करने के लिए महाराष्ट्र सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उस पर की गयी कार्रवाई सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थामस): (क) से (ग) फरवरी, 2008 के दौरान महाराष्ट्र सरकार ने भारत सरकार से यह अनुरोध किया कि वे प्याज के लिए अन्य कृषि जिन्सों की भांति न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करें। इस संबंध में अप्रैल, 2008 में महाराष्ट्र सरकार को यह जानकारी दी गयी थी कि भारत सरकार 25 जिन्सों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है तथा इसके तहत प्याज को शामिल नहीं किया गया है। इसे आगे स्पष्ट कर दिया गया था कि भारत सरकार आमतौर पर उन नष्ट होने योग्य कृषि एवं बागवानी जिन्सों जिसमें प्याज शामिल हैं, के प्रापण के लिए राज्य/संघ शासित सरकारों के अनुरोध पर विपणन हस्तक्षेप योजना को क्रियान्वित करती है जिसे न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत शामिल नहीं किया गया है। इसका उद्देश्य बम्पर फसल की स्थिति में बिक्री की कमी के कारण होने वाली क्षति से उन जिन्सों के उत्पादकों की सुरक्षा करना है। यदि कोई हानि हुई तो उस स्थिति में प्रापण करने वाली एजेंसियों द्वारा (उत्तर-पूर्वी राज्यों की स्थिति में 75:25) 50:50 के आधार पर केन्द्र सरकार एवं संबंधित राज्य सरकार के बीच हिस्सेदारी की जाती है। हानि की राशि की हिस्सेदारी प्रापण लागत की 25% तक सीमित रहती है। विपणन हस्तक्षेप योजना के तहत प्याज के प्रापण के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार से कृषि मंत्रालय में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

भारत-पाकिस्तान सीमा पर सड़क का निर्माण

469. श्री मुकेश भैरवदानजी गढ़वी: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कच्छ और बनासकांठा क्षेत्र में आने वाले भारत-पाकिस्तान सीमा क्षेत्र में सड़क निर्माण कने संबंधी कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) जी हां, महोदया। एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(ख) गुजरात सरकार ने कच्छ और बनासकांठा के सीमावर्ती जिलों को कवर करने के लिए गदूरी हाजीपुर-संथालपुर की 255 कि.मी. सड़क के निर्माण/संवर्धन का एक प्रस्ताव अग्रेषित किया है।

के.वी.आई.सी. के उप-कार्यालय

470. श्री गुथा सुखेन्द्र रेड्डी: क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव देश में राज्यों की राजधानी से इतर स्थानों पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग के उप-कार्यालय खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

डीडी डायरेक्ट प्लस सेवाएं

471. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादमः क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक लोकप्रिय निजी टी.वी. चैनलों ने दूरदर्शन की डीडी डायरेक्ट प्लस सेवा से अपने चैनलों को हटा लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारणों सहित तत्संबंधी चैनलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश के सभी भागों में दूरदर्शन की डीडी डायरेक्ट प्लस सेवा के बेस को बढ़ाने और डिश टी.वी., टाटा स्काई, रिलायंस आदि जैसी निजी कंपनियों की प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. जगतरक्षकन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) डीटीएच सिगनल (कू-बैंड) अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह को छोड़कर पूरे देश में उपलब्ध हैं।

राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा किया जाना

472. श्री एन. चेलुवरया स्वामीः क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) के अंतर्गत शामिल नहीं किए गए देश के सभी एकल लेन राष्ट्रीय राजमार्गों को बिल्ट आपरेट ट्रांसफर आधार पर दो लेन का बनाने के प्रस्ताव पर कार्य कर रही है;

(ख) क्या सरकार का विचार ग्यारहवीं योजनावधि में गैर एनएचडीपी मार्ग खण्डों के उन्नयन हेतु विशेष पैकेज देने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर आर.पी.एन. सिंह): (क) देश में एकल लेन के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों, जो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना में शामिल नहीं हैं, को निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण आधार पर दो लेन का बनाने संबंधी कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, सरकार ने जुलाई, 2008 में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-VIक के अंतर्गत एकल/मध्यम/दो लेन के राष्ट्रीय राजमार्गों की 5000 किमी लंबाई में निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण आधार पर पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन बनाने/सुदृढ़ीकरण के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया था। इसमें राष्ट्रीय राजमार्गों की कम से कम 4,000 किमी लंबाई का बीओटी (पथकर) आधार पर और शेष 1,000 किमी कुल लंबाई का बीओटी (वार्षिकी) आधार पर सुधार कार्य शामिल है।

(ख) से (घ) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और अनुरक्षण एक सतत प्रक्रिया है और ये कार्य यातायात घनत्व, पारस्परिक प्राथमिकता और धनराशि की उपलब्धता के आधार पर किए जाते हैं ताकि राष्ट्रीय राजमार्गों को यातायात योग्य स्थिति में रखा जा सके। 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना में शामिल राष्ट्रीय राजमार्गों से भिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए जिन प्रमुख लक्ष्यों की परिकल्पना की गई है वे लक्ष्य हैं: (i) 12वीं पंचवर्षीय योजना तक राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क को कम से कम दो लेन के मानकों के अनुरूप बनाने और गैर-राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना खंडों के छोटे-छोटे खंडों को चार लेन का बनाने के प्रयासों में तेजी लाना; (ii) राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क को सुदृढ़ करके/सड़क गुणता में सुधार करके सड़क नेटवर्क में अपर्याप्त क्षमता, पेवमेंट की अपर्याप्त मोटाई आदि जैसे विद्यमान दोषों को दूर करना।

पीपीपी मॉडल

473. श्री राजैया सिरिसिल्लाः क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए निजी सरकारी भागीदारी मॉडल पर पुनः विचार कर रही है कि यह अधिकाधिक बोलीदाताओं और निवेशकों को आकर्षित करे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार का विचार पीपीपी मॉडल के अंतर्गत संरक्षा को किस प्रकार बनाये रखने का है;

(घ) क्या पीपीपी मॉडल के अंतर्गत 60-70 से भी ज्यादा राजमार्ग परियोजनाएं बोलीदाताओं की कमी के कारण फंसी पड़ी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर आर.पी.एन. सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं के लिए रियायतग्राही को, आदर्श रियायत करार के अधीन प्रावधानों के अनुसार विनिर्दिष्ट सुरक्षा अपेक्षाओं को पूरा करना होता है।

(घ) और (ङ) वर्ष 2008-09 के दौरान भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 60 परियोजनाओं के लिए बोली प्रक्रिया प्रारम्भ की। अभी तक 19 परियोजनाओं के संबंध में बोलियां प्राप्त हुई हैं और इनमें से 10 परियोजनाएं पहले ही सौंप दी गई हैं। आर्थिक मंदी और कुछ परियोजनाओं के संबंध में निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण (पथ-कर) आधार पर परियोजना के कार्यान्वयन के लिए व्यवहार्यता के अनुभूत अभाव के कारण भी ये परियोजनाएं निविदाकर्ताओं को आकर्षित नहीं कर सकीं।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलिस और चिकित्सा सहायता पोस्ट

474. श्री वैजयंत पांडा: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार निजी सार्वजनिक भागीदारी (पीपीपी) के अंतर्गत सुरक्षित और आरामदायक सड़क यात्रा सुनिश्चित करने के लिए देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर यातायात पुलिस पोस्ट और चिकित्सा सहायता पोस्ट की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उड़ीसा सहित देश में किन-किन राष्ट्रीय राजमार्गों पर इन पोस्टों की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर आर.पी.एन. सिंह): (क) सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं के ''आदर्श रियायत करार'' के अनुसार, यातायात सहायता चौकियां और चिकित्सा सहायता चौकियां रियायतग्राही द्वारा उपलब्ध कराई जानी होती हैं।

(ख) उड़ीसा में सार्वजनिक निजी भागीदारी विधि से अभी तक कोई कार्य नहीं सौंपा गया है। तथापि, अन्य राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों के संबंध में ब्यौरा एकत्र किया जा रहा है।

आनुवांशिक रूप से संवर्धित खाद्य फसलें

475. श्री आनंदराव अडसुल: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई देश भारत से खाद्य पदार्थ खरीदने को वरीयता देते हैं क्योंकि वे आनुवांशिक रूप से संवर्धित मुक्त होते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि आनुवांशिक रूप से संवर्धित खाद्य फसलों की अनुमति दे दी जाए तो क्या भारत का खाद्य फसल निर्यात बुरी तरह प्रभावित हो सकता है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ङ) क्या योजना आयोग और पर्यावरण मंत्रालय ने आनुवांशिक रूप से संवर्धित फसलों को प्रारंभ करने का विरोध किया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) देश में आनुवांशिक रूप से संवर्धित फसलों की खेती करने की अनुमति के मुद्दे पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थामस): (क) और (ख) कई देश विशेष रूप से आनुवांशिक रूप से संशोधित मुक्त (जीएमफ्री) खाद्य पदार्थ की मांग करते हैं। पौध और पौध उत्पादों विशेष रूप से चावल, मूंगफली और तिल बीजों के भारत से आयात पर लगे प्रतिबंधों को हटाने के लिए कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (अपेडा) की अधिकारिक पुष्टि की मांग की। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को भी एक अनुरोध प्राप्त हुआ है जिसमें यह उल्लेख करते हुए कि एक सामान्य पत्र जारी किए जाने का अनुरोध है कि जापान, वियतनाम, थाईलैण्ड, इण्डोनेशिया, चीन, फिलीपीन्स, मध्य पूर्व और यूरोपीय देशों को निर्यात के संबंध में सोयाबीन का वाणिज्यिक उत्पादन केवल गैर-जी एम बीज से है।

(ग) और (घ) बीटी कपास ही केवल ट्रांसजेनिक फसल है जो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की आनुवांशिक इंजिनियरिंग अनुमोदन समिति (जीईएसी) द्वारा भारत में वाणिज्यिक खेती के लिए अनुमोदित है। अत: इस संबंध में भारत के खाद्य फसल निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का कोई प्रश्न ही नहीं होता।

(ङ) और (च) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने भारत में जीएम फसलों को शुरू किए जाने का विरोध नहीं किया है। योजना आयोग ने पहले राष्ट्रीय जैव-प्रौद्योगिकी विनियामक प्राधिकरण की स्थापना का समर्थन किया है।

(छ) अब तक पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की जीईएसी ने केवल एक ट्रांसजेनिक फसल नामत: बीटी कपास की वाणिज्यिक खेती किए जाने का अनुमोदन किया है।

बाढ़ ग्रस्त राज्य

476. श्री रूद्रमाधव रायः
श्री जगदीश शर्माः
श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ **ललन सिंहः**

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारत के विभिन्न भागों में बाढ़ और भूस्खलन सहित प्राकृतिक आपदाओं से जान और माल की क्षति हुई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक वर्ष हुई क्षति का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान राज्यवार मुहैया कराई गयी बाढ़ राहत का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस प्रकार की आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए कोई आकस्मिक और दीर्घकालिक योजनाएं तैयार की गयी हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इसके क्या परिणाम निकले हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) से (च) जी, हां। विगत तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान राज्यों/संघशासित प्रदेशों में चक्रवाती तूफानों/भारी वर्षा/बाढ़/भू-स्खलन के कारण जनजीवन, पशुधन तथा कृषि फसली क्षेत्र एवं मकानों को हुई क्षति के ब्यौरों को दर्शाने वाला विवरण-I संलग्न है।

प्राकृतिक आपदाओं के परिप्रेक्ष्य में सतही तौर पर राहत उपाय करने के लिए प्राथमिक रूप से राज्य सरकारें उत्तरदायी हैं। भारत सरकार संभारतंत्रीय एवं वित्तीय सहायता प्रदान कर राज्य सरकारों के प्रयासों में समर्थन प्रदान करती है। विगत तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (एनसीसीएफ) से निर्गत की गई निधि तथा आपदा राहत कोष (सीआरएफ) से निर्गत किए गए केन्द्रीय अंशदान एवं आबंटन को दर्शाने वाला विवरण-II संलग्न है।

आपदा प्रबंधन योजनाओं की तैयारी तथा विभिन्न स्तरों पर संस्थागत तंत्र विकसित करने, आपदाओं के प्रभावों को कम करने तथा रोकने के लिए सरकार के विभिन्न अंगों द्वारा उपायों को सुनिश्चित करने और किसी आपदा की स्थिति में अर्थपूर्ण, समन्वित एवं तत्काल प्रतिक्रिया शुरू करने का प्रावधान करते हुए आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 को अधिनियमित किया गया था और 26 दिसंबर, 2005 को अधिसूचित किया गया था।

इस अधिनियम के अनुसार, आपदा प्रबंधन संबंधी नीतियां, योजनाएं एवं दिशानिर्देशों को तैयार करने के उत्तरदायित्व के साथ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को पहले ही केन्द्र सरकार ने गठित कर दिया है। राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण ने पहले ही अन्य बातों के साथ-साथ भूकम्पों, बाढ़ों, भू-स्खलनों, चक्रवातों के प्रबंधन पर तथा राज्य आपदा प्रबंधन योजनाओं को तैयार करने के लिए दिशानिर्देश निर्गत कर दिए हैं। इन दिशानिर्देशों के आधार पर, केन्द्रीय मंत्रालयों/राज्य सरकारों द्वारा आपदा विशिष्ट न्यूनीकरण योजनाओं को तैयार किए जाने की आशा है।

बाढ़ नियंत्रण संबंधी योजनाओं को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा योजनाबद्ध, वित्तपोषित एवं प्रतिपादित किया जाता है। केन्द्र सरकार की भूमिका एक तकनीकी, उत्प्रेरक एवं प्रोत्साहनवर्द्धक प्रकृति की होती है। केन्द्र सरकार ने बाढ़ों के प्रबंधन में राज्यों की सहायता करने के लिए विभिन्न उपाय शुरू किए हैं, जिनमें निम्न शामिल हैं:-

(1) बाढ़ की समस्या को देखने तथा उपचारात्मक उपाय सुझाने के लिए 1976 में राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन; इसकी सिफारिशों के आधार पर, देश में बाढ़ प्रबंधन रणनीति तैयार की गई थी और उसे सभी संबंधित राज्यों को अग्रेषित किया गया था।

(2) गंगा की समस्त 23 नदी धाराओं को शामिल करते हुए गंगा बेसिन के राज्यों हेतु 1972 में गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग की स्थापना;

(3) ब्रह्मपुत्र, बराक और उनकी मुख्य सहायक नदियों को शामिल करते हुए ब्रह्मपुत्र बाढ़ प्रबंधन बोर्ड की स्थापना;

(4) राष्ट्रीय जल नीति, 2002 का सूत्रीकरण, जिसमें बाढ़ प्रबंधन एवं नियंत्रण के लिए बेसिनवार मास्टर योजनाओं को तैयार करने तथा भंडारण परियोजनाओं में उपयुक्त बाढ़ संरक्षण प्रदान करने की सिफारिश की गई है;

(5) असम और इसके पड़ोसी राज्यों के साथ-साथ बिहार, पश्चिम बंगाल एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाढ़ प्रबंधन तथा क्षरण नियंत्रण के लिए 2004 में एक कार्यबल का गठन। इस कार्यबल की रिपोर्ट को समस्त संबंधित राज्यों एवं केन्द्रीय मंत्रालयों को परिचालित कर दिया गया है।

(6) संकटपूर्ण बाढ़ प्रबंधन तथा क्षरण नियंत्रण कार्यों हेतु राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता प्रदान करने के लिए नवम्बर, 2007 में केन्द्र सरकार द्वारा 8000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ ''बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम'' नामक एक राज्य स्तरीय योजना (जल संसाधन मंत्रालय की योजना) को मंजूरी प्रदान की गई है।

इन समस्त उपायों से प्राकृतिक आपदाओं के विपरीत प्रभाव के कम होने की आशा है।

विवरण I

वर्ष 2006-07, 2007-08, 2008-09 तथा 2009-10 के दौरान चक्रवाती तूफानों/भारी वर्षा/बाढ़/भू-स्खलनों के कारण हुई क्षति का राज्यवार ब्यौरा

(अनंतिम)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	वर्ष															
		2006-07				2007-08				2008-09				2009-10 (1.7.2009 की स्थिति अनुसार)			
		जीवन की हानि (सं.)	पशुधन की क्षति (सं.)	मकानों को हुई क्षति (सं.)	प्रभावित कृषि फसली क्षेत्र (लाख हेक्टे. में)	जीवन की हानि (सं.)	पशुधन की क्षति (सं.)	मकानों को हुई क्षति (सं.)	प्रभावित कृषि फसली क्षेत्र (लाख हेक्टे. में)	जीवन की हानि (सं.)	पशुधन की क्षति (सं.)	मकानों को हुई क्षति (सं.)	प्रभावित कृषि फसली क्षेत्र (लाख हेक्टे. में)	जीवन की हानि (सं.)	पशुधन की क्षति (सं.)	मकानों को हुई क्षति (सं.)	प्रभावित कृषि फसली क्षेत्र (लाख हेक्टे. में)
1.	आंध्र प्रदेश	247	366308	322074	8.14	296	56112	658072	6.67	148	6692	47239	4.26	5	405	9	–
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	–	4	14736	12987	0.28	57	3510	17100	1.74	–	–	–	–
3.	असम	7	20	2367	0.11	142	1660	414444	6.75	40	8004	91367	3.14	–	–	–	–
4.	बिहार	25	19	17447	0.75	976	988	690466	16.62	527	19323	236621	3.68	–	–	–	–
5.	छत्तीसगढ़	37	9653	15820	0.15	15	53	12482	0.026	2	2	5752	0.016	–	–	–	–
6.	गुजरात	293	8421	161625	7.47	486	9707	41756	4.68	94	240	907	–	26	95	186	–
7.	गोवा	–	–	5	0.00	3	–	1100	neg.	10	2	218	–	–	–	78	–
8.	हरियाणा	6	–	–	–	–	–	–	–	15	29	390	0.53	–	–	–	–
9.	हिमाचल प्रदेश	48	846	4379	0.94	98	3087	10820	1.13	146	3625	16838	1.55	–	–	–	–
10.	जम्मू और कश्मीर	25	2677	11835	0.61	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
11.	झारखंड	5	101	3011	0.03	2	2	986	0.01	1	1	1411	neg.	–	–	–	–
12.	कर्नाटक	123	236	20440	1.55	248	15589	249046	7.45	167	568	17665	1.59	64	852	587	–
13.	केरल	180	2269	114435	0.24	281	2813	60129	1.77	76	8	9754	0.06	32	8	3237	1074
14.	मध्य प्रदेश	168	6107	129998	–	76	307	18321	0.04	16	1138	10039	–	–	–	–	–
15.	महाराष्ट्र	423	13417	594516	12.59	155	1477	47045	–	98	178	6314	0.14	–	–	–	–
16.	मिजोरम	–	–	–	–	12	8	2243	0.04	–	–	–	–	–	–	–	–
17.	उड़ीसा	90	1656	120356	3.09	91	662	104712	3.19	110	1366	245211	4.45	–	–	–	–
18.	पंजाब	8	16	224	0.02	7	18	527	0.28	38	90	13170	2.07	–	–	–	–
19.	राजस्थान	146	42253	254844	17.36	63	5114	10058	neg.	68	18	4129	–	–	–	–	–
20.	सिक्किम	–	–	–	–	12	911	1440	neg.	–	–	–	–	–	–	–	–
21.	तमिलनाडु	23	67	444	17.37	95	1189	25998	5.86	186	3942	158808	5.97	2	23	17	–
22.	त्रिपुरा	4	–	–	–	8	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23.	उत्तर प्रदेश	508	588	–	–	261	157	165064	5.13	1210	769	191718	4.98	11	–	–	–
24.	उत्तराखंड	–	–	–	–	83	275	979	–	104	–	850	–	–	–	–	–
25.	पश्चिम बंगाल	36	697	160575	0.45	348	4154	996948	24.91	288	3924	439982	1.25	137	49994	894882	4.47
26.	पुडुचेरी	–	268	285	neg.	2	199	1415	0.3	4	404	131422	0.137	–	–	–	–

विवरण II

वर्ष 2006-07 से 2009-10 के दौरान सीआरएफ/एनसीसीएफ के आवंटन एवं निर्गमों के राज्यवार ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	राज्य	सीआरएफ के अंतर्गत आबंटन				सीआरएफ में केन्द्रीय आबंटन				एनसीसीएफ से निर्गत			
		2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10 (आज तक)	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10 (आज तक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	361.28	379.35	398.31	418.22	335.48	219.99	298.73	156.84	203.06	37.51	29.82	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	29.12	29.97	30.87	31.81	21.84	22.48	23.15	0.00*	44.38	0.00	26.40	32.29
3.	असम	198.62	204.48	210.63	217.06	221.37#	153.36	157.97	0.00*	0.00	0.00	300.00	0.00
4.	बिहार	153.23	157.74	162.48	167.45	55.85*	233.24#	121.86	0.00*	0.00	0.00	1000.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	114.98	118.35	121.91	125.62	150.33	65.57	45.72	45.72#	0.00*	0.00	1000.00	0.00
6.	गोवा	2.21	2.32	2.44	2.56	2.45	1.74	1.83	0.00*	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	258.30	271.22	284.77	299.00	246.87	48.57	315.29#	112.13	545.69	0.00	0.00	0.00
8.	हरियाणा	130.60	137.13	143.99	151.18	107.85	102.85	54.00	0.00*	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	103.60	106.65	109.87	113.21	77.70	79.99	103.63	0.00*	25.14	24.59	40.33	0.00
10.	जम्मू और कश्मीर	88.96	91.58	94.33	97.21	66.72	68.68	35.38	35.38#	0.00	13.51	0.00	0.00
11.	झारखंड	129.71	133.53	137.55	141.75	48.64	148.79#	51.58	51.58#	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	कर्नाटक	120.39	126.41	132.73	139.36	113.98	71.11	99.55	0.00*	384.97	68.89	189.11	0.00
13.	केरल	89.77	94.26	98.98	103.91	67.33	70.70	74.23	38.96	0.00	50.81	9.48	0.00
14.	मध्य प्रदेश	261.58	269.29	277.39	285.88	246.67	151.48	208.04	0.00*	30.85	0.00	0.00	0.00
15.	महाराष्ट्र	234.05	245.75	258.04	270.94	220.00	47.70	0.00*	0.00*	589.90	168.92	0.00	0.00
16.	मणिपुर	5.72	5.89	6.05	6.25	0.00*	10.67#	4.48#	0.00*	0.00	0.00	5.45	0.00
17.	मेघालय	11.61	11.95	12.31	12.68	12.95	8.96	9.23	0.00*	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	मिजोरम	6.77	6.97	7.19	7.40	5.01	7.77#	0.00*	2.70#	0.00	8.81	49.60	0.00
19.	नागालैंड	3.94	4.05	4.16	4.30	0.00*	7.42#	3.12	0.00*	0.81	0.00	0.00	0.00
20.	उड़ीसा	310.24	319.38	328.97	339.03	291.34	180.87	324.50@	49.37	25.00	0.00	98.87	0.00
21.	पंजाब	153.33	160.99	169.04	177.49	112.26	178.24#	126.78	0.00*	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	राजस्थान	436.42	458.25	481.16	505.21	413.66	257.34	360.87	189.45	100.00	0.34	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23.	सिक्किम	18.04	18.57	19.13	19.70	0.00*	27.46#	14.35	0.00*	5.20	0.00	8.36	0.00
24.	तमिलनाडु	219.53	230.51	242.03	254.13	243.06	172.88	229.17	0.00*	0.00	0.00	522.51	0.00
25.	त्रिपुरा	13.22	13.61	14.03	14.44	14.60	10.07#	10.37#	0.00*	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	उत्तर प्रदेश	304.48	313.45	322.87	332.75	228.36	235.10	242.15	0.00*	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	उत्तराखंड	96.59	98.58	100.67	101.85	36.22	73.19#	112.47#	0.00*	7.06	0.00	0.00	0.00
28.	पश्चिम बंगाल	241.50	248.62	256.09	263.92	181.12	186.47	192.07	98.97	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	4097.79	4258.85	4427.99	4604.31	3521.07	2842.67	3220.48	781.07	1962.06	373.38	2279.92	32.29

*सीआरएफ के केन्द्रीय अंशदान को पूर्व में निर्गत निधि को क्रेडिट किए जाने, उपयोग प्रमाण-पत्र तथा वार्षिक रिपोर्ट से संबंधित जानकारी के अभाव में निर्गत नहीं किया गया है।

#पूर्व वर्ष संबंधी सीआरएफ के बकाया सहित।

दिल्ली-मुम्बई-कोलकाता रेल फ्रेट कारिडोर

477. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार दिल्ली-मुम्बई-कोलकाता रेल फ्रेट कारिडोर को सड़क नेटवर्क से जोड़ने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान सड़क निर्माण के लक्ष्यों को पूरा कर लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो कमी के क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) यह मंत्रालय मुख्यत: राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार है जिसमें प्रस्तावित दिल्ली-मुम्बई-कोलकाता रेल भाड़ा महामार्ग को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और अनुरक्षण एक सतत् प्रक्रिया है। तथापि, इस मंत्रालय के पास सड़क नेटवर्क से दिल्ली-मुम्बई-कोलकाता रेल भाड़ा महामार्ग को जोड़ने के लिए वर्तमान में कोई अलग योजना या स्कीम नहीं है।

(ग) से (ङ) उक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

हिंसा से निपटने के उपाय

478. श्री एम. राजा मोहन रेड्डी:
श्री राधा मोहन सिंह:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल में लालगढ़ सहित देश के विभिन्न भागों में हिंसा पर नियंत्रण के लिए राज्यों से अपने सुरक्षा बल तैनात करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन हिंसाओं में गिरफ्तार किए गए और मारे गए नक्सलवादियों की संख्या सहित घायल हुए और मारे गए अर्धसैनिकों और सुरक्षा कर्मियों की संख्या क्या है; और

(घ) इस समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (घ) वामपंथी उग्रवाद के मामलों के साथ निपटने के लिए राज्य में उपयुक्त कार्रवाई संबंधित राज्य करते हैं। केन्द्र सरकार विभिन्न तरीकों से उनके प्रयासों में सहायता प्रदान करती है। इनमें केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों (सीपीएमएफ) तथा कमाण्डो बटालियन फार रिजोल्यूट एक्शन (कोबरा) की तैनाती; इंडिया रिजर्व (आईआर) बटालियनों की स्वीकृति; आतंकवाद रोधी एवं घुसपैठ रोधी (सीआईएटी) विद्यालयों की स्थापना; राज्य पुलिस बलों का

आधुनिकीकरण योजना (एमपीएफ स्कीम) के अंतर्गत राज्य पुलिस तथा उनके खुफिया तंत्र का आधुनिकीकरण एवं उन्नयन; सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) योजना के अंतर्गत सुरक्षा संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति; वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों में विशेष अवसंरचना संबंधी योजना के अंतर्गत बड़ी अवसंरचनात्मक कमियों को दूर करना; रक्षा मंत्रालय, केन्द्रीय पुलिस संगठन तथा पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के माध्यम से राज्य पुलिस के प्रशिक्षण में सहायता; खुफिया जानकारी का आदान-प्रदान; अन्तर-राज्यीय समन्वय की सुविधा प्रदान करना; राज्य के अन्दर और राज्य से बाहर विशेष रूप से समन्वित संयुक्त कार्रवाईयों को शुरू करना, सामुदायिक पुलिस व्यवस्था तथा नागरिक कार्रवाईयों में सहायता और विभिन्न मंत्रालयों की शृंखलाबद्ध योजनाओं के माध्यम से विकास में सहायता करना शामिल हैं।

2009 (30 जून तक) के दौरान नक्सली हिंसा की 1128 घटनाएं हुई थीं जिसके परिणामस्वरूप 455 नागरिक और सुरक्षा कर्मी हताहत हुए थे। 107 नक्सली मारे गए थे और 861 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया था।

सड़क निर्माण की स्थिति

479. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सड़क निर्माण की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए राज्य सड़क मंत्रियों की कोई बैठक बुलायी गयी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्यों ने राष्ट्रीय राजमार्ग तथा राज्य सड़कों के निर्माण में क्या कठिनाइयां बताई हैं;

(ग) क्या सरकार ने सड़क बनाने वालों और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के बीच बेहतर समन्वय के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को अनुदेश जारी किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) 24 जून, 2008 को तत्कालीन केन्द्रीय पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री की अध्यक्षता में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में राजमार्गों के प्रभारी मंत्रियों की एक बैठक हुई थी जिसमें राष्ट्रीय राजमार्गों और केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं संबंधी उन महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया जिनसे परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था और जिन्हें हल करने के लिए तुरंत हस्तक्षेप की आवश्यकता थी। इस बैठक के दौरान राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के राजमार्गों के प्रभारी मंत्रियों ने मुख्यत: जो मुद्दे उठाए, वे मुद्दे हैं- राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण तथा केन्द्र द्वारा प्रायोजित अन्य सड़क कार्यों के लिए धनराशि का आबंटन में वृद्धि का प्रस्ताव, संस्वीकृति में वृद्धि करना, राष्ट्रीय राजमार्गों पर विकास कार्यों के लिए मूल्यवृद्धि संबंधी प्रस्ताव, कार्यों को शीघ्र संस्वीकृत करना, राज्य सरकारों को और अधिक शक्तियों का विकेन्द्रीकरण तथा प्रत्यायोजन, विद्यमान दोषों को दूर करने सहित एकल लेन/मध्यम लेन के रारा खंडों को 2 लेन का बनाने संबंधी प्रस्ताव, 4 लेन के खंडों पर अंडर पास तथा पैदल पार पुलों का समुचित संख्या में प्रावधान करना, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा नियुक्त उद्यमियों तथा ठेकेदारों द्वारा रारा निर्माण अवधि के दौरान सेवा के अपेक्षित स्तर तक खंडों का उचित रख-रखाव एवं अनुरक्षण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा अपने कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व राज्य सरकार तथा स्थानीय प्राधिकरण को विधिवत सूचित किया जाना, पथ-कर नीति की समीक्षा, सड़क सुरक्षा कार्य, नये राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा संबंधी प्रस्ताव, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण तथा इस मंत्रालय के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत बनाना, रेल उपरि/निचले पुलों के डिजाइन को शीघ्र अंतिम रूप प्रदान करने के लिए रेल मंत्रालय के साथ इस मंत्रालय का समन्वय, परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों का पुनरुद्धार एवं पुनर्वास, भूमि अधिग्रहण के लिए समान नीति को सुनिश्चित करना आदि।

(ग) और (घ) डेवलपर्स ने, अन्य बातों के साथ-साथ भूमि अधिग्रहण, सुविधाओं के स्थानांतरण, अर्थ क्षमता अंतर वित्तपोषण के भुगतानों तथा विचलनों से संबंधित मुद्दे उठाए हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को ठेके के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।

सोयाबीन की खेती

480. श्री दुष्यंत सिंह: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार चालू खरीफ मौसम के दौरान सोयाबीन की खेती के क्षेत्र को बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों में इस प्रकार की वृद्धि करने का प्रस्ताव है;

(ग) राजस्थान सहित देश के कुल कितने अतिरिक्त क्षेत्र को सोयाबीन की खेती के अंतर्गत लाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) सोयाबीन उत्पादकों को क्या प्रोत्साहन दिये जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) इस प्रयोजनार्थ कितनी केन्द्रीय सहायता मुहैया कराए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थामस): (क) से (ग) सोयाबीन का क्षेत्र 1970-71 में 0.03 मिलियन हेक्टेयर से बढ़कर 2008-09 में 9.51 मिलियन हैक्टेयर हो गया।

सोयाबीन उगाने वाले प्रमुख राज्यों जैसे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात और छत्तीसगढ़ ने खरीफ 2009 में सोयाबीन के तहत क्षेत्र में वृद्धि दर्शाई है।

(घ) भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही तिलहन, दलहन, आयलपाम तथा मक्का की समेकित स्कीम (आइसोपाम) और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के तहत सोयाबीन के लिए सहायता उपलब्ध है। आइसोपाम का कार्यान्वयन 14 प्रमुक तिलहन उत्पादक राज्यों में किया जा रहा है। आइसोपाम के तहत सहायता प्राप्त घटकों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) वर्ष 2009-10 के दौरान आइसोपाम के अंतर्गत तिलहनों, दलहनों, आयलपाम और मक्का विकास कार्यक्रमों के लिए 320 करोड़ रुपये की राशि रखी गई है।

विवरण

आइसोपाम के तहत घटकों पर उपलब्ध सहायता

क्र.सं.	घटक
1	2
1.	तिलहन, दिलहन तथा मक्का के प्रजनक बीज का उत्पादन
2.	तिलहन, दिलहन तथा मक्का के प्रजनक बीज की खरीद
3.	तिलहन, दिलहन तथा मक्का के आधारी बीज का उत्पादन
4.	तिलहन, दिलहन तथा मक्का के प्रमाणित बीज का उत्पादन
5.	तिलहन, दिलहन तथा मक्का के प्रमाणित बीज का वितरण
6.	मिनिकिट का वितरण (किस्म संबंधी विविधीकरण)
7.	सिंचाई सुविधाओं तथा थ्रेशिंग फ्लोर तथा बीज भण्डारण गोदामों के विकास हेतु बीज का अवसंरचना विकास
8.	ब्लाक प्रदर्शन/बायो-गहनता
9.	मूंगफली में पालिथिन मल्व प्रौद्योगिकी संबंधी ब्लाक प्रदर्शन
10.	समेकित कृषि प्रबंधन (आईपीएम)
11.	अग्रणी प्रदर्शन
12.	मूंगफली में पालिथिन मल्व प्रौद्योगिकी संबंधी अग्रणी प्रदर्शन
13.	कृषक प्रशिक्षण
14.	अधिकारियों का प्रशिक्षण
15.	प्रचार
16.	पौध संरक्षण रसायन
17.	पौध संरक्षण उपकरण
18.	खरपतवारनाशी
19.	न्यूक्लिअर पालीहेड्रोसिस वाइरस (एनपीवी)
20.	राइजोबियम कल्चर/फास्फेट घुलनशील वैक्टीरिया की आपूर्ति
21.	जिप्सम/पाइराइट/लाइमिंग/डोलोमाईट का वितरण
22.	छिड़कावक सेटों का वितरण
23.	स्रोत से खेत तक पानी ले जाने के लिए पाईप
24.	कमी वाले क्षेत्रों में सूक्ष्मपोषकों की आपूर्ति
25.	उन्नत फार्म उपकरणों की आपूर्ति
26.	स्टाफ तथा आकस्मिकताएं
27.	संविदा अनुसंधान
28.	नई पहलें

पुलिस सुधार

481. श्रीमती मेनका गांधी: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सोली सोराबजी समिति द्वारा की गयी सिफारिशों के आलोक में पुलिस सुधार पर विधेयक पुर: स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) इस प्रकार का विधेयक कब तक पुर:स्थापित किए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या उच्चतम न्यायालय ने पुलिस सुधार पर सरकार को कोई निदेश जारी किए थे; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) से (घ) सोली सोराबजी समिति द्वारा की गयी सिफारिशों के आलोक में पुलिस सुधार संबंधी एक विधेयक लाने का सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत पुलिस राज्य का विषय है, इसी कारणवश पुलिस सुधार प्राथमिकत: राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। यह भी उल्लेखनीय है कि गृह मंत्रालय ने सितम्बर, 2005 में एक आदर्श पुलिस अधिनियम का मसौदा तैयार करने के लिए सोराबजी समिति का गठन किया था जिसने 30 अक्तूबर, 2006 को आदर्श पुलिस अधिनियम के साथ अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। समिति द्वारा तैयार किए गए आदर्श पुलिस अधिनियम की प्रतिलिपि विचारार्थ एवं उपयुक्त कार्रवाई हेतु समस्त राज्यों/संघशासित प्रदेशों को भेज दी गयी थी। उपलब्ध जानकारी के अनुसार असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा तथा उत्तराखण्ड ने या तो नया पुलिस अधिनियम तैयार कर लिया है या वर्तमान अधिनियम को संशोधित कर दिया है।

(ङ) और (च) रिट याचिका (सिविल) सं. 310/1996- प्रकाश सिंह एवं अन्य बनाम यूओआई एवं अन्य में, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस सुधार के विभिन्न पहलुओं पर दिनांक 22.9.2006 को निर्णय पारित किया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ (1) राज्य सुरक्षा आयोग की स्थापना, (2) पुलिस महानिदेशक की चयन पद्धति तथा न्यूनतम कार्यकाल, (3) पुलिस महानिरीक्षक तथा अन्य मुख्य पुलिस कर्मियों का न्यूनतम कार्यकाल, (4) कानून एवं व्यवस्था स्कंध से जांच स्कंध को अलग करना, (5) पुलिस शिकायत प्राधिकरण की स्थापना शामिल थी, और केन्द्र सरकार/ राज्य सरकारों तथा संघशासित प्रदेशों को हिदायत दी कि अनुपालन संबंधी अपना शपथपत्र दाखिल करें। तदनुरूप, उनके द्वारा शपथपत्र दाखिल कि गए थे जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अनुपालन की स्थिति के साथ सुप्रीम कोर्ट के कुछ आदेशों को अनुपालन करने की परेशानियों को बताया गया था। मामले पर विभिन्न तारीखों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सफलतापूर्वक सुनवाई की गयी। इस पर अन्तिम सुनवाई 16.5.2008 को की गई थी, जिसमें दिनांक 22.9.2006 के अपने निर्णय में पूर्व में दिए गए विभिन्न निर्देशों के कार्यान्वयन के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस के.टी. थामस, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में तथा सदस्यों के रूप में अन्य दो व्यक्तियों के साथ एक आयोग को गठित करने का निर्देश दिया जो निर्धारित शर्तों एवं नियमों के अनुरूप हो जैसा कि आयोग द्वारा रूपान्तरित किया गया है। आयोग को शुरुआती तौर पर दो वर्षों की समयावधि प्रदान की गई है। हालांकि, यदि आवश्यक हुआ तो, माननीय सुप्रीम कोर्ट इसकी समयावधि को बढ़ा सकता है। आयोग द्वारा किए गए रूपान्तरण के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तें निम्नानुसार हैं:-

(1) आधारभूत वास्तविकताओं के संदर्भ में कोर्ट के निर्देशनों के अनुपालन में विभिन्न राज्यों एवं संघशासित प्रदेशों द्वारा प्रस्तुत किए गए शपथपत्रों की जांच करना।

(2) कार्यान्वयन में प्रतिक्रियादाताओं द्वारा बताई गई परेशानियों पर विचार करने के बाद, कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में जहां कमी आ रही है वहां प्रतिक्रियादाताओं को सलाह देना।

(3) एक राज्य या संघशासित प्रदेश में व्याप्त विशिष्ट परिस्थितियों के मद्देनजर प्रतिक्रियादाताओं को हो रही किसी वास्तविक परेशानियों की जानकारी कोर्ट को देना।

(4) पुलिस के संबंध में विभिन्न राज्यों द्वारा लागू किए गए नए कानूनों की यह देखने के लिए जांच करना कि ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन करते हैं या नहीं।

(5) किसी प्रतिक्रियादाता की ओर से होने वाले अनावश्यक विलम्ब या आपत्तियों के बारे में कोर्ट को सूचित करना जिससे कि उस प्रतिक्रियादाता के विरुद्ध उपयुक्त अनुवर्ती कार्रवाई की जा सके।

(6) प्रत्येक छ: महीने पर माननीय सुप्रीम कोर्ट को अनुपालन संबंधी स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

आयोग ने इस संबंध में अब तक सात बैठकें की हैं। आयोग माननीय सुप्रीम कोर्ट को आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। मामला इस समय न्यायाधीन है।

[हिन्दी]

हिरासत में मौत

482. श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे:
श्री नवजोत सिंह सिद्धू:
डा. रतन सिंह अजनाला:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में हिरासत में मौत होने के मामले बढ़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान 14 वर्ष की आयु से कम के बच्चों सहित उक्त अवधि के दौरान राज्यवार ऐसे कुल कितने मामले प्रकाश में आए हैं;

(ग) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध की गयी कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(घ) भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (ग) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 2006 से 2008 और 2009 (28.6.2009) की अवधि के दौरान देश में दर्ज हिरासत में हुई मौत की कुल संख्या निम्नानुसार है:-

वर्ष	अभिरक्षा में हुई मौत
2006	89
2007	118
2008	07
2009 (28.6.2009 तक)	02

14 वर्ष से कम आयु के बच्चों की हिरासत में हुई मौतों की संख्या के संबंध में आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते हैं।

दर्ज मौतों, चार्जशीट किए गए पुलिसकर्मियों तथा दोषसिद्ध पुलिसकर्मियों की संख्या को दर्शाने वाला राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) कानून एवं व्यवस्था राज्य का विषय है। इसलिए प्रत्येक अपराध में राज्य सरकार को उपयुक्त कार्रवाई करनी होती है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य सरकारों/संघशासित प्रदेश के प्राधिकारियों का दायित्व है कि वे प्रत्येक मौत की सूचना मृतक की मौत के कारण सहित इसके होने के 24 घंटे के अंदर दें चाहे वह पुलिस हिरासत में हुई हो या न्यायिक हिरासत में। आपराधिक दण्ड संहिता की धारा 176 में संशोधन कर प्रावधान किया गया है कि पुलिस की हिरासत में एक व्यक्ति के लापता होने या मृत्यु होने के मामले में अनिवार्य न्यायिक जांच होगी और मृत्यु के मामले में, आपराधिक दण्ड संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2005 के तहत मृत्यु होने के 24 घंटे के अन्दर लाश का परीक्षण किया जाएगा।

विवरण

2006-2009 (28.6.2009 तक) के दौरान हिरासत में हुई मौत के अंतर्गत दर्ज मौत (डीआर), चार्जशीट किए गए पुलिस कर्मी (पीसीएस) तथा दोषसिद्ध पुलिसकर्मी (पी.वी.वी.)

राज्य	2006			2007			2008 (अनंतिम)			2009 (28.6.2009 तक) (अनंतिम)		
	डीआर	पीसीएस	पीसीवी	डीआर	पीसीएस	पीसीवी	डीआर	पीसीएस	पीसीवी	डीआर	पीसीएस	पीसीवी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
आंध्र प्रदेश	28	0	0	23	2	0	1	0	0	1	0	0
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
असम	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
बिहार	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
छत्तीसगढ़	1	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0
गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
गुजरात	8	0	0	15	0	0	2	0	0	0	0	0
हरियाणा	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
जम्मू और कश्मीर	1	0	0	4	4	0	1	0	0	0	0	0
झारखंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कर्नाटक	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
केरल	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
मध्य प्रदेश	2	5	4	11	6	0	0	0	0	0	0	0
महाराष्ट्र	18	0	0	26	0	0	0	0	0	1	0	0
मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
मेघालय	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
मिजोरम	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
नागालैंड	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
उड़ीसा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
पंजाब	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
राजस्थान	4	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
सिक्किम	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
तमिलनाडु	6	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
त्रिपुरा	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उत्तर प्रदेश	6	2	7	11	19	0	3	0	0	0	0	0
उत्तराखंड	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
पश्चिम बंगाल	8	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल राज्य	88	7	11	116	34	0	7	0	0	2	0	0
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
चंडीगढ़	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
दादरा और नगर हवेली	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
दमण और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
दिल्ली संघ शासित राज्य	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
पुडुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल संघ शासित राज्य	1	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0
कुल अखिल भारत	89	7	11	118	35	0	7	0	0	2	0	0

स्रोत: भारत में अपराध
टिप्पणी: चार्जशीट किए गए तथा दोषसिद्ध पुलिस कर्मियों की संख्या में पूर्व वर्ष में दर्ज मामले भी शामिल हो सकते हैं।

[अनुवाद]

नारियल की खेती

483. श्री पी. करूणाकरन: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्पादकता सुधारने के लिए नारियल की खेती हेतु केरल के कुट्टानाड में किसी योजना का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केरल सरकार से इस योजना के अंतर्गत और जिलों को शामिल करने का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थामस): (क) और (ख) जी, हां। नारियल विकास बोर्ड (सीडीबी), कृषि मंत्रालय, भारत सरकार ने केरल के कुट्टानाड में नारियल विकास हेतु एक विशेष पैकेज को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव किया है। कार्यक्रम के प्रमुख घटक हैं:- (1) समेकित नारियल खेती, (2) गुणवत्ताप्रद पौधों के साथ रोगग्रस्त एवं कम पैदावार वाले पामो का पुन: रोपण और (3) नारियल आधारित उद्यमों का संवर्धन। नारियल विकास बोर्ड स्कीम के तहत उपलब्ध सहायता के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए गए हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। केरल सरकार ने 63.00 करोड़ रुपये की कुल लागत पर इडुक्की जिले में नारियल के पुनरुद्धार संबंधी एक परियोजना प्रस्तुत की है। नारियल विकास बोर्ड, कृषि मंत्रालय ने सीडीबी स्कीमों के विद्यमान प्रावधानों के अनुसार इडुक्की जिले में नारियल पुनरुद्धार पैकेज के कार्यान्वयन हेतु केरल सरकार को वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव किया है। नारियल विकास बोर्ड स्कीम के तहत उपलब्ध सहायता के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

नारियल विकास बोर्ड के कार्यक्रमों के तहत सहायता के ब्यौरे

(1) उत्पादकता सुधार हेतु नारियल जोत में समेकित खेती

(क) दो वार्षिक किश्तों में भुगतान किए गए 35,000 रु. प्रति है. की वित्तीय सहायता से वैज्ञानिक प्रबन्धन पद्धतियों के मूल्य को प्रदर्शित करने के लिए प्रदर्शन प्लाटों को तैयार करना।

(ख) जैव खादों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए जैव खाद इकाईयों की स्थापना हेतु लागत के 50% की दर से वित्तीय सहायता जो कि 20,000 रु. प्रति इकाई तक सीमित है, प्रदान करने की स्कीम।

(2) रोपण सामग्री का उत्पादन एवं वितरण

(क) केरल सरकार तथा नारियल विकास बोर्ड के बीच 50: 50 के लागत शेयरिंग के आधार पर संकरों एवं अन्य कल्टीवरों का उत्पादन एवं वितरण।

(ख) केरल सरकार तथा नारियल विकास बोर्ड के बीच 50: 50 के लागत शेयरिंग के आधार पर क्षेत्रीय नारियल नर्सरियों की स्थापना।

(ग) नारियल नर्सरी की स्थापना के लिए लागत के 25% की दर पर, 2.00 लाख रु. तक सीमित तथा बीज उद्यान की स्थापना के लिए 6.00 लाख रु. तक सीमित, वित्तीय सहायता से पंजीकृत/निजी/अनुमोदित नारियल नर्सरियों को सहायता।

(3) नारियल प्रौद्योगिकी मिशन

(क) परियोजना आधार पर मूल्य वर्धन हेतु उत्पाद विविधीकरण एवं सह-उत्पाद उपयोगिता के लिए नारियल आधारित उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए सहायता।

प्रतिबंधित कीटनाशकों के प्रयोग पर रोक

484. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषकों द्वारा अभी भी अनेक प्रतिबंधित कीटनाशकों का उपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन कीटनाशकों का उपयोग और विपणन रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थामस): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कीटनाशक के आयात, विनिर्माण, बिक्री, परिवहन, वितरण और उपयोग को कीटनाशी अधिनियम, 1968 या उसके तहत बनाए गए नियमों के अधीन विनियमित किया जाता है। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे कीटनाशी का आयात, विनिर्माण, बिक्री या वितरण नहीं करेगा, जिनकी बिक्री और वितरण प्रतिबंधित है।

केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों ने कीटनाशी निरीक्षकों को अधिसूचित किया है जो मण्डी में उपलब्ध कीटनाशियों पर नजर रखते हैं, समय-समय पर नमूने लेते हैं और अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करके कीटनाशियों को बेचे जाने या वितरित किए जाने पर प्रशासनिक/कानूनी कार्रवाई करते हैं।

[हिन्दी]

कृषि भूमि का सर्वेक्षण

485. श्री संजय सिंह चौहान: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कृषि उत्पादकता के उतरते चढ़ते सूचकांक के मद्देनजर कृषि भूमियों का कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन क्षेत्रों में उत्पादकता की प्रतिशतता में वृद्धि अथवा कमी दर्ज की गयी है;

(ग) उत्पादकता में कमी के राज्यवार क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार द्वारा कृषि भूमि की उत्पादकता में कमी को रोकने के लिए कोई सुधारात्मक उपाय किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थामस): (क) और (ख) नहीं, महोदया। तथापि, राज्य सरकारें भिन्न-भिन्न राज्यों में उगाई जाने वाली फसलों की उत्पादकता का आकलन लगाने के लिए फसल कटाई परीक्षण संचालित करती हैं। त्रैवार्षिक समाप्ति 1981-82=100 को आधार मानते हुए वर्ष 2003-04 से 2008-09 के लिए विभिन्न फसलों की उत्पादकता का सूचकांक संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) भिन्न-भिन्न फसलों की उत्पादकता मृदा उर्वरता, उर्वरकों के प्रयोग, बारिश के पैटर्न, मौसम की दशाओं, बीजों की गुणवत्ता/किस्म आदि पर निर्भर करती है। इस प्रकार उत्पादकता में उतार-चढ़ाव भरी प्रवृत्तियां भिन्न-भिन्न क्षेत्रों/राज्यों में उगाई जाने वाली फसलों में महसूस की गयी हैं जो उपर्युक्त कारकों के अस्तित्व पर निर्भर करती हैं।

(घ) और (ङ) सरकार ने देश में फसलों का उत्पादन तथा उत्पादकता को बढ़ाने के लिए बहुत से कदम उठाए हैं तथा बहुत से कार्यक्रम यथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, कृषि का वृहत प्रबंधन, तिलहनों, दालों, पाम आयल तथा मक्के की एकीकृत योजना (आइसोपाम) और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना आदि कार्यान्वयन के अधीन हैं।

विवरण

प्रमुख फसलों की पैदावार का अखिल भारतीय सूचकांक

(त्रैवार्षिक समाप्ति 1981-82=100)

फसल	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
1	2	3	4	5	6	7
चावल	167.5	159.9	169.4	171.7	177.4	175.5
गेहूं	171.0	164.0	165.1	170.7	176.7	176.9
ज्वार		114.5	126.5	121.3	146.7	135.3
बाजरा	262.1	197.3	184.2	203.5	239.2	233.0
मक्का	185.0	172.9	175.8	173.4	211.7	208.7
रागी	113.0	150.0	147.0	117.4	148.6	138.5
जौ	177.0	175.5	173.7	184.2	177.9	192.6
छोटे अनाज	119.8	109.8	112.1	120.1	134.1	125.4
मोटे अनाज	169.5	156.9	169.7	171.2	207.2	203.7
कुल अनाज	168.9	160.7	183.4	187.7	199.8	198.8
तूर	96.7	96.2	110.3	93.7	119.1	100.3
चना	140.8	141.4	140.3	146.7	132.3	134.3
अन्य दालें	165.7	132.6	132.8	143.0	150.2	149.8
कुल दालें	140.5	127.0	133.5	136.5	139.3	137.5
खाद्यान्न	165.3	156.5	176.7	180.4	191.1	190.7
मूंगफली	161.2	121.2	141.0	102.9	173.4	138.9
तिल	247.4	196.6	200.1	195.2	226.2	202.7
रेपसीड तथा सरसों	228.5	204.6	220.3	216.0	197.4	227.8
अलसी	179.1	164.3	171.5	167.1	151.7	157.6
अरण्डी बीज	224.0	215.4	231.2	244.7	270.0	257.9
कुसुम्भ	78.8	100.0	133.3	135.5	149.0	114.6
रामतिल	109.3	113.1	112.9	111.7	116.4	126.5
सूरजमुखी	83.5	98.7	110.6	101.9	137.6	111.7
सोयाबीन	175.0	133.3	157.5	155.9	181.2	156.5
नौ तिलहन	176.1	149.2	168.9	152.4	185.4	168.9
नारियल	120.8	127.2	146.0	156.9	148.6	148.6
कपास बीज	191.2	197.8	225.5	261.8	290.9	289.5
कुल तिलहन	166.3	147.5	183.7	170.8	188.3	177.7

1	2	3	4	5	6	7
कपास (लिन्ट)	192.4	199.0	226.9	263.5	292.7	261.8
पटसन	162.0	163.0	176.1	174.6	168.4	161.6
मेस्ता	125.7	128.1	131.3	139.9	141.0	135.9
गन्ना	107.4	117.1	121.0	124.8	124.6	119.2

2008-09 के आंकड़े दिनांक 8.5.2009 को जारी तीसरे अग्रिम अनुमानों पर आधारित है।

[अनुवाद]

कृषि हेतु आवंटन

486. श्री कालीकेश नारायण सिंह देव: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू योजना अवधि के दौरान कृषि के विकास पर बल दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कृषि क्षेत्र के लिए निर्धारित राज्य-वार कितनी निधियां निर्धारित हैं; और

(ग) उड़ीसा के केबीके जिलों सहित राज्यों को निधियों के आवंटन में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थामस): (क) जी, हां। 10वीं योजना अवधि के दौरान कृषि एवं सहकारिता विभाग के लिए आवंटन 13,883 करोड़ रु. था और 11वीं योजना अवधि में इसे बढ़ाकर 66,577 करोड़ रु. (राज्य योजना स्कीमों को शामिल करके) कर दिया गया है।

(ख) वर्ष 2009-10 में कृषि एवं सहकारिता विभाग का योजना आवंटन 11,307.07 करोड़ रु. है। वर्ष 2009-10 में विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अधीन निधियों का राज्य-वार आवंटन संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) राज्यों को निधियों का आवंटन कृषि एवं सहकारिता विभाग की विभिन्न स्कीमों के अधीन उनके द्वारा तैयार की गई कार्य योजनाओं के आधार पर लिया जाता है। उड़ीसा में कार्यान्वित की जा रही कृषि एवं सहकारिता विभाग की स्कीमों में केबीके जिलों को भी कवर किया जाता है।

विवरण

(लाख रुपये)

क्र.सं.	राज्य का नाम	वृहत कृषि प्रबंधन (एमएमए) आवंटन 2009-10	कपास प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमसी) आवंटन 2009-10	समेकित तिलहन, आयलपाम, दलहन एवं मक्का विकास आवंटन 2009-10	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) आवंटन 2009-10	राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम) आवंटन 2009-10	पूर्वोत्तर राज्यों जम्मू एवं कश्मीर, हि.प्र. तथा उत्तराखंड में समेकित बागवानी विकास हेतु प्रौद्योगिकी मिशन आवंटन 2009-10	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) आवंटन 2009-10	सूक्ष्म सिंचाई आवंटन 2009-10	विस्तार सुधारों हेतु राज्य विस्तार कार्यक्रमों को समर्थन आवंटन 2009-10	राष्ट्रीय बांस मिशन आवंटन 2009-10	राज्य मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता प्रबंधन परियोजना आवंटन 2009-10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आंध्र प्रदेश	6534.00	1650.00	3000.00	12504.90	11247.68	0.00	31533.00		1430.88		
2.	अरुणाचल प्रदेश	2050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	1439.00		448.8		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.	असम	1625.00	0.00	0.00	2727.70	0.00	3300.00	4753.00	वर्ष 2009-10 के दौरान कोई राज्य-वार आवंटन नहीं किया गया है।	506.88	वर्ष 2009-10 के दौरान कोई राज्य-वार आवंटन नहीं किया गया है।	वर्ष 2009-10 के दौरान कोई राज्य-वार आवंटन नहीं किया गया है।
4.	बिहार	3900.00	0.00	600.00	8188.40	0.00	0.00	7050.00		2761.44		
5.	झारखंड	1065.00	0.00	0.00	1193.10	4766.31	0.00	9714.00		1077.12		
6.	गोवा	100.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	432.00		58.08		
7.	गुजरात	3645.00	1650.00	1800.00	1510.60	0.00	0.00	29448.00		1188.00		
8.	हरियाणा	1690.00	550.00	600.00	2940.60	8547.74	0.00	9691.00		628.32		
9.	हिमाचल प्रदेश	2000.00	0.00	60.00	0.00	0.00	2000.00	2445.00		396.00		
10.	जम्मू और कश्मीर	3660.00	0.00	75.00	0.00	0.00	1800.00	3338.00		638.88		
11.	कर्नाटक	5025.00	480.00	2350.00	4873.20	0.00	0.00	24362.00		929.28		
12.	केरल	1275.00	0.00	60.00	347.20	4740.87	0.00	9948.00		807.84		
13.	मध्य प्रदेश	6285.00	500.00	3000.00	8435.00	6800.00	0.00	20239.00		1652.64		
14.	छत्तीसगढ़	2170.00	0.00	650.00	5083.40	6846.11	0.00	29839.00		770.88		
15.	महाराष्ट्र	9275.00	1800.00	2200.00	7256.20	20938.90	0.00	30270.00		1863.84		
16.	मणिपुर	2050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2500.00	483.00		195.36		
17.	मिजोरम	2325.00	0.00	400.00	0.00	0.00	2600.00	327.00		132.00		
18.	मेघालय	1425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2500.00	1991.00		174.24		
19.	नागालैंड	2325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2700.00	1854.00		274.56		
20.	उड़ीसा	3280.00	200.00	600.00	4310.40	6520.25	0.00	9674.00		2075.04		
21.	पंजाब	1750.00	10.00	50.00	4859.40	0.00	0.00	6529.00		744.48		
22.	राजस्थान	5750.00	250.00	3000.00	4216.10	5978.80	0.00	14572.00		1251.36		
23.	सिक्किम	1850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2950.00	1233.00		110.88		
24.	तमिलनाडु	3460.00	350.00	1900.00	3237.70	0.00	0.00	8757.00		2011.68		
25.	त्रिपुरा	1850.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2500.00	2466.00		211.20		
26.	उत्तर प्रदेश	11310.00	60.00	1550.00	25303.20	11477.09	0.00	31533.00		4329.60		
27.	उत्तराखंड	2300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	5856.00		501.60		
28.	पश्चिम बंगाल	4425.00	200.00	600.00	7228.90	3627.38	0.00	12155.00		2449.92		
	कुल	94400.00	7800.00	22500.00	104216.00	91491.13	26850.00	311931.00	0.00	29620.80		
	संघ शासित राज्य											
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	8.00						1024.00		47.52		
2.	चंडीगढ़	0.00						337.00		0.00		
3.	दादरा और नगर हवेली	6.00						25.00		10.56		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.	दमन और दीव	0.00						26.00		10.56		
5.	लक्षद्वीप	6.00						869.00		10.56		
6.	दिल्ली	40.00						195.00		0.00		
7.	पुडुचेरी	40.00						58.00		79.2		
	कुल	100.00						2534.00		158.40		

*सभी आंकड़े अंतरिम बजट पर आधारित।

**आवंटन संशोधनाधीन है।

[हिन्दी]

खिलाड़ियों को प्रोत्साहन

487. श्री जय प्रकाश अग्रवाल: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) फुटबाल, हाकी, बैडमिंटन, लान टेनिस और क्रिकेट सहित विभिन्न खेलों में लगे खिलाड़ियों को सरकार द्वारा कितना नकद प्रोत्साहन दिया जा रहा है;

(ख) अन्य खेलों की तुलना में क्रिकेट पर विशेष ध्यान दिए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार क्रिकेट के अतिरिक्त अन्य खेलों को भी बढ़ावा देने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) से (ङ) खिलाड़ियों को प्रोत्साहन निम्न रूप में दिए जाते हैं (1) अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों तथा उनके कोचों को विशेष नकद पुरस्कार, (2) ऐसे उत्कृष्ट खिलाड़ियों को पेंशन जिन्होंने ओलंपिक, एशियाई खेलों, राष्ट्रमंडल खेलों, व एशियाई खेल-विधाओं तथा परा-ओलंपिक खेलों में विश्व कपों/चैम्पियनशिपों में पदक जीते हों, तथा (3) विगत के खिलाड़ियों को जो अब विषम परिस्थितियों में जीवन-यापन कर रहे हैं, पेंशन के रूप में दिए जाते हैं।

इसके अलावा, प्रतिष्ठित खिलाड़ियों को प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में भाग लेने के लिए उनके प्रशिक्षण तथा तैयारी के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। प्रतिभा खोज एवं प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण, प्रतिस्पर्धा में खेलने के अवसर तथा उपकरणों की खरीद के लिए सहायता स्कीम के तहत प्रतिभावान तथा उभरते हुए खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

जहां तक भारत सरकार से सहायता का संबंध है तो क्रिकेट के लिए कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जा रही है क्योंकि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड सरकार से वित्तीय सहायता के लिए अनुरोध नहीं करता है। खेल विभाग, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की विभिन्न स्कीमों के तहत सभी अन्य मान्यता प्राप्त खेल विधाओं को सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

[अनुवाद]

खान परियोजनाओं का अनुमोदन

488. श्रीमती सुप्रिया सुले: क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा 2007 और 2008 के दौरान कितने खनन प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया;

(ख) विभिन्न राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) राष्ट्रीय खनिज नीति को खनन डेवलपर्स के अनुकूल बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या खनन का अनुमोदन प्रदान करने में हुई वृद्धि को 2008 में सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय खनिज नीति का भाग बनाए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खान मंत्री और उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री बी.के. हान्डिक): (क) वर्ष 2007 और 2008 के दौरान नीचे दिए गए

राज्यवार ब्यौरे के अनुसार खनन पट्टे प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त 240 प्रस्तावों को केंद्र सरकार द्वारा पूर्व अनुमोदन प्रदान किया गया है।

क्र.सं.	राज्य का नाम	वर्ष 2007 और 2008 के दौरान अनुमोदन प्रस्तावों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	64
2.	छत्तीसगढ़	11
3.	गुजरात	04
4.	झारखंड	16
5.	कर्नाटक	37
6.	केरल	03
7.	मध्य प्रदेश	57
8.	महाराष्ट्र	21
9.	मणिपुर	02
10.	उड़ीसा	07
11.	राजस्थान	11
12.	तमिलनाडु	06
13.	उत्तराखंड	01
	कुल	240

(ख) विभिन्न राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों के ब्यौरे खान मंत्रालय की वेबसाइट (www.mines.nic.in) पर उपलब्ध हैं।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय खनिज नीति, 2008 (एनएमपी), अन्य बातों के साथ-साथ, सीमलैस ट्रांजिशन, खनिज रियायतों की अंतरणीयता और देरी को कम करने और विवेकाधीन शक्तियों को कम करने के लिए रियायतों के आवंटन में पारदर्शिता, गवेषण और खनन में निजी क्षेत्र की सहभागिता की सुविधा और स्टेट-आफ-दी-आर्ट प्रौद्योगिकी द्वारा गवेषण को प्रोत्साहन का प्रावधान करती हैं। नीति का उद्देश्य सतत विकास ढांचे में वैज्ञानिक खनन के संवर्धन के आशय से गवेषण और खनन के लिए विनियामक तंत्र को भी सुदृढ़ करना है।

अशुद्ध सोने के आभूषणों का विपणन

489. श्री पूर्णमासी राम: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली से संग्रहित सभी सोने और सोने के आभूषण शुद्धता की जांच के पैमाने पर खरे नहीं पाए गए; और

(ख) यदि हां, तो अशुद्ध/घटिया सोने के आभूषण के निर्माण/विपणन तथा ग्राहकों को धोखा देने के लिए सुनारों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थामस): (क) भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा दिल्ली में 2001 और 2006 में गैर हाल मार्क वाले आभूषणों के संबंध में दो सर्वेक्षण करवाए गये। पहले सर्वेक्षण में एकत्र किये गये 15 नमूनों में से 12 नमूने शुद्धता के परीक्षण में विफल रहे और दूसरे सर्वेक्षण में एकत्र किये गये सभी 10 नमूने विफल रहे।

(ख) दिल्ली के सभी 12 जौहरियों के खिलाफ मामले एकाधिकार एवं अवरोधक व्यापार व्यवहार आयोग में दायर किये गये जिनके आभूषण पहले सर्वेक्षण के दौरान घोषित शुद्धता से कम शुद्ध पाये गये। दूसरे सर्वेक्षण के आधार पर संबंधित जौहरियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई क्योंकि यह सर्वेक्षण मुख्य रूप से शुद्धता का आकलन करने और उपभोक्ताओं में जागरूकता पैदा करने के लिए करवाया गया था।

दिल्ली पुलिस के लिए संचार नेटवर्क

490. श्री राजैया सिरिसिल्ला: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली पुलिस के लिए समर्पित संचार नेटवर्क स्थापित करने का प्रस्ताव है ताकि राष्ट्रमण्डल खेलों के दौरान यातायात के निर्बाध प्रबंधन तथा अपराध और अपराध संबंधी आंकड़ों तक पहुंच को सरल बनाया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ कुल कितनी राशि आवंटित किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) से (ग) 200 करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ 11वीं पंचवर्षीय योजना में कार्यान्वयन के लिए ''राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तथा महानगरों में यातायात एवं संचार तंत्र का विकास और यातायात प्रबंधन की माडल प्रणाली'' नामक एक योजना को शामिल किया गया है। इस योजना के दो घटक हैं यथा, (1) दूरदर्शी यातायात प्रणाली को लागू करना, तथा (2) एकीकृत आंकड़ा संचार तंत्र की स्थापना करना (साईबर हाईवे)। प्रस्तावित साईबर हाईवे दिल्ली

पुलिस मुख्यालय, डीसीपी कार्यालयों, पुलिस थानों, पुलिस चौकियों एवं क्षेत्रीय इकाईयों आदि के बीच सम्पर्क का प्राथमिक स्रोत होंगे। साईबर हाईवे का प्रयोग अपराध एवं आपराधिक आंकड़े आदि के अतिरिक्त, वीडियो कांफ्रेंसिंग, फेहरिस्त प्रबंध प्रणाली, सीसीटीवी, वेब-आधारित डोजियर प्रणाली, स्वचालित अंगुली एवं हस्तरेखा पहचान प्रणाली, दूरदर्शी यातायात प्रबंध प्रणाली, आईपी टेलिफोनी, आन्तरिक ई-मेल प्रणाली, दूरदर्शी यातायात प्रबंध प्रणाली, स्वचालित वाहन खोजी प्रणाली, राष्ट्र मंडल खेलों 2010 के लिए निर्देशन एवं नियंत्रण प्रणाली के लिए किया जाएगा। गृह मंत्रालय ने निवेश-पूर्व गतिविधि संचालित करने के लिए एमटीएनएल को 5.07 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है। इस योजना को प्रथम चरण में राष्ट्र मंडल खेल, 2010 से जुड़े क्षेत्रों में कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है।

छोटे उद्यमियों के लिए वित्तीय योजना

491. श्री वैजयंत पांडा: क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए वित्तीय योजना तैयार करने का कोई प्रस्ताव है ताकि इस क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने 1000 करोड रुपये की कायिक निधि के साथ एक कौशल विकास निगम स्थापित किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस क्षेत्र के विकास को वित्त-पोषित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सूक्ष्म, लघु और उद्योग उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) सरकार ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के संवर्धन और विकास को सुगम बनाने और उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए 10 अगस्त, 2005 को 'लघु एवं उद्यमों (एसएमई) के क्रेडिट को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत पैकेज' की घोषणा की है, जिसमें एमएसएमई क्षेत्र के क्रेडिट में न्यूनतम 20 प्रतिशत की वर्ष-दर-वर्ष बढ़त हासिल करने के उद्देश्य से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा एमएसएमई को वित्त प्रदान करने के लिए अपने निजी लक्ष्य तय करने की परिकल्पना की गई है। सरकार ने क्रेडिट, प्रौद्योगिकी उन्नयन, विपणन, आधारभूत संरचना, आदि के क्षेत्रों में सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से फरवरी, 2007 में 'सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के संवर्धन हेतु पैकेज' की भी घोषणा की है। इसके अलावा, एमएसएमई पर वैश्विक आर्थिक मंदी के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने एमएसएमई को सुरक्षा प्रदान करने तथा उन्हें प्रेरित करने के लिए कई उपाय किए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, (1) क्रेडिट गारंटी योजना के तहत 50 प्रतिशत के गारंटी कवर के साथ ऋण सीमा को 50 लाख रु. से बढ़ाकर 1 करोड़ रु. तक करना; (2) क्रेडिट गारंटी योजना के तहत 5 लाख रु. तक की क्रेडिट सुविधा के लिए गारंटी कवर को 80 प्रतिशत से बढ़ाकर 85 प्रतिशत करना; (3) लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसई) क्षेत्र को प्री एवं पोस्ट-शिपमेंट निर्यात क्रेडिट में 2 प्रतिशत की ब्याज कटौती; (4) सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (एमएसई) क्षेत्र को बढ़ोतरीपरक आन-लेंडिंग के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) को 7,000 करोड़ रु. की पुनर्वित्तयन सीमा; (5) विद्यमान निधि आधारित सीमाओं के 20 प्रतिशत तक आवश्यकता-आधारित तदर्थ कार्यशील पूंजी मांग ऋण अनुदान; और (6) सूक्ष्म उद्यमों द्वारा उधार लेने के लिए ब्याज दरों में 1 प्रतिशत तक और एसएमई के संदर्भ में 0.5 प्रतिशत तक कमी करना शामिल हैं।

(ग) और (घ) कौशल विकास प्रयासों के समन्वयन एवं उन्हें प्रेरित करने के लिए कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के तहत 10 करोड़ रु. की आरंभिक प्राधिकृत पंजी से राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) का ''लाभ हेतु नहीं'' कम्पनी के रूप में गठन किया गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय कौशल विकास फंड (एनएसडीएफ) को भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1982 के तहत सरकार/बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय एजेंसियों/निजी क्षेत्र संगठनों से अंशदान प्राप्तिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए पंजीकृत किया गया है। एनएसडीसी द्वारा अग्रेषित योजनाओं/कार्यक्रमों को पोषित करने के उद्देश्य से सरकारी बजट में से कुल 995.10 करोड़ रु. एनएसडीएफ को हस्तांतरित किए गए हैं।

(ङ) सरकार एमएसई क्षेत्र के संवर्धन और प्रगति के लिए क्रेडिट, आधारभूत संरचनात्मक विकास, प्रौद्योगिकी उन्नयन, विपणन, उद्यमिता/कौशल विकास आदि से संबंधित विभिन्न योजनाएं/कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है। इसके अलावा, सिडबी में 3,600 करोड़ रु. और 1,000 करोड़ रु. के अनुमोदित कारपस से क्रमश: एमएसएमई (पुनर्वित्तयन) फंड और एमएसएमई (जोखिम पूंजी) फंड की स्थापना की गई है।

तटीय सुरक्षा

492. श्री आनंदराव अडसुल:
श्री कोडिकुन्नील सुरेश:
श्री सुशील कुमार सिंह:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश की 7500 कि.मी. लंबी तट रेखा पर तटीय पुलिस स्टेशनों की संख्या में वृद्धि करने के साथ-साथ तटीय सुरक्षा को बढ़ाने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महत्वपूर्ण संस्थापनाओं के आसपास 'नो फिशिंग जोन' के तहत क्षेत्र में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) नई तटीय सुरक्षा योजना को कब तक कार्यान्वित कर दिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) जी हां, महोदया। संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ चर्चा एवं बैठकों की एक श्रृंखला के उपरान्त तटीय सुरक्षा को बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण उपाय/पहलें की गई हैं।

मौजूदा तटीय योजना का कार्यान्वयन जिसमें नौ तटीय राज्यों और चार तटीय संघ राज्य क्षेत्रों में 204 पोतों और वाहनों से सज्जित 73 तटीय थाने, 97 चैक पोस्टें 58 बाह्य चौकियां और 30 प्रचालनात्मक बैरकें स्थापित करने में शीघ्रता करने का प्रावधान है। अब तक 59 तटीय पुलिस थानों को पहले ही प्रचालनात्मक बनाया जा चुका है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इण्टसेप्टर नावों की आपूर्ति भी शुरू कर दी गई है और अब तक 14 नावें आपूरित कर दी गई हैं।

भारतीय नौ सेना को समग्र सामुद्रिक सुरक्षा, जिसमें तटीय सुरक्षा तथा अफशोअर सुरक्षा भी शामिल है, के लिए उत्तरदायी प्राधिकारी के रूप में नामोद्दिष्ट किया गया है। भारतीय तट रक्षक को तटीय पुलिस द्वारा गश्त लगाए जाने वाले क्षेत्र सहित, भूभागीय जल में तटीय सुरक्षा के लिए उत्तरदायी प्राधिकारी के रूप में अतिरिक्त रूप से नामोद्दिष्ट किया गया है। भारतीय तट रक्षक अपनी अवस्थापना को सुदृढ़ करने के लिए कई अन्य उपाय कर रही है।

तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से कहा गया है कि वे स्थानीय रूप से मात्स्यिकी नावों/ट्रालरो को किराए पर लेकर, जिनका प्रभार गृह मंत्रालय द्वारा प्रतिपूर्ति योग्य होगा, तटीय गश्त तत्काल शुरू करा दें।

तटीय सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए कई अन्य महत्वपूर्ण पहलें भी की गई हैं। तटीय राज्य/संघ राज्य क्षेत्र तटीय पुलिस थानों, वाहनों, नावों आदि के बारे में अतिरिक्त अपेक्षाओं को निर्धारित करने हेतु तटरक्षक के साथ संयुक्त रूप से मिलकर अपनी सुभेद्यता/अन्तराल विश्लेषण कर रहे हैं ताकि व्यापक प्रस्ताव तैयार करके भारत सरकार से अनुमोदन कराया जा सके।

जहाजरानी विभाग को सभी तरह के मात्स्यिकी एवं गैर-मात्स्यिकी पोतों को पंजीयन करने और इन नावों पर नैवीगेशन और संचार उपकरणों की फिटिंग/प्रावधान सुनिश्चित करने की प्रक्रिया को सुसंगत बनाना अनिवार्य कर दिया गया है।

मात्स्यिकी विभाग सभी मछुआरों को पहचान पत्र जारी करने के कदम उठा रहा है। भारत के महापंजीयक (आरजीआई) भी तटीय गांवों की मछुआरों सहित सभी आबादी को बहुउद्देश्यीय राष्ट्रीय पहचान पत्र (एमएनआईसी) स्कीम के अंतर्गत पहचान पत्र जारी कर रहे हैं।

(ग) जी नहीं, महोदया।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) चरण-2 की तटीय सुरक्षा योजना बनाने का कार्य इस समय चल रहा है।

बहुउद्देशीय पहचान/यूनीवर्सल कार्ड

493. श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर:
श्री बलीराम जाधव:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश के सभी नागरिकों को बहुउद्देशीय पहचान/यूनीवर्सल कार्ड जारी करने संबंधी परियोजना को आरंभ करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का इस योजना के उचित कार्यान्वयन के लिए परियोजना में होने वाले विशेषज्ञतापूर्ण कार्यों के लिए सरकारी और निजी क्षेत्र से पेशेवर लोगों की सेवाएं लेने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा देश के सभी नागरिकों को ऐसे पहचान पत्र कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (घ) सरकार ने देश में एक राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) तैयार करने का प्रस्ताव रखा है जिसके लिए 2011 की जनगणना के समय प्रत्येक व्यक्ति के बारे में विशेष प्रकार का ब्यौरा एकत्रित

किया जाएगा। इस जानकारी के अतिरिक्त, जो भी 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के होंगे उन सभी के बारे में फोटोग्राफ और ऊंगली बायोमैट्रिक्स होंगे। तटीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के उपाय के रूप में, 2011 की जनगणना से हटकर 2009-10 के दौरान गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल नामक 9 समुद्रतटीय राज्यों और दमन व दीव, लक्षद्वीप, अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह तथा पुडुचेरी नामक 4 समुद्रतटीय संघशासित प्रदेशों में तटीय गांवों के लिए राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर तैयार किया जाएगा।

राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को तैयार करने में डाटा ट्रांसमिशन के लिए साईबर स्पेस सिक्यूरिटी के साथ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को तैयार करना, डाटा वेयरहाऊसिंग, डाटा माईनिंग आदि जैसे कई विशिष्ट कार्य शामिल होंगे। इन सभी कार्यों को भारत सरकार की समग्र निगरानी एवं नियंत्रण में बाहरी प्रबंधों के माध्यम से कराया जाएगा। केन्द्रीय स्तर पर डाटा की पुनरावृत्ति को रोकने, पहचान पत्रों की इलेक्ट्रानिक सुरक्षा के लिए डिजिटल हस्ताक्षर लेने और मुख्य प्रबंध प्रणाली आदि जैसे कार्य नेशनल इफार्मेटिक्स सेंटर (एनआईसी) की सक्रिय सहायता से किए जाएंगे। ये सभी बहुद्देशीय राष्ट्रीय पहचान पत्रों संबंधी प्रायोगिक परियोजना के तर्ज पर होंगे। इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड, अर्लेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया तथा इंडियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज को शामिल करते हुए केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के एक संघ को प्रत्यक्ष आंकड़ा संग्रहण की सहायता करने हेतु लगा दिया गया है। इसी संघ को उन पहचान (स्मार्ट) पत्रों को तैयार करने एवं व्यक्तिगत बनाने संबंधी कार्यों में भी शामिल किए जाने का प्रस्ताव है, जिन्हें इन तटीय गांवों में तथा 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के समस्त सामान्य निवासियों को जारी किए जाने का प्रस्ताव है।

बाढ़ के कारण फसलों को हानि

494. श्री रुद्रमाधव राय: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2008-09 के दौरान बाढ़ से प्रभावित राज्यों की संख्या का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है साथ ही राज्य-वार कुल कितनी फसल की हानि हुई; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान फसल की हानि की क्षतिपूर्ति के लिए प्रत्येक राज्य को प्रदान किए गए अनुदान का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थामस): (क) से (ग) बाढ़ से संबंधित मामलों को गृह मंत्रालय देखता है। सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एन.एस.जी.) केन्द्रों की स्थापना

495. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में क्षेत्रीय राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एन.एस.जी.) केन्द्रों को स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रकार के केन्द्रों को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार का निकट भविष्य में एन.एस.जी. केन्द्रों की संख्या को और अधिक बढ़ाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) सरकार ने हैदराबाद, मुम्बई, चेन्नई और कोलकाता में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) के चार क्षेत्रीय हबों की स्थाबना की है। ये हब 30 जून, 2009/1 जुलाई, 2009 से काम कर रहे हैं। सरकार ने कोलकाता और हैदराबाद में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के क्षेत्रीय केन्द्रों के गठन का भी अनुमोदन किया है।

(ग) और (घ) एनएसजी हबों की संख्या को और अधिक बढ़ाने का भविष्य में कोई प्रस्ताव नहीं है।

देश में कानून और व्यवस्था की समीक्षा

496. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हाल ही में गठित संघीय एजेंसी तथा इस संबंध में बनाए गए कानूनों ने देश में कानून और व्यवस्था को सुधारने में मदद की है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) देश की आन्तरिक सुरक्षा स्थिति की समय-समय पर सरकार द्वारा समीक्षा की जाती है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार देश की

आन्तरिक सुरक्षा स्थिति काफी हद तक नियंत्रण में रही। चालू वर्ष के दौरान अन्त: भूमि में किसी प्रमुख आतंकी घटना की सूचना नहीं मिली। इसी तरह, चालू वर्ष में किसी बड़ी साम्प्रदायिक घटना की भी सूचना नहीं मिली। समग्र रूप से जम्मू एवं कश्मीर की सुरक्षा स्थिति में बोधगम्य सुधार प्रदर्शित हुआ है। असम, मणिपुर और नागालैण्ड में सुरक्षा की स्थिति चिन्ता का विषय बनी रही जबकि सिक्किम और मिजोरम में शान्ति बनी रही। त्रिपुरा की स्थिति में हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है और अरुणाचल प्रदेश एवं मेघालय में कुछ हिंसक घटनाओं को छोड़कर स्थिति शान्तिपूर्ण रही। छत्तीसगढ़, झारखण्ड, बिहार, उड़ीसा, मेघालय और पश्चिम बंगाल में विशेषकर नक्सली हिंसा के स्तर में वृद्धि हुई है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम, 2008 के अंतर्गत इसकी अनुसूची में उल्लिखित अधिनियमों जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ 2008 में यथासंशोधित विधिविरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1967 भी शामिल है, के अंतर्गत अपराधों की जांच करने एवं अभियोजन करने के लिए एक राष्ट्रीय जांच एजेंसी का गठन किया गया है।

ज्वार-बाजरे की खेती

497. श्रीमती मेनका गांधी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर कर्नाटक में 90 प्रतिशत किसान गेहूं और चावल की खेती को छोड़कर ज्वार-बाजरे की खेती कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) सरकार द्वारा दोनों फसलों की उत्पादकता में संतुलन बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थामस): (क) से (घ) जी, नहीं। उत्तरी कर्नाटक के जिलों में चावल का क्षेत्र 5.09 लाख हैक्टेयर (2002-03) से बढ़कर 6.29 लाख हैक्टेयर (2006-07) और गेहूं के तहत क्षेत्र भी 2.45 लाख हैक्टेयर (2002-03) से बढ़कर 2.68 लाख हैक्टेयर (2006-07) हो गया। जबकि कदन्नों के मामले में क्षेत्र 10वीं योजना अवधि के दौरान 20.00 लाख हैक्टेयर (2002-03) से कम होकर 17.06 लाख हैक्टेयर (2006-07) हो गया। इस प्रकार, गेहूं और चावल से कदन्नों की खेती हेतु कोई क्षेत्र परिवर्तन नहीं हुआ है।

चावल और गेहूं सहित अनाजों का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए कर्नाटक राज्य के गैर-एनएफएसएम जिलों में वृहत कृषि प्रबंधन के अंतर्गत ''चावल/गेहूं आधारित फसल प्रणाली वाले क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम (आईसीडीपी-चावल/गेहूं)'' की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम कार्यान्वयनाधीन है। इसके अलावा, उत्तरी कर्नाटक के कुछ जिलों में ''राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम)-चावल'' नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम भी कार्यान्वयनाधीन है। इसके अतिरिक्त, कर्नाटक राज्य में वृहत कृषि प्रबंधन के अंतर्गत ''मोटे अनाजों पर आधारित फसल प्रणाली वाले क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम (आईसीडीपी-मोटे अनाज)'' की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम चल रही है।

[हिन्दी]

खनिजों की खोज के लिए हवाई सर्वेक्षण

498. श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे: क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विशेषकर पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में खनिजों की खोज करने तथा खनन को प्रोत्साहन देने के लिए हवाई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के सर्वेक्षण का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान खनिजों का पता लगाने का कार्य कुछ विदेशी कंपनियों को सौंपा गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके कारण क्या हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा सर्वेक्षण कार्य को भारतीय कंपनियों को सौंपने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

खान मंत्री और उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री बी.के. हान्डिक): (क) और (ख) जी, हां। हवाई सर्वेक्षणों सहित क्षेत्रीय स्तर के सर्वेक्षण भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) द्वारा तथा यूरेनियम खनिजीकरण के संबंध में परमाणु ऊर्जा विभाग के एटामिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फार एक्सप्लोरेशन एण्ड रिसर्च (एएमडी) द्वारा भी किए जाते हैं। राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान (एनजीआरआई) भी खनिज गवेषण सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए हवाई सर्वेक्षण करता है।

हाल ही में जीएसआई के ट्विन ऑटर हवाई जहाज द्वारा चुंबकीय, स्पेक्ट्रोमीट्रिक, रेडियोमीट्रिक और विद्युतचुम्बकीय पद्धतियों को शामिल करते हुए मामनडूर (तमिलनाडु), अलादाहल्ली, गडग,

वज्राकरूर-वेन्दावती बेसिन, कोलार-कादिरी-रामागिरि क्षेत्र (कर्नाटक और आंध्र प्रदेश), अगरतला-सिलचर (तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) के लिए त्रिपुरा, असम में), रत्नागिरी (महाराष्ट्र), सिलिगुडी-गुवाहाटी (ओएनजीसी के लिए, पश्चिम बंगाल और असम), तोशाम-सिंघाना (हरियाणा-राजस्थान), सुकिन्दा-बारीपदा (झारखंड, उड़ीसा), बूंदी-भरतपुर (राजस्थान), अगूचा-मालपुरा-चाकसू (राजस्थान), मोरादाबाद-बरेली (आयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) के लिए, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड), गोरखपुर-मुजफ्फरपुर (ओआईएल के लिए, उत्तर प्रदेश, बिहार), सत्यामंगलम (तमिलनाडु), हिंडोली, भीलवाड़ा, गंगापुर-नसीराबाद (राजस्थान), छत्तीसगढ़ बेसिन (छत्तीसगढ़, उड़ीसा), बेतुल-छिंदवाड़ा (मध्य प्रदेश), नारायणपेट-रायचूर (कर्नाटक, आंध्र प्रदेश), हुन्गुन्द-मुधौल (कर्नाटक), झांसी (मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश), ललितपुर (आंध्र प्रदेश, बंगलौर-पेनाकोण्डा और मुलुबगल-ताम्बापल्लै (कर्नाटक और उत्तर प्रदेश), नागपुर-वर्धा घाटी (महाराष्ट्र), बाइहर-कुटरू क्षेत्र (मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़), कन्नानोर-केप कोमरिन (तटीय क्षेत्र, केरल), बस्तर क्रेटन में कंकेर क्षेत्र (छत्तीसगढ़) और मौरानीपुर-सरिअल क्षेत्र (मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश) में हवाई बहुसंवेदी सर्वेक्षण किए गए हैं।

जीएसआई द्वारा पता लगाई गई महत्वपूर्ण खनिज सम्भाव्यता निम्नवत् हैं:

राज्य	खनिज पदार्थ
राजस्थान	तांबा, सीसा, जस्ता और स्वर्ण
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़	तांबा, जस्ता, किम्बरलाइट (हीरे की
और महाराष्ट्र	स्रोत चट्टान)
कर्नाटक	तांबा, स्वर्ण
झारखंड	तांबा, निकिल
आंध्र प्रदेश	सीसा, जस्ता, किम्बरलाइट

परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत एक घटक इकाई एटामिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फार एक्सप्लोरेशन एण्ड रिसर्च (एएमडी) यूरेनियम खनिजीकरण के लिए उपयुक्त भूवैज्ञानिक संरचना वाले क्षेत्रों पर हवाई सर्वेक्षण करता है। वे राज्य जहां हवाई सर्वेक्षणों सहित गवेषण कार्यकलापों पर जोर दिया गया है, इस प्रकार हैं- आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश।

राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान (एनजीआरआई) विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी एजेंसियों के लिए प्रायोजित सर्वेक्षण करता है। इन एजेंसियों में जीएसआई, ओआईएल, एएमडी और राज्य सरकार के विभाग शामिल थे।

भारत में हवाई सर्वेक्षण निजी पार्टियों द्वारा देश के खनिजीकृत अंचलों में खनिजों के गवेषण के लिए टोही परमिट के तहत किए जाते हैं। इन पट्टियों में पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्र भी शामिल हैं। भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम) द्वारा रखे गए डाटा के अनुसार 14 राज्यों में लगभग कुल 4,26,351 वर्ग कि.मी. क्षेत्र कवर करते हुए 297 टोही परमिट प्रदान करने के लिए पूर्व अनुमोदन किया गया है। टोही प्रचालनों के दौरान भूवैज्ञानिक, भूभौतिकीय और भूरासायनिक सर्वेक्षण किए जाते हैं और टोही प्रचालनों में हवाई सर्वेक्षण भी शामिल हो सकते हैं।

(ग) और (घ) जीएसआई 1972 से अपने निजी हवाई जहाज से हवाई सर्वेक्षण कर रहा है अथवा यह इसे एनजीआर आई को आउटसोर्स कर देता है। हवाई भूभौतिकीय डाटा प्राप्ति पर सुविज्ञता की अनुपलब्धता की वजह से एएमडी कुछ सर्वेक्षण कार्य आउटसोर्सिंग के आधार पर एनजीआरआई के साथ-साथ विदेशी कंपनियों को सौंप देता है परंतु यह सभी प्रचालनों के दौरान डाटा प्राप्ति की प्रक्रिया से निकटता से जुड़ा रहता है। वर्ष 2008-09 के दौरान, यह कार्य मै. जियोटेक एयरबोर्न सर्वे प्रा.लि., वेस्ट इण्डीज को आउटसोर्स किया गया है। एनजीआरआई ने अपना कोई भी कार्य किसी विदेशी कंपनी/ठेकेदार को आउटसोर्स नहीं किया है।

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के उपबंधों के अनुसार राज्य सरकार किसी भारतीय नागरिक अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 3(1) के तहत पंजीकृत किसी कंपनी को ही टोही परमिट प्रदान कर सकती है।

(ङ) जीएसआई अपने निजी हवाई जहाज का प्रचालन कर रहा है और इसने हाल ही में कम ऊंचाई पर बहुसंवेदी सर्वेक्षण करने के लिए एक हेलीकाप्टर भी खरीदा है। एएमडी भी टाइम डोमेन इलेक्ट्रोमेग्नेटिक (टीडीईएम) प्रणाली खरीदने की प्रक्रिया में है और एएमडी के वैज्ञानिकों ने उक्त प्रणाली पर प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है। आशा है कि टीडीईएम की प्राप्ति होने पर एएमडी सर्वेक्षण करने में समर्थ हो जाएगा।

[अनुवाद]

मवेशियों का आनुवांशिक उन्नयन

499. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मवेशियों और भैंसों के आनुवांशिक उन्नयन के लिए एक राष्ट्रीय योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस नीति की घोषणा एवं कार्यान्वयन कब तक कर दिया जाएगा?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थामस): (क) और (ख) जी, हां। आनुवांशिक उन्नयन एक दीर्घकालीन क्रियाकलाप है और भारत सरकार ने पांच-पांच वर्ष के दो चरणों में, दस वर्ष की अवधि के लिए, चरण-1 के लिए 402 करोड़ रुपए के आबंटन के साथ अक्तूबर, 2000 से एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम ''राष्ट्रीय गोपशु एवं भैंस प्रजनन परियोजना'' (एनपीसीबीबी) की शुरुआत की है। चरण-1 के दौरान हुए लाभ को समेकित करने और कवरेज को बढ़ाने के उद्देश्य से, 775.87 करोड़ रुपए के आबंटन के साथ, दिसम्बर, 2006 से परियोजना के चरण-2 को आरंभ किया गया है। एनपीसीबीबी में वरीयता आधार पर बोवाईन संख्या के आनुवांशिक उन्नयन की व्यवस्था है और इसमें स्वदेशी नस्लों के विकास और संरक्षण पर भी ध्यान दिया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

लघु उद्योगों के पुनरुद्धार हेतु योजना

500. श्री एन. चेलुवरया स्वामी: क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) लघु उद्योगों के पुनरुद्धार हेतु सरकार द्वारा क्रियान्वित विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसे लघु उद्योगों की राज्य-वार और उद्योग-वार संस्था क्या है जिन्हें उक्त योजनाओं के क्रियान्वयन के बाद पुनरुद्धार पैकेज मिले हैं; और

(ग) देश के सकल घरेलू उत्पाद में लघु उद्योगों का कुल कितना योगदान है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय रुग्ण सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) के पुनर्वास के लिए कोई सीधी वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करता है। तथापि, रूग्ण एमएसई के पुनर्वास के लिए नये ऋणों सहित ऋण पुनर्गठन के माध्यम से मुख्य ऋणदाता संस्थानों द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिनमें वाणिज्यिक बैंक भी शामिल हैं जो एमएसई को ऋण प्रदान करते हैं। इस उद्देश्यार्थ, भारतीय रिजर्व बैंक उपचारी उपाय करने और संभावित जीवनक्षम के रूप में चिन्हित रुग्ण एमएसई के पुनर्वास के लिए व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आरबीआई ने 10 अगस्त, 2005 को केन्द्र सरकार द्वारा घोषित ''लघु एवं मध्यम उद्यमों को ऋण बढ़ाने हेतु नीतिगत पैकेज'' पर आधारित दिशा-निर्देश भी 8 सितंबर, 2005 को जारी किए हैं। ये दिशा-निर्देश अन्य बातों के साथ-साथ व्यवहार्यता मानदंडों, पुनर्गठित लेखाओं के लिए विवेकपूर्ण मानदंडों, अतिरिक्त वित्तीय प्रावधान तथा पुनर्गठन पैकेज तैयार करने तथा इसके कार्यान्वयन के लिए समय-सीमा से संबंधित हैं। इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक डा. के.सी. चक्रवर्ती की अध्यक्षता में कार्यकारी दल की सिफारिशों के आधार पर आरबीआई ने सभी अधिसूचित वाणिज्यिक बैंकों को 4 मई, 2009 को सलाह दी है कि वे एमएसई क्षेत्र को समय पर एवं पर्याप्त ऋण देने के लिए की गई सिफारिशों का शीघ्र कार्यान्वयन करें। बैंकों को यह सलाह भी दी गई है कि वे ऋण पुनर्गठन संबंधी दिशा-निर्देशों को इष्टतम रूप से तथा सिद्धांत व व्यवहार रूप में लागू करें और इस क्षेत्र के लिए अपनी निष्पक्ष एकबारगी निपटान नीति (ओटीएस) तैयार करें।

अधिसूचित वाणिज्यिक बैंकों से आरबीआई द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, मार्च, 2008 के अंत में 1,262 जीवनक्षम रुग्ण एमएसई को उपचार के अधीन रखा गया था। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार स्थिति को संलग्न विवरण में दर्शाया गया है। उपचार के अधीन रखी गई रुग्ण एमएसई संबंधी उद्योगवार सूचना को आरबीआई द्वारा संकलित नहीं किया जाता है।

(ग) वर्ष 2006-07 (नवीनतम उपलब्ध) के दौरान देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में एमएसई क्षेत्र का कुल अंशदान अनुमानत: 5.94 प्रतिशत है।

विवरण

मार्च 2008 के अंत में उपचार के अधीन रखे गए व्यवहार्य रुग्ण सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	पोषणाधीन रखे गए व्यवहार्य रुग्ण एमएसई (मार्च, 2008 के अंत में)
1	2	3
1.	जम्मू और कश्मीर	–
2.	हिमाचल प्रदेश	1
3.	पंजाब	8
4.	चंडीगढ़	2

1	2	3
5.	उत्तराखंड	1
6.	हरियाणा	2
7.	दिल्ली	11
8.	राजस्थान	2
9.	उत्तर प्रदेश	43
10.	बिहार	–
11.	सिक्किम	–
12.	अरुणाचल प्रदेश	–
13.	नागालैंड	–
14.	मणिपुर	–
15.	मिजोरम	–
16.	त्रिपुरा	–
17.	मेघालय	–
18.	असम	–
19.	पश्चिम बंगाल	21
20.	झारखंड	–
21.	उड़ीसा	6
22.	छत्तीसगढ़	–
23.	मध्य प्रदेश	84
24.	गुजरात	3
25.	दमन और दीव	–
26.	दादरा और नगर हवेली	–
27.	महाराष्ट्र	71
28.	आंध्र प्रदेश	14
29.	कर्नाटक	16
30.	गोवा	–
31.	लक्षद्वीप	–
32.	केरल	76
33.	तमिलनाडु	899
34.	पुडुचेरी	2
35.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	–
	समस्त भारत	1262

ताजा पानी में एक्वाकल्चर

501. श्री कालीकेश नारायण सिंह देवः क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने ताजा जल में एक्वाकल्चर का विकास करने हेतु किसी योजना की शुरूआत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन कार्यक्रमों के वित्तपोषण में केन्द्र और राज्यों का हिस्सा कितना-कितना है; और

(ग) उड़ीसा सहित विभिन्न राज्यों को केन्द्रीय हिस्से की मंजूरी में हो रहे असाधारण विलंब को दूर करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थामस): (क) और (ख) जी, हां। सरकार ''अंतर्देशीय मात्स्यिकी तथा जलकृषि का विकास'' नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना को क्रियान्वित कर रही है, जिसके घटकों में से एक घटक ताजा जल जलकृषि है। इस मद के तहत कवर किए गए घटकों में शामिल हैंः नए तालाबों का निर्माण, तालाबों/पोखरों का नवीकरण/पुनरुद्धार, अदान के लागत, ताजा जल मत्स्य बीज हैचरी, मत्स्य आहार यूनिट, ट्राउट तथा ताजा जल में झींगा बीज हैचरी की स्थापना, मिट्टी तथा जल परीक्षण किटों का प्रावधान, सजावटी मछलियों के लिए हैचरियों सहित एकीकृत यूनिटों की स्थापना, सजावटी मछलियों के लिए ब्रूड बैंक, सजावटी/मत्स्य बीज प्रमाणीकरण।

उपरोक्त क्रियाकलापों के लिए प्रत्येक गतिविधि के लिए लागत सीमा के अधीन राज्य सरकार के माध्यम से लाभार्थियों को 20 से 25 प्रतिशत की सीमा तक राजसहायता के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है। केन्द्र सरकार इस योजना के तहत राज्य सरकारों को 75% की सीमा तक निधियां प्रदान करती है।

(ग) उड़ीसा सहित किसी भी राज्य को इस योजना के तहत निधियों की मंजूरी इस बात पर निर्भर करती है कि योजना के क्रियान्वयन की कितनी संतोषजनक प्रगति हुई है तथा उपयोग प्रमाण-पत्र समय पर प्रस्तुत किया गया है या नहीं। इस योजना के लिए 13.60 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय में से उड़ीसा राज्य को वर्ष 2008-09 के दौरान 1.90 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी। अन्य राज्यों के संबंध में केन्द्रीय भागीदारी को संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

विवरण

सीएसएस-अंतर्देशीय मात्स्यिकी और जलकृषि का विकास 2008-09 के दौरान जारी धनराशि

क्र.सं.	राज्य का नाम	घटक						(लाख रुपए)	
		ताजा जल (एफएफडीए)	खारा जल (बीएफडीए)	शीतल जल	कैप्चर मात्स्यिकी	जल भराव	लवणीय/ क्षारीय	आत्महत्या संभावित	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश								
2.	अरुणाचल प्रदेश	36.00							36.00
3.	असम	75.02							75.02
4.	बिहार								
5.	छत्तीसगढ़	50.00							50.00
6.	गोवा								
7.	गुजरात	25.00							25.00
8.	हरियाणा	25.00							25.00
9.	हिमाचल प्रदेश	27.00							27.00
10.	जम्मू और कश्मीर	100.00							100.00
11.	झारखंड	65.20							62.50
12.	कर्नाटक								
13.	केरल	70.00							70.00
14.	मध्य प्रदेश	100.00							100.00
15.	महाराष्ट्र	20.00							20.00
16.	मणिपुर	40.00							40.00
17.	मेघालय								
18.	मिजोरम	40.00							40.00
19.	नागालैंड	90.00							90.00
20.	उड़ीसा	100.00			42.00	48.00			190.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.	पुडुचेरी	5.00							5.00
22.	पंजाब	100.00							100.00
23.	राजस्थान	20.00			4.05				24.05
24.	सिक्किम			34.98					34.98
25.	तमिलनाडु								
26.	त्रिपुरा	24.00							24.00
27.	उत्तर प्रदेश	88.00							88.00
28.	उत्तराखंड	33.45							33.45
29.	पश्चिम बंगाल	100.00							100.00
	कुल	1230.97		34.98	46.05	48.00			1360.00

[हिन्दी]

राष्ट्रमंडल खेलों के लिए निधियां

502. श्री जय प्रकाश अग्रवाल: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रमंडल खेल, 2010 की विभिन्न परियोजनाओं के लिए संघ राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा कितनी धनराशि मांगी गई है;

(ख) उन परियोजनाओं के नाम क्या हैं जिन पर इन निधियों को व्यय किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या निधियों को संघ राज्यक्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा दिए गए अनुमानों के अनुसार जारी किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को प्रारंभ में राष्ट्रमंडल खेल, 2010 की मेजबानी के लिए 770.00 करोड़ रु. की धनराशि आबंटित की गयी थी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने विभिन्न राष्ट्रमंडल खेल परियोजनाओं के लिए 2009-10 तथा 2010-11 के लिए क्रमश: 2000 करोड़ रु. तथा 1500 करोड़ रु. की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता मांगी है। 2000.00 करोड़ रु. में से 1000.00 करोड़ रु. राष्ट्रमंडल खेल, 2010 की विभिन्न परियोजनाओं हेतु दिल्ली सरकार को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में पहले ही आबंटित किए जा चुके हैं।

(ख) राष्ट्रमंडल खेलों से संबंधित लगभग 59 परियोजनाएं हैं जो लोक निर्माण विभाग, दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका, परिवहन विभाग, स्वास्थ्य सेवा निदेशालय आदि द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं। विभिन्न परियोजनाओं, जिनके लिए धनराशि का उपयोग किया जाएगा, में अन्य बातों के साथ-साथ त्यागराज खेल परिसर, तालकटोरा स्टेडियम, छत्रसाल स्टेडियम, फ्लाई ओवर/रोड ओवर ब्रिज/रोड अंडर ब्रिज का निर्माण, सड़कों को मजबूत बनाना तथा उन पर पुन: सतह बिछाना, जल, विद्युत तथा परिवहन प्रणाली आदि में सुधार शामिल है।

(ग) और (घ) जी हां। दिल्ली नगर निगम, लोक निर्माण विभाग, नई दिल्ली नगर पालिका जैसी विभिन्न एजेंसियों द्वारा बताई गई जरूरतों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार को धनराशि आबंटित की गई है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

भारत विरोधी दुष्प्रचार

503. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जम्मू और कश्मीर सीमा के पार से पड़ोसी देशों द्वारा भारत विरोधी दुष्प्रचार का प्रसारण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का उक्त राज्य के ऊंचाई पर स्थित क्षेत्रों में टेलीविजन व रेडियो कवरेज को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का 13,000 से 14,000 फीट की ऊंचाई और मोबाइल ट्रांसमीटर स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है साथ ही दुष्प्रचार का सामना करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी मोहन जतुआ): (क) और (ङ) जी, हां। सीमा-पार से भारत-विरोधी दुष्प्रचार को रोकने के लिए आकाशवाणी तथा दूरदर्शन दोनों द्वारा अनेक कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं।

(ख) और (ग) आकाशवाणी एवं दूरदर्शन नेटवर्क को सुदृढ़ करना एक सतत प्रक्रिया है। जम्मू व कश्मीर में बड़ी ऊंचाई पर भी नये उच्च शक्ति/अल्प शक्ति आकाशवाणी/दूरदर्शन ट्रांसमीटरों, एफ.एम. ट्रांसमीटरों को स्थापित करने संबंधी प्रस्तावों पर समय-समय पर आवश्यकतानुसार सरकार द्वारा विचार एवं अनुमोदन किया जाता है। इसके अतिरिक्त, फ्री टु एअर डी.टी.एच. सेवा ''डी.डी. डायरेक्ट प्लस'' के जरिए दुर्गम एवं दूर-दराज के क्षेत्रों में कवरेज में सुधार हुआ है। सितम्बर, 2007 में अनुमोदित जम्मू व कश्मीर हेतु विशेष पैकेज के भाग के रूप में दूरदर्शन ने कवर न किए गए क्षेत्रों हेतु जम्मू व कश्मीर सरकार को टी.वी. सेटों सहित डी.टी.एच. सेट प्रदान किए हैं।

(घ) इस समय ऐसी कोई भी अनुमोदित स्कीम नहीं है।

मानव तस्करी

504. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री प्रदीप माझी:
श्री अधीर चौधरी:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत महिलाओं और बच्चों सहित मानव तस्करी के लिए एक स्रोत, ठिकाना तथा पारवहन स्थान बन चुका है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा मौजूदा वर्ष के दौरान जानकारी में लाए गए इस प्रकार के मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) सरकार के पास कोई विशिष्ट सूचना नहीं है और सीमा पार से मानव अवैध व्यापार पर राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरों के पास अलग से कोई सूचना नहीं होती है।

(ख) वर्ष 2005-2007 के दौरान मानव अवैध व्यापार से संबंधित अपराध-शीर्षों के तहत दर्ज मामलों के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरे विवरण के रूप में संलग्न है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, मानव अवैध व्यापार से संबंधित कानूनों के विभिन्न प्रावधानों के तहत विगत तीन वर्षों (2005, 2006 और 2007 के दौरान सूचित मामलों की संख्या क्रमश: 6402, 5096 और 4087 थी।

(ग) केन्द्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को समग्र रूप से अवैध व्यापार से संबंधित अपराध से निपटने तथा कानून तोड़ने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के अलावा पीड़ितों के बचाव, राहत और पुनर्वास को सम्मिलित करके एक प्रभावी और व्यापक रणनीति तैयार करने की सलाह दी है।

''पुलिस'' और ''लोक व्यवस्था'' राज्य के विषय है तथा मानव अवैध व्यापार के अपराध के निवारण और उसे रोकने के लिए मुख्यतया राज्य सरकारें जिम्मेवार होती हैं। तथापि, केन्द्रीय सरकार ने महिलाओं एवं बच्चों के व्यापारिक यौन उत्पीड़न के अवैध व्यापार को रोकने हेतु विभिन्न पहले शुरू की है जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं:-

1. गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों/केन्द्र शासित क्षेत्र प्रशासनों और अन्य संबंधित मंत्रालयों इत्यादि के बीच मानव के अवैध व्यापार से संबंधित मामलों को समन्वित करने के लिए एक नोडल सैल की स्थापना की है। इस संबंध में सभी राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकारों को दिनांक 5 जुलाई, 2006 को एक सलाह भी जारी कर दी गई है।

2. पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बीपीआर एंड डी) ने पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों में प्रयोग हेतु ''अन्वेषकों हेतु मानव अवैध व्यापार पुस्तिका'' पर एक प्रशिक्षण नियमावली तैयार की है। बीपीआर एंड डी महिलाओं के बचाव और सुरक्षा के प्रति पुलिस कार्मिकों को सुग्राही बनाने हेतु क्षेत्रीय अवैध-व्यापार विरोधी कार्यशालाओं का आयोजन कर रही है। ऐसी विभिन्न कार्यशालाएं आज तक विभिन्न शहरों में आयोजित की गई हैं।

3. वेश्वावृत्ति हेतु महिलाओं एवं बच्चों के अवैध व्यापार के निवारण और रोकने पर दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग

संघ (सार्क) सम्मेलन के कार्यान्वयन हेतु एक क्षेत्रीय कार्यबल की स्थापना की गई है तथा मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) सार्क सदस्य राज्यों से अनुमोदित हो गई है।

4. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में सचिव, एमडब्ल्यूसीडी की अध्यक्षता में अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम के कार्यान्वयन पर एक केन्द्रीय सलाहकारी समिति का गठन किया गया है जिसके प्रतिनिधि राज्यों, केन्द्रीय संगठनों तथा एनजीओ से होते है तथा तिमाही बैठकें आयोजित की जाती हैं।

5. एमडब्ल्यूसीडी के अतिरिक्त विकट परिस्थितियों में महिलाओं हेतु आश्रय घर जैसे कि शोर्ट स्टे होम (300 से अधिक), स्वाधर होम (200 के लगभग) भी चलाए जाते है। इनमें अवैध व्यापार से बचाई गई अथवा शौचालयों या अन्य स्थानों से भागी गई औरतें/लड़कियां रहती है तथा यौन अपराध की पीड़ित महिलाएं/लड़कियां जोया तो परिवार द्वारा अस्वीकार कर दी गई है या विभिन्न कारणों से निजी परिवारों में वापिस नहीं जाना चाहती, को खा जाता है।

6. विशिष्ट घरों और बचाव लागत, परामर्श चिकित्सा सुविधा, कानूनी सहायता इत्यादि प्रावधानों की स्थापना के साथ व्यापारिक यौन उत्पीड़न हेतु अवैध व्यापार के पीड़ितों की निवारण गतिविधियों और बचाव एवं पुनर्वास हेतु अवैध व्यापार के निवारण के लिए उज्जवला नाम की एक नई योजना प्रारम्भ की गई है।

विवरण

वर्ष 2005 से 2007 के दौरान मानव अवैध व्यापार के तहत किए गए कुल अपराधों के लिए दर्ज मामले (सीआर), आरोप पत्र एवं दाखिल मामले (सीएस), दोष सिद्ध मामलों (सीवी) गिरफ्तार व्यक्ति (पीएआर), आरोप पत्र दाखिल व्यक्ति (पीसीएस) और दोष सिद्ध व्यक्ति (पीसीवी)

क्र.सं.	राज्य/केन्द्र शासित	2005						2006						2007					
		सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	आंध्र प्रदेश	752	695	292	1785	1599	730	720	672	267	1954	1883	711	681	666	143	1846	1735	366
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	असम	30	22	1	74	50	3	31	32	10	126	68	20	22	20	6	53	46	15
4.	बिहार	111	63	9	142	108	15	61	57	8	103	97	13	128	102	9	212	169	17
5.	छत्तीसगढ़	9	9	11	32	32	22	19	18	3	94	94	88	21	19	2	80	80	8
6.	गोवा	38	36	36	110	97	94	27	24	25	62	74	61	10	7	3	27	22	6
7.	गुजरात	96	81	7	377	370	27	99	83	15	417	390	95	83	82	13	304	44	–
8.	हरियाणा	92	92	5	347	348	36	92	82	13	383	347	78	92	93	15	360	367	27
9.	हिमाचल प्रदेश	7	6	0	39	40	0	3	2	0	6	4	0	3	3	0	9	11	0
10.	जम्मू और कश्मीर	3	2	0	13	9	0	5	4	0	14	13	0	1	2	0	9	10	0
11.	झारखंड	21	12	3	82	39	0	42	28	2	64	79	5	43	32	3	80	73	4
12.	कर्नाटक	1251	1251	935	3187	3176	1823	794	742	409	2547	2497	1014	624	620	396	1911	1877	877
13.	केरल	249	228	59	529	466	106	225	195	48	494	476	167	224	205	50	544	515	176
14.	मध्य प्रदेश	45	40	15	145	143	37	22	22	16	82	84	34	42	42	8	148	148	55
15.	महाराष्ट्र	256	269	18	1191	1052	80	433	3288	16	1841	1372	42	373	375	36	1356	1356	61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
16.	मणिपुर	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	5	0	0	0	0	0	6	0	0	4	0	0	10	1	0	2	1	0
18.	मिजोरम	1	1	1	0	1	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	4	4	0	5	4	3	9	7	7	19	15	11	4	3	5	20	3	3
20.	उड़ीसा	29	26	2	107	88	7	59	40	3	133	143	18	41	52	3	133	131	24
21.	पंजाब	72	55	13	200	171	19	79	50	6	298	179	45	50	56	11	161	256	35
22.	राजस्थान	120	119	52	421	421	186	150	147	54	400	402	245	95	92	13	321	321	22
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	0	2	1	0	11	4	0	0
24.	तमिलनाडु	2781	2909	2855	2650	3873	3587	1739	1696	1631	2253	2292	2385	1203	1056	893	1978	1839	1282
25.	त्रिपुरा	1	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0
26.	उत्तराखंड	11	11	6	32	27	15	16	16	5	55	60	3	10	7	2	61	45	10
27.	उत्तर प्रदेश	38	43	41	213	203	181	70	70	28	491	536	130	50	49	26	308	278	140
28.	पश्चिम बंगाल	203	138	48	305	218	118	268	146	77	395	239	84	191	149	22	363	302	14
	कुल राज्य	6226	6112	4409	12988	12535	7072	4970	4464	2644	12237	11346	5169	4004	3735	1659	10298	9934	3186
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	9	4	0	27	12	0	3	6	1	7	16	6	5	7	2	21	27	6
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	6	0	0	0	0
32.	दमन और दीव	1	1	0	4	4	0	1	1	0	5	5	0	5	0	0	28	0	0
33.	दिल्ली	161	117	97	501	335	125	114	185	89	378	371	103	65	97	76	220	225	112
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पुडुचेरी	5	5	6	18	18	14	8	8	3	42	42	28	5	5	5	24	24	21
	कुल यूटी	176	127	103	550	369	139	126	200	93	432	434	137	83	109	83	301	276	139
	कुल अखिल भारतीय	6402	6239	4512	13538	12904	7211	5096	4664	2737	12669	11780	5306	4087	3844	1742	10599	10210	3225

शीर्षों सहित (अनैतिक अवैध व्यापार + लड़कियों का आयातीकरण + लड़कियों की खरीदारी + लड़कियों की बेचदारी + बाल विवाह निरोध अधिनियम।

भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) का कार्यकरण

505. श्री करुणाकरन: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के कार्यकरण का सुग्राहीकरण करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार का कुछ और अधिक अनिवार्य वस्तुओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली में शामिल करने का प्रस्ताव है ताकि आवश्यक वस्तुओं के बाजार मूल्य को नियंत्रण में रखा जा सके; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थामस): (क) से (ग) जी, हां। भारतीय खाद्य निगम के कार्यकरण को मजबूती देने की दृष्टि से भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने भारतीय खाद्य निगम का अध्ययन करने के लिए मैकेन्जे एंड कंपनी को नियुक्त किया था। अध्ययन का मुख्य उद्देश्य भारतीय खाद्य निगम के कार्यकरण में पर्याप्त क्षमता सुधार लाना था।

मै. मैकेन्जे एंड कंपनी द्वारा संस्तुत सुधार संबंधी प्रमुख पहल संलग्न विवरण में दी गई हैं।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा कई सिफारिशों क्रियान्वित की जा रही हैं जबकि कुछ सिफारिशों स्वीकार नहीं की गई हैं।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुप्रवाही बनाने के लिए सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं ताकि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुप्रवाही बनाया जा सके:-

- गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय अन्न योजना परिवारों के लिए की सूचियों की लगातार समीक्षा करके, उचित दर दुकानों को खाद्यान्नों की द्वारा पर सुपुर्दगी करके, उचित दर दुकानों पर खाद्यान्नों की समय पर उपलब्धता कराकर और कर्मचारियों तथा सतर्कता समितियों के सदस्यों को प्रशिक्षण देकर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण में सुधार करना।
- उचित दर दुकानों पर गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय अन्न योजना की सूचियों को प्रदर्शित करके, आबंटित मात्रा को वेबसाइट पर दिखाकर, संशोधित नागरिक अधिकार पत्र को अपनाकर और क्रियान्वित करके, उचित दर दुकानों के लिए खाद्यान्नों की सुपुर्दगी तथा उनके राशन कार्डधारकों को वितरण संबंधी मासिक प्रमाण-पत्र लेकर और प्रचार सह जागरूकता अभियान चलाकर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करना।
- विभिन्न स्तरों पर उन्नत मानीटरिंग और सतर्कता करना तथा कदाचार में संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी दंडात्मक कार्रवाई करना, जिसमें अपात्र राशन कार्ड जारी करने के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों और ऐसे राशन कार्डधारक व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करना भी शामिल है।
- विभिन्न स्तरों पर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रचालनों का कंप्यूटरीकरण करना और आवश्यक वस्तुओं की स्मार्ट कार्ड आधारित सुपुर्दगी लागू करना तथा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जिंसों की ढुलाई करने वाले वाहनों पर ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का उपयोग क्रियान्वित किया जा रहा है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

भारतीय खाद्य निगम के लिए मै. मैकेन्जे एंड कंपनी द्वारा संस्तुत सुधार संबंधी प्रमुख पहल

(1) ब्याज भार को कम करने के लिए बहुस्तरीय ऋण संरचना के जरिए वित्तीय पुनर्संरचना;

(2) रेल संचालन के रेखीय कार्यक्रम के जरिए नेटवर्क का इष्टतम उपयोग (अनाज प्रवाह प्रबंधन);

(3) हैंडलिंग और ढुलाई ठेकों का समेकन;

(4) बोरियों के उपयोग और स्रोत पैटर्न में परिवर्तन;

(5) खाद्यान्नों की सीधी भागीदारी करके और बिचौलियों को हटाकर लागत में कमी करना;

(6) गोदामों जैसी मौजूदा सभी परिसम्पत्तियों का इष्टतम उपयोग करके राजस्व सृजन के क्षेत्रों का पता लगाना;

(7) युक्तिकरण, स्वचालन और बेहतर कार्य निष्पादन प्रबंधन प्रणाली (जन प्रबंधन प्रणाली) के जरिए मानव संसाधनों का सस्ता और सक्षम उपयोग करना;

(8) खाद्यान्नों में भूमण्डलीय कारोबार के लिए चतुर कारोबारी दृष्टिकोण;

(9) मूल्य मानीटरिंग प्रकोष्ठ का सृजन;

(10) प्रचालन लागतों का प्रबंधन;

(11) बेकार पड़ी परिसम्पत्तियों का प्रबंधन;

(12) सतर्कता प्रशासन; और

(13) परिभाषित पैरामीटरों और जवाबदेही निर्धारित करके कार्य निष्पादन की समीक्षा।

सड़क परियोजनाओं के अवार्ड की मौजूदा प्रणाली में बदलाव

506. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के तहत परियोजनाओं के लिए ठेका अवार्ड करने की प्रक्रिया का नवीकरण करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा इसके कारण क्या हैं;

(ग) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के तहत सड़क विकास हेतु मूल योजना का ब्यौरा क्या है तथा किस सीमा तक इसका कार्यान्वयन किया जा चुका है;

(घ) कार्यक्रम के कार्यान्वयन में विलम्ब, यदि कोई हो तो, उसके क्या कारण हैं तथा सरकार द्वारा समग्र कार्य को समय-सीमा के भीतर पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) वर्ष-वार एंड राज्य-वार अवार्ड की गई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की स्थिति क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर आर.पी.एन. सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के विभिन्न चरणों के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए अनुमोदित योजना और इसके कार्यान्वयन की स्थिति का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(घ) कतिपय सड़क खंडों का कार्य पूरा करने में विलंब के विभिन्न कारणों में भूमि अधिग्रहण, सुविधाओं का स्थानांतरण, पर्यावरण एवं वन स्वीकृतियां, ठेकेदारों द्वारा निम्नस्तरीय कार्य निष्पादन आदि कारण शामिल हैं। परियोजना का कार्य तेजी से पूरा करने की दृष्टि से कार्यों पर नियमित निगरानी रखी जाती है। निम्न स्तरीय कार्य निष्पादन ठेकेदारों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है और भूमि अधिग्रहण, वन स्वीकृति प्रदान करने आदि जैसी समस्याओं के समाधान के लिए उपाय किए जाते हैं जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ङ) वर्ष 2006-07, 2007-08 और 2008-09 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के विभिन्न चरणों के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए सौंपे गए ठेकों का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

विवरण I

	चरण	किमी में कुल लंबाई	अनुमोदन की तारीख	अनुमोदित लागत (करोड़ रुपये में)	पूर्व हो चुकी लंबाई (किमी में)	कार्यान्वयन के अधीन लंबाई
I.	स्वर्णिम चतुर्भुज, पूर्व पश्चिम-उत्तर दक्षिण महामार्ग, पत्तन संपर्क तथा अन्य	7,498	12.12.2000	30,300	7196	296
II.	पूर्व पश्चिम-उत्तर दक्षिण महामार्ग, पत्तन संपर्क तथा अन्य को 4/6 लेन का बनाना	6,647	18.12.2003	34,339	3059	2836
III.	उन्नयन, 4/6 लेन बनाना	12,109	–	80,626	859	1888
IV.	पेव्ड शोल्ड सहित 2 लेन बनाना	20,000	जुलाई-2008 5000 किमी के लिए	27,800	–	–
V.	स्वर्णिम चतुर्भुज और उच्च घनत्व वाले महामार्गों को 6 लेन का बनना	6,500	05.10.2006	41,210	127	903
VI.	एक्सप्रेस मार्ग	1000	02.11.2006	16,680	शून्य	शून्य
VII.	रिंग रोड, बाईपास और फ्लाईओवर तथा अन्य संरचनाएं	रिंग रोड/ बाईपास + फ्लाईओवर के लिए 700 किमी	06.12.2007	16,680	–	19

विवरण II

परियोजनाओं के तीव्र कार्यान्वयन के लिए सरकार के उपाय

(क) पर्यवेक्षण परामर्शदाता, परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों जैसे विभिन्न स्तरों पर ठेकों की नियमित निगारनी की जाती है। अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग के स्तर पर भी प्रगति की समीक्षा की जाती है।

(ख) राज्य सरकारों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना से संबंधित समस्याओं जैसे भूमि अधिग्रहण, सुविधाओं के स्थानांतरण, वन/प्रदूषण/पर्यावरण स्वीकृति आदि के समाधान के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की नोडल अधिकारियों के रूप में नियुक्ति की गई है। ये नोडल अधिकारी परियोजनाओं की समीक्षा के लिए समय-समय पर बैठकें करते हैं तथा समस्याओं के समाधान के लिए कार्रवाई करते हैं।

(ग) भूमि अधिग्रहण, सुविधाओं के स्थानांतरण, पर्यावरण संबंधी अनुमोदन, सड़क उपरि पुलों की स्वीकृति आदि जैसे अंतर-मंत्रालयी और केन्द्र-राज्य मुद्दों के समाधान के लिए मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की एक समिति का गठन किया गया है।

(घ) भूमि अधिग्रहण की अधिसूचनाएं जारी करने की प्रक्रिया आसान बना दिया गया है। पहले राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के अंतर्गत सभी अधिसूचनाओं की विधीक्षा विधि मंत्रालय द्वारा की जाती थी। हाल ही में कार्य आबंटन नियमावली में एक संशोधन किया गया है जिसके द्वारा इन अधिसूचनाओं को विधि मंत्रालय को भेजे जाने की आवश्यकता नहीं है। विधि मंत्रालय ने भूमि अधिग्रहण अधिसूचनाओं की समान प्रकृति को ध्यान में रखते हुए विभिन्न अधिसूचनाओं के मानक फार्मेट अनुमोदित कर दिए हैं।

(ङ) सड़क उपरि पुलों के शीघ्र निर्माण के लिए रेलवे के एक अधिकारी को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में तैनात किया गया है ताकि रेल मंत्रालय के साथ समन्वय किया जा सके। कुछ सड़क उपरि पुलों के निर्माण के लिए मै. इरकान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(च) गैर निष्पादक ठेकेदारों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है और उन्हें तब तक भावी परियोजनाओं के लिए निविदाएं देने की अनुमति नहीं दी जाती है जब तक वे विद्यमान ठेकों में अपने कार्य-निष्पादन में सुधार नहीं कर लेते।

विवरण III

सौंपी गई परियोजनाओं की सूची

2006-07

आंध्र प्रदेश

एनएचडीपी चरण 2

314 हैदराबाद बंगलौर खंड (एडीबी-11/सी-15)	7	45.6	0	मार्च-2007	अगस्त-2009	218.29
315 हैदराबाद बंगलौर खंड (एडीबी-11/सी-13)	7	40	0	मार्च-2007	सितंबर-2009	231.27
316 हैदराबाद बंगलौर खंड (एडीबी-11/सी-10)	7	40	0	मार्च-2007	अगस्त-2009	167.39
317 हैदराबाद बंगलौर खंड (एडीबी-11/सी-14)	7	42	0	मार्च-2007	अगस्त-2009	183.98
318 हैदराबाद बंगलौर खंड (एडीबी-11/सी-11)	7	42.4	0	मार्च-2007	अगस्त-2009	174.81
319 कादल से अरमुर (एनएस-2/बीओटी/एपी-8)	7	31	25.09	मई-2007	नवंबर-2009	271.73
320 हैदराबाद बंगलौर खंड (एडीबी-11/सी-12)	7	42.6	0	मार्च-2007	सितंबर-2009	213.45
321 महा./एपी सीमा से इसलाम नगर (एनएस-2/बीओटी/एपी-6)	7	55	32.91	मई-2007	नवंबर-2009	360.42
322 इसलाम नगर से कदतल (एनएस-2/बीओटी/एपी-7)	7	48	24.5	मार्च-2007	मार्च-2010	546.83
आंध्र प्रदेश का जोड़		386.6	82.5			2368.17

असम						
एनएचडीपी चरण 2						
323 असम से मैबंग (एएस-21)	54	26	0	जनवरी-2007	दिसंबर-2009	253.08
324 ब्रह्मपुत्र पुल (एएस-28)	31	5	0	अक्तूबर-2006	अप्रैल-2010	238.34
325 हरंगजो से मैबंग (एएस-22)	54	24	0	जनवरी-2007	दिसंबर-2009	241.53
असम का जोड़		55	0			732.95
बिहार						
एनएचडीपी चरण 2						
326 पहुंच मार्गों सहित कोसी पुल और गाइड बांड तथा अफ्लुक्स बांड (बीआर-5)	57	10	0	अप्रैल-2007	जून-2010	418.04
बिहार का जोड़		10	0			418.04
छत्तीसगढ़						
एनएचडीपी चरण 3						
327 दुर्ग बाइपास के अंतिम छोर से छत्तीसगढ़/महाराष्ट्र सीमा	6	82.685	0	जनवरी-2008	जनवरी-2010	464.00
छत्तीसगढ़ का जोड़		82.685	0			464.00
गुजरात						
एनएचडीपी चरण 5						
328 भरूच से सूरत पैकेज बीओटी-2 (छ: लेन)	8	65	43.53	जनवरी-2007	जुलाई-2009	492.00
329 वडोदरा से भरूच पैकेज बीओटी-1 (छ: लेन)	8	83.3	83.3	जनवरी-2007	जुलाई-2009	660.00
गुजरात का जोड़		148.3	126.83			1152.00
हरियाणा						
एनएचडीपी चरण 2						
330 पानीपत से पंछी गुजरान (छ: लेन बनाने का कार्य) (एनएस-89/एचआर)	1	20	20	अक्तूबर-2006	दिसंबर-2009	121.64
हरियाणा का जोड़		20	20			121.64
हरियाणा [20]/हिमाचल प्रदेश						
एनएचडीपी चरण 3						
331 जीकरपुर-परवानू	22	28.69	3	फरवरी-2008	अगस्त-2010	295.00
हरियाणा [20]/हिमाचल प्रदेश [6.69]/पंजाब [2] का जोड़		28.69	3			295.00

जम्मू और कश्मीर							
एनएचडीपी चरण 2							
332	श्रीनगर बाइपास (पुल खंड) (एनएस-30ए)	1ए	1.23	0	जून-2006	दिसंबर-2009	62.96
	जम्मू और कश्मीर का जोड़		1.23	0			62.96
कर्नाटक							
एनएचडीपी चरण 2							
333	एपी/कर्नाटक सीमा-नंदी हिल क्रासिंग और देवलहल्ली से मीनूकुंटे	7	61.38	50	मार्च-2007	अगस्त-2009	402.80
एनएचडीपी चरण 3							
334	बंगलौर-होसकोटे-मुदबगल खंड	4	79.724	6	जनवरी-2008	जुलाई-2010	565.00
335	बंगलौर-नीलमंगलमा	4	19.5	0	नवंबर-2007	नवंबर-2009	445.00
	कर्नाटक का जोड़		160.604	56			1412.80
मध्य प्रदेश							
एनएचडीपी चरण 2							
336	लखनादून से म.प्र./महा. सीमा (एनएस-1/बीओटी/म.प्र.-2)	7	49.35	30	मार्च-2007	सितंबर-2009	263.17
337	लखनादून से म.प्र./महा. सीमा (एनएस-1/बीओटी/म.प्र.-3)	7	56.475	10	दिसंबर-2007	जून-2010	407.60
338	ग्वालियर बाइपास (एनएस-1/बीओटी/म.प्र.-1)	75, 3	42	0	अप्रैल-2007	अक्तूबर-2010	300.93
	मध्य प्रदेश का जोड़		147.825	40			971.70
मध्य प्रदेश [68.5]/उत्तर प्रदेश							
339	ग्वालियर-झांसी	75	80	0	जून-2007	दिसंबर-2010	604.00
	मध्य प्रदेश [68.5]/ उत्तर प्रदेश [11.5] का जोड़		80	0			604.00
महाराष्ट्र							
एनएचडीपी चरण 3							
340	छत्तीसगढ़/महाराष्ट्र सीमा-वैनगंगा पुल	6	80.055	15	मार्च-2008	सितंबर-2010	424.00
	महाराष्ट्र का जोड़		80.055	15			424.00
पंजाब							
एनएचडीपी चरण 3							
341	कुराली-कीरतपुर	21	42.9	13	दिसंबर-2007	जून-2010	309.00
	पंजाब का जोड़		42.9	13			309.00

राजस्थान							
एनएचडीपी चरण 2							
342	चम्बल पुल (आरजे-5)	76	1.4	0	नवंबर-2006	सितंबर-2010	213.59
	राजस्थान का जोड़		1.4	0			213.59
तमिलनाडु							
एनएचडीपी चरण 1							
343	चेन्नै-एन्नौर एक्सप्रेसवे	एसआर	9	0	समाप्त		45.29
एनएचडीपी चरण 3							
344	त्रिची-डिंडीगुल	45	88.273	0	जनवरी-2008	जुलाई-2010	576.00
345	पुडुचेरी-टिंडीवनम	66	38.61	7.2	जनवरी-2008	जुलाई-2010	285.00
346	त्रिची-करूर	67	79.7	0	जनवरी-2008	जुलाई-2010	516.00
347	सलेम-उलूनडरूपेट (बीओटी-1/टीएन-06)	68	136.357	0	जनवरी-2008	जनवरी-2011	941.00
	तमिलनाडु का जोड़		351.94	7.2			2363.29
उत्तर प्रदेश							
एनएचडीपी चरण 2							
348	झांसी से ललितपुर (एनएस-1/बीओटी/यूपी-3)	26	49.3	9	मार्च-2007	सितंबर-2009	276.09
349	झांसी से ललितपुर (एनएस-1/बीओटी/यूपी-2)	25, 26	49.7	18	मार्च-2007	सितंबर-2009	355.06
350	गोरखपुर बाइपास	28	32.6	0	अप्रैल-2007	दिसंबर-2010	600.24
	उत्तर प्रदेश का जोड़		131.6	27			1231.39
पश्चिम बंगाल							
रारा-34							
351	डलखोला बाइपास	34	5.5	0	सितंबर-2006	जुलाई-2009	56.12
	पश्चिम बंगाल का जोड़		5.5	0			56.12
	2006-07 का जोड़		1734.329	390.53			13200.65
			2007-08				
आंध्र प्रदेश							
एनएचडीपी चरण 5							
352	चिल्कालूरीपेट-विजयवाड़ा (छः लेन)	5	82.5	0	#	#	572.30
	आंध्र प्रदेश का जोड़		82.5	0			572.30

गुजरात [118.2]/महाराष्ट्र [120.77]							
एनएचडीपी चरण 5							
353 सूरत-दहीसर (छ: लेन)		8	239	0	फरवरी-2009	अगस्त-2011	1693.75
	गुजरात [118.2]/ महाराष्ट्र [120.77] का जोड़		239	0			1693.75
हरियाणा							
एनएचडीपी चरण 3							
354 दिल्ली/हरियाणा सीमा से रोहतक		10	63.49	0	मई-2008	मई-2010	486.00
	हरियाणा का जोड़		63.49	0			486.00
हरियाणा [116]/पंजाब [175.1]							
एनएचडीपी चरण 5							
355 पानीपत-जालंधर (छ: लेन)		1	291	0	#	#	2288.00
	हरियाणा [116]/पंजाब [175.1] का जोड़		291	0			2288.00
हरियाणा [64.3]/राजस्थान [161.3]							
एनएचडीपी चरण 5							
356 गुडगांव-कोटपुतली-जयपुर (छ: लेन)		8	225.6	0	#	#	1673.70
	हरियाणा [64.3]/राजस्थान [161.3] का जोड़		225.6	0			1673.70
कर्नाटक							
एनएचडीपी चरण 3							
357 रारा 48 के साथ रारा 4 पर नीलमंगला जंक्शन से देवनहल्ली		48	81	0	जनवरी-2008	जुलाई-2010	441.00
358 रारा-7के बंगलौर-होसुर खंड को छ: लेन का बनाना		7	14.38	11	अप्रैल-2007	नवंबर-2009	105.96
	कर्नाटक का जोड़		95.38	11			546.96
केरल							
विविध परियोजनाएं							
359 आईसीटीटी वल्लारपदम के लिए रारा संरेखं		47सी	17.2	0	अगस्त-2007	फरवरी-2010	329.46
	केरल का जोड़		17.2	0			329.46
मध्य प्रदेश							
एनएचडीपी चरण 3							
360 खालघाट-म.प्र./महाराष्ट्र सीमा		3	82.8	5.2	नवंबर-2008	मई-2011	549.00
	मध्य प्रदेश का जोड़		82.8	5.2			549.00

मध्य प्रदेश [1]/राजस्थान [9]							
एनएचडीपी चरण 2							
361 धौलपुर-मुरेना खंड (चम्बल पुल सहित) एनएस-1/आरजे-म.प्र./1		3	10	0	सितंबर-2007	मार्च-2011	230.28
	मध्य प्रदेश [1]/राजस्थान [9] का जोड़		10	0			230.28
पंजाब							
एनएचडीपी चरण 3							
362 अमृतसर-वाघा सीमा		1	36.22	0	जून-2008	जून-2010	205.88
	पंजाब का जोड़		36.22	0			205.88
तमिलनाडु							
विविध परियोजनाएं							
363 चेन्नै-एन्नौर एक्सप्रेसवे		एसआर	15	0	समाप्त		76.76
एनएचडीपी चरण 5							
364 चेन्नै-टाडा (छः लेन)		5	43.4	0	#	#	353.37
	तमिलनाडु का जोड़		58.4	0			430.13
उत्तर प्रदेश							
एनएचडीपी चरण 2							
365 नए आगरा बाइपास को चार लेन का बनाना (एनएस-1/यूपी-1)		2, 3	32.8	0	अक्तूबर-2007	फरवरी-2011	326.70
	उत्तर प्रदेश का जोड़		32.8	0			326.70
	2007-08 का जोड़		1234.39	16.2			9332.16
			2008-09				
आंध्र प्रदेश							
एनएचडीपी चरण 3							
366 कुडप्पा-मेडुकुर-कुरनूल		18	188.752	0	#	#	1585.00
	आंध्र प्रदेश का जोड़		188.752	0			1585.00
दिल्ली/हरियाणा							
एनएचडीपी चरण 5							
367 बदपुर उत्थापित राजमार्ग		2	4.4	0	दिसंबर-2008	सितंबर-2010	340.00
	दिल्ली/हरियाणा का जोड़		4.4	0			340.00

गुजरात							
एनएचडीपी चरण 3							
368	गुजरात/महाराष्ट्र सीमा-सूरत-हजीरा पत्तन खंड	6	132.9	0	#	#	1509.10
	गुजरात का जोड़		132.9	0			1509.10
केरल							
एनएचडीपी चरण 2							
369	वडक्कनचेरी-त्रिशूर खंड को छह लेन का बनाना	47	30	0	#	#	617.00
	केरल का जोड़		30	0			617.00
महाराष्ट्र							
एनएचडीपी चरण 3							
370	पिंपलगांव-नासिक-गोंडे	3	60	0	#	#	940.00
371	म.प्र./महाराष्ट्र सीमा-धुले	3	98	0	#	#	835.00
372	पुणे-शोलापुर पैकेज-1	9	110.05	0	#	#	1110.00
	महाराष्ट्र का जोड़		268.05	0			2885.00
तमिलनाडु							
एनएचडीपी चरण 6							
373	चेन्नै-पत्तन-मदुरावोयल चार लेन की नई उत्थापित सड़क	4	19	0	#	#	1655.00
	तमिलनाडु का जोड़		19	0			1655.00
	वर्ष 2008-09 का जोड़		643.102	0			8591.10

#सूचना उपलब्ध नहीं

पीपीपी पद्धति में आशोधन

507. श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सड़क विकास के लिए सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी) माडल के आशोधन पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसमें क्या बदलाव किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार को पेट्रोल/ईंधन उपकर में एक रुपया वृद्धि कर राज्य तथा राष्ट्रीय राजमार्गों को वित्तपोषित करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इससे कितनी निधियों के संग्रहण की संभावना है तथा इस प्रकार की निधियों का राज्य व केन्द्र सरकार के बीच किस प्रकार वितरण किया जाएगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो उड़ीसा सहित देश के आर्थिक रूप से गरीब राज्यों में सड़कों के विकास के लिए किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर आर.पी.एन. सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) सरकार, समय-समय पर आवश्यकता के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए उपकर सहित विभिन्न उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करती है।

(ङ) सरकार ने उड़ीसा सहित विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-3 और उसके बाद के चरणों के अधीन शुरू की जाने वाली परियोजनाओं को सार्वजनिक निजी भागीदारी आधार पर निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण (पथ-कर) विधि से; इसके विफल होने पर निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण (वार्षिकी) विधि से और इसके भी विफल होने पर इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट एंड कांट्रेक्ट विधि से राष्ट्रीय राजमार्गों की सुपुर्दगी की वैकल्पिक विधियों संबंधी व्यापक नीति को अनुमोदित किया है।

[हिन्दी]

आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेन का बनाया जाना

508. श्री अंजनकुमार एम. यादव: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश में चार लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा तथा इनकी प्रगति की स्थिति क्या है;

(ग) क्या इनके निर्माण में कोई कठिनाई आ रही है;

(घ) यदि हां, तो इस पर क्या सुधारात्मक कार्यवाही की गई है;

(ङ) आंध्र प्रदेश में स्थित प्रत्येक राजमार्ग विशेषत: हैदराबाद से चार/छ: लेन वालों को जोड़ने वाले मार्गों के अंतर्गत कितना यातायात है;

(च) क्या इस संबंध में कोई अध्ययन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) किन नए मार्गों की पहचान की गई है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) जी, हां। आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल 2534 कि.मी. लम्बाई को 4 लेन में बदलने के लिए कार्य शुरू कर दिया गया है। इसमें से 1546 कि.मी. की लम्बाई में 4 लेन बनाने का कार्य पूरा हो चुका है, 588 कि.मी. में कार्य प्रगति पर है, 344 कि.मी. में कार्य सौंपे जाने के विभिन्न स्तरों पर चल रहा है और शेष 56 कि.मी. लम्बाई में प्रारम्भिक परियोजना रिपोर्ट (पीपीआर) तैयार किए जाने का कार्य प्रगति पर है।

(ग) और (घ) परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान भूमि अधिग्रहण, सुविधाओं के स्थानांतरण और पर्यावरण और वन संबंधी स्वीकृति आदि से संबंधित कठिनाइयां सामने आई हैं। इन कार्यों की तीव्र प्रगति के लिए राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ नियमित बैठकें की जा रही हैं और कार्य की प्रगति पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

(ङ) और (च) आंध्र प्रदेश में विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों पर यातायात गणना की जा रही है और यातायात गणना के अनुसार इन राष्ट्रीय राजमार्गों पर चलने वाला यातायात 10000 से लेकर 40000 यात्री कार यूनिट (पीएसयू) तक है। रारा-7, रारा-9 और रारा-202 जो हैदराबाद शहर से निकलते हैं, पर 20000 से लेकर 40000 यात्री कार यूनिट तक का यातायात चलता है।

(छ) मंत्रालय ने 425 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग रूट अर्थात् पालमनेर-तिरूपति, पुथलापट्टू-पिलेरू-तिरूपति, पिलेरू-कडप्पा, गजपतिनगरम्-विशाखापट्टनम और यादगिरी-वारंगल को 4 लेन का बनाए जाने की व्यवहार्यता की जांच के लिए परामर्शदाता सेवाएं शुरू करने के लिए अभिनिर्धारित किया है।

[अनुवाद]

किसानों के सहकारी समितियां

509. श्री एस. सेम्मलई: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार यांत्रिक कृषि उपकरणों को किराए पर लेने तथा खरीदने के लिए सहकारी समितियों के निर्माण के लिए मार्जिन धनराशि जुटाने तथा प्रदान करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थामस): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

खाद्यान्नों की कालाबाजारी

510. श्री गोरख प्रसाद जायसवाल:
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:
श्री कमल किशोर उर्फ **कमांडो:**

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरण के लिए आशयित वस्तुओं की काला बाजार में खुली बिक्री की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार ऐसी कितनी घटनाओं का पता लगा है;

(ग) इसमें संलिप्त पाए गए अधिकारियों सहित सभी व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही की प्रकृति से संबंधित ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थामस): (क) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्रियान्वयन भारत सरकार और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है जिसमें जिम्मेदारियों की हिस्सेदारी होती है। भारत सरकार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खाद्यान्नों की खरीदारी, उनका भंडारण, ढुलाई और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को उनका आबंटन करती है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के अंदर खाद्यान्नों का आबंटन करने, योजना आयोग के अनुमानों पर आधारित गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय अन्न योजना परिवारों की पहचान करने और उन्हें राशन कार्ड जारी करने तथा उचित दर दुकानों के जरिए पात्र राशन कार्डधारकों को आबंटित खाद्यान्नों के वितरण का पर्यवेक्षण करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की होती है।

जब कभी व्यक्तियों अथवा संगठनों और प्रैस रिपोर्टों के जरिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जिंसों के लीकेज/विपथन के बारे में सरकार को शिकायतें प्राप्त होती हैं इन्हें जांच और कार्रवाई करने हेतु संबंधित राज्य सरकारों को भेजा जाता है।

(ख) से (घ) आवश्यक वस्तुओं की आपूर्तियां बनाए रखने और उनकी उपलब्धता तथा वितरण सुनिश्चित करने के लिए 31 अगस्त, 2001 को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 अधिसूचित किया गया है जिसमें आदेश है कि राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अपने यहां लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सुचारू कार्यकरण सुनिश्चित करने के लिए सभी उपचारात्मक कार्रवाई करेंगे। इस आदेश के उपबंधों के उल्लंघन में किया गया अपराध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन दंडनीय है।

पिछले तीन वर्षों (2006, 2007 और 2008) के दौरान लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण में पाए गए विभिन्न कदाचारों के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने सूचना दी है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के उपबंधों के अधीन 15,553 व्यक्तियों को गिरफ्तार/अभियोजित किया गया है। इनमें से सरकारी अधिकारियों के अलग ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं। इसके अलावा इस अवधि के दौरान चोर बाजारी और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के अधीन राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा 442 मामलों में नजरबंदी आदेश दिए गए थे।

[अनुवाद]

डेयरी क्षेत्र का विकास

511. श्री जगदीश ठाकोर: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गुजरात और उड़ीसा के पिछले जिलों सहित देश में डेयरी क्षेत्र के विकास और इस क्षेत्र में स्वरोजगार को बढ़ावा देने हेतु कोई नयी योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसका कब तक क्रियान्वयन किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थामस): (क) से (ग) डेयरी क्षेत्र के विकास और इस क्षेत्र में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कोई नई योजना नहीं बनाई है। तथापि, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) ने देश में 2021-22 तक दुग्ध उत्पादन को 180 मिलियन टन तक बढ़ाने के लिए 17,371 करोड़ रुपए के अनुमानित परिव्यय के साथ एक दृष्टिकोण दस्तावेज तथा ''राष्ट्रीय डेयरी योजना'' नामक एक नई योजना की प्राथमिक परियोजना रिपोर्ट (बीपीआर) तैयार कर ली है। इससे पहले कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जाए और मंत्रिमंडल का अनुमोदन लिया जाए, योजना आयोग से 'सिद्धांत रूप में' अनुमोदन प्राप्त कर लेने के बाद, पीपीआर को वित्त मंत्रालय के माध्यम से मूल्यांकन के लिए विश्व बैंक को प्रेषित किया गया है।

[हिन्दी]

खाद्यान्नों की खरीद में अनियमितताएं

512. श्री कमल किशोर उर्फ **कमांडो:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों विशेषकर उत्तर प्रदेश और बिहार में गेहूं, धान और चावल सहित खाद्यान्नों की खरीद हेतु कितने खरीद केन्द्र खोले गए हैं और खरीद प्रक्रिया में कौन-कौन सी एजेंसियां सम्मिलित हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितनी मात्रा में खाद्यान्न की खरीद की गई और खरीद की आवृत्ति क्या रही;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान खरीद प्रक्रिया में अनियमितताएं बरती जाने जैसी न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) का भुगतान न किया जाना और अपेक्षाकृत कम संख्या में खरीद केन्द्र खोलने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्राप्त शिकायतों की संख्या कितनी है और प्रकृति कैसी है तथा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कार्रवाई की गई है; और

(ङ) उक्त अनियमितताओं के लिए उत्तरदायी पाए गए भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों सहित अन्य अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थामस): (क) पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक और वर्तमान वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश और बिहार सहित विभिन्न राज्यों में गेहूं और धान/चावल की खरीदारी के लिए भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा खोले गए क्रय केंद्रों की संख्या क्रमश: विवरण-I और विवरण-II में दी गई है।

(ख) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष में केन्द्रीय पूल के लिए भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा खरीदे गए गेहूं और चावल की मात्रा निम्नानुसार है:-

(लाख टन में)

विपणन वर्ष	2006-07	2007-08	2008-09*	2009-10*
गेहूं (अप्रैल-मार्च)	92.26	111.28	226.89	246.80
चावल (अक्तूबर-सितम्बर)	251.07	284.93	307.82	अभी शुरू नहीं हुआ

*30.6.2009 की स्थिति के अनुसार।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान न करने और कम संख्या में क्रय केन्द्र खोलने जैसी खाद्यान्न वसूली में हुई अनियमितताओं के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण I

रबी विपणन मौसम 2005-06 से 2008-09 तक के दौरान भारतीय खाद्य निगम/राज्य एजेंसियों द्वारा चलाए गए क्रय केन्द्रों की सूची बताने वाला विवरण (15.4.2009 को अद्यतन)

क्षेत्र	2005-06			2006-07*				2007-08			2008-09*		
	भाखानि	रा.ए.	जोड़	भाखानि	रा.ए.	एनसीएम एसएल	जोड़	भाखानि	रा.ए.	जोड़	भाखानि	रा.ए.	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
पंजाब	341	1134	1475	334	1255	-	1589	236 (हिस्सेदारी के 65 सहित)	1337	1573	221	1379	1600
हरियाणा	88	260	348	74	280	-	354	67 (हिस्सेदारी के 32 सहित)	293	360	80 (हिस्सेदारी के 32 सहित)	284	364
उत्तर प्रदेश	184	4778	4962	540	4672	56	5268	1079 (नेफेड सहित)	3981	5060	978	3865	4843

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
राजस्थान	35	39	74	40	22	50	112	97 (नेफेड सहित)	32	129	84	206	290
मध्य प्रदेश	136	854	990	138	923		1061	170 (नेफेड सहित)	929	1099	579	1038	1617
दिल्ली	4	–	4	7	–	–	7	7	–	7	2	–	2
बिहार	105	5209	5314	119	4986		5105	163 (नेफेड सहित)	5025	5188	203	4295	4498
हिमाचल प्रदेश	4	–	4	5	–	–	5	5	–	5	7	–	7
उत्तराखंड	30	219	249	30	206		236	30	199	229	43	115	158
गुजरात	–	113	113	–	188		188	–	188	188	62	153	215
छत्तीसगढ़	–	–	–	–	–	–	–	–	1333#	1333	–	1333#	1333
झारखंड	–	–	–	–	–	–	–	0	0	0	13	–	13
जम्मू व कश्मीर	–	–	–	16	–	–	16	19	–	19	15	–	15
महाराष्ट्र	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	85	85
जोड़	927	12606	13533	1303	12532	106	13941	1873	13317	15190	2287	12753	15040

#छत्तीसगढ़: को-आपरेटिव के माध्यम से
*क्षेत्रीय रबी योजना 2009-10 के आधार पर पुनर्संशोधित।

रबी विपणन मौसम 2009-10 के दौरान (2.7.2009 की स्थिति के अनुसार) चलाए जा रहे क्रय केन्द्रों की संख्या

क्षेत्र का नाम	राज्य सरकार/ एजेंसी	भारतीय खाद्य निगम	जोड़
1	2	3	4
पंजाब	1259	383 (हिस्सेदारी के 93 सहित)	1642
हरियाणा	291	74 (हिस्सेदारी के 34 सहित)	365
राजस्थान	177	118	295
मध्य प्रदेश	1173	31	1204
उत्तर प्रदेश	4358	515	4873
बिहार@	2692	115	2807
महाराष्ट्र	85	0	85
झारखण्ड	0	15	15
उत्तराखण्ड	167	33	200
छत्तीसगढ़	–	–	–

1	2	3	4
हिमाचल प्रदेश	–	7	7
जम्मू और कश्मीर	–	15	15
दिल्ली	–	4	4
गुजरात@	45	–	45
जोड़	10247	1310	11557

@बिहार और गुजरात क्षेत्र से प्राप्त सूचना के आधार पर संशोधित।

विवरण II

खरीफ विपणन मौसम 2005-06 से 2008-09 तक के दौरान भारतीय खाद्य निगम/राज्य एजेंसियों द्वारा चलाए गए क्रय केन्द्रों की सूची बताने वाला विवरण

क्षेत्र	2005-06			2006-07			2007-08			2008-09 (अनंतिम) (2.7.2009 को)		
	भाखानि	रा.ए.	जोड़	भाखानि	रा.ए.	जोड़	भाखानि	रा.ए.	जोड़	भाखानि	रा.ए.	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
आंध्र प्रदेश	182	111	293	175	522	697	162	634/782*	796/782*	168	321	489
असम	11	–	11	10	–	10	10	–	20	11	–	11
बिहार	119	647	766	166	एन.ए.	166	198	5343	5541	150	3361	3511
चंडीगढ़	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
छत्तीसगढ़	–	1334	1334	–	1459	1459	–	1533	1533	–	1333	1333
दिल्ली	2	–	2	2	–	2	2	–	2	2	–	2
गुजरात	–	–	–	–	188	188	–	–	–	–	9	9
हरियाणा	12+31$	126	169	6/+27$	142	175	8/+232$	273	513	47	132	179
हिमाचल प्रदेश	5	–	5	5	–	5	5	–	5	5	–	5
जम्मू और कश्मीर	2	–	2	2	–	2	2	–	2	15	–	15
झारखंड	5	–	5	17	327	344	26	1	27	30	एन.ए.	30
कर्नाटक	–	–	–	–	11	11	–	56*	56*	–	120	120
केरल	–	118	118	–	130	130	–	200	200	–	420	420
मध्य प्रदेश	236	215	451	229	206	435	166	254/189*	420/189*	85	527	612
महाराष्ट्र	–	819	819	–	765	765	–	752	752	–	760	760
नागालैंड	–	–	–	–	–	–	–	–	–	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.
उड़ीसा	245	एन.ए.	245	420	1752	2172	610	1933	2543	69	1933	2002

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
पंजाब	159/+174$	1152	1485	94/+118$	1296	1509	1+278$	1264	1543	208	1338	1546
पुडुचेरी	–	–	–	–	5	5	7	–	7	12	–	12
राजस्थान	12	–	12	12	–	12	12	–	12	12	–	12
तमिलनाडु	–	1200	1200	–	667	667	–	1200	1200	–	1074	1074
उत्तर प्रदेश	–	1756	1756	–	1694	1694	148	1974	2122	302	1974	2276
उत्तराखंड	–	51	51	–	55	55	–	53	53	–	52	52
पश्चिम बंगाल	–	680	680	–	1824	1824	50	1301	1351	38	1371	1409
जोड़	1195	8209	9404	1284	11043	12327	1927	17742	19669	1154	14725	15879

$संयुक्त रूप से चलाए गए केन्द्र, *धान और मोटे अनाज
खरीफ विपणन मौसम 2008-09-पंजाब-(5 रहित+203 संयुक्त)=208, मध्य प्रदेश-338+189 मोटे अनाज=527, हरियाणा (13 रहित + 34 संयुक्त)=47

राष्ट्रीय बागवानी मिशन

513. श्री अनुराग सिंह ठाकुर:
श्री जी.एम. सिद्देश्वर:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हिमाचल प्रदेश सहित देश में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत कितनी परियोजनाएं चल रही हैं और ये परियोजनाएं कब से चल रही हैं;

(ख) इन परियोजनाओं के लिए कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है, धनराशि जारी की गई और अभी तक कितनी धनराशि उपयोग में लाई गई है;

(ग) इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है और इन्हें कब तक पूरा किए जाने की संभावना है; और

(घ) यह मिशन अपने उद्देश्य में कहां तक सफल रहा है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थामस): (क) देश में बागवानी को प्रोत्साहन देने के लिए कृषि एवं सहकारिता विभाग दो केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें नामत: (1) वर्ष 2001-02 से सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में बागवानी के समेकित विकास के लिए प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमएनई) जिसे वर्ष 2003-04 के दौरान जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड तक बढ़ा दिया गया है, और (2) वर्ष 2005-06 से शेष राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम)।

(ख) टीएमएनई स्कीम के तहत वर्ष 2001-02 से 2008-09 तक कुल स्वीकृत/निर्मुक्त राशि 1538.60 करोड़ रुपये है, जिसमें से 1520.24 करोड़ रुपये का उपयोग किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में अब तक 128.79 करोड़ रुपये निर्मुक्त और पूर्णतया उपयोगित हो चुके हैं।

एनएचएम के तहत 3503.12 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत/निर्मुक्त हुई है जिसमें से 3140.85 करोड़ रुपये का उपयोग हो चुका है।

(ग) इन दोनों स्कीमों को 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वयन के लिए जारी रखा जा रहा है।

(घ) दोनों स्कीमों का उद्देश्य गुणवत्ताप्रद पौध सामग्री का उत्पादन, नये रोपणों, फसलोपरान्त प्रबंधन और विपणन के लिए अवसंरचना के सृजन के माध्यम से बागवानी का समग्र विकास करना है।

टीएमएनई स्कीम के तहत अब तक 280 नर्सरियां स्थापित की गई हैं। बागवानी फसलों के तहत 4.86 लाख हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को लाया गया है। फसलोपरान्त प्रबंधन में 357 मण्डियां, 31 रोप-वे और 47 प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना की गई है। हिमाचल प्रदेश में अब तक 72 नर्सरियां स्थापित की गई हैं और 35644 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र बागवानी फसलों के तहत लाया गया है। फसलोपरान्त प्रबंधन में 1 मण्डी और 7 प्रसंस्करण इकाईयों को स्थापित किया गया है।

एनएचएम के तहत अब तक 1609 नर्सरियां स्थापित की गई हैं और 12.46 लाख हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को बागवानी फसलों के तहत लाया गया है। फसलोपरान्त प्रबंधन में 898 पैक हाउसों, 117 शीत भण्डार इकाईयों और 83 मण्डी अवसंरचना की स्थापना की गई है।

कालका-शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग

514. **श्री अनुराग सिंह ठाकुर:**
श्री वीरेन्द्र कश्यप:

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि हरियाणा में कालका से हिमाचल प्रदेश में शिमला तक जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग की चौड़ाई काफी कम है जिसके फलस्वरूप अकसर यातायात जाम हो जाता है और भारी आर्थिक नुकसान होता है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त मार्ग को चार लेन बनाए जाने की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर आर.पी.एन. सिंह): (क) से (ग) हरियाणा में कालका से हिमाचल प्रदेश में शिमला तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-22 का खंड 2 लेन का है। रारा-2 के कालका-शिमला खंड को राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-3 के अंतर्गत निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण आधार पर चार लेन का बनाने के लिए अभिनिर्धारित किया गया है। इसे 4 लेन का बनाने की स्थिति इस प्रकार है:

(1) जीरकपुर-परवानू खंड: 4 लेन का बनाया जा रहा है। इसमें पिंजोर-कालका-परवानू बाईपास का निर्माण शामिल है जिसे अगस्त 2010 तक पूरा किए जाने की संभावना है।

(2) परवानू-सोलन खंड: इस खंड को 4 लेन का बनाने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है और निविदादाताओं की पूर्वअहर्ता के पश्चात् 4.8.2009 को निविदा प्राप्त होने की अंतिम तिथि के साथ निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। सार्वजनिक-निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति से स्वीकृति अभी प्राप्त होनी है।

(3) सोलन-शिमला खंड: इस खंड को 4 लेन का बनाने के लिए साध्यता अध्ययन के साथ प्रारंभिक डिजाइन रिपोर्ट तैयार करने का कार्य हाल ही में सौंपा गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय राजमार्ग-102 की मरम्मत और रख-रखाव

515. **डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-102 का कर्जा से मुजफ्फरपुर तक का खंड जर्जर स्थिति में है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उक्त उल्लिखित राजमार्ग के मरम्मत के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए निर्धारित मानदंडों के अनुसार इसकी कब तक मरम्मत किए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर आर.पी.एन. सिंह): (क) से (ग) कर्जा-मुजफ्फरपुर खंड में कि.मी. 61 से कि.मी. 69 तक सड़क गुणता सुधार का काम और कि.मी. 75 में पीसीसी पेवमेंट के निर्माण का काम चल रहा है और ये काम क्रमश- दिसम्बर, 2009 तथा जुलाई, 2009 तक पूरे कर लिए जाने की संभावना है। कि.मी. 70 से 74 तक सुधार का कार्य, चालू वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान किया जाना प्रस्तावित है।

निजी वाहनों के लिए फिटनेस प्रमाणपत्र

516. **श्री हरिश्चंद्र चव्हाण:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निजी वाहनों के लिए फिटनेस प्रमाणपत्र के संबंध में राज्य सरकारों के विचार मांगे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) उक्त योजना को कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर आर.पी.एन. सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि

517. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार चावल और गेहूं के उच्च समर्थन मूल्य के अनुपात में दलहनों, तिलहनों तथा गन्ने के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार खरीफ की फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में समीक्षा करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थामस): (क) और (ख) चुनिंदा फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य राज्यों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों के परामर्श से कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों के आदार पर प्रतिवर्ष निर्धारित किए जाते हैं। वर्ष 2008-09 मौसम हेतु विभिन्न फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पहले ही घोषित किए जा चुके हैं। वर्तमान में, न्यूनतम समर्थन मूल्यों को बढ़ाए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। 2009-10 हेतु गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य दिनांक 25 जून, 2009 को 81.18 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 107.76 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया गया है।

(ग) और (घ) कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशें 2009-10 मौसम की खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों हेतु प्राप्त हुई है तथा इस समय वर्तमान में सरकार के विचाराधीन हैं।

[हिन्दी]

सूखा प्रभावित राज्य

518. श्री अशोक कुमार रावत: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश सहित देश में कितने जिले सूखे से प्रभावित हुए हैं;

(ख) सूखे के कारण फसलों को हुई हानि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय दल ने उक्त अवधि के दौरान सूखा प्रभावित राज्यों का दौरा किया है;

(घ) यदि हां, तो उक्त दल द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान मुआवजे के लिए राज्य सरकारों द्वारा मांगी गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या केन्द्र सरकार ने इन राज्य सरकारों को उक्त धनराशि जारी कर दी है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थामस): (क) और (ख) राज्यों द्वारा सूचित वर्ष 2006-07, 2007-08 तथा 2008-09 के दौरान सूखे की घोषणा और उनके द्वारा यथा सूचित फसलों को हुई क्षति का ब्यौरा दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दर्शाया गया है। वर्ष 2009-10 के दौरान अब तक किसी राज्य ने सूखे की घोषणा के बारे में सूचित नहीं किया है।

(ग) से (ज) राज्यों द्वारा प्रस्तुत किए गए ज्ञापन की प्रतिक्रिया में, स्थिति का जायजा लेने के लिए केन्द्रीय दलों ने इन राज्यों का दौरा किया और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिन पर अर्न्तमंत्रालयी समूह (आईएमजी) द्वारा विचार किया गया। आईएमजी की सिफारिशों पर उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) द्वारा विचार किया गया। राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष (एनसीसीएफ) ने मांगी गई सहायता और एचएलसी द्वारा अनुमोदित सहायता का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दर्शाया गया है। एनसीसीएफ से सहायता के लिए कर्नाटक सरकार के अनुरोध पर एचएलसी की दिनांक 1.7.2009 को हुई बैठक में विचार किया गया था। सूखे की स्थिति का जायजा लेने के लिए उत्तराखंड का दौरा करने वाले केन्द्रीय दल की रिपोर्ट विचाराधीन है।

विवरण I

राज्यों द्वारा घोषित सूखे का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	2006-07		2007-08		2008-09	
		सूखा घोषित किए गए जिलों की सं.	क्षतिग्रस्त फसलित क्षेत्र (लाख है.)	सूखा घोषित किए गए जिलों की सं.	क्षतिग्रस्त फसलित क्षेत्र (लाख है.)	सूखा घोषित किए गए जिलों की सं.	क्षतिग्रस्त फसलित क्षेत्र (लाख है.)
1.	आंध्र प्रदेश	9	5.07	–	–	–	–
2.	असम	22	सूचित नहीं	–	–	–	–
3.	कर्नाटक	23	20.61	–	–	21	6.74
4.	मध्य प्रदेश	10	सूचित नहीं	39	सूचित नहीं	–	–
5.	राजस्थान	22	सूचित नहीं	12	सूचित नहीं	12	सूचित नहीं
6.	उत्तराखंड	–	–	9	सूचित नहीं	11	1.63
7.	उत्तर प्रदेश	–	–	9	सूचित नहीं	–	–
8.	पश्चिम बंगाल	6	सूचित नहीं	–	–	–	–

विवरण II

राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष (एनसीसीएफ) से मांगी गई सहायता और उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) द्वारा एनसीसीएफ से स्वीकृत सहायता का ब्यौरा

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य	2006-07		2007-08		2008-09	
		एनसीसीएफ से मांगी गई सहायता	एचसीएल द्वारा एनसीसीएफ से अनुमोदित सहायता*	एनसीसीएफ से मांगी गई सहायता	एचसीएल द्वारा एनसीसीएफ से अनुमोदित सहायता*	एनसीसीएफ से मांगी गई सहायता	एचसीएल द्वारा एनसीसीएफ से अनुमोदित सहायता*
1.	आंध्र प्रदेश	823.23	76.27	–	–	–	–
2.	कर्नाटक	1439.81	78.96	–	–	2043.07	@
3.	मध्य प्रदेश	–	–	1883.81	42.09	–	–
4.	उत्तराखंड	–	–	220.04	27.30	200.14	**

*गृह मंत्रालय द्वारा यथा निर्धारित संबंधित राज्यों के आपदा राहत कोष (सीआरएफ) में उपलब्ध शेष के समायोजन की शर्त पर।

**विचाराधीन

@इस पर एचसीएल द्वारा दिनांक 1.7.2009 को हुई इसकी बैठक में विचार किया गया था। गृह मंत्रालय से कार्यवृत्त प्रतीक्षित है।

[अनुवाद]

कृषि के अंतर्गत भूमि

519. श्री निशिकांत दुबे: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में राज्यवार कुल कितनी भूमि पर फलों, सब्जियों, दलहनों और मसालों की खेती की जाती है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान उपर्युक्त वस्तुओं की खेती के क्षेत्र में कोई कमी/वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी वस्तु-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने देश में इन वस्तुओं की खेती के क्षेत्र में वृद्धि के लिए कोई योजना तैयार की है/तैयार किए जाने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थामस): (क) से (ग) गत तीन वर्षों के दौरान देश में फलों, सब्जियों, दलहनों और मसालों की खेती के तहत कवर किए गए कुल क्षेत्र का राज्यवार ब्यौरा दर्शाने वाला एक विवरण अनुबंध 'क' पर है। फलों, सब्जियों और मसालों की खेती के तहत क्षेत्र में वृद्धि हुई है जबकि दलहनों के तहत क्षेत्र में कुछ गिरावट आई है जैसा कि संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(घ) और (ङ) भारत सरकार दो केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें नामत: सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों, उत्तराखंड, जम्मू एवं कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में समेकित बागवानी विकास हेतु प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमएनई) तथा शेष राज्यों के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम) कार्यान्वित कर रही है ताकि बागवानी फसलों यथा-फलों, सब्जियों और मसालों के उत्पादन एवं उत्पादकता में सुधार सहित बागवानी का समग्र विकास किया जा सके। इन स्कीमों के तहत क्षेत्र विस्तार, गुणवत्ताप्रद रोपण सामग्री उगाने के लिए नर्सरियों की स्थापना, जीर्ण उद्यानों का पुनरुद्धार, पोषण तत्व एवं जल प्रबंधन आदि के लिए सहायता प्रदान की जा रही है इससे बागवानी फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में सुधार लाने में मदद मिलेगी।

दलहनों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए देश में ''समेकित तिलहन, दलहन, आयलपाम और मक्का स्कीम'' (आईसोपाम) नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम कार्यान्वित की जा रही है। 14-प्रमुख दलहन उत्पादक राज्यों के 171 जिलों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) दलहन भी कार्यान्वित किया जा रहा है जिसमें 11वीं पंचवर्षीय योजना तक दलहनों का उत्पादन 20 लाख टन बढ़ाने की परिकल्पना की गई है।

विवरण

फलों, सब्जियों, दलहनों एवं मसालों की खेती के तहत कवर किए गए क्षेत्र (000 है. में)

मद	फल			सब्जी			दलहन			मसाला		
राज्य/संघ शा. क्षेत्र/वर्ष	2006-07	2007-08	2008-09**	2006-07	2007-08	2008-09**	2006-07	2007-08	2008-09**	2006-07	2007-08	2008-09**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
अंडमान और निकोबार	2.8	3.0	3.0	4.3	4.0	4.0	0.7	2.2		1.7	1.61	1.61
आंध्र प्रदेश	818.0	889.4	935.9	265.0	298.9	324.6	1984.0	2113.0	1765	311.88	317.79	318.21
अरुणाचल प्रदेश	54.6	57.6	57.6	23.8	23.8	23.8	7.7	7.7		8.2	8.2	8.2
असम	118.5	122.7	122.7	331.4	328.9	328.9	106.0	113.0	116	27.19	27.19	27.19
बिहार	279.5	286.3	291.5	824.3	823.8	843.1	607.0	607.6	446.8	11.1	11.1	11.1
चंडीगढ़	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
छत्तीसगढ़	90.7	107.7	107.7	277.1	292.6	292.6	908.7	915.6	854.5	11.9	11.9	11.9
दादरा और नगर हवेली	0.7	1.8	1.8	1.5	1.0	1.0	6.5	6.5				
दमन और दीव	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	1.3	1.3				
दिल्ली	0.1	0.1	0.1	39.7	42.7	42.7	0.4	0.4				
गोवा	10.8	11.0	11.0	8.2	8.5	8.5	12.0	11.4		0.65	0.65	0.65
गुजरात	288.3	306.9	306.9	366.1	411.7	411.7	1000.0	881.0	880	299.75	299.75	301.1
हरियाणा	30.3	33.5	39.1	280.8	274.5	298.4	170.0	169.0	187	4.91	4.91	4.91
हिमाचल प्रदेश	197.4	202.4	200.5	63.8	63.8	66.8	31.0	33.9	32.9	6.28	6.28	6.28
जम्मू और कश्मीर	171.5	194.9	203.7	56.8	58.6	58.6	28.1	30.3	29.3	3.59	3.59	3.59
झारखंड	33.0	37.6	37.6	223.7	238.8	242.1	376.4	410.0	376.5			
कर्नाटक	278.3	299.9	315.4	412.0	427.0	448.0	2369.0	2383.0	2073	236.78	235.15	235.15
केरल	316.9	323.3	323.3	161.0	166.9	166.9	9.8	9.8	4.3	310.17	263.2	263.23
लक्षद्वीप	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4						
मध्य प्रदेश	47.7	46.6	46.6	201.6	209.4	209.4	4108.1	4026.1	4560	194.6	194.6	195
महाराष्ट्र	1394.9	1432.3	1422.3	434.0	455.3	448.3	3828.0	4056.0	3091	114.25	114.25	114.25
मणिपुर	33.9	39.1	39.1	10.3	12.1	12.1	8.6	14.5		8.7	8.7	8.7
मेघालय	28.5	28.5	28.5	42.0	42.5	42.5	3.9	4.0		18.51	18.4	18.4
मिजोरम	20.5	22.3	22.3	1.7	1.2	1.2	5.0	5.1		9	9	9
नागालैंड	10.3	11.8	11.8	9.4	10.4	10.4	37.5	35.0		4.5	4.5	4.5
उड़ीसा	255.7	265.2	285.8	660.1	660.8	672.5	791.0	859.0	793	147	147	150
पुडुचेरी	1.7	1.7	1.7	2.7	2.7	2.7	3.7	4.8		0.09	0.09	0.09
पंजाब	57.3	61.6	66.6	166.6	171.6	175.5	31.9	28.6	46	5.15	5.15	5.15
राजस्थान	27.5	41.6	41.9	126.6	143.2	158.4	3207.6	3869.9	3851	393.3	556.36	560
सिक्किम	9.0	9.3	9.3	17.8	20.1	20.1	6.8	12.5		34.03	34.04	26.44
तमिलनाडु	278.4	292.5	318.6	252.9	262.7	286.3	536.5	609.8	691.2	141.31	126.81	125.49
त्रिपुरा	33.2	33.9	33.9	31.8	33.7	33.7	8.1	6.8		4.5	4.5	4.5
उत्तर प्रदेश	308.5	315.8	323.8	897.6	960.8	797.7	2724.3	2156.0	2779	56.15	56.83	56.83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
उत्तराखंड	167.8	171.3	171.7	77.1	80.5	81.8	53.0	63.0	64	3.26	3.26	3.5
पश्चिम बंगाल	187.1	194.4	203.2	1311.7	1313.1	1323.7	219.1	186.1	232	79.01	79.01	79.01
अन्य									127.4			
योग	5553.7	5846.3	5985.4	7584.3	7846.6	8020.5	23191.7	23633.0	22999.9	2447.47	2553.82	2554

जहां कहीं आंकड़े उपलब्ध नहीं है, 2007-08 के आंकड़ो दोहराए गए हैं।
**अस्थाई आंकड़े

लघु उद्योगों को प्रोत्साहन

520. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार लघु उद्योगों के प्रोत्साहन और विकास के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों में किस सीमा तक सहायता करती है;

(ख) आज की तारीख के अनुसार देश में कुल कितने लघु उद्योग काम कर रहे हैं;

(ग) क्या राज्य सरकारों से उनके राज्यों में बंद पड़े लघु उद्योगों को पुन: शुरू करने में उन्हें सहायता प्रदान करने के अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) रुग्णता के कारण आंध्र प्रदेश में कितने लघु उद्योग बंद हुए हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) लघु उद्योगों का विकास और संवर्धन मुख्य रूप से राज्यों/संघ शासित प्रदेशों (यूटी) की जिम्मेदारी है। केन्द्र सरकार ऋण, आधारभूत संरचना विकास, प्रौद्योगिकी उन्नयन, विपणन, उद्यमिता विकास, आदि से संबंधित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के विकास एवं संवर्धन के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों (यूटी) के प्रयासों का अनुपूरण करती है।

(ख) 2001-02 के संदर्भ में वर्ष के साथ लघु उद्योगों की तीसरी अखिल भारतीय गणना के आधार पर, 31 मार्च, 2007 (नवीनतम उपलब्ध) की स्थिति के अनुसार देश में सूक्ष्म और लघु उद्यमों (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों) की अनुमानित संख्या 128.44 लाख थी।

(ग) और (घ) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय रुग्ण सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) के पुनर्वास के लिए कोई प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करता। तथापि, एमएसई को ऋण प्रदान करने वाले वाणिज्यिक बैंकों सहित प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों (पीएलआई) द्वारा रुग्ण एमएसई के पुनर्वास के लिए नए ऋण सहित ऋण पुनर्गठन के द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ङ) रुग्णता के कारण बंद हुई इकाइयों संबंधी आंकड़े केंद्रीय तौर पर नहीं रखे जाते हैं। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, मार्च 2008 के अंत में (नवीनतम उपलब्ध) आंध्र प्रदेश में रुग्ण सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की संख्या 5439 थी।

[हिन्दी]

लघु सिंचाई परियोजनाएं

521. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विशेष रूप से महाराष्ट्र के नासिक जिले में लघु सिंचाई योजना के तहत आरंभ की गई परियोजनाओं/आरंभ किए जाने हेतु प्रस्तावित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि की कतिपय परियोजनाओं को ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में आगे बढ़ाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थामस): (क) से (ग) सिंचाई राज्य का विषय है तदनुसार सिंचाई स्कीमें राज्य सरकारों द्वारा अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार नियोजित वित्तपोषित और कार्यान्वित की जाती है।

जहां तक केन्द्र सरकार का संबंध है सतही जल-बड़े और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र पूरा किये जाने के लिए राज्यों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने के लिए जल संसाधन मंत्रालय द्वारा 1996 में ''त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी)'' की शुरूआत की गई थी। 1999-2000 से त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के दायरे को लघु सिंचाई स्कीमों को शामिल करने के लिए भी बढ़ाया गया था। इस कार्यक्रम के तहत कम से कम 20 है. की संभावना वाले विशेष श्रेणी राज्यों में सतही लघु सिंचाई स्कीमों अथवा कम से कम 50 है. की सिंचाई संभावना के साथ 5 कि.मी. के दायरे में स्कीम समूहों और 50 है. से अधिक सिंचाई संभावना के साथ सूखा प्रवण और जनजातीय क्षेत्र में काम कर रहे गैर विशेष श्रेणी में सतही लघु सिंचाई स्कीमें आर्थिक सहायता की पात्र हैं। अनुदान के रूप में केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है जो कि परियोजना लागत का 90% है। कार्यक्रम के तहत वित्त पोषण राज्य सरकारों द्वारा दिए गए प्रस्तावों के आधार पर किया जाता है।

जम्मू कश्मीर में घुसपैठ

522. श्री अशोक कुमार रावत: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान आधारित एजेंसियां जम्मू और कश्मीर राज्य में घुसपैठ में लगी हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष तथा मौजूदा वर्ष के दौरान इस प्रकार के मामलों के बारे में दी गई जानकारी का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या घुसपैठियों से नशीले पदार्थ, सोने के बिस्कुट तथा हथियार और गोला-बारूद जैसे प्रतिबंधित चीजों की खेप की बरामदगी हुई है;

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान इस प्रकार के मामलों की प्राप्त जानकारी का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या भारतीय सुरक्षा एजेंसियां इस प्रकार की घुसपैठ को रोकने में सफल ही हो पाई हैं; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा सरकार द्वारा घुसपैठ को रोकने के लिए तथा पाकिस्तान सरकार के साथ इस मुद्दे को उठाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सीमापार से जम्मू और कश्मीर राज्य में हुई अनुमानित घुसपैठ का ब्यौरा निम्नलिखित है:

वर्ष	2006	2007	2008	2009 (आज तक)
अनुमानित घुसपैठ की संख्या	573	535	342	186

(ग) और (घ) उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान जम्मू और कश्मीर राज्य में सीमा पर नशीले पदार्थों की जब्ती का ब्यौरा निम्नलिखित है:

वर्ष	हिरोईन (किलो. ग्राम में)
2006	33.45
2007	04.00
2008	60.00
2009 (जून तक)	06.00

सोने की जब्ती की कोई रिपोर्ट नहीं है।

गत तीन वर्षों और चालू वर्ष में विभिन्न प्रशासनिक कार्रवाइयों में जब्त विविध परिष्कृत हथियार/गोला-बारूदों की कुल संख्या नीचे दी गई है:-

वर्ष	2006	2007	2008	2009 (मई तक)
एक-47	729	639	388	99
ग्रेनेड/हथगोले	2077	1428	1033	306
इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी)	150	128	67	30

(ङ) और (च) सरकार ने जम्मू और कश्मीर में सीमा-पार से हो रही घुसपैठ को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर एक बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सीमा प्रबंधन को सुदृढ़ करना और अन्तर्राष्ट्रीय सीमा/नियंत्रण रेखा तथा घुसपैठ के हमेशा परिवर्तित होते रहने वाले मार्गों के निकट बहु-स्तरीय एवं बहु-माडल तैनाती किया जाना, सुरक्षा बलों के लिए सीमा बाड़ का निर्माण, प्रोन्नत प्रौद्योगिकी, शस्त्र और उपकरण, प्रोन्नत आसूचना और आप्रेशनल समन्वयन तथा राज्य में घुसपैठ और आतंकवाद समर्थक कार्रवाई रोकने के लिए आसूचना प्रसार को संकलित करना शामिल है।

राज्य सरकार (जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में दो एकीकृत मुख्यालयों सहित) और केन्द्र सरकार में विभिन्न स्तरों पर घुसपैठ विरोधी प्रयासों की आवधिक समीक्षा की जाती है।

भारत 6 जनवरी, 2004 और 24 सितम्बर, 2008 को उच्च स्तर पर की गई अपनी विधिवत रूप से की गई उस वचनबद्धता को कार्यान्वित करने की आवश्यकता पर पाकिस्तान पर लगातार दबाव बना रहा है कि वह भारत के विरुद्ध किसी भी रूप में सीधे आतंकवाद को सहयोग देने में पाकिस्तान नियंत्रित किसी भी क्षेत्र में आज्ञा नहीं देगा।

[अनुवाद]

लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता

523. श्री निशिकांत दुबे: क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष तथा मौजूदा वर्ष के दौरान राज्य-वार देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) द्वारा कुल कितना औद्योगिक उत्पादन किया गया;

(ख) सरकार द्वारा उक्त अवधि के दौरान औद्योगिक उत्पादन में उनके अंश में वृद्धि के लिए इस क्षेत्र को दिए गए बिक्री पैकेज/सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने निकट भविष्य में उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) 2004-05, 2005-06 और 2006-07 (नवीनतम उपलब्ध) के दौरान देश के कुल विनिर्माण आउटपुट में सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (एमएसई) क्षेत्र का भाग अनुमानित तौर पर क्रमश: 38.62%, 38.56% और 38.57% था।

चूंकि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास विधेयक, 2006, जो 2 अक्तूबर, 2006 से लागू हुआ, के तहत मध्यम उद्यमों को पहली बार परिभाषित किया गया था, अत: इस अवधि के लिए देश के कुल विनिर्माण उत्पादन में मध्यम उद्यम क्षेत्र के भाग के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं है। सकल विनिर्माण आउटपुट में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के भागों पर केन्द्रीय तौर पर सूचना तैयार नहीं की जाती है।

(ख) सरकार ने 10 अगस्त, 2005 को 'लघु एवं मध्यम उद्यमों (एसएमई) के लिए ऋण बढ़ाने हेतु नीतिगत पैकेज' की घोषणा की है, जिसमें एमएसएमई क्षेत्र के क्रेडिट में न्यूनतम 20 प्रतिशत की वर्ष-दर-वर्ष बढ़त हासिल करने के उद्देश्य से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा एमएसएमई को वित्त प्रदान करने के लिए अपने निजी लक्ष्य तय करने की परिकल्पना की गई। सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से फरवरी, 2007 में 'सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के संवर्धन हेतु पैकेज' की भी घोषणा की है।

इसके अलावा, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं के तहत एमएसई क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। निधियों का आबंटन योजना-वार किया जाता है न कि राज्य-वार। विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के लिए निधियों का वर्ष-वार आबंटन संबंधी विवरण निम्नोक्त है:-

वर्ष	निधियों का आबंटन (करोड़ रु. में)
2006-07	1436.93
2007-08	1642.00
2008-09	1794.00
2009-10	1794.00

(ग) और (घ) एमएसई के संवर्धन और विकास को सुगम बनाने के लिए सरकार 'राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम (एनएमसीपी)' तथा क्रेडिट, प्रौद्योगिकी उन्नयन, विपणन, आधारभूत संरचना, आदि के क्षेत्रों में सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से 'सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के संवर्धन हेतु पैकेज' का कार्यान्वयन कर रही है। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न उपाय शामिल हैं, जिनका लक्ष्य एमएसई क्षेत्र को लंबे समय तक और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना है। इसके अलावा, सरकार ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास विधेयक, 2006 अधियिनमित किया है, जो 2 अक्तूबर, 2006 से लागू हो गया है और इसमें सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के संवर्धन और विकास हेतु व्यवस्था की गई है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन

524. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन नामक एक नई योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो इसकी विशेषताएं क्या हैं तथा इसे किस प्रकार कार्यान्वित किया जायेगा;

(ग) योजना के लिए परिकल्पित कार्यान्वयन की व्याप्ति का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस योजना में शामिल नहीं किए गए राज्यों का ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थामस): (क) जी, हां। ग्यारहवीं योजना के अंत तक चावल, गेहूं और दलहनों के उत्पादन को क्रमशः 10, 8 और 2 मिलियन टन बढ़ाने के लिए देश में एक खाद्य सुरक्षा मिशन शुरू करने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) द्वारा अपनाये गये संकल्प को दृष्टिगत रखते हुए एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम ''राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन'' (एनएफएसएम) तीन प्रमुख घटकों तथा एनएफएसएम-चावल, एनएफएसएम-गेहूं और एनएफएसएम-दलहन के साथ रबी 2007-08 से शुरू की गई है।

(ख) और (ग) मिशन का उद्देश्य क्षेत्र विस्तार एवं उत्पादकता संवर्धन के जरिए चावल, गेहूं और दलहन के उत्पादन में वृद्धि करना, मृदा उर्वरता एवं उत्पादकता की पुनः बहाली करना, रोजगार अवसरों को सृजित करना तथा लक्षित जिलों के किसानों के विश्वास को पुनः बनाए रखने के लिए फार्म स्तरीय अर्थव्यवस्था में संवर्धन करना है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन वर्तमान में देश के 17 राज्यों यथा-आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के 312 चिन्हित जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है। विभिन्न राज्यों में घटकवार चिन्हित जिले निम्नानुसार हैं:-

एनएफएसएम-चावलः एनएफएसएम-चावल 14 राज्यों के 136 जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है अर्थात्- आंध्र प्रदेश (11 जिले), असम (13 जिले), बिहार (18 जिले), छत्तीसगढ़ (10 जिले), गुजरात (2 जिले), झारखंड (5 जिले), कर्नाटक (7 जिले), केरल (1 जिला), मध्य प्रदेश (9 जिले), महाराष्ट्र (6 जिले), उड़ीसा (15 जिले), तमिलनाडु (5 जिले), उत्तर प्रदेश (26 जिले) और पश्चिम बंगाल (8 जिले)।

एनएफएसएम-गेहूंः एनएफएसएम-दलहन 14 राज्यों के 171 चिन्हित जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है अर्थात्- आंध्र प्रदेश (15 जिले), बिहार (13 जिले), छत्तीसगढ़ (8 जिले), गुजरात (11 जिले), हरियाणा (5 जिले), कर्नाटक (13 जिले), मध्य प्रदेश (20 जिले), महाराष्ट्र (18 जिले), उड़ीसा (10 जिले), पंजाब (7 जिले), राजस्थान (16 जिले), तमिलनाडु (12 जिले), उत्तर प्रदेश (19 जिले) और पश्चिम बंगाल (5 जिले)।

एनएफएसएम के तहत जिलों की पहचान हेतु मापदण्डः

चावल के लिए उन जिलों की पहचान की गई थी जिनके पास चावल के तहत 50,000 है. से ज्यादा क्षेत्र है और उत्पादकता राज्य की औसत उत्पादकता से कम है। गेहूं के लिए उन जिलों की पहचान की गई थी जिनमें गेहूं के तहत सिंचाई कवेरज 50% से ज्यादा है और उत्पादकता राज्य के औसत से कम है। दलहन के तहत विद्यमान व्यापक क्षेत्र, अंतः फसलन के जरिए क्षेत्र विस्तार हेतु क्षमता और चावल परती भूमि की उपयोगिता के आधार पर एनएफएसएम-दलहन के कार्यान्वयन हेतु जिलों का चयन किया गया है।

शामिल किए गए हस्तक्षेपः

एनएफएसएम-चावलः एनएफएसएम-चावल के तहत कवर किए गए घटकों में शामिल है-पद्धतियों के उन्नत पैकेज पर प्रदर्शन, चावल सघनीकरण की प्रणाली; संकर चावल प्रौद्योगिकी, संकर चावल बीज उत्पादन एवं वितरण को बढ़ावा; उच्च पैदावार वाली बीजों, बीज मिनीकिटों, सूक्ष्म पोषक तत्वों, लाईमिंग, कानोवीडरों, जीरोट्रिल बीज ड्रिल, मल्टी क्राप प्लांटर, बीज ड्रिल, रोटावेटर, पम्पसेटों, पावरवीडरों, नैपसेक स्प्रेयर, पौध संरक्षण रसायनों एवं जैव-कीटनाशियों का वितरण, कृषक फील्ड स्कूल; स्थानीय पहलें; बेहतर निष्पादन वाले जिलों को पुरस्कार, जन संचार अभियान; तकनीकी ज्ञान संवर्धन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दौरे तथा परियोजना प्रबंधन दल।

एनएफएसएम-गेहूंः एनएफएसएम-गेहूं के तहत कवर किए गए घटकों में शामिल है-पद्धतियों के उन्नत पैकेज पर प्रदर्शन; बीज प्रतिस्थापन; बीज मिनिकीट; सूक्ष्म पोषक तत्व, जिप्सम, जीरोट्रिल बीज ड्रिल, रोटावेटर, मल्टी क्राप प्लांटर, बीज ड्रिल, स्प्रिंकलर सेटों, नैपसेक स्प्रयेर, पम्पसेटों, समुदायिक जेनरेटरों पर पायलट परियोजना, कृषक फील्ड स्कूल; बेहतर निष्पादन वाले जिलों को पुरस्कार; स्थानीय पहलें; तकनीकी ज्ञान संवर्धन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दौरे तथा परियोजना प्रबंधन दल।

एनएफएसएम-दलहनः एनएफएसएम-दलहन के तहत कवर किए गए घटकों में शामिल है- प्रजनक बीजों के उत्पादन एवं खरीद; आधारी एवं प्रमाणित बीजों का उत्पादन; प्रमाणित बीजों का वितरण; बीज प्रमाणन एजेंसियों का सुदृढ़ीकरण; आईएनएम, आईपीएम, स्प्रिंकलर सेटों; जीरोट्रिल बीज ड्रिल, मल्टी क्राप प्लांटर,

बीज ड्रिल, रोटावेटर, स्प्रिंकलर सेट; नैपसेक स्प्रेयर, पम्पसेटों; कृषक फील्ड स्कूल; विस्तार कर्मियों हेतु प्रशिक्षण; बेहतर निष्पादन वाले जिलों को पुरस्कार; स्थानीय पहलें; आईआईपीआर कानपुर की अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण, नीलगाय पर पायलट परियोजना; आईसीआईरआईएसएटी प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन और परियोजना प्रबंधन दल के रूप में सहायता शामिल है।

मिशन की संरचना:

कृषि मंत्री की अध्यक्षता में गठित एक सामान्य परिषद (जीसी) नीति निर्माण निकाय है जो मिशन को उपयुक्त निर्देश और मार्ग दर्शन प्रदान करता है तथा स्कीम की सकल प्रगति की समीक्षा करती है।

राष्ट्रीय राज्य और जिला स्तर पर खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यकारी समिति (एफएसएमईसी) का गठन क्रमश: सचिव (कृषि एवं सहकारिता), संबंधित राज्यों के मुख्यसचिव और जिला कलेक्टर या जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता में किया गया है। कार्यकारी समितियां राष्ट्रीय/राज्य/जिला स्तर पर मिशन के क्रियाकलापों पर निगरानी रखती हैं।

कार्यान्वयन:

राज्य सरकारों ने राज्य और जलिा स्तर पर मिशन के कार्यान्वयन के लिए सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत उपर्युक्त स्वायत्त एजेंसियों को नामित किया है। कार्यक्रम के सुचारू कार्यान्वयन एवं मानिटरिंग के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर परियोजना प्रबंधन दलों (पीएमटी) का गठन किया गया है।

कोष प्रवाह संबंधी तंत्र:

एनएफएसएमईसी के अनुमोदन से राज्य द्वारा चिन्हित राज्य स्तरीय स्वायत्त एजेंसियों को मिशन के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु कोष सीधे निर्मुक्त किए जाते हैं। राज्य स्तरीय एजेंसी जिला स्तरीय एजेंसियों को उनके कार्यक्रमों के अनुसार कोष उपलब्ध कराती है और निर्धारित समय के अदंर कार्यक्रम के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करती है।

पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका:

पंचायती राज संस्थान निम्नलिखित क्रियाकलापों में सक्रिय रूप से संलग्न है:

* मिशन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए लाभार्थियों का चयन और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान; और
* चिन्हित जिलों में स्थानीय पहलों का कार्यान्वयन।

मानिटरिंग:

एनएफएएसएम के पास भी कार्यान्वयन एजेंसियों एवं संबद्ध विभागों की भागीदारी वाली मानिटरिंग एवं मूल्यांकन संबंधी एक मजबूत तंत्र है। राष्ट्रीय स्तर पर मिशन निदेशक की अध्यक्षता में गठित एक समिति मिशन के क्रियाकलापों की मानिटरिंग करती है। चावल, गेहूं और दलहन विकास निदेशालय क्रमश: पूर्वी उत्तरी एवं केन्द्रीय तथा दक्षिणी राज्यों में एनएफएसएम के क्रियाकलापों की मानिटरिंग में सक्रिय रूप से लगे हैं। सूचना संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग क्षेत्र क्रियाकलापों की मानिटरिंग के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त, कार्यक्रम की मानिटरिंग के लिए राष्ट्र स्तरीय मानिटरिंग दलों का भी गठन किया गया है।

(घ) जैसा कि प्रश्न के भाग (ख) एवं (ग) के उत्तर में विनिर्दिष्ट है, एनएफएसएम के तहत 17 राज्य शामिल किए जाते हैं। कार्यक्रम के तहत शेष राज्य शामिल नहीं किए जाते हैं क्योंकि इन राज्यों के जिले विनिर्दिष्ट मानकों को पूरा नहीं करते हैं तथापि, ये राज्य एक अन्य केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम–बृहद कृषि प्रबंधन मोड (एनएमए) के तहत समेकित फसल विकास कार्यक्रम (चावल/गेहूं/दलहन) को कार्यान्वित करना जारी रखे हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के तहत ऐसे खाद्य फसल विकास कार्यक्रम को आगे और गहन बनाया जा सकता है। इसलिए देश में सभी राज्य एक या अन्य केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों से खाद्य फसल विकास कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहे हैं।

बहु-एजेंसी केन्द्र का कार्यकरण

525. श्री मनीष तिवारी:
श्री प्रदीप माझी:
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राज्यों के साथ खुफिया जानकारी की प्रासेसिंग करने तथा उसे आपस में बांटने और इस राष्ट्रीय जांच एजेंसी के साथ जोड़ने के उद्देश्य से एक बहु-एजेंसी केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बहु-एजेंसी केन्द्र कार्य करने लगा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) अपनी स्थापना के समय से राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा किए गए जांचों को ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का विचार एक राष्ट्रीय आतंक-निरोधी केन्द्र स्थापित करने का है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसका क्षेत्राधिकार क्या है;

(ज) क्या प्रस्तावित राष्ट्रीय आतंक निरोधी केन्द्र तथा बहु-एजेंसी केन्द्र कार्यकरण में एक दूसरे के प्रतिपूरक होंगे; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (घ) आसूचना ब्यूरो में बहु-एजेंसी केन्द्र को सुदृढ़ किया गया है तथा इसे 24×7 आधार पर कार्य करने हेतु पुन:संगठित किया है। 31.12.2008 को एक कार्यकारी आदेश जारी किया गया था जिसमें आसूचना ब्यूरो (आईबी) के अधीन बहु-एजेंसी केन्द्र राज्य सरकारों, केन्द्र शासित एजेंसियों के साथ आसूचना बांटने के लिए आबद्ध किया गया है। इसी तरह, अन्य सभी एजेंसियों को भी एमएसी के साथ आसूचना बांटने के लिए आबद्ध किया गया है। एनआईए को भी एमएसी का सदस्य बनाया गया है।

(ङ) केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को जांच हेतु तीन मामले सौंपे है जिसमें से दो असम में दर्ज मामलों और एक मुम्बई में दर्ज मामले से संबंधित है।

(च) से (झ) सरकार ने अन्य संबंधित एजेंसियों के पूरक प्रतिकारी आतंकवाद विरोधी उपायों के उद्देश्य से राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी केन्द्र (एनसीटीसी) के रूप में संस्थागत तंत्र पर ध्यान केन्द्रित करने का भी निर्णय लिया है।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: अब सभा पटल पर पत्र रखे जायें।

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) महोदया, मैं वर्ष 2009-2010 के लिए कृषि मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 35/15/09]

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) वर्ष 2009-10 के लिए रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 36/15/09]

(दो) वर्ष 2009-10 के लिए रक्षा सेवा प्राक्कलन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 37/15/09]

गृह मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण):

(एक) वर्ष 2009-10 के लिए गृह मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें (खण्ड 1)।

(दो) वर्ष 2009-2010 के लिए गृह मंत्रालय (विधानमंडल रहित संघ राज्य क्षेत्र) की अनुदानों की विस्तृत मांगें (खण्ड 2)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 38/15/09]

खान मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री बी.के. हान्डिक): (क) महोदया, मैं वर्ष 2009-10 के लिए खान मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 39/15/09]

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(क) (एक) ओमनीबस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन ऑफ दमन एण्ड दीव और दादर और नागर हवेली लिमिटेड, दमन के वर्ष 2007-08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) ओमनीबस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन ऑफ दमन एण्ड दीव और दादर और नागर हवेली लिमिटेड, दमन के वर्ष 2007-08 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 40/15/09]

(ख) (एक) दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2005-06 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2005-06 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 41/15/09]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): महोदया, मैं नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 18 की उपधारा (4) के अंतर्गत नागरिकता नियम, 2009 जो 25 फरवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 124(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 42/15/09]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) राज्यपाल (उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) अधिनियम, 1982 की धारा 12 की उपधारा (3) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08 और 2008-09 के लिए कर्नाटक के राज्यपाल के संबंध में राज्यपाल (भत्ते और विशेषाधिकार) नियम, 1987 की अनुसूची-2 के अंतर्गत अधिकतम सीमा बढ़ाने संबंधी राष्ट्रपति के विशेष आदेश की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 43/15/09]

(2) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 की धारा 156 की उप-धारा (3) के अंतर्गत भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, पायोनियर कैडर, कांस्टेबल (पायोनियर) समूह 'ग' पदों की भर्ती (संशोधन) नियम, 2009, जो 23 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 185 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 44/15/09]

(4) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 131(अ) जो 27 फरवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 503(अ) का शुद्धिपत्र दिया हुआ है, की एक प्रति (केवल हिन्दी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 45/15/09]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(क) (एक) जम्मू-कश्मीर स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, श्रीनगर के वर्ष 1991-1992 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) जम्मू-कश्मीर स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, श्रीनगर का वर्ष 1991-92 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 46/15/09]

(ख) (एक) उड़ीसा एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, भुवनेश्वर के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) उड़ीसा एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, भुवनेश्वर का वर्ष 2004-2005 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 47/15/09]

(ग) (एक) महाराष्ट्र एग्रो-इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2007-08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) महाराष्ट्र एग्रो-इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 2007-08 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 48/15/09]

(घ) (एक) केरल एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) केरल एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम का वर्ष 2003-2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 49/15/09]

(ङ) (एक) गुजरात स्टेट सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड, गांधीनगर के वर्ष 2007-08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गुजरात स्टेट सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड, गांधीनगर का वर्ष 2007-08 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 50/15/09]

(च) (एक) पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड चंडीगढ़ के वर्ष 2007-08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, चंडीगढ़ का वर्ष 2007-08 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले छः विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 51/15/09]

(3) केन्द्रीय भाण्डागार निगम तथा खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-10 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 52/15/09]

(4) चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 की धारा 9 की उपधारा (3) के अंतर्गत चीनी विकास निधि (संशोधन) नियम, 2009 जो 28 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 365(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 53/15/09]

(5) भारतीय खाद्य निगम के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को संबंधित लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 54/15/09]

(6) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) का.आ. 1380(अ) जो 29 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित मैसर्स दीपक फर्टिलाइजर एण्ड पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड, पुणे द्वारा विनिर्मित किये जाने वाले अस्थायी उर्वरकों के संबंध में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए विनिर्देश नियत किये गये हैं।

(दो) उर्वरक नियंत्रण (दूसरा संशोधन), आदेश, 2009 जो 14 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1214 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) सा.का.नि. 129(अ)/आ.व./गन्ना जो 26 फरवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राज्यों के मामले में चीनी वर्ष 2008-09 के लिए गन्ने की कीमत नियत की गई।

(चार) सा.का.नि. 241(अ)/आ.व./गन्ना जो 6 अप्रैल, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राज्यों के मामले में चीनी वर्ष 2008-2009 के लिए गन्ने की कीमत नियत की गई थी।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 55/15/09]

(7) (एक) को-ऑपरेटिव स्टोर लिमिटेड (सुपर बाजार), नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) को-ऑपरेटिव स्टोर लिमिटेड (सुपर बाजार), नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 56/15/09]

(8) कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 की धारा 3 की उपधारा (3) के अंतर्गत वनस्पति तेल श्रेणीकरण और चिह्नांकन (संशोधन) नियम, 2009 जो 3 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 383 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 57/15/09]

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. जगतरक्षकन): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) वर्ष 2009-2010 के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 58/15/09]

अपराह्न 12.02 बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-2009) के संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 63वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. जगतरक्षकन): महोदया, मैं दिनांक 1 सितम्बर, 2004 के लोक सभा बुलेटिन भाग-2 के तहत जारी लोक सभा अध्यक्ष के निर्देश 73 क के अनुसरण में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय संबंधी अनुदान हेतु विस्तृत मांगों से संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति (2008-2009) की तिरसठवीं रिपोर्ट में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति पर यह वक्तव्य दे रहा हूं। दिनांक 27 अगस्त, 2008 को आयोजित स्थायी समिति की बैठक में स्थायी समिति की इस 63वीं रिपोर्ट पर विचार किया गया था और इसे स्वीकार किया गया था।

अपनी 55वीं रिपोर्ट में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई टिप्पणियों पर विचार करने के बाद स्थायी समिति द्वारा 63वीं रिपोर्ट तैयार की गई थी। 55वीं रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई टिप्पणियां दिनांक 20 अक्तूबर, 2008 को सभा पटल पर रखी गई थीं।

समिति की उपरोल्लिखित 63वीं रिपोर्ट के अध्याय-1 में पन्द्रह सिफारिशें/टिप्पणियां, जिन पर समिति ने की गई कार्रवाई टिप्पणियां मांगी और अध्याय-5 में तीन पैरा, जिन्हें समिति ने अंतरिम प्रकृति का समझा और जिन पर समिति ने की गई अंतिम कार्रवाई टिप्पणियां मांगी, शामिल हैं। इसके पश्चात् सरकार द्वारा 20 अप्रैल, 2009 को स्थायी समिति के समक्ष अपेक्षित कार्रवाई टिप्पणियों और की गई अंतिम कार्रवाई टिप्पणियों को प्रस्तुत कर दिया गया है। उक्त की गई कार्रवाई टिप्पणियों और की गई अंतिम कार्रवाई टिप्पणियों के माध्यम से समिति को सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति से अवगत करा दिया गया है।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति की 63वीं रिपोर्ट में यथा अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर उपरोल्लिखित की गई कार्रवाई टिप्पणी और की गई अंतिम कार्रवाई टिप्पणियों का विवरण अब सभा पटल पर रख दिया गया है।

[अनुवाद]

अपराह्न 12.03 बजे

समितियों के लिए निर्वाचन

(एक) राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास (नोवोड) बोर्ड

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): महोदया, अपने वरिष्ठ सहयोगी, श्री शरद पवार की ओर से मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं:

"कि राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड अधिनियम, 1983 की धारा 4 की उपधारा (4) के खण्ड (ङ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन तीन वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्यों को निर्वाचित करें।"

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। **देखिए** संख्या एलटी-59/15/09

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

''कि राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड अधिनियम, 1983 की धारा 4 की उपधारा (4) के खण्ड (ङ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसाकि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन तीन वर्ष कीअवधि के लिए राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्यों को निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.04 बजे

(दो) कॉफी बोर्ड

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री आनंद शर्मा): महोदया, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं:

''कि कॉफी नियम, 1955 के नियम 4(1) के साथ पठित कॉफी अधिनियम, 1942 की धारा 4 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसाकि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन कॉफी बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्यों को विर्नाचित करें।''

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

''कि कॉफी नियम, 1955 के नियम 4(1) के साथ पठित कॉफी अधिनियम, 1942 की धारा 4 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन कॉफी बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्यों को निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.05 बजे

कार्यमंत्रणा समिति के पहले प्रतिवेदन के संबंध में प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): महोदया, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं:

''कि यह सभा 3 जुलाई, 2009 को सभा में प्रस्तुत कार्यमंत्रणा समिति के पहले प्रतिवेदन से सहमत है।''

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

''कि यह सभा 3 जुलाई, 2009 को सभा में प्रस्तुत कार्यमंत्रणा समिति के पहले प्रतिवेदन से सहमत है।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदया: अब हम 'शून्य काल' के तहत मामलों पर चर्चा करेंगे।

श्रीमती सुषमा स्वराज।

[हिन्दी]

...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। *...(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): आप व्यवस्था का सवाल करिए। *...(व्यवधान)* इनका व्यवस्था का सवाल है।

अध्यक्ष महोदया: सुषमा जी, आप खड़ी होकर बोलिए।

श्रीमती सुषमा स्वराज: जी, वह कोई व्यवस्था का सवाल कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदया: जीरो आवर में कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होता है, आप जानती हैं।

श्रीमती सुषमा स्वराज: अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि *...(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव: मेरा व्यवस्था का सवाल है। आप व्यवस्था दीजिए, उसके बाद सदन चलाइए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: मुलायम सिंह जी, जीरो आवर में व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता। जीरो आवर में वह बोल रही हैं। कृपया उन्हें बोलने दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: यह जीरो आवर है।

...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादवः यह क्या बात हो गई?

श्री मंगनी लाल मंडल (झंझारपुर): व्यवस्था के प्रश्न का शून्यकाल से कोई मतलब नहीं है। व्यवस्था का प्रश्न कार्यवाही में किसी भी क्षण किया जा सकता है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः पॉइंट ऑफ ऑर्डर आप जीरो आवर के बाद उठाइएगा।

...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादवः व्यवस्था का सवाल अभी है तो बाद में कब उठाएं? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः सुषमा जी आप बोलिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयाः अभी जीरो आवर है। उसके बाद आप पाइंट ऑफ आर्डर उठाइए।

...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादवः अध्यक्ष महोदया, अगर चेयर मनमानी करेगा तो हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे।

अध्यक्ष महोदयाः नहीं, चेयर मनमानी नहीं कर रहा।

...(व्यवधान)

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह (मुंगेर): मैडम, आप इस पर रूलिंग दीजिए कि कौन सी बात रिकार्ड में कब जाएगी और कौन सी बात रिकार्ड में कब नहीं जाएगी। यह अगर तय हो जाएगा, तभी हाउस चलेगा। यह नियमन देकर आप तय कर दीजिए। *...(व्यवधान)* हमने कोई असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं किया जो अमर्यादित हो, न कोई गलत भाषा का इस्तेमाल किया। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः जीरो आवर हो जाने दीजिए।

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ **ललन सिंहः** पहले आप इस पर नियमन दीजिए नहीं तो हाउस नहीं चलेगा। *...(व्यवधान)*

श्री मंगनी लाल मंडलः यह संसद की स्वस्थ परंपरा के खिलाफ है। स्वस्थ परंपरा को तोड़ा गया है। यह ठीक नहीं होगा। *...(व्यवधान)*

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंहः बिहार के साथ मनमानी नहीं चलेगी। *...(व्यवधान)* हमारी बात रिकार्ड पर क्यों नहीं जाएगी, तो आप कहेंगी, वही रिकार्ड पर जाएगा। यह नहीं चलेगा। *...(व्यवधान)*

श्री मंगनी लाल मंडलः व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठेगा, यह कहां की परंपरा है? *...(व्यवधान)* व्यवस्था का प्रश्न किसी भी समय किसी भी क्षण उठ सकता है। *...(व्यवधान)*

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंहः आप इस पर नियमन दीजिए, तब हाउस चलेगा।

श्री मुलायम सिंह यादवः नियमावली आपके लिए भी है अध्यक्ष महोदया। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः जीरो आवर हो जाने दीजिए। उसके बाद मैं इस पर आपको रूलिंग दे दूंगी। सुषमा जी, आप बोलिये।

...(व्यवधान)

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंहः इस पर क्या होगा आप नियमन दीजिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः जीरो आवर हो जाने दीजिए। फिर हम रूलिंग दे देंगे।

...(व्यवधान)

श्री मंगनी लाल मंडलः अगर सदन में हमारी बात नहीं सुनी जाएगी *...(व्यवधान)* हम सदन में अपनी बात कहने के लिए आए हैं।

अध्यक्ष महोदयाः आप जीरो आवर के बाद अपनी सब बात कहिए।

...(व्यवधान)

श्री मंगनी लाल मंडलः महोदया, ...*आप मुलायम सिंह यादव जी से कहती हैं कि व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठेगा। व्यवस्था का प्रश्न तो किसी भी समय पर उठ सकता है, वह शून्य काल भी हो सकता है। हमें जनता ने चुनकर भेजा है। आप आसन पर बैठी हैं, आपको विपक्ष का विश्वास ग्रहण करना चाहिए, लेकिन आप विपक्ष को नहीं सुन रही हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः सुषमा जी, आप बोलिए।

...(व्यवधान)

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्रीमती सुषमा स्वराज: महोदया, मैं कहना चाहती थी *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप सभी लोग कृपया शांत हो जाइए।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.11 बजे

[अनुवाद]

(इस समय श्री मंगनी लाल मंडल और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट पर खड़े हो गए)

अध्यक्ष महोदया: सभा 12.30 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 12.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 12.30 बजे

(लोक सभा अपराह्न 12.30 बजे पुन: समवेत हुई)

[**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन हुईं*]

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान एक बहुत ही गंभीर घटना की तरफ आकृष्ट करना चाहती हूं। श्री वरुण गांधी इस सदन के माननीय सदस्य और हमारी पार्टी के सबसे कम उम्र के युवा सांसद हैं। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस देश के एक बड़े चर्चित अंडरवर्ल्ड गिरोह ने उनकी हत्या का बीड़ा उठाया है। उन्होंने अपने इस काम को अंजाम देने के लिए दो बार कुत्सित प्रयास भी किये हैं। आज से लगभग तीन दिन पहले वे सात लोग इसी मंशा से दिल्ली में आए थे, उन्हें दिल्ली पुलिस ने पकड़ा भी है।

अध्यक्ष महोदया, मुझे आश्चर्य इस बात का हुआ कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने इतनी बात तो मानी कि वे वरुण जी के वकील की हत्या करने आए थे, लेकिन यह नहीं कहा कि वे वरुण जी की हत्या करने भी आए थे। यह सामान्य बुद्धि की बात है कि अगर कोई गिरोह किसी का खात्मा करना चाहता है तो वह वकील की हत्या करके क्या लेगा। उनके निशाने पर जो व्यक्ति है वह उसी की हत्या करने आएगा। उनके साथ-साथ वकील की हत्या करने की बात भी सोच ले, यह तो हो सकता है, लेकिन केवल वकील की हत्या करने के लिए आए हैं तो वह भी कोई कम गंभीर बात नहीं है। इससे ज्यादा दुख की बात यह है कि इस बात की जानकारी होने के बाद, कि उनकी हत्या के प्रयास किये जा रहे हैं, स्वयं श्री वरुण गांधी गृह मंत्री जी से जाकर मिले थे, लेकिन उन्हें वहां जिस तरह का व्यवहार देखने को मिला, गृह मंत्री जी से उन्हें जिस तरह का जवाब मिला, वह न तो संतोषजनक था और न ही न्यायसंगत। आप यह कह कर टाल दें कि यह सुरक्षा का काम होम सैक्रेट्री का है। वह आपके सदन के सम्मानित सदस्य हैं, अगर उनकी हत्या का प्रयास किया जा रहा है, इसकी जानकारी उन्हें मिली है तो वे होम सैक्रेट्री के पास नहीं जाएंगे, होम मिनिस्टर के पास जाकर ही अपना दुखड़ा कहेंगे। वहां से भी उन्हें कोई संतोषजनक समाधान नहीं मिला। इसीलिए मैंने आपसे अनुमति चाही कि मैं एक बार सदन में कम से कम इस बात का जिक्र कर दूं, इस पूरे सदन को साक्षी बना दूं, अगर कल को कोई अन्य चूक हो गई तो सिवाए पछतावे के कुछ हाथ नहीं लगेगा।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि आप गृह मंत्री जी को निर्देशित करें कि वरुण जी के लिए जिस तरह की सुरक्षा चाहिए, वह सुरक्षा उन्हें उपलब्ध नहीं है। उनकी सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए और बहुत सावधानी देकर यहां बात रखी जानी चाहिए और देखा जाना चाहिए कि वरुण गांधी जी की जिन्दगी के साथ किसी तरह का खिलवाड़ कोई करने का काम न करे। आपने मुझे यह बात सदन में उठाने की अनुमति दी, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूं।

श्री रेवती रमन सिंह (इलाहाबाद): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपको धन्यवाद देते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल को सदन के सामने रखना चाहता हूं, हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ यह सवाल है। गंगा हम लोगों की केवल एक नदी ही नहीं है, गंगा हम लोगों को एक पावन स्वरूप में दिखाई पड़ती है। आज से नहीं, प्राचीन काल से गंगा का अपना अलग महत्व है, लेकिन अभी यूपीए की सरकार ने, माननीय मनमोहन सिंह जी ने उसे गंगा विकास प्राधिकरण बनाने का काम किया है और राष्ट्रीय नदी घोषित किया है। मुझे अफसोस है कि केवल घोषणा करने से गंगा में कदाचित कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। मैं पूरे गंगा के बेसिन में घूम चुका हूं और मैंने देखा है कि जहां से उसका स्रोत है गंगोत्री, वह ग्लेशियर हर साल 20 मीटर पीछे सरक रहा है।

महोदया, अगर ऐसा ही रहा, तो ग्लेशियर खत्म हो जाएंगे और यदि ग्लेशियर खत्म हो जाएगा, तो गंगा का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। ग्लेशियर के अलावा हम लोग और भी बहुत से काम कर रहे हैं, जो गंगा को मिटाने के लिए काफी हैं। यह बहुत गम्भीर विषय है। दोनों पक्ष के सदस्यगण इससे सहमत होंगे, फिर

[श्री रेवती रमन सिंह]

चाहे वे इधर के हों या उधर के हों कि अगर तत्काल कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो आने वाले पांच सालों के अन्दर गंगा समाप्त हो जाएगी।

महोदया, आप बिहार से आती हैं। आज से पांच साल पहले बिहार में हमने देखा कि गंगा घाट में कितना पाट था, हमने बरनास में देखा कि कितना पाट था और इलाहाबाद में आज हम देख रहे हैं कि गंगा एक नाले के रूप में प्रवाहित हो रही है। अभी तक तीन बांध बन चुके हैं। एक टीहरी-गढ़वाल में, दूसरा हरिद्वार और तीसरा नरौरा में। उत्तराखंड में भा.ज.पा. की सरकार अब एक और बांध बनाने जा रही है। इसलिए मैं भा.ज.पा. के नेताओं से कहना चाहूंगा कि भैरोंघाटी में उत्तराखंड सरकार जो डैम बना रही है, जिस दिन वह डैम तैयार हो जाएगा, उस दिन गंगा में एक बूंद भी पानी नहीं आएगा। अत: मैं भारत सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि आप उतनी बिजली उत्तराखंड सरकार को दे दें, जितनी की भैरोंघाटी बांध से पैदा होने वाली है और उस बांध के निर्माण को तत्काल रुकवाने का काम करें। आई.आई.टी. के बहुत बड़े प्रो. बी.डी. अग्रवाल ने, गंगा को बचाने के लिए दो बार भूख हड़ताल भी की थी। प्रधान मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया है।

महोदया, अलकनन्दा, जो गंगा की एक ट्रिब्यूटरी है, भागीरथी और अलकनन्दा, मिलकर गंगा नदी के रूप में प्रवाहित होती हैं। यह चौंकाने वाली खबर है कि 6 किलोमीटर से 24 किलोमीटर तक, उसकी धारा सूख गई है। यह खबर टाइम्स ऑफ इंडिया में एक सप्ताह पहले ही आई थी। मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि सरकार को निर्देश देने का काम करें कि वह इस पर तत्काल कार्रवाई करे और यह सुनिश्चित करे कि गंगा में अविरल धारा बहती रहे और गंगा में मल-मूत्र न बहाया जाए, उसे इनसे दूर रखा जाए। इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी रहूंगा।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): अध्यक्ष महोदया, मैं अपने आप को श्री रेवती रमन सिंह जी द्वारा उठाए गए विषय से सम्बद्ध करता हूं।

अध्यक्ष महोदया: ठीक है।

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर): माननीय अध्यक्ष महोदया, महाराष्ट्र के एक महत्वपूर्ण मामले को आपने मुझे उठाने की अनुमति दी, उसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने चन्द्रपुर जिले के ताडोबा-अन्धारी टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट के संबंध में एक कमेटी स्थापित की थी। वहां कोल-माइन्स मंजूर हुई हैं। वहां कोल-माइन्स धारकों ने अपना काम करने का प्रयास शुरू किया, जिसके कारण कुछ कोल-माइन्स चालू हो गई हैं, लेकिन इससे वहां की वाइल्ड लाइफ आहत हो रही है। जो लोग वहां कोल-माइन्स के लिए आते हैं, उन्होंने इन बाघों को मारने यानी पोचिंग करने का भी प्रयास किया। जो कमेटी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बनाई, उसके मैम्बरों ने अपने आपको कमेटी से डिस-एसोसिएट कर लिया और कुछ ने कमेटी से रिजाइन भी कर लिया। इसलिए कोल-माइन्स पर कोई निर्णय नहीं हो रहा है। यह मामला केवल चन्द्रपुर या ताड़ोबा-अंधारी प्रौजेक्ट का नहीं है। जहां-जहां भी हमारा वाइल्ड लाइफ है, वह दिन-ब-दिन कम हो रहा है और टाइगर या बाघ घटते जा रहे हैं।

महोदया, 1982 में हमारी भू.पू. प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इस ओर ध्यान दिया था। एक जमाना था जब हमारे देश में 50-60 हजार बाघ हुआ करते थे और आज यह संख्या निरन्तर घट रही है। इसमें कोल-माइन्स का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि कोल की अंडर ग्राउंड माइन्स जंगलों में होती हैं और वहीं हमारा टाइगर रिजर्व भी है। इस संबंध में कोई एक ठोस पॉलिसी बनाने और इंटरवीन करने की जरूरत है। इस प्रकार की एक पॉलिसी बने कि किस प्रकार से खनन हो और जहां टाइगर रिजर्व हों उन जगहों को छोड़ दिया जाए। इस इश्यू को लेकर चन्द्रपुर जिले में, ताड़ोबा में पर्यावरण प्रेमी आन्दोलन कर रहे हैं।

मैं समझता हूं कि यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, इस ओर आपका आदेश हो कि सरकार इसके ऊपर ध्यान दे।

अपराह्न 12.40 बजे

सदस्य द्वारा निवेदन

भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता से दिल्ली लाने संबंधी उच्चाधिकार प्राप्त समिति की कथित सिफारिश के बारे में

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): अध्यक्ष महोदया, भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण अपने स्थापना वर्ष से ही कोलकता स्थित अपने मुख्यालय से काम कर रहा है। भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा इसके सुदृढ़ीकरण और अन्य मामलों के संबंध में सिफारिशें करने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित की गई। इस उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण के कार्यालय को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की सिफारिश की है। समिति का तर्क यह है कि भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण के मुख्यालय को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने से मंत्रालयों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने में मदद मिलेगी।

महोदया, ऐसे अनेक संगठन काम कर रहे हैं, जिनका मुख्यालय दिल्ली से बाहर है। इस संगठन ने अपनी स्थापना के वर्ष से ही कोलकाता से कार्य किया है और मंत्रालय के साथ समन्वय स्थापित करने में कोई समस्या भी नहीं रही है। समिति की इस सिफारिश से, विशेष रूप से भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण के कर्मचारियों में और सामान्य रूप से जनता में भी असंतोष उत्पन्न हो गया। मैं सरकार से भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण के कार्यालय को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने का कोई निर्णय न लेने का आग्रह करता हूं।

खान मंत्री और उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री बी.के. हान्डिक): महोदया, मैं इस संबंध में स्थिति को स्पष्ट करना चाहूंगा।

सरकार का भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण के मुख्यालय को दिल्ली स्थानांतरित करने का कोई इरादा नहीं है।

डॉ. रामचन्द्र डोम (बोलपुर): धन्यवाद।

श्री बसुदेव आचार्य: मेरे पास आदेश की एक प्रति है।

श्री बी.के. हान्डिक: मैं मंत्रालय की ओर से और प्राधिकारी की ओर से बोल रहा हूं। भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण कोलकाता मुख्यालय से काम कर रहा है, जैसाकि माननीय मंत्री जी ने बताया है, यह अपनी स्थापना के वर्ष 1856 से ही वहां पर कार्यरत है। अपने 153 वर्षों के इतिहास के दौरान भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण, कोलकाता की विरासत का एक अभिन्न हिस्सा हो गया है और कोलकाता भी भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण के इतिहास का एक हिस्सा बन गया है। इसलिए, हम भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण को कोलकाता से किसी दूसरी जगह नहीं ले जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदया, यह केवल अफवाह है जिसे कर्मचारियों को बहकाने के लिए और इस संस्था को नुकसान पहुंचाने के लिए फैलाया जा रहा है। यह अफवाह काफी समय से फैलायी जा रही है। इसलिए, मैं इस स्थिति को स्पष्ट करने के लिए कुछ तथ्य रखना चाहता हूं ताकि कोई गलतफहमी न रहे। दिल्ली में भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण के संपर्क अधिकारी कार्यालय को इसलिए सुदृढ़ किया गया है कि भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण को एक नई ऊर्जा प्रदान करने हेतु नीति सुधार के लिए संबंधित मंत्रालयों के साथ संपर्क स्थापित किया जा सके। भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण को सुदृढ़ करने हेतु एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित की गई थी।

समिति ने 31 मार्च, 2009 को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया जिसे भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण की वेबसाइट पर डाल दिया गया है। समिति की सिफारिशों में शामिल है: (1) भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण मिशन मोड में कार्य करेगा; (2) भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण का संबद्ध कार्यालय के रूप में उन्नयन किया जाए; (3) भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण को सीधे मंत्रालयों से बातचीत करने हेतु समर्थ बनाने के लिए इसके दर्जे को अधीनस्थ कार्यालय से बढ़ाकर संबद्ध कार्यालय किया जाए; और (4) भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण की वैज्ञानिक शाखाओं को संगठित सेवाओं में परिवर्तित किया जाए।

महोदया, भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा लंबे समय से की जा रही मांगों के संबंध में, मुझे आज सभा में यह घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है कि खान मंत्रालय ने भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण का दर्जा अधीनस्थ कार्यालय से बढ़ाकर संबद्ध कार्यालय कर दिया है। साथ ही भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय पूर्व की ही भांति कोलकाता में बना रहेगा। श्री बसुदेव आचार्य एक वरिष्ठ नेता हैं। मैं आशा करता हूं वह लोगों को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने में हमारी मदद करेंगे। *...(व्यवधान)* मैं प्राधिकारी के रूप में बोल रहा हूं।

श्री अधीर चौधरी (बहरामपुर): वे प्रात:काल केवल गणशक्ति समाचार पत्र पढ़ते हैं। इसीलिए वे दिग्भ्रमित हो रहे हैं।

श्री बी.के. हान्डिक: उन्हें मुझसे पूछना चाहिए था। मैं सारे मामले को सभा में उठाये बगैर सुलझा देता *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: अब सभी सदस्य बोल रहे हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़): अध्यक्ष महोदया, हमारे देश में झाड़ू, पोछा, बर्तन मांजने और कपड़ा धोने के काम में लगी महिलाओं की संख्या बहुत अधिक है। उन्हें असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की श्रेणी में शामिल नहीं किया गया है, इस कारण से श्रमिकों के कल्याण की योजनाओं से ये महिलायें वंचित रह जाती हैं। उस समय स्थिति और भी गंभीर हो जाती है, जब किसी परिवार का मुखिया गंभीर बीमारी से ग्रसित हो जाता है या दुर्घटना का शिकार हो जाता है और वह काम पर नहीं जा पाता है। तब ऐसी महिलाओं को परिवार चलाने के लिए और भी अधिक घरों में जाकर काम करना पड़ता है।

महोदया, मेरे सामने एक प्रसंग आया था, एक महिला का पति सड़क निर्माण के काम में लगा हुआ था, उसके पैर पर जलता हुआ तारकोल गिर जाने के कारण वह गंभीर रूप से घायल

[श्री विरेन्द्र कुमार]

हो गया और इस कारण से वह काम पर नहीं जा पाता था। वह महिला बुखार में होने के बावजूद, जो पहले से चार-पांच घरों में काम कर रही थी, बुखार की स्थिति में भी उसको तीन और घरों में काम पर जाना पड़ा। उनके ऊपर कर्ज होने पर यह स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। उनके परिवारों की जो छोटी-छोटी बच्चियां पढ़ाई करती हैं, उनसे भी ये झाड़ू, पोछा और बर्तन मांजने का काम कराती हैं। बड़ी संख्या में ऐसी बच्चियां पाठशाला का मुंह ही नहीं देख पाती हैं। ऐसी लड़कियों की शादी करना उनकी मां को एक मुश्किल काम नजर आता है।

महोदया, मेरा आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि घरों में काम करने वाली महिलाओं के कल्याण के लिए तथा उनकी लड़कियों की पढ़ाई एवं शादी के लिए, उन्हें असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों में शामिल कर, विकास की दौड़ में अंतिम पंक्ति से उठाकर, उनमें स्वावलंबन एवं आत्मनिर्भरता का भाव जगाने, कल्याण संबंधी योजनाओं का लाभ दिलाने में सहयोग किया जाए।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): मैडम, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय पर बोलने की अपनी अनुज्ञा प्रदान की है। यह राजनीति से जुड़ा हुआ कोई विषय नहीं है, बल्कि देश के करोड़ों व्यक्तियों से जुड़ा हुआ प्रश्न है और उत्तर प्रदेश के लिए खासतौर से, वहां के खेत-खलिहान और चौपाल के गांव के किसानों से जुड़ा हुआ प्रश्न है।

मैडम, सभी अवगत हैं कि जून माह में सामान्य से बहुत कम बारिश हुई, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में बिजली का संकट भी पैदा हो गया। पिछले दिनों हमारे ऊर्जा मंत्री जी ने इस सदन में घोषणा की कि हमने राज्यों के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की और उसमें हमने निर्देश दिया है कि राज्य नये बिजली घर का निर्माण करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ने कहा कि केन्द्र हमारी आबादी और आवश्यकता के अनुसार हमें बिजली दे। मैडम, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज भी केन्द्र 3,500 मेगावाट बिजली उत्तर प्रदेश को दे रही है। ऊर्जा पैदा करना राज्य का विषय है। राज्य में अभी केवल 4,082 मेगावाट थर्मल पावर की और 300 मेगावाट हाइड्रो पावर की कैपेसिटी है। उसका औसत उत्पादन 3 हजार मेगावाट हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश में 9,500 मेगावाट बिजली की आवश्यकता है, लेकिन राज्य सरकार की प्राथमिकता ऊर्जा नहीं है। पिछले बीस सालों से, जब से कांग्रेस की सरकार वहां से गयी, उत्तर प्रदेश में कोई ऊर्जा घर स्थापित नहीं हुआ, जिसके कारण राज्य का जनजीवन और उद्योग प्रभावित हो रहे हैं। किसानों को खरीफ की फसल के लिए पानी की आवश्यकता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जहां एक तरफ केन्द्र की यूपीए सरकार ने एक वर्ष में इस बार 13,000 मेगावाट बिजली बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है, वहीं पिछले 13 वर्षों से वहां बिजली का कोई संयंत्र स्थापित नहीं हुआ। मैं कहना चाहता हूं कि केन्द्र के ऊर्जा मंत्री जी ने राज्य सरकार को जो निर्देश दिया कि नये ऊर्जा घर स्थापित किए जाएं, उस दिशा में कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। वहां का किसान और जनता परेशान है। इस संबंध में अगर कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया, क्योंकि राज्य की प्राथमिकता केवल मूर्तियां लगाने की है, पार्क बनाने की, स्मारक बनाने की है, जिस तरह से *...(व्यवधान)* सुन लीजिए, सच्चाई है, सच्चाई कड़वी होती है। आप सुन लीजिए। *...(व्यवधान)* सुप्रीम कोर्ट ने, सम्मानित उच्च न्यायालय ने भी आज राज्य सरकार को नोटिस दिया और हाई कोर्ट ने भी दिया। 4 हजार करोड़ रुपये नॉन प्रोडक्टिव आइटम में जिस तरह से अपने को महिमामंडित करने के लिए, अपनी मूर्तियां स्थापित की जा रही हैं, अपने पार्क स्थापित किये जा रहे हैं, उससे बिजली मिलने वाली नहीं है। केन्द्र का निर्देश राज्य को *...(व्यवधान)*

श्री विजय बहादुर सिंह (हमीरपुर): सुप्रीम कोर्ट में जो मैटर सब-ज्युडिस है, उसे नहीं उठाना चाहिए। *...(व्यवधान)*

श्री जगदम्बिका पाल: आदरणीय विजय बहादुर जी वकील हैं, मैं भी एडवोकेट हूं। *...(व्यवधान)* मैं जानता हूं कि अगर मैटर सब-ज्युडिस है, तो उसका रेफरेंस लिया जा सकता है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आपका समय समाप्त हो गया है। आप कृपया बैठिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आपका समय हो गया है।

...(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल: मैं न्यायालय की आलोचना नहीं कर रहा हूं, न्यायालय पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। मैंने उस विषय का रैफरेंस दिया है। आप सुनिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल: माननीय सदस्य विजय बहादुर जी एडवोकेट हैं। वे जानते हैं कि यह मैटर सब-जूडिस है। *...(व्यवधान)* मैं सम्मानित उच्च न्यायालय का आदर करता हूं और हमें उम्मीद है कि राज्य की जनता को न्याय मिलेगा। *...(व्यवधान)* मैटर सब-ज्यूडिस है, इसीलिए हमें न्याय की उम्मीद है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल: मैं चाहता हूं कि केन्द्र के ऊर्जा मंत्री जी निर्देशित करें कि उन मूर्तियों, पार्कों, स्मारकों की जगह ऊर्जा घर स्थापित हो। *...(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): अध्यक्ष महोदया, माननीय जगदम्बिका पाल जी का सवाल महत्वपूर्ण और गंभीर है। लेकिन उन्होंने एक बात बिना पढ़े-लिखे कह दी है कि सब सरकारों ने ऐसा किया। *...(व्यवधान)* आप सुन लीजिए। आपने कहा है कि बीस सालों में किसी ने नहीं किया। हमने 3,700 मेगावाट बिजली का गाजियाबाद में इंतजाम किया था। आपकी सरकार ने कैसे नहीं दी? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: कृपया इस बारे में फुल-फ्लैज्ड डिबेट मत कीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: जगदम्बिका पाल जी, आप कृपया शान्त होकर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.51 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

अध्यक्ष महोदया: अब मद संख्या 16 नियम 377 के अधीन सूचीबद्ध मामले को सभा पटल पर रखा समझा जाए।

(एक) भारतीय खाद्य निगम द्वारा आंध्र प्रदेश के नलगोंडा जिले के किसानों से चावल के स्टॉक की खरीद किये जाने की आवश्यकता

श्री गुथा सुखेन्द्र रेड्डी (नलगोंडा): नया कृषि मौसम शुरू हो गया है। किसानों ने कृषि कार्य शुरू कर दिया है। धान जैसे उनके उत्पादों की अभी तक बिक्री नहीं हुई है। व्यापारी किसानों से भारतीय खाद्य निगम के बफर भंडारण गोदामों में जगह की अनुपलब्धता के कारण धान खरीदने के लिए तैयार नहीं है। 3.5 लाख टन चावल गोदाम में पड़े हैं। उपरोक्त भंडार के परिवहन हेतु रैक्स की आवश्यकता है। कृषि तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को खाद्यान्नों के परिवहन हेतु रेलवे को मांग पत्र भेजना चाहिए। मैं खाद्य विभाग और रेल मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि वे आंध्र प्रदेश के नलगोंडा से भारतीय खाद्य निगम के भंडारों को उठाने के लिए शीघ्र कदम उठाएं।

(दो) उत्तराखण्ड के उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर में भारतीय प्रबंधन संस्थान खोले जाने, कुमाऊं इंजीनियरिंग कॉलेज द्वाराहाट को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के रूप में घोषित किये जाने तथा कुमाऊं विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री के.सी. सिंह 'बाबा' (नैनीताल-उधमसिंह नगर): अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से काशीपुर में आईआईएम तथा कुमाऊं इंजीनियरिंग कॉलेज द्वाराहाट को एनआईटी का दर्जा देने एवं कुमाऊं विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने का अनुरोध करना चाहता हूं।

महोदया, प्रारंभ में उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत एक ही विश्वविद्यालय स्वीकृत था जिसे बाद में कुमाऊं और गढ़वाल के लिए अलग-अलग किया गया। उत्तराखण्ड राज्य दो भौगोलिक इकाईयों गढ़वाल एवं कुमाऊं में बंटा है। केन्द्र सरकार उत्तराखण्ड में एक आईआईएम तथा एक एनआईटी संस्थान खोलने की योजना बना रही है। केन्द्र सरकार ने गढ़वाल में स्थित विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया हुआ है। अत: उत्तराखण्ड में क्षेत्रीय संतुलन को बनाए रखने तथा वहां के छात्रों को उच्चस्तरीय शिक्षा का लाभ देने के लिए काशीपुर में आईआईएम खोला जाये तथा जिला अल्मोड़ा के कुमाऊं इंजीनियरिंग कालेज द्वाराहाट को एनआईटी का दर्जा दिये जाने की आवश्यकता है। काशीपुर में आईआईएम के लिए भूमि तथा अन्य सभी मूलभूत सुविधाएं मौजूद हैं।

महोदया, आपके माध्यम से मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि सरकार काशीपुर क्षेत्र में आईआईएम खोलने तथा कुमाऊं इंजीनियरिंग कॉलेज द्वाराहाट को एनआईटी का दर्जा देने के लिए आवश्यक कदम उठाते हुए शीघ्रातिशीघ्र कार्रवाई करने का कष्ट करे।

(तीन) देश में हेपेटाइटिस बी का उन्मूलन करने के लिए प्रभावी कदम उठाये जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

डा. मन्दा जगन्नाथ (नागरकुरनूल): मैं सावलेंट किलर बीमारी हेपेटाइटिस बी के संबंध में कुछ तथ्य सामने लाना चाहता हूं जो इस समय विश्व में 80 प्रतिशत यकृत कैंसर का कारण है। भारत

---

*सभा पटल पर रखे माने गए।

[डा. मन्दा जगन्नाथ]

में 3 से 5 करोड़ संक्रमित लोगों में से अधिकांश लोग संक्रमण से अनभिज्ञ हैं क्योंकि इसके लक्षण गंभीर नहीं होते हैं। हेपेटाइटिस बी वायरस (एचबीवी) के तहत फैलता है जैसे-यौन-संपर्क, रक्ताधान, संक्रमित सुई और मां से बच्चे में संक्रमण। संक्रमित व्यक्ति की व्यक्तिगत वस्तुओं का उपयोग भी जोखिमपूर्ण हो सकता है। भारत में इस बीमारी के कारण हजारों लोग हर वर्ष यकृत के खराब होने, जिनमें से अधिकांश मामले एचबीवी के कारण होते हैं, से मर रहे हैं। चूंकि इलाज न कराने के कारण हेपेटाइटिस बी के रोगियों को गंभीर जटिलताएं हो सकती है।

इसीलिए विशेषज्ञ महसूस करते हैं कि एचबीवी संक्रमण भावी कई दशकों तक अस्वस्थता और मृत्यु का कारण हो सकती है। दुर्भाग्यवश हमारे पास इन महत्वपूर्ण मुद्दों को सुलझाने के लिए एक अच्छी जनस्वास्थ्य नीति नहीं है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं वे हेपेटाइटिस बी और सी को एड्स अभियान से जोड़ें। बीमारी का समय पर निवारण करने, निदान करने और उपचार करने हेतु फिजिशियनों और हैल्थ केयर से जुड़े अन्य कर्मियों को इससे संबंधित जानकारी देने के लिए पहल करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। मैं सरकार को यह भी अनुरोध करता हूं कि वह इसके उपचार को और सस्ता बनाए और औषधियों की उपलब्धता और सुलभता को सुनिश्चित करें तभी अधिक से अधिक लोग उपचार करा सकेंगे।

(चार) माचिस उद्योग को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से छूट दिये जाने की आवश्यकता

श्री एन.एस.वी. चित्तन (डिंडीगुल): माचिस उद्योग जो मुख्यत: तमिलनाडु के पिछड़े हुए दक्षिण जिलों में स्थापित है ग्रामीण अनपढ़ लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार प्रदान करता है।

हाल के वर्षों तक माचिस उद्योग मुख्यत: हाथ से काम करने वाले श्रमिकों पर आधारित था। श्रमिकों की बढ़ती हुई कमी, कम उत्पादन और गुणवत्ता में असंगति जैसे कारणों की वजह से माचिस उद्योग को आधुनिक और अर्द्ध-यांत्रिक उद्योग में विकसित करना पड़ा है। इससे यह उद्योग अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के स्तर पर आ गया है। निर्यात भी धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है।

हालांकि अभी भी वैक्स कोटिंग और केमिकल डिजिंग जैसी खतरनाक प्रक्रियाओं का ही मशीनीकरण हुआ है लेकिन ज्यादातर अन्य प्रक्रियाएं हाथों से ही की जा रही हैं।

इसीलिए तमिलनाडु सरकार दोनों अर्द्धयांत्रिकी तथा हाथ से बनी हुई माचिस को वैट लगाने की दृष्टि से बराबर मानती है अर्थात् दोनों पर तमिलनाडु में बिक्री कर माफ है।

माचिस निर्माण उद्योग में कई सौ इकाइयां शामिल हैं। सीइएनवीएटी आदान ऋण को शामिल करने के पश्चात् केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के रूप में भारत सरकार का कुल राजस्व 25 करोड़ रुपये से कम है।

इसके लिए इन निर्माण इकाइयों को अपने ऊपरी खर्च में वृद्धि करके अलग से लेखाकारों को नियुक्त करना पड़ता है। जब वे अपने लेखाओं को अंतिम रूप देने के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के पास जाते हैं तो उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस भाड़े से राजस्व की प्राप्ति के लिए विभाग को भी बड़े पैमाने पर श्रम शक्ति का उपयोग करना पड़ता है।

अत: मैं माननीय वित्त मंत्री से निवेदन करता हूं कि माचिस उद्योग को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से छूट दी जाए।

(पांच) छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डा. चरण दास महन्त (कोरबा): छत्तीसगढ़ के शेडयूल 5 क्षेत्र के विकास खण्डों मरवाही पेड्रा गौरेला के साथ ही जिला कोरिया, कोरबा, बिलासपुर में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के तहत दिये जाने वाले 100 दिनों का रोजगार ही जीवन यापन का एकमात्र साधन है। वहां एक वर्ष से अधिक समय से रोजगार का भुगतान नहीं हुआ है। राज्य सरकार द्वारा कार्य आबंटन में भी 70 प्रतिशत कार्य पंचायतों से कराने के बजाय विभागीय माध्यम से हो रहा है। वनांचलों में बैंकों एवं पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भुगतान पूरी तरह से असफल है। अत: ऐसे क्षेत्रों में भुगतान के लिए बैंक द्वारा मोबाइल वैन के माध्यम से भुगतान कराने का अनुरोध है। छत्तीसगढ़ को नरेगा के अंतर्गत 50 प्रतिशत से अधिक भुगतान शेष है। मरवाही विकास खण्ड में 86 कार्यों में लगभग 1 करोड़ 20 लाख से अधिक का भुगतान शेष है तो प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में, भुगतान की कितनी भयावह स्थिति होगी। केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि छत्तीसगढ़ के वनांचलों में शीघ्र रोजगार भुगतान के लिए विशेष कदम उठायें।

(छह) देश में सब्जियों और फलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री एस.एस. रामासुब्बू (तिरुनेलवेली): महोदय, तमिलनाडु में, विशेषकर तिरुनेलवेली जिले में फल और सब्जियां बड़े पैमाने पर उगायी जाती है। ये शीघ्र नष्ट होने वाली प्रकृति की वस्तुएं हैं। लम्बे समय तक इनका भंडारण नहीं किया जा सकता। अपर्याप्त

यातायात के साधन, शीतागार सुविधाओं का अभाव, वित्तीय तथा अन्य परेशानियों की वजह से फलों और सब्जियों को रखने में किसानों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्हें अपने उत्पाद का पर्याप्त मूल्य भी नहीं मिल रहा है। अक्सर उन्हें अपनी फसल लागत मूल्य से भी बहुत कम लागत पर बेचने को मजबूर होना पड़ता है और बिचौलिये उन्हें लगातार धोखा देते हैं जबकि खुद वे बहुत लाभ कमाते हैं। सामान्यत: उपर्युक्त वस्तुओं का मूल्य किसानों द्वारा तय नहीं किया जाता, बिचौलिए और कमीशन एजेंट ही मूल्य तय करते हैं।

महोदय, प्रत्येक वर्ष धान, गेहूं और गन्ने आदि का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमसीपी) सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। तथापि सब्जी और फल उगाने वाले गरीब किसानों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य भी प्राप्त नहीं हो रहा है।

उपर्युक्त को मद्देनजर, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि गरीब किसानों को बचाने के लिए फल और सब्जियों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की घोषणा करें।

(सात) पूर्वी उत्तर प्रदेश में जापानी इंसेफ्लाइटिस रोग का उन्मूलन करने के लिए कदम उठाये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री हर्ष वर्धन (महाराजगंज, उ.प्र.): जापानी इन्सेफ्लाइटिस पिछले 31 वर्षों में पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष हजारों व्यक्तियों की जान ले रहा है। मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर में 2005 से 2008 के चार वर्षों की अवधि में 11690 मरीज भर्ती हुए एवं 2631 मरीजों की मृत्यु इन्सेफ्लाइटिस से हुई।

इस महामारी से जिला अस्पतालों, प्राईवेट नर्सिंग होम एवं घर पर मरने वालों की संख्या कम से कम 5 गुना होगी। इस वर्ष 2009 में मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर में 14 जून, 2009 तक 334 मरीज इन्सेफ्लाइटिस के भर्ती हुए जिसमें से 81 की मृत्यु हुई। यह महामारी प्रतिवर्ष जून से अक्तूबर तक अधिक सक्रिय रहती है।

इस जानलेवा बीमारी से पूर्वी उत्तर प्रदेश की आम जनता को बचाने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा इन्सेफ्लाइटिस निरोधक कार्यक्रम तत्काल प्रारंभ किया जाना व्यापक जनहित में आवश्यक है।

(आठ) गुजरात के आणंद जिले के करमसाड़ में सरदार वल्लभभाई पटेल मेमोरियल को शीघ्र तैयार किये जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद पूर्व): गुजरात राज्य के आणंद जिले के करमसाड़ में सरदार वल्लभभाई पटेल स्मारक विकसित किया जा रहा है। सरदार पटेल और वीर विट्ठलभाई की याद को जीवंत रखने के लिए दोनों भाइयों का एक अद्वितीय संयुक्त स्मारक का निर्माण किया जा रहा है। फिलहाल दोनों भाइयों के जीवन और उनकी कृतियों से संबंधित जानकारियां कई स्थानों, अभिलेखागारों और व्यक्तियों के पास बिखरी पड़ी हैं। इस स्मारक का उद्देश्य राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र की स्थापना करके इस कमी को दूर करना तथा इस केन्द्र में प्रकाशित, अप्रकाशित और अभिलेखागारों में मौजूद सामग्री, जिसमें पत्र, पठनीय और दर्शनीय सामग्री सम्मिलित हैं, को संरक्षण, पुनरुद्धार और प्रचार के लिए एकत्रित करना है। इसका उद्देश्य इस स्मारक को एक जीवंत संस्था के रूप में विकसित करना है। इस स्मारक को पूर्णरूप से क्रियाशील बनाने के लिए दृश्य एवं श्रव्य उपकरणों, डिजिटल/वरचुअल पुस्तकालय उपकरणों, कम्प्यूटर और नेटवर्किंग उपकरण तथा फर्नीचर आदि की आवश्यकता होगी। इन उपकरणों और सुविधाओं की कुल कीमत 107 लाख रुपये आंकी गई है। स्मारक के रख-रखाव तथा विकास के लिए 5 करोड़ रुपये की कोर्पस फंड की आवश्यकता है। महोदय, मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले में इस योजना के समय पर समापन के लिए पर्याप्त निधि का प्रबंध करने हेतु शीघ्र आवश्यक कार्रवाई करे।

[हिन्दी]

(नौ) बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिये जाने की आवश्यकता

डॉ. भोला सिंह (नवादा): बिहार अप्रत्याशित सूखे के आक्रांत में है। उत्तर बिहार लगातार बाढ़ से आक्रांत है। विद्युत उत्पादन शून्य पर अटका हुआ है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का कार्यान्वयन ठप्प है। केन्द्रीय पूल से अपेक्षित विद्युत की आपूर्ति नहीं हो रही है। धान और अन्य फसलें मारी गई हैं। बिहार की त्रासदी के प्रति केन्द्र सरकार अपनी नीति में परिवर्तन करे और उसे विशिष्ट राज्य का दर्जा देकर राष्ट्रीय स्तर पर विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य करे।

(दस) झारखंड के विभिन्न जिलों में मलेरिया उन्मूलन के लिए उपचारात्मक उपाय किये जाने की आवश्यकता

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह): महोदया, झारखण्ड में खासकर बोकारो, धनबाद और गिरिडीह जिलों के कसमार, टुण्डी, गोनिया, तोपचाची एवं पेटरवार आदि स्थानों में मलेरिया से हजारों लोग ग्रसित हैं। इलाज के लिए चिकित्सक, अस्पताल एवं दवा का अभाव है। डी.डी.टी. एवं कीटनाशक दवाओं का छिड़काव एवं मलेरिया कर्मियों की तैनाती नगण्य है। रोग महामारी का रूप ले रहा है। झारखण्ड में मलेरिया निदेशालय की स्थापना के लिए राज्य सरकार द्वारा कई प्रयास किये गये हैं, परन्तु इस संबंध में केन्द्र द्वारा आवश्यक कदम नहीं उठाये गये हैं।

[श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय]

अत: केन्द्र सरकार से आग्रह है कि झारखण्ड में मलेरिया से प्रभावित प्रत्येक शहर/गांव में मलेरिया उन्मूलन के लिए तत्काल प्रभावी कदम उठाया जाये और प्रत्येक पंचायत में मलेरिया से पीड़ित रोगियों के इलाज के लिए चिकित्सक, दवा और अस्पताल की व्यवस्था की जाये और इस संबंध में दोषी चिकित्सकों व कार्मिकों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाए।

(ग्यारह) गुजरात के भरूच जिले में औद्योगिक इकाइयों द्वारा जिन किसानों की भूमि अधिगृहीत की गई है, उनके परिवार के सदस्यों को रोजगार दिये जाने की आवश्यकता

श्री मनसुखभाई डी. वसावा (भरूच): मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत वागरा जम्भूसर, अंकलेश्वर एवं झगड़िया क्षेत्रों में किसानों की जमीन अधिग्रहीत करके वहां पर कई उद्योगों की स्थापना की गई एवं इन उद्योगों के लिए सरकार ने सस्ते दाम पर इन किसान लोगों की जमीन ली एवं इन उद्योगों को कई प्रकार की सहायता केन्द्र स्तर पर दी है। इन किसानों को उनकी जमीन का सही मुआवजा नहीं मिला और न ही इन उद्योगों से कई विस्थापित परिवार के लोगों को नौकरियां मिलीं। इन सबके कारण यहां के किसान बेरोजगार हो गये हैं, यह उनके साथ अन्याय हुआ है क्योंकि उनके परिवार के पास पर्याप्त भूमि नहीं है और न ही उनके पास पर्याप्त धन है कि कहीं ओर जमीन खरीद सकें। इस संबंध में मैं केन्द्र सरकार का ध्यान बराबर दिलाता रहा हूं, परन्तु सरकार विस्थापित किसान परिवार के लोगों को इन उद्योगों में रोजगार नहीं दिला सकी है।

सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि भरूच में जिन किसानों की जमीन को अधिग्रहीत करके जो उद्योग स्थापित हुए हैं उनके परिवारजनों को संबंधित उद्योग में रोजगार दिलाये जायें।

(बारह) उत्तर प्रदेश के जालौन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पचनाड़ा में बांध बनाए जाने की आवश्यकता

श्री घनश्याम अनुरागी (जालौन): महोदय मेरे संसदीय क्षेत्र जनपद जालौन, उत्तर प्रदेश में यमुना, चंबल, सिंध एवं पहुंच, पांच नदियों का संगम होता है जिसे पंचनदा के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक वर्ष बरसात में वर्षा द्वारा अत्यधिक पानी इन नदियों में आता है, किन्तु बांध न होने के कारण बहकर निकल जाता है। यह क्षेत्र पूर्णतया कृषि पर आधारित है तथा जीविकोपार्जन के लिए दूसरा कोई अन्य साधन क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है। विगत् 5 वर्षों से बुंदेलखण्ड क्षेत्र के किसान भीषण सूखा पड़ने के कारण भुखमरी, आत्महत्या व क्षेत्र से पलायन करने को मजबूर हैं जल स्तर बहुत नीचे चला गया है। मवेशियों व मनुष्यों को पीने तक का पानी उपलब्ध नहीं है। क्षेत्र में भारी बिजली संकट है जिससे क्षेत्र की सम्मानित जनता में रोष व्याप्त है। कभी भी कोई बड़ी अप्रिय घटना घट सकती है। सरकार की उदासीनता के कारण प्रस्तावित पंचनदा बांध योजना चालू करने के बाद ही बंद कर दी गई जिसे किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं ठहराया जा सकता। क्षेत्र के किसानों, मजदूरों, व्यापारियों आदि सभी वर्गों को दो वक्त की रोटी, पीने का स्वच्छ पानी एवं पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए प्रस्तावित पंचनदा बांध योजना को स्वीकृत कर तुरंत कार्य प्रारंभ कराने की आवश्यकता है। पंचनदा बांध बन जाने से वहां के किसान खुशहाल रहेगा तथा सूखे की स्थिति से हमेशा के लिए निपटा जा सकेगा।

मैं सदन के माध्यम से माननीय जल संसाधन मंत्री से अनुरोध करता हूं कि जनपद जालौन, उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित पंचनदा बांध के निर्माण को स्वीकृति प्रदान कर तुरंत प्रारंभ कराने के आवश्यक निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

(तेरह) उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में 'मूसहर' समुदाय के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए कदम उठाये जाने की आवश्यकता

श्री गोरख प्रसाद जायसवाल (देवरिया): मेरे संसदीय क्षेत्र देवरिया जिले में चूहे पकड़ कर खाने वाली मूसहर जाति काफी बड़ी संख्या में हैं। ये जाति खेतों में से दानें और अनाज चुनकर अपने परिवार का भरण पोषण करती है। इनके परिवार के लोग शिक्षा से काफी दूर हैं। यह जाति छप्पर डालकर रहती है। इन लोगों के पास अपने मकान भी नहीं होते हैं। एक तरह से विकासशील भारत में इस प्रकार की जाति अगर इस प्रकार का जीवन बिताये तो यह खेद की बात है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि पूर्वांचल की इस मूसहर जाति के विकास हेतु विशेष कदम उठाये जायें जिससे यह अपने नारकीय जीवन से मुक्त हो सके।

(चौदह) बिहार के सहरसा जिले में सहरसा जंक्शन और पचगछिया रेलवे स्टेशन के बीच पड़ने वाले सहरसा बंगाली बाजार रेलवे ढाला पर एक रेल रोड ऊपरि पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री दिनेश चन्द्र यादव (खगड़िया): बिहार राज्य के सहरसा जिलान्तर्गत सहरसा जंक्शन से पचगछिया रेलवे स्टेशन के बीच सहरसा बंगाली बाजार पर समपार सं. 31 विकंष पर रेल रोड, ओवर ब्रिज निर्माण की स्वीकृति वर्ष 1997 में हुई थी, लेकिन आज तक उक्त ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया

गया। उक्त पुल का निर्माण सहरसा प्रमण्डलीय मुख्यालय के बीच एन.एच.-107 पथ पर होना था। ओवरब्रिज निर्माण नहीं होने से कई-कई घंटा रेलवे ढाला पर ट्रेन आने के कारण जाम लगा रहता है, जिससे जनजीवन अस्तव्यस्त हो जाता है।

अत: सहरसा जंक्शन से पचगछिया रेलवे स्टेशन खंड के बीच सहरसा समपार सं. 31 विकंष पर रेल रोड ओवर ब्रिज का निर्माण शीघ्र कराया जाये।

(पन्द्रह) पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में कपास बुनकर सहकारी समितियों के समक्ष आ रही समस्याओं का समाधान किये जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

डा. रत्ना डे (हुगली): मैं सरकार का ध्यान अपने चुनाव क्षेत्र, पश्चिम बंगाल के हुगली जिला के गरीब सूत बुनकरों की दयनीय स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूं। विक्रय पर छूट, अंशदायी भविष्य निधि, ब्याज राजसहायता आदि जैसी योजनाओं को समाप्त करने के कारण हजारों बुनकर भारी मुसीबतों से जूझ रहे हैं और उनके कारण सहकारी सोसायटियों के सदस्य बरबादी के कगार पर पहुंच गए हैं। राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम, कोलकाता द्वारा निम्न गुणवत्ता वाले सूत के निर्माण तथा इसकी बढ़ती हुई कीमतों के अलावा, सरकारी एजेंसियों द्वारा उत्पादों के उठान की अपर्याप्त सुविधा, अपर्याप्त धनराशि के कारण सभी बुनकरों को 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन देने से इनकार कर देने के कारण उनकी स्थिति और खराब हो गई है। इसलिए, मैं सरकार से उन योजनाओं को पुन: बहाल करने का अनुरोध करता हूं जो इससे पहले चल रही थीं और जिन्हें बाद में बंद कर दिया गया था तथा उचित मूल्य पर बेहतर गुणवत्ता वाले सूत उपलब्ध कराने, मौजूदा विपणन सुविधाओं को बेहतर बनाने, पेंशन निधि में वृद्धि, वेतन ढांचे में सुधार, महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना तथा स्वास्थ्य योजना लागू करने तथा सूत बुनकरों को देश के अन्य सहकारी सोसायटियों के समकक्ष लाने का भी अनुरोध करता हूं। सूत बुनकर सहकारी सोसायटियों की समस्या की गंभीरता पर विचार करते हुए मैं सरकार से पुरजोर आग्रह करता हूं कि वह इन कठिनाइयों पर तत्काल ध्यान दें और उनका अस्तित्व बचाए रखने के लिए एक पैकेज की घोषणा करे।

(सोलह) तमिलनाडु के कृष्णागिरि संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के होसूर में एक केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता

श्री ई.जी. सुगावनम (कृष्णागिरि): तमिलनाडु का कृष्णागिरि जिला जो कर्नाटक से लगा हुआ है, राज्य के पिछड़े जिलों में से एक है। यहां मुख्य रूप से तमिल, तेलुगु और कन्नड़ तीन भाषाएं बोली जाती हैं। कृष्णागिरि जिले में केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के कई कार्यालय स्थित हैं तथा देश के विभिन्न भागों में सेना में काम कर रहे लोगों के परिवार यहां रहते हैं। बहरहाल, यहां उनके बच्चों को विद्यालयों में समुचित रूप से प्रवेश तथा अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती है।

महोदय, मेरे चुनाव क्षेत्र कृष्णागिरि में एक केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना किये जाने की मांग लम्बे समय से की जा रही है। इसके आस-पास कोई केन्द्रीय विद्यालय नहीं है। हाल ही में भारत सरकार ने देश के विभिन्न भागों में तथा प्रत्येक जिले में एक केन्द्रीय विद्यालय खोलने का निर्णय लिया है।

इसलिए, मैं केन्द्रीय माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी से मेरे चुनाव क्षेत्र कृष्णागिरि होसूर, तमिलनाडु में एक नया केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए तत्काल कदम उठाने का अनुरोध करता हूं।

(सत्रह) स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर का विलय भारतीय स्टेट बैंक के साथ किये जाने के प्रस्ताव की समीक्षा किये जाने की आवश्यकता

श्री एम.बी. राजेश (पालक्काड़): मैं, एसबीआई के साथ सहायक बैंकों के विलय के मामले को उठाना चाहूंगा। सात सहायक बैंकों का एसबीआई में विलय का प्रस्ताव है। दो सहायक बैंकों-स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र और स्टेट बैंक ऑफ इंदौर का विलय पहले ही किया जा चुका है। इन बैंकों के कर्मचारियों ने कड़ा विरोध किया है और विगत सितम्बर और दिसम्बर में हड़तालें भी हुई हैं तथा अब फिर कर्मचारी हड़ताल पर जा रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर (एसबीटी) एक सहायक बैंक है, जिसका विलय एसबीआई में होने जा रहा है। इस बैंक का मुख्यालय केरल में स्थित है और यह सार्वजनिक क्षेत्र का एकमात्र ऐसा बैंक है, जिसमें केरल सरकार का इक्विटी स्वामित्व है और यह केरल के लाखों लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। 1960 के दशक के दौरान जब केरल में अनेक बैंक विफल हुए, तब एसबीटी ने ऐसे छह बैंकों का अधिग्रहण किया था तथा लाखों कर्मचारी और ग्राहक इस बैंक से जुड़े रहे। किसान, छोटे व्यापारी, छोटे उद्योगपति और स्वरोजगार की तलाश करने वाले इस बैंक पर काफी हद तक आश्रित हैं। केरल सरकार का कोषीय कार्य भी एसबीटी द्वारा किया जा रहा है। जब भी केरल सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने बॉण्ड और प्रतिभूतियां जारी की हैं, एसबीटी ने उनमें निवेश किया है और उसके बाद ही उनमें अन्य बैंकों ने भी निवेश किया है। यदि हम राज्य में वितरित शिक्षा ऋणों पर विचार करें, तो एसबीटी का योगदान अन्य बैंकों से काफी अधिक है, जबकि

[श्री एम.बी. राजेश]

सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंक ऋण देने के इच्छुक नहीं हैं। एसबीटी सर्वाधिक जमा अनुपात बनाए हुए है और इसकी 706 शाखाएं हैं, इसकी जमा राशि 3290 करोड़ रुपये है तथा इसने 27332 करोड़ रुपये के ऋण दिये हुए हैं। यह तथ्य और आंकड़े दर्शाते हैं कि केरल की अर्थव्यवस्था में एसबीटी की अहम भूमिका है। यदि विलय होता है, तो इससे केरल की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित होगी। इसके अतिरिक्त, अनेक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय अध्ययनों से सिद्ध हुआ है कि बैंकों का विलय करने से बैंकों की प्रतिस्पर्धात्मक और दक्षता में वृद्धि नहीं होगी, जैसाकि सरकार द्वारा दावा किया गया है। यह मत कि विलय और समेकन वित्तीय अस्थिरता के जोखिम को कम करेगा, सही नहीं है। विलय के बाद ग्रामीण शाखाओं को बंद कर दिया जाता है, कर्मचारियों की छंटनी की जाती है और बैंक के कार्यो को बाह्य एजेंसियों से करवाया जाता है। इसलिए, यह देखा गया है कि विलय मात्र देश से संबंधित नहीं होता है, बल्कि वैश्वीकरण की नीतियों का भाग हैं। वस्तुत:, हमें विलय की आवश्यकता नहीं बल्कि हमारे देश में बैकिंग सेवाओं के विस्तार की आवश्यकता है। इसलिए, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह बैंकों का विलय न करे।

(अठारह) दिल्ली और हरिद्वार के मध्य रेल लाइन के आमान परिवर्तन के कार्य में तेजी लाये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री संजय सिंह चौहान (बिजनौर): महोदया, दिल्ली-हरिद्वार रेलमार्ग के दोहरीकरण तथा विद्युतीकरण करने के लिए केन्द्र द्वारा सर्वेक्षण किया जा चुका है लेकिन रेलवे लाइन के निर्माण कार्य योजना को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। जिससे इस लाईन का कार्य शीघ्र पूरा हो सके। 2010 के दौरान हरिद्वार में महाकुंभ शुरू होने जा रहा है इसलिए अधिक संख्या में श्रद्धालुओं के आवागमन एवं सुविधा हेतु जनहित में कार्य को पूरा करना अति आवश्यक है।

(उन्नीस) पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मेदिनीपुर जिले में केलेघाई और कपालेश्वरी नदियों में प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ से होने वाली तबाही को नियंत्रित किये जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री प्रबोध पाण्डा (मिदनापुर): केलेघाई और कपालेश्वरी नदियां पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदनीपुर जिले से बहती है और नदी जल निकासी तंत्र में अहम भूमिका निभाती हैं। परन्तु इनके नदी तल की गहराई में कमी और वैज्ञानिक जल प्रबंधन के अभाव के कारण इन दोनों नदियों की जलधारण क्षमता काफी कम हो गई है, जिससे तटबंध टूट रहे हैं और प्रतिवर्ष बाढ़ के कारण फसलों और किसानों के जीवन को भारी खतरा उत्पन्न हो रहा है।

पश्चिम बंगाल सरकार ने इन दो नदियों से गाद निकालने तथा तटबंधों को मरम्मत हेतु एक डीपीआर तैयार की थी और काफी समय पहले उपयुक्त कार्यवाही हेतु केन्द्र सरकार को प्रस्तुत की थी। परन्तु यह अत्यधिक चिन्ता का विषय है कि अब तक केन्द्र सरकार से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है।

इसलिए आम लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए, मैं केन्द्र सरकार और विशेषकर जल संसाधन मंत्रालय से आग्रह करता हूं कि वह आवश्यक तकनीकी स्वीकृति सहित सकारात्मक कार्यवाही करें और पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत परियोजनाओं के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करें, ताकि लाखों गरीब किसानों और अन्य लोगों को प्रति वर्ष होने वाली हानि से बचाया जा सके।

(बीस) राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा दिये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डॉ. किरोड़ी लाल मीणा (दौसा): महोदय, राजस्थान की विषम भौगोलिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को देखते हुए विशेष राज्य का दर्जा दिये जाने की मांग लम्बे समय से उठ रही है। भूभाग की दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है, 12 जिले मरूस्थलीय (60 प्रतिशत रेगिस्तान) हैं, 12.6 प्रतिशत आदिवासी आबादी है। विशेष भौगोलिक स्थिति के कारण सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं संचार सेवाएं पहुंचाना बहुत महंगा पड़ता है।

पिछले 60 वर्ष में 55 वर्ष अकाल पड़ा है। 70 प्रतिशत किसान मानसून की अनिश्चितता का दंश झेलते रहते हैं। राज्य का भूभाग देश के कुल भूभाग का 10.41 प्रतिशत है जबकि पानी की उपलब्धता मात्र 1 प्रतिशत है। राज्य के 237 विकास खण्डों में से 207 विकास खण्डों में पानी का स्तर काफी नीचे चला गया है। राज्य में देश के कुल जल का सर्वाधिक 13.7% दोहन है जनसंख्या राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। संचार साधन बहुत कम हैं। पाकिस्तान से लगी 1040 कि.मी. लम्बी सीमा पर भारी खर्च होता है। उसके कारण कृषि, खनन उद्योग एवं व्यापारिक गतिविधि प्राय: नगण्य सी हैं। आवासहीन घुमक्कड़ गाड़ियां लोहार समुदाय की भारी तादाद है। श्रमिकों की संख्या बहुत ज्यादा है किन्तु रोजगार नहीं है। इस प्रकार विषम भौगोलिक परिस्थितियों एवं बुनियादी सुविधाओं की अधिक लागत के मद्देनजर राजस्थान राज्य को विशेष दर्जा दिया जाये।

अपराह्न 12.52 बजे

रेल बजट–2009-10–सामान्य चर्चा

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: अब मद संख्या 17, रेल बजट पर सामान्य चर्चा होगी।

रेल बजट पर चर्चा के लिए 10 घंटे का समय आवंटित किया गया है। श्री अनंत कुमार का नाम पुकारने से पहले मैं सभा से भोजनावकाश को स्थगित करने का अनुरोध करना चाहती हूं ताकि उस समय का उपयोग हम इस मद पर चर्चा के लिए कर सकें।

मैं उम्मीद करती हूं कि सभा इससे सहमत होगी। श्री अनंत कुमार।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): आप लंच स्किप मत कीजिए, लंच के बाद शुरू करवाइए।

अध्यक्ष महोदया: इस डिस्कशन के लिए दस घंटे हैं। श्री अनंत कुमार।

श्री अनंत कुमार (बंगलौर दक्षिण): महोदया, मैं शुरुआत में रेल मंत्री जी को दो विषयों के लिए बधाई देना चाहता हूं-एक, श्री बसुदेव आचार्य दिखाई नहीं दे रहे हैं। श्री बसुदेव आचार्य और कम्युनिस्ट पार्टी को बंगाल की राजनीतिक पटरी से नीचे उतारा, इसके लिए मैं उन्हें बधाई दे रहा हूं। दूसरी बधाई इसलिए दे रहा हूं कि इस बजट में उन्होंने व्हाइट पेपर का जिक्र किया है और पूर्व रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद जी के कार्यकाल के बारे में एक व्हाइट पेपर लाने की घोषणा की है। मुझे कभी-कभी लगता है कि रेल बजट हिन्दी फिल्मों जैसे होता है, यानी उसे पूरा समझने के लिए आखिर का भाग पहले देखें।

मैं व्हाइट पेपर के बारे में कहना चाहता हूं कि यदि हम पेज नम्बर 38 देखें, तो उसमें

[अनुवाद]

उसमें माननीय रेल मंत्री ने कहा है:

> ''मैं सभा को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि रेलवे एक श्वेत-पत्र जारी करेगा जिसमें यह अपने पिछले पांच वर्षों में निष्पादन पर आधारित वर्तमान संगठनात्मक, प्रचालनात्मक तथा वित्तीय स्थिति को दर्शाएगा।''

[हिन्दी]

मुझे लगता है कि कभी-कभी ...*(व्यवधान)* जैसे कानून में हम सैक्शन्स को ''रैड विद'' पढ़ते हैं, वैसे ही ऐसे पढ़ना चाहिए।

[अनुवाद]

आप पृष्ठ संख्या 38 को पृष्ठ संख्या 28 के साथ पढ़ें। मैं उनको उद्धृत करना चाहता हूं:

> ''मैं कार्यभार ग्रहण करने के कुछ ही दिनों के भीतर यह देखकर आश्चर्यचकित थी कि पी.पी.पी. के माध्यम से संसाधन जुटाने के लिए 3400 करोड़ रुपये का प्रावधान था।''

[हिन्दी]

अंतरिम बजट प्रक्षेपण की समीक्षा करते हुए मैं यह जानकर आश्चर्य चकित रह गयी कि 3,400 करोड़ रुपये के संसाधन सार्वजनिक निजी भागीदारी के जरिये जुटाए जाने की व्यवस्था की गयी थी जिनमें से 3,300 करोड़ रुपये तो कभी भी नहीं जुटाए जा सकते थे। इसका अर्थ यह हुआ कि वर्ष 2008-09 में वास्तविक खर्च के स्तर में वार्षिक योजना में सीधी कटौती थी। ...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद (सारण): आप सरप्लस वाला पैरा पढ़िए, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है।

श्री अनंत कुमार: मैं आपको उस बारे में भी बता दूंगा कि सरप्लस कितना था और कहां था। पेज नम्बर 19 देखें, तो उसमें लिखा है कि:

[अनुवाद]

समीक्षा के आधार पर, यह बात बहुत ही स्पष्ट है कि अंतरिम बजट में बहुत ही अवास्तविक लक्ष्य निर्धारित किये गए और इसमें बीच-बीच में संशोधन करने की जरूरत है।''

[हिन्दी]

पिछले पांच साल का रियल परफोर्मेंस कितना है, एक्चुअल सरप्लस कितना है और यदि मैं वैंकेया जी. नायडू के शब्दों में कहूं, तो फैक्चुअल इन्वेस्टमेंट क्या है, आदि सारी बातों का दस्तावेज खोलना चाहिए इसलिए आपको व्हाइट पेपर जारी करना चाहिए।

[अनुवाद]

> ''वर्ष 2007-08 में 20,103 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि थी जो 2009-10 में घटकर 6644 करोड़ रुपये रह गई।'' यह राशि इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गई?

[श्री अनंत कुमार]

[हिन्दी]

दाल में कुछ काला लगता है। जैसे चारे में घोटाला था, उसी तरह रेल में भी घोटाला हो सकता है।

[अनुवाद]

मैं समाचार-पत्र के एक कतरन को उद्धृत करना चाहूंगा।

''यदि सुश्री ममता बनर्जी ने संसद में शुक्रवार को जो भाषण दिया था, उसे दूसरे रूप में पेश किया होता तो राष्ट्र को यह पता हो गया होता कि रेल की वित्तीय स्थिति में जिनता सरकार ने कहा है इससे कहीं अधिक खामी है।

दिलचस्प बात यह है कि इसका वैकल्पिक रूप पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद की उस नीति की आलोचना करता है जिसमें उन्होंने क्षमता विस्तार के वित्तपोषण के लिए संरक्षित भंडार पर निर्भरता व्यक्त की थी।

लालू प्रसाद जी ने अपने पांच वर्ष के कार्यकाल में रेलवे द्वारा भारी मुनाफा कमाने का श्रेय लिया था।''

अपराह्न 1.00 बजे

[हिन्दी]

ममता जी ने उस अलियर स्पीच को अनमने रूप से वेबसाइट में डाला था।

[अनुवाद]

और जिसे पूरे देश ने डाउनलोड किया है। इसलिए, मैं पूछना चाहता हूं कि उन्होंने भाषण के उस रूपांतरण को क्यों नहीं पढ़ा और यदि उन्होंने उस भाषण को बदल दिया था तो क्या यह प्रधान मंत्री के इशारे पर किया गया था?

[हिन्दी]

किसके दबाव में आपने उसे नहीं पढ़ा।

कुमारी ममता बनर्जी: आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री अनंत कुमार: मैं इसे पढ़ रहा हूं।

[अनुवाद]

यह भाषण वेबसाइट पर डाला गया था। उस रूपांतरण में आपने निम्न बात कही थी जिसे आपने यहां नहीं पढ़ा:

''बनर्जी बताती हैं कि रेल में वित्तीय गड़बड़ी तेजी से इसे बर्बाद कर रही है और इसका नकदी भंडार उतनी ही तेजी से खाली हो रहा है जितना कि नहीं होना चाहिए था।''

मैं उद्धृत करता हूं:

''अपने विशाल नेटवर्क के विस्तार कार्यक्रम के वित्तपोषण के लिए, क्षमता संवर्धन कार्यों को पूरा करने और पुरानी परिसम्पत्तियों को समय पर बदलने के लिए, 2008-09 और 2009-10 के दो वर्षों में योजना व्यय को बरकरार रखा गया है। समायोजित की गयी निधि शेषों को कम करके जो भविष्य में संभव नहीं है।''

यह रूपांतरण आपके भाषण में वेबसाइट पर उपलब्ध था लेकिन आपने इसे नहीं पढ़ा है।

कुमारी ममता बनर्जी: अध्यक्षपीठ की अनुमति से मैंने इसे समयाभाव के कारण नहीं पढ़ा लेकिन मैंने इसे सभा पटल पर रखा था।

श्री अनंत कुमार: महोदया, यह आपके भाषण का अंश नहीं है।

कुमारी ममता बनर्जी: यह भाषण का अंश है।

श्री अनंत कुमार: वह सहमत हैं। इसलिए इस भाषण के दो भाग हैं। वह आपके भाषण का अंश नहीं है। इसमें लालू प्रसाद यादव जी के पांच वर्षों कार्यकाल की काफी आलोचना की गई है। यदि आप इससे सहमत हैं तो हम इसका स्वागत करते हैं और हम आपसे यह अनुरोध करते हैं कि

[हिन्दी]

आप इसके बारे में 60 दिन में व्हाइट पेपर लाइए।

[अनुवाद]

भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन श्वेत-पत्र सभा पटल पर रखें।

वास्तव में पिछले पांच वर्षों में जो कुछ किया गया है, वह बहुत ही गंभीर मामला है। हम लालूजी के कार्यकाल के तथाकथित नकदी बचाव की बात करते रहे हैं। 2007-08 के रेल बजट में लालूजी ने 20,103 करोड़ रुपये की बचत दर्शायी थी; 2008-09 में उन्होंने 14,609 करोड़ रुपये की बचत दर्शायी थी। 2009-10 के अंतरिम बजट में 8772 करोड़ रुपये की बचत दिखाई गई है।

लेकिन वास्तव में व्याख्यात्मक ज्ञापन के अनुसार स्थिति ऐसी नहीं है बल्कि इससे अलग है, यह बचत 2007-08 में 17,182 करोड़ रुपये, 2008-09 में 9803 करोड़ रुपये और 2009-10 में 6644 करोड़ रुपये की है। इसके पश्चात हमने इस हाथ की सफाई बिहार के रस्सी के जादू के खेल का पता लगाने की कोशिश की। मैं समझता हूं कि यह पिछले पांच वर्षों में सत्यम तुलन-पत्र जैसा क्लासिक मामला है। रेल ह्रास कोष है। वर्ष 2007-08 में 5450 करोड़ रुपये, 2008-09 में 7000 करोड़ रुपये तथा 2009-10 में 7000 करोड़ रुपये की जो धनराशि डी.आर.एफ. में विनियोजित की जानी थी, उस सारी धनराशि को नकदी बचत के रूप में गिनती की गई। महोदया, इस पूरे घोटाले की यही गंभीरता है।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसादः मैडम, व्हाइट पेपर जैसा कि मंत्री जी ने कहा है और उसके अलावा आर्गेनाइजेशनल, फाइनेंशियल, स्टेटस और विजन 2020 की बात है, तो यह मंत्री जी बताएंगी। लेकिन यह जो जगलरी और तरह-तरह की बातें बता रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं कि यह सारी ऑडिटेड राशि है, संसद में लेड है। खुद मंत्री जी के बयान 2007-2008 में सरप्लस मनी में दिखाया गया है। मैं आपकी चुनौती और तमाम आशंकाओं को स्वीकार करता हूं। आप इसे डायल्यूट और डाइवर्ट न करें। किसी भी स्तर पर यह डिवीडेंड देने में जो पहले भारतीय रेलवे चूक गई थी, उसी में सरप्लस कैश 90,000 करोड़ रुपये से भारत सरकार का डिवीडेंड और गतायु सम्पत्तियों का बदलाव किया गया। इसके अलावा इनहैंड जो कैश है, यह दूध का दूध और पानी का पानी स्पष्ट है। जो व्हाइट पेपर की बात है, सोकाल्ड आर्गेनाइजेशनल, फाइनेंशियल, स्टेटस और विजन 2020 जो उन्होंने दिखाया है, दर्शाया है, यह संसद और उसकी कंवेंशनल कमेटी भारतीय रेलवे की है, उसमें है। आपसे और हमसे ज्यादा काबिल जो अहमदाबाद का आईआईएम, हार्वर्ड, आईएनआईसीआईएआर आदि ने भी तारीफ की है। अगर लालू यादव से कोई गलती होती, तो ये लोग उसे नहीं बख्शते। यह कोई घोटाला नहीं है, यह स्टेटस है, यह बहुत साफ है और इन चीजों को अगर आपने देखना है तो देख लें।

श्री अनंत कुमारः लालू जी, क्या दूध है और क्या पानी है, वह तो व्हाइट पेपर में मालूम हो जाएगा।

[अनुवाद]

मैं सिर्फ यह बता रहा हूं कि जैसा कि श्री लालू प्रसाद जी दावा कर रहे हैं, 90,000 करोड़ रुपये की अधिशेष धनराशि है और जैसाकि सभी बजटों में दावा किया गया है, अब यह अधिशेष मात्र 6000 करोड़ रुपये है। वह भी केवल पांच वर्षों के भीतर, यदि अधिशेष धनराशि इतनी तेजी से खत्म होती है, तो पैसा कहां चला गया है? अथवा यह केवल अंकों और संख्याओं का खेल है ...*(व्यवधान)* जगलरी तो बहुत बता दिया। इसलिए, महोदया यह एक बहुत बड़ा प्रश्न-चिन्ह है। जब यह एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है तो मैं कुमारी ममता जी से कहना चाहूंगा कि वे यथाशीघ्र एक श्वेत-पत्र जारी करें और इसे भारतीय संसद के समक्ष रखें।

मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। लेकिन अभी-अभी श्री लालू जी बहा रहे थे कि कैसे टर्न अराउंड किया। वास्तव में भारतीय रेल की कायापलट का श्रेय यदि किसी को देना है, तो इसे तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री अटल बिहार वाजपेयी और तत्कालीन रेल मंत्री श्री नीतीश कुमार को दिया जाना चाहिए। बेहतर रेल प्रचालन का मूलभूत सिद्धांत क्या है?

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ **ललन सिंह** (मुंगेर): इसका श्रेय कुमारी ममता जी को भी दिया जाना चाहिए क्योंकि वह भी राजग की सहयोगी थी।

श्री अनंत कुमारः निश्चित रूप से वे हमारे साथ थीं। रेलवे का बेहतर प्रबंधन तीन बातों पर निर्भर करता है। वे हैं ज्यादा तेज, ज्यादा लम्बी और ज्यादा भारी। पूर्व में मालवाहक डिब्बों की वापसी का समय सात दिन का होता था। लेकिन राजग सरकार के शासन काल में इसे घटाकर साढ़े चार दिन किया गया और रेकों की लम्बाई 15 या 16 डिब्बे तक सीमित की गई थी जिसे बढ़ाकर 25 से 26 डिब्बे कर दिया गया। तीसरी बात, अधिक माल ढोया गया और यह विशेष रेल सुरक्षा कोष को श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा 17,000 करोड़ रुपये की धनराशि दिए जाने के कारण संभव हुआ। स्वतंत्र भारत के इतिहास में 17000 करोड़ रुपये की धनराशि कभी नहीं सुनी गई। किसी भी प्रधानमंत्री ने इतनी ज्यादा धनराशि नहीं दी थी। पहली बार 17000 करोड़ रुपये की धनराशि दिये जाने से रेल मार्ग का नवीकरण किया गया। यह पूर्ण नवीकरण था। इस नवीकरण के कारण अधिक माल की ढुलाई हुई। जब हमने 2004 में कार्यभार छोड़ा तब प्रचालन अनुपात 92 प्रतिशत था ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री संजय निरूपम (मुम्बई उत्तर): आप रेलवे बजट पर बोलिए।

श्री अनंत कुमारः आप छोड़िए, मैं यील्ड नहीं कर रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

श्री संजय निरूपमः आप माननीय रेल मंत्री ममता जी के बजट पर चर्चा कीजिए। आप एनडीए के बजट पर जा रहे हैं, लालू जी के बजट पर जा रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ **ललन सिंह:** आप उसको सुनना क्यों नहीं चाहते हैं। *...(व्यवधान)*

श्री संजय निरूपम: माननीय नीतीश कुमार जी रेल मंत्री थे, हम उनके बजट पर चर्चा करते थे, अब ममता जी रेल मंत्री हैं, आप उनके बजट पर चर्चा कीजिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए।

[अनुवाद]

श्री अनंत कुमार: इसका कारण यह है कि कुमारी ममता बनर्जी का रेल बजट ही एकमात्र बजट नहीं है। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

माननीय सोनिया जी आपकी लॉयल्टी के लिए जरूर तोहफा देंगी, आप चिंता मत करिये। *...(व्यवधान)*

श्री संजय निरूपम: जैसे माननीय अटल जी ने आपको तोहफा दिया, वैसे ही मुझे मिल जाएगा। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: श्री अनंत कुमार जी, कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करे।

...(व्यवधान)

श्री अनंत कुमार: 17000 करोड़ रुपये की धनराशि देने के कारण राजग के कार्यकरण में पूरा रेल नेटवर्क नया बन गया था।

[हिन्दी]

श्री संजय निरूपम: हुडको की कहानी भी बता दीजिए। *...(व्यवधान)*

श्री अनन्त कुमार: सबकी कहानी बताएं।

[अनुवाद]

अब मुझे टक्कर रोधी उपकरणों के बारे में बताने दीजिए। हमने इन्हें वर्ष 2002 में स्थापित करना प्रारंभ किया था। परन्तु पिछले पांच वर्षों में इस मामले पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। एक बार फिर इस बजट में माननीय मंत्री जी ने कहा है कि दक्षिण रेल, दक्षिण-मध्य रेल और पश्चिम रेल के मामलों में वह टक्कररोधी उपकरणों के कार्य को आगे बढ़ाएंगी।

मैं कुछ ऐसे मामलों को सामने लाना चाहूंगा जहां यात्रियों को अनजाने में पैसों का नुकसान हो रहा है।

[हिन्दी]

इनको जीटी कह सकते हैं, गुमराह ट्रिक कह सकते हैं।

[अनुवाद]

चूंकि यह रेल बजट कोई अद्वितीय बजट नहीं है, मैं चाहता हूं कि सुश्री ममता बनर्जी इसमें इसकी कमियों को दूर कर दें।

पिछले पांच वर्षों में 374 रेलगाड़ियों को सुपरफास्ट एक्सप्रैस के रूप में वर्गीकृत किया गया है। परन्तु यह सभी 374 ''सुपर फास्ट एक्सप्रैस'' रेलगाड़ियां 55 कि.मी. या इससे कम गति से चलती हैं। सिर्फ इसलिए कि आपने सुपरफास्ट पैसेंजर या फास्ट पैसेंजर को बदलकर सुपर फास्ट एक्सप्रैस कर दिया है, आप प्रत्येक टिकट पर अधिभार के रूप में 50 रुपये अधिक ले सकते हैं। यह अधिक धन इकट्ठा करने के लिए अपनाई गई चाल में से एक थी।

दूसरा ऐसा तरीका तत्काल आरक्षण था, हम जानते हैं कि रेलवे का एकाधिकार है। जब रेलवे का एकाधिकार है तो आरक्षित टिकटों में से 35-40 प्रतिशत तत्काल की हैं। जब यह 'तत्काल' में जाती हैं तो प्रत्येक टिकट पर 150 से 300 रु. प्रभारित किये जाते हैं। नि:संदेह, माननीय मंत्री ने इन दरों को घटाकर 150 से 100 रु. और अवधि को पाचं से घटाकर दो दिन किया है।

आरक्षित सीटों का 35 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तत्काल को क्यों जाए, जब रेलवे का एकाधिकार है? चूंकि हमारे पास ऑनलाइन प्रणाली है, इसमें तेजी से काम किया जा सकता है। इसे 24 घण्टों में किया जा सकता है।

तीसरे आरक्षण मानक परिवर्तित कर दिये गये हैं। उदाहरण के लिए यदि मैं दिल्ली से बंगलौर के लिए एसी-2 टीयर टिकट बुक करता हूं, जब मैं बंगलौर के लिए दिल्ली से रेलगाड़ी लेता हूं तो आरक्षण के लिए नॉन-बोर्डिंग अधिभार लगता है। नॉन-बोर्डिंग अधिभार लगाया जाएगा।

ऐसी चौथी युक्ति मालभाड़े का वर्गीकरण और सामान का वर्गीकरण थी। अपने बजट में लाइनों, विद्युतीकरण, माल भाड़ा दरों इतयदि की स्वीकृति हेतु आप संसद में आती हैं। परन्तु सामानों के वर्गीकरण के संबंध में क्या होता है? सामानों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। श्रेणी ''ए'' ''बी''' और ''सी'''। यह वर्गीकरण बदल दिए गए हैं। उदाहरण के लिए, उर्वरक जिसे श्रेणी ''सी'' में वर्गीकृत किया जाता था को अचानक श्रेणी ''ए'' में

वर्गीकृत किया गया। जिसके परिणामस्वरूप 350 से 400 रु. अधिक का भुगतान करना पड़ा। स्वाभाविक है कि रेलवे की आय और रेलवे के प्रोद्भवन में वृद्धि हुई है। इसका अर्थ है कि अर्थव्यवस्था में वास्तविक सुधार किये बिना, सेवाओं में या गुणवत्ता में सुधार किए बिना केवल इन आंकड़ों के हेरफेर के कारण रेलवे अधिक राजस्व प्राप्त कर सकती है। इसे अधिक प्रोदभवन प्राप्त होते हैं।

इसलिए मेरा माननीय रेल मंत्री से अनुरोध है कि यह सब श्वेतपत्र का भाग बनें। देश को पूरी जानकारी होनी चाहिए। मेरे कुछ मित्रों को संदेह है कि क्या हम चालू वर्ष के बजट पर चर्चा करते समय विगत वर्ष या पिछले वर्ष के बजट के बारे में चर्चा कर सकते हैं। मैं महसूस करता हूं कि सरकार एक सतत एजेन्सी है। नि:संदेह, रेलवे सबसे बड़ा परिवाहक, सबसे बड़ा नियोक्ता है और देश में इसका सबसे बड़ा नेटवर्क है। इसलिए इसका प्रभाव पड़ेगा। यदि आप 2020 विजन चाहते हैं, तो हमें विगत बजट देखने की आवश्यकता है। इसीलिए माननीय रेल मंत्री ने श्वेत पत्र के बारे में उल्लेख किया है। मुझे यह ज्ञात नहीं है कि पिछले पांच वर्षों या दस वर्षों के रेल बजटों को देखे बिना या मात्र वर्तमान वर्ष के बजट को ही देखकर माननीय संसद को श्वेत पत्र कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है? इसलिए यह कार्यवाही काफी आवश्यक है।

रेलवे में दो प्रकार के कार्यकलाप हैं। एक ''कोर'' कार्यकलाप और अन्य ''गैर-कोर'' कार्यकलाप। प्रचालन, सुरक्षा, यात्री सुविधाएं, अवसंरचना जैसे कार्यकलाप ''कोर'' कार्यकलाप के अंतर्गत आते हैं। मैं रेल मंत्री से ''कोर'' कार्यकलापों पर ध्यान केन्द्रित करने का आग्रह करता हूं। दुर्भाग्यवश, इस रेल बजट में ''गैर-कोर'' कार्यकलापों जैसे चिकित्सा कॉलेज, नर्सिंग कॉलेजों को खोलने फुटबॉल स्टेडियम बनाने, विद्युत संयंत्र स्थापित करने इत्यादि पर अधिक बल दिया गया है। आप इन सभी कार्यों को बाह्य एजेंसियों से करवा सकते हैं। कोई भी ''गैर-कोर'' कार्यकलाप बाह्य एजेंसी से करवाया जा सकता है क्योंकि वर्तमान में यह ग्लोबल मॉडल है। उदाहरण के लिए नागर विमानन में सिटी साइड और एअर साइड होती है जहां ट्रैफिक प्रबंधन जैसे रडार इत्यादि का प्रबंधन सरकार और संबंधित कंपनी द्वारा किया जाना होता है। यह इसलिए क्योंकि यह ''कोर''' कार्यकलाप है। सिटी साइड पर यात्री सुवधिाएं, जैसे बिस्तर उपलब्ध कराना, कैंटीन, सफाई इत्यादि हैं। इन कार्यकलापों को बाह्य एजेंसियों से करवाया जा सकता है।

कम से कम पिछले दस से बारह वर्षों में प्रत्येक बजट में, मैं ऑप्टिक फाइबर विश्वव स्तरीय स्टेशन और बजट होटलों का उल्लेख सुन रहा हूं। पिछले बजट में, पूर्व रेल मंत्री ने कहा था कि 26 रेलवे स्टेशनों को वैश्विक मानकों के अनुसार विकसित किया जायेगा। अब माननीय मंत्री जी ने ऐसे पचास रेलवे स्टेशनों की सूची दी है। मुझे यह नहीं मालूम कि किन 26 रेलवे स्टेशनों ने विश्व स्तरीय ग्लोबल दर्जा प्राप्त कर लिया है। मेरे ख्याल से एक ने भी नहीं। इन्हें विश्वस्तरीय दर्जे तक विकसित करने के लिए यह कहा गया कि इनमें स्वचालित सीड़ियां, लिफ्ट, इंफोटेंट, इत्यादि होंगे। प्रत्येक प्रकार की सुविधा का उल्लेख किया गया था। श्री लालू प्रसाद द्वारा अपना अंतिम बजट प्रस्तुत करने के एक वर्ष या बारह माह बाद भी इस क्षेत्र में कोई कार्य नहीं हुआ है। अब मंत्री महोदया पचास विश्वस्तरीय रेलवे स्टेशनों की सूची के साथ आई है।

ऑप्टिक फाइबर के संबध में मेरा सुझाव यह है कि ऑप्टिक फाइबर को बिछाना रेलवे का ''कोर'' कार्यकलाप नहीं है। इसलिए इसे बाह्य एजेन्सी से करवाया जा सकता है। इसकी ग्लोबल निविदा दी जा सकती है रेलवे द्वारा 'राइट ऑफ वे' दिया जा सकता है। बजट होटलों की भी यही स्थिति है।

रेल मंत्री महोदया ने अपने बजट भाषण में सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी) का उल्लेख किया है। मंत्री महोदया रेल भूमि बैंक का निर्माण करना चाहती हैं। वह रेलवे के मुनाफे हेतु इस भूमि बैंक का लाभ उठाना चाहती हैं। मैं उनको केवल आगाह करना चाहता हूं कि इसे ''निजी पार्टी लाभ'' उद्यम न बनने दिया जाए। माननीय मंत्री महोदया ने सिंगूर और नंदीग्राम के मामले में लड़ाई लड़ी है। उस दिन रेल बजट प्रस्तुत करते समय वह ''सामाजिक व्यवहार्यता'' अर्थात् ''आर्थिक व्यवहार्यता'' के बारे में बोल रही थी। रेलवे की भूमि देश के मुख्य क्षेत्रों में स्थित है। यह राज्य की राजधानियों जैसे, मुम्बई, बंगलौर और चेन्नै में स्थित हैं। इसलिए यह निजी लोगों के लिए एक लाभ कमाने वाला उद्यम नहीं बनना चाहिए। इसलिए मेरा सुझाव है कि जब आप लोग चाहते हैं कि पी.पी.पी. मॉडल पर आगे काम जारी रहे तो माननीय मंत्री महोदया एक स्वतंत्र नियामक गठित करें।

कुमारी ममता बनर्जी: श्री अनंत कुमार जी आपने 'मुख्य' क्रियाकलापों की बात की। हमने पहले ही 'मुख्य' पर जोर दिया है। हमने पहल शुरू कर दी है। ऐसा पहली बार हुआ है कि एक निगरानी तंत्र विकसित किया गया है। उस बात का ध्यान रखने के लिए एक अतिरिक्त अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। आप पी.पी.पी. मॉडल की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम जमीन बेच रहे हैं। मेरा मानना है कि रेलवे की मुख्य परिसम्पत्ति उसकी सम्पत्ति है अर्थात भूमि बैंक है। बहुत सी सम्पत्तियां हैं लेकिन रेलवे की जमीन रेलवे की परिसम्पत्ति है। केवल यात्री भाड़े से पैसा कमाने के लिए रेलवे पर दबाव बनाना रेलवे की सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। मैं समझती हूं कि यदि उस जमीन का उपयोग किया जाए तो यह अच्छा रहेगा। जमीन को बेचने के बदले हम इसे

[कुमारी ममता बनर्जी]

पट्टे पर दे सकते हैं। हमने इसके लिए एक खाका भी तैयार किया है। रेलवे के पास 3 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन है। हमारा मतलब रेलवे की आधारभूत संरचना को बेचना नहीं है, हमारा संगठन ज्यों का त्यों बना रहेगा। मैं यह काम बाहरी एजेंसियों से नहीं कराऊंगी। मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं और पूरे सदन को आश्वासन दे सकती हूं कि रेलवे कर्मचारियों को इस बात का गर्व है कि हमारे यहां 14 लाख कर्मचारी हैं और मुझे इस बात का भी गर्व है। हम इस क्षेत्र को निगमित नहीं करेंगे। लेकिन केवल पैसा कमाने के लिए तथा सरकारी-निजी-सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए हम भूमि बैंक से अपनी जमीन समर्पित मालढुलाई गलियारा को देंगे ताकि पश्चिमी गलियारे के बाद पूर्वी गलियारे और उसके बाद दक्षिणी गलियारे तथा दक्षिण केन्द्रीय गलियारे से भारत अधिक से अधिक आधारभूत संरनचा सुविधाओं का निर्माण कर सके तथा करोड़ों लोगों को रोजगार दे सके ताकि नये भारत के चेहरे पर मुस्कान हो और यह तरक्की करे। यही हमारा इरादा है। *...(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमार: ममता जी, आपके बजट में चर्चा है कि आप विभिन्न रेलवे स्टेशनों के मुख्य स्थलों को बाहरी एजेंसियों को दे रही हैं। *...(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी: आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। मैं इसे केवल स्पष्ट करना चाहूंगी क्योंकि संप्रग की अध्यक्ष यहां उपस्थित है और विपक्ष के नेता भी यहां मौजूद हैं। यदि आप विश्वस्तरीय स्टेशन बनाना चाहते हैं तो यह तभी एक विश्वस्तरीय स्टेशन होगा यदि वहां पर्याप्त आधारभूत संरचना हो। इस प्रकार केवल आंतरिक संसाधनों से हम धन नहीं जुटा सकते हैं, हमें बाहर से प्राप्त धन भी खर्च करना पड़ेगा। इसलिए रेलवे एक कोर ग्रुप बना रहेगा। बाहरी कोर ग्रुप जिसे आपने सरकारी-निजी भागीदारी कहा है के माध्यम से हम इसे कर सकते हैं। इस प्रकार अवसंरचना का निर्माण होगा और राष्ट्रहित में रेलवे को हम बचा पाएंगे। इसमें कोई समस्या नहीं है। हम इसे बेच नहीं रहे हैं, यह पट्टे पर हैं।

श्री अनंत कुमार: आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हम सरकारी-निजी-भागीदारी के खिलाफ नहीं हैं। इसके साथ ही मेरी आपसे एक मात्र यही प्रार्थना है कि आप परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन के लिए एक स्वतंत्र नियामक गठित करें। इसका कारण है कि जब मैं मालभाड़े के वर्गीकरण के बारे में बोल रहा था तो इसका वर्गीकरण माननीय रेल मंत्री महोदया द्वारा नहीं अपितु अधिकारी द्वारा किया गया है। आपको पता है कि वर्गीकरण कैसे किया जाता है, कैसे इसे 'ए' से 'बी', 'बी' से 'सी' में बदला जाता है और उसमें क्या होता है। इसलिए इस परिसम्पत्ति के मामले में भी यही बात नहीं होनी चाहिए। इसलिए, सरकारी-निजी भागीदारी के लिए मैं आपसे एक स्वतंत्र नियामक नियुक्त करने की बात कर रहा हूं।

ममता जी, अब हम विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं की चर्चा करें जिसे आपने इस रेल बजट में शुरू किया है। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि आपने इस रेल बजट को बंगाल का चुनावी घोषणा-पत्र बना दिया है।

[हिन्दी]

'सारा बंगाल बाकी सब कंगाल' *...(व्यवधान)* मैं कोलकाता और इसके उपनगरीय आदर्श स्टेशनों के नाम पढ़ूंगा। जितने आदर्श स्टेशनों की आपने घोषणा की है उसमें से 40 स्टेशन केवल कोलकाता में हैं। मैं बेलीगुंग से बेलूरघाट से बेडिल का नाम पढ़ रहा हूं। *...(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी: मैंने सैकड़ों स्टेशनों के लिए विकल्प खुले रखे हैं। मैं संसद सदस्यों के स्टेशन को चिन्हित नहीं कर सकती। इसलिए वे अपना सुझाव दे सकते हैं और मैं उन्हें सम्मिलित करूंगी। उसके लिए उसमें प्रावधान है।

श्री अनंत कुमार: ममता जी, आपने 309 आदर्श स्टेशनों की घोषणा की है। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कुमारी ममता बनर्जी: दस लाख या बीस लाख से क्या होता है? ये तो छोटी-छोटी चीज हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अनंत कुमार: इन 309 स्टेशनों में से 40 कोलकाता में हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: अनंत कुमार जी, कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें। मेरा सुझाव है, आपस में बातचीत करने के बजाए, मैं सोचती हूं कि, आपको अध्यक्षपीठ को संबोधित करना चाहिए।

...(व्यवधान)

श्री जे.एम. आरून रशीद (थेनी): महोदया, यदि आप पहले वक्ता को 45 मिनट बोलने की अनुमति दे रही हैं तो अन्य दलों के सदस्यों को बोलने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलेगा।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: अब आप समाप्त करिए।

[अनुवाद]

श्री अनंत कुमार: महोदया, कोलकाता के 40 स्टेशन हैं, 309 में से 97 स्टेशन बंगाल के है। *...(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी: मैं आपके स्टेशन को भी सम्मिलित करूंगी। सदस्य जो भी सुझाव देंगे, मैं उन्हें सम्मिलित करूंगी। मैं आपके स्टेशनों भी चिन्हित करूंगी। *...(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमार: महोदया, रेल मंत्रालय का काम है कि वह यह तय करे कि किस स्टेशन को आदर्श स्टेशन और किसे विश्वस्तरीय स्टेशन बनाया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद: मैडम, गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए, वर्ल्ड क्लास स्टेशन, मॉडल स्टेशन देश भर का कंसैप्ट है, यह एक कंसैप्ट है, सोच है। यह इम्पलीमैन्ट नहीं होना है। मेरे समय में भी हुआ, बहुत कोशिश की। सैकिंड फेज में पटना ही था। अब कुमारी ममता बनर्जी ने कोलकाता की बात की है, इससे आपको चौंकना नहीं चाहिए, यह बनना तो है नहीं। *...(व्यवधान)*

श्री अनन्त कुमार: व्हाइट पेपर के बारे में यानी अपने बारे में किया *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: प्लीज आप बैठ जाइए। अब आप बैठ जाइए। वह पूर्व मंत्री हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए।

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ **ललन सिंह:** जैसे इन्होंने कहा कि पटना को वर्ल्ड क्लास स्टेशन बना देंगे। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: श्री अनंत कुमार, आप लगभग 40 मिनट तक बोल चुके हैं। कृपया अब अपना भाषण समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

श्री अनंत कुमार: मैडम, मैं जल्दी फिनिश करना चाहता हूं। लेकिन मुझे बोलने ही नहीं दे रहे हैं। कांटीन्युअसली ममता जी इंटरवीन कर रही हैं, पूर्व रेल मंत्री, लालू जी इंटरवीन कर रहे हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित कीजिए और अपना भाषण समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

श्री अनंत कुमार: आडवाणी जी कह रहे हैं कि लालू जी के स्टेटमैन्ट के बाद, स्वीकृति के बाद इस पर डिबेट करने की कोई जरूरत ही नहीं है। *...(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर): कभी-कभी व्यक्ति जो कहता है, वह सही थोड़े ही होता है।

श्री अनंत कुमार: यानी लालू जी अपने सभी पुराने पांच बजटों के ऊपर प्रश्नचिन्ह लगा चुके हैं। ऐसे स्टेशंस बनने वाले नहीं हैं।

[अनुवाद]

महोदया, यह अति गंभीर मुद्दा है। गंभीर बात यह है कि पूर्व रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद यादव जी इस सम्माननीय सभा में प्रत्येक सदस्य के समक्ष एक वक्तव्य देते हैं कि यह केवल एक कोरा नारा है और कुछ नहीं होने वाला है। महोदया, पूरा देश हमारे बारे में क्या सोचेगा?

संप्रग की अध्यक्षा यहां उपस्थित हैं। इन्होंने पांच वर्षों तक इस देश पर शासन किया और श्री लालू प्रसाद यादव माननीय रेल मंत्री थे। यह गत पांच वर्षों में संप्रग सरकार के कार्यनिष्पादन की भी स्थिति बयान करता है *...(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): लालू जी, ममता जी के लिए नहीं बोल रहे हैं *...(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमार: गत पांच वर्षों में संप्रग सरकार ने केवल नारे लगाए हैं।

[हिन्दी]

आम आदमी को कुछ नहीं दिया, सिर्फ घोषणा करते रहे। कुछ नहीं बनाया, यह स्टेटमैन्ट उन्होंने दिया। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: कृपया अब आप समाप्त करें।

[अनुवाद]

श्री अनंत कुमार, आप 40 मिनट से अधिक समय तक बोल चुके हैं। कृपया अब अपना भाषण समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

श्री अनंत कुमार: वास्तव में माननीय प्रधान मंत्री, डा. मनमोहन सिंह जी ने लालू जी की तारीफ की है, इंडोर्स किया है। मुझे

[श्री अनंत कुमार]

कभी-कभी समझ में नहीं आता है कि डा. मनमोहन सिंह जी कैसे मंत्रियों को इंडोर्स करते हैं। यानी जिस मंत्री के बारे में वह इंडोर्समेन्ट देते हैं, उसके बारे में व्हाइट पेपर निकालना पड़ता है और दूसरे मंत्री के बारे में इंडोर्समैन्ट देते हैं तो उनके बारे में स्पैक्ट्रम के स्कैम में सी.वी.सी. का इन्वैस्टिगेशन शुरू हो जाता है। सी.वी.सी. उनसे क्वैश्चन कर रही है और थर्ड सिविल एविएशन मिनिस्टर के बारे में इंडोर्समैन्ट देते हैं तो आज एयर इंडिया ब्लीड कर रही है। यानी यूपीए को अपने पिछले पांच साल के कार्यकाल के बारे में सोचना चाहिए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री जे.एम. आरून रशीद: महोदया, इस समय यह जो कुछ बोल रहे हैं वह प्रासंगिक नहीं है।

श्री अनंत कुमार: यह पूरी तरह से प्रासंगिक है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्य, कृपया उन्हें बीच में मत टोकिए।

श्री अनंत कुमार: मेरा रेल मंत्री से एकमात्र अनुरोध है कि भारत बंगाल नहीं है। हम बंगाल के विरुद्ध नहीं हैं परंतु यदि वह 309 में से 109 आदर्श रेलवे स्टेशन केवल कोलकाता और बंगाल को देती हैं तो देश के अन्य भागों का क्या होगा? मंत्री महोदया को सिफारिशें देना माननीय सांसदों का कार्य नहीं है। हम आमान परिवर्तन, नई रेल लाइनें बिछाने, नई ट्रेन चलाने और अन्य कार्यों के लिए अपनी सिफारिशें देंगे। परंतु रेलवे के बारे में क्या विचार है? क्या यह देखने के लिए कोई तकनीकी-व्यावहार्यता अध्ययन तकनीकी-आर्थिक अध्ययन कर रहा है कि कौन से स्टेशन को लिया जाना चाहिए और उन्हें कब लिया जाना चाहिए।

मैं ऐसा किसलिए कर रहा हूं। कभी-कभी मैं ऐसा महसूस करता हूं कि

[हिन्दी]

''घोषणा करिये और भूल जाइए''

[अनुवाद]

रेल बजट का सार है। पिछले वर्ष 75 नई ट्रेनों की घोषणा की गई थीं। मैं चाहता हूं कि इससे संबंधित स्थिति पर दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए कि कितनी नई ट्रेन चलाई गई हैं। इन 75 ट्रेनों में से छह ट्रेन आमान परिवर्तन की प्रतीक्षा कर रही हैं।

[हिन्दी]

जब आमान परिवर्तन नहीं होता है तो गाड़ी कैसे चल सकती है, ऐसी घोषणा लालू जी ने की है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

ट्रेन सं. 6515/6116, यशवंतपुर-मंगलौर इसका स्पष्ट उदाहरण है। इस ट्रेन की वर्ष 2005-06 में घोषणा की गई थी।

[हिन्दी]

अभी शुरू नहीं हुआ। 2005 में कहा, 2006 में कहा, 2007 में कहा और 2008 में कहा।

[अनुवाद]

ममता जी, पिछले रेल बजट में उन्होंने 37 नई लाइनों के सर्वेक्षण की घोषणा की थी और इस रेल बजट में 53 नई लाइनों के सर्वेक्षण की घोषणा की गई है। कुल मिलाकर, 90 रेलवे सर्वेक्षण लंबित हैं। ये सर्वेक्षण कब किये जाएंगे। मेरे एक मित्र का कहना है कि

[हिन्दी]

लास्ट ईयर का मत देखो, आगे का देखते रहो, होगा कुछ नहीं।

महोदया, आमान परिवर्तन के संबंध में वर्ष 2008-09 में रेल मंत्री ने देश के 16 खंडों से संबंधित 2150 किलोमीटर के आमन परिवर्तन के कार्य को पूरा करने हेतु लक्ष्य निर्धारित किया था। परंतु आज क्या स्थिति है?

महोदया मैं अन्य के माध्यम से माननीय मंत्री जी के ध्यान में यह बात लाना चाहूंगा कि इन 16 खंडों में से आठ खंडों का उल्लेख इस रेल बजट में भी किया गया है। इनकी इस बजट में पुनरावृत्ति की गई है। मैं इसे आपके फायदे के लिए पढ़कर सुनाऊंगा और मंत्री महोदया आप इसकी इस बार भी घोषणा कर रही है। ये खंड: पंडरपुर-मिराज-लातूर, मथुरा-अचनेरा, औरिहर-जौनपुर, फकीरग्राम-हुब्री; मदनपल्ली रोड-धर्मवरम ऑफ धर्मवरम-पकाला; अजमेर-कुलेरा; बिदादी-सनदरी, वनसलेजर-जतलेर हैं। ये सभी आठ खंड पिछले वर्ष के बजट में भी थे।

श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी (अनन्तपुर): इन सभी परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है। धर्मावरम-पकाला आमान परिवर्तन पयिोजना में भी चल रही है। *...(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमार: लेकिन उनकी घोषणा नई परियोजनाओं के रूप में की गई है *...(व्यवधान)* मैं रेल बजट की प्रति पढ़ रहा हूं। उन्होंने उनकी घोषणा नई परियोजनाओं के रूप में की है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्य, कृपया बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: अनंत कुमार जी, आप कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

श्री अनंत कुमार: दोहरीकरण के संबंध में, परिणामी बजट के अनुसार 2007-08 में 500 किलोमीटर के दोहरीकरण का अनुमान था। लक्ष्य क्या था? लक्ष्य 1,000 किलोमीटर था। लेकिन कितने किलोमीटर का दोहरीकरण किया गया? केवल 363 किलोमीटर।

बिहार के मेरे मित्र यहां मौजूद नहीं हैं। मैं चाहता हूं कि वे 'लेखा जोखा' रखें।

[हिन्दी]

लेखा-जोखा करिये। लालू जी ने पिछले पांच सालों में बिहार के लिए 55 हजार करोड़ रुपये का इनवैस्टमेंट का और 77 ट्रेनों का ऐलान किया। इतनी ट्रेनें आयीं या नहीं, मैं नहीं जानता क्यों उन्होंने कह दिया है कि कुछ होने वाला नहीं है।

लेकिन आप महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, झारखंड, हिमाचल और अन्य प्रदेशों को अनदेखा कर रहे हैं। आप रेलवेज को ईस्ट इंडिया कंपनी मत बनाइए। मुझे यह लग रहा है कि आप रेलवेज को ईस्ट इंडिया कंपनी बना रहे हो।

[अनुवाद]

महोदया, हम चाहते हैं कि भारत के पूर्वी हिस्से का विकास हो, बंगाल का विकास हो, बिहार का विकास हो और पूर्वोत्तर का विकास हो।

महोदया, रेलवे एक अखिल भारतीय परिवहन संगठन है। इसका दृष्टिकोण और इसके कार्य अखिल भारतीय होने चाहिएं। लेकिन हमारा राष्ट्रीय दृष्टिकोण नहीं है। हमारे पास कोई राष्ट्रीय योजना अथवा राष्ट्रीय दृष्टिकोण नहीं है।

अंत में, महोदया, यह मेरा एकमात्र अनुरोध है। मैं कर्नाटक से हूं, मैं बंगलौर से हूं। ममताजी ने नई रेलगाड़ियों की घोषणा की है। उन्होंने इसे 'दुरन्तो' नाम दिया है। कम से कम मेरी मातृभाषा, कन्नड़ में तो 'दुरन्तो' का अर्थ है 'त्रासदीपूर्ण'। *...(व्यवधान)* 'दुरन्त' का अर्थ है त्रासदी। मैं इसे 'तुरन्त' मानता हूं। *...(व्यवधान)* लेकिन बंगलौर से ये गाड़ियां अब तक आरंभ क्यों नहीं की गईं? *...(व्यवधान)* बंगलौर-हैदराबाद, बंगलौर-चेन्नै, बंगलौर-दिल्ली आदि कोई गाड़ी नहीं चल रही है। *...(व्यवधान)*

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): कौन सी कन्नड़ भाषा में यह अर्थ है? *...(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमार: 'दुरन्त' का अर्थ है त्रासदी। हम कोई त्रासदी नहीं चाहते हैं। *...(व्यवधान)*

श्री के.एच. मुनियप्पा: कन्नड़ के अधिकतर शब्द संस्कृत से लिये गये हैं। वे बिलकुल स्पष्ट हैं। यदि आप कन्नड़ में भी बोलें तो 'तुरन्त' का अर्थ है तीव्र। आप कृपया इसे स्पष्ट कीजिए। आपका शब्दकोष कहां है? *...(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमार: महोदया, आप अपनी बजट की प्रति पढ़िए। बजट प्रति में आपने इसे 'दुरन्तो' लिखा है। *...(व्यवधान)*

श्री के.एच. मुनियप्पा: नहीं, यह सही नहीं है। *...(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमार: आपने 'तुरन्तो' नहीं लिखा है; यह 'दुरन्तो' है। *...(व्यवधान)* यह शब्द अक्षर 'द' से आरंभ होता है। *...(व्यवधान)*

श्री के.एच. मुनियप्पा: अभिव्यक्ति में अंतर है। कन्नड़ में भी तुरन्त का अर्थ 'तीव्र' है। इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। *...(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमार: यहां पर 'त' नहीं 'द' है। *...(व्यवधान)* इसे 'दुरन्तो' कहा गया है।

[हिन्दी]

कुमारी ममता बनर्जी: देखिए कोई वर्ड बंगाली में होता है, कोई वर्ड हिन्दी में होता है, कोई वर्ड उर्दू में होता है।

[अनुवाद]

सभी को सम्मिलित करना चाहिए; यह भारत है। *...(व्यवधान)*

श्री के.एच. मुनियप्पा: यह विशुद्ध संस्कृत शब्द है। *...(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमार: मेरी एकमात्र मांग यही है *...(व्यवधान)* मैं जानता हूं यह भारत है। आप इतने जोश से भारत की बात कर रही हैं। लेकिन आप केवल बंगाल के बारे में सोच रही हैं। *...(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी: आप बंगाल के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं? मैं बंगलौर के बारे में भी सोच रही हूं। *...(व्यवधान)* मैं आपकी ओर से भी सोच रही हूं।

अध्यक्ष महोदया: श्री अनंत कुमार, कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

...(व्यवधान)

श्री अनंत कुमार: आपको बंगाल के लिए चुनाव घोषणापत्र अथवा चुनाव बजट प्रस्तुत नहीं करना है। *...(व्यवधान)*

श्री जे.एम. आरून रशीद: अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य को अध्यक्षपीठ को संबोधित करना चाहिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: श्री अनंत कुमार, कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें। अब कृपया अपना भाषण समाप्त करने का प्रयास करें। आप काफी देर तक बोल चुके हैं। कृपया अब अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री अनंत कुमार: महोदया, मेरा सिर्फ यह अनुरोध है कि माननीय रेल मंत्री पूरे देश की रेल मंत्री हैं। वे बंगाल की रेल मंत्री नहीं हैं। *...(व्यवधान)* उनके मन में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनने की आकांक्षा हो सकती है। हम इसका समर्थन करेंगे क्योंकि हम साम्यवादी नहीं चाहते हैं। वह एक अलग मुद्दा है। लेकिन आप समस्त भारत के लिए कार्य करिए। आप संपूर्ण भारत की मंत्री बनिए। आप भारत के बारे में सोचिए। *...(व्यवधान)* आप बंगाल तक सीमित होकर भारत के बारे में सोचें यह नहीं चलेगा। *...(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी: क्यों नहीं? मैं बंगलौर के बारे में भी सोचती हूं। आप बंगाल की बात क्यों कर रहे हैं? *...(व्यवधान)* आप अपने बंगलौर के बारे में क्यों बोल रहे हैं? *...(व्यवधान)* मुझे बंगलौर से प्रेम है। मेरे राज्य का अनादर न करें। मैं आपके राज्य का सम्मान करती हूं, मैं भारत का सम्मान करती हूं। बंगाल का अनादर नहीं करें *...(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमार: महोदया, मुझे बंगाल से प्रेम है, विवेकानंद से प्रेम है, रवीन्द्रनाथ टैगोर से प्रेम है, मुझे वन्दे मातरम से ममता जी से ज्यादा प्रेम है जितना प्रेम ममताजी को इनसे है उससे कहीं ज्यादा मुझे है। लेकिन, इसके साथ ही, कर्नाटक का अनादर न करें, महाराष्ट्र अथवा मध्य प्रदेश का अनादर न करें। *...(व्यवधान)* सौतेला व्यवहार न करें। *...(व्यवधान)* आप भारत से प्रेम करें। भारतीय बनिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

श्री अनंत कुमार: अन्य राज्यों के साथ सौतेला व्यवहार मत कीजिए। *...(व्यवधान)* अपने सौतेले व्यवहार से अन्य राज्यों को अपमानित मत कीजिए।

अध्यक्ष महोदया: श्री अनंत कुमार, आप 50 मिनट बोल चुके हैं। कृपया समाप्त कीजिए। मैं अब दूसरे वक्ता को बुलाऊंगी।

श्री अनंत कुमार: महोदया, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मेरा सिर्फ इतना अनुरोध है कि कर्नाटक के साथ अच्छा बर्ताव नहीं हुआ है। हुबली-अंकोला रेल लाईन शुरू नहीं की गई है।

दूसरी बात, मैं चाहता हूं कि मैसूर-बंगलौर-तुमकूर कोरीडोर का निर्माण किया जाना चाहिए और यह दोहरी लाइन होनी चाहिए तथा इसका विद्युतीकरण होना चाहिए। *...(व्यवधान)*

श्री के.एच. मुनियप्पा: श्री अनंत कुमार, यह एक सम्माननीय सभा है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि इसकी शुरुआत राजग सरकार के शासनकाल में हुई थी। हुबली से अंकोला तेलगुप्पा से नागरा और मंगलोर से *...(व्यवधान)*

इन परियोजनाओं के संदर्भ में पर्यावरण संबंधी समस्या है।

श्री अनंत कुमार: महोदया, पर्यावरण से संबंधित कोई समस्या नहीं है। *...(व्यवधान)*

श्री के.एच मुनियप्पा: नहीं, यह बहुत स्पष्ट है कि समस्या है *...(व्यवधान)*

श्री अनंत कुार: यह एक पुरानी परियोजना है जिसकी परिकल्पना विश्वेश्वरैया ने की थी। *...(व्यवधान)* वास्तव में यह पूर्वी तट और मंगलोर को कारवाड से मंगलौर लाइन के साथ जोड़ने के लिए थी। *...(व्यवधान)*

श्री के.एच. मुनियप्पा: कर्नाटक की तीन परियोजनाओं के संदर्भ में पर्यावरण से संबंधित समस्या है। राज्य सरकार सहमत हो सकती है लेकिन उच्चतम न्यायालय ने एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति नियुक्त की है। आप इन सारी बातों से अच्छी तरह से परिचिति हैं। यदि उस समिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट नहीं दी है तो आप कोई कार्रवाई नहीं कर सकते और भारत सरकार भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती। निर्णय समिति को लेना है। उच्च शक्ति प्राप्त समिति द्वारा इन परियोजनाओं को अनुमति दी जानी है। केवल कर्नाटक में ही एसा नहीं होता है बल्कि सभी राज्यों में ऐसा है। जब तक ऐसा नहीं होता है, तब तक आप किसी परियोजना को शुरू नहीं कर सकते। *...(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमार: महोदया, वन और पर्यावरण मंत्री द्वारा अनुमति दी जानी है। वन और पर्यावरण मंत्री से उनको बात करनी चाहिए। कुमारी ममता बनर्जी को वन और पर्यावरण मंत्री से बात कर इस परियोजना के लिए अनुमति प्राप्त करनी चाहिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप 54 मिनट बोल चुके हैं। कृपया समाप्त कीजिए। अब मैं दूसरे वक्ता को बुलाऊंगी।

...(व्यवधान)

श्री अनंत कुमार: महोदया, उस परियोजना के लिए श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा अनुमति दी गई थी। *...(व्यवधान)* गुलबर्गा परियोजना को श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अनुमति दे दी थी। *...(व्यवधान)*

मेरा विरोध सिर्फ इस बात से है कि कुमारी ममता बनर्जी का रेल बजट राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य और दूरदर्शिता के मामले में भटक गया है। यह कोई चुनावी घोषणा-पत्र नहीं हो सकता। आजका दिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे बहुत दु:ख हो रहा है कि एक पूर्व रेल मंत्री जिन्होंने पांच वर्ष तक रेल को संचालित किया है, कह रहे हैं कि जो कुछ कहा है उस पर विश्वास मत कीजिए क्योंकि ऐसा होने वाला नहीं है। *...(व्यवधान)* हमारी माननीय रेल मंत्री कहती हैं कि यह केवल एक क्षेत्र विशेष के लिए है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: श्री अनंत कुमार, कृपया समाप्त कीजिए। अब मैं दूसरे वक्ता को बुला रही हूं।

...(व्यवधान)

श्री अनंत कुमार: महोदया, आपके माध्यम से माननीया रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि अब वे भी सुधार कर सकती हैं। उन्हें सुधार करने दीजिए और सभी राज्यों के साथ न्याय करने दीजिए और ऐसे जो 'जी.टी.' यानि गुमराह करने वाली चालें-जो इससे पहले थी।

[हिन्दी]

उन सबको हटा दें। मालभाड़ा और पैसेंजर भाड़ा कम करें, यात्रियों को सुविधाएं दें और रेलवेज को एक नैशनल पर्सपैक्टिव और नेशनल विजन दें, इतनी ही मांग मैं आपके द्वारा कर रहा हूं।

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर): माननीय अध्यक्ष महोदया, 2009-10 का रेल बजट जो कुमारी ममता बनर्जी ने प्रस्तुत किया है, उसकी चर्चा में भाग लेने के लिए आपने मुझे अनुमति दी, मैं इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं।

श्रीमती सोनिया जी के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन ने हमारे प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के प्रबंधन के अंतर्गत सरकार का गठन किया और सत्ता ग्रहण करने के पश्चात् कुमारी ममता बनर्जी ने अपना पहला रेल बजट प्रस्तुत किया है। वैसे तो इसी सदन में दो बार पहले भी उन्हें रेल बजट प्रस्तुत करने का मौका मिला था, लेकिन यह यूपीए सरकार जो पांच साल चलने वाली है, उसका पहला रेल बजट उन्होंने प्रस्तुत किया है। जहां तक मैं समझता हूं, पूरे देश ने इसकी सराहना की, सारे मीडिया ने इसकी सराहना की। औद्योगिक इकाइयों, व्यापारिक संस्थाओं, सभी ने इस बजट का समर्थन किया, उसको सराहा।

हमेशा रेल बजट ऐतिहासिक संदर्भ में, भूतकाल और वर्तमान को देखते हुए बनाया जाता है। इसके अलावा बजट में क्या होना चाहिए, इसको देखते हुए रेल बजट पेश होता है। पिछले पांच साल यूपीए की सरकार थी। उसमें श्री लालू प्रसाद रेलवे मंत्री थे। उन्होंने भी देश के सामने अच्छे बजट प्रस्तुत किए। उन्हें मैनेजमेंट गुरु की संज्ञा दी गई। उन्होंने पैसेंजर भाड़ा नहीं बढ़ाया, अपितु घटाया और विकासोन्मुख बजट दिए। ममता जी ने भी उसी परम्परा का पालन करते हुए बजट पेश किया है। मैं समझता हूं कि यदि लालू जी का वह एक्सप्रेस बजट था, तो ममता जी का यह सुपरफास्ट बजट है।

महोदया, अभी अनंत कुमार जी रेल बजट पर चर्चा कर रहे थे। वह मेरे पुराने मित्र हैं। पिछले दस-पन्द्रह सालों से हम साथ-साथ चल रहे हैं। मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि मैंने इस सदन में 27-28 बजट देखे हैं। मैं कांग्रेस के आशीर्वाद से इस सदन में सातवीं बार चुनकर आया हूं। जितनी सराहना इस बजट की हुई है, उतनी सराहना इसके पहले नहीं हुई है। उसके बावजूद इसमें खामियां निकालने का काम मेरे मित्र अनंत कुमार जी कर रहे थे, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। केवल विरोध के लिए विरोध करना प्रजातंत्र के लिए अच्छा नहीं है। कभी आप इधर थे और हम उधर थे। आपसे मुझे बड़ी अपेक्षा थी क्योंकि आपने बजट भाषण को इनीशिएट किया है। आपको कुछ अच्छे मुद्दे चर्चा में लाने चाहिए थे। लेकिन आपको लालू जी और ममता जी पर प्रहार करना था। आपको केवल यह कहना था कि पश्चिम बंगाल का बजट है।

महोदया, सरकार बने बहुत कम समय हुआ है और इतने कम समय में उन्होंने एक अच्छा बजट प्रस्तुत किया है, जिसकी सराहना हुई है। यदि आप भी सराहना करते तो अच्छा होता। अनंत कुमार जी आपने वर्ष 2006-07 के बजट भाषण को भी इनीशिएट किया था। मुझे ऐसा लगता था कि आप भी देश के बारे में सोचने लग गए हैं। पिछले बजट भाषण में आपने एक अच्छी बात की थी। आपने लालू जी के बजट भाषण को क्रिटीसाइज करते हुए कहा था, मैं कोट करता हूं-कल बजट भाषण में माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा था कि यूपीए सरकार के लिए तीन चीजें महत्वपूर्ण हैं, विकास, समानता और सामाजिक न्याय। लेकिन इस बार आपने उसका उल्लेख नहीं किया है। मुझे ऐसा लगता है कि आप सामाजिक न्याय के प्रति बड़े चिंतित थे। ममता जी ने जो बजट पेश किया है, उसमें सामाजिक न्याय की ही बात की है। इस

[श्री विलास मुत्तेमवार]

बजट में वह रेलवे मंत्री कम और सामाजिक न्याय मंत्री ज्यादा लगी हैं। आपने देखा होगा कि रेलवे मंत्री अपने बजट में केवल प्रस्तुतीकरण करने का काम करता है। लेकिन ममता जी ने इस सदन और पूरे देश के सामने एक सवाल किया था, जब वह बजट प्रस्तुत कर रही थीं। उन्होंने अध्यक्ष महोदया से एक प्रश्न पूछने की अनुमति मांगी थी। मैं कोट करना चाहूंगा-महोदया, इस सम्मानित सदन के समक्ष खड़ी होकर मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूं। क्या रेलवे की परियोजनाओं को आर्थिक व्यवहारिकता के पैमाने पर ही तौला जाए या फिर इन्हें सामाजिक दृष्टिकोण के पैमाने से भी देखा जाए? क्या विकास के लाभ कुछ सुविधा सम्पन्न लोगों तक ही सीमित रखे जाएं और हमारे देश के दूरदराज और पिछड़े इलाकों में रहने वाली अधिकांश जनसंख्या को इससे वंचित रखा जाए। हो सकता है कि ये परियोजनाएं आर्थिक पैमाने पर खरी न उतरती हों, परन्तु फिर भी वह पिछड़ेपन और गरीबी की मार झेलते क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए आवश्यक है। उनको इन परियोजनाओं की ज्यादा जरूरत है।

अब वक्त आ गया है कि उन्हें विकास में अपना हिस्सा मिलना चाहिए। मैं समझती हूं कि वह समय आ गया है जब हमारे अर्थशास्त्रियों और सामाजिक चिन्तकों को यह सोचना होगा कि गरीबों और पददलितों का उत्थान किसी भी समाज और सरकार का एक प्रमुख कल्याणकारी कार्य होना चाहिए और आर्थिक व्यवहार्यता की पुरानी सोच के बदले सामाजिक व्यवहार्यता की बात पर विचार किया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि इस सदन के माध्यम से ममता जी ने इस सदन को, सारी पोलिटिकल पार्टीज और देश को आह्वान किया है कि आने वाले दिनों में हमारी इस प्रकार से सोच होनी चाहिए। उन्होंने एक मानवीय चेहरे को सामने लाने की बात कही। यहां मुण्डे जी बैठे हैं, वे जानते होंगे कि हमारे महाराष्ट्र में एक बहुत बड़े संत हुआ करते थे, जिनका नाम संत तुकाराम महाराज जी था। जिनसे शिवाजी महाराज ने भी प्रेरणा ली थी, उन्होंने कहा था-''जेका रंजले गांजले, क्यासी महणे जो आपुले तोची साधु ओडखावा देव तेथेची जानाव।'' जो पिछड़े और उपेक्षित है, जिनके पास कुछ नहीं है, ऐसे लोगों को जो अपनाता है, वही साधु है और मैं समझता हूं कि वही ईश्वर की प्राप्ति है। आज से चार सौ साल पहले तुकाराम महाराज जी ने जो कहा था, मैं समझता हूं कि ममता बनर्जी जी ने उन्हीं कदमों पर चल कर काम करने की कोशिश की है।

माननीय अध्यक्ष महोदया, रेलवे पर हमें बड़ा गर्व है, यह कोई छोटा-मोटा अंडरटेकिंग नहीं है। वहां 14 लाख कर्मचारी काम करते हैं, 70 हजार किलोमीटर की रेलवे लाईन, कई स्टेशन और हर तरफ से डिमांड आती है कि मेरे यहां रेलवे लाईन लगनी चाहिए, रेल चलनी चाहिए। रेलवे की हमारे देश के विकास में बड़ी अहम् भूमिका है, इसलिए हर जगह से मांग आती है कि रेलवे लाईन बिछाओ और पिछड़ापन भगाओ। अपनी तरफ से लोग रेलवे लाईन की मांग करते हैं। अभी बात हो रही थी कि पिछले बजट में कुछ एनाउंस हुआ था, वह पूरा नहीं हुआ। एकाएक रेलवे लाईन नहीं बन जाती, ट्रेन शुरू नहीं होती, उसके लिए समय लगता है। सन् 2001 में जब एनडीए की सरकार थी तब रेलवे की तरफ पूरे हिन्दुस्तानियों, देशवासियों को देखने का क्या रवैया था। घाटे में चल रही रेल और उसके लिए संसाधन जुटाने के लिए एक कमेटी का गठन हुआ था और तब रेलवे का प्राइवेटाइजेशन करने की बात चल रही थी। उस घाटे की रेल को फायदे में लाने का काम और कोई भी भाड़ा न बढ़ाने की बात यूपीए के पांच साल के शासन काल में आई। लोगों का नजरिया बदल गया। *...(व्यवधान)* भाड़ा घटाया गया। *...(व्यवधान)* इसके लिए एक प्रतिबद्धता लगती है और प्रतिबद्धता ईमानदारी से आती है, कमिटमेंट से आती है और वह कमिटमेंट लगातार जारी है। अनंत कुमार जी यहां बैठे नहीं हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा, उनके साथी कृपया उन्हें समझा देंगे। वे बजट में कई बातें कह सकते थे, लेकिन उन्हें सिर्फ पोलिटिकल माइलेज लेना था, झगड़ा करने की बात थी। उन्होंने श्वेत-पत्र की बात की, वे जो पढ़ रहे थे। *...(व्यवधान)* उसके आगे भी पढ़ना चाहिए था, उन्होने सिर्फ अपने मतलब की भाषा को पढ़ा, उसके बाद *...(व्यवधान)*

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ **ललन सिंह** (मुंगेर): वह अच्छी बात बोले कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, श्वेत-पत्र ला रहे हैं। *...(व्यवधान)*

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन (भागलपुर): इन्हें तारीफ भी पसंद नहीं है। *...(व्यवधान)*

श्री विलास मुत्तेमवार: तारीफ ऐसी नहीं है। *...(व्यवधान)* वे कह रहे थे।

अपराह्न 2.00 बजे

[अनुवाद]

''मैं सभा को यह आश्वासन देना चाहती हूं कि रेलवे एक श्वेत पत्र जारी करेगा जिसमें पिछले पांच वर्षों के निष्पादन पर आधारित वर्तमान संगठनात्मक, प्रचालनात्मक और वित्तीय स्थिति को दर्शाया जाएगा तथा जो अल्पावधि तथा दीर्घावधि रणनीति के साथ ''विजन 2020'' विकसित करेगा तथा इसको प्राप्त करने के लिए कार्ययोजना बनाएगा।''

[हिन्दी]

आप यह पढ़ना भूल गए। श्वेत पत्र लाने की जो बात कही गई है, वह किसी को मद्देनजर रखते हुए या किसी को आइडेंटीफाई

करने के लिए नहीं कही गई है। रेलवे को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिस प्रकार से उन्होंने आर्थिक घोषणाएं की हैं, इस स्थिति में और क्या हो सकता है, इसके लिए वे श्वेत पत्र लाएंगी।

महोदया, यहां कई चीजों का जिक्र हो रहा था। मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूं। मैं ममता जी की प्रशंसा करूंगा। सारे हिन्दुस्तान ने उनकी प्रशंसा की है। किसी बजट में कुछ ही प्रमुख बातें होती हैं। किसी में पांच होती हैं, किसी में 10 होती हैं और किस में 15 होती हैं, लेकिन ममता जी के झोले से, जैसे वह जादू का झोला हो यानी उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये रेल बजट में 40 मुख्य बातें हैं। इनमें से क्या हाईलाईट करें, सभी बातें प्रमुख हैं। युवाओं के लिए स्पेशल रेल चलाने की बात कही गई है, वह भी एक मानवीय चेहरा है। महिलाओं के लिए अर्बन रेल चलाने की बात कही, वह भी एक मानवीय चेहरा है। किसानों के लिए उन्होंने स्पेशल मालगाड़ी चलाने की बात कही, जिसमें रेफ्रिजरेटर की व्यवस्था होगी। जिस स्टेशन से वह गाड़ी चलेगी, उस स्टेशन पर रैफ्रिजरेटर की व्यवस्था होगी, ताकि किसानों को अपना माल लाने-ले जाने और उचित दाम पर बेचने का मौका मिलेगा। देश की जरूरतों को देखते हुए, ममता जी ने इन सारी चीजों को करने की कोशिश की है। इसके बावजूद भी इस बजट को क्रिटिसाइज करना, मैं समझता हूं कि ठीक नहीं है।

महोदया, रेलवे के 14 लाख एम्पलॉइज हैं। हमेशा यह देखा जाता है कि काम करने वाले लोग उपेक्षित रहते हैं। उनकी तरफ देखा नहीं जाता है। ममता जी ने 14 लाख कर्मचारियों की तरफ देखने का काम किया है। अभी अनन्त कुमार जी कह रहे थे कि स्टेडियम की जो बात कही गई है, उसकी क्या जरूरत थी, आउटसोर्सिंग कर सकते हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि यह सारा उन कालोनियों में होगा, जहां रेलवे के एम्पलाईज रहते हैं। *...(व्यवधान)*

महोदया, 14 लाख कर्मचारियों के हित में, उनकी सुविधा का ध्यान रखते हुए, उन्होंने कई मुद्दों का जिक्र किया है, लेकिन आपको सिर्फ स्टेडियम दिखा। उनके बच्चों के लिए स्कूल बनाने की बात, उनके बच्चों को खेलने के लिए प्ले ग्राउंड बनाने की बात, उनके लिए अस्पताल बनाने की बात, उनके लिए घर बनाने की बात और वह भी हजारों की संख्या में, वह आपको नहीं दिखा। इसलिए मैं समझता हूं कि आपका संकुचित दायरा है और आप इस पर देश को गुमराह मत करिए।

महोदया, विश्वस्तरीय रेलवे स्टेशन बनाना, वक्त की जरूरत है। आज देश को अगर आगे ले जाना है और टूरिज्म का विकास करना है, तो विश्वस्तरीय स्टेशन बनाने होंगे। अब तक क्यों नहीं बने, उस डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता हूं और उसकी क्या हकीकत है, उसमें भी मैं नहीं जाऊंगा। क्या नहीं बनने चाहिए? मैं कहता हूं कि बनने चाहिए। ममता जी ने इसे आईडेंटीफाई किया और 26 से 50 रेलवे स्टेशनों को विश्वस्तरीय बनाने का निर्णय लिया गया है। यह वक्त की जरूरत है। यह काम भी पब्लिक प्राइवेट पार्टीसिपेशन में होने वाला है। रेलवे की जमीन पर, रेलवे स्टेशन को अपग्रेड करने का काम, उसे वर्ल्ड क्लास का बनाने का काम करने का सोचा गया है। इसका पूरे देश ने स्वागत किया है और हम सब को भी इसका स्वागत करना चाहिए। इसकी तरफ ध्यान देने की बात ममता जी ने की है। एक तो उन्होंने 50 मैट्रो स्टेशन बनाने की बात कही, दूसरी आदर्श स्टेशन बनाने की बात कही। मैं समझता हूं कि इन सारी चीजों की इस देश को जरूरत है। हमारे पैसेंजर जिस हालत में चलते हैं, उन्होंने उनको सहूलियतें देने की बात कही है।

अध्यक्ष महोदय, रेलवे की जमीन के बारे में, हमेशा से यह बात चल रही है। रेलवे के जो आयाम और कार्यक्रम ममता जी ने प्रस्तुत किए। उसके लिए जमीन का उपयोग होगा, क्योंकि और संसाधन जुटाने होंगे, हमारे पास फ्रेट से 67 परसेंट धन आता है, यात्री भाड़े से 25 परसेंट और बाकी अन्य स्रोतों से मिलता है। इससे हमारी कोई बचत नहीं होती। जितना पैसा आता है, उतना ही चला जाता है। केवल तीन प्रतिशत पैसा विकास कार्यों पर खर्च होता है, जिसमें नई रेलवे लाइन बिछाने का काम *...(व्यवधान)* नैरोगेज से ब्रॉडगेज करने का काम भी शामिल है। इसके लिए पैसे की जरूरत है। उसके लिए हमारे पास एक प्रीमियम वाली लैंड है, मैट्रो शहरों में बड़ी लैंड है और जगह-जगह पर रेलवे की लैंड है। एक तो उस पर अतिक्रमण हो रहा है, जो समाजकंटक हैं, वे लोग उस पर अतिक्रमण करते हैं, क्योंकि उस जमीन का उपयोग नहीं होता। उस जमीन का उपयोग होने के हिसाब से भी इस कार्यक्रम में इस लैंड का बैंक बनाकर उसका उपयोग कैसे हो, उस पर उन्होंने बात कही है। वह भी आनन-फानन में नहीं कही, उसके लिए एक समिति बनेगी, वह उसकी इकोनोमिक वायबिलिटी को टैस्ट करेगी। उसके बाद ही उस जमीन का विकास करने की बात इस बजट में उन्होंने कही है।

समर्पित माल यातायात गलियारा (फ्रेट कोरीडोर)-मैं समझता हूं कि यह एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आने वाले दिनों में रेलवे द्वारा होने वाला है। पहले भी इस प्रकार का कार्यक्रम जाहिर हुआ, अभी उसको डायमंड फ्रेट कॉरीडोर भी बोला गया है। इसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है। अभी इसकी शुरुआत हो रही है, अभी यह प्राथमिक अवस्था में है। मैं रेल मंत्री जी से केवल एक ही आग्रह करूंगा कि जो भी इस तरह के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम हैं, वे टाइम बाउंड फेज में होने चाहिए। टाइम बाउंड फेज में नहीं होने की वजह से उनकी कीमत बढ़ती है और लोगों का भी उसके प्रति जो आकर्षण है, वह कम हो जाता है और जिसके

[श्री विलास मुत्तेमवार]

लिए हमने यह बनाया है, उसका उस प्रकार से उपयोग नहीं होता। मेरा आग्रह है कि वे इस गलियारे की तरफ ध्यान दें और टाइम बाउंड प्रोग्राम के हिसाब से इस पर वे अमल कराये।

जैसाकि मैंने अभी भी कहा है कि रेलवे के अपने सीमित साधन हैं, जो फ्रेट में और यात्रीभाड़े से आते हैं, वे अपर्याप्त हैं। हर बार इस प्रकार संसाधनों से विकास की कोशिश हो रही है। सारे लोगों ने इस बजट को देने के लिये ममता जी की प्रशंसा की है। कुछ अच्छे, कंक्रीट सजेशन भी आए हैं, उसमें उन्होंने कहा है कि अगर कुछ परसेंट इन भाड़ों में वृद्धि भी होती है, भाड़ा बढ़ाया जाता है तो भी उससे किसी पैसेंजर पर या फ्रेट पर आघात नहीं होता। यह लोगों की मानसिकता भी है, क्योंकि लोगों को विकास चाहिए, लोगों को अच्छी ट्रेन चाहिए, लोगों को द्रुत गति से चलने वाली ट्रेन चाहिए और उसके लिए अगर कुछ बढ़ाया जाता है तो मैं समझता हूं कि उसमें कोई गलत बात नहीं है और उस दिशा में अगर प्रयत्न होते हैं तो देश उसका समर्थन करेगा।

मैं ममता जी का इसलिए भी धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने केवल 25 रुपये में सौ किलोमीटर तक असंगठित कामगारों को चलने के लिए एक मंथली पास देने की घोषणा की है। मैं समझता हूं कि पूरे देश ने उसका स्वागत किया है। जैसाकि मैं कह रहा था कि यह इस बजट का मानवीय चेहरा है। पहली बार इस प्रकार से उन लोगों को न्याय देने का काम किया है और मानवीय चेहरे को पहचानने का काम किया है। जिनकी आय 1,500 रुपये है, उन लोगों को यह सहूलियत प्राप्त होगी। अध्यक्ष महोदया, ऐसे कई आयाम हैं। इन्होंने नयी ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। कुछ लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, तो ...*(व्यवधान)*

श्री शरद यादव (मधेपुरा): आप विदर्भ के हैं, एक बार मेरी बात सुन लें, आपके काम की बात है। अध्यक्ष महोदया, ये विदर्भ के हैं और महाकौशल से जुड़ने वाली गोंदिया और जबलपुर की लाइन आपसे विस्मृत हो गयी। कितने वर्षों से उसका काम चल रहा है, लेकिन वह पूरा नहीं हुआ। ...*(व्यवधान)*

श्री विलास मुत्तेमवार: मैडम, नयी ट्रेनें चलाने की बात कही गयी है। मैं समझता हूं कि सांसद लोगों को आह्वान भी किया है कि अगर कहीं संभावना हो सकती है, तो उनके क्षेत्र में भी नयी ट्रेनें चलायी जाएंगी। शाहनवाज जी को इस बात से खुश होना चाहिए कि अभी तक विद्यार्थियों को रेलवे द्वारा जो कंसेशन दिया जाता था, उसमें हमारे मदरसे छूट गए थे, लेकिन इस बार उन्होंने मदरसों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भी स्टूडेंट कंसेशन दिया। आप उसकी चर्चा नहीं करते हैं। माइनोरिटीज को, हमारे अकलियतों को आपसे बड़ी अपेक्षा है, लेकिन आप उसकी चर्चा नहीं करते। आप जाकर पूछिए, उनके दिल में कितनी इज्जत यूपीए और ममता जी के लिए बढ़ गयी है। उन्होंने पहली बार मदरसों में पढ़ने वाले लड़कों को यह सुविधा दी है।

हमारे पत्रकार भाइयों को पहली बार एक सौगात मिली है। उन लोगों को हिंदुस्तान में अपना काम करने के लिए 50 प्रतिशत कंसेशन दिया गया है। वे अपने साथ एक बार अपने स्पाउस को अपने पति या पत्नी को भी ले जा सकते हैं। इस घोषणा का पत्रकार जगत ने स्वागत किया है। मैं रेलवे मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इस दायरे को थोड़ा बढ़ाने की जरूरत है। जहां आपने पति या पत्नी को रेलवे पास का सहयोग दिया है और उसको मंजूर किया है, तो मेरा निवेदन है कि जिनके दो बच्चे हैं, उनको भी यह सुविधा मिले, क्योंकि जब पति-पत्नी ट्रेवल करेंगे, तो बच्चों को छोड़कर नहीं करेंगे, इस वजह से आपका जो कंसेशन है, वह अधूरा रह जाएगा।

महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए कमांडोज की नियुक्ति करना-मैं समझता हूं कि यह कदम बड़ा सराहनीय है। रेलवे में ट्रेवल करते वक्त, असुरक्षा की मानसिकता बनती जा रही है, लेकिन इस दिशा में यह पहल अच्छी हुई है। मैं समझता हूं कि कमांडोज की जरूरत है और वह होना चाहिए। लंबी दूरी की जो ट्रेन्स हैं, पहली बार हर ट्रेन में डाक्टर की नियुक्ति करने का जो निर्णय है, मेरे विचार से बहुत आवश्यक था। कई बार एक्सीडेंट्स हुए, किसी की तबियत खराब हुई, किसी को मेडिकल असिस्टेंस की जरूरत हुई, लेकिन उन लोगों को मेडिकल असिस्टेंस न मिलने की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी। यह सुविधा होने से ऐसे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। मुश्किल-आसान नामक मोबाइल टिकट सेवा वैन की शुरुआत-मैं समझता हूं कि इससे भी लोगों को बड़ी राहत मिली है।

पांच हजार डाकघरों से भी टिकट बुकिंग की सुविधा-यह एक अच्छी घोषणा है। मोबाइल और टेलीफोन का नेटवर्क काफी बढ़ गया है जिससे अब बहुत कम लोग पत्र लिखकर डाकघरों का उपयोग करते हैं। अगर पोस्ट ऑफिस में भी इस प्रकार की सेवा शुरू हो जाती है, तो मैं समझता हूं कि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी इसका स्वागत करेंगे।

दो घंटे से अधिक यात्रा अवधि वाली ट्रेनों में पहले शौचालयों की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन आने वाले दिनों में इस प्रकार की व्यवस्था करने का ऐलान भी एक अच्छा कदम है।

दो सौ स्टेशनों पर स्वचालित टिकट वैंडिंग सुविधा, लम्बी दूरी की इंटर सिटी गाड़ियों में आन-बोर्ड सूचना एवं मनोरंजन सेवाएं, तीर्थ क्षेत्रों, पर्यटन स्थलों और औद्योगिक केन्द्रों में पचास रेलवे

स्टेशनों पर बहुउद्देशीय परिसरों का निर्माण-मैं समझता हूं कि इस रेल बजट की ये विशेषताएं हैं। इसे एक अच्छे परिप्रेक्ष्य में लेना चाहिए। यह विकासोन्मुख, रेलवे का संसाधन बढ़ाने वाला और रेलवे को आगे ले जाने वाला बजट है। इसलिए सबको इसका स्वागत करना चाहिए।

जैसे ममता जी ने खुले दिल से सबको कहा है कि यदि कुछ रह गया हो तो वे उसका समावेश करने की पूरी कोशिश करेंगी। महाराष्ट्र, विशेषकर मुम्बई जहां से 80 लाख लोग रोज लोकल ट्रेनों में जाते हैं और मुम्बई से एक-तिहाई रिवैन्यू आता है, लेकिन उसकी तरफ इस बार रेलवे बजट में ध्यान नहीं दिया गया है। कुछ प्रोजैक्ट्स बहुत दिनों से चल रहे हैं, मेरे कुछ साथी उस बारे में अपनी बात उठाएंगे। कुछ प्रोजैक्ट्स के लिए जो प्रोवीजन किया गया है, वह भी बहुत कम है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि मुम्बई की उपेक्षा न हो। मुम्बई को कुछ ट्रेनें देने का काम हुआ है, लेकिन वे अपर्याप्त हैं। हर कोई मुम्बई जाना चाहता है। ...*(व्यवधान)* मुम्बई में हर रोज उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और देश के दूसरे कोनों से पांच से सात लाख लोग आते हैं। वहां के लिए और ट्रेनें बढ़ाने की जरूरत है। वहां दो से तीन स्टेशनों के विस्तारीकरण का प्रोजैक्ट चल रहा है। उस पर भी धयान देने की जरूरत है। मुम्बई की उपेक्षा न हो, इस तरफ आपका ध्यान जाए, ऐसी मेरी आपसे अर्ज है। महाराष्ट्र में पुणे, औरंगाबाद, अमरावती, नागपुर की तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है।

मैं आपका आभारी हूं कि आपने नए प्रस्ताव में जो पिछली बार लालू जी ने नागपुर को वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन की लिस्ट में समावेश किया था। आने वाले दिनों में यह वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन उभरकर आए, उसके लिए आप उसे प्रॉयरिटी में लेंगे, क्योंकि नागपुर देश का हृदयस्थल है। आप जो फ्रेट कॉरीडोर की बात कर रहे हैं, लॉजिस्टिक की बात कर रहे हैं, उसमें यदि नागपुर को एक लॉजिस्टिक हब बनाएंगे, जैसे वहां इंटरनेशनल कारगो और पैसेंजर हब बन रहा है, वर्ल्ड क्लास हब वहां बन रहा है, अगर वहां रेलवे का हब बनता है तो वह नागपुर के लिए नहीं, विदर्भ के लिए नहीं, महाराष्ट्र के लिए नहीं बल्कि देश के लिए बहुत उपयुक्त होगा। मेरा आग्रह है कि इस दिशा में भी प्रयत्न किए जाएं। इसके साथ ही देश की जितनी मैट्रो सिटीज हैं, जैसे मुम्बई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, बंगलौर, हैदराबाद, इन शहरों को नागपुर से सीधा जोड़ने के लिए आज तक केवल मुम्बई के सिवाए वहां दूसरी कोई ट्रेन नहीं है। मैं समझता हूं कि इसकी बहुत जरूरत है। नागपुर बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। ममता जी, आप उस तरफ भी देखेंगी और नागपुर से मुम्बई के लिए, नागपुर से दिल्ली के लिए, नागपुर से चेन्नई के लिए, हैदराबाद, बंगलौर के लिए सीधी ट्रेन चलाने की कोशिश करेंगी।

नागपुर में जो वहां वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनने जा रहा है। मैंने पिछली बार भी आग्रह किया था और इस बार भी आग्रह करता हूं कि हमारे अजनी स्टेशन को वर्ल्ड क्लास रेलवे के रूप में विकसित किया जाये। दूसरा, मैं वित्त मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। जैसा कि मैं कह रहा था कि संसाधन जुटाना इतना आसान काम नहीं है और उसके लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजैक्ट और ब्रिज को फुलफिल करने के लिए टैक्स फ्री बांड देने की घोषणा वित्त मंत्री ने की है, जो आपके प्रयास से सार्थक होगी।

ममता जी, मेरा आपको एक सुझाव है कि आपने युवाओं की बात की, युवाशक्ति की बात की, तो युवा शक्तियों को देश के विकास में जोड़ने का प्रयास होने चाहिए और उसमें रेलवे मंत्रालय बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। मैं आपको साइबेरिया का एक उदाहरण देना चाहता हूं। वर्ष 1980 में एक डेलीगेशन में मुझे अर्मेनिया, रशिया में जाने का मौका मिला था। मैंने देखा कि साइबेरिया में दो हजार किलोमीटर की रेलवे लाइन बन रही है। वहां माइनस छः और सात टेम्प्रेचर के बीच युवाओं को आह्वान किया गया कि आप वहां आकर काम करें और इस रेलवे लाइन को पूरा करें। उन युवाओं ने वहां उस दो हजार किलोमीटर रेलवे लाइन को पूरा करने का काम किया और उन लोगों को सर्टीफिकेट दिया गया कि देश के लिए आपने यह काम किया है। मैं समझता हूं कि आज हमारे देश में ऐसे युवाओं की कोई कमी नहीं है, जो देश के लिए योगदान देना चाहते हैं। कई बार जब देश भक्ति की बात होती है, तो युवाओं को मिलिट्री की ट्रेनिंग देने की बात की जाती है। हम गांधी जी के सिद्धांत पर चलने वाले, शांति और अहिंसा में विश्वास रखते हैं। हम आतंकवाद का विरोध करते हैं। मैं समझता हूं कि युवाओं को ऐसी प्रवृत्ति से रोकने के लिए हम अगर ऐसी विधायी शक्तियों द्वारा उनका उपयोग करें, तो यह कारगर कदम होगा और मुझे आशा है कि उसके लिए आप कोशिश करेंगी, क्योंकि इस दिशा में बहुत पोटेंशियल है।

इसी के साथ, मैं ममता जी का फिर अभिनंदन करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि उन्होंने जो भी बातें इस बजट में कही हैं, एक इरादा तो उन्होने व्यक्त किया है, कम समय में ये सारी बातें करने के लिए उन्होने कहा है। उनका इरादा और जिस प्रकार से उनका स्वभाव है; वे पश्चिम बंगाल से आती हैं, पश्चिम बंगाल एक क्रान्तिकारी राज्य है और उस क्रान्तिकारी प्रदेश से क्रान्तिकारी बजट देने का काम और इस देश में रेलवे के माध्यम से क्रान्ति करने का काम ममता जी करेंगी, इस विश्वास के साथ उनको शुभकामना देते हुए और आपका आभार करते हुए, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: रेल बजट पर बोलने के लिए मेरे पास 80 से ज्यादा वक्ताओं की सूची है। जो अपना लिखित भाषण सभा पटल पर रखना चाहते हैं वे रख सकते हैं। उनके लिखित भाषण सभा की कार्यवाही में सम्मिलित किए जाएंगे।

[हिन्दी]

श्री रेवती रमन सिंह (इलाहाबाद): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे रेलवे बजट पर बोलने का मौका दिया।

अपराह्न 2.24 बजे

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

मान्यवर, रेल बजट को मैंने बहुत गौर से पढ़ा और देखा है। वैसे तो रेल बजट में पूरे देश के स्टेशन्स, रेलवे लाइन्स आदि बहुत सारी बातें की गयी है, लेकिन एक परम्परा सी बन गयी है कि जो मंत्री जिस प्रदेश का होता है, कुछ तो स्वाभाविक भी है, लेकिन यह देखा गया है कि ज्यादातर काम उधर ही होने लगता है।

लालू जी बिहार से हैं, इन्होंने भले ही पटना को एक वर्ल्डक्लास स्टेशन नहीं बनवाया हो, लेकिन जब मैं पटना गया तो मैंने वहां देखा कि प्लेटफार्म्स पर इन्होंने संगमरमर लगवाने का काम किया है। ऐसा शायद पटना के अलावा किसी अन्य रेलवे स्टेशन पर नहीं हुआ है। मैं पटना तक गया हूं, मैंने पटना में देखा है और उसी के बारे में बता रहा हूं। बहुत-सी जगहें मैंने देखी हैं जहां पर ऐसा नहीं है, जैसे दिल्ली में भी संगमरमर नहीं लगा है, जो कि देश की राजधानी है, लखनऊ में नहीं है, इलाहाबाद में नहीं है। मेरा कहना यह है कि कोई भी काम इस तरह से होना चाहिए कि वह पूरे देश में परिलक्षित हो।

इस रेल बजट में जहां ममता जी ने कई नई ट्रेन्स चलाने की घोषणा की है, मैं उसका स्वागत करता हूं। अभी माननीय सदस्य श्री अनंत कुमार जी कह रहे थे कि तुरन्ता शब्द का मतलब बहुत खराब होता है। उन्होंने पता नहीं किस डिक्शनरी में यह मीनिंग देखा है। मेरी जानकारी में तुरन्ता शब्द का अर्थ है जो तुरन्त होता है, फौरन या जल्दी से होता है। लेकिन जो कुछ मिलना चाहिए वह किसी प्रदेश की आबादी और क्षेत्रफल के हिसाब से मिलना चाहिए। लालू जी ने जो कुछ किया था उसमें से कितना क्रियान्वित हुआ है, यह मैं नहीं जानता हूं, लेकिन हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश और बिहार को जो मिलना चाहिए, वह नहीं मिला है। मैं उत्तर प्रदेश और बिहार पर आने से पहले, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर हम दुनिया के अन्य देशों से अपनी रेलवे का मुकाबला करें तो हमें समझ में आएगा कि हम कहां हैं। मैं अमरीका और यूरोप की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूर्वी एशिया की बात कर रहा हूं जहां पर चीन, कोरिया, जापान और मलेशिया जैसे तमाम ऐसे देश हैं जहां रेल चलती है। वर्ष 1967 में राजधानी ट्रेंस चलाई गयी थीं। तब राजधानी ट्रेन्स की स्पीड 135 किलोमीटर प्रति घंटा होती थी। आज वर्ष 2009 में, 21वीं सदी में भी हमारे यहां सबसे तेज चलने वाली ट्रेन राजधानी ही है जो अभी भी 135 किलोमीटर प्रति घण्टे की स्पीड से चलती है। अगर चीन में देखें तो वहां बुलेट ट्रेन्स 250-300 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती हैं, ऐसी ही ट्रेन्स कोरिया और जापान में भी चलती हैं। हमारे देश में इतना लम्बा अंतराल बीत गया। ठीक है कि ऐसी ट्रेन्स एक साथ पूरे देश में नहीं चलाई जा सकती हैं, तो क्यों नहीं हम छोटी-छोटी दूरियों के लिए ऐसी ट्रेन्स चलाएं-जैसे अगर मुंबई के लिए ऐसी ट्रेन न चल पाए तो 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर या 200 किलोमीटर तक ऐसी ट्रेन्स चलनी चाहिए। लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई प्रयास दिखाई नहीं देता है। यह इतना बड़ा देश है। रेलवे का मुकाबला हवाई जहाज से है। लोग हवाई जहाज से यात्रा न करें, ट्रेन से यात्रा करें, उसके लिए जब तक हम ट्रेन्स की रफ्तार नहीं बढ़ाएंगे, सुविधाएं नहीं बढ़ाएंगे, तब तक कोई क्यों ट्रेन से यात्रा करेगा? कोई भी उद्योगपति या जो बड़े लोग हैं, वे ट्रेन के बजाए प्लेन को प्रेफर करते हैं। मैं चाहूंगा कि आप देश में कहीं भी बुलेट ट्रेन चलाने का एक एक्सपैरिमेंट करें। पता नहीं क्यों इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई और क्या इसमें दिक्कत है। इस काम के लिए लाइन को अपग्रेड करना पड़ेगा, प्लेटफार्म के साथ लाइन को इस हिसाब से बनाना पड़ेगा कि उसके बीच में कोई अवरोध पैदा न हो, लेकिन इस बारे में कोई प्रयास तो होना चाहिए। मैं समझता हूं कि इस बारे में अभी तक कोई प्रयास नहीं किया गया है। पता नहीं 21वीं सदी में भी भारत में बुलेट ट्रेन चलेगी या नहीं, इसका कोई अंदाजा नहीं है और न ही इस बारे में कोई घोषणा की गई है।

उपाध्यक्ष जी, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आपने विद्युतीकरण का काम किया है, लेकिन अभी भी बहुत बाकी है। विद्युतीकरण होने पर प्रदूषण नहीं फैलता, जो डीजल और कोयले से चलने वाले इंजनों से पैदा होता है। वैसे अब देश में कोयले से इंजन नहीं चलते, लेकिन डीजल इंजन अभी तक चल रहे हैं और उससे प्रदूषण भी होता है। इसी तरह से आप स्टेशंस की हालत देखें। जैसा लालू जी ने कहा कि कभी हो नहीं पाएगा, अगर नहीं हो पाएगा तो फिर घोषणा क्यों की जाती है। इसलिए इस तरह की घोषणा नहीं हो तो बेहतर होगा। अगर उस पर अमल होना है तो

वह कब तक होगा, आदर्श स्टेशन और विश्वस्तरीय स्टेशन बनाने की कोई समय सीमा नहीं दी गई है। आपने इलाहाबाद को आदर्श स्टेशन और विश्वस्तरीय स्टेशन बनाने की श्रेणी में नहीं रखा है। इलाहाबाद बहुत महत्वपूर्ण स्टेशन है। उसने देश को पांच-पांच प्रधान मंत्री दिए हैं, लेकिन मुझे अफसोस है कि इलाहाबाद को न तो आदर्श स्टेशन और न ही विश्वस्तरीय स्टेशन बनाने की श्रेणी में रखा गया है। पता नहीं यह कहां फंसा है, इसकी मैं विवेचना या व्याख्या नहीं करूंगा। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि इलाहाबाद संगम की नगरी है। पूरे देश से हर साल माघ के मेले में लाखों यात्री आते हैं। जब कुम्भ का मेला लगता है, तब यहां करोड़ों लोग आते हैं। दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं हैं, जहां से लोग यहां न आते हों। मैं चाहूंगा कि इलाहाबाद के स्टेशन को अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन बनाया जाए। आपने इलाहाबाद स्टेशन को बहुउद्देशीय बनाने की बात कही है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इलाहाबाद में फाफामऊ से लेकर इलाहाबाद जंक्शन तक आपने डबल लाइन की बात कही है, उसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं। अगर यही रेल लाइन आगे जबलपुर तक जाए और उसका विद्युतीकरण कर दिया जाए तो उससे आवागमन की बहुत सुविधा होगी।

मैं रेल मंत्री जी से यह भी कहना चाहता हूं कि अगर बनारस से इलाहाबाद, इलाहाबाद से रायबरेली रेल लाइन को भी डबल कर दिया जाए तो ग्रांड ट्रंक की रेलगाड़ियों को काफी सुविधा होगी, क्योंकि अभी तक वह ट्रैक ओवर लोडेड हो जाता है, चोक्ड हो जाता है। डबल लाइन होने से रेलगाड़ियां वहां से जाने लगेलंगी, लेकिन उस काम पर कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है और न ही आपने उसकी कोई घोषणा की है। इलाहाबाद-लखनऊ के बीच मात्र 200 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन यह यात्रा करीब साढ़े पांच घंटे में पूरी होती है। अगर आप इसे कर देंगे तो करीब दो-सवा दो घंटे में लोग इलाहाबाद से लखनऊ पहुंच सकते हैं। इलाहाबाद से कानपुर के बीच एक इंटरसिटी चलाई जाए, क्योंकि इलाहाबाद से बहुत से लोग कानपुर जाते हैं, इससे उन्हें बहुत सुविधा हो जाएगी।

मान्यवर, इसी तरह से रेलवे ओवरब्रिज रामबाग का काम है, जिसकी घोषणा माननीय लालू जी ने की थी और कहा था कि हम पैसा दे रहे हैं, लेकिन वह आज तक नहीं बना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने मैचिंग ग्रांट नहीं दी। माननीय विजय बहादुर जी यहां बैठे हैं जो इलाहाबाद से ही हैं, हमीरपुर से एमपी हैं, ये अपनी सरकार पर दबाव डालें कि अपना मैचिंग ग्रांट दे दें तो नीचे से आने-जाने दोनों का रास्ता बन जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदयः माननीय सदस्य, आपके बहुत से लोग बोलने वाले हैं, इसलिए अब समाप्त करें।

श्री रेवती रमन सिंहः मान्यवर, हम समाजवादी पार्टी की तरफ से बोल रहे हैं, आप मना करेंगे तो हम बैठ जाएंगे।

उपाध्यक्ष महोदयः हम मना नहीं कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि आपके दो-तीन आदमी और हैं। अगर अकेले आपको बोलना है तो हमें कोई एतराज नहीं है।

श्री रेवती रमन सिंहः हमें बोलने दीजिए। आप पहले बता देते कि आप एक मिनट में खत्म कर दीजिए तो हम एक मिनट में समर्थन करके बैठ जाते। मान्यवर, हम पहली बार ऐसा देख रहे हैं। अभी तो हम उपनेता हैं, पहले जब नहीं थे तब भी 15-15 मिनट बोले हैं, आप रिकार्ड निकालकर देख लीजिए।

उपाध्यक्ष महोदयः हम आपको मना नहीं कर रहे हैं। समय के हिसाब से आपके 15 मिनट हैं। अगर आपको और लोगों को बुलवाना है तो अभी भाषण समाप्त करना होगा, अकेले बोलना है तो हमें कोई एतराज नहीं है। समय आपका बहुत है।

श्री रेवती रमन सिंहः मान्यवर, आपने कह दिया, बहुत है। इस पर दो दिन चर्चा होनी है और 10 घंटे का समय रखा गया है। आप उपाध्यक्ष हैं, आप देख लें, आपको समय बांटने में ज्यादा सहूलियत होगी। मान्यवर, इलाहाबाद की उपेक्षा न करें। कुछ सुझाव भी मैं अपनी तरफ से देना चाहता हूं। माननीया मंत्री जी जब सब सदस्यों के सुझावों को देखेंगी, तो मेरे सुझावों से उन्हें सुविधा होगी।

मान्यवर, टीएसएल पब्लिक सेक्टर की कंपनी है। उसमें पहले मालगाड़ी के वैगन्स की मरम्मत तथा मालगाड़ी के पहिये बनाए जाते थे। लेकिन 20 सालों से उसे काम नहीं दिया जा रहा है जबकि वही काम निजी क्षेत्रों को दिया जा रहा है। इस कारण वह रुग्ण हो गयी हैं। मैं माननीया ममता जी से चाहूंगा और यहां माननीय राज्य मंत्री जी भी बैठे हुए लिख रहे हैं, उनके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उन्हें काम दे दीजिएगा। अगर टीएसएल को मालगाड़ी के डिब्बा और पहिया बनाने का काम दे दिया जाए, ज्यादा न भी दें, अगर 40 प्रतिशत भी दे दें तो फिर से यह पब्लिक सेक्टर कंपनी रिवाइव हो जाएगी। इस कंपनी को स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने लगवाया था जोकि कांग्रेस के प्रधान मंत्री और रेल मंत्री रहे हैं। मुझे याद है कि वही एक रेल मंत्री हैं जिन्होने रेल एक्सीडेंट होने पर इस्तीफा दिया था। मैं चाहता हूं कि इसके बारे में भी आप विचार करेंगे और टीएसएल को रिवाइव कराने का काम करेंगे।

इलाहाबाद के रामबाग रेलवे स्टेशन का ज्यादा उपयोग नहीं हो पा रहा है, वहां 4-6 ट्रेन्स आती है, हम चाहते हैं कि इसका उपयोग किया जाए जिससे इलाहाबाद जंक्शन पर ट्रेनों की ज्यादा भीड़ न हो। जम्मू, मुम्बई, मद्रास, हैदराबाद, बंगलौर और अहमदाबाद के लिए इलाहाबाद से सीधी ट्रेन चलाने की भी मैं मांग करता हूं। जबलपुर से इलाहाबाद की रेलवे लाइन का विद्युतीकरण हो जाए तो इससे भी फास्ट लाइन मुम्बई तक जाने की व्यवस्था हो जाएगी।

[श्री रेवती रमन सिंह]

चित्रकूट लाइन का दोहरीकरण बांदा तक कर दिया जाए तो आम लोगों को बहुत फायदा होगा। लोडिंग-अनलोडिंग सेंटर का प्रस्ताव अभी जो माननीया रेल मंत्री जी ने रखा है उसमें इलाहाबाद को लोडिंग-अनलोडिंग की व्यवस्था के लिए नहीं कहा गया है। मैं चाहूंगा कि इसकी भी व्यवस्था जरूर हो जानी चाहिए।

महोदय, थर्ड कोरीडोर बनाने की बात की जाती है। लालू जी की इसकी घोषणा की थी। ममता जी ने भी इसकी बात कही है। यह थर्ड कोरीडोर कब तक बनकर तैयार हो जाएगा? इसका लक्ष्य कहां से कहां तक का है? इसके बारे में क्या आप कुछ बताएंगी? क्योंकि हर बार इसका उद्धरण देकर मेंशन कर देते हैं, थर्ड कोरीडोर। आज भी 67 फीसदी पैसा माल भाड़े से प्राप्त होता है। लेकिन उसे पूरा करने का क्या लक्ष्य है? वह कितने समय में पूरा होगा? इसकी भी चर्चा होनी चाहिए थी। बजट में इसका कोई उल्लेख नहीं है।

महोदय, गुना से इटावा तक की रेल माधवराव सिंधिया जी ने बीस वर्ष पहले शुरू की थी। रेलवे में एक परम्परा और है कि जो भी मंत्री आता है, वह कई रेलवे लाइनों की घोषणा कर देता है। लेकिन उनमें से कोई भी नहीं बनती है। जिन रेलवे लाइनों पर कार्य प्रारम्भ हो चुका है, पहले उन्हें पूरा किया जाना चाहिए। आप नई की घोषणा कीजिए, लेकिन पहले की घोषित लाइनों को भी पूरा करवाना चाहिए।

महोदय, रेलवे में खान-पान की व्यवस्था ठीक करवाई जानी चाहिए। रेल में बहुत ही खराब खाना मिलता है। कम से कम गर्म खाना तो दिया जाना चाहिए। स्टेशनों पर खुली थाली में खाना मिलता है। जिस पर मक्खियां भिनभिनाती रहती हैं और कुत्ता भी मुंह मार लेता है। उस खाने को ढक कर दिया जाना चाहिए और गर्मा-गर्म दिया जाना चाहिए। आपने खाने के बारे में कहा है, लेकिन वह तो देखने के बाद ही पता लगेगा कि वह कैसा होगा?

महोदय, पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आजाद जी ने इटावा से मसूरी तक की रेलवे लाइन का उद्घाटन किया था। इसी तरह से ललितपुर, सतना, रीवा, सिंगरौली, महोबा और खजुराहो की रेल लाइनों पर कार्य की गति बहुत धीमी है। इसको तेजी से बनाया जाए। मेरे भाषण में अन्य प्रस्ताव भी हैं, जिनको मैं आपकी आज्ञानुसार सभा पटल पर रखता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: आज्ञा नहीं है, आग्रह है।

श्री रेवती रमन सिंह: आप उपाध्यक्ष हैं, इसलिए मेरी यह जिम्मेदारी बनती है कि आपकी बात को उचित सम्मान दिया जाए। इसलिए आपकी बात मानते हुए मैं अपनी शेष स्पीच सभा पटल पर रखता हूं।

*हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जब इस सदन में रेल बजट प्रस्तुत किया गया तो अनेक लोक लुभावन घोषणाएं की गयीं। मैं समझता हूं कि पिछले कई रेल मंत्रियों की घोषणाओं की अगर समीक्षा की जाये तो हम यह पायेंगे कि उन घोषणाओं में से आधी पर अमल नहीं हुआ है। यहां तक कि इससे पहले ममता जी जब रेल मंत्री थीं तो उस वक्त की प्रस्तावित योजनाएं भी अभी तक पूरी नहीं हो सकीं। पूरे देश में रेलवे की इतनी योजनाएं अधूरी हैं कि जिनको पूरा करने के लिए बहुत बड़ी धनराशि की आवश्यकता होगी। अगर रेल मंत्री इन अधूरी योजनाओं को ही पूरा कर दें तो देश की जनता का बहुत बड़ा कल्याण हो सकता है।

यहां मैं केवल उत्तर-मध्य रेल की कुछ योजनाओं का जिक्र करना चाहूंगा जिन पर लम्बे अरसे से काम चल रहा है। लागत निरन्तर बढ़ रही है लेकिन योजना पूरी नहीं हो पा रही है। कारण यह है कि इन योजनाओं को पूरा करने के लिए जितना धन आवंटित किया जाना चाहिए, वह नहीं किया जा रहा है। रेल मंत्री जी अपने क्षेत्र के लिए, अपने राज्य के लिए नई योजनाएं लायें इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। लेकिन उनके मन के एक कोने में यह भी होना चाहिये कि वे पूरे भारत की रेल मंत्री हैं। ममता जी ने भी बहुत सारी घोषणाएं की हैं लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की घोर उपेक्षा की गई है। पुरानी योजनाओं के लिए भी बहुत कम राशि आवंटित की गयी है और नई योजनाओं में भी उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी न के बराबर है। मैं यहां कुछ उदाहरण देना चाहूंगा:

गुना-इटावा रेल लाइन को स्व. माधवराव सिंधिया ने रेल मंत्री रहते हुए स्वीकृत किया था। 20 साल से ज्यादा हो चुके हैं और अभी भिण्ड एवं इटावा के बीच काम बाकी है इस वर्ष भी बहुत कम पैसा आवंटित किया गया है।

आगरा-इटावा वाया फतेहाबाद-बटेश्वर का तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने स्वयं शिलान्यास किया था, जिस गति से काम चल रहा है उससे ऐसा लगता है कि यह रेल लाइन भी अगले 20 साल तक पूरी नहीं हो सकेगी।

इटावा-मैनपुरी रेल लाइन का शिलान्यास भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने किया था और उस अवसर पर उपस्थित रेल मंत्री श्री नीतीश कुमार ने घोषणा की थी कि इसका उद्घाटन भी श्री कलाम साहब ही करेंगे-काम कछुए की चाल से हो रहा है और अगर इसी रफ्तार से काम हुआ तो मुझे नहीं लगता है कि अगले 10 वर्ष में भी 57 कि.मी. लम्बी यह रेल लाइन पूरी हो सकेगी।

इसी तरह ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली तथा महोबा-खजुराहो नई रेल लाइनों पर काम की गति अत्यधिक धीमी है और ये रेल लाइनें कब तक बन पायेंगी, बन भी पायेंगी या नहीं इसमें मुझे सन्देह है। इस प्रकार पूरे उत्तर-मध्य रेलवे में केवल यह 6 रेलवे लाइनें हैं जिन पर काम शुरू हुए सात वर्ष से लेकर 24 वर्ष हो चुके हैं और आज तक काम पूरे नहीं हो पाये हैं।

*...*भाषण का यह भाग सभापटल पर रखा गया।

उत्तर-मध्य रेलवे में इटावा पर क्रासिंग नं. 27 के ऊपर से रोड ओवरब्रिज का निर्माण पूरा हो चुका है और वह चालू हो गया था। रेलवे द्वारा जिस हिस्से का काम कराया गया उसके ठीक बीच में रेलवे लाइनों के ऊपर चालू होने के तीन महीने के अन्दर पुल टूट गया। आवागमन पूरी तरह बंद है। जनता की तमाम कोशिशों के बाद भी उसे ठीक नहीं किया जा रहा है। रेलवे की टैक्नीकल कमेटी को देखना है-लेकिन चार महीने से रेलवे के अधिकारियों को इसकी फुर्सत नहीं है। घटिया सामग्री प्रयोग करने वाले किसी भी अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही तो दूर उनसे पूछताछ तक नहीं की गयी है। उत्तर-मध्य रेलवे में ही जसवन्तनगर और बलरई स्टेशन के मध्य रेलवे क्रासिंग नं. 33सी एवं 34सी के बीच आर.ओ.बी. पिछले एक वर्ष से अधूरा पड़ा है। मशीनें खड़ी हैं। बाईपास बनकर तैयार है लेकिन रेलवे का कार्य बन्द है।

इसलिए मेरा अनुरोध है कि अधूरी योजनाओं को पूरा करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर धन आवंटित किया जाये और चालू कार्यों की लगातार समीक्षा की जाये जिससे काम समय पर पूरा हो सके। वरना केवल यहां घोषणाएं करके और संसद सदस्यों से तालियां बजवाने से कुछ होने वाला नहीं है।

रेल मंत्री ने 375 रेलवे स्टेशनों को आदर्श स्टेशनों के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। यह एक अच्छी बात है। किन्तु इन स्टेशनों को चिन्हित करते समय क्षेत्रीय सन्तुलन का भी ध्यान रखना चाहिए। उत्तर प्रदेश में कुल रेल पथ देश के सम्पूर्ण रेल पथ का लगभग 14 प्रतिशत है। इस दृष्टि से भी 375 स्टेशनों में उत्तर प्रदेश में 52 आदर्श स्टेशनें चिन्हित की जानी चाहिए थीं। लेकिन केवल 7 स्टेशनों को ही चिन्हित किया गया है-सीतापुर, अमेठी, पीलीभीत, शिकोहाबाद, चन्दौसी, सलेमपुर एवं प्रयाग। आदर्श रेलवे स्टेशन किन सुविधाओं से युक्त होंगी, किसे आदर्श स्टेशन कहा जायेगा-यह भी कहीं स्पष्ट नहीं है।

मैं जानना चाहूंगा कि विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन का क्या तात्पर्य है? दुनिया के किस देश की कौन सी स्टेशन को आदर्श मानकर आप भारत की इन स्टेशनों को विश्व स्तरीय बनाना चाहती हैं।

1500 रु. प्रतिमाह से कम की आमदनी वाले गरीबों को 100 कि.मी. की यात्रा करने के लिए 25 रु. की एमएसटी देने का निर्णय लिया गया है। इसे कैसे अमल में लाया जायेगा। एक मजदूर को भी प्रतिदिन 100 रु. की मजदूरी मिलती है जो महीने में 3000 रु. होती है। फिर 1500 रु. प्रतिमाह से कम का प्रमाणपत्र कैसे मिलेगा-कौन देगा। गरीब फिर देखता रह जायेगा तथा पैसे वाला एमएसटी का टिकट बनवा लेगा।

गरीब रथ इसका उदाहरण है-कौन गरीब चलता है गरीब रथ में। सब पैसे वाले रिजर्वेशन कराके जगह घेर लेते हैं। गरीब देखता रह जाता है। नाम गरीब रथ है और है वास्तव में अमीर रथ।

यही हाल जनसाधारण एक्सप्रेस का है। दिल्ली से चलकर कानपुर रुकती है। ज्यादातर खाली चलती है। अगर बीच में एक-दो स्टापेज और दे दिये जायें तो आम आदमियों को राहत मिल सकती है।

क्या मंत्री जी एवं उनके अधिकारियों ने इस बात का अनुमान लगाया है कि नॉन स्टॉप ट्रेन से अन्य तमाम पैसेन्जर ट्रेन सुपर फास्ट ट्रेन्स को कितना रुकना पड़ेगा। अभी यह हालत है कि पैसेन्जर ट्रेन्स को कहीं भी रोक दिया जाता है। राजधानी एक्सप्रेस निकालने के लिए पूर्वा एक्सप्रेस को अलीगढ़ से पहले 30 मिनट से एक घंटा तक रोका रखा जाता है। छोटे स्टेशनों पर इन गाड़ियों को रोक दिया जाता है जहां यात्री यदि चाहें तो पानी भी पीने को उपलब्ध नहीं हो पाता है। मेरा मानना है कि नॉन-स्टॉप ट्रेन से बड़े पैमाने पर सवारी गाड़ियों से लेकर सुपरफास्ट गाड़ियों तक को अनावश्यक रूप से जगह-जगह रोकना पड़ेगा जिससे आम यात्रियों को बहुत असुविधा होगी।

रेलवे में भर्तियों के संबंध में मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में अल्पसंख्यकों, महिलाओं और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को बेहतर प्रतिनिधित्व देने की योजना का प्रस्ताव किया है। इस संबंध में मुझे दो बातें कहनी हैं:

रेलवे में कर्मचारियों की संख्या प्रति वर्ष कम हो रही है। वर्ष 1990-91 में जहां रेलवे में कर्मचारियों की कुल संख्या 16 लाख 52 हजार थी वह घटकर वर्ष 2007-08 में 13 लाख 95 हजार रह गयी है। जब गाड़ियां बढ़ रही हैं, रेल की लाइनें बढ़ रही हैं, स्टेशनों की संख्या बढ़ रही हैं फिर नौकरियां कम क्यों हो रही हैं? रेलवे सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला उपक्रम है। नीतियां ऐसी होनी चाहिए जिससे अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिल सके।

दूसरी बात इस सम्बन्ध में मुझे यह कहनी है कि अन्य पिछड़े वर्ग की जगह आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की बात कहना सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के साथ एक छलावे की बात हो सकती है। इसलिए मेरा माननीया मंत्री जी से अनुरोध है कि उन्होंने अपने भाषण में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग का जहां जिक्र किया है उसकी जगह अन्य पिछड़े वर्ग शब्द प्रयोग करें ताकि ओ.बी.सी. के मन में कोई गलत संदेश न जाए।

रेलवे कर्मचारियों के आश्रितों के लिए नर्सिंग कालेज और मेडिकल कालेज स्थापित करने की योजना स्वागत योग्य है। मेरा सुझाव है कि यह कालेज रेलवे के हों उनमें कोई निजी भागीदारी

[श्री रेवती रमन सिंह]

नहीं होनी चाहिए। निजी भागीदारी होने के बाद रेलवे कर्मचारियों के आश्रितों को इन कालेजों में नर्सिंग या मेडिकल की शिक्षा में प्रवेश दिला पाना बहुत कठिन काम होगा और अन्ततोगत्वा रेलवे की बेस कीमती जमीन पर खुलने वाले यह कालेज निजी हाथों में चले जायेंगे।

रेलवे में गाड़ियों के परिचालन में भी निजी भागीदारी का अगर प्रयास किया गया तो यह रेलवे के इतिहास का सबसे बुरा दिन होगा। इसलिए मैं रेल मंत्री को सचेत करना चाहता हूं कि वे रेलवे को निजीकरण की तरफ ले जाने वाले किसी भी कार्यक्रम से दूरी बनाये रखने का ही काम करें।

पूरे देश में हर साल फल, सब्जियां, मांस और मछलियां बड़े पैमाने पर नष्ट हो जाती हैं। एक अनुमान के अनुसार इन उत्पादों के बेकार होने की वजह से प्रति वर्ष होने वाला नुकसान 50 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा हो चुका है। इसे बचाने के लिए इन उत्पादों को उनके उत्पादन स्थलों से उपभोक्ता केन्द्रों तक पहुंचाने के लिए विशेष गाड़ियां चलाने का प्रस्ताव प्रशंसनीय है। इसके लिए न केवल विशेष गाड़ियों की आवश्यकता है बल्कि पूरी तरह से एयर कंडीशन वेगन्स की जरूरत होगी जिसे प्राथमिकता के आधार पर रेलवे को पूरा करना चाहिए।

रेलगाड़ियों में खान-पान की गम्भीर समस्या है। राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस जैसी सबसे अच्छी माने जाने वाली रेल गाड़ियों में भी जो भोजन बनता है उसमें प्रयोग किया जाने वाला पानी बहुत खराब होता है जिसकी वजह से भोजन की गुणवत्ता एकदम खराब हो जाती है। भोजन बनाने में प्रयोग किये जाने वाला पानी जब तक शुद्ध नहीं होगा तब तक अच्छे खान-पान की कितनी ही बात की जाये सब बेमानी होगा। जो पानी रेलगाड़ियों में बिकता है, यहां तक कि जो स्टेशनों पर पानी मिलता है रेल नीर या अन्य ब्राण्डों के नाम से उसमें भी ज्यादातर नकली होता है। इसमें सुधार किये जाने की आवश्यकता है।

भारतीय रेल का सबसे दु:खद पहलू यह है कि यहां 80 फीसदी यात्रियों के लिए रेल गाड़ियों में 20 फीसदी जगह है और 20 फीसदी यात्रियों के लिए 80 फीसदी जगह है। जिनके पास पैसा है, जिनके पास रेलवे पास है वह आरक्षण पा जाते हैं या तत्काल रेल सेवा का लाभ उठा लेते हैं। लेकिन गरीब आदमी अनारक्षित डिब्बों में भूसे की तरह भर जाता है यहां तक कि लोग टॉयलेट में खड़े होकर भी यात्रा करने को विवश होते हैं। कोई ऐसा दिन नहीं जाता जिस दिन कुछ यात्री जो खिड़की से लटक रहे होते हैं वह गिरते न हों, दुर्घटनाएं न होती हों। इसलिए प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि आम आदमी के लिए रेलगाड़ियों में जगह कैसे बढ़े। जब तक आम आदमी को रेलगाड़ी में बैठने की जगह नहीं मिलती है तब तक चाहे जितनी घोषणाएं की जायें, यहां बैठे हम लोग उन पर तालियां तो बजा सकते हैं लेकिन आम आदमी को कोई राहत नहीं मिल सकती है।*

[अनुवाद]

***श्री डी.वी. सदानन्द गौडा** (उदूपी-चिकमंगलूर): कुमारी ममता जी द्वारा प्रस्तुत रेल बजट में कर्नाटक को कुछ नई ट्रेनों और अवसंरचना विकास के वादों के अतिरिक्त उसी स्थिति में रखा गया है जिसमें पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद जी द्वारा रखा गया था। कर्नाटक राज्य हेतु कोई स्थायी परियोजना अथवा प्रस्ताव नहीं है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि ममताजी ने यह माना है कि कर्नाटक लिंकेज के माध्यम से अन्य राज्यों से जुड़े होने के कारण केवल अन्य राज्यों को लाभ हो रहा है, कर्नाटक की जनता को नहीं।

मैं पहले की परियोजनाओं को तैयार करने और उन्हें पूरा करने के संबंध में माननीया मंत्री महोदया का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा।

चिकमगलूर वह स्थान है, जहां आपातकाल के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी का दूसरी बार राजनीतिक कैरियर शुरू हुआ था। वास्तव में चिकमंगलूर की जनता ऐसे कोमल हृदय की है जिसने श्रीमती इंदिरा गांधी को शुभाशीष दिया। कर्नाटक में उनकी आशाओं को तत्कालीन रेल मंत्री अथवा बाद की कांग्रेस की नेतृत्व वाली सरकार द्वारा कभी भी पूरा नहीं किया गया। चिकमंगलूर के लिए कोई योजना अथवा कार्यक्रम बनाने में बाद की सरकारों की निष्क्रियता के कारण वहां की जनता कांग्रेस (इ) से दूर चली गई। वास्तव में राजग ने चिकमंगलूर की जनता का भला किया और इस प्रकरण रेल संपर्क तथा अवसंरचना संबंधी कार्य आरंभ किये गये और श्रीमती गांधी जी के लिए अपनी सीट छोड़ने वाले कट्टर कांग्रेस (इ) संसद सदस्य श्री डी.बी. चंद गौड़ा भी संप्रग सरकार की अकर्मण्यता से तंग आ गए तथा अब वह भाजपा के लोक सभा संसद सदस्य हैं।

आप इस बात से आश्चर्यचकित हो सकते हैं, क्योंकि उस रेल लाइन जोकि महत्वपूर्ण रेल संपर्क है, को कम से कम श्रीमती इंदिरा गांधी को सम्मान देने के लिए तो महत्व न दिया जा सकता था। 122032 करोड़ रुपये के प्राक्कलन से 93 कि.मी. लंबी कदूर-चिकमगलूर-सकलेशपुर रेल लाइन गत 12 वर्षों से लंबित है और उसके पूरे होने की अभी कोई उम्मीद भी नहीं है। अब तक उन्होंने 71.76 करोड़ रुपये खर्च किए हैं और 45.00 करोड़ रुपये की अब भी आवश्यकता है। इस बजट में केवल 5 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं और इससे चिकमगलूर की जनता का

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

अपमान हुआ है। मैं रेल मंत्री महोदया से आग्रह करता हूं कि शेष धनराशि जारी कराएं और बिना किसी विलंब के कार्य को पूरा कराएं।

सबसे दुख की बात यह है कि तटीय कर्नाटक के तीन जिलों अर्थात् उदुपी-उत्तर कन्नड़ और मंगलौर की जनता के साथ विश्वासघात किया गया है। कर्नाटक राज्य का एकमात्र पत्तन अर्थात मंगलौर पत्तन इस क्षेत्र में स्थित है। मंगलौर लौह अयस्क और अन्य संबद्ध निर्यात कार्यकलापों का केन्द्र है तथा इस पत्तन से व्यवसाय चला रहा है। इन कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए रेल सबसे अच्छा माध्यम है, जिससे केन्द्र सरकार तक रेलवे को बड़े पैमाने पर जनता की सेवा करने के अतिरिक्त अधिक लाभ प्राप्त होगा। परंतु वे इस क्षेत्र में रेल सेवा उपलब्ध कराने में पूर्णत: असफल रहे हैं। काफी कठिनाई के पश्चात मंगलौर की जनता को एक रात्रि ट्रेन द्वारा यात्री रेल संपर्क उपलब्ध कराया गया। वर्ष 2006-07 के बजट में संप्रग सरकार ने मंगलौर-बंगलौर के लिए तीन ट्रेनों की घोषणा की थी। परंतु दिन में ट्रेन आज तक नहीं चलाई गई है। कर्नाटक के अन्य छोर अर्थात उदुपी, कुंदापुरा के रास्ते कारवार तक के संपर्क वाली रात्रि और दिन की ट्रेन के लिए पूरी तरह से मना कर दिया गया है और कन्नूर (केरल) तक रेल सुविधाएं बढ़ाई गई जिनकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तटवर्ती कर्नाटक की जनता को उनके अधिकार से वंचित रखा गया है और उनकी पूर्णत: उपेक्षा की गई है। यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि उक्त ट्रेन को केरल तक आवश्यकता के कारण नहीं बल्कि केवल राजनीतिक दबाव और मजबूरी के कारण बढ़ाया गया है। मैं रेल मंत्री से आग्रह करता हूं कि कारबार रात्रिकालीन ट्रेन चलवाएं और कारबार के लिए प्रस्तावित दिन में ट्रेन चलाई जाए तथा कृपया कन्नूर तक रात्रिकालीन ट्रेन के विस्तार का प्रस्ताव रद्द किया जाए।

यदि उक्त सड़कों पर वाहनों की सघनता कम की जाती है तभी तटवर्ती क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग मोटर वाहन योग्य होंगे। महत्वपूर्ण हुबली-अंकोल-कवर अत्यावश्यक रेल संपर्क है। जिस पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई किये जाने की आवश्यकता है। परंतु मेरी समझ में यह नहीं आता कि इस मार्ग को प्राथमिकता क्यों नहीं दी गई है।

बजट में मुंबई से कारवार तक प्रस्तावित नई तीव्र गति से चलने वाली ट्रेनों का कोई फायदा नहीं है। कर्नाटक की जनता को केवल तभी लाभ होगा जब इसे मंगलौर तक बढ़ाया जाएगा। उदुपी और कुंदपुरा आवश्यक जंक्शन हैं जहां से प्रतिदिन हजारों व्यक्ति मुंबई आते-जाते हैं। अत: इस प्रस्ताव पर प्राथमिकता के आधार पर पुनर्विचार किये जाने की आवश्यकता है और इस ट्रेन को मंगलौर तक अवश्य बढ़ाया जाए।

बंगलौर-मैसूर के बीच दोहरीकरण के लिए यथावश्यक धनराशि नहीं दी गई है और इस पर पुनर्विचार किये जाने की आवश्यकता है। श्रवणबेलगोला-बंगलौर के बीच पटरी के कार्य को पूरा किया जाना राज्य के लिए आवश्यक है। इसके लिए बजटीय सहायता में वृद्धि किये जाने की आवश्यकता है।

कुल मिलाकर बजट कर्नाटक राज्य के लिए महज खानापूर्ति है। मैं रेल मंत्री से आग्रह करता हूं कि मेरे द्वारा उल्लिखित बातों पर गंभीरतापूर्वक ध्यान दें और की-गई-गलतियों को उत्तर देते समय ठीक किया जाए तथा कर्नाटक विशेषकर तटवर्ती कर्नाटक की जनता के साथ न्याय किया जाए।

***श्री नित्यानंद प्रधान** (अस्का): महोदया, मैं आभारी हूं कि मुझे रेल बजट पर चर्चा में भाग लेने का अवसर मिला है।

महोदया मुझे यह कहते हुए खेद है कि मेरे राज्य उड़ीसा, में लोकोक्ति है जिसके बारे में प्रेस में भी कहा गया है कि मेरे राज्य में रेल का इतिहास है। पहले जब हम अंग्रेजों के अधीन थे तब कंपनी को एक लाइन बिछानी पड़ी थी। अंग्रेज उत्तर में कोलकाता और दक्षिण में मद्रास से राज कर रहे थे। अत: उन्होंने प्रभावी प्रशासन और सेना के आवागमन के लिए लाइन बिछाई थी जो संयोगवश उड़ीसा से गुजरती थी। यदि कलकत्ता को मद्रास से जोड़ने का कोई लघुत्तर मार्ग होता तो संभवत: वे रेल लाइन नहीं बिछाते। अंग्रेजों के समय से उड़ीसा में रेलवे के नेटवर्क में कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं हुआ है। स्वतंत्रता के बाद दिल्ली में अनेक सरकारें बनीं लेकिन उड़ीसा का भाग्य लगभग वही रहा है। यह सत्य है कि इन 60 वर्षों में उड़ीसा में कुछ लाइनें बिछाई गई हैं लेकिन वे केवल वाणिज्यिक व्यवहार्यता की दृष्टि से बिछाई गई हैं। लोगों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया है।

यद्यपि पूरे उड़ीसा में सैकड़ों पर्यटन स्थल हैं लेकिन उनका दोहन नहीं हो सका है। यदि रेलवे ने मुख्य पर्यटन स्थलों तक लाइन बिछाने के लिए कदम उठाए होते तो यह केवल उड़ीसा के लोगों के आर्थिक विकास के लिए ही फायदेमंद नहीं होता बल्कि यह देश के लिए भी बेहतर होता। उड़ीसा की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत पूरे भारत और विश्व के सामने आती जिससे लोग वहां जाते और उड़ीसा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के बारे में जान पाते। इसके अलावा, सैकड़ों पर्यावरण अनुकूल पर्यटन स्थल भी हैं। यदि रेलवे ने लाइनें बिछाई होती तो उड़ीसा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत सामने आ गई होती। अत: महोदय, उपर्युक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि रेलवे ने केवल उड़ीसा के लोगों, उसकी अर्थव्यवस्था की ही अनदेखी नहीं की है बल्कि अन्य राज्यों और समूचे विश्व के लोगों को उड़ीसा की विरासत देखने से वंचित किया है।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री नित्यानंद प्रधान]

महोदया, अब मैं रेलवे के राजस्व सृजन की बात करता हूं। अब मुद्दा यह है महोदया, कि उड़ीसा रेलवे को सर्वाधिक राजस्व देता है लेकिन महोदया, यह कहते हुए खेद है कि उड़ीसा में रेलवे का विस्तार अत्यंत खेदजनक है। काफी समय पूर्व आरंभ की गई नई लाइनों में निधियों की कमी के कारण कोई प्रगति नहीं हो रही है। हमारे प्रिय मुख्यमंत्री और सभी संसद सदस्य और विधायक तथा जनसाधारण चालू परियोजनाओं को पूरा करने के लिए निधि में वृद्धि के लिए आंदोलन करते रहे हैं। लेकिन परिणाम नकारात्मक ही रहा है।

भारतीय रेल को एक राज्य की सहायता के लिए संकीर्ण दृष्टिकोण न अपनाकर प्रगतिवादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और महोदया, मैं इसके साथ अपनी बात समाप्त करता हूं कि रेलवे ने उड़ीसा की उपेक्षा की है। ऐसा सौतेला व्यवहार अत्यंत निन्दनीय है। इस क्षेत्र में समान प्रगति नहीं दिखाई देती।

अत:, अंत में मैं बजट प्रावधानों का विरोध करता हूं और माननीया मंत्री से उड़ीसा के मामले में निम्नलिखित पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का अनुरोध करता हूं:

(क) सभी वर्तमान परियोजनाओं को पूरा करना।

(ख) सभी रेल स्थापनाओं को एक ही संगठन में लाना।

(ग) बरहामपुर से भंजनगर और नयागढ़ लाइनों का सर्वेक्षण।

***डा. प्रसन्न कुमार पाटसाणी** (भुवनेश्वर): महोदया, मुझे रेल बजट पर चर्चा में भाग लेने का अवसर देने के लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं रेल मंत्री महोदया से उड़ीसा के मामले में जिम्मेदारीपूर्वक और सावधानीपूर्वक विचार करने का अनुरोध करता हूं। जैसाकि आपने अपने बजट में कहा है कि प्रत्येक आम आदमी को विकास का अधिकार है और आर्थिक लाभ को ध्यान में रखने के बजाए सामाजिक विकास को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जैसाकि आप जानती हैं, उड़ीसा एक खनिज समृद्ध राज्य है। तथापि, उड़ीसा के इन संसाधनों का पूरा दोहन कभी भी नहीं हुआ और उड़ीसा के लोग गरीब ही रहे हैं। इसका एक कारण है कि उड़ीसा में ऐसे अनेक स्थान हैं जिन्हें रेल से नहीं जोड़ा गया है। हम अनेक बार खोरधा-बोलंगीर रेल लाइन को पूरा करने की मांग कर चुके हैं, लेकिन, केवल 10 प्रतिशत कार्य पूरा हुआ है। अनेक अवसरों पर उड़ीसा के मुख्यमंत्री इस परियोजना को शीघ्र पूरा करने का स्वयं अनुरोध कर चुके हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश, इस वर्ष भी केवल 30 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। अत:, मैं मांग कता हूं कि इस परियोजना को पूरा करने के लिए इस वर्ष तत्काल कम से कम 300 करोड़ रुपये आवंटित किये जाएं। जैसाकि आप जानते हैं, जगन्नाथपुरी एक विश्व प्रसिद्ध तीर्थस्थल है। हम अनेक वर्षों से जगन्नाथ पुरी के स्टेशन का उन्नयन करके इसे विश्वस्तरीय स्टेशन बनाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन, यह मांग कभी पूरी नहीं हुई। मैं रेल मंत्री महोदया से अनुरोध करना चाहूंगा कि सबसे पहले वह खोरधा-पुरी लाइन के दोहरीकरण कार्य को तत्काल शुरू करें। दूसरे, पुरी में बहुउद्देशीय परिसर बनाया जाए। दिल्ली से पुरी तक सीधी ट्रेन भी चलाई जानी चाहिए। कोणार्क विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। हजारों व्यक्ति प्रतिवर्ष कोणार्क की यात्रा करते हैं। मेरा अनुरोध है कि कोणार्क से पुरी तक की लाइन का तत्काल सर्वेक्षण कराया जाए। यहां ट्रेनों को ठहराव दिया जाना चाहिए। यद्यपि सरकार ने स्टेशन के उन्नयन की घोषणा की है तथापि कोई कार्य शुरू नहीं हुआ है। मंचेश्वर रेल कोच फैक्ट्री का तत्काल विस्तार किए जाने की आवश्यकता है। इससे उड़ीसा की जनता के लिए रोजगार के और अवसर उपलब्ध होंगे। पूर्व तटीय रेलवे जोन का विकास कार्य अत्यंत धीमा है। पूर्व तटीय रेल का तत्काल विस्तार किये जाने की आवश्यकता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि कई महीनों से महाप्रबंधक की तैनाती नहीं की गई है। मैं मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इस मामले पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जाए। मेरा यह भी अनुरोध है कि भुवनेश्वर में कुछ फ्लाईओवरों का निर्माण किया जाए। ये सत्यनगर, शहीद नगर, वीर सुरेन्द्र साई नगर फ्लाईओवर हैं। ये स्थान दुर्घटना की अत्यधिक आशंका वाले क्षेत्र हैं और यहां पर फ्लाईओवरों का तत्काल र्माण किए जाने की आवश्यकता है।

[हिन्दी]

डा. बलीराम (लालगंज): उपाध्यक्ष महोदया, रेल बजट की चर्चा पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं।

महोदया, रेल मंत्री जी ने संसद में जो बजट प्रस्तुत किया है, उसे देखने से ऐसा लगता है कि बजट में दोहरी नीति अपनायी गई है। इस बजट में उत्तर प्रदेश जो कि देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, उसके साथ पक्षपात किया गया है। रेल मंत्री जी ने प्रधानमत्री जी की समावेशी विकास की नीति का हवाला देकर अपने बजट भाषण के दौरान पिछड़े क्षेत्रों और गरीबों की बात की थी कि हम उन्हें सुविधा उपलब्ध करवाएंगे।

अभी हमारे माननीय सदस्य ने कहा कि किराये भाड़े में कुछ कमी हुई है लेकिन जिससे गरीब लोग जाते हैं और जिस श्रेणी में जाते हैं, उसमें केवल एक रुपये की कमी की गई है लेकिन जो उच्च श्रेणी है, जिसमें बड़े लोग जाते हैं, सुविधासम्पन्न लोग जाते हैं, उसमें दो प्रतिशत भाड़ा कम किया गया है। इसलिए यह

*...*भाषण का यह भाग सभापटल पर रखा गया।

नहीं कहा जा सकता है कि यह जो बजट है, वह गरीबों के हित में है। इस मौके पर मैं यह कहना चाहूंगा कि अभी रेल मंत्री जी ने 50 रेलवे स्टेशन को अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं से युक्त विश्वस्तरीय रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव किया है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, आगरा कैन्ट और मथुरा इन्हीं स्टेशन को चयनित किया गया है जबकि बहुत से ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जो धार्मिक दृष्टि से और औद्योगिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आबादी की दृष्टि से, चाहे वह मेरठ हो, या फैजाबाद हो या गोरखपुर हो, पर्यटन की दृष्टि से देश और विदेश के लोग वहां पूजापाठ और दर्शन करने के लिए आते हैं लेकिन ऐसे आबादी वाले क्षेत्र को छोड़ दिया गया है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीया मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे स्टेशनों को भी चयनित किया जाए।

इसी तरह से माननीया रेल मंत्री जी ने जो अपने बजट भाषण में चर्चा की है, इस बात की मुझे खुशी हो रही है कि आजादी के 60 सालों में इस देश में जिन लोगों की सरकारें बनीं, आज रेल मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में उसको स्वीकार किया कि संविधान के हिसाब से अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का जो आरक्षण कोटा था, वह पूरा नहीं किया गया है और उन्होंने बैकलॉग के माध्यम से जो रिक्तियां हैं, उन्हें पूरा करने का संकल्प लिया और इसके लिए विशेष अभियान चलाने का वायदा कर कहा कि मैं विशेष अभियान चलाकर तमाम रिक्तियों को पूरा करूंगी। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि इसमें पिछड़े समाज का कहीं जिक्र नहीं किया गया है। पिछड़ी जातियां भी अनुसूचित जाति की तरह सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत हो सके, ऐसा प्रयास करना चाहिए। मंडल कमीशन के तहत उनके लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गयी है। लेकिन रेल बजट में माननीया मंत्री जी ने इस तरह का कोई संकेत नहीं दिया है कि उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया जाएगा। बैकलॉग को पूरा करने के लिए वर्ष 2007 में उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री कुमारी मायावती जी ने माननीय प्रधान मंत्री जी को एक पत्र लिखकर सिफारिश की थी कि केन्द्र की जितनी भी नौकरियां हैं, बैकलॉग के तहत उनके आरक्षण कोटे को पूरा किया जाए। मैं आज भी आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करूंगा कि सिर्फ रेलवे में ही नहीं बल्कि केन्द्र की जितनी भी नौकरियां हैं, जहां अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों का आरक्षण कोटा पूरा नहीं हुआ है, बैकलॉग के तहत उसे पूरा किया जाए। इसी के साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि अभी रेल बजट में 17 नयी रेल लाइनों को बिछाने का प्रस्ताव किया गया है। यू.पी. में केवल शाहगंज, ऊंचाहार, सुलतानपुर, अमेठी और सालौन को चयनित किया गया है।

कुशीनगर बौद्ध स्थल है, जहां देश और विदेश से लाखों की संख्या में लोग आते हैं, यहां रेल लाइन की कोई व्यवस्था नहीं है। रेल मंत्री जी इसका भी चयन करें और रेल लाईन बिछाने का कष्ट करें।

इसके साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मैं आजमगढ़ क्षेत्र से चुनाव जीतकर आया हूं, यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक पहचान रखता है। यह ऐसी धरती है जहां पंडित राहुल सांकृत्यायन जैसे लोग पैदा हुए, पंडित लक्ष्मी शंकर मिश्र जैसे साहित्यकार पैदा हुए, हरिऔध जी पैदा हुए। मैं 25 सालों से देख रहा हूं कि चाहे जिसकी भी सरकार रही हो लेकिन हमेशा आजमगढ़ से कभी छः , कभी सात और कभी आठ राज्य सभा और लोक सभा के सांसद होते रहे हैं। आज भी आजमगढ़ में राज्य सभा और लोक सभा के मिलाकर छः सांसद हैं। कई ऐसे प्रदेश हैं जहां पर इतने सांसद नहीं हैं। इसके बावजूद भी आजमगढ़ की उपेक्षा होती रही है। यह इंडस्ट्रियल बैल्ट है, मुबारकपुर और मऊ में रेशमी साड़ियां तैयार होती हैं। यहां से साड़ियां देश विदेश में भेजी जाती हैं लेकिन वहां कोई साधन नहीं है। हम आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से आग्रह करना चाहेंगे कि आजमगढ़ से मुम्बई, कोलकाता और चैन्नई तक, जहां आजमगढ़ के लोग देश के कोने-कोने में बड़े पैमाने पर रहते हैं इसलिए यहां गाड़ियां चलाई जाएं ताकि लोगों को किसी प्रकार की तकलीफ न हो।

रेल बजट में माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम रेल व्यवस्था को सुदृढ़ कर रहे हैं, सुधारने का काम कर रहे हैं, यात्रियों को ज्यादा सुविधा उपलब्ध कराएंगे, यात्रियों को भोजन बढ़िया किस्म का देंगे, रेलगाड़ी में जो चादरें बिछाने के लिए मिलती हैं, वह साफ सुथरी होंगी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अभी 3 तारीख को हमारे साथ 25 सांसद थे, बेनी बाबू जी भी ट्रेवल कर रहे थे। हम लोग स्टेशन पर बैठे थे, वहां गाड़ी छूटने वाली थी लेकिन वहां चार्ट नहीं लगाया गया था। एक भी टीटी नहीं था। हम लोग वहां बैठकर इंतजार कर रहे थे कि अगर सूची लग जाए तो हम देखकर अपनी सीट पर बैठ जाएं लेकिन वहां कोई चार्ट नहीं लगाया गया। वहां गाड़ी छूट गई और हमें दौड़कर चढ़ना पड़ा जिसके कारण कई लोग जख्मी हो गए। जबकि यह व्यवस्था है कि जब सांसद ज्यादा हो जाते हैं तो एक नया डिब्बा जोड़ देना चाहिए लेकिन उस समय डिब्बा नहीं जोड़ा गया। इसलिए हम अनुरोध करते हैं कि इस तरफ विशेष ध्यान दिया जाए ताकि सांसदों और आम जनता को किसी प्रकार की दिक्कत न हो।

अंत में मैं आप सभी का धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ **ललन सिंह** (मुंगेर): माननीया उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे

[श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह]

बोलने का अवसर दिया। रेल मंत्री जी ने बजट पेश किया है। रेल बजट को पेश करने से पहले उन्हें काफी कम समय मिला। उन्हें एक या डेढ़ महीना ही रेल मंत्रालय में आए हुआ था इसलिए मैं इस बजट पर नहीं जाना चाहता हूं लेकिन अगले साल जब मंत्री जी रेल बजट पेश करेंगी तो निश्चित तौर पर उनकी घोषणाओं की समीक्षा करेंगे।

लेकिन आज जब हम रेलवे बजट पर चर्चा करें तो इसके पहले भी पांच वर्षों तक इस देश में यूपीए ने शासन किया है और उनके काम-काज का जो लेखा-जोखा है, वह आज छठे साल क्या परिणाम लेकर आया है, हम उस पर जरूर चर्चा करना चाहेंगे। हम सबसे पहले चर्चा करना चाहेंगे, माननीय रेल मंत्री महोदया ने रेल बजट के पैरा-4 में कहा है-

> ''रेलवे सरकार का वह चेहरा है, जो सबको दिखाई देता है और हमें इस पर गर्व है। महोदया, इस सम्मानित सदन के समक्ष खड़े होकर मैं एक प्रश्न पूछने की अनुमति चाहती हूं कि क्या रेलवे की परियोजनाओं को केवल आर्थिक व्यावहारिकता के पैमाने पर ही तौला जायेगा या फिर उन्हें सामाजिक दृष्टिकोण के पैमाने से भी देखा जायेगा।''

यह उन्होंने कहा। उनके कहने का मतलब है कि रेलवे एक व्यावसायिक संगठन नहीं है, बल्कि उसका सामाजिक दायित्व है और सामाजिक दायित्व के आधार पर उसे देखा जाए। इसके बाद हम उनके पैरा 96 के भाषण को देखते हैं। उसमें उन्होंने कहा है:

> ''हर एक व्यक्ति अपना जीवन भली प्रकार गुजारना चाहता है। रेलवे एक ऐसा संगठन है जो वाणिज्यिक भी है और मानवीय संवेदनाओं से भी युक्त है। ये दोनों आपस में मेल खाते हैं और इस ओर ध्यान आकृष्ट करते हैं कि रेलवे एक व्यावसायिक संगठन नहीं है, बल्कि उसका एक सोशल ऑब्लिगेशन है और सोशल आब्लिगेशन के कारण रेलवे चल रहा है।''

इसके बाद रेल मंत्री जी ने अपने भाषण के पैरा दस में कहा है-

> ''अध्यक्ष महोदया, रेल मंत्री के रूप में अभी कुछ दिन पहले अपना कार्यभार संभालने के बाद मुझे समग्र यात्री सुविधाओं की बिगड़ती हुई स्थिति के संबंध में लगातार शिकायतों का सामना करना पड़ा है। इसलिए इन क्षेत्रों में सुधार करना मेरी प्राथमिकता होगी।''

पांच साल यूपीए के रेल मंत्री जी का जो शासनकाल था, उसकी ओर भी इन्होंने अपने बजट भाषण में संकेत दिया है कि पिछले पांच सालों में क्या होता रहा है। उन्होंने कहा है कि यात्री सुविधाएं, साफ-सफाई, रेलवे खानपान की गुणवत्ता, संरचना, सुरक्षा और समयपालन, ये पांचों प्वाइंट्स इन्होंने अपने इस वक्तव्य के बाद जोड़े हैं। हम क्या देखना चाहते हैं। पांच सालों में आपने क्या किया है। आपने रेल सुविधा के बारे में चर्चा की है। हम बताना चाहेंगे, अभी यहां माननीया रेल मंत्री महोदया नहीं हैं, लेकिन माननीय रेल राज्य मंत्री जी यहां मौजूद हैं, वह उन्हें जरूर तथ्यों से अवगत करायेंगे। आपने पांच सालों में क्या किया। अभी एक माननीय सदस्य, श्री मुत्तेमवार जी कह रहे थे कि भाड़ा नहीं बढ़ाया गया। मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में जितनी ट्रेन्स थीं, जिनकी एक किलोमीटर की गति नहीं बढ़ाई गई, उन सारी ट्रेन्स को सुपरफास्ट कर दिया गया और उन सबका किराया सुपरफास्ट की दर से वसूला जाने लगा। अब बतायें कि रेल यात्री किराया बढ़ाया गया या नहीं बढ़ाया गया आपने तत्काल आरक्षण का दायरा इतना बड़ा कर दिया कि सारी ट्रेन्स के बर्थ्स तत्काल सेवा में चले गये और जनरल रिजर्वेशन में 15-20 बर्थ्स रह गये। तत्काल में आपने 150 रुपये ज्यादा चार्ज करने शुरू कर दिये। आपने इनडायरेक्टली पैसेंजर्स की पॉकेट से पैसा निकाल लिया। आपने नाक सीधे न छूकर घुमाकर छुआ और देश को पांच साल तक यह धोखा देते रहे कि हमने कोई भाड़ा नहीं बढ़ाया। अब रेल मंत्री महोदया आ गई हैं, हम उन्हें बताना चाहते हैं कि आपने तत्काल आरक्षण के बारे में ऐलान किया और उसे 150 रुपये से घटाकर 100 रुपये कर दिया। यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप तत्काल रिजर्वेशन के कोटे को भी घटाइये। तत्काल में आपने बता दिया है कि कितने दिनों के लिए चाहिए, उनका सौ की जगह दस करिए। सारे सुपर फास्ट का आप घटाइये। पैसेंजर्स एमेनिटीज के नाम पर ये सारे घपले होते रहे हैं। इसलिए जो कुछ रेल मंत्री महोदया ने कहा है, पैसेंजर्स एमेनिटी में हम उसे मानते हैं कि यह एक क्रांतिकारी कदम है।

अपराह्न 3.00 बजे

हम मानते हैं कि इसमें सुधार लाने का प्रयास किया है क्योंकि वह गरीबों के लिए संघर्ष करके सड़कों पर मार खाकर लड़ती हुई यहां तक पहुंची हैं। उन्हें गरीबों का ध्यान है और उनके प्रति उन्हें लाभ पहुंचाने की दृष्टि से कुछ कदम उठाये हैं। मैं रेल मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि ऐसे कई और मामले हैं जिनके द्वारा रेल सुविधायें यात्रियों की पॉकेट में लाई जा रही हैं। मैं चाहूंगा कि आप उन मामलों में सुधार जरूर करिये और इस दिशा में प्रयास करिये।

उपाध्यक्ष महोदया, माननीया रेल मंत्री जी ने 100 वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन्स बनाये जाने की बात कही है, अच्छी बात है। मैं जानना चाहता हूं कि उस वर्ल्ड क्लास स्टेशन का मॉडल क्या

होगा? अगर कोई आदमी होटल या घर बनाता है तो पहले उसका नक्शा तैयार करता है। उसके बाद ही आदमी को पता चलता है कि उस घर या होटल का रूप कैसा होगा। मैं रेल मंत्री जी से चाहूंगा कि जब आपने 100 ऐसे वर्ल्ड क्लास स्टेशन्स बनाने की बात कही है तो पहले उसका एक मॉडल बनाईये, इस देश के सामने उसे पेश करिये, तब हम मानेंगे कि वर्ष 2010 या 2015 तक इस तरह का वर्ल्ड क्लास स्टेशन होगा जिसे देश को समर्पित करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, जब रेल मंत्री जी ने बजट पेश किया तो पुराने रेल मंत्री जी टोका-टाकी करते रहे। यह उनकी पुरानी आदत रही है। वह बोलते रहते हैं। पिछले पांच सालों में वह घोषणाओं के मंत्री रहे हैं। जब चुनाव का समय आया तो उन्होंने टी.टी.एम. की परिभाषा विकसित की–ताबड़ तोड़ मालिश। पिछले पांच वर्षों में इतने शिलान्यास नहीं हुये जितने चुनाव के पहले के दिनों में हुये। हमने इस टी.टी.एम. की परिभाषा को बदलकर टी.टी.एस. कह दिया–ताबड़ तोड़ शिलान्यास। मैं रेल मंत्री जी से चाहूंगा कि इस बारे में जरूर चर्चा करें।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीया रेल मंत्री जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि सरकार पिछले पांच सालों के रेल कार्यों के बारे में एक श्वेत पत्र लायेगी। इस देश को पिछले पांच सालों में बरगलाया गया कि रेल विभाग को 75 हजार करोड़ रुपये का फायदा हुआ है, कभी कहा गया कि 90 हजार करोड़ रुपये का फायदा हुआ है। मैनेजमेंट के माध्यम से लोगों को बरगलाया गया, उन्हें गलत सूचनायें दी गई। इसलिए आज देश भ्रमित है कि देश में रेलवे की वास्तविक आर्थिक स्थिति क्या है? आज रेलवे कहां खड़ा है, यह देश जानना चाहता है। माननीया रेल मंत्री जी ने जो ऐलान किया है कि वह श्वेत पत्र लाएंगी, यह कदम स्वागत योग्य है। हम आशा करते हैं कि देश के सामने जल्द से जल्द श्वेत पत्र लाया जायेगा और हम उनकी मांग भी करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीया रेल मंत्री जी ने पी.पी.पी. मॉडल की बात भी कही है। हम इस बात का विरोध नहीं करते लेकिन आप इस बात से सहमत होंगे कि इसकी कंस्ट्रक्शन कामर्शियल हो जाती है। जब तक वह लगातार नहीं हो पायेगा, तब तक हम इनवैस्टमेंट नहीं करना चाहेंगे। हम आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि इस पर कैसे नियंत्रण रखेंगे, इस पर आप जरूर विचार कर लें क्योंकि रेलवे की जो बची हुई जमीन या सम्पत्ति है, अगर उसका उपयोग व्यावसायिक करना चाहते हैं, उसमें उनका दुरुपयोग न हो, इसका सेफगार्ड जरूर करिये। हम उस घोषणा का विरोध नहीं कर रहे हैं लेकिन आपसे आशा करते हैं कि आप उसके सेफगाड्र्स का जरूर ध्यान रखियेगा कि उसके आधार पर उसका व्यावसायिक उपयोग न करें क्योकि ऐसा पहले हुआ है।

महोदया, हम आपके माध्यम से माननीया रेल मंत्री महोदया के ध्यान में लाना चाहते हैं कि रेलवे की कई जगह सम्पत्ति और जमीन है। रेलवे, राज्य सरकारों के माध्यम से जमीन लेती है, रेलवे की कोई अपनी सम्पत्ति या जमीन नहीं है। रेलवे की कई परियोजनाओं में, स्टेशनों पर, दिल्ली और मुम्बई में पिछले पांच वर्षों में यह हुआ कि जो सरप्लस लैंड्स थीं, उनकी बिडिंग करके कामर्शियल यूज के लिए प्राइवेट लोगों को दे दिया गया। वे लोग उसमें मल्टीप्लेक्स बनाकर धंधा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। यह पिछले पांच सालों में हुआ है। हम आपसे यह आग्रह करेंगे कि उन एलाटमेंट्स में पारदर्शिता है या नहीं, वे एलाटमेंट्स सही ढंग से और पूरी पारदर्शिता के साथ हुए हैं या नहीं, आप इसकी जांच जरूर कर लें। जब आप सदन में उत्तर देंगी तो यह जरूर कहें कि आप इनकी जांच कराएंगी। हम लोगों को यह जानकारी है और हम यह आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि इसमें करोड़ों रुपये का घपला हुआ है। हम आपसे यह आग्रह करते हैं कि आप उस घपले पर नजर डालिये और उस पर नियंत्रण कीजिए।

कुमारी ममता बनर्जी: श्री राजेश रंजन जी, अगर आपके पास ऐसी कोई जानकारी है,

[अनुवाद]

जब आप मामला उठा रहे हैं,

[हिन्दी]

आप लैंड में कुछ करप्शन की बात कह रहे हैं कि लैंड में ऐसा कुछ हुआ है, क्या आपके पास ऐसी कोई जानकारी है? अगर है, तो आप हमें जरूर वह जानकारी दीजिए।

[अनुवाद]

मैं इसकी निश्चित रूप से जांच कराऊंगी।

[हिन्दी]

मैं आपसे एक बात और कहना चाहती हूं कि रेलवे की लैंड किसी को भी इंडीविजुअल बिजनेस करने के लिए नहीं दी जाती है। रेलवे लैंड पर तो रेलवे का प्रोटेक्शन है। हम अपने वर्कर्स को पूरी तरह गवर्नमेंट के साथ रखेंगे।

[अनुवाद]

हम अपनी रेलवे या किसी अन्य निकाय को निगमीकृत करने नहीं जा रहे हैं।

[कुमारी ममता बनर्जी]

[हिन्दी]

हम इसके लिए यह करेंगे कि जैसे हमारा वर्ल्ड क्लास स्टेशन है तो हम इसको रुपया कैसे देंगे, जो ऑपरेशन पार्ट है, जो रेल का देखभाल करने का पार्ट है, जैसे पैसेंजर एमिनिटीज, क्लीनलीनेस, फूड आदि उन्हें तो डिपार्टमेंट ही देखेंगे, लेकिन जैसा कि हमने बोला है कि अगर इनमें कोई मल्टीटाइप आफ एक्टीविटीज होगा, चाहे पार्किंग सेंटर हो, चाहे बजट होटल हो, चाहे मार्केटिंग कॉम्पलेक्स हो, तो इनको प्राइवेट कर सकते हैं, लेकिन इनसे हमें जो रुपया प्राप्त होगा उससे हम इंटरनली रेलवे को स्ट्रेंथेन करेंगे।

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ **ललन सिंह:** महोदया, जो आपने कहा, वह ठीक है, लेकिन हमारे कई और सवाल हैं जो हम आपको बता रहे हैं। इन बिन्दुओं से संबंधित मेरे पास जो सूचनाएं हैं उनसे हम आपको इस आशा के साथ जरूर अवगत करायेंगे कि आप विस्तृत तौर पर उनकी जांच कराएंगी। कैश सरप्लस का बहुत बड़ा जगलरी चल रहा है। रेलवे का वर्ष 2007-08 घोषित 17,182 करोड़ रुपया है, वर्ष 2008-09 का 9,803 करोड़ रुपया है और वर्ष 2009-10 में 6,644 करोड़ रुपया है। आपके बजट के एक्सप्लेनेट्री मेमोरेंडम में डिविडेंट के बाद 20,103 करोड़ रुपया वर्ष 2007-08 में है। वर्ष 2008-09 में 14,609 करोड़ रुपया है और वर्ष 2009-10 के इंटरिम बजट में 13,542 करोड़ रुपया है और 8,772 करोड़ रुपया मेन बजट में है। अगर ये दोनों फिगर सही हैं तो यह फिर यह घपला कहां है? अगर ऊपर की फिगर सही है तो नीचे की फिगर गलत है और अगर नीचे की फिगर सही है तो ऊपर की फिगर गलत है। यह सारा एकाउंटिंग का जगलरी है। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि कैश-सरप्लस का कम्प्यूटिंग नहीं हुआ। आप इस कम्प्यूटिंग को चैक कराइए। जब आप व्हाइट पेपर लाएंगी तो आप इन तथ्यों को भी उसमें रखिए। एप्रोप्रिएशन ऑफ डीआरएफ, इंक्ल्यूडेड नहीं है, इंटरेस्ट ऑफ फंड, बैलेंस रिसीट में तो लिया गया, लेकिन एक्सपेंडीचर में नहीं है और लीज चार्ज का अंडरस्टैंडिंग दिखाया नहीं गया, अंडर स्टेटमेंट दिखाया गया है। ये सारी चीजें जगलरी हैं। हम आपको यह सिर्फ उदाहरण के तौर पर बता रहे हैं कि जब आप व्हाइट पेपर लायें तो इसमें पांच साल का विवरण दें।

महोदया, यह कहा जाता है कि यू.के. और विदेशों में कई ऐसे ट्रस्ट हैं, जहां आप कुछ न कुछ डोनेशन दीजिए और वहां से जो मन करे डाक्टरेट, महाडाक्टरेट और उसके ऊपर भी कोई डाक्टरेट है तो वह डिग्री भी खरीद लीजिए। ये सब जगलरी पिछले पांच साल में होती रही हैं। यह सब भ्रम फैला हुआ है। मैडम, आपने जो व्हाइट पेपर की बात कही है, वह स्वागतयोग्य है। इस व्हाइट पेपर से पूरा देश, रेलवे की स्थिति से अवगत होगा। आपने अपने रेल बजट के भाषण में पैसेंजर एमिनिटी, सोशल ओब्लिगेशन की बात कही है।

आप एक बात बताइए कि रेलवे सेफ्टी फंड के बाद जो रेलवे ट्रैक बदला गया, उस पर अगर एक्स्ट्रा लोड बढ़ाया गया, उस एक्स्ट्रा लोड के बढ़ाने से रेलवे पैसेन्जर्स की सेफ्टी पर कंप्रोमाइज हुआ या नहीं? अगर रेलवे पैसेन्जर्स की सेफ्टी पर कंप्रोमाइज हुआ तो रेलवे कामर्शियल आर्गनाइजेशन हो गया, सोशल आर्गनाइजेशन नहीं रहा। हम आपसे कहेंगे कि रेलवे के एक्स्ट्रा लोडिंग को बढ़ाने का जो निर्णय हुआ, उस पर भी आप पुनर्विचार करिए और उस पर भी जांच बैठाइए कि किसके आदेश से एक्स्ट्रा लोडिंग बढ़ाया गया और रेलवे की पैसेन्जर सेफ्टी के साथ कंप्रोमाइज किया गया। सरप्लस लैन्ड्ज के संबंध में हमने आपको बताया। आप जरा जांच करिये और अपने निगरानी विभाग को पूछिए कि रेलवे में जो ग्रुप डी के अपाइंटमैंट में इतना बड़ा घपला हुआ कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकती हैं। आप गरीब परिवार से आती हैं, आप गरीबी से लड़कर यहां आई हैं। गरीबों के नाम पर हमने वोट लिया है। शरद यादव जी यहां बैठे हैं, हम सब लोगों ने प्रधान मंत्री को जाकर इतने डॉक्युमैंट्स दिये, रजिस्ट्री हुई। जिन गरीबों को ग्रुप-डी में नौकरी दी गई, उस गरीब की दो-चार या पांच कट्ठा जमीन लिखवा ली गई, उसकी रजिस्ट्री करा ली गई और इसके सारे ओरोजिनल डाक्युमैंट्स हमने शरद जी के साथ प्रधान मंत्री जी को सौंपे। हमें आश्चर्य हुआ यह जानकर कि जब हमने प्रधान मंत्री जी को यह सौंपा तो उसके कुछ दिन के बाद रेलवे के निगरानी विभाग की चिट्ठी आई कि हम उसकी जांच कर रहे हैं। रेलवे के बड़े लोगों के बारे में रेलवे का निगरानी विभाग कैसे जांच करेगा, हमें यह बात समझ में नहीं आई। आज स्थिति बड़ी बदली हुई है। हम मंत्री महोदया से आग्रह करेंगे कि आप निगरानी विभाग को बुलाकर उसकी समीक्षा करें और अपने नियंत्रण में, अपनी देख-रेख में एक-एक आदमी का सारा प्रमाण हमने दिया है। आप फिर कहेंगी, हम दोबारा आपको प्रमाण देंगे। आप उसकी जांच कराइए। हम नौकरी देने का विरोध नहीं करते। 500 लड़कों को नौकरी मिल जाए। गरीब लड़कों को अगर कोई नौकरी कोई देता है तो हम उसका विरोध नहीं करते हैं, हम उसके विरोधी नहीं हैं। लेकिन गरीबों को नौकरी देने के नाम पर उसके परिवार की चार-पांच कट्ठा जमीन लिखवा ली जाए और तब उसको नौकरी दी जाए, हम इसका विरोध करते हैं। इस घपले को आप बंद करिए, यह हम रेल मंत्री महोदया से आग्रह करना चाहते हैं।

इसके अलावा हम बिहार के बारे में चर्चा करना चाहते हैं। बिहार में कई परियोजनाएं हैं जो पुरानी परियोजना है। एक तो मैंने कहा कि टीटीएस हुआ। चुनाव के समय ताबड़तोड़ शिलान्यास हुए। दो-चार हजार शिलान्यास हो गए बिहार में एक-दो महीने के अंदर। हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि जिन योजनाओं का शिलान्यास हुआ, उनकी वास्तविक स्थिति क्या है? वह सैंक्शन हुई या शिलापट्ट लग गए, यह आप जरूर सदन को बताएं। इस रेल बजट के उत्तर के समय तो शायद आप उतना नहीं बता पाएंगी लेकिन बिहार की योजनाओं के बारे में अलग से एक स्टेटमेंट जरूर दीजिए। इसके अतिरिक्त कई योजनाएं पहले से स्वीकृत हैं

जो अधर में लटकी हुई हैं। वे योजनाएं पूरी नहीं हो रही हैं। आपने बजट में कई योजनाओं की घोषणा तो नहीं की है लेकिन जो पुरानी योजनाएं चल रही हैं, वे योजनाएं समय के भीतर पूरी हों, इसके लिए आप व्यवस्था और धन मुहैया जरूरी कराएंगी, यह हम आपसे आशा जरूर करते हैं।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र मुंगेर में एक रेल ब्रिज है जिसका शिलान्यास माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया जब वे प्रधान मंत्री थे। वर्ष 2009 में उसको पूरा हो जाना था लेकिन देखा कि चुनाव के समय वर्ष 2008 में रेल मंत्री फिर जाकर उसका शिलान्यास कर रहे हैं। जिसको वर्ष 2009 में पूरा होना था, फिर उसका वर्ष 2008 में रेल मंत्री शिलान्यास कर रहे हैं। यह टीटीएस का पार्ट था। हमारे यहां जो जमालपुर का रेल कारखाना है, वह सबसे पुराना रेल कारखाना है। उसका पुनरुद्धार करिए, उसको रीहैबिलिटेट करिये, उसका मॉडर्नाइजेशन करिए, यह हम आपसे अपील करते हैं।

कोसी का इलाका शरद यादव जी के क्षेत्र में पड़ता है। मधेपुरा में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव वर्क्स कारखाने की घोषणा की गई थी। हमें यह मालूम नहीं है कि वहां ईएलडब्ल्यू का कारखाना बनेगा अथवा नहीं। मेरे मन शंका इसलिए पैदा हुई क्योंकि जहां कारखाना बनना है, वहां की रेलवे लाइन ही इलैक्ट्रिफाइड नहीं है। ऐसे में जो इंजन बनकर निकलेगा, उसका टेस्ट कहां होगा? वह फैक्ट्री से बाहर निकल ही नहीं सकेगा। हम आपसे चाहेंगे कि आप उस लाइन का इलैक्ट्रिफिकेशन करवाइए। मधेपुरा, जो कि शरद यादव जी का निर्वाचन क्षेत्र है, वहां इस कारखाने का काम अवश्य शुरू होना चाहिए, इसे आप निश्चित करने का काम कीजिए।

महोदया, कई लाइनें बाढ़ में क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जिनमें मुरलीगंज की लाइन भी है। जिसे फिर से रिहेबलिटेट करवाइए। आपने बजट में जो कुछ प्रस्तुत किया है, उसकी हम अगले बजट के समय समीक्षा करेंगे। आपने जो घोषणाएं की हैं, उनके लिए हम आपको बधाई देना चाहते हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं।

अपराह्न 3.17 बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य–*जारी*

(दो) 7 जुलाई, 2008 को काबुल स्थित भारतीय दूतावास पर हुए हमले की दुखद घटना की पहली बरसी*

विदेश मंत्री (श्री एस.एम. कृष्णा): उपाध्यक्ष महोदया, आज के दिन ही अफगानिसतान में काबुल स्थित हमारे दूतावास पर आतंकी हमला हुआ था। हमारे दूतावास के कई कर्मचारी तथा अफगान नागरिकों ने इस राजनयिक परिसर में हुए हमले में अपनी जानें गंवा दी थी। हम दु:ख के साथ उनके बलिदान को याद करते हैं तथा आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों तथा इसे पोषित करने वालों के विरुद्ध अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हैं।

हम उन सभी परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया था। इस हमले को अंजाम देने वालों और इसे जारी रखने वालों की कितनी भी भर्त्सना की जाए वह कम है। उन्हें इसकी कीमत अवश्य चुकानी पड़ेगी। न्याय अवश्य मिलेगा।

*ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 60/15/09

अपराह्न 3.18 बजे

रेल बजट, 2009-2010–सामान्य चर्चा

श्री गोबिन्द चन्द्रा नास्कर (बनगांव): उपाध्यक्ष महोदया, मैं माननीय रेल मंत्री सुश्री ममता बनर्जी द्वारा 3 जुलाई, 2009 को प्रस्तुत रेल बजट का समर्थन करता हूं।

यह एक पूर्ण और व्यापक बजट है क्योंकि इसमें हमारे देश में रेल सेवाओं के सभी क्षेत्र में हुए विकास को सम्मिलित किया गया है। इसमें आम लोगों के हितों का ध्यान रखा गया है। माननीय रेल मंत्री ने यात्री किराये को नहीं बढ़ाया है। उन्होंने कई नॉन-स्टॉप रेलगाड़ियों की भी घोषणा की है। यह अपने देश में पहली बार हुआ है। मैं पूरे दिल से इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

महोदय, उन्होंने रेलयात्रियों, विशेषकर महिलाओं को सुरक्षा तथा संरक्षा देने की कोशिश की है। यह आम जनता का हित रखने वाला बजट है। यह एक बहुत अच्छा, अद्वितीय और बेजोड़ बजट है। इसमें युवाओं, गरीबों, दलितों और समाज के वंचित वर्ग के लोगों जैसे-किसानों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं को सुविधाएं प्रदान की गई हैं। इसमें देश के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसलिए आज की परिस्थितियों में यह एक उत्तम बजट है जो जमीनी हकीकतों पर आधारित है।

माननीया रेल मंत्री ने बर्न स्टैंडर्ड एण्ड ब्रेयवेट में नई जान फूंकने की कोशिश की है। यह भी हमारे लिए एक अच्छा समाचार है।

यह उनके द्वारा उठाया गया एक विशेष कदम है।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और विकलांगों के लिए नियत रिक्त पदों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान के लिए

मैं माननीया रेल मंत्री को धन्यवाद देता हूं। माननीया मंत्री ने ट्रेवल फास्ट ट्रेनों की घोषणा की है। महोदया, 12 दुरन्तों ट्रेन जो राजधानी ट्रेनों से भी तेज हैं, पूरे देश में चलेंगी। महोदया, 375 आदर्श स्टेशनों का विकास किया जाएगा और वहां पर पूरी मूलभूत यात्री सुविधाएं जैसे-पेयजल की व्यवस्था, साफ और पर्याप्त शौचालय, खान-पान सेवाएं और प्रतीक्षालय विशेषकर महिलाओं के लिए उपलब्ध होंगे।

मंत्री महोदया ने कुछ कदम उठाए हैं तथा कुछ प्रस्ताव भी रखे हैं। 50 स्टेशनों को अंतराष्ट्रीय स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। कंचरापारा-हलीसहर रेलवे परिसर, जहां रेल की जमीन उपलब्ध है, उसमें प्रतिवर्ष 500 रेल कोचों के विनिर्माण के लिए एक नया कारखाना प्रस्तावित है। एक और नई योजना है जिसे 'इज्जत योजना' कहा जाता है। इस योजना के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के उन लोगों के लिए जिनकी मासिक आय मात्र 1500 रुपये तक हैं, उनके लिए मासिक सीजन टिकट 25 रुपये में उपलब्ध होगा।

रेल बजट में सभी वर्ग के लोगों का ध्यान रखा गया है। रेल बजट 2009-10 में केन्द्रीय रेल मंत्री सुश्री ममता बनर्जी द्वारा किये गये प्रस्तावों से दैनिक यात्री काफी खुश लग रहे हैं। महिलाएं रेल बजट से खुश हैं क्योंकि व्यस्ततम कार्यालय समय के दौरान उनके लिए अलग से महिला रेलगाड़ी चलाने की उम्मीद है। यह रेल मंत्री द्वारा सही समय पर उठाया गया कदम है।

मेट्रो रेल कर्मी इस प्रस्ताव से संतुष्ट होंगे कि टोलीगंज रेलवे स्टेशन के पास के अस्पताल का उन्नयन किया जाएगा। वर्तमान में, इसमें 30 बिस्तर हैं और इसे बढ़ाकर 75 बिस्तर वाला अस्पताल बनाया जाएगा।

महोदया, दिल्ली, कोलकाता, मुम्बई, चेन्नई, सिकंदराबाद, लखनऊ और जबलपुर में रेलवे की जमीन पर सात नर्सिंग कॉलेज खोलने का प्रस्ताव है। यह भी एक अच्छा काम है। मौजूदा रेलवे अस्पतालों से जुड़े चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना की योजना बनाई गई है। यदि राज्य सरकार एक महान संस्थान बसुमति साहित्य मंदिर को रेल विभाग को सुपुर्द करती है तो वह उसकी वृद्धि समृद्धि का कार्य करेगा।

अब मैं माननीया मंत्री के समक्ष कुछ प्रस्ताव रखना चाहता हूं कि सियालदह खंड में सियालदह से बनगांव तक, सियालदह से केनिंग, लक्ष्मीकांतपुर, बज-बज, कृष्णनगर, रानाघाट और कल्यानी विशेष रूप से 12 कोच वाली रेलगाड़ी की लोकल सेवा शुरू की जाए या उपलब्ध कराई जाए। मंत्री महोदया से मेरा एक और अनुरोध भी है। उन्होंने सुंदरबन के लोगों के लिए कुछ नई लाइनें शुरू की हैं। 25 मई, 2009 को आईला विनाश के दौरान सुंदरबन पूरी तरह बर्बाद और उजाड़ हो गया है। 60 लाख से अधिक लोग बेघर और निराश्रय हो गए हैं। इस समय हमारी रेल मंत्री ने सुंदरबन क्षेत्र जैसे-केनिंग से बसंती होते हुए गोसाबा, जयनगर से रायदीघी, मंदिर बाजार से रामगंगा और नामखाना से वारवाली तक के लिए कुछ योजनाओं, कुछ नई रेल लाइनों की घोषणा की है। ये सभी सुंदरबन के दूर-दराज के क्षेत्रों से जुड़ी हैं तथा वहां यातायात की सुविधाएं उपलब्ध कराने से संबंधित हैं। इस प्रकार माननीया मंत्री को मेरे चुनाव क्षेत्र में भी कुछ सुविधाएं मुहैया कराने पर विचार करना चाहिए।

लेकिन बाघदा और स्वरूपनगर के सीमावर्ती क्षेत्रों में बनगांव से बाघरा तथा मचलालंदापुर से स्वरूपनगर दो नई रेल लाइनें स्वीकृत की गई हैं। इस प्रकार मंत्री महोदया को बहुत कुछ करना है। मैं मंत्री महोदया से यह भी अनुरोध करता हूं कि देश में रेलवे के हाल्ट स्टेशनों को समाप्त नहीं किया जाना चाहिए और समुचित रूप में उनकी देखरेख होनी चाहिए। उन्हें उचित समय पर विकसित करना होगा।

महोदया, गार्ड और चालक जैसे चलती रेलगाड़ी में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए मासिक भत्ता को बढ़ाकर 500 रुपये किया जाना चाहिए क्योंकि उनकी सेवाएं जोखिम भरी हैं। मैं माननीया रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह रनिंग स्टाफ की मांगों पर ध्यान दें।

महोदया, प्रथम बार बोलने के लिए आपने मुझे जो समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदया: अब श्री बसुदेव आचार्य बोलेंगे।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, आपको माननीय सदस्यों को नियंत्रित करना होगा। *...(व्यवधान)* माननीया रेल मंत्री ने जो रेल बजट प्रस्तुत किया है उसमें कोई भी ऐसा नया कदम नहीं उठाया गया है जो भारतीय रेल के समक्ष उपस्थित कठिनाइयों और समस्याओं को दूर कर सके। रेलवे में आर्थिक मंदी का प्रभाव, बल्कि विपरीत प्रभाव पहले से दिख रहा है और मालभाड़ा यातायात में गिरावट आई है। रेलवे वर्ष 2008-2009 के अपने 85 करोड़ टन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका है। यह बहुत ही छोटा लक्ष्य था।

महोदया, इस बजट में इन कठिनाइयों से पार पाने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है। आज भारतीय रेलवे में दक्षता, वहन क्षमता बढ़ाने की जरूरत है जिससे रेलवे को ज्यादा से ज्यादा राजस्व की प्राप्ति हो और रेलवे के विकास तथा रेलवे नेटवर्क के विस्तार के लिए ज्यादा से ज्यादा निवेश हो सके।

आज की तारीख में ऐसे कई क्षेत्र हैं जो रेल नेटवर्क से जुड़े हुए नहीं हैं। इस संबंध में राष्ट्रीय स्तर पर बहस की जरूरत है। हम कई वर्षों से यह दलील देते रहे हैं कि रेलवे मात्र एक व्यापारिक संगठन नहीं है बल्कि इसके सामाजिक दायित्व भी है। यदि परियोजनाएं केवल व्यावसायिक आधार पर स्वीकृत की जाती हैं कि आय की दर 14 प्रतिशत से कम न हो तथा झारखंड, छत्तीसगढ़, पूर्वोत्तर, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और यहां तक की पश्चिम बंगाल के भी क्षेत्र रेल नेटवर्क से नहीं जोड़े जाएंगे और उस क्षेत्र के लोग विकास के लाभ से वंचित रह जाएंगे।

रेल अवसंरचना और विकास में एक गहरा संबंध है। यदि रेल नहीं हो तो आप औद्योगीकरण और आर्थिक विकास के बारे में नहीं सोच सकते हैं। आज भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो रेल से जुड़े हुए नहीं हैं और इसका कारण है कि वहां रेल सेवाएं नहीं पहुंचाई जा सकती। रेल सिर्फ एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए नहीं है। विकास, औद्योगीकरण और रेल अवसंरचना के बीच एक गहरा संबंध है। रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय योजना आयोग तथा भारत सरकार की भी सोच में बदलाव लाने की जरूरत है। इस बजट में हम इसकी कोई झलक नहीं पा रहे हैं। एक परियोजना जो आर्थिक रूप से लाभकर नहीं है और जहां आय की दर 11.5 प्रतिशत है अभी भी योजना आयोग के पास लम्बित पड़ी है।

झारग्राम-पुरुलिया वाली सम्पूर्ण रेल लाइन पश्चिमी मिदनापुर के जनजाति बहुल क्षेत्र में है। उन्होंने उस क्षेत्र अर्थात् सालबोनी-झारग्राम बरास्ता लालगढ़, बेलपहाड़ी के लिए एक नयी रेल लाइन का प्रस्ताव रखा है। लेकिन झारग्राम-पुरुलिया लाइन लगभग ऐसे जनजातीय, अल्पविकसित क्षेत्र में है जहां कोई रेल लाइन या रेल सुविधा नहीं है। रानीबन की तरह, जो परिसीमन के बाद अब मेरे चुनाव क्षेत्र में है, रायपुर भी मेरे चुनाव क्षेत्र में हैं जहां की अधिकांश आबादी जनजातीय है। पुनः, आप जानते हैं कि बर्दवान जो पुरुलिया जिले में है की 56 प्रतिशत आबादी जनजातीय लगों की है। *...(व्यवधान)* पुनः, मानबाजार-2 लाइन का 132 किलोमीटर का हिस्सा तीन जिलों के जनजातीय क्षेत्र से गुजरेगा लेकिन फिर भी इस बजट में इस परियोजना के बारे में कोई उल्लेख मुझे नहीं मिलता। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदया, केवल 35 किलोमीटर लाइन के निर्माण से हावड़ा और वीरभूम-सिउरी के जिला मुख्यालय की दूरी 45 किलोमीटर कम हो जाएगी। मैं प्रांतिक-सिउरी लाइन की बात कर रहा हूं। इन दोनों परियोजनाओं की घोषणा रेल मंत्री द्वारा अंतरिम बजट में की गई थी लेकिन इन दोनों परियोजनाओं का इस साल के रेल बजट प्रस्ताव में कोई उल्लेख नहीं है।

न केवल हाल के वर्षों में बल्कि कई वर्षों से रेलवे में विकास कार्य नहीं हुआ है। हमारे पास 1950-51 में 53,576 किलोमीटर लम्बी रेल लाइन थी और आज यह 63,225 किलोमीटर है। आजादी के बाद हमारे देश में रेल नेटवर्क की विकास की दर क्या रही है। इसके क्या कारण है? 1949 में चीन में मात्र 11,000 किलोमीटर रेल लाइन थी और आज वहां 76,000 किलोमीटर रेल लाइन है। हम पीछे क्यों छूट रहे हैं? इसका कारण कम बजटीय समर्थन है। आज 5,000 करोड़ की वृद्धि के बावजूद यह 30 प्रतिशत से ज्यादा नहीं है जबकि इससे पहले बजटीय समर्थन 75 प्रतिशत था। इस प्रकार यह आज 75 प्रतिशत से घटकर 30 प्रतिशत रह गया है। अतः भारत सरकार रेल पर समुचित ध्यान नहीं दे रही है जबकि रेलवे में अधिक से अधिक निवेश की जरूरत है।

रेलवे की क्या जरूरत है? रेलवे की दक्षता कैसे बढ़ सकती है? आज भी हमारे यहां सदियों पुरानी सिगनल प्रणाली है। हमारे यहां विभिन्न प्रकार की सिग्नल प्रणाली है। एस.आर.एस.एम., विशेष रेल सुरक्षा कोष के अंतर्गत 7000 करोड़ रुपये खर्च करने के बाद भी इंटर-सिगनलिंग प्रणाली को आधुनिक नहीं बनाया गया है। आप आज भी कई जगहों पर सदियों पुरानी सिग्नल प्रणाली पायेंगे। हम किस प्रकार से एक दक्ष रेल प्रणाली बना सकते हैं? आज, एक मालगाड़ी की औसत गति 26 किलोमीटर है और यात्री गाड़ी की औसत गति 46 किलोमीटर है और हम 'दुरन्तो' का सपना देख रहे हैं।

रेलपटरी को मजबूत बनाने की जरूरत है। महोदया, 12 वर्ष पूर्व 1996 में भी इसी प्रकार की रेलगाड़ी अर्थात हावड़ा से कोलकाता के लिए नॉन-स्टॉप ट्रेन की घोषणा की गई थी यह सोचा गया था *...(व्यवधान)* तथा हावड़ा से दिल्ली के लिए 12 घंटे में एक नॉन-स्टॉप ट्रेन *...(व्यवधान)* यह हावड़ा से रात्रि में 8 बजे चलेगी और सुबह 8 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी। इसी प्रकार, यह नई दिल्ली से रात में 8 बजे चलेगी और सुबह आठ बजे हावड़ा पहुंचेगी। लेकिन भारवहन क्षमता से ज्यादा अर्थात 6-10 टन की ढुलाई के कारण इन रेलपटरियों की स्थिति खराब हो गई है।

महोदया उड़ीसा के जाजपुर में एक दुर्घटना हो गई थी। दुर्घटना के एक दिन बाद ही मैंने घटना स्थल का दौरा किया था क्योंकि मैं जानना चाहता था कि रेल दुर्घटना की वजह क्या थी। कोई सिगनल ओवर शूटिंग नहीं हुई थी, किसी ने ऐसा नहीं कहा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जब कभी दुर्घटना होती है तो पहली प्रतिक्रिया होती है कि यह मानवीय भूल थी अर्थात ड्राइवर स्वीचमैन, गार्ड या प्रचालन स्टाफ जैसे स्टेशन मास्टर आदि की भूल के कारण हुई है। लेकिन इस दुर्घटना के बाद किसी ने कोई टिप्पणी नहीं की या वक्तव्य नहीं दिया कि यह दुर्घटना मानवीय भूल का परिणाम है।

[श्री बसुदेव आचार्य]

मैं यह देख सकता हूं कि यह रेल पटरियों की खराब स्थिति के कारण हुआ था क्योंकि इस खंड पर यातायात का दबाव ज्यादा था। वहन क्षमता से ज्यादा ढोने की अनुमति देने से यह रेल पटरी बर्बाद हो गई है। आज हम अल्पकालिक लाभ के लिए रेलपटरियों के लिए दीर्घकालिक हानि कर रहे हैं। क्या यह सब इस रेलपटरी के साथ संभव है? मैं यह इसलिए पूछ रहा हूं कि कुछ खंडों का आवश्यकता से अधिक उपयोग हो रहा है। हम अधिक से अधिक रेलगाड़ियां चलाकर क्षमता का भरपूर उपयोग कैसे कर सकते हैं, जब तक कि रेल लाइनों की क्षमता में वृद्धि न करें। हम अधिकतम 57 नई रेलगाड़ियां चला सकते हैं और उनकी घोषणा कर सकते हैं परंतु इसमें चल स्टॉक अर्जन कार्यक्रम का उल्लेख नहीं है।

सवारी डिब्बों की प्राप्ति में कितनी वृद्धि हुई है? क्या यात्री यातायात के अनुसार सवारी डिब्बों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। ऐसे में जब सवारी डिब्बों में 135 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है तो यात्री यातायात में 165 प्रतिशत वृद्धि हुई है। इसलिए, आज अधिक से अधिक सवारी डिब्बों के विनिर्माण और पेरंबूर इंटीग्रल कोच फैक्ट्री अथवा रेल कोच फैक्ट्री, कपूरथला और परंपरागत सवारी डिब्बों हेतु रायबरेली में बनने वाली नई कोच फैक्ट्री की मौजूदा क्षमता को बढ़ाने की आवश्यकता है। मैं इसका स्वागत भी करता हूं क्योंकि मैंने सुझाव दिया था कि ईएमयू कोच का विनिर्माण करने के लिए कंचरापारा वर्कशाप का उपयोग किया जा सकता है। अब कंचराधारा में अलग अत्याधुनिक ईएमयू कोच विनिर्माण अथवा एमईएमयू कोच विनिर्माण वर्कशाप बनाने का प्रस्ताव है।

महोदया, रेल मंत्री ने मेरे निर्वाचन क्षेत्र के आद्र क्षेत्र में एक विद्युत संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। उन्होंने कहा है कि यह जनजातीय क्षेत्र है और जनजातीय जनसंख्या 18 प्रतिशत है। 1000 मेगावाट वाले विद्युत संयंत्रों की स्थापना हेतु आपको 1000 एकड़ भूमि की आवश्यकता है। मैंने यह पता लगाने का प्रयास किया कि रेलवे के पास कितनी भूमि उपलब्ध है। 300 एकड़ तक रेलवे भूमि उपलब्ध है। वहां प्रादेशिक सेना शिविर है और उसे हटाना होगा। इसके अतिरिक्त रेलवे भूमि पर वनरोपण किया गया है। राज्य सरकार के वन विभाग और रेलवे ने संयुक्त रूप से वहां सुंदर वन विकसित किया है। अत:, लाखों पेड़ों को काटा जाना होगा और उसके बाद ही भूमि उपलब्ध कराई जा सकेगी। तथापि, हम निश्चित रूप से सहयोग करेंगे क्योंकि पुरुलिया पश्चिम बंगाल राज्य में बहुत छोटा जिला है।

आज, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि एक बड़ा ताप विद्युत संयंत्र दामोदर वैली कारपोरेशन के अंतर्गत स्थापित किया जा रहा है ...*(व्यवधान)*

श्री विलास मुत्तेमवार: यदि आप नहीं चाहते तो इसे किसी और को दिया जा सकता है।

श्री बसुदेव आचार्य: मैं चाहता हूं परंतु आवश्यकता इस बात की है कि वहां जो वैगन रिपेयर शॉप है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: आचार्य जी, अब आप समाप्त कीजिए।

श्री बसुदेव आचार्य: कैसे समाप्त करेंगे? उन्होंने इंटरप्ट किया है। आप हमें थोड़ा-बहुत समय दीजिए, हम जल्दी समाप्त कर देंगे। ...*(व्यवधान)* सब रातभर बैठेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय: आप रातभर बैठेंगे।

श्री बसुदेव आचार्य: हम भी रहेंगे। हमें इधर बैठना है। हमें तो मदद करनी है।

उपाध्यक्ष महोदय: ठीक है, पांच मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री बसुदेव आचार्य: हमारे 4-5 महत्वपूर्ण प्वाइंट्स हैं। हम ज्यादा समय नहीं लेंगे। आपने देखा होगा कि हमारा बहुत समय ले लिया गया है।

[अनुवाद]

वहां एक वैगन रिपेयर शाप है। दक्षिण पूर्व रेलवे ने वहां वैगन शाखा में वैगन विनिर्माण हेतु एक रिपोर्ट तैयार और इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया परन्तु यह रेलवे बोर्ड में धूलचाट रही है। थोड़े से निवेश अथवा उस शॉप के थोड़े से विस्तार से कम से कम 300 से 400 वैगनों का विनिर्माण किया जा सकता है। वहां एक परित्यक्त स्टीम लोको शेड है क्योंकि अब पूरे मंडल का विद्युतीकरण हो चुका है। बड़ी संख्या में एमईएमयू रेलगाड़ियां हैं। जिस समय असनसोल और बर्दमान के बीच पहली एमईएमयू रेलगाड़ी का उद्घाटन किया गया था, उस समय मैं वहां पर उपस्थित था। मुझे वर्ष 1993 में उस रेलगाड़ी का उद्घाटन करना था और मैं उस समय स्थायी समिति का अध्यक्ष भी नहीं था। उसके बाद से एमईएमयू रेकों में वृद्धि की गई है। परित्यक्त स्टीम लोको शेड को एमईएमयू लोको शेड में परिवर्तित किया जा सकता है क्योंकि आद्रा मंडल में कोई एमईएमयू अनुरक्षण शेड नहीं है। एमईएमयू का खड़गपुर एमईएमयू अनुरक्षण शेड में रखरखाव किया जाता है और इस प्रकार एमईएमयू रेकों का समुचित उपयोग नहीं किया जा रहा है।

अत:, मैं विद्युत संयंत्र का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं इसका स्वागत कर रहा हूं और मैं भूमि अर्जन में निश्चित रूप से सहयोग करूंगा। भूमि अर्जन तीन (विद्युत संयंत्रों)-एक डीवीसी और दो निजी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले संयंत्रों के लिए किया जा रहा है।

अब, बजट में उल्लिखित अन्य प्रस्तावों पर आते हुए 50 स्टेशनों का विश्ववस्तरीय स्टेशनों के रूप में उन्नयन किया जा रहा है। लालूजी के कार्यकाल में यह संख्या 15 थी, अब यह बढ़कर 50 हो गई है और उन्नयन कार्य पीपीपी (सरकारी-निजी भागीदारी) के आधार पर किया जा रहा है। स्टेशन की इमारत मात्र इमारत नहीं है, अपितु यात्री और माल गाड़ी दोनों प्रकार की रेलगाड़ियों का प्रचालन स्टेशन की इमारत से किया जाता है।

कुमारी ममता बनर्जी: प्रचालन विभाग यह कार्य करेगा।

श्री बसुदेव आचार्य: इसका अर्थ है कि रेलवे के महत्वपूर्ण कार्यकलापों को निजी क्षेत्र को सौंप दिया जाएगा। दो पूर्णत: मालभाड़ा कोरीडोर बनेंगे। उसके लिए कितनी भूमि अधिगृहीत किये जाने की आवश्यकता है। हम औद्योगिक केन्द्र स्थापित करने जा रहे हैं। मैं नहीं जानता कि ये पूर्णत: मालभाड़ा कोरीडोर कैसे बनेंगे। ये पूर्णत: मालभाड़ा कोरीडोर कंटेनर ट्रैफिक डबल डेकर कंटेनर ट्रैफिक, डबल स्लेट कंटेनर ट्रैफिक के लिए होंगे।

गृह मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): क्या आप इसे नहीं चाहते?

श्री बसुदेव आचार्य: मैं पूर्णत: मालभाड़ा कोरीडोर चाहता हूं। श्री चिदम्बरम जी, अपने मंत्रिमंडल की बैठक में उन्होंने निर्णय लिया कि पूर्णत: मालभाड़ा कोरीडोर लुधियाना से सोमनगर तक होगा। तत्कालीन रेल मंत्री श्री राम विलास पासवान जी पूछ रहे थे कि सोमनगर कहां है। मैंने उनसे लालूजी से पूछने को कहा। हम संप्रग सरकार का समर्थन करते थे। हमने इस सभा में लड़ाई लड़ी और इसका विस्तार कोलकाता तक करवाया। अब यह निर्णय लिया गया है कि प्रथम चरण दांकुनी तक होगा। दांकुनी को गंगा नदी पर पुल का निर्माण करके मेट्रो रेलवे से जोड़ा जाना चाहिए। अब, 30,000 एकड़ से अधिक कृषि भूमि मुख्य भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा तो ''मां, माटी और मानुष'' कहां रहेगा। कितनी भूमि की आवश्यकता है?

कुमारी ममता बनर्जी: श्री आचार्य जी, क्या आप एक क्षण के लिए बात सुनेंगे?

श्री बसुदेव आचार्य: इसका निर्माण रेलवे भूमि पर नहीं किया जाएगा क्योंकि हमने इसकी जांच की है। कितनी अधिक भूमि की आवश्यकता होगी?

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: बसुदेव जी, आपको मैंने पांच मिनट बोलने का समय दिया था। अब आप अपना भाषण समाप्त कीजिए।

कुमारी ममता बनर्जी: मां, माटी, मानुष इसलिए बोला है कि हमारी रेल में ....

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: रक्षा मंत्रालय के बाद सबसे अधिक भूमि रेलवे के पास है।

कुमारी ममता बनर्जी: हां, आपने एक प्रश्न उठाया है। मैं जानती हूं कि मैं आपको संतुष्ट नहीं कर सकती परंतु मैं अपनी ओर से पूरा प्रयास करूंगी। रेलवे, पश्चिम रेलवे और पूर्व रेलवे के लिए भी समर्पित मालभाड़ा कोरीडोर बनेगा। हम रेलवे भूमि उपलब्ध कराएंगे।

[हिन्दी]

रेलवे फ्रेट कोरीडोर बनेगा, लेकिन उसके साथ जो इंडस्ट्रियल हब्स वगैरह होंगे, जिन्हें गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, उसमें क्या एतराज है।

[अनुवाद]

यह सिंगुर और नंदीग्राम की तरह नहीं है। कृपया ये सब प्रश्न मत उठाइए। हम धमकी देकर भूमि अधिगृहीत नहीं कर रहे हैं। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

इंडस्ट्रियल हब्स के लिए लैंड की जरूरत होती है। वह तो लम्बा है। फ्रेट कॉरीडोर के लिए कितनी लैंड की जरूरत है। दस लाइन में ज्यादा लैंड की जरूरत नहीं होती।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: ''मां, माटी और मानुष'' कहां होगा? 30,000 हैक्टेयर कृषि भूमि को कहां से अधिगृहीत किया जाएगा। आपको आश्चर्य होगा कि वहां एक स्टेशन का उन्नयन किया जा रहा है। नानुर में एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है। नानुर बीरभूम जिले में है। नानुर के लोग यदि रेलगाड़ी पकड़ना चाहें तो उन्हें इन्नाहा में रेल की सुविधा प्राप्त होती है। परंतु वहां एक भी स्टेशन नहीं है। अब तक 53 परियोजनाओं की घोषणा की गई है *...(व्यवधान)*

[श्री बसुदेव आचार्य]

एक परियोजना विष्णुपुर से मुकुट मणिपुर तक है। इसका निर्माण चतना से मुकुट मणिपुर तक किया जा रहा है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः श्री आचार्य जी कृपया समाप्त कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्यः सामान्यतः, बांकुरा के लोग शिष्ट हैं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदयः यहां झगड़ा मत कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री कल्याण बनर्जी (श्रीरामपुर): कोई उनका विरोध नहीं कर सकता। यही परिभाषा है ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्यः जब वह बोल रहे थे तो किसी ने उन्हें परेशान नहीं किया ...*(व्यवधान)*

आप हमेशा खड़े क्यों हो जाते हैं?

उपाध्यक्ष महोदयः श्री आचार्य, कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए। अब मैं श्री पिनाकी मिश्रा को बुलाता हूं।

श्री बसुदेव आचार्यः महोदया, मैंने अपना भाषण समाप्त नहीं किया है। कृपया मुझे समाप्त करने दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदयः आप निर्धारित समय से अधिक समय ले चुके हैं।

[हिन्दी]

आप लोग आपस में बात कर रहे हैं, ऐसे तो नहीं होता है।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्यः महोदया, यह विष्णुपुर से मुकुट मणिपुर परियोजना है जहां लाइन का निर्माण किया जा रहा है। मुझे मालूम नहीं कैसे। संभव है कि यह अलग गोडा, तलदंगरा, खटरा और उसके बाद मुकुट मणिपुर रेल रूट हो। लोगों को सिंगुर से नंदीग्राम और फिर नंदीग्राम से सिंगुर क्यों जाना पड़ता है।

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर): इसमें क्या नुकसान है?

श्री बसुदेव आचार्यः यदि नंदीग्राम में रसायन केन्द्र और सिंगुर में नैनो विनिर्माण संयंत्र होता तो लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा नहीं करनी पड़ती।

दो-तीन परियोजनाओं के मामले में सर्वेक्षण नहीं किया गया है। कुछ का सर्वेक्षण किया जा रहा है और कुछ को सर्वेक्षण हेतु सम्मिलित किया गया है।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदयः आचार्य जी, आप कनक्लूड कीजिए।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्यः इस सभा में लंबे कार्यकाल के दौरान मैंने इतने अधिक सर्वेक्षण नहीं देखे हैं। में मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि कितने सर्वेक्षण किए गये हैं और रेलवे बोर्ड को कितनी रिपोर्टें प्रस्तुत की गई हैं और उनमें से कितनी वहां धूल चाट रही हैं। बांकुरा में सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है। इस पर विचार नहीं किया जा रहा है।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदयः आचार्य जी, आपकी बात पूरी हो गयी है। अब आप कनक्लूड कीजिए।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्यः महोदया, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं, मैं दो मिनट का समय लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदयः आपके दो मिनट काफी लंबे हैं।

श्री बसुदेव आचार्यः वहां उपनगरीय ट्रेनों के फेरों में वृद्धि करने की आवश्यकता है परंतु यह कार्य अब तक नहीं किया गया है। सवारी डिब्बों की संख्या को नौ से बढ़ाकर बारह करने के लिए सभी प्लेटफार्मों को बढ़ाए जाने की आवश्यकता होगी। मैं इस कदम का स्वागत करता हूं। दो टर्मिनलों की स्थापना हेतु हमारे संघर्ष के कई वर्षों पश्चात, तीन वर्षों पूर्व, दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा मजेरहाट टर्मिनल के लिए योजना और प्राक्कलन प्रस्तुत किये गये थे। हुगली पर सड़क सह रेल सेतु का निर्माण करके मजेरहाट को टर्मिनल स्टेशन बनाया जाना चाहिए। तीन वर्ष पूर्व प्राक्कलन 1600 करोड़ रुपये का था। मैं सालगोला टर्मिनल का भी समर्थन करता हूं। जब मुंबई में उपनगरीय ट्रेनों हेतु अलग टर्मिनल हैं तो कोलकाता में उपनगरीय ट्रेनों हेतु अलग टर्मिनल क्यों नहीं हो सकता?

श्री अधीर चौधरीः इसका प्रस्ताव है।

श्री बसुदेव आचार्यः इसका प्रस्ताव रखा गया है, अच्छा है। केवल दो वर्ष पूर्व प्रस्ताव पूर्व रेलवे से आया था। इन दोनों टर्मिनलों के साथ संतरागाछी में टर्मिनल की आवश्यकता है। वहां

रेलवे भूमि उपलब्ध है और उस भूमि का बस टर्मिनल और टैक्सी स्टैंड बनाने के लिए विकास किया जा सकता है। इस कार्य के होने के बाद लंबी दूरी की ट्रेन में रुक सकती हैं, यात्री संतरागाछी में उतर सकते हैं और कोलकाता जाने के लिए परिवहन के इन माध्यमों का उपयोग कर सकते हैं।

महोदया, मेरा कहना है कि जो कुछ किये जाने की आवश्यकता है उसका रेल बजट में उल्लेख नहीं किया गया है।

***श्री पी.सी. गद्दीगौदर** (बागलकोट): सर्वप्रथम, मैं इस अवसर पर माननीया रेल मंत्री को यात्री किराया और मालभाड़ा दरें न बढ़ाने के लिए बधाई देता हूं। कर्नाटक के लोगों सहित मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र अर्थात् बागलकोट की ओर से मैं एक बार पुन: नई लाइन अलमाटी-कोपल चालू करने और नई रेल बंगलौर-हुबली-सोलापुर सुपरफास्ट (सप्ताह में तीन बार) को प्रारंभ करने के लिए बधाई देता हूं। मैं आपका ध्यान मेरे निर्वाचन क्षेत्र की काफी समय से की जा रही कुछ मांगों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा, जिन पर इस बजट 2009-10 में विचार नहीं किया गया है।

बागलकोट जिले में प्राकृतिक अयस्कों जैसे चूना पत्थर, डोलोमाइट, ग्रेनाइट, लौह अयस्क इत्यादि के अपार भण्डार हैं। बागलकोट के समीप कुडागी में 12-14 चीनी कारखाने, अनेक सीमेंट इकाइयां, ग्रेनाइट संसाधन इकाइयां हैं। एक 4000 मेगावाट ताप ऊर्जा संयंत्र की शीघ्र ही स्थापना की जा रही है। इस निर्वाचन क्षेत्र में अनेक ऐतिहासिक स्थल हैं जैसे बादामी, एहोल, पट्टडकल, वनशंकरी मंदिर, कुडाला संगम, बसवनबागेवाड़ी इत्यादि। बागलकोट मुख्य कृषि और बागवानी उत्पादों जैसे मक्का, बाजरा, अनार और अन्य फलों को लाने और भेजने का भी केन्द्र है।

इन सभी तथ्यों पर विचार करते हुए, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र बागलकोट की काफी समय से लंबित मागों पर विचार करें।

1. नई लाइन:

(क) बागलकोट-कुडुची नई लाइन पर सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है और निविदा प्रक्रिया इत्यादि में तेजी लाने की आवश्यकता है।

2. नई रेलगाडियां:

(क) बीजापुर-बंगलौर शहर गोलगुम्बज एक्सप्रैस को प्रारंभ किया जाए ताकि रेलगाड़ी बंगलौर शहर से सुबह 9.45 बजे चलकर वाया बागलकोट होते हुए 2200 बजे बीजापुर पहुंचे।

(ख) हुबली-शोलापुर के बीच इंटरसिटी ट्रेन।

(ग) गरीब रथ एक्सप्रेस बंगलौर शहर से वाया बेलारी, होसवेट, गदग, बागलकोट, बीजापुर, शोलापुर से नई दिल्ली या बंगलौर शहर के एक वैकल्पिक मार्ग, तुमकुर, अरसीकैरे, चिक्जाजर, रायदुर्ग, बेल्लारी, होसपेट, गदग, बागलकोट, बीजापुर, शोलापुर से नई दिल्ली के लिए प्रारंभ की जाए।

3. ट्रेनों के मार्ग परिवर्तन:

(क) गाड़ी सं. 2429 राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन को सप्ताह में दो बार वाया होसपेट, गदग, बागलकोट, बीजापुर चलाया जाए।

(ख) 2429 संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को कम से कम सप्ताह में तीन बार वाया गदग-बागलकोट-बीजापुर से चलाया जाए।

(ग) गोल्डन चैरियट ट्रेन को बीजापुर तक चलाया जाए जो अभी केवल गदग तक जाती है। ''नई लाइनों, नई ट्रेनों, ट्रेनों के मार्ग-परिवर्तन के अतिरिक्त मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की अपेक्षाओं और अन्य मांगों पर भी विचार किया जाए।

(1) चूंकि बागलकोट जिला मुख्यालय है और गदग तथा बीजापुर के मध्य मुख्य रेलवे लाइन पर स्थित है। इस रेलवे स्टेशन का ''क'' श्रेणी के स्टेशन और ''स्वच्छ ट्रेन स्टेशन'' के रूप में दर्जा बढ़ाया जाए।

(2) स्टेशनों पर ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करने वाले यात्री आते हैं अत: बदामी और बसावना बागीवाड़ी रोड स्टेशनों पर वीआईपी विश्राम कक्ष निर्मित किये जाने के साथ ही अन्य सुविधाएं देकर दर्जा बढ़ाया जाए।

(3) बादामी में रेल यात्री निवास का निर्माण किया जाए।

(4) बीजापुर और गदग स्टेशनों के मध्य कार्यरत रेलवे कर्मचारियों की चिकित्सा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बागलकोट में एक अतिरिक्त रेलवे स्वास्थ्य इकाई स्थापित की जाए।

(5) बागलकोट स्टेशन के सभी प्लेटफार्मों पर रेलगाड़ियों हेतु जल भरण सुविधा होनी चाहिए।

(6) बागलकोट में दुर्घटना राहत सुविधाएं प्रदान की जाए।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री पी.सी. गद्दीगौदर]

(7) चूंकि बागलकोट को पर्याप्त सहायक आधारभूत अवसंरचना सहित मुख्य रेल जांच स्थल और मुख्य सामान वैगन मरम्मत स्थल बनाया गया है। अत: यहां सामान संभलाई सुविधा का उन्नयन किया जाए।

(8) चूंकि दक्षिण पश्चिम रेलवे एक नया जोन है अत: उसकी स्टाफ और कार्मिकों संबंधी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए जोनल प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की जाए।

इसलिए, मैं माननीय रेलवे मंत्री से आग्रह करता हूं कि मेरे उपरोक्त निवेदनों, बागलकोट निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की काफी समय से लंबित मांगों को अनुपूरक बजट में पूरा किया जाए।

श्री पिनाकी मिश्रा (पुरी): उपाध्यक्ष महोदया, श्री आचार्य ने उड़ीसा के पिछड़ेपन का उल्लेख करके और उड़ीसा के लिए रेलवे के संबंध में ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता की बात करके उड़ीसा के हित की बात की है, परन्तु इसके साथ ही उन्होंने उड़ीसा के साथ न्याय नहीं किया है शायद क्योंकि श्री आचार्य की टिप्पणियों से रेल मंत्री महोदया विचलित तथा उद्वेलित लग रही हैं।

रेल मंत्री महोदया से मेरा अनुरोध है कि वे हमारी बातों को शांत मन से सुनें और सहानुभूतिपूर्वक विचार करें क्योंकि रेलवे बजट पर हम इस बार भी बहुत दुख के साथ बोल रहे हैं। एक बार फिर रेल बजट ने उड़ीसा को बहुत निराश किया है। मैं माननीय रेल मंत्री के वक्तव्य की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो बहुत ही विचारोत्तेजक भाषण था और यह भाषण उपदेशों से भरा था जिसमें रेल मंत्री ने कहा था कि उन्होंने एक विशेष समिति गठित करने का निर्णय लिया है जो तथाकथित आर्थिक रूप से ज्यादा लाभकर नहीं है लेकिन सामाजिक रूप से अपेक्षित परियोजनाओं हेतु नए प्रकार से वित्तपोषण तथा क्रियान्वयन पर उनको परामर्श देगी। मेरे विचार से उनका मतलब आवश्यक परियोजनाओं से था।

अपराह्न 3.56 बजे

[**श्री अर्जुन चरण सेठी** *पीठासीन हुए*]

उड़ीसा के साथ परेशानी यह है कि इस राज्य की स्थिति बिल्कुल ही विपरीत है। हमारा क्षेत्र आर्थिक रूप से सबसे ज्यादा लाभकर है लेकिन, ऐसा लगता है कि हम राजनीतिक रूप से एकदम अनपेक्षित है और इसी कारण बार-बार हमारे हितों की भी अनदेखी की जाती है। उड़ीसा से सांसद, जो बीजू जनता दल के हैं, ने रेल मंत्री महोदया को राज्य के पिछड़ेपन के संबंध में रेल बजट से ठीक पूर्व एक याचिका दी थी। मैं विशेष रूप से खुश हूं कि माननीय गृह मंत्री यहां उपस्थित हैं और दो-चार दिन पूर्व ही उन्होंने कुछ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की स्वयं जानकारी हासिल करने के लिए दौरा किया था। मैं समझता हूं कि माननीय गृह मंत्री स्वयं उड़ीसा से अनुभव करके आए हैं कि देश के इस भाग में माओवादी और नक्सलवाद का मूल कारण वहां की गरीबी, पिछड़ापन और बेरोजगारी है।

इसलिए, रेल मंत्री के भाषण का वह अंश जिसमें कहा गया है, ''जो लोग विकास की प्रतीक्षा कर रहे हैं उनके लिए समय आ गया है कि वे अब विकास से लाभान्वित हो''। इस प्रकार के वक्तव्य पढ़ने में तो बहुत अच्छे लगते हैं और इसका सभा में तालियों से खूब स्वागत किया गया, लेकिन संभवत: इस पर कार्य करने की जरूरत है और रेल मंत्री से मेरा बहुत ही नम्र निवेदन है कि वे अपने विचारों को मूर्त रूप दें।

हमने उड़ीसा के दक्षिणी भाग को, विशेष रूप से जयपुर-मलकानगिरि क्षेत्र को, रेल से जोड़ने के लिए अनुरोध किया है? जो उड़ीसा में नक्सलवाद का सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र है। यह मात्र उड़ीसा की समस्या नहीं है। माननीय गृह मंत्री तथा रेल मंत्री भी इस बात से अवगत हैं। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है। वे बंगाल से है जो उड़ीसा का पड़ोसी राज्य है। यह पूरे भारत की समस्या है। हम और हमारे पड़ोसी राज्य इससे जूझ रहे हैं। लेकिन स्थानीय तौर पर हम यदि विकास का कुछ फायदा उन्हें पहुंचा सके तो मैं समझता हूं कि हम नक्सलवादियों को अलग-अलग कर सकेंगे और लोगों की सोच में बदलाव आएगा। जयपुर-मलकानगिरि खंड तथा नौपाड़ा-गुनूपुर संपर्क ये दोनों दक्षिणी उड़ीसा में औद्योगिक तथा खनन गतिविधियों के प्रमुख स्थान है तथा यहां बेरोजगारी की समस्या भी है। इसलिए, यदि रेलवे दक्षिण उड़ीसा के लोगों की समस्याओं को कम करने के बारे में सोच रहा है तो सर्वप्रथम इन समस्याओं को वास्तव में हल करना चाहिए।

रेल मंत्री महोदया ने उड़ीसा के लिए कई नई रेलगाड़ियों का उल्लेख किया है। इसमें कुछ साप्ताहिक रेलगाड़ियां हैं। उदाहरण के लिए, माननीया रेल मंत्री ने दूरंतो गाड़ी का जिक्र किया है जो साप्ताहिक गाड़ी होगी। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि इन रेलगाड़ियों को सप्ताह में तीन दिन नहीं चला सकते तो कम से कम दो दिन चलाया जाना चाहिए। इसके साथ ही वह हिस्सा जहां यह गाड़ी चलेगी, जो उड़ीसा का तटीय क्षेत्र है हमें उड़ीसा में कुछ पश्चिमी भाग को भी रेल सेवा से जोड़ना है। मैं समझता हूं कि यह बड़ी आसानी से किया जा सकता है। थोड़ी दूर तक पटरियां बिछा कर बहुत बड़े क्षेत्र को शामिल किया जा सकेगा। इसलिए उड़ीसा को प्रभावित करने वाली समस्या यह है कि

उड़ीसा में रेल मार्ग की लम्बाई और रेल का घनत्व उस अनुपात में नहीं है जितना लाभ रेलवे उड़ीसा से कमा रहा है।

अपराह्न 4.00 बजे

यह राष्ट्रीय औसत से कम है। वास्तव में, वर्ष 2008-09 में यह 5000 करोड़ रुपये से अधिक होने का अनुमान है।

हमें माननीय गृह मंत्री की अनुपस्थिति खलेगी। मुझे आशा है कि माननीय गृह मंत्री हमारी कुछ बातें याद रखेंगे और रेल मंत्री महोदया से इस संबंध में बात करेंगे।

हमारा अनुरोध है कि आप जो राजस्व केवल उड़ीसा से अर्जित कर रही हैं, जो 5000 करोड़ रुपये से अधिक है, उसका कुछ अंश उड़ीसा में उपयोग करें। उड़ीसा के औद्योगिक और खनिज केन्द्र में स्थित ये लाइन सबसे अधिक है तथा सबसे अधिक उपयोग और राजस्व अर्जित करने वाली लाइनों में से है। क्योंझर, ढेंकनाल, बालासोर, सुंदरगढ़, गोपालपुर थिरुम्बाली उड़ीसा के कुछ सबसे सम्पन्न क्षेत्र है और रेलवे को इन क्षेत्रों से बड़ी कमाई होती है फिर भी इसमें से बहुत कम धन वार्षिक आधार पर इन क्षेत्रों के विकास पर खर्च होता है।

रेल बजट में हर साल बहुत सारे वायदे किये जाते हैं लेकिन हम पाते हैं कि इसमें से शायद ही कोई वायदा निचले स्तर पूरा किया जाता है। उदाहरण के लिए रेल बजट में रेल मंत्री ने कहा था कि पिछले साल रेल द्वारा मालढुलाई में 850 मीट्रिक टन की कमी हुई, और यहां के उद्योग हर दिन, हर हफ्ते यहां सुविधाों की जोरशोर से मांग कर रहे हैं, हम इन क्षेत्रों में रेलवे वैगन की सुवधिा की मांग कर रहे हैं। इन क्षेत्रों में प्रतीक्षा अवधि 6.8.12. सप्ताहों तक की होती है। आप पूरे देश में मालभाड़ा में कमी की बात कर रहे हैं। ये देश में वे हिस्से हैं जहां प्रतीक्षा अवधि 12-14-16 हफ्ते की है। पारादीप बंदरगाह देश के सर्वोत्तम बंदरगाहों में से एक है और यह भी जहाज माल उतारने में असमर्थ है, रेलवे सुविधा नहीं होने के कारण जहाजों को कई सप्ताह खड़ा रहना पड़ता है।

इसलिए, जब रेल मंत्री अल्प विकसित क्षेत्रों की बात करती है जिन्हें विकास का लाभ अवश्य मिलना चाहिए तो मैं ईमानदारी से उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे कुछ करे। वे पड़ोसी राज्य से है, उन्होंने बंगाल में अल्प विकास और विकास न होने के नतीजे देखे हैं।

इसलिए उन्हें व्यक्तिगत तौर पर अल्पविकास और अविकास से जुड़ी समस्याओं के बारे में पता है, वह उड़ीसा की समस्याओं के बारे में जानती हैं, और यह भी जानती हूं कि इन्हें कैसे सुलझाया जा सकता है क्योंकि इन वर्षों में यही उनकी सोच रही है कि पश्चिम बंगाल के पिछड़ेपन को कैसे दूर किया जाए। इसलिए ऐसा कोई कारण नहीं है कि इसी मापदण्ड को आगे न बढ़ाया जाए और उड़ीसा में प्रयोग न किया जाए।

उदाहरण के लिए कोलकाता-तलचर लाइन को ही लीजिए, जोकि पूर्व ब्रिटिश समय में निर्मित लाइनों में से एक है। यह उड़ीसा में सबसे समृद्ध कोयला क्षेत्र है और फिर भी इस लाइन का उन्नयन नहीं किया गया है और इस लाइन का किसी भी प्रकार का कोई विकास नहीं हुआ है। इसके परिणामस्वरूप इन लाइनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो पा रहा है जिसके कारण राज्य और इन क्षेत्रों का विकास नहीं हो रहा है तथा इस क्षेत्र के खनिज संसाधनों का पूर्ण उपयोग भी नहीं हो रहा है।

जहां तक रेल भूमि के उपयोग का संबंध है। माननीया रेल मंत्री ने हमें एक हितकारी प्रस्ताव दिया है-पीपीपी। यह एक हितकारी प्रस्ताव है। मैं सोचता हूं कि द्विपक्षीय आधार पर यह सभा भी इससे सहमत होगी क्योंकि व्यक्तिगत तौर पर हम उन बातों को जानते हैं। उदाहरण के लिए मेरे निर्वाचन क्षेत्र में बहुत भूमि हैं; पुरी में, रेलवे के पास काफी भूमि है जिस पर अतिक्रमण बढ़ रहा है; यह जीवन का एक सत्य है। रेलवे की भूमि के काफी बड़े हिस्से पर लगातार अतिक्रमण बढ़ रहा है और आप अतिक्रमण करने वालों से छुटकारा नहीं पा सकते हैं। इसलिए रेलवे अपनी भूमि को सदा के लिए खो देगा। सिद्धांत रूप में उनका निर्णय सही है, परन्तु इसे शीघ्र कार्यान्वित करना होगा, क्योंकि प्रत्येक वर्ष आप अधिकाधिक भूमि को खोते जा रहे हैं, जिसे पुन: प्राप्त नहीं किया जा सकता।

जहां तक उड़ीसा का संबंध है, मैं माननीया रेल मंत्री के ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि पिछले दो दशकों से प्रस्ताव है कि राज्य में रेलवे कोच फैक्ट्री बनाई जाए। यह पिछले दो दशकों से है। इस प्रस्ताव पर प्रत्येक वर्ष विचार किया जाता है क्यों? क्योंकि माल भाड़े के लिए आप संभार व्यवस्था की ओर देखते हैं। देश में रेल कोच फैक्ट्री लगाने के लिए उड़ीसा से बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती। यहां आपके पास एल्यूमीनियम है, स्टील है, आपके सभी आवश्यक सामान 50 कि.मी. के क्षेत्र में ही हैं। इस तरह से मालभाड़ा व्यवस्था से होने वाले फायदे के बारे में सोचिए; और फिर भी हम पाते हैं कि भुवनेश्वर के निकट मंचेश्वर का प्रयोग केवल मरम्मत शैड के रूप में किया जा रहा है।

रेलवे भूमि का काफी बड़ा क्षेत्र है जिसे राज्य में वस्तुत: सरकारी-निजी भागीदारी के तहत रेलवे कोच विनिर्माण फैक्ट्री के लिए प्रयोग किया जा सकता है। मैं माननीया रेल मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि इस प्रस्ताव को अधर में न लटकाएं बल्कि शीघ्र कार्यान्वित करें।

[श्री पिनाकी मिश्रा]

मैंने पूर्व रेल मंत्री को यह कहते हुए सुना जिनका मैं अत्यधिक आभारी हूं और वह हमारे साथ है, किसी के भाषण के दौरान उन्होंने यह कहा कि ये विश्वस्तरीय रेलवे स्टेशन अभी कागजों में ही हैं और इन्हें कार्यान्वित करने की संभावना काफी कम है। मुझे इस दोषदर्षिता से काफी आघात लगा। मैं सम्मानपूर्वक कहता हूं कि इस सभा में कोई भी इस दोषदर्शिता से सहमत नहीं होगा। मैं विशेषकर इसलिए आभारी हूं कि भुवनेश्वर सहित पुरी, जोकि मेरा निर्वाचन क्षेत्र है, को अधिसूचित किया गया है, जबकि इसे विश्वस्तरीय रेलवे स्टेशन बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन हैं। जैसाकि पूर्व रेल मंत्री ने खड़े होकर व्यंग्य किया कि यह घोषणा मेरे समय में की गई थी और संभवत: आपके समय में भी यह केवल कागजों पर ही रहेगी, यदि ऐसा होता है तो यह सबसे दुखदायी दिन होंगे।

माननीया रेल मंत्री जानती हैं और मैं आपके माध्यम से उनके ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि प्रत्येक 12 वर्ष में होने वाले धार्मिक उत्सव में भाग लेने के लिए वर्ष 2014 में लगभग 10 दिनों की अवधि में 30 लाख से 50 लाख लोग पुरी में आयेंगे। यह उत्सव वर्ष 2014 में होगा और इसलिए हम आवश्यक सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पुरी में बिना दोहरी लाइन के विश्वस्तरीय स्टेशन कैसे बनाया जा सकता है? पुरी के लिए एक लाइन है। इसलिए इसे जब आप वास्तविक जामा पहनाएं कि यहां विश्वस्तरीय रेलवे स्टेशन होगा, तो क्या आपने महसूस किया है या मंत्रालय से किसी ने आपको अवगत कराया कि वहां एक लाइन ही है और हम यहां दोहरी लाइन के बिना इसे विश्वस्तरीय रेलवे स्टेशन कैसे बना सकते हैं। दोहरीकरण का प्रस्ताव पिछले 15 वर्षों से विचाराधीन है। कार्य में वस्तुत: प्रगति बुहत धीमी रही है। हम पुरी को विश्व स्तरीय स्टेशन का दर्जा कैसे दे सकते हैं?

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री पिनाकी मिश्रा: सभापति महोदया, मैं जानता हूं कि अन्य वक्ता प्रतीक्षा कर रहे हैं। उड़ीसा में आज रेल बजट के विरोध में बंद किया गया है। हमने केवल मालगाड़ियों को ही रोका है हमने यात्री ट्रेनों को बाधित नहीं किया। दुर्भाग्यवश ऐसा हर वर्ष होता है। जैसाकि मैंने कहा, आज मैं भारी मन से बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। हमने रेल मंत्री को अनुरोधों, प्रस्तावों, विनयपूर्वक की गई मांगों का पूर्ण सेट दिया है, यदि आप इन्हें ठीक समझें तो कृपया उड़ीसा को उसका हिस्सा दीजिए। हम एक पिछड़े राज्य के लिए यह मांग कर रहे हैं। यदि आप उड़ीसा से प्रत्येक वर्ष 5000 करोड़ रु. ले रहे हैं तो इसे इसका कुछ हिस्सा दीजिए। हमें प्रत्येक वर्ष न्यूनतम 500-700 करोड़ रुपये दीजिए।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): कम से कम हमें इसका 50 प्रतिशत दिया जाना चाहिए।

श्री पिनाकी मिश्रा: मेरे वरिष्ठ माननीय सदस्य ठीक कह रहे हैं। यह कम से कम पचास प्रतिशत तो होना ही चाहिए परन्तु हम इसके केवल कुछ हिस्से की मांग कर रहे हैं। हमें दस या बीस प्रतिशत दीजिए। पिछले 20 या अधिक वर्षों से पिछड़ी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए यह राशि पर्याप्त होगी। इन शब्दों के साथ मैं पुन: आग्रह करता हूं कि उड़ीसा को उसका हिस्सा दें।

श्री आनंदराव अडसुल (अमरावती): आदरणीय सभापति महोदय, रेल बजट, 2009-2010 पर बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। सर्वप्रथम तो माननीया रेल मंत्री, 'दीदी' को लम्बे समय बाद इस विभाग का कार्यभार ग्रहण करने के लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। वह बहुत ही सक्षम हैं और साधारण होते हुए एक असाधारण व्यक्तित्व रखती हैं।

सबसे पहले मैं माननीया रेल मंत्री के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि मुम्बई के लोग इस बजट से थोड़ा नाखुश हैं। यद्यपि, विगत में रेलवे को घाटा हो रहा था, लेकिन 'मुम्बई लोकल' हमेशा मुनाफे में चल रही है। प्रतिदिन मुम्बई लोकल गाड़ियों से लगभग 40 लाख लोग यात्रा करते हैं और मासिक टिकट के रूप में वे रेलवे को अग्रिम किराये का भुगतान कर रहे हैं।

कुमारी ममता बनर्जी: क्या आप उपनगरीय रेल की बात कर रहे हैं?

[हिन्दी]

मुम्बई सबअर्बन में हमने मैमो, डैमो इत्यादि के बारे में बजट में नहीं बताया क्योंकि यह एक कंटीनुअस प्रोसैस है। इसको स्ट्रैन्थन करना ही है।

[अनुवाद]

जो भी उपनगरीय रेलगाड़ियां वहां मौजूद हैं, उनकी संस्था व सुवधि में विस्तार किया जाएगा। मुम्बई, कोलकाता चेन्नै बंगलौर और दिल्ली में भी हैं।

[हिन्दी]

जहां मुम्बई सबअर्बन एरिया के ज्यादा यात्री, पैसेंजर जाते हैं। यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इसको एक्सटेंशन करेंगे लेकिन इसमें बजट में हमने इसीलिए नहीं बताया क्योंकि यदि हम बजट में इन सबके बारे में चर्चा करेंगे तो हजारों पेज हो जाएंगे। इसीलिए नहीं बताया। अन्यथा ऐसी कोई बात नहीं है।

[अनुवाद]

उन्हें सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी।

श्री आनंदराव अडसुल: मैं आपके ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि मुम्बई देश से प्राप्त कुल राजस्व के एक-तिहाई हिस्से का भुगतान करती है। अकेली मुम्बई 1,00,000 हजार करोड़ रुपये का भुगतान करती है। इसी वजह से हमारी अपेक्षाएं भी कुछ ज्यादा हैं। मुम्बई अपने आप में एक छोटा भारत है, जहां देश के सभी राज्यों के लोग तथा सभी धर्मों के लोग रहते हैं। इतना ही नहीं, यह इस देश की आर्थिक राजधानी भी है। यही कारण है कि यहां की अपेक्षाएं कुछ ज्यादा हैं। निश्चित रूप से, मैं आशा करता हूं कि रेल मंत्री होने के नाते आप मुम्बई पर उचित ध्यान देंगी।

अब मैं अपने चुनाव क्षेत्र अमरावती की बात करता हूं। यह एक राजस्व वाला शहर है, जिसके आसपास पांच जिले लगते हैं और यह एक कारपोरेट क्षेत्र है। अमरावती में दस लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। अमरावती शहर मध्य रेलवे से 10 किलोमीटर दूर है। विगत में बड़नेरा स्टेशन था। बड़नेरा से अमरावती तक एक शटल रेल सेवा चलती थी। आज भारत के राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के आशीर्वाद से अमरावती से अमरावती-मुम्बई, अमरावती-सूरत और अमरावती-नागपुर नामक तीन नई गाड़ियां शुरू की जा चुकी हैं। पहले ये गाड़ियां नहीं थीं। यह मुख्यभूमि से दस किलोमीटर दूर है और केवल शटल सेवा ही उपलब्ध थी। अब यह स्टेशन अमरावती शहर में स्थित है और यही कारण है कि गाड़ियों की बारंबारता अधिक है। राजपेट में स्थित समपार अत्यधिक व्यस्त रहता है क्योंकि यह अमरावती के मुख्य बाजार में स्थित है। इस समपार के आस-पास कई विद्यालय और अस्पताल हैं। यही कारण है कि एक ऊपरिपुल की तत्काल जरूरत है या एक भूमिगत पारपथ का प्रावधान जल्दी से जल्दी कराया जाए। मैं समझता हूं कि आप इस बात का समुचित ध्यान रखेंगे। मैंने पहले ही प्रस्ताव भेज दिया है। ...*मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस कार्य को युद्ध स्तर पर शुरू करायें।

तीसरा, एक गम्भीर मुद्दा है। पूर्व प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हाराव के कार्यकाल के दौरान का प्रस्ताव किया गया था और इस पर कार्य वास्तव में 1995 में शुरू हुआ था।

सभापति महोदय: श्री अडसुल जी, भारत की माननीया राष्ट्रपति के नाम का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए।

श्री आनंदराव अडसुल: ठीक है। कोई बात नहीं। अमरावती-नरखेड़ रेल लाइन का निर्माण 1995 में शुरू हुआ था। लगभग 42 किलोमीटर तक कार्य पूरा कर दिया गया है। शेष भाग के लिए भूमि रेलवे के कब्जे में है। 35 में से 25 बड़े पुलों का कार्य पूरा हो चुका है। 138 में से 125 छोटे पुल पूरे हो चुके हैं लेकिन दुर्भाग्य 42 किलोमीटर तक जो भी कार्य पूरा किया गया है, उसमें भारी नुकसान किया गया है, बहुमूल्य उपकरण क्षतिग्रस्त किये जा रहे हैं और ताम्बे के तारों की चोरी हो रही है। किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया है। मैं स्वयं उस स्थान पर गया था और उसे देखा था। यह बहुत ही गंभीर मामला है। जो भी काम पूरा किया गया है, उसे क्षति पहुंचाई जा रही है। 93 किलोमीटर के इस शेष भाग को तभी पूरा किया जा सकता है जबकि पर्याप्त धन का आवंटन हो। मैं माननीया रेल मंत्री जी से इस विषय पर गंभीरता से विचार करने तथा इस भाग को पूरा करने के लिए समुचित धनराशि आवंटित करने का अनुरोध करता हूं।

महोदया, मेरा अगला मुद्दा छोटी लाइन को बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन से संबंधित है। राजग सरकार के शासनकाल के दौरान सभी छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने का निर्णय लिया गया था। लेकिन मेरे चुनाव क्षेत्र में एक छोटी लाइन, जो तीन जिलों को कवर करती है को दुर्भाग्य से अभी तक बड़ी लाइन में नहीं बदला गया है। यह लगभग 125 किलोमीटर है। इस लाइन का निर्माण 1913 में एक ब्रिटिश कम्पनी द्वारा किया गया था। तब से अब तक 93 वर्ष गुजर चुके हैं। मात्र 1,20,00,000 रुपये के भुगातन से भारतीय रेलवे इसका स्वामित्व हासिल कर सकती है और इस लाइन को बड़ी लाइन में बदला जा सकता है। इस लाइन को बड़ी लाइन में बदलने से क्या फायदे होंगे? इससे कपास की खेती करने वाले, तेल का उत्पादन करने वाले और मूल्यवान खाद्यान्नों का उत्पादन करने वाले किसानों को लाभ होगा। इसके अतिरिक्त यदि इस लाइन को बड़ी लाइन में बदला जाता है, तो उद्योगपति इस क्षेत्र में निवेश करने के लिए आगे आएंगे और इसके परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में रोजगार के और अवसर पैदा होंगे। यात्रियों को भी इससे काफी लाभ होगा। जमीन रेलवे के कब्जे में है और रेलमार्ग भी मौजूद है। हम सिर्फ इस मीटरगेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलना है। मैंने मंत्रालय को पहले ही यह प्रस्ताव भेजा हुआ है। माननीया रेल मंत्री कृपया इस प्रस्ताव पर ध्यान दें और इस पर शीघ्रता से कार्य करें।

महोदया, पूर्व रेल मंत्री, श्री लालू प्रसाद जी, ने घोषणा की थी कि रेलवे स्टेशनों पर काम करने वाले कुलियों को गैंगमैन की नौकरी दी जाएगी। हमारा निष्कर्ष यह रहा है कि अधिकांश कुली गैंगमैन बनने के इच्छुक नहीं हैं और वे अपने उस कार्य से खुश हैं जो वे इस समय कर रहे हैं।

महोदया, मैंने माननीया रेल मंत्री को ये प्रस्ताव भेजे हैं और मैं माननीया रेल मंत्री से इस पर गंभीरता से विचार करने का अनुरोध करता हूं।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्रीमती सुप्रिया सुले (बारामती): महोदय, सबसे पहले तो मैं इतना अच्छा सामाजिक बजट प्रस्तुत करने के लिए माननीया रेल मंत्री जी को बधाई देना चाहती हूं। मैं समझती हूं कि हने उनसे जो उम्मीदें की थी वे ज्यादातर पूरी हो गई हैं और इस बजट में उन्होंने एक उदाहरण स्थापित किया है क्योंकि उन्होंने समाज के सभी वर्गों को शामिल करने वाला बजट प्रस्तुत करने की बात सोची है? अत:, सर्वप्रथम तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूं और मैं इस बजट का तहेदिल से समर्थन करती हूं।

महोदया, यात्रियों के लिए उन्होंने जो कुछ किया है उसके बारे में मेरे साथी श्री मुत्तेमवार काफी विस्तार से बोल चुके हैं और समयाभाव के कारण मैं उस मुद्दे पर ज्यादा नहीं बोलना चाहती, लेकिन, मैं उनके उन प्रयासों की अवश्य सराहना करनी चाहती हूं जो उन्होंने रेल कर्मचारियों के लिए किये हैं, जिनमें उनके लिए आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के लिए प्रावधान करना शामिल हैं। मैं उनके उस असाधारण निर्णय के लिए भी सराहना करना चाहती हूं जो उन्होंने किसानों के लिए ज्यादा शीतगारों, प्रशीतकों का प्रावधान करके माल ढुलाई के संबंध में लिया है। यह अत्यंत उत्साहवर्धक घोषणा है। बजट में ऐसे अनेक अच्छे प्रावधान किये गये हैं।

मैं यहां एक बात स्पष्ट करना चाहती हूं। माननीया रेल मंत्री ने मुम्बई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल और पुणे तथा नागपुर के अन्य स्टेशनों में भी सुधार के लिए काफी प्रयास किए हैं। उन्होंने 38 स्टेशनों को आदर्श स्टेशन के रूप में वर्गीकृत भी किया है और बोरीविली रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म 16'ए' के लिए 14.5 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की है। लेकिन असली समस्या मुंबई में है। मेरे मित्र ने जिक्र किया था कि मुंबई में लगभग 40 लाख लोग रेलवे स्टेशनों का प्रयोग करते हैं। मैं इस संख्या में सुधार करना चाहती हूं। मुम्बई में लगभग 25 लाख लोग रेलवे स्टेशनों का प्रयोग करते हैं।

मैं उनके प्रयासों की सराहना करती हूं। वे आज ही कुछ नहीं कर सकती, लेकिन हम चाहते हैं कि मुम्बई के लिए क्या किये जाने की आवश्यकता है, उसके विस्तृत अध्ययन के लिए एक अलग बैठक हो। राजस्व के अलावा, मैं समझती हूं कि जीवन में राजस्व ही सब कुछ नहीं है। देश में सबके लिए अवसंरचना की आवश्यकता है और इसी पर ममता जी ने इस पूरे बजट में विस्तार से ध्यान दिया है।

एमयूटीपी परियोजना, जिसके बारे में प्रत्येक ने बात की है, में 50 प्रतिशत योगदान विश्व बैंक का, 25 प्रतिशत भारत सरकार का और 25 प्रतिशत महाराष्ट्र सरकार का है। माननीया मंत्री ने एमयूटीपी चरण-1 के लिए 304 करोड़ रुपये की धनराशि और चरण-2 के लिए 125 करोड़ रुपये की धनराशि दी है, जिसके लिए हम उनके आभारी हैं। यह कुल धनराशि 429 करोड़ रुपये बनती है और महाराष्ट्र सरकार भी 429 करोड़ रुपये देगी जिससे यह धनराशि 858 करोड़ रुपये हो जाएगी और परियोजना का वर्तमान चरण लगभग 5300 करोड़ का है। उन्होने हमें जो सहायता दी है, उसके लिए हम उनकी सराहना करते हैं, लेकिन आज मुम्बई में हमें जिस प्रकार के उन्नयन की आवश्यकता है उसके लिहाज से यह अपेक्षाकृत कम है।

महाराष्ट्र सरकार ने उनसे एक पत्र में विनम्र निवेदन किया है जिसमें महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री ने उनको 12 डिब्बों वाली 48 ईएमयू रेलगाड़ियों के संबंध में लिखा है, जिसकी भारी कमी है क्योंकि केवल 12 रेक के उत्पादन की उपलब्धि ही प्राप्त की जा सकी है। छह रेक की कमी है और इसे पूरा किये जाने की आवश्यकता है। माननीया मंत्री को प्रस्तावित हार्बर लाइन पर बारह डिब्बों वाली ईएमयू रेलगाड़ी की मंजूरी भी अभी नहीं हो पायी है।

ग्रांट रोड टर्मिनस जो मुंबई में अत्यधिक महत्वपूर्ण टर्मिनस है, पर भी अत्यधिक भीड़ रहती है। भविष्य में हमें उनसे इस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए अनुरोध करने की आवश्यकता पड़ सकती है। मुंबई में सेन्ट्रल लाइन, हार्बर लाइन और वेस्टर्न नामक तीन मुख्य लाइनें हैं। ज्यादातर रेलगाड़ियों में लगभग 9 डिब्बे हैं। इनको प्रयोग करने वाले लोगों की संख्या को ध्यान में रखते हुए हमें इन सभी रेलगाड़ियों का नौ डिब्बों वाली से 12 डिब्बों वाली रेलगाड़ियों में उन्नयन करने की आवश्यकता है और जहां वर्तमान में 12 डिब्बे हैं, वहां उन्हें 15 करने की आवश्यकता है।

जहां तक 'महिला विशेष' (लेडीज स्पेशल) रेलगाड़ियां का संबंध है, मैं उनकी आभारी हूं कि उन्होंने तीन प्रमुख महानगरों के बारे में सोचा है और बहुत अच्छे कदम उठाये हैं। लेकिन मुम्बई में अनेक मध्यवर्गीय कामकाजी महिलाएं रेलगाड़ियों का नियमित रूप से उपयोग करती हैं। मुंबई में रेलगाड़ियों के उन्नयन की काफी आवश्यकता है क्योंकि हमें काफी अधिक डिब्बों की आवश्यकता है। महोदया, दुर्भाग्य से मुंबई में जो छह माह पहले हुआ, उसको ध्यान में रखते हुए, एक महिला होने के नाते आप समझ सकती हैं कि महिलाओं की संरक्षा और सुरक्षा कितनी अहम है। महिलाएं अत्यधिक असुरक्षित महसूस कर रही हैं। यदि आप महिलाओं के डिब्बों में थोड़ा और ज्यादा पुलिस बल तैनात कर सकें, तो मुंबई में इस बात की बहुत सराहना होगी। सामान के लिए भी डिब्बे होने चाहिएं क्योंकि मुंबई में अनेक महिलाएं, जो सब्जी विक्रेता हैं, अपना समान ले जाती हैं। वे रेलगाड़ियों में यात्रा करती हैं, लेकिन अपना सारा सामान रखने के लिए वे पुरुष डिब्बों में नहीं जा सकती। यदि गर्भवती महिलाओं के लिए प्रावधान करने

पर भी विचार किया जा सके तो यह सराहनीय होगा। यदि आप उन्हें विकलांगों के क्षेत्र में जगह दे सकें, तो अत्यन्त सराहनीय होगा।

इन सभी मांगों के साथ-साथ, मैं माननीया मंत्री के समक्ष एक सामाजिक मुद्दा उजागर करना चाहती हूं। आपने अपने भाषण में स्व-सहायता समूहों की महिलाओं और नि:शक्त का जिक्र किया है। जब आप सभी मुख्य रेलवे और स्टेशनों का इतना उन्नयन कर रही हैं, तो यदि आप स्व-सहायता समूहों और नि:शक्त को भी एक-एक स्टाल दे सकें, तो इससे उन्हें सभी स्टेशनों पर कुछ जीविका मिलेगी।

एक अन्य प्रमुख परियोजना, जिसके लिए महाराष्ट्र सरकार आपके संपर्क में है, वह 'डेक्कन ओडिसी लक्जरी ट्रेन' है जो आपने 2000-01 में आरंभ की थी। निस्संदेह, अब यह चल रही है, लेकिन समस्या प्रचालन लागत की है। प्रत्येक फेरे की प्रचालन लागत लगभग 29 लाख से 34 लाख रुपये है और इस वजह से राज्य और एमटीडीसी, जो इस परियोजना को जारी रखना चाहती हैं, को वर्तमान में 2 करोड़ रुपये की हानि हो रही है, जो महाराष्ट्र सरकार वाकई सहन नहीं कर सकती है। महाराष्ट्र सरकार ने आपको प्रचालन प्रभारों का 50 प्रतिशत देने के संबंध में लिखा है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने पत्र में तीन विकल्प दिये हैं जिन पर आपसे विचार करने का अनुरोध है।

सभापति महोदया, आपके माध्यम से मंत्री महोदया को यह सुझाव देना चाहती हूं कि महाराष्ट्र में दी जाने वाली रेलगाड़ियों के लिए 50 प्रतिशत धनराशि की साझेदारी के संबंध में लगभग 15 दिन पूर्व महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने काफी अच्छे प्रस्ताव दिए हैं। इनमें यवतमाल होते हुए अहमदनगर-बीड-पराली वैजनाथ, वर्धा-नांदेड़, मालेगांव धुले होकर मनमाड-इंदौर, शिरपुर-नरदाना, सेन्धना, महू, वाडसा, देसाईगंज-अर्मोरे-गढ़चिरौली और सूरत-नासिक-पुणे शामिल हैं, जिनकी समस्या का आप पहले ही समाधान कर चुकी हैं। यदि इसका विस्तार सूरत तक किया जाए तो हम आपके अत्यंत आभारी होंगे।

इन सब अनुरोध के अतिरिक्त, केदगांव जैसे स्टेशनों पर बहुत कुछ किये जाने की आवश्यकता है जोकि पुणे जिले में अति महत्वपूर्ण शहर है। यदि आप झेलम एक्सप्रेस, हावड़ा एक्सप्रेस और चेन्नई एक्सप्रेस को इससे जोड़ दें तो इससे केदगांव में रहने वाले सभी व्यक्तियों को बड़ी सहायता मिलेगी।

मध्य रेल के अंबरनाथ और बदलापुर के बीच चिकलावली स्टेशन को खोलने की आवश्यकता है जो कि ठाणे जिले में है। ठाणे जिला अब लगभग विकसित होता जा रहा है यहां अब भी आदिवासी और पिछड़े क्षेत्र हैं। यदि इसे रेल से जोड़ दिया जाए तो वहां रहने वाले सभी व्यक्तियों की आजीविका में सहायता मिलेगी।

मराठवाड़ा क्षेत्र खमगांव, बुल्ढाना जिले से जलना तक कोई रेल संपर्क नहीं है। इस पर तत्काल विचार किया जाना चाहिए क्योंकि यह मराठवाड़ा क्षेत्र के विकास में अति महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। थाने जिले में भी मुर्बाद नामक एक और क्षेत्र है। मुर्बाद को कल्याण-अहमदनगर-राहुरी से जोड़ने की आवश्यकता है। यह भी एक आदिवासी क्षेत्र है। दशकों पूर्व सर्वेक्षण कराया गया था, महाराष्ट्र सरकार द्वारा काफी अनुवर्ती कार्रवाई की जा चुकी है परंतु अब तक कोई कार्य नहीं किया गया है।

आज की स्थिति के अनुसार कर्जत, खोपोली, कसारा और विरार से यात्रियों की संख्या में वृद्धि हो रही है। वे सब चाहते हैं कि आप इसकी जांच करें क्योंकि हमें व्यस्ततम समय के दौरान ठाणे-कल्याण कसारा-खोपोली में भी कई और शटल सेवाओं की आवश्यकता है। उंबरमाली स्टेशन पर समुचित परिवहन सुविधाओं की भी आवश्यकता है और सर्वोली, गुरावली और केदगांव (दौंद) में स्टेशन बनाए जाने की आवश्यकता है।

इस सबके अतिरिक्त, कल्याण, ठाणे, दौड, अमरावती जैसा मेरे मित्र ने अभी उल्लेख किया-नासिक, कोल्हापुर और औरंगाबाद जैसे अति महत्वपूर्ण शहरों में अंतराष्ट्रीय सुविधाओं की आवश्यकता है। ठाणे का महत्व यह है कि ठाणे पहला रेलवे स्टेशन था जिसे वर्ष 1853 में शिवाजी टर्मिनस के साथ बनाया गया था। यह 150 वर्ष पुरानी इमारत है और यदि आप इसे विरासत स्कंध के तहत लाएंगे और इसका मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के साथ विकास करेंगे तो हम इसकी सराहना करेंगे। कोल्हापुर और औरंगाबाद की बात करें तो शाहूजी महाराज का कोल्हापुर शहर बहुत तेजी से विकास कर रहा है। जिसकी प्रतिमा का हाल ही में संसद परिसर में अनावरण किया गया था। इसका ऐतिहासिक और तीर्थयात्रा की दृष्टि से बड़ा महत्व है और कोल्हापुर तथा औरंगाबाद दोनों स्थानों पर पर्यटन को वास्तव में बढ़ावा दिया जा सकता है। कोल्हापुर और औरंगाबाद औद्योगिक रूप से विकसित हो रहे हैं और कोल्हापुर एक बड़ा कृषि क्षेत्र भी है। विश्व विरासत स्थल और अजंता और एलोरा गुफाओं के निकट होने के कारण औरंगाबाद का बड़ा महत्व है। यदि इन स्थलों का विकास कर दिया जाए तो इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तथा वहां के स्थानीय व्यक्तियों को बहुत से अवसर भी मिलेंगे।

इसके अतिरिक्त, बहुत से उपरिपुलों को भी बनाए जाने की आवश्यकता है, जिसके बारे में मैंने माननीय मंत्री जी को लिखा है। मैं विस्तार से नहीं बोलना चाहूंगी। अपने निर्वाचन क्षेत्रों में

[श्रीमती सुप्रिया सुले]

आज मेरे अनेक मित्रों को अवसर नहीं मिला है चाहे वह नासिक से श्री संजीव नायक, श्री संजय पाटील अथवा भी भुजबल हो, उन्होंने कई आवश्यकताएं बताई है। जिसे मैं सभा पटल पर रखना चाहूंगी, क्योंकि मैं सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहती।

इसके अतिरिक्त, अब मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित दो-तीन अति गंभीर मुद्दों का उल्लेख करना चाहूंगी। माननीय मंत्री ने एक भूखंड को विकसित करने की चर्चा की है। पुणे जिले के दौर में अति महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है, रेलवे के कुछ सेवानिवृत्त कर्मियों ने इस पर अतिक्रमण कर रखा है और वे वहां पर कई दशकों से रह रहे हैं। अब, रेलवे ने उन्हें वहां से हटाने का निर्णय लिया है। मेरे विचार से यह पूर्णत: अनुचित होगा। मैं माननीया रेल मंत्री से आग्रह करूंगा कि उन्हें वहां से बेदखल करने की कार्रवाई को रोकें, उन्हें अवसर दें अथवा उनके लिए पुनर्वास योजना बनाएं क्योंकि अन्यथा ये महिलाएं और बच्चे पूरी तरह से बेघर हो जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि ममता जी के रेल मंत्री होते हुए इन के साथ कोई अन्याय नहीं होगा।

इसके अतिरिक्त, लोनंद-फल्टन-बारामती के बीच नई रेल लाइन बिछाने का एक और मुद्दा है। इस लाइन को पहले ही स्वीकृति दी जा चुकी है परन्तु लोनंद-फल्टन क्षेत्र के व्यक्ति इसे नहीं चाहते हैं। बारामती में पहले से ही छोटी लाइन है और जिसे बड़ी लाइन में परिवर्तित किया गया है और अब सिकंदराबाद तथा दौंद से जोड़ा गया है। वहां लोग इसका और विस्तार नहीं चाहते हैं हालांकि यह इस क्षेत्र में पूरी भूमि की जांच की गई है तथा नए रेलवे लाइन हेतु निर्धारित की गई है। यह उपजाऊ भूमि है और वहां सीमांत किसान है। मेरी राय में इस परियोजना को पूरी तरह बंद नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वे लोग निश्चित रूप से आंदोलन करेंगे और यह देश किसी भूमि के अधिग्रहण के कारण रक्तपात को नहीं सह सकता है। इस परियोजना को बंद कर सकें और लोगंद-फल्टन-पंढरपुर से विस्तार कर सकें तो मैं वास्तव में सराहना करूंगी जो कि महाराष्ट्र में बहुत महत्वपूर्ण बात है। पंढरपुर एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के लाखों व्यक्ति पंढरपुर की यात्रा करते हैं। पंढरपुर रेलवे के उन्नयन की बहुत सराहना की जाएगी।

इसके साथ यह मांग है कि दौंद-पुणे-लोनावला-वैलीगांव हदप्सर के साथ-साथ पुणे-सस्वाद के बीच रेलवे लाइन बनाई जाए। ये सब सैटेलाइट टाउन है। यदि इन सैटेलाइट टाउनों का विकास किया जाता है तो मेरा पूरा विश्वास है कि पुणे में रहने वाले सभी व्यक्ति अथवा जो पुणे में नहीं रह सकते और काम नहीं कर सकते हैं वे इन सैटेलाइट टाउनों में रह सकेंगे और वे इन शहरों से जुड़ सकते हैं। इन सैटेलाइट टाउनों में रहने का खर्च उनके लिए काफी कम होगा। यदि अच्छा रेल संपर्क हो तो वे प्रतिदिन कार्य करने हेतु पुणे आ सकते हैं।

अंत में, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जिस पर राज्य में की बार चर्चा की जा चुकी है, जहां से मैं आती हूं वह रेलवे भर्ती बोर्ड के बारे में है।

प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता होनी चाहिए। अच्छे वैश्विक शासन के लिए हमें वास्तव में हायरिंग की पूरी प्रक्रिया हेतु रेलवे को पूरे देश में एक समय एक परीक्षा प्रणाली लागू की जानी चाहिए क्योंकि दुर्भाग्यवश हमने देखा है कि प्रत्येक राज्य में अलग समय पर परीक्षा होती है। अत:, मैं एक सुझाव देना चाहूंगी कि यदि हम एक परीक्षा करा सकें तो यह अच्छा होगा। यदि आप एक लिपिक को भर्ती कर रहे हैं तो पूरे देश में एक ही समय पर परीक्षा होती है परंतु यदि आप नर्स अथवा किसी और को भर्ती कर रहे हैं तो अलग अलग परीक्षाएं कराई जा सकती हैं। यदि एक व्यक्ति जो आवेदन कर रहा है तो उसका नाम रोजगार केन्द्र की प्रणाली में होना चाहिए। अत:, यदि रोजगार केन्द्र में उसे अर्हता प्राप्त है तो केवल तभी उसके नाम पर विचार किया जाना चाहिए *...(व्यवधान)*

महोदय, यह मेरा अंतिम मुद्दा है। मैं श्री विलास मुत्तेमवार द्वारा की गई सभी टिप्पणियों को दोहराती हूं जो रेल बजट में की गई है वे समयबद्ध होनी चाहिए ताकि उन्हें आवंटित बजट में पूरा किया जा सके। मेरा विचार है कि श्री विलास मुत्तेमवार द्वारा इस मुद्दे को विस्तार से उठाया गया है।

मैं इस अति उत्साहजनक बजट के लिए माननीय रेल मंत्री को धन्यवाद देती हूं और यह स्पष्ट है कि उनकी वचनबद्धता विकासोन्मुखी रेल विकास और विस्तार के लिए है।

[हिन्दी]

***श्री प्रेमदास** (इटावा): मैं रेल बजट पर माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। मैंने देखा कि रेल बजट में माननीय रेल मंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश को जितनी सुविधा देनी चाहिए थी वह नहीं मिल पाई हैं। मैं अपने संसदीय क्षेत्र इटावा, उत्तर प्रदेश की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान विशेष रूप से दिलाना चाहता हूं। यह क्षेत्र नई दिल्ली-कानपुर-हावड़ा मेन रेल लाइन पर है। परन्तु यहां के लिए कोई ट्रेन सुविधा प्रदान नहीं की गई है। कानपुर एक औद्योगिक नगर है जहां इटावा से काफी संख्या में लोगों का आना-जाना रहता है। यहां से काफी संख्या में लोग दूध का व्यवसाय करते हैं जो रोज यहां से दूध की आपूर्ति हेतु कानपुर जाते हैं। यहां से एक पैसेंजर गाड़ी चलती थी जिसका स्टापेज झीजक और अमियापुर के बीच में ब्लैंट एल में था परन्तु उसको समाप्त कर दिया गया है जिसके कारण इस क्षेत्र

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

के लोगों को काफी परेशानी हो रही है। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं उक्त स्टापेज को पुनः चालू किया जाए तथा इटावा-कानपुर के बीच एक और पैसेंजर गाड़ी चलाई जाए। आगरा से सुबह 6.00 बजे जो पैसेन्जर गाड़ी चलती है उसको दिवियापुर से चलाया जाए क्योंकि दिवियापुर में एनटीपीसी का प्लान्ट भी है। इटावा में दिल्ली से हावड़ा रेलवे लाइन पर एक वर्ष पूर्व जो पुल बना था वह टूट गया है उसकी जांच कर दुबारा चालू किया जाये।

श्री गणेश सिंह (सतना): महोदय, आपने मुझे रेल बजट पर चर्चा हेतु बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं वर्ष 2009-10 के रेल बजट के संबंध में अपनी बात रख रहा हूं। माननीया ममता जी द्वारा पेश किया गया रेल बजट पूरी तरह से असंतुलित है। मध्य प्रदेश सहित देश के कई अन्य राज्यों के साथ बड़ा भेदभाव इस रेल बजट में प्रस्तुत किया गया है। पहले माननीया ममता जी इधर बैठती थीं, लेकिन 15वीं लोक सभा के चुनाव के बाद वह सत्ता पक्ष की ओर चली गयीं। मुझे लगता था कि रेल मंत्री के तौर पर वे इधर के लोगों का भी थोड़ा-बहुत ख्याल रखेंगी, लेकिन यह दुर्भाग्य है कि रेल बजट तैयार करते समय शायद वह इस बात का ख्याल नहीं रख पायीं। यह पूरा बजट एक ऐसी परंपरा पर चला गया जो इसी सदन के पूर्व के रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद यादव जी ने शुरू की थी। पांच वर्ष के उनके शासनकाल में यह देखा गया था कि उन्होंने लगातार उन राज्यों के साथ भेदभाव किया था जहां कांग्रेस अथवा कांग्रेस समर्थित सरकारें नहीं थीं। इसी तरह से माननीया ममता जी ने भी ऐसा ही किया है। पश्चिम बंगाल उनका गृह राज्य है, इसलिए इस बार का अधिकाधिक बजट उन्होंने अपने राज्य को देने का काम किया है। इन्होंने पश्चिम बंगाल को जो कुछ भी दिया है, मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं। रेल समूचे देश को जोड़ने वाली संस्था है और सभी जगह रेल के समान विकास की आवश्यकता महसूस की जा रही है। माननीया ममता जी ने अपने भाषण में यह बात कही है कि वे पिछड़े हुए क्षेत्रों का ज्यादा ध्यान रखेंगी, लेकिन अभी हमारे उड़ीसा के साथी बोल रहे थे कि उड़ीसा और मध्य प्रदेश जैसे कई राज्य हैं जहां रेलवे के विकास की बहुत जरूरत है। हमारे मध्य प्रदेश में रेलवे का अनुपात, रेलवे के राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है। इसके बावजूद हमारे मध्य प्रदेश के लिए रेलवे की जो भी परियोजनाएं दी गयी हैं, उनमें भी उसी अनुपात में अंशदान मांगा जाता है। मैं यह समझता हूं कि यह न्यायोचित नहीं है। जो राज्य रेलवे की दृष्टि से पिछड़े हुए हैं उनसे अंशदान लेने का कोई औचित्य नहीं है। आपको बजट में ऐसा प्रावधान करना चाहिए।

मैं रेल बजट 2009-2010 के उन अनुमानों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। माननीया रेल मंत्री जी ने अपने बजट में कहा है कि हम आगामी 2009-2010 के लिए 88419 करोड़ रुपये का राजस्व का लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं। यह राजस्व माल ढुलाई से 58525 करोड़ रुपये का आएगा और यात्री किराए से 24309 करोड़ रुपये का अनुमान उन्होंने किया। मैं उनको बताना चाहता हूं कि पिछला जो माल ढुलाई का औसत आया है, उसमें 17 मिलियन टन जो लक्ष्य निर्धारित था, उससे कम माल ढुलाई का काम रेलवे कर पाई है। मुझे नहीं लगता कि जो लक्ष्य इन्होंने निर्धारित किया है, उस लक्ष्य को ये पूरा कर पाएंगे। रेलवे को एक रुपये में 65 पैसे मालभाड़े से मिलता है और यात्री किराए से 27 पैसे मिलता है। लेकिन मुझे सबसे आश्चर्यजनक बात जो लगी, वह यह कि रेलवे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अधोसंरचना है, उसके लिए रेलवे एक रुपये में मात्र तीन पैसे खर्च कर रही है। एक तरफ नई घोषणाएं रोज हो रही हैं और दूसरी तरफ रेलवे का विस्तार भी, चाहे भले वह उस औसत से न हो रहा हो, लेकिन कुछ न कुछ तो हो रहा है। उसमें अगर हम विकास में और बजट का प्रावधान नहीं करेंगे तो जो हमारी योजनाएं हैं, वे समय पर पूरी नहीं होगी। मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं कि 2005 में जो रेल यात्री गाड़ियां चलाने की घोषणा इस सदन में हुई थी, वह आज तक नहीं हो पाई है। ...*(व्यवधान)* आदरणीय सभापति जी, अभी तो शुरू किया है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अनेक माननीय सदस्य हैं। उन्हें भी बोलना है।

[हिन्दी]

श्री गणेश सिंह: मैं दूसरा वक्ता हूं। थोड़ा सा समय जरूर दें।

वे सारी की सारी घोषणाएं कागजों पर हैं। अभी ममता जी ने भी 57 नई रेलगाड़ियों की घोषणा कर दी। रेल डिब्बे कहां से आएंगे? रेल इंजन कहां से आएंगे? नई गाड़ियां जरूर हैं लेकिन डिब्बे सब पुराने हैं। डिब्बों में बैठ जाओ तो लगता है कि पता नहीं क्या होने वाला है। इंजन के सामने बढ़िया फूलमाला लगा दीजिए, लेकिन अगर कोई पीछे जाकर देखे तो लगेगा ही नहीं कि कोई नई रेलगाड़ी चल रही है। मैं कहना चाहता हूं कि आखिर जिस अनुपात में आप नई घोषणाएं कर रहे हैं, उसी अनुपात में बजट का प्रावधान भी करना पड़ेगा। ममता जी ने कहा कि 18000 डिब्बे हम नए बनाएंगे। कब तक बनाएंगे? जितने रेल डिब्बे बनाने के कारखाने हैं, उनकी क्षमता ही नहीं है। पांच साल में भी यह काम पूरा नहीं हो सकता। तो क्या यह मान लिया जाए कि यह पूरे पांच साल का रेल बजट प्रस्तुत किया गया है? मेरा निवेदन है कि इस मामले में बहुत गहराई से विचार करने की जरूरत है। अधोसंरचना के विकास में निश्चित तौर पर मेरी राय है कि रेल मंत्री जी को पुनर्विचार करना चाहिए। यात्री सुविधाएं दिनोंदिन घट

[श्री गणेश सिंह]

रही हैं। किसी भी रेल की सबसे बड़ी जरूरत यात्री सुविधा होती है। जिस देश की यात्री सुविधाएं ठीक हैं, वहां निश्चित तौर पर रेलवे की बड़ी तारीफ हो रही है। अभी पिछले बजट भाषण में लालू जी ने कहा था कि हम भारत की रेल को विश्वस्तरीय बनाने जा रहे हैं। ममता जी ने दो कदम आगे जाकर कह दिया कि हम तो यहां के 50 रेलवे स्टेशन विश्वस्तरीय बनाने का काम करेंगे। निश्चित तौर पर आपके इस फैसले का स्वागत है लेकिन मुझे नहीं पता कि उसमें आपकी क्या बनाने की योजना है। ऐसा बजट में कहीं कोई उल्लेख नहीं है। लालू जी ने तो कह ही दिया कि वह तो घोषणा है, पूरी होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं मानता हूं कि इस तरह की घोषणाओं का कोई मतलब नहीं है।

[अनुवाद]

सभापति महोदयः कृपया समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री गणेश सिंहः आज कई रेलवे स्टेशनों पर पीने का पानी नहीं है, कई रेलवे स्टेशनों पर बैठने की जगह नहीं है, शेड नहीं है, पैदल ब्रिज नहीं हैं। अंग्रेजों के जमाने के बने प्लेटफार्म हैं, आज तक उनका सुधारीकरण नहीं हुआ। आखिरकार यह कब होगा? एक पुरानी परियोजना ललितपुर-सिंगरौली रेल लाइन की इस बजट में फिर वही 'ढाक के तीन पात' जैसी स्थिति है। ललितपुर-सिंगरौली रेल लाइन की कल्पना बहुत पहले की गई थी। आज इतनी धीमी गति से उसका काम चल रहा है कि मुझे नहीं लगता कि बीस बरस में भी वह काम पूरा हो सकता है। मैंने पिछली बार भी इस सदन को सुझाव दिया था कि उसके काम को तीन तरफ से शुरू किया जाए। सिंगरौली से रीवा की ओर, सतना से पन्ना की ओर तथा ललितपुर से पन्ना की ओर तो वह काम चल रहा है। जब तक तीन तरफ से हम काम शुरू नहीं करेंगे, उस परियोजना को हम पूरा नहीं कर सकते।

ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं, जो अधूरी पड़ी हैं। सतना और मैहर रेलवे स्टेशनों के बारे में कहा गया कि हम इन्हें प्रथम श्रेणी का बनाने जा रहे हैं। लेकिन ममता जी की घोषणाओं से इन दोनों स्टेशनों का नाम गायब है। मैं मांग करता हूं कि उनका नाम उस श्रेणी में जोड़ा जाए। कई यात्री गाड़ियों के फेरे बढ़ाए गए हैं। लेकिन राजकोट एक्सप्रेस, जिसकी मांग कई समय से लगातार की जा रही है, जब नीतीश कुमार जी रेलवे मंत्री थे, उस समय उन्होंने सतना जाकर यह घोषणा की थी कि राजकोट एक्सप्रेस को सतना तक पहुंचाएंगे, लेकिन आज तक वह गाड़ी सतना तक नहीं पहुंची है। 12-18 घंटे वहां खड़ी रहती हैं, यदि डेढ़ घण्टे की दूरी और बढ़ाकर दे दी जाएगी तो इससे सतना की जनता को सुविधा होगी।

महोदय, रेलवे बजट में मध्य प्रदेश के साथ पक्षपात किया गया है। हमें केवल दो ही ट्रेनें दी गई हैं, एक कमलनाथ जी के क्षेत्र में और दूसरी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के क्षेत्र में। इन दो के अलावा पूरा मध्य प्रदेश अछूता है। इन दो ट्रेनों के अलावा भी बहुत सी ट्रेनों की मध्य प्रदेश को जरूरत थी। हमने मांग की थी कि रीवा से मुंबई के लिए ट्रेन चलाई जाए। लेकिन वह नहीं चली। चित्रकूट एक धार्मिक स्थल है, भगवान राम ग्यारह वर्षों तक वहां रहे हैं। मैहर में मां शारदा की शक्तिपीठ है। बाबा अलाउद्दीन जी की साधना स्थली है। यहां लाखों लोग जाते हैं। मैंने इन स्थानों को जोड़ने के लिए एक डीएमयू गाड़ी मांगी थी, लेकिन वह अभी तक नहीं दी गई है।

महोदय, मैं अपने क्षेत्र की मांगों पर आ रहा हूं। रीवांचल एक्सप्रेस में इंदौर के लिए दो बोगियों की मांग लगातार की जा रही है। शक्तिपुंज गाड़ी में एक बोगी लगाए जाने के लिए चिनवरी-विलासपुर में जोड़ने की मांग है। जबलपुर-नागपुर ट्रेन में एक बोगी ऐटारसी पैसेंजर जोड़ने के लिए और इंटरसिटी कटनी-चौपन पैसेंजर के लिए सतना से एक बोगी लगाने की मांग लगातार हम लोगों ने की है। मैं कुछ गाड़ियों के समय परिवर्तन की मांग लगातार करता आ रहा हूं। महाकौशल एक्सप्रेस जो जबलपुर से निजामुद्दीन की ओर चलती है, वह यहां दोपहर को बारह से एक बजे तक पहुंचती है। वह गाड़ी निरन्तर देरी से चलती है। उसके समय को नौ बजे पर ला दिया जाए तो हमारे क्षेत्र की बहुत बड़ी मांग पूरी हो सकती है। इसी तरह से रीवा से नई दिल्ली की ओर चलने वाली गाड़ी के समय परिवर्तन की मांग भी हमने की है। उत्तर प्रदेश सम्पर्क क्रांति से तीन-चार लोक सभा क्षेत्र सतना, बांदा, रीवा इत्यादि के लोग जुड़े हैं। मेरी मांग है कि उसको सप्ताह में सातों दिन चलाया जाए ताकि वहां के लोगों को सुविधा प्राप्त हो सके। चित्रकूट रेलवे स्टेशन का प्लेटफार्म काफी नीचा है, उसकी ऊंचाई बढ़ाई जाए। माणिकपुर से कटनी तक के सभी रेलवे स्टेशनों पर बुनियादी सुविधाओं की जरूरत है। मैं मांग करूंगा कि उन सभी को देने का काम करें। धन्यवाद।

*महोदय, मेरे रेल बजट भाषण के बाद निम्नलिखित बातों को जोड़ा जाये:

रेल मंत्री जी ने भी वही किया जो पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद जी ने किया था। 57 नई गाड़ियों में से पश्चिम बंगाल के लिए 14 गाड़ी।

375 आदर्श स्टेशनों में 100 स्टेशन पश्चिम बंगाल में। पांच बहुउद्देशीय परिसर नई कोच फैक्ट्री, नया मेडीकल कॉलेज, नर्सिंग कालेज कलकत्ता, मेट्रो विकास बीमार इकाई का अधिग्रहण सिंगूर

*...*भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।

एवं नंदीग्राम में नई रेल लाइन दिया गया। मैं विरोध नहीं करता लेकिन देश के मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों के साथ भेदभाव किया गया है। राजकोट एक्सप्रेस को सतना तक बढ़ाया जाए। सतना एवं मैहर रेलवे स्टेशन को आदर्श स्टेशन बनाया जाये। सतना में डीआरएम कार्यालय खोला जाये।

कैमा स्टेशन में नया गुड्स स्टेशन बनाया जाये।

महाकौशल एक्सप्रेस एवं रीवा नई दिल्ली का समय परिवर्तित किया जाये।

रेवांचल एक्सप्रेस में सभी श्रेणी के डिब्बे बढ़ाये जायें एवं दो बोगी इंदौर के लिए लगाई जाये शक्तिपुंज एक्सप्रेस में। बोगी लगाने हेतु चिरमिरी बिलासपुर पैसेंजर में व्यवस्था सतना से की जाये। जबलपुर नागपुर ट्रेन में एक बोगी इटारसी पैसेंजर में जोड़ा जाये।

इंटरसिटी में एक डिब्बा कटनी चोयन पैसेंजर के लिए जोड़ा जाये। रेलमंत्री जी ने बजट में कहा है कि सब्जी फलों के लिए विशेष ट्रेन चलायेंगे। ऐसी ही घोषणा पूर्व रेल मंत्री ने भी किया था। मैं मंत्री जी से पूछता हूं कि क्या कुल्हड़ मट्ठा सत्तू खादी के चादर कहीं दिखाई दे रहे हैं।

यात्री सुविधाओं का सर्वथा अभाव है। मेरे लोक सभा क्षेत्र के अंतर्गत माउगवां, चितहारा, तुर्की, वगहाई, सकटिया, कैमा, लगरंगवां, उचेहारा मैहर मदनपुर, अमदरा, मुकेही रेलवे स्टेशनों में बुनियादी सुविधायें मुहैया कराई जायें।

इंटरसिटी एक्सप्रेस का वगहाई उचेहरा तथा अमदरा में स्टापेज दिया जाये कामयनी एक्सप्रेस को जैतपारा एवं मडगांवां रोका जाये।

वर्ष 2006-07 में मैहर में रेलवे अंडर ब्रिज एवं ओवर ब्रिज स्वीकृत हुआ था परन्तु आज तक काम शुरू नहीं हो पाया, उचेहरा फाटक में ओवर ब्रिज एवं गोवरावं खुर्द में अंडर ब्रिज का निर्माण कराया जाये।

खजुराहो एक पर्यटन स्थल है। अत: दिल्ली से शताब्दी एक्सप्रेस चलाई जाये। सतना रेलवे परिसर में इंडियन ऑयल डिपो की जगह खाली हो गई है, वहां पर पार्सल एरिया के रूप में विकसित किया जाये।

कटनी से मनिकपुर नैनी, मानिकपुर से हासी तक लाईन का विद्युतीकृत करते हुए डबल लाइन की स्वीकृति दिलाई जाये।

अंत में मैं ममता जी की उस घोषणा का स्वागत करता हूं जिससे उन्होंने छात्रों को सीजन पास, गरीब वर्ग के लोगों को 25 रुपये में सीजन पास देने की बात कही है। रेलवे को श्वेत पत्र जारी करने के निर्णय का भी स्वागत है।*

श्री भक्त चरण दास (कालाहांडी): महोदय, मैं रेलवे बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात रखना चाहता हूं। माननीय सदस्य आचार्य जी कह रहे थे कि रेल एक ऐसा सब्जैक्ट है, जिस पर डिबेट होनी चाहिए। मैं मानता हूं कि संसद में इतनी एक्सटेंसिव चर्चा हो रही है और पूरा देश इसे देख रहा है। क्या यह नेशनल डिबेट से कम है? भारत सरकार के रेलवे अधिकारी यहां बैठे हैं, जो कि इतने योग्य हैं कि इन बातों को रेसपोण्ड कर सकते हैं।

आचार्य जी ने कहा कि प्लानिंग कमीशन, भारत सरकार और रेलवे में कोई समन्वय रख कर एक सुचिंतित बजट यह नहीं है। मैं इस बात पर कहना चाहता हूं कि पहले जो आदरणीय राष्ट्रपति जी का अभिभाषण रहा, उसमें जो विचारधारा व एप्रोच रही है, वह झलक वित्त मंत्री जी के कल के बजट में भी रही है और रेल मंत्री जी के बजट में भी रही है। जिसे झोले में अपने बजट को रख कर रेल मंत्री महोदया आ रही थीं, उसे टी.वी. में दुनिया देख रही थी, तब लोगों में एक आशा और विश्वास प्रकट हो गया था कि हम लोगों को झोले से जरूर कुछ मिलेगा। उसे देश का गरीब तबका, पिछड़े क्षेत्र के लोग, नौजवान, विद्यार्थी और महिलाएं देख रही थीं, जिनके लिए यह योजना बनाई गई। मैं इस बात पर कहना चाहता हूं कि जो प्रोग्राम रेल बजट में आया है, यह मां, माटी, मानुष का कार्यक्रम है। यह मिट्टी के इंसान से और गरीब लोगों से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है। पांच हजार पोस्ट ऑफिस में एक्सटेंसिवली लोगों को जो टिकट का प्रावधान कराने की व्यवस्था है, वह कोई साधारण व्यवस्था नहीं है, कोई क्रांतिकारी विचार रखने वाला ही इस बात को रख सकता है।

रेल मंत्री महोदया जीवनभर संघर्ष करती आई हैं। उनका अनुभव राष्ट्र के हर पहलू के संदर्भ में जितना भी बना है, वह पर्याप्त है। ये पहले भी रेल मंत्री रह चुकी हैं, उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर यह बजट बनाया है। इस बजट में जो मुश्किल आसान कार्यक्रम है, इज्जत कार्यक्रम है, विद्यार्थियों के लिए स्टुडेंट कंसेशन, कॉर्सपोड्रेंट्स के लिए कंसेशन का कार्यक्रम है और महिलाओं के लिए ईएमयू की जो स्वतंत्र व्यवस्था है, युवा ट्रेन और विजन 2020 जो है, यह एक परिकल्पना है। जैसे महात्मा गांधी जी का विचार है कि जब तक देश में शोषित से शोषित का कल्याण नहीं हो जाता है तब तक देश को समृद्धिशाली देश नहीं माना जाएगा। उस आधार पर यूपीए सरकार अपनी विचारधारा और अपनी परिकल्पना बना कर हमेशा आगे बढ़ती आई है। समालोचना की आलोचना को साइड में रखते हुए, कोई महत्व न देते हुए हमेशा यूपीए सरकार ने, पिछले पांच साल की जो अवधि देखी है, जैसे हमारे मित्र कह रहे थे कि उड़ीसा के लिए कम

[श्री भक्त चरण दास]

पड़ गया, मैं भी मानता हूं कि उड़ीसा के लिए कम हो गया। सन् 2003-04 में जब एनडीए की सरकार थी, जिसमें बीजेडी एनडीए सरकार में सहयोगी पार्टी थी, उस समय उड़ीसा को कुल मिला कर 297.66 करोड़ का प्रावधान हुआ था। यूपीए की सरकार में यह 935 करोड़ था। ...*(व्यवधान)*

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): उस समय कांग्रेस सरकार से ज्यादा थे। उससे पहले जो कांग्रेस सरकार थी, उससे ज्यादा था। ...*(व्यवधान)*

श्री भक्त चरण दास: पिछली बार यूपीए सरकार में इससे ज्यादा का प्रावधान था, ऐसा मैं मानता हूं। यह जो वृद्धि हुई है, यह केवल यूपीए सरकार में संभव है। हमारा उड़ीसा राज्य बहुत पिछड़ा हुआ है। हमारे देश में जो आंचलिक विषमता है, उसमें उड़ीसा से ज्यादा पश्चिम उड़ीसा में है।

मैं रेल मंत्री महोदया से निवेदन करना चाहूंगा कि पश्चिम उड़ीसा से जो लोग चुन कर आए हैं, वे सब यहां बैठे हैं—पश्चिम उड़ीसा और केबीके एरिया, जो देश का सबसे पिछड़ा एरिया माना जाता है। मेरी कांस्टीट्यूएंसी कालाहांडी है। यह भारत का सबसे पिछड़ा जिला है, जहां अकाल और भुखमरी काफी बार हो चुकी है, लेकिन आज यह एरिया सम्पन्न है, लेकिन सम्पन्न होते हुए वहां रेल का जो इन्फ्रास्ट्रक्चरल विकास होना चाहिए, वह नहीं हो पाया है। कालाहांडी से एक भी ट्रेन भुवनेश्वर को नहीं जाती है, यानि राज्य की कैपिटल को नहीं जाती है तो इस क्षेत्र का विकास कैसे होगा। इसलिए मैं रेल मंत्री महोदया से रिक्वैस्ट करूंगा कि जो ट्रेन भुवनेश्वर से बोलांगीर तक आती है, उसका एक घंटा एक्सटेंशन करके केसिंगा तक लाने की व्यवस्था की जाए।

महोदय, मलकानगिरी एक और पिछड़ा इलाका है। यह खुशी की बात है कि मलकानगिरी से दंतेवाड़ा तक एक रेलवे लाइन के निर्माण की घोषणा की गई है। श्री पिनाकी मिश्र, जिस नक्सलवादी एरिया की बात कह रहे थे, उसी नक्सलाइट बैल्ट, दन्तेवाड़ा से लेकर मलकानगिरी तक, एक नई रेल लाइन बिछाने की बात इस रेल बजट में कही गई है। इस रेल लाइन निर्माण से बेरोजगार लोगों को काम मिलेगा और आने वाले दिनों में उस एरिया में शांति की स्थापना हो सकती है।

महोदय, बोलांगीर से खुर्दा रोड तक का एक बहुत बड़ा औनगोइंग रेल प्रोजैक्ट है, लेकिन इसके लिए जितने धन का प्रावधान होना चाहिए था, उतना नहीं किया गया है। बोलांगीर से खुर्दा तक रेलवे लाइन को और ज्यादा जल्दी बनाए जाने की जरूरत है।

महोदय, जब मैं रेल राज्य मंत्री था, तब आज से 19 वर्ष पहले, एकमात्र रेल समता एक्सप्रेस, विशाखापटतम से केसिंगा होते हुए और पश्चिम उड़ीसा पूरा कवर कर के निजामुद्दीन, दिल्ली यह ट्रेन पहुंचती है, लेकिन अभी तक उसे टोटली इगनोर किया गया है। वह अभी तक सप्ताह में केवल तीन दिन ही चल रही है। हम लोग हमेशा मांग करते आए हैं कि यह रैगुलर ट्रेन होनी चाहिए और सप्ताह में पूरे सात दिन चलनी चाहिए, क्योंकि इस ट्रेन में काफी रश रहता है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि इस ट्रेन को प्रतिदिन किया जाए और तीन दिन इसे वाया इलाहाबाद चलाया जाए क्योंकि यह पश्चिम उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश व हरियाणा होते हुए साउथ को नॉर्थ से जोड़ती है। इसीलिए इस ट्रेन को एकता की भावना को ध्यान में रखते हुए ''समता ट्रेन'' का नाम दिया गया था।

महोदय, अहमदाबाद-पुरी एक्सप्रैस ट्रेन हम चाहते हैं कि सप्ताह के सातों दिन चले। इसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ाई जाये। हम चाहते हैं कि यह ट्रेन सप्ताह में चार दिन विजय नगरम, टिटलागढ़ और रायपुर होते हुए आए। भुवनेश्वर-कुर्ला जो ट्रेन है, उसका कम से कम तीन दिन का एक्सटेंशन होना चाहिए।

महोदय, उड़ीसा के लिए एक्सटेंशन ऑफ ट्रेन जो दी गई हैं, उनमें एक पैसेंजर ट्रेन है। हम चाहते हैं कि यह पैसेंजर कंटावांजी से लेकर सम्बलपुर होते हुए बिलासपुर को चलती है, इसे खरिहार रोड तक एक्सटेंड किया जाए।

सभापति महोदय: श्री भक्त चरण दास जी, कृपया, अब आप कन्क्लूड कीजिए।

श्री भक्त चरण दास: महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं।

भुवनेश्वर से मुम्बई तक जो ट्रेन चलती है, उसे वाया सम्बलपुर, टिटलागढ़, खरिहार रोड होकर चलाया जाए। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि एक सुपरफास्ट एक्सप्रैस पुरी से कन्याकुमारी और राऊरकेला से नई दिल्ली तक चलाई जानी चाहिए। हमारे पिनाकी मिश्रा जी ने नहीं कहा, वह मैं कहना चाहता हूं कि पुरी और कोणार्क टूरिस्ट प्लेस है। कोणार्क का 35 किलोमीटर का रास्ता है। वहां के लिए एक नई लाइन बनाकर, देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पर्यटकों को उस स्थान से जोड़ा जाए।

महोदय, जब तक रेलवे लाइनों का डबलिंग और इलैक्ट्रीफिकेशन उड़ीसा में नहीं होगा, तब तक उड़ीसा का विकास नहीं हो सकता है। हम लोगों की तरफ से और उड़ीसा सरकार की तरफ से डबलिंग हेतु बहुत सारे प्रोजैक्ट्स रेल मंत्रालय को भेजे गए हैं। उनमें से मैं दो प्रोजैक्टों की यहां रिक्वैस्ट करना चाहूंगा। टिटलागढ़ से रायपुर तक और टिटलागढ़ से झारसुगुड़ा तक का रेल मार्ग

डबलिंग में इन्क्लूड होना चाहिए। इलैक्ट्रीफिकेशन में भी इन दोनों प्रोजैक्टों को इन्क्लूड करना चाहिए। यह महानदी कोलफील्ड एरिया है और खदान का एरिया है। इसलिए इसमें ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। इससे रेलवे को अर्निंग भी बहुत होगी। इस एरिया का जो पिछड़ापन और रीजनल इम्बैलेंस है, वह भी दूर होगा।

महोदय, मैं सिर्फ एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं। बहुत सारे आयामों को देखते हुए, एक रेलवे का एक क्रांतिकारी बजट प्रस्तुत किया गया है और इसमें हर सैक्शन को रिप्रजेंट किया गया है। मैं आपके माध्यम से सदन में अनुरोध करना चाहूंगा कि जो वॉर-विडोज हैं, जिन लोगों को मिलिट्री में गैलेंट्री एवॉर्ड मिला है, देश में जो द्रोणाचार्य अवॉर्डी और अर्जुन अवॉर्डी हैं, एक्सैलेंट स्पोर्ट्स परसन हैं और जो लोग आर्ट और कल्चर में रिनाउंड हैं, उन लोगों के लिए रेलवे की तरफ से एक स्पैशल व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि देश के इस तबके को इसका लाभ मिले।

***श्री डी. वेणुगोपाल** (तिरुवन्नामलाई): सभापति महोदय, हमारे देश को आजाद हुए 62 वर्ष बीत चुके हैं और हमारा द्रविड़ आंदोलन सभी लोगों का सामाजिक-आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए समाज के दलित वर्गों के उत्थान के संघर्षरत रहने के लिए अपनी कृतसंकल्प नीति के साथ जारी है। हमारा यह आदर्श इस साल के रेल बजट की शुरुआती पंक्तियों में दिया गया है। इस प्रकार के बजट के लिए मैं रेल मंत्री को धन्यवाद तथा बधाई देता हूं, जिसमें न तो कोई गुप्त लागत है और न ही यात्री किराये में कोई वृद्धि का तथा मालभाड़े में भी कोई प्रत्यक्ष वृद्धि नहीं की गई है।

सर्वप्रथम, तो मैं तिरुपत्तूर, तिरुवन्नामलाई, वेल्लौर और पुडुचेरी के औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में विकास की जरूरत पर जोर देना चाहता हूं। ''बेरोजगार लोग पैदल यात्री की तरह हाशिये पर हैं। उनके दिमाग में उपद्रवकारी विचार उत्पन्न होते रहते हैं और यह अच्छी बात नहीं हैं'', ऐसा हमारे संस्थापक नेता अन्नादुरई का कहना था, जिन्हें पेरारीगनार अन्ना कहते हैं, जिनकी जन्मशताब्दी हम इस वर्ष मना रहे हैं। संक्षेप में हमारे पेरियार और अन्ना साामाजिक विज्ञानी इसी बात पर जोर देते रहे हैं। हमारे नेता डॉ. कलाईगनार करुणानिधि, जो उन नेताओं के पदचिन्हों का अनुसरण करते हैं, ने भी अपने लम्बे राजनीतिक जीवनकाल में इसी बात पर जोर देते रहे हैं कि लोगों, विशेषकर, युवकों को रोजगार के अवसर तथा सम्मानजनक आजीविका अवश्य मिलनी चाहिए, ताकि वे समाज से अलग-थलग न हो जाएं।

मैं 50 चयनित रेल स्टेशनों का उन्नयन करने उनको विश्ववस्तर का बनाने संबंधी घोषणा का स्वागत करता हूं। माननीया मंत्री से मैं तिरुवन्नामलाई को भी उन्नयन किये जाने वाले ऐसे स्टेशनों की सूची में सम्मिलित करने का अनुरोध करता हूं। आपने यह भी घोषणा की है कि रेलवे चिकित्सा महाविद्यालय तथा नर्सिंग महाविद्यालय की स्थापना करेगा। मैं माननीया मंत्री से जोलारपेट, तिरुवन्नामलाई और वेल्लौर में भी ऐसे संस्थान शुरू करने के लिए इसमें सम्मिलित करने का आग्रह करता हूं। इससे रेलवे तथा ग्रामीण क्षेत्र के आम आदमी दोनों को अत्यधिक फायदा होगा।

मैं विल्लुपुरम-कटपड़ी खंड पर चल रहे आमान परिवर्तन के कार्य का उल्लेख करना चाहता हूं। मैं माननीया मंत्री महोदया से इस परियोजना को 'कारथीगाई दीपम उत्सव' से पहले पूरा करने का आग्रह करता हूं। आमान परिवर्तन कार्य के साथ-साथ मंत्री महोदया इस खंड के विद्युतीकरण का कार्य भी शुरू करा सकती हैं। चूंकि त्रिची से आने वाली तथा कटपडी और रेनिगुंटा होते हुए उत्तरी तथा पूर्वी राज्यों को जाने वाली गाड़ियों में विल्लुपुरम तक विद्युत इंजन, फिर कटपड़ी तक डीजल इंजन और इसके बाद पुन: विद्युत इंजन लगाना पड़ता है। यदि पूरे खंड को विद्युतीकृत कर दिया जाए, तो इससे ईंधन, समय और ऊर्जा दोनों की बचत होगी।

इस समय, विल्लुपुरम-कटपड़ी आमान परिवर्तन का कार्य तिरुवन्नामलाई जिले में चल रहा है। मैं यह बताना चाहता हूं कि तिरुवन्नामलाई शहर में पुडुचेरी-कृष्णागिरि राजमार्ग पर स्थित समपार संख्या 55 को या तो सड़क उपरि पुल बना दिया जाए या 'रोड अंडर ब्रिज' बनाया जाए। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि हर बार जब समपार बंद कर दिया जाता है, तो लगभग 30 मिनट के लिए यातायात बुरी तरह जाम हो जाता है। यह तिरुवन्नामलाई रेलवे स्टेशन के निकट एक इंटरसेक्शन है, जिससे भारी मालवाहनों तथा तिरुवन्नामलाई और चेन्नै, पुडुचेरी और बंगलौर के बीच चलने वाली बसें गुजरती हैं। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि तिरुन्वनामलाई के उपनगरीय क्षेत्रों से आने वाले स्कूल और कालेज के छात्रों, सरकारी कार्यलयों के कर्मचारियों तथा जिला न्यायालय के कर्मचारियों को समपार सं. 55 के बंद होने पर अत्यधिक परेशानी उठानी पड़ती है।

तिरुवन्नामलाई शहर में विश्व प्रसिद्ध अरुणाचलेश्वर मंदिर है और यह तमिलनाडु के तीर्थ स्थलों में प्रमुख है। प्रत्येक माह की पूर्णिमा के दिन लाखों तीर्थयात्री गिरिवलम के लिए तिरुवन्नामलाई में एकत्र होते हैं। लेकिन तिरुवन्नामलाई में पर्याप्त बुनियादी सुविधाएं तथा औद्योगिक गतिविधि नहीं है। इसका कारण यह है कि सड़क परिवहन के अतिरिक्त बेहतर संचार संपर्क उपलब्ध नहीं है। यात्री यातायात और मालढुलाई दोनों के लिए लोगों को केवल बसों और लॉरियों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए, तिरुवन्नामलाई और जोलारपेट के बीच एक नई रेल लाइन बिछाए जाने की जरूरत है। इस नई रेल लाइन से उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर तक सामान को लाने-ले जाने में आसानी और सहूलियत होगी। इससे

*मूलत: तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

[श्री डी. वेणुगोपाल]

तूतीकोरीन बंदरगाह मदुरै शहर तथा त्रिची मेल परिसर से टाउन तथा उत्तर के कस्बों और शहरों, विशेषकर सूरत और पश्चिमोत्तर में मुम्बई तक सामान की ढुलाई करना आसान हो जाएगा। इससे समय और ईंधन की काफी बचत होगी।

दक्षिण भारत में जोलारपेट सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल से आने वाली गाड़ियां इस जंक्शन पर आती हैं। इसलिए, मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि जोलारपेट को तिरुवन्नामलाई के साथ जोड़ने से सामाजिक-आर्थिक विकास की काफी गुंजाइश हो जाएगी, जिसका माननीया मंत्री ने अनुसमर्थन किया है और जिससे तिरुवन्नामलाई, चेंगम, सिंगारपट्टाई और तिरुपत्तूर के पिछड़े क्षेत्रों को लाभ होगा। इसलिए, माननीया मंत्री से मैं यह आग्रह करता हूं कि वे अपने सिद्धांतों पर अडिग रहें और जोलारपेट और तिरुवन्नामलाई के बीच एक नई रेल लाइन बिछवाएं। विगत फरवरी माह में, अंतरिम रेल बजट में, तमिलनाडु में चल रही रेल परियोजनाओं के लिए दक्षिण रेलवे ने 1500 करोड़ रुपये की मांग की थी। लेकिन केवल 750 करोड़ रुपये आवंटित किये गये थे। इस वर्ष का बजट तैयार करने से पहले 750 करोड़ रुपये के अन्य प्रस्ताव भेजे गए थे। हमें इसका कोई उल्लेख नहीं मिला। इसलिए, मैं मानीया मंत्री से इस संबंध में एक अधिकारिक घोषणा करने का आग्रह करता हूं।

इस वर्ष के अंत तक पुडुचेरी-तिरुवन्नामलाई के बीच एक नई रेल लाइन बिछाई जानी थी। सर्वेक्षण किया गया था। मंजूरी भी दे दी गई थी। घोषणाएं की गई थीं। यहां तक कि शिलान्यास भी किया गया था। लेकिन काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। इसलिए, मैं रेल मंत्री महोदया से यह आग्रह करता हूं कि वे इस साल के बजट में इसके लिए भी धनराशि का आबंटन करें, जिससे कि यह परियोजना यथाशीघ्र पूरी हो सके।

होसूर होते हुए जोलारपेट से कृष्णागिरि तक एक नई रेल लाइन की मांग काफी समय से लम्बित है। काफी समय से लम्बित इस मांग पर ध्यान दिया गया था और 2001 में सर्वेक्षण का आदेश किया गया था। बाद में, 2004 में, जोलारपेट को धर्मापुरी से जोड़ने के लिए एक और सर्वेक्षण किया गया। लेकिन 2007 में इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। पुनः, 2008 में एक घोषणा की गई कि बुरगुर, कृष्णागिरि और सुलागिरि होते हुए तिरुपत्तूर और होसूर के बीच 101 किलोमीटर लम्बी रेल लाइन बिछाई जाएगी। उसके लिए सर्वेक्षण किया गया था और यह अभी तक रेलवे बोर्ड के पास लम्बित है। मैं माननीया रेल मंत्री से इसकी मंजूरी देने तथा काफी समय से लम्बित इस परियोजना को पूरा करने का अनुरोध करता हं।

भारतीय रेल दुनिया में सबसे बड़ा नियोक्ता है जिसमें 14 लाख कर्मचारी हैं। भारतीय रेल अपनी 64,000 कि.मी. लम्बी रेल लाइनों पर प्रतिदिन 200 करोड़ यात्री और 20 लाख टन सामान ढोती है। यह ज्ञातव्य है कि भारतीय रेल की रेल लाइनों की कुल लम्बाई 1.09 लाख किलोमीटर है। भारतीय रेल के देशभर में फैले हुए जाल को दुनिया आश्चर्य से देख रही है।

यद्यपि संयुक्त राज्य अमरीका, रूस और चीन की रेल प्रणालियों की रेल लाइनें भी भारतीय रेल लाइनों की भांति ही लंबी है, तथापि हम पाते हैं कि केवल भारतीय रेल ही भारत के लोगों और पूरे राष्ट्र को इस प्रकार जोड़ रही है। रेल यात्रा टिकट के लिए मात्र 2 रुपये वसूलने वाली एकमात्र भारतीय रेल ही है। कमाए जाने वाले प्रत्येक रुपये में, 65 पैसे माल भाड़े से आते हैं, यात्री किरायों से केवल 27 पैसे आते हैं। इस प्रकार रेल अपना सामाजिक दायित्व पूरा कर रही है और फिर भी लाभ कमा रही है। भारतीय रेल ने सिद्ध कर दिखाया है कि अपने प्रचालन को आर्थिक रूप से लाभकर बनाते हुए भी सामाजिक प्रतिबद्धता को पूरा करना संभव है।

भारतीय रेल के इतिहास में पहली बार, माननीया मंत्री ने घोषणा की है कि 12 लंबी दूरी की सीधी रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। इन 12 में से, चेन्नै-दिल्ली सप्ताह में दो बार और एर्नाकुलम-दिल्ली साप्ताहिक ऐसी लंबी दूरी वाली रेलगाड़ियां है जो वास्तव में लंबी दूरी तय करती है। मैं रेल मंत्री से इन दोनों गाड़ियों को सप्ताह में तीन बार चलाने और उन्हें इस विशेष महत्वपूर्ण परियोजना के लिए पायलट रेलगाड़ियों के रूप में आरंभ करने का अनुरोध करता हूं जिससे रेलवे को ऐसी सीधी रेलगाड़ियों के प्रचालन में आने वाली जटिलताओं का अध्ययन करने में मदद मिलेगी।

अपराह्न 4.58 बजे

[**डा. गिरिजा व्यास** *पीठासीन हुईं*]

मैं इस घोषणा का स्वागत करता हूं कि प्रत्येक संसद सदस्य अपनी पसंद के स्थान पर कम्प्यूटरीकृत रेल आरक्षण केन्द्र स्थापित करने की सिफारिश कर सकता है। अब हम कम्प्यूटर युग में हैं और देखते हैं कि मांग ज्यादा है, यह सिफारिश कोटा बढ़ाकर दो या तीन किया जाना चाहिए। मदुरै और चेन्नै के बीच सप्ताह में दो बार एक नई रेलगाड़ी चलाने की घोषणा का स्वागत करते हुए, मैं माननीया रेल मंत्री से इस रेलगाड़ी को इन दोनों स्टेशनों के बीच एक दैनिक शताब्दी के रूप में चलाने का अनुरोध करता हूं। मंत्री महोदया को मदुरै और कन्याकुमारी के बीच एक संपर्क शताब्दी रेलगाड़ी चलाने पर भी विचार करना चाहिए।

मदुरै जनता मेल और मदुरै पांडयन एक्सप्रेस रेलगाड़ियां दक्षिण में सबसे पहले चलने वाली सुपरफास्ट रेलगाड़ियों में से थी। अब

घोषणा की गई है कि शहरों के बीच 'डबल डेकर' वातानुकूलित रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। मैं माननीया मंत्री से इन 'डबल डेकर' रेलगाड़ियों को मदुरै और चेन्नै के बीच, मदुरै और कन्याकुमारी तथा चेन्नै और कोयम्बटूर के बीच चलाने का अनुरोध करता हूं क्योंकि ये ऐसे मार्ग हैं जिन पर देशभर से अनेक पर्यटक आते हैं। इन प्रायोगिक परियोजनाओं के लिए उन्नत सुरक्षा और संरक्षा सुविधाओं की आवश्यकता होगी। इसलिए मैं रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि जब रेलवे 3,500 कि.मी. रेल लाइनों का उन्नयन आरंभ करें तो उन्नयन कार्यों में इन कुछ मार्गों को भी शामिल करे जो भारतीय रेल की 66,565 कि.मी. ब्राडगेज लाइनों में आती हैं। मंत्री महोदया को इन उन्नयन परियोजनाओं में मदुरै-डिंडीगुल, त्रिची-करूर-सलेम और चेन्नै-बैंगलौर को भी शामिल करना चाहिए। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जोलारपेट-त्रिवेन्द्रम मार्ग के भी उन्नयन की आवश्यकता है।

अपराह्न 5.00 बजे

यात्रियों की सुरक्षा के लिए रेल लाइनों की सुरक्षा, टक्कर-रोधी उपकरणों पर नए सिरे से बल दिया जा रहा है। यात्रियों की सुरक्षा और संरक्षा प्रदान करने के लिए, रेलवे सुरक्षा बल के विस्तार की आवश्यकता है। इसका स्वागत करते हुए, मैं इस घोषणा का भी स्वागत करता हूं कि महिला यात्रियों की भी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष महिला कमांडो बल का भी गठन किया जाएगा।

रेल मंत्री की सामाजिक चिंताओं के लिए उनको बधाई देते हुए, बजट प्रस्तावों का स्वागत और समर्थन करते हुए मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

डॉ. एन. शिवप्रसाद (चित्तूर): सभापति महोदया, माननीय रेल मंत्री, कुमारी ममता बनर्जी एक लोक हितैषी नेता हैं और गरीबों तथा पिछड़ों की समस्या के लिए लड़ने के लिए पैदा हुई हैं। उनकी चिंता भारतीय रेल की बेहतरी और विकास के लिए लोगों के कार्यक्रमों और विचारधारा के प्रति है। क्षेत्रीय और राज्यों को पीछे छोड़ते हुए, रेल बजट अत्यंत नयापन लिए हुए एक अनुकरणीय बजट है। यही आम आदमी की संकल्पना है।

महोदया, मेरी भाषा में 'ममता' का अर्थ है स्नेह। हमने सोचा था कि रेल बजट में अन्य राज्यों से भेदभाव किये बिना सब पर स्नेह वर्षा होगी। आंध्र प्रदेश के लोगों ने पूर्ववर्ती बजटों के विपरीत एक शानदार बजट की उम्मीद की थी। अपने बजट भाषण के शुरुआत में, माननीया रेल मंत्री ने आर्थिक व्यवहार्यता की तुलना में सामाजिक व्यवहार्यता पर जोर देने का प्रयास किया है। लेकिन माननीया रेल मंत्री ने पूरे बजट में बार-बार पीपीपी-सरकारी निजी भागीदारी का जिक्र किया है और सरकार ने निजीकरण के लिए दरवाजे खोल दिए हैं।

सफाई, सुरक्षा, गुणवत्ता, डबल डेकर डिब्बों का नया रूप और स्टाइल, 'सुपर फास्ट नॉन स्टॉप' रेलगाड़ियां आदर्श स्टेशनों से गुजरती हुई और चिकित्सकों और सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं के साथ यात्रियों की देखभाल और नए चिकित्सा महाविद्यालयों तथा नर्सिंग महाविद्यालयों के जिक्र से रेलगाड़ी ने अबकी बार नए ढंग से सीटी बजाई है। इस बजट में स्पष्ट रूप से युवाओं, वृद्धों, किसानों और महिलाओं के प्रति चिंता दर्शाने वाले कार्यक्रम हैं लेकिन रेलगाड़ी का चालक आंध्र प्रदेश में विश्वस्तरीय लक्षित स्टेशनों पर गाड़ी रोकना भूल गया। शब्दों में दर्शाई गई चिंता आंध्र प्रदेश के लिए की गई मंजूरियों में नहीं दिखाई दी।

रेल बजट ने वास्तव में आंध्र प्रदेश के लोगों को निराश किया है। उन्होंने सोचा कि इसने लोक सभा को भारी संख्या में सांसद दिए हैं और 33 की संख्या वाला जादुई आंकड़ा रेल बजट में राज्य के लिए नई रेलगाड़ियों आदि के रूप में अधिक स्वीकृतियां लाएगा। उन्होंने सोचा कि आंध्र प्रदेश में नई रेललाइनों पर कई नई रेलगाड़ियां चलेंगी, परंतु रेल मंत्री ने राज्य के लिए 57 नई रेलगाड़ियों में से केवल एक नई रेलगाड़ी हेतु स्वीकृति दी है और आंध्र प्रदेश से होकर जाने वाली केवल दो नई रेलगाड़ियों की सेवा का ही विस्तार किया है।

यद्यपि भारतीय रेलवे में दक्षिण-मध्य रेल मंडल सबसे अधिक राजस्व संगृहीत करने वाला मंडल है, तथापि विजयवाड़ा जैसा प्रमुख बड़ा स्टेशन विश्वस्तरीय स्टेशनों अथवा बहुप्रयोज्य परिसरों में अपना स्थान हासिल नहीं कर सका। नए घोषित 375 आदर्श स्टेशनों के अंतर्गत आंध्र प्रदेश में केवल चित्तूर, इच्छापुर और नालगोंडा को पेयजल, पर्याप्त शौचालयों, खान-पान सेवाओं और प्रतीक्षालयों जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए सूचीबद्ध किया गया है। नई घोषित 12 दूरंतो नॉन-स्टॉप रेलगाड़ियों की सूची में आंध्र प्रदेश का नाम नहीं आ सका है, जैसाकि पिछले रेल बजटों में हुआ है। सभी लाभ और बेहतर सेवाएं अन्य राज्यों को दी गई हैं परन्तु आंध्र प्रदेश राज्य को नहीं दी गई हैं।

कोटिपल्ली-नरसापुर परियोजना, नांदयाल-येरागुंटला परियोजना, काकीनाड़ा पीतापुरम, मचारला-नालगोंडा और गडवाला-रायचूर परियोजनाओं के लिए धनराशि प्रदान करने हेतु अनुरोध अब भी विचाराधीन हैं। वाल्टेयर मंडल का दक्षिण मध्य मंडल के सात विलय करने की मांग को इस रेल बजट में भी पूरा नहीं किया गया।

सिकंदराबाद और बंगलौर, सिकंदराबाद और अहमदाबाद, सिकंदराबाद और गोवा तथा सिकंदराबाद और विशाखापट्नम के बीच नई रेलगाड़ियां चलाने संबंधी अनुरोध भी अनेक वर्षों से लंबित हैं। मदनापल्ली, मनुगूट और रामागुंडम, नदिकुदी और

[डॉ. एन. शिवप्रसाद]

श्रीफलाहस्ती के रास्ते बंगलौर और कुडप्पा के बीच नई रेल लाइनों हेतु अनुरोध भी कई वर्षों से सरकार के पास लंबित हैं। विजयवाड़ा-गुड़ीपड़ा-मछलीपट्टनम-भीमावरम-नरसापुरम-नीदरावोलु और गुंटूर-तेनाली-रेपल्ली खंडों के दोहरीकरण और विद्युतीकरण हेतु अनुरोध पत्र भी कई वर्षों से सरकार के पास पड़े हैं. दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सभी दल रेल बजट प्रस्तुत किये जाने से पूर्ण रेल मंत्री से मिले थे और इन सभी परियोजनाओं के लिए उनसे पुन: अनुरोध किया था परंतु परिणाम कुछ नहीं निकला है।

ममता जी ने कहा था कि गरीब यात्री को भी पूरे सम्मान के साथ यात्रा करनी चाहिए और उन्होंने 'इज्जत' योजना शुरू की परंतु रेल मंत्री ने सरकार में सहयोगियों को वह इज्जत नहीं दी है। वह सहयोगी कोई और नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने इस सरकार को 33 संसद सदस्य दिये हैं और इस सरकार को मजबूत किया है। परंतु उन्हें द्वितीय श्रेणी वाली आरएसी प्रतीक्षा सूची का यात्री समझा गया है। यद्यपि हमारे राजनेता काफी मजबूत स्थिति मे हैं परंतु उनमें से किसी ने ऊंचे पद की मांग नहीं की है। इतनी संख्या के बाद भी माननीया मंत्री से अपनी मांगों को पूरा करने के लिए अनुरोध कर रहे हैं और विशेषकर चित्तूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में नगारी, चित्तूर, पकाला और कुप्पम रेलवे स्टेशन पर लंबित सुधार कार्य का अनुरोध कर रहे हैं।

[हिन्दी]

अन्त में, मैं कहना चाहता हूं कि मैडम, आंध्र प्रदेश को अंधा समझकर टोपी मत रखना, इज्जत के साथ सादर सम्मान दीजिए।

श्री कमलेश पासवान (बांसगांव): महोदया, इससे पहले भी रेल बजट पास हुए हैं। इस बार भी हर साल की तरह रेल बजट पास करने की घोषणा की गयी है। कई जगह इस रेल बजट पर खुशी जाहिर की गयी है और कई जगह नाखुशी जाहिर की गयी है। मैं उत्तर प्रदेश, अपने पूर्वांचल की बात करना चाहता हूं। मात्र एक ट्रेन गोरखपुर से दिल्ली के लिए दी गयी है जो हमारे पूर्वांचल के लिए अपर्याप्त है। हम अपने क्षेत्र की बात करना चाहते हैं। बांसगांव संसदीय क्षेत्र, प्राचीन काल से ही सांस्कृतिक एवं सत्ता का केन्द्र रहा है। रामायणकालीन श्री राम जानकी मार्ग, बांसगांव का अवशेष प्रशासनिक केन्द्र, दुग्धेश्वरनाथ का प्राचीन मंदिर, बरहज का तीर्थस्थल, ऐतिहासिक दोहरीघाट आदि अनेक पवित्र स्थलों एवं प्राचीन नदियों के बीच घिरा हुआ बांसगांव संसदीय क्षेत्र है।

मैं आपके माध्यम से आदरणीय रेल मंत्री जी से मांग करना चाहता हूं कि दोहरीघाट से सहजनवा तक रेल लाइन का विस्तार किया जाए। इस मुद्दे को इससे पहले भी कई बार उठाया गया है, लेकिन अभी तक उसका विस्तार नहीं हो पाया है। अगर इसका केवल 65 किलोमीटर विस्तार कर दिया जाए तो वाराणसी से गोरखपुर की दूरी निश्चित रूप से कम हो जाएगी। इस रेललाइन के निर्माण से सारनाथ, काशी, कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिलवस्तु और नेपाल की यात्रा सस्ती एवं सुलभ हो सकती है। इससे रेलवे का भी फायदा होगा।

सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से मांग करता हूं कि बांसगांव संसदीय क्षेत्र के लिए, बरहज में भी रेलवे लाइन है, अगर उसे फैजाबाद से जोड़ दिया जाए तो निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र की जनता को इसका लाभ मिलेगा।

आपने इस अवसर पर मुझे बोलने के लिए समय दिया, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

श्री के. बापीराजू (नरसापुरम): सभापति महोदया, मैं माननीया ममता बनर्जी द्वारा पुन:स्थापित रेल बजट पर वाद-विवाद में भाग लेते हुए वास्तव में प्रसन्न हूं। इसमें संदेह नहीं है रेल में यात्रा करने वाले विकलांगों, महिलाओं की सुरक्षा और दलित व्यक्तियों से शुरुआत करते हुए सभी क्षेत्रों का ध्यान रखने के लिए काफी प्रयास किये हैं। वह सच में एक आम इंसान से बढ़कर हैं जो वह इस बजट में वास्तव में दर्शा सकीं।

परंतु मेरे साथी अभी यहां इसी बजट पर बोल रहे थे। वह तेलुगू देशम पार्टी के हैं और वह उल्लेख कर रहे थे कि उन्होंने संसद को आंध्र प्रदेश से 33 संसद सदस्य दिए हैं और फिर भी वहां कुछ नहीं किया गया है। मैं यह नहीं समझ पाता हूं कि वह मेरे साथ सहानुभूति व्यक्त करने का प्रयास कर रहे थे या अपनी बात मनवाने का प्रयास कर रहे थे। यहां ''मुझे'' का अर्थ हमारा दल है। मैं पिछले 30 वर्षों से जनता का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं परंतु मैं सदैव लोकतांत्रिक ढंग से महसूस करता हूं।

वास्तव में, माननीया ममता बनर्जी यहां हैं वह बिल्कुल स्पष्टवादी हैं और जन्मजात योद्धा हैं और मैं भी जन्म से बहादुर हूं। सामान्यत:, आंध्र प्रदेश में मेरे यहां के लोग भी महसूस करते हैं कि मैं महोदय से लड़ सकता हूं क्योंकि मेरी मूछें भी है। उन्होंने मुझे यह भी बताया:

[हिन्दी]

''निकम्मा बन गए तुम, क्या मूछें हैं तुम्हारी।

[अनुवाद]

इस सभा में 33 संसद सदस्य हैं और आप लड़ नहीं रहे हैं आदि। कुछ व्यक्ति इस तरह से बात करते हैं, जिससे चिढ़ होती है। परंतु

यहां हमें चिढ़ना नहीं चाहिए। यहां हम जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैंने अपने राजनीतिक जीवन में कभी सिफारिश नहीं की है। मैं हमेशा यह महसूस करता हूं कि मैं जनप्रतिनिधि बनकर प्रसन्न हूं। सिफारिश करने का अर्थ है कि प्रशासन में आप अपनी सीमाओं को लांघ रहे हैं।

महोदया, आपको अच्छी तरह मालूम है कि हमने तीस वर्ष पूर्व इंदिरा जी के साथ बैठक की थी। वह तीन दिवसीय संगोष्ठी थी और यह दल के सदस्यों और मंत्रियों के बीच वार्ता थी। मुख्य शिकायत यह थी कि मंत्री सदस्यों की सहायता या सहयोग नहीं कर रहे थे और उन्होंने सदस्यों को अपने कार्यालयों में प्रवेश की अनुमति भी नहीं दी हुई थी। यह इस मामले की मुख्य बात है। महोदया ने उत्तर दिया था कि लोकतंत्र में नौकरशाही लोकतांत्रिक प्रणाली से अलग होती है, इसका अर्थ है कि नौकरशाह हमारी इच्छानुसार कार्य नहीं करेंगे, वे नियमानुसार कार्य करेंगे और वे राजनेताओं की मनमानी को ध्यान में नहीं रखेंगे और कर्त्तव्यों से विचलित नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि राजनीतिज्ञों को ही राजनीतिक निर्णय लेने चाहिएं।

मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। तमिलनाडु में दक्षिण रेलवे है। इसके शुरुआती दिनों से ही दक्षिण रेलवे से कभी भी राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इसे इससे बाहर कर दिया जाए। दूसरी बात, बिहार के मामले में कितनी संस्वीकृतियां दी गई हैं। हमें इससे कोई ईर्ष्या नहीं है क्योंकि यह एक राजनीतिक निर्णय है। समय की मांग है और इसीलिए, उन्होंने ऐसा निर्णय लिया है। यदि हम किसी नौकरशाह से सिफारिश करने को कहते हैं तो वह कभी भी इसकी सिफारिश नहीं करेगा क्योंकि उसे नियम का पालन करना होता है। ज्यादा से ज्यादा वह हमारे प्रति सहानुभूति जता सकता है लेकिन वह कोई सिफारिश नहीं कर सकता। हमें यही खेद होता है कि हमारे राजनेता ऐसे कदम उठाते हैं। यदि आवश्यक हुआ तो हम यहां संशोधन करने के लिए हैं। मूलरूप से हम संविधान के अधीन काम करते हैं। हम जनता के समक्ष जाते हैं, उनको देखते हैं, हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि उन्हें कौन सी परेशानियां हैं और तब हम अपनी पार्टी के अंदर सुझाव देते हैं।

एक सदस्य के रूप में मुझे 30 वर्ष हो गए हैं, लेकिन मैंने कभी भी किसी समाचार-पत्र में किसी की निंदा नहीं की क्योंकि अनुशासन की यही मांग है। जब कभी ऐसा अवसर आता है, मैं पार्टी मंच पर बोलने की कोशिश करता हूं लेकिन मैं बाहर इसके बारे में कुछ नहीं बताता।

सभापति महोदया: श्री बापीराजू, जैसाकि आप जानते हैं आपके पास बोलने के लिए सिर्फ पांच मिनट हैं।

श्री के. बापीराजू: महोदया, मैं एक अनुशासित व्यक्ति हूं। जैसे ही आप घंटी बजाएंगी, मैं बैठ जाऊंगा।

सभापति महोदया: मैं यह कह रही हूं कि आप सिर्फ भाषण देने के बजाए ममता जी को कुछ सुझाव दें।

श्री के. बापीराजू: धन्यवाद महोदया, आपने मेरे ऊपर दया की। मैं सिर्फ लालूजी को याद दिलाता हूं कि चार या पांच साल पहले लालूजी ने हम पर कृपा की थी और मेरे क्षेत्र में एक सर्वेक्षण का आदेश दिया था। जैसाकि सही उल्लेख किया गया है, वहां से पांच सांसद हैं। विजयवाड़ा, गुड़ीवाड़ा, भीमावरम, निडाडोउलू, मछलीपत्तनम और नरसापुर बहुत ही सम्पन्न क्षेत्र हैं और मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि यह देश में सबसे धनी क्षेत्र हो सकता है क्योंकि आप वहां गैस पा सकते हैं। मछली फार्म हैं। हर चीज वहां उपलब्ध है। वहां जो रेल लाइन है वह अंग्रेजी शासन काल की है, जो सबसे पुरानी लाइन है और यहां कोई दूसरी रेल लाइन, विद्युतीकृत और दोहरी नहीं बनी है।

महोदया, मैं किसी को चुनौती देना नहीं चाहता लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं वह व्यक्ति हूं जिसने एक शब्द के लिए मंत्री पद तथा विधायक के पद से भी त्यागपत्र दे दिया था। मैं चुनौती नहीं दे रहा हूं, मैं चुनौती देने में विश्वास नहीं करता, लेकिन मैं शर्मिंदा महसूस कर रहा हूं क्योंकि इसे स्वीकृत हुए पांच साल हो गए हैं और यदि मैं अगले पांच वर्षों में भी इस कार्य को पूरा नहीं करवा पाया तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि मैं संसद सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस का टिकट मांगने नहीं जाऊंगा। यदि आपने यह कार्य पूरा किया तो मैं वास्तव में आपका आभारी रहूंगा। अन्यथा, मैं शर्मिंदा महसूस करूंगा और कभी भी संसद में वापस नहीं लौटूंगा।

[हिन्दी]

कुमारी ममता बनर्जी: क्या सर्वे कम्पलीट नहीं हुआ?

श्री के. बापीराजू: हो गया अम्मा, चार साल हो गए, लेकिन काम शुरू नहीं हुआ।

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी: महोदया, इस बार योजना आयोग द्वारा कोई परियोजना स्वीकृत नहीं की गई है क्योंकि समय बहुत कम था। बंगाल के लिए भी कोई नई परियोजना स्वीकृत नहीं की गई है।

श्री के. बापीराजू: महोदया, मैं आपके साथ झगड़ नहीं रहा हूं।

कुमारी ममता बनर्जी: उनके लिए योजना आयोग की स्वीकृति जरूरी होती है, लेकिन समयाभाव के कारण ....

सभापति महोदया: बापीराजू जी, आप बाद में मंत्री महोदया से मिल सकते हैं।

कुमारी ममता बनर्जी: हम योजना आयोग के पास जाएंगे, लेकिन कृपया हमें कुछ समय दीजिए।

सभापति महोदया: आपने अपनी समस्या बता दी है। माननीया मंत्री कह रही हैं कि आप उनसे बाद में मिल सकते हैं और आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा।

श्री के. बापीराजू: मैं पहले ही उनसे मिल चुका हूं। महोदया, मुझे आप पर पूरा विश्वास है और यही कारण है कि मैंने इस बारे में कहा। अन्यथा, मैंने बोलने की अनुमति भी नहीं मांगी होती।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): सभापति महोदया, आपने रेल बजट पर चर्चा में बोलने का मौका दिया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। यह मेरा सौभाग्य है कि ममता बहनजी भी यहां बैठी हुई हैं। पूरे देश के रेल स्ट्रक्चर पर अगर हम निगाह डालें तो प्रतिवर्ष 5 से 6 अरब लोग रेल से यात्रा करते हैं और 70 से 80 करोड़ टन माल ढुलाई ट्रेनों से की जाती है। आज भी पूरे देश में वही पुरानी पटरियां हैं और पहिये भी हमारे कमजोर हुए हैं। वर्ष 1980 के बाद से आज तक रेल का विस्तार जितना होना चाहिए वह नहीं हुआ है। आज भी रेल का खेल 63,000 किलोमीटर में फैला हुआ है। अंग्रेज 54,000 किलोमीटर रेल नेटवर्क छोड़कर गये थे। उसके हिसाब से देखा जाए तो रेल नेटवर्क में हमने बहुत कम विस्तार किया है। पुल और पुलिया बहुत पुराने हैं और जर्जर स्थिति में हैं। आये दिन जो दुर्घटनाएं होती हैं उनका एक कारण यह भी है। तब से अब तक रेल से यात्रा करने वालों की संख्या दुगुनी और माल ढुलाई कम से कम चार गुना बढ़ गयी है। आज भी 9000 यात्री ट्रेनें पटरियों पर दौड़ रही हैं। आज स्टेशनों की क्षमता के साथ-साथ डिब्बों की संख्या बढ़ाने की भी जरूरत है। मालगाड़ियों का नेटवर्क यात्री-गाड़ियों के नेटवर्क से अलग होना चाहिए तभी हम कुछ कर पाएंगे।

दूसरी बात यह है कि रेल से यात्रा करने वाले यात्रियों के जान-माल की सुरक्षा और संरक्षण पूरी तरह से करना होगा। माननीय रेल मंत्री जी ने इसके लिए बजट के प्रावधान भी किया है। उत्तर प्रदेश में कुल पथों का 14 प्रतिशत है और जैसा बजट में प्रावधान किया गया है कि 375 आदर्श स्टेशन बनेंगे तो उस हिसाब से 52 आदर्श स्टेशन उत्तर प्रदेश में बनाए जाने चाहिए।

मैं अपने क्षेत्र के लिए कुछ मांग करना चाहूंगा। हमारे यहां सिराथू और कड़ाधाम धार्मिक स्थल हैं। जैसे मैहर, विंध्याचल और शीतलाधाम कड़ा है। वहीं पर मलूकदास स्मारक भी है। एक कहावत है कि—

''अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम
दास मलूका कह गये सबके दाता राम''।

वहीं पर ख्वाज़ा कड़क साहब का मजार भी है, जहां पर प्रतिवर्ष मेला लगता है और लाखों लोग वहां आते हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि वहां पर महानंदा एक्सप्रेस और मूरी एक्सप्रेस का ठहराव हो जिससे यात्रियों की सुविधा के साथ-साथ रेल राजस्व की भी बढ़ोत्तरी होगी। जनपद कौशाम्बी में भरवारी स्टेशन है जो दिल्ली-हावड़ा रूट पर पड़ता है, वहां पर हाफ रैक पाइंट बनाया जाए। इलाहाबाद से जो माल आता है, 80 किलोमीटर की दूरी होने के कारण उर्वरक या व्यावसायिक सामान समय पर पहुंच नहीं पाता है। एनसीआर में पूर्व कैजुअल लेबरों की नियुक्ति की बहुत दिक्कत है, जबकि वे नियम और शर्तें भी पूरी करते हैं और यह मामला हमने कई बार सदन में भी उठाया है। अन्य मंडलों जैसे झांसी, आगरा और लखनऊ में उन्हीं नियम और शर्तों पर कैजुअल लेबरों को रखा गया है, नियुक्ति की गयी है। लेकिन इलाहाबाद मंडल में इन कैजुअल लेबरों को नहीं रखा गया है।

हमारे निर्वाचन क्षेत्र में महानंदा एक्सप्रेस, मूरी एक्सप्रेस, इलाहाबाद-मथुरा एक्सप्रेस, प्रयागराज एक्सप्रेस, रीवां एक्सप्रेस, तूफान एक्सप्रेस और दिल्ली-हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेनों का स्टॉपेज भरवारी स्टेशन पर किया जाए। कोहरे और ठंड की वजह से कुछ ट्रेनें स्थगित होती हैं और बाद में वे ट्रेनें चालू नहीं की जाती हैं। भरवारी-कौशाम्बी जनपदवासियों के लिए एक ट्रेन चलायी जाए जो इलाहाबाद से होकर मुम्बई जाए ताकि यात्रियों को सुविधा मिल सके।

मनौरी, भरवारी, सिराथू स्टेशनों को कानपुर तक मासिक सीजनल टिकट कर देने से यात्रियों को तो सुविधा होगी ही, साथ ही रेल राजस्व में भी बढ़ोत्तरी होगी।

सभी ट्रेनों में 15, 16, 18 बोगियां लगती हैं, इन्हें बढ़ाकर 24 बोगियां कर देने से किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपने 50 बहुउद्देशीय परिसरों को शामिल किया है, जो तीर्थस्थल, पर्यटन स्थल या मुख्य स्थलों पर बनाने की बात कही है, मैं चाहता हूं कि कौशांबी में भी एक स्थल बनाया जाए। इलाहाबाद को भी विश्वस्तरीय स्टेशन बनाए जाने की बात आपने नहीं कही है, केवल माडल स्टेशन बनाने की बात कही है। इस स्टेशन पर करोड़ों की संख्या में लोग संगम स्नान करने के लिए

आते हैं। आजादी की लड़ाई का केन्द्र बिंदु इलाहाबाद रहा है। हाई कोर्ट, बौद्धिक स्थल आदि कई महत्वपूर्ण स्थल वहां हैं।

सभापति महोदया: आप अपनी बात समाप्त कीजिए या अपना भाषण सभा पटल पर रख दीजिए।

श्री शैलेन्द्र कुमार: महोदया, मैं अपनी बात जल्दी समाप्त कर रहा हूं। 375 आदर्श स्टेशनों में भरवारी, सिराथू, कुंडा, प्रतापगढ़ को भी आदर्श स्टेशन घोषित किया जाए। 140 संवेदनशील स्टेशनों में सुरक्षा व्यवस्था की बात कही है। मनौरी, भरवारी, सिराथू, कुंडा, प्रतापगढ़ स्टेशनों में भी संवेदनशील स्टेशनों के अंतर्गत सुरक्षा व्यवस्था की जाए। नई ट्रेन जो सिराथू, भरवारी होते हुए इलाहाबाद से मुम्बई चलाने की मैंने पहले भी मांग की थी, वह चला दी जाए, इससे राजस्व में बढ़ोत्तरी होगी। अब तक रेलवे भर्ती बोर्ड में अधिकारी ही सदस्य हैं, मैं चाहता हूं कि पालिटिकल लोगों की नियुक्ति कर दी जाए, तो जो जैनुइन सिफारिश है, वह हम कर सकें। रेल जमीन पर सात नर्सिंग कालेजिज बनाने की बात आपने कही है। मैं मांग करता हूं कि इलाहाबाद में भी एक नर्सिंग कालेज बनाया जाए। इलाहाबाद से कानपुर डबलडेकर गाड़ी चलाने की व्यवस्था की जाए। श्रीप्रकाश जायसवाल जी का इलाहाबाद से पुराना रिश्ता रहा है, इससे यात्रियों को बहुत सुविधा मिलेगी। पांच सौ डाकघरों में आपने टिकट वितरण की बात कही है।

सभापति महोदया: दारा सिंह जी, आप अपना भाषण शुरू कर दीजिए। रात्रि 12 बजे तक समय बढ़ाया जा सकता है, अगर आप चाहते हैं कि सुबह चार बजे तक समय बढ़ा दिया जाए, तो मैं किसी को भाषण समाप्त करने के लिए नहीं कहूंगी।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): महोदया, मैं अपनी बात समाप्त करने जा रहा हूं। आंवला और आम की खेती जनपद प्रतापगढ़ और कुंडा में होती है। मैं चाहूंगा कि वहां भी हाफ रैक प्वाइंट बनाया जाए, ताकि दूसरी जगहों पर व्यापार हो सके और रेल राजस्व में भी बढ़ोत्तरी हो सके।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं और मैं इस बजट का समर्थन भी करता हूं।

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): महोदया, आपने मुझे रेल बजट की सम्यक चर्चा में अपनी बात कहने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देते हुए माननीया मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि रेल बजट पर जो चर्चा हो रही है, आबादी के हिसाब से उत्तर प्रदेश, जो आबादी के हिसाब से देश का छठवां प्रदेश है, उसकी जो उपेक्षा हुई है, इसका क्या कारण है? जिस प्रदेश ने देश को बहुत कुछ दिया है, जिस प्रदेश ने देश को कई प्रधानमंत्री दिए हैं, बहुत महत्वपूर्ण साहित्यकार और देश की आजादी के लिए जान देने वाले स्वतंत्रता सेनानी दिए हैं, लेकिन देश को रेल मंत्री न दे पाने के कारण शायद रेल के मामले में उत्तर प्रेदश की उपेक्षा हुई है। उत्तर प्रदेश को केवल एक ट्रेन मिली है। वह प्रदेश जो औद्योगिक रूप से तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही धार्मिक रूप से भी महत्वपूर्ण है, उसे देश के दूसरे हिस्सों से जोड़ने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। आपने अपने बजट भाषण में, गरीब क्षेत्रों को, जो आजादी के बाद से अब तक उपेक्षित थे, उन्हें पैरा-1 में विश्वास दिया, तो देश के लोगों में अपेक्षा जगी कि आपके आने के बाद, जो उपेक्षित क्षेत्र रहे हैं, शायद उन्हें रेल मार्ग से जोड़ा जाएगा।

इसलिए ऐसे तमाम स्थान जिन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का कोई प्रयास नहीं किया गया और आपके द्वारा जो टिकट में दो प्रतिशत की कटौती की गई है और चूंकि आपसे लोगों को बड़ी अपेक्षा है और बड़ा अच्छा संदेश गया है कि शायद आपके बनने के बाद इस देश में जो गरीब हैं, उनकी मांगें मान ली जाएंगी। एक रुपया आपने टिकट में कम किया है और उच्च श्रेणी टिकट पर मध्यम वर्ग के कुछ लोग जो यात्रा करते हैं, उनको दो प्रतिशत की छूट देकर निश्चित रूप से आपने गरीबों को निराश किया है। बजट में आपने 50 स्टेशंस को विश्वस्तरीय रेलवे स्टेशंस के रूप में विकसित करने का जो प्रस्ताव किया है, उसमें उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कानपुर, आगरा, मथुरा ऐसे ही जगह को आपने चुना है लेकिन इलाहाबाद, मेरठ, गोरखपुर, बरेली, झांसी, आजमगढ़ और मऊ जैसे महत्वपूर्ण स्थानों को आपने उसमें शामिल नहीं किया है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि इन स्टेशंस को भी इसमें शामिल किया जाए। एक बात के लिए मैं बधाई जरूर आपको देना चाहता हूं कि आपके अंदर आत्मविश्वास होने के नाते आपने बजट पेश करते समय जो संदेश दिया। *...(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी: खाली ब्लू प्रिंट ही छाप दिया है। *...(व्यवधान)* दो और एक्सटेंशन हैं। उसके बाद 11, 12 हो जाएगा।

श्री दारा सिंह चौहान: मैं आपको बधाई इसलिए दे रहा हूं, शायद आप पहली रेल मंत्री हैं जिन्होंने आत्मविश्वास के साथ इस देश में एक संदेश दिया कि यह रेल बजट केवल आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से भी महत्व रखता है और आजादी के बाद इस पार्लियामेंट के अंदर आप ऐसी पहली मंत्री हैं जिन्होंने एससीएसटी कोटा पूरा करने का आश्वासन दिया है। आप समझती हैं कि इस देश में पिछड़े समाज के लोग भी बहुत बड़े पैमाने में रहते हैं जिनकी चर्चा आपने नहीं की है और मैं समझता हूं कि मंडल कमीशन लागू होने के बाद भी एससीएसटी और ओबीसी कोटा पूरा करने का प्रयास करेंगी।

[श्री दारा सिंह चौहान]

लेकिन इस सुझाव के साथ कि आपने जो किया, निश्चित रूप से बहुत सारे लोगों को अच्छा लगा। कुछ लोगों को तकलीफ भी हो सकती है क्योंकि इसमें साजिश भी हो सकती है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बहन मायावती जी ने दो साल के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में एससीएसटी और ओबीसी का कोटा पूरा करने का काम किया है, उसमें भी जनहित याचिका दाखिल कर उसे रुकवाने की साजिश की गई ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: दारा सिंह जी, आपका समय समाप्त हो गया है। आपकी पार्टी के अभी दो मैम्बर्स और भी बोलने के लिए हैं।

श्री दारा सिंह चौहान: मैडम, मेरे पास अभी 15 मिनट का समय है। मैडम, मैं उम्मीद करूंगा कि एससीएसटी और ओबीसी कोटा पूरा करने का आप ईमानदारी से प्रयास करेंगी। बजट में जो 17 रेल लाइनें बिछाने का आपने प्रस्ताव किया है, कई बार आपके द्वारा भी पार्लियामेंट में घोषणा हुई है लेकिन उसमें केवल ऊंचाहार, अमेठी, सुलतानपुर और सालौन ही प्रस्तावित है, अन्य महत्वपूर्ण स्थानों को छोड़ दिया गया है। मैं समझता हूं कि उनको भी इससे जोड़ा जाए। जिस स्थान से मैं आता हूं, उसके पूर्वांचल की मैं बात करता हूं, 170 कि.मी. जो रेलमार्ग है, बलिया, छपरा, आजमगढ़, मऊ और शाहगंज, जो आज तक इससे अछूता रहा है, मैं समझता हूं कि इन पर न तो कोई नयी रेलगाड़ी दी गई है, न इसका विस्तार किया गया है, अगर दी गई है तो दिल्ली से गोरखपुर होकर मुजफ्फरपुर जाती है, या तो इलाहाबाद बनारस होकर कोलकाता होकर चली जाती है लेकिन बीच के मार्ग को कभी किसी ने छुआ तक नहीं है। लेकिन हमें आपसे बड़ी अपेक्षा है। मैं एक बात और आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि इंदारा, दोहरीघाट अंग्रेजों के जमाने की रेल लाइन है, जो मैं समझता हूं कि यह लगभग 30-35 कि.मी. है और यह छोटी लाइन है। वह इंदारा से लेकर मऊ-बलिया-शाहगंज-लखनऊ-दिल्ली तक चली जाती है लेकिन वह पुराने जमाने की 30-35 कि.मी. लाइन आज तक बड़ी रेल लाइन में बदल नहीं पाई है। इसलिए मैं आपसे मांग करता हूं कि इस छोटी लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित किया जाए। इसका तो सर्वे भी हो चुका है और पुराना जो प्रस्ताव है कि दोहरीघाट से सहजरवा को जोड़ दिया जाए, मैं समझता हूं कि गोरखपुर से सीधे कनैक्ट हो जाएगा। इससे काफी लोगों को सुविधा मिलेगी। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आपने अपने बजट भाषण में इस बात का जिक्र किया था, पहली बार आपने बहुत सारी घोषणाएं भी कीं जिससे काफी लोगों में खुशी है लेकिन आजमगढ़-मऊ जहां मुबारकपुर-मऊ में बनारसी साड़ी का सबसे बड़ा उद्योग है, बनारसी साड़ी बनती है, जहां देश के कोने-कोने में उसका व्यापार होता है, वह आजमगढ़-मऊ सामाजिक शैक्षणिक दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण है जहां शिक्षा ग्रहण करने के लिए लोग आते हैं। आप पहली रेल मंत्री हैं, जिन्होंने मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए सुविधा देने का काम किया है। इसलिए मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि वह मुबारकपुर जहां पर सुरफिया अरबी विश्वविद्यालय जो एशिया स्तर का है, सराय-रेलवे-बेतुरलुम मदरतुल इसला जो विश्वस्तरीय है। मऊ में भी तमाम एजुकेशनल स्टेशन हैं वहां तमाम बच्चे आंध्र प्रदेश, बंगलौर, महाराष्ट्र यहां तक कि इंडोनेशिया आदि से भी पढ़ने आते हैं लेकिन उनके आने-जाने के लिए रेल लाइन को कोई जोड़ने का काम नहीं किया है। पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश बड़ा गरीब प्रदेश है। ...*(व्यवधान)* यहां से सबसे ज्यादा लोग कोलकाता में काम करने के लिए जाते हैं लेकिन आज तक कोलकाता के लिए कोई रेल लाइन नहीं जोड़ी गई है। ...*(व्यवधान)* हो सकता है मेरे कहने में शब्दों में थोड़ा हेरफेर हो गया हो। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: आप स्पीच ले कर दें। मैडम को पेपर दे दें।

...*(व्यवधान)*

श्री दारा सिंह चौहान: मैं समझता हूं कि इलाहाबाद घटनी सिंगल ट्रैक की आठ घंटे की दूरी दो घंटे में तय की जा सकती है। ...*(व्यवधान)* माननीया मंत्री जी जहां से मैं सांसद हूं वहां से ऐसी कोई ट्रेन नहीं है जहां से मैं, मऊ से सीधे दिल्ली समय से पहुंच सकूं। एक ट्रेन लिच्छवी जो पहले मुजफ्फरपुर से चलती थी उसे सीतामढ़ी तक बढ़ा दिया गया है लेकिन बढ़ने के कारण वह ट्रेन नौ घंटे लेट चलती है। मऊ में ट्रेन आने का समय दिन में एक बजे है लेकिन रात में नौ बजे आती है। मैं माननीय मंत्री जी से चाहता हूं कि माननीय मंत्री मऊ से एक ऐसी ट्रेन चलाएं जो दिल्ली सुबह छः बजे पहुंच जाए। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: आपकी पार्टी के दो सदस्य, जो बोलने वाले हैं, उनके पांच मिनट घट गए हैं। उनको पांच मिनट कम मिलेंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री दारा सिंह चौहान: मैं समझता हूं कि मऊ, जहां साड़ियां बनती हैं, इसे मुम्बई, कोलकाता, बंगलौर और सूरत से जोड़ा जाए। इससे व्यापार बढ़ेगा और बुनकरों को फायदा होगा। इसी के साथ सफाई की तरफ भी ध्यान देना होगा। ...*(व्यवधान)* आजादी के इतने वर्ष हो गए हैं लेकिन अब भी मऊ में फ्लाई ओवर की जरूरत है, यहां सबसे बड़ी आबादी रहती है। यहां फ्लाई ओवर की जरूरत है क्योंकि लाखों लोग उस पार जाते हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपकी पार्टी के दो मैम्बर बोलने वाले थे लेकिन अब केवल एक मैम्बर को ही बोलने का मौका मिलेगा।

...*(व्यवधान)*

श्री दारा सिंह चौहान: अपनी स्पीच ले भी कर दूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं कि पूर्वांचल बहुत उपेक्षित रहा है और आपने बहुत कुछ दिया है लेकिन मैं चाहता हूं कि आजमगढ़, बलिया, मऊ, सहारनपुर को जोड़कर सीधी रेल सेवा से जोड़ा जाए।

कुमारी ममता बनर्जी: छ: एक्सटेंशन का प्रपोजल होगा तो मैं क्या करूं?

सभापति महोदया: जब कल मंत्री महोदया जवाब देंगी तब आप बोल लेना।

श्री निखिल कुमार चौधरी (कटिहार): सभापति महोदया, रेल बजट वर्ष 2009-2010 के संबंध में बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं माननीया रेल मंत्री, ममता जी को बधाई देना चाहता हूं क्योंकि ममता जी ने एनडी सरकार में दो बार रेल मंत्री रहकर सराहनीय कार्य किया। अब जो रेल बजट प्रस्तुत हुआ है, वह भी अनूठा है और निश्चित तौर से कई सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं। अच्छे कार्यों की प्रसंशा होनी चाहिए इसलिए मैं आपको बधाई देता हूं। मैं आपको इसलिए भी बधाई देता हूं कि आप मेरे पड़ोस की हैं। मैं कटिहार संसदीय क्षेत्र से आता हूं और बगल में बंगाल लगता है। आपको पता है कि जिस क्षेत्र से मैं हूं वह एनएफ रेलवे का डिवीजनल हैडक्वार्टर है। आपने रेल बजट में पूर्व और आज की वर्तमान सरकार के पूर्व रेल मंत्री द्वारा जो कुछ कमियां रही हैं, उनको दूर करने के लिए कई सुधारात्मक कदमों की ओर इशारा किया है। समय की कमी है इसलिए मैं इस बारे में विशेष तौर पर कुछ नहीं कहूंगा लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर आप उसमें सुधार कर जाएंगी तो एक ऐतिहासिक रेल मंत्री के रूप में प्रतिष्ठित होंगी। मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि आप पड़ोस में हैं लेकिन आपने पड़ोसी को ही भुला दिया। आपकी आंखों से बिहार तो ओझल हुआ ही है साथ ही कटिहार का डिवीजनल हैडक्वार्टर से जुड़ा हुआ इलाका भी ओझल हो गया।

मैं सीधे उन विषयों पर आना चाहता हूं कि कटिहार से पटना तक एक ट्रेन कैपिटल एक्सप्रैस चलती थी। स्व. श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने उसका शुभारम्भ किया था। आज इस ट्रेन का विस्तार अलीपुरद्वार-गुवाहाटी तक कर दिया गया है। यात्रियों का दबाव बढ़ गया है, लेकिन ट्रेन के डिब्बे नहीं बढ़े और आजकल ए.सी. में चलने वाले लोगों की तादाद बढ़ गई है। मैं आपसे मांग कर रहा हूं कि इसी रेल बजट में आपके द्वारा तत्काल आदेश हो जाए कि इस ट्रेन में एक ए.सी. सैकिंड और ए.सी. थर्ड कोच लग जाए।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि वहां से हाटेबाजार एक ट्रेन चलती है, जिससे आप वाकिफ हैं। नीतिश जी के जमाने में हाटेबाजार ट्रेन का बरौनी की तरफ विस्तार हो गया और लालू जी ने उसे सहरसा पहुंचा दिया। उस ट्रेन की हालत यह है कि यह पांच-छ: घंटे विलम्ब से चलती है। कटिहार के लिए वह हाटेबाजार ट्रेन थी, कटिहार और उस एरिया के लोग कोलकाता और सियालदह मार्केटिंग करने के लिए जाते थे। वे रात में चलते थे, दिन में मार्केटिंग करते थे और फिर उसी ट्रेन से शाम को लौटते थे और सुबह कटिहार लौट आते थे। कई जिलों को इससे लाभ होता था। लेकिन अब इस हाटेबाजार ट्रेन का कोई मकसद नहीं रह गया है। इसलिए मेरा आग्रह है कि कटिहार से कोलकाता के लिए आप एक नई ट्रेन दें, जिसका आपने इसमें प्रावधान नहीं किया है।

मैं आपसे यह भी आग्रह करना चाहता हूं कि कई ऐसी ट्रेनें हैं जो बरौनी में ऐसे ही पड़ी रहती हैं। अभी आपको मंत्री बने लगभग डेढ़ महीना हुआ है। मैं समझता हूं कि यदि आप इस तरफ पूरा ध्यान देंगी तो कई ऐसी ट्रेनें हैं, जिन्हें आप वॉयबल बना सकती हैं। वे ट्रेन्स हैं—बरौनी से ग्वालियर, वैशाली एक्सप्रेस, जो कटिहार से चलती थी, वह हमसे छीन ली गई। बरौनी-लखनऊ एक्सप्रैस, ये ट्रेनें दस से बारह और सोलह घंटे तक बरौनी में पड़ी रहती हैं। कटिहार में डबल पीट लाइन है और अपनी कैपेसिटी के अनुसार दस ट्रेनों की सफाई वह पीट लाइन कर सकती है। इन ट्रेनों का विस्तार कटिहार तक किया जाए और कटिहार से इसे चलाया जाए। आपको पता है कटिहार से जोगबनी और कटिहार से राधिकापुर का आमान परिवर्तन हुआ, कई नई ट्रेनें चल रही हैं। लेकिन जो हमारी पुरानी ट्रेनें थीं, वे हमसे छीन ली गई हैं। इसलिए हमारा आग्रह है कि हमारी पुरानी ट्रेनें बहाल की जाएं। मैं मांग करता हूं कि जो नई गाड़ियां आपने इसमें इंट्रोड्यूस नहीं की हैं, उनमें जोगबनी-सूरत, जोगबनी-देहरादून, जोगबनी-रांची और कटिहार से बंगलौर के लिए आप ट्रेनें चलायें।

सभापति महोदया: आपका समय हो गया है। अब आप समाप्त कीजिए।

श्री निखिल कुमार चौधरी: मैडम, मैं दो मिनट में समाप्त कर दूंगा और शेष स्पीच ले कर दूंगा। जो इम्पोर्टेंट प्वाइंट्स हैं, उन्हें मैं यहां कह देना चाहता हूं।

सभापति महोदया: आप एक मिनट में समाप्त कीजिए और शेष ले कर दीजिए। आप तो बहुत होशियार मैम्बर हैं।

श्री निखिल कुमार चौधरी: मैं अभी समाप्त करता हूं। आपने पचास जंक्शन को विश्वस्तरीय बनाने के लिए चुना है। लेकिन पटना को आपने अपनी आंखों से ओझल कर दिया। बहुत अच्छा होता कि आप एक आदर्श बदला लेते और पटना को उसमें शामिल करते, पटना को भी आप उनमें रखते। हमने तो कटिहार के लिए कहा है।

[श्री निखिल कुमार चौधरी]

इसके अलावा मैं मांग करता हूं कि सेमापुर, कुर्सोला, गाढ़ागोला स्टेशन में रोशनी की और व्यवस्था की जाए। कटिहार, मिनहारी, बलुआघट्टी रेल खंड का विस्तार वाया अहमदाबाद, भालुकारोड तक किया जाए, जिससे पश्चिम बंगाल के लिए एक दोहरा ट्रेन मार्ग भी हो जाए।

कटिहार में गौशाला रेलवे गेट पर ओवरब्रिज की मांग मैं पिछले छः सालों से कर रहा हूं लेकिन वह काम पूरा नहीं है। मुझे आशा है कि आपकी ममताभरी नजर इस पर पड़ेगी और बिहार सरकार इसमें आपको सहयोग करने के लिए तैयार है।

सभापति महोदयाः आप पेपर्स ले कर दीजिए।

***श्री निखिल कुमार चौधरीः** मैं 2009-2010 के रेल बजट पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदया, मैं निखिल कुमार चौधरी, सांसद, कटिहार, लोक सभा क्षेत्र से आता हूं। रेल बजट माननीया रेल मंत्री के द्वारा दिनांक 3.7.2009 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया। कटिहार मंडल रेल माननीया रेल मंत्री के बजट से विलुप्त है।

अतः कटिहार जंक्शन जो सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्टेशन है। इसके लिए कुछ अति आवश्यक, महत्वपूर्ण एवं जनकल्याणकारी मांग आपके माध्यम से रखता हूं।

कटिहार में रेलवे की सैकड़ों एकड़ जमीन खाली पड़ी हुई है, इस भूमि पर रेल इंजन के रख-रखाव एवं मरम्मती हेतु वर्कशाप या रेल स्लीपर का कारखाना लगाया जाय।

मनिहारी एवं साहेबगंज के बीच सड़क-सह-रेल पुल की मांग, बिहार एवं झारखंड की जनता पूर्व से करती आ रही है। यहां सड़क-सह-रेल पुल का निर्माण कराया जाये।

नई गाड़ियों की मांग

हावड़ा/सियालदाह से कटिहार के बीच इन्टरसिटी एक्सप्रेस का परिचालन सुनिश्चित किया जाये।

दिल्ली से कटिहार के बीच एक नॉनस्टाप ट्रेन का परिचालन किया जाये।

कटिहार से दिल्ली के बीच एक गरीब रथ एक्सप्रेस चलाई जाये।

कटिहार से रांची वाया सनठिया एक नई गाड़ी का परिचालन किया जाये।

कटिहार से दक्षिण भारत के लिए एक नई गाड़ी का परिचालन किया जाये।

कटिहार से राधिकापुर तथा कटिहार से जोगबनी रेल खंड का अमान परिवर्तन से पूर्व कुछ महत्वपूर्ण एवं आवश्यक गाड़ियों का परिचालन होता था। आमान परिवर्तन के कार्य हेतु इन गाड़ियों का परिचालन बंद कर दिया गया था, जिसे पुनः परिचालन नहीं किया गया। मेरी मांग है कि निम्नलिखित गाड़ियों का परिचालन पुनः सुनिश्चित किया जाये।

(क) कटिहार-सिलीगुड़ी यात्री सवारी गाड़ी (651-652)

(ख) कटिहार-बारसोई यात्री सवारी गाड़ी (653-654)

(ग) कटिहार-जयनगर जानकी एक्सप्रेस।

गाड़ियों के विस्तारीकरण की मांग

वैशाली एक्सप्रेस तथा बरौनी-लखनऊ एक्सप्रेस जो पूर्व में कटिहार से चला करती थी वर्तमान में इन गाड़ियों का परिचालन बरौनी से हुआ करता है। उक्त गाड़ियां बरौनी में क्रमशः 16, 15 घंटा एवं 12 घंटा अनावश्यक रूप से खड़ी रह जाती हैं। मेरी मांग है कि इन गाड़ियों को पुनः कटिहार जंक्शन तक विस्तारित किया जाए। कटिहार तक विस्तार करने से इन गाड़ियों का परिचालन में किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी तथा निश्चित समय पर कटिहार में सफाई के पश्चात गाड़ियां समय से बरौनी पहुंच जाएंगी।

माननीया रेल मंत्री द्वारा अलीपुरद्वार-रांची एक्सप्रेस (5761-5762) जो वाया मालदा होकर चलती थी का विस्तार गोहाटी तक किया गया है। मेरी मांग है कि उक्त गाड़ी को बारसोई से सनौली के रास्ते कटिहार लाया जाये एवं पुनः कटिहार से लाभा, कुमेदपुर के रास्ते मालदा ले जाया जाये तो काफी कम समय में एवं बहुत ही कम व्यय के साथ कटिहार, पूर्णिया, अररिया के यात्रियों को झारखंड के लिए एक गाड़ी मिल जायेगी साथ ही साथ रेल के राजस्व में भी वृद्धि होगी।

गाड़ियों के ठहराव की मांग

बारसोई रेल जंक्शन में निम्नलिखित गाड़ियों का ठहराव सुनिश्चित किया जाए।

— राधिकापुर-सियालदह एक्सप्रेस (3145-3146) का ठहराव आजमनगर स्टेशन में दिया जाए।

— डिब्रूगढ़-अमृतसर (5933-5934) एक्सप्रेस, लोहित एक्सप्रेस (5651-5652), दादर एक्सप्रेस वाया मालदा (5647-5648), पूरी एक्सप्रेस (5639-5640), गोहाटी

*...*भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।

एर्नाकुलम एक्सप्रेस (2507-2508), गोहाटी-त्रिवेन्द्रम एक्सप्रेस (2515-2516), गौहाटी-जोधपुर-बीकानेर एक्सप्रेस (5631-5632)।

— काढ़गोला स्टेशन के पास लक्ष्मीपुर-भंडारतल सिखों का एक प्रसिद्ध धर्मस्थल है। उक्त धर्मस्थल के दर्शन हेतु देश के सभी भागों से लोग आया करते हैं। मेरी मांग है कि उक्त स्टेशन पर नार्थ ईस्ट (2505-2506) एवं अवध-असाम (5609-5610) का ठहराव दिया जाए।

— तेलता, सुधानी एवं प्रखण्ड मुख्यालय प्राणपुर स्टेशन में महानन्दा एक्सप्रेस (4083-84) तथा अवध असम एक्सप्रेस (5609-5610) का ठहराव दिया जाए।

काढ़ागोला, कुर्सोला, सेमापुर तथा बरारी कृषि प्रधान क्षेत्र है, यहां किसान प्रचुर मात्रा में केला, मक्का एवं मखाना की खेती करते हैं, अत: मेरी मांग है कि काढ़ागोला स्टेशन में माल ढुलाई हेतु रेक प्वाइंट की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

सेमापुर, कुर्सेला एवं काढ़गोला स्टेशनों में जनरेटर/सौर ऊर्जा से रोशनी की व्यवस्था की जाय तथा महिला/पुरुष प्रतीक्षालय की व्यवस्थालय के साथ-साथ कम्प्यूटरीकृत उद्घोषणा यंत्र की व्यवस्था की जाए।

कटिहार जंक्शन को विश्वस्तरीय स्टेशन का दर्जा दिया जाए।

कटिहार-मनिहारी-बलुआघट्टी रेल खण्ड का विस्तार वाया अहमदाबाद, भालुकारोड तक किया जाए।

कटिहार में गौशाला रेलवे गेट एवं भगवान चौक रेलवे गेट पर रेल ओवर ब्रिज का निर्माण कराया जाये।

कटिहार रेल मंडल के अन्तर्गत दालकोला एवं तेलता स्टेशन के बीच हजियार में हॉल्ट का निर्माण किया जाए।

इन्हीं मांगों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।*

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): सभापति महोदया, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे रेल मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर दिया। इस बजट पर मैं सबसे पहले रेल मंत्री को, कांग्रेस यूपीए की सरकार को बधाई देता हूं।

मैं इस बात की भी बधाई देता हूं कि जिस तरह से पूरी दुनिया आर्थिक मंदी से गुजर रही है और जिस तरह से मूल्यवृद्धि हो रही है, स्वाभाविक है कि उस दबाव के बावजूद भी रेल किरायों और माल-भाड़े में वृद्धि नहीं की गई है। निश्चित तौर पर देश की जनता को राहत देने वाला यह रेल बजट है। मैं इस बात के लिए भी बधाई देता हूं कि पिछले दिनों पूर्व रेल मंत्री ने छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया, उसका भी दबाव पड़ा। उसके बावजूद ...*(व्यवधान)*

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): सभापति महोदया, माननीय सदस्य की मेडन स्पीच है।

श्री जगदम्बिका पाल: नहीं, मैं पहले राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोल चुका हूं। माननीय मंत्री जी मेरे सपोर्ट में कह रहे हैं।

सभापति महोदया: चूंकि आपने कहा, इसलिए 4-5 मिनट का समय और दूंगी।

श्री जगदम्बिका पाल: मैं इसलिए भी बधाई देता हूं कि माननीय रेल मंत्री जी ने इनोवेटिव फाइनैंसिंग की बात की है। यहां तमाम प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सवाल उठाया गया है और प्रतिपक्ष और सभी ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस बजट का स्वागत किया है। इसके अलावा प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने श्वेत-पत्र की बात भी उठायी है जिसके बारे में रेल मंत्री जी ने और पूर्ववर्ती रेल मंत्री ने अपनी बात से जवाब दिया है।

सभापति महोदया, जहां तक खर्चे की बात है, यहां कहा गया कि पैसा कहां से आयेगा? रेल की आय 27 पैसे पैसेंजर्स से होती हैं, 65 पैसे माल-भाड़े से होती है। वेतन-भत्ते पर 27 पैसे खर्च होता है, पेंशन देनदारियों पर 11 पैसे, ईंधन पर 17 पैसे, पूंजी फंड पर 15 पैसे, विविध फंडों पर 8 पैसे, लाभांश पर 7 पैसे, विकास फंड 3 पैसे और भंडारण पर 4 पैसे खर्च होता है। इन सब के बावजूद इतनी घोषणाएं हुईं, उनके द्वारा कमिटमैंट की बात हो रही हैं। मैं यूपीए चेयरपरसन श्रीमती सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने इतना बजटरी सपोर्ट दिया है। जहां तक अंतरिम बजट की बात है, 10 हजार करोड़ रुपये की सपोर्ट थी। उसमें 5 हजार करोड़ रुपये मिलकर उसे 15 हजार करोड़ रुपया किया है। 15 हजार करोड़ रुपया इनफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के लिए किया है। मैं समझता हूं कि पहली बार स्टीरिओ टाइप से हटकर मानवीय संवेदनाओं पर आधारित यह रेल बजट है। कांग्रेस आम आदमी के लक्ष्य को लेकर चली थी और जब डॉ. मनमोहन सिंह जी की सरकार बनी, तो रेल मंत्री उसे मां, मिट्टी और मानुष के रूप में लेकर आयी है। उन मानवीय संवेदनाओं का इस बजट में समावेश किया गया है।

सभापति महोदया, अभी तक रेल केवल पटरियां बिछाने, रेल के डिब्बे बनाने, स्टेशन का निर्माण करने और रेलगाड़ियों में सफर कराने का काम करती थी लेकिन पहली बार इस कार्य से हटकर

[श्री जगदम्बिका पाल]

14 लाख कर्मचारियों के बारे में सोचा है। जब उन्हें रात के दो बजे मीमो मिलता है और अपनी पैसेंजर या गुड्स ट्रेन लेकर चलते हैं और दूसरे दिन लौटते हैं, उन्हें अपने बच्चों के भविष्य के बारे में चिन्ता होती है, उन लाखों लोगों की आशाओं और उनकी भावनाओं की कद्र की है जिनकी आंखों में एक सपना होता है। जब दुनिया सोती है, वे रात को ट्रेन लेकर चलते हैं, चाहे पैसेंजर ट्रेन हो या गुड्स ट्रेन हो। वे चाहते हैं कि उनके बच्चे डाक्टर बनें, उनकी बेटी नर्स बने ताकि वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें, उनके लिए बड़ा काम किया है। इस सबके लिए पैसा कहां से आयेगा? इसलिए इनोवेटिव फाइनैंसिंग की बात कही गई है।

सभापति जी, माननीया रेल मंत्री जी ने साफ कह दिया है कि वे रेल की किसी जमीन का निजीकरण नहीं करने जा रहे हैं। हम केवल पी.पी.पी. के माध्यम से चलाने की अनुमति देंगे। वह हमेशा रेल की सम्पत्ति रहेगी। यह अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम है। शायद एन.डी.ए. और बी.जे.पी. इस बात की आलोचना कर रहे थे। वे भूल गये थे कि वे डिविडैंड नहीं दे पा रहे थे और उस समय निजीकरण की बात चल रही थी। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयाः आपको बोलते हुए पांच मिनट हो गये हैं।

श्री जगदम्बिका पालः सभापति जी, अभी तो मैंने शुरू किया है।

सभापति महोदयाः मैं मास्टर हूं, तभी मैंने आपको याद दिला दिया है।

अपराह्न 5.55 बजे

[**श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना** *पीठासीन हुए*]

अगर आज भाजपा, एनडीए की सरकार होती तो निश्चित तौर पर रेलवे निजी क्षेत्र में चला जाता। भाजपा, एनडीए की सरकार के बाद हमें जो रेलवे विरासत में मिली थी, जब घाटे का बजट चल रहा था उसे हमारी कांग्रेस, यूपीए की सरकार के पिछले रेल मंत्री जी ने घाटे से उबारा और लाभ में लाये। हमें डिविडेंड दिया और पूरी दुनिया ने यह माना कि इतना बड़ा प्रतिष्ठान सरकारी सेक्टर, पब्लिक सेक्टर में भी लाभ में चल सकता है। आज पूरी दुनिया मंदी के दौर से गुजर रही है। हमने वर्ष 2008-09 में भी लाभांश की पूर्ण देनदारी 4,717 करोड़ रुपये दी है। सरप्लस में इस गिरावट के बावजूद हम वर्ष 2009-10 में उच्च लाभांश की देनदारी को चालू वित्त वर्ष में 5,479 करोड़ रुपए देने जा रहे हैं। इस बार हम 762 करोड़ रुपये लाभांश अधिक देंगे, जबकि चालू वित्त वर्ष में रेलवे के सरप्लस में 3,000 करोड़ रुपए की गिरावट आयी है। वर्ष 2008-09 में हमारा सरप्लस 17,400 करोड़ रुपये का था और आज वर्ष 2009-10 में हमारा सरप्लस 3199 करोड़ रुपये का हो गया है। किसी बजट का मूल्यांकन कैसे होगा, या तो इसे देश की जनता करे, या इसे प्रेस और मीडिया के लोग करें, या स्टॉक एक्सचेंज मार्केट करे। मैं समझता हूं कि इस बजट को देश की जनता ने भी सराहा है। सारे मीडिया ने लिखा है कि ममता ने ममता बहायी, ममता ने सौगात दी। आप स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स देखिए, जिस दिन रेल बजट प्रस्तुत हुआ था, उस दिन शाम को उसमें 254.56 अंकों का उछाल आया था और यह अपने आप में एक रिकार्ड है। यह निचले स्तर पर जब था तो यह 14,499.74 था और शाम को 14,913 पर बंद हुआ। यह बजट उस समय आया है जब इंटरनेशनल मार्केट में डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाने की बाध्यता थी। इनके दामों में वृद्धि हुई है। आज पूरे देश में 80 परसेंट ट्रांसपोर्टेशन ट्रकों से होता है और उन्होंने तुरन्त भाड़ा 6 से 8 परसेंट तक बढ़ा दिया। आज डीजल के दामों में बढ़ोत्तरी से वह बोझ रेल पर भी आया है। मैं अपनी सरकार को बधाई देना चाहूंगा कि दामों में वृद्धि के बावजूद भी माल ढुलाई के भाड़े में कोई वृद्धि नहीं हुई है। अब निश्चित तौर से रेल ढुलाई का काम बढ़ेगा, लेकिन मैं मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट से यह कहना चाहूंगा कि जो गोल्डन कॉरीडोर बनाया जा रहा है, उसकी ओवर लैपिंग न हो। मेरा सुझाव है कि मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट से बात करके एक समन्वय स्थापित किया जाए।

महोदय, अब मैं थोड़ी सी बात उत्तर प्रदेश की करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हो गया है और यह बात ध्यान देने योग्य है। शायद समय की कमी की वजह से माननीया मंत्री जी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। आज यदि पूरी दुनिया में हिन्दुस्तान की पहचान है तो वह ताजमहल से है या फिर बुद्धिस्ट सर्किट से है। सारनाथ, कुशीनगर, देवरिया आज पूरा का पूरा बुद्धिस्ट सर्किट है। सिद्धार्थ नगर में मेरे लोक सभा क्षेत्र में उनकी जन्मस्थली कपिलवस्तु है, श्रावस्ती है। इस बुद्धिस्ट सर्किट पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। आज स्थिति यह है कि गोरखपुर में नेपाल का ट्रैफिक, बिहार का ट्रैफिक, पूर्वी उत्तर प्रदेश का ट्रैफिक है, लेकिन गोरखपुर को न तो वर्ल्ड क्लास के स्टेशन में लिया गया और न ही मॉडल स्टेशन में लिया गया है। गोरखपुर से गोण्डा जो मीटर गेज है, जिससे बुद्धिस्ट सर्किट का दूरिस्ट आता है, उसको ब्रॉड गेज करने के संबंध में कोई प्रोविजन नहीं हुआ है, इसे किया जाना चाहिए। शायद वक्त की कमी थी, लेकिन माननीय मंत्री जी को अब उस पर विचार करना चाहिए। आज अगर हमें दुनिया भर के भगवान बुद्ध को मानने वाले लोगों को आकर्षित करना है तो इसे करना होगा। आज गोरखपुर से लखनऊ जो डबल लाइन हो रही है, वह अपने इंटरनल रिसोर्सेज से हो

रही है। इसे भी बजटरी प्रोविजन का सपोर्ट मिलना चाहिए। आज वहां रेल लाइन की यूटिलाइज्ड कैपेसिटी 100 परसेंट हो गयी है। आज लखनऊ से आगे कानपुर तक यह 100 परसेंट हो गयी है। आज वहां डबल लाइन बनाना रेलवे और यात्रियों दोनों की आवश्यकता है। उस बुद्धिस्ट सर्किट को चाहे कुशीनगर, सारनाथ, श्रावस्ती, कपिलवस्तु को जोड़ने के लिए, मीटर गेज से ब्राडगेज किया जाए। नौगढ़ जो सिद्धार्थ नगर का स्टेशन है उसे मॉडल स्टेशन बनाया जाना चाहिए। जितनी गाड़ियां गोरखपुर से चलती थीं, वे बिहार चली गयीं। आज गोरखपुर में सबसे ज्यादा ट्रैफिक है, 100 परसेंट ट्रैफिक है, इसलिए वहां पर ट्रेनें बढ़ायी जानी चाहिए। यहां पर केवल एक साप्ताहिक सुपर फास्ट ट्रेन है। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

सायं 6.00 बजे

संसदीय कार्य मंत्री और जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सभा का समय रात्रि 8.00 बजे तक बढ़ाया जाए।

सभापति महोदय: क्या सभा इस बात की अनुमति देती है कि सभा का समय रात्रि 8.00 बजे तक बढ़ा दिया जाए।

अनेक माननीय सदस्य: जी हां।

सभापति महोदय: अब श्रीमती मीना सिंह बोल सकती हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती मीना सिंह (आरा): माननीय सभापति जी, सबसे पहले मैं आपका आभार प्रकट करना चाहूंगी कि आपने मुझे रेल बजट पर चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया। मैं नई सांसद हूं। मुझे बजट की बारीकियों का ज्ञान नहीं है परंतु मैं बजट को जितना समझ पाई हूं, उससे ऐसा लगता है कि ममता दीदी का ध्यान बजट तैयार करते समय खास तौर से बंगाल पर केन्द्रित था। चाहे वह नई ट्रेन चलाने की बात हो, आदर्श स्टेशन बनाने की बात हो या नई रेल लाइन की बात हो, बजट में हर जगह कोलकाता, स्यालदाह और पश्चिम बंगाल ही छाया हुआ है। ममता दीदी बंगाल में ज्यादा काम करें, मैं इसका विरोध नहीं करती परंतु न जाने क्यों हमारे प्रांत बिहार से रेल मंत्री जी नाराज दिखीं। बिहार के लिए कुछ भी खास नहीं दिया गया। यहां तक कि पूर्व रेल मंत्री जी द्वारा जो घोषणाएं पूर्व में की गई, उन पर भी रेल मंत्री जी चुप रहीं। आरा-सासाराम रेल लाइन बनकर तैयार है। जल्दबाजी में आदरणीय लालू जी ने चुनाव घोषणा के पूर्व उस रेल खंड पर मालगाड़ी चलवाकर उसका उद्घाटन भी कर दिया था। यह अलग बात है कि लालू जी को उस चुनाव में लाभ नहीं मिला, परंतु उसके बाद से आज तक उस पर कोई ट्रेन नहीं चल रही है। *...(व्यवधान)* मुझे आपके माध्यम से ममता दीदी से आग्रह करना है कि पटना-आरा-सासाराम होते हुए वाराणसी तक एक ट्रेन चलाई जाए। मैं रेल मंत्री जी को यह अवश्य बताना चाहूंगी कि यह रेल लाइन मेरे तथा लोक सभा की माननीय अध्यक्ष के निर्वाचन क्षेत्र को जोड़ती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा नहीं, अपितु अध्यक्ष महोदया जी का ख्याल रखते हुए अवश्य ही इस रूट पर मंत्री जी ध्यान देंगी।

एक दूसरा आग्रह है कि देश में 309 आदर्श स्टेशन बनाने की बात इस बजट में की गई है। बाबू कुंवर सिंह जी महान स्वतंत्रता सेनानी थे। उनकी जन्मभूमि आरा में उनके सम्मान में आरा स्टेशन को आदर्श स्टेशन बनाया जाए। एक अंतिम मांग मैं ममता दीदी से करना चाहूंगी कि आरा स्टेशन पर सम्पूर्ण क्रांति एवं पटना राजधानी का ठहराव कृपा करके दिया जाए। मैं अपनी बात समाप्त करूं, उससे पहले माननीया मंत्री जी को याद दिलाना चाहूंगी कि आप रेल मंत्री से पूर्व एक महिला हैं। महिलाएं गन्दगी पसंद नहीं करतीं। आजकल तो राजधानी एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें भी गन्दगी का शिकार हैं—चाहे उनके शौचालय हों, बिस्तर हों, सबका बुरा हाल है।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

डा. तरुण मंडल (जयनगर): माननीय सभापति जी, मैं आपको धन्यवाद दूंगा क्योंकि इस सदन में पहली बार बोलने का मौका हमें आपने दिया। मैं बहुत खुश हुआ था आज जब जीरो आवर में वेस्ट बंगाल की पीटीटीआई कठिनाइयों से संबंधित मेरा नोटिस एक्सैप्ट हो गया था और मैं सोच रहा था कि आज मुझे बोलने का मौका मिलेगा, मगर न जाने क्यों मुझे बोलने का मौका नहीं मिला।

मैं सबसे पहले अपनी रेल मंत्री जी का बहुत-बहुत अभिनन्दन करना चाहूंगा। जैसे एक आदर्श मां होती है, वह सभी बच्चों को समान रूप से प्यार देती है।

किसी भी बच्चे को वह ज्यादा नहीं देती है, किसी को कम नहीं देती है। उनका रेलवे बजट बहुत ही कम्प्रेहेंसिव और वेल-बैलेंस्ड है। कश्मीर से कन्याकुमारी और अगरतला-असम से गुजरात तक उनकी एक समान दृष्टि है। देश में आर्थिक मंदी के बावजूद भी आम जनता के लिए उन्होंने रेल बजट बनाया है, जो एक अनुकरण मिसाल है।

[डा. तरुण मंडल]

महोदय, रेल मंत्री जी ने सभी राजनीतिक पार्टियों और सांसदों से सुझाव मांगे थे, जिनमें से अधिकांश सुझावों को उन्होंने स्वीकार कर लिया है। इसके लिए मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं।

महोदय, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि सभी कुछ बंगाल को दिया गया है। मैं सुंदरबन से आया हूं, जो कि आइला से प्रभावित है। वहां अभी तक रेल लाइन नहीं पहुंची है।

[अनुवाद]

उन्होंने इन क्षेत्रों के कुछ प्रस्तावों को स्वीकार किया है जिसके लिए मैं उनका आभारी हूं।

[हिन्दी]

रेलवे एक बढ़ती हुई नदी है। इसलिए आने वाले दिनों में हर जगह रेलवे ट्रेक पहुंचेगा। यह मेरा विश्वास है।

महोदय, बजट में पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप को लाया गया है। यह देखने में ऐसा लगता है कि यह आम जनता के लिए अच्छा होगा, लेकिन जो लोग इसमें पैसे डाल रहे हैं, उनका मोटिव पैसे बनाना है। जिस कार्य को पीपीपी द्वारा किया जाता है, उसमें आम जनता को ज्यादा पैसा देना होगा। जबकि सरकार द्वारा किये गये कार्य में ऐसा नहीं होता है। ममता जी ने कहा है—

[अनुवाद]

आम आदमी के विकास हेतु सामाजिक विकास को आर्थिक फायदे नुकसान से ऊपर रखना चाहिए।

[हिन्दी]

पीपीपी के ऊपर ज्यादा ध्यान देने से हमारी सोशल वायबिलिटी कम हो जाएगी।

[अनुवाद]

रेलवे सरकार का सबसे अधिक लाभ कमाने वाला उद्यम है जो सामन्य बजट के लिए धन देता है। रेलवे इन परियोजनाओं की पीपीपी के स्थान पर स्वयं अपने धन से पूरा कर सकता है।

[हिन्दी]

महोदय, छठे वेतन आयोग की सिफारिश थी कि रेलवे को कारपोरेशन बना दिया जाए तथा एनडीए के समय में राकेश मोहन कमेटी ने रेलवे को डिवाइड करके प्राइवेट बनाने का सुझाव दिया था, इन सुझावों को नहीं मानना चाहिए।

महोदय, रेलवे की बोगीज़ में सुधार किये जाने की आवश्यकता है। आनबोर्ड और आउटबोर्ड सेफ्टी अच्छी होनी चाहिए। रेलवे में लालफीताशाही, ब्यूरोक्रेसी, करप्शन और पिलफ्रेज को रोकने की आवश्यकता है। रेलवे कर्मचारियों की डिमान्ड को भी पूरा किया जाना चाहिए। रेलवे में इम्पालायमेंट जनरेशन जरूरी है। रेलवे एक वायबल इन्टरप्राइज है, इससे सरकार को रैवेन्यू भी जाता है।

[अनुवाद]

मैं माननीया रेल मंत्री से अनुरोध करना चाहूंगा कि रेलवे में कर्मचारियों की संख्या को 14 लाख से बढ़ाकर 20 लाख किया जाए। विजन 2020 तक रेलवे कर्मचारियों की संख्या कम से कम 20 लाख होनी चाहिए।

मेरा अंतिम अनुरोध यह है कि

[हिन्दी]

मंत्री जी ने रेलवे के लिए मेडीकल और नर्सिंग कालेज बनाने का प्रस्ताव किया है। मैं यह कहना चाहूंगा कि चाहे आप यह प्रोजेक्ट करें, लेकिन किसी भी छात्र से कैपीटेशन फीस नहीं ली जानी चाहिए।

[अनुवाद]

किसी भी मेडीकल कालेज में प्रवेश के लिए मेरिट ही मापदण्ड होना चाहिए। महोदय, इन टिप्पणियों के बावजूद

[हिन्दी]

मै रेल मंत्री को इतना अच्छा बजट प्रस्तुत करने के लिए बधाई देता हूं और आपको भी धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

श्री लालू प्रसाद (सारण): सभापति महोदय, हमारी बोलने की इच्छा नहीं थी, लेकिन मैं देख रहा हूं कि बहस गलत दिशा में जा रही है। माननीया मंत्री जी के बजट भाषण से कई तरह की आशंकाएं सदन के माननीय सदस्यों को और सदन के बाहर बैठे हुए लोग, जिनकी रेल मंत्री के रूप में विफलता रही है, इतिहास और बाहर के लोग गवाह एवं साक्षी हैं कि भारतीय रेल जीवन रेखा है। इन्फ्रास्ट्रक्चर में भारतीय रेल की उपेक्षा नहीं की जा सकती। भारतीय रेल के बारे में लालू प्रसाद को कुछ कहना नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट के समय में जो भारतीय रेल भारत सरकार का डिवीडेंड देने में चूक गई थी, यह इतिहास है, रिकार्ड की बात है। उस समय कौन मंत्री थे, कौन लोग थे और उसके बाद कौन मंत्री रहे हैं। तब डाक्टर राकेश मोहन कमेटी बनी थी,

उस कमेटी ने काफी जांच-पड़ताल करने के बाद यह पाया था कि रेलवे की जो मौजूदा हालत है, सिर्फ मौजूदा ही नहीं, अगले 25 साल में भारतीय रेल का दीवाला पिट जाएगा, जिसे अंग्रेजी में बैंकरप्टसी कहते हैं। इसलिए भाड़ा बढ़ाओ और निजी हाथों में भारतीय रेल को सौंपो। देश के बेरोजगारों के साथ, पिछड़े वर्गों, एससी, एसटी के बैकलॉग को नजरअंदाज करके 20 परसैंट पदों को समाप्त किया गया, सरेंडर किया गया। रेलवे के रिकार्ड में भी है कि उस समय के मंत्री ने प्रधानमंत्री जी से हां में हां मिला कर हामी भर दी। यह पूरा एप्रहेंशन था, यूपीए सरकार के पहले, पूरे 14 लाख कर्मचारी, अधिकारी और पदाधिकारी को यह लग रहा था कि हमें समय पर तनख्वाह मिलेगी या नहीं, हमारी नौकरी रहेगी या नहीं। भाड़ा बढ़ाओ, भाड़ा बढ़ाओ, एकमात्र यही सुझाव आ रहे थे और होते रहे हैं। माफिया गिरोही, पूरे रेलवे बोर्ड से लेकर स्टेशनों तक, बोनाफाइड ट्रेडर्स को रैक नहीं मिलते थे, सारा कुछ फेल था, वैसे समय में मड एवं कीचड़ में फंसे हुए रेल महकमे की जिम्मेदारी हमारे हाथों में, हमारे कंधों पर मिली।

सभापति महोदय, मैंने इसकी समीक्षा की। मैंने बार-बार देश और दुनिया में कहा कि यह जर्सी गाय है—भारतीय रेल, इसे मार कर बैठाया गया है। इस रेल को मड से निकालना है तो हमें व्यापार पर कंसन्ट्रेशन करना पड़ेगा, इवेजन को रोकना पड़ेगा। हम जो गतायु सम्पत्तियों को बदलते हैं, हम लदान 68 टन करते थे और चार्ज 15 टन होता था। मूरी से लेकर कोलकाता तक विभिन्न मशीनों पर हमने भारतीय रेल को मालगाड़ी को चढ़ाया और भारी इवेजन पाया। टर्न एराउंड किया, लोडिंग-अनलोडिंग को, सात दिन में जो लदान होते थे, उसे पांच दिन में परिणीत किया, तब उसका फलाफल हुआ। पूरे रेल परिवार को कांफिडेंस में लिया कि हम एक परिवार के रूप में हैं। किसी आफिसर के ट्रांसफर और पोस्टिंग पर हम लोगों ने हस्तक्षेप नहीं किया। जहां जो आफिसर्स थे, उन आफिसर्स को रिसपेक्ट और जिम्मेवारी दी गई। बोर्ड के मैम्बर बनाने के लिए नियम-कायदा बना हुआ है।

महोदय, जो जनरल मैनेजर रेल भवन के सामने चक्कर लगाते थे कि उन्हें खर्च करने की शक्तियां दी जाएं, हमने पैसेंजर इम्युनिटी के अंतर्गत पॉवर्स को डिसेंट्रीलाइज करके तमाम जनरल मैनेजरों को 100-100 करोड़ रुपये व्यय करने की पॉवर्स दीं। ऐसे इंतजाम किये कि प्लेटफॉर्म को लम्बा बनाया गया। एक इंजन जो 12 डिब्बों को चलाने में जितना फ्यूल खर्च करता था, हमने उतने ही फ्लूल से 24 डिब्बे चलाए, क्योंकि हमने उसी गाड़ी में 12 डिब्बे और जोड़ दिए और 24 डिब्बे की गाड़ी बना दी। किसी को कोई तकलीफ नहीं दी। हमने बजट में भाड़ा घटाया। हमने ऐसा सिर्फ कलकत्ता की सब-अर्बन ट्रेनों में ही नहीं किया, बल्कि महाराष्ट्र में भी ऐसा ही किया। घाटे के बावजूद हमने किराया नहीं बढ़ाया क्योंकि यदि सब-अर्बन रेलों का किराया एक पैसा भी बढ़ाते हैं, तो इन दोनों शहरों के लोग रेलों को आग लगाकर फूंक देते हैं। हर बजट में, हर क्लास में भाड़ा घटाने के बाद, हमारा जो लक्ष्य था, उसके अनुसार हमने कर्मचारियों को बोनस दिया। आज रेलवे के कर्मचारी और अधिकारियों का पूरे देश में वोट करा लीजिए, सभी खुश हैं। हर कोई खुश था। देश के किसान से लेकर के, बी.ए. तक पढ़ने वाली बेटियों को चाहे, किसी भी जाति की बेटी क्यों न हो, फ्री रेलवे पास, 12वीं तक दिया गया। कृषि आउटलैट, शौचालय की साफ-सफाई और सिस्टम को बदलने का काम किया। हमने इस सबको करने के लिए भारत सरकार के सामने हाथ नहीं पसारा कि वह हमें पैसा दे।

डिवीडेंड देने के पहले जो सरप्लस मनी है, ये पता नहीं किस के इशारे पर क्या बात करते हैं, मैं नहीं जानता और मैं नाम भी नहीं लेना चाहता हूं। मैं उनसे भयभीत होने वाला नहीं हूं। लालू यादव या कोई और मंत्री, आंकड़ों से कोई खेल नहीं कर सकता है, न ममता जी कर सकती हैं और न लालू कर सकता है। जो बजट पेश किया जाता है, जो बजट सैक्शन है, उससे यह बजट आता है। इसे ही हम लोग पढ़कर सुनाते हैं। डिवीडेंड देने के बाद, हमारा एक लाख का सरप्लस था। हमने एक लाख का लक्ष्य बनाया था, लेकिन मंदी के बाद 90-91 पर पहुंचा और उस डिवीडेंड को देने के बाद, बकाया संपत्तियों से मैनटेन करने के बाद, जो खुद मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि वर्ष 2008-09 में जो सरप्लस मनी है, जो लाभांश है, वह मैं पढ़कर सुना देना चाहता हूं। कहां और कैसे कन्फ्यूज किया जा रहा है। लालू का पीरियड, आज कोई माने या न माने, भारत के रेलवे के इतिहास में गोल्डन पीरियड के रूप में, स्वर्णाक्षरों में माना जाएगा। आप हमें चाहे कितनी ही गाली दे लीजिए, कितना ही चोर बना लीजिए। मैं जानता हूं कि जो आहत थे, जो घायल थे, जिनकी नहीं चली, जो लोग लालू को चोर बोलते थे, जो लोग लालू को मजाकिया कहते थे, जो लोग चारा घोटाले की बात करते थे, इतना बड़ा एम्परर, इतना महत्व हमारे जीवन में मिला कि देश और दुनिया में भारत का डंका बजा। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः कृपया व्यवधान उत्पन्न मत कीजिए।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसादः महोदय, इस भाषण के अंत में एक अंश व्हाइट पेपर के बारे में लिखा हुआ है, जिसे गलत ढंग से लोग परिभाषित करते हैं। भारतीय रेल का पैसा, डिवीडेंड रिजर्व बैंक में जाता है। वह रेलवे बोर्ड की जेब में नहीं जाता है। अगर किन्हीं के मन में इस बारे में कन्फ्यूजन है, तो मैं मांग करता हूं कि सदन की कमेटी बनाकर, रेलवे बोर्ड के पदाधिकारियों को

[श्री लालू प्रसाद]

बैठाकर और जितने भी एकाउंट सैक्शन के अधिकारी हैं, उन्हें बैठाकर बता दो कि यह झूठ है या सच है। इसमें ज्यादा देर नहीं होनी चाहिए। मंत्री जी, ममता जी, मैं आपसे यही मांग करता हूं कि इस बारे में इसी सत्र में बता दिया जाए। अगर किसी ने आपके मन में इंजैक्ट किया है, दूर बैठे हुए उस इंसान को मैं जानता हूं, जो मंत्री रहा है, वह आज जिम्मेदारी वाले पद पर बैठा है। उसके लोग आरोप लगाते हैं। मैं आंख दिखाने गया था। कहते हैं कि लालू ने रेलवे की नौकरी में जमीन लिखाई। यह खा गया, वह खा गया, बेबुनियाद बातों को लोग करते हैं। वही आदमी, जो फेल हुआ है। मैं आपको कभी नहीं कहता कि ममता बनर्जी बेईमान हैं, मैंने हर जगह बोला कि ईमानदार महिला हैं। आप ऐसी भावुकता में न आयें, यह अन्त में जो आपने पढ़ा है, मैं नहीं जानता कि किसने अन्त में इस बात को लोड कर दिया। इससे कन्फ्यूजन हुआ है। मैं आपके भाषण से पढ़ देता हूं, विगत पांच सालों का व्हाइट पेपर, आर्गेनाइजेशन, फाइनेंशियल, 2020-विजन के लिए हम तैयार करेंगे। इसमें अगर लोगों को यह झूठा आंकड़ा लगता है तो सात दिन में बात साफ-साफ आ जानी चाहिए। सीधे सारे लोगों को ...*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी: इसमें इतना क्या है? आपकी हम इज्जत करते हैं। हमने तो आपके खिलाफ कुछ नहीं बोला। यह तो एक परम्परा होती है। हमने तो उसमें भी बोला है कि पांच साल में बहुत सारे प्रोजैक्ट्स पूरे नहीं हुए, हम ब्लू प्रिण्ट लाएंगे। इस बजट में 3-4 चीजें हैं, यह भी बोला। हमने यह भी बोला कि 2020-विजन के लिए भी हम इसे ले आएंगे। यह भी बोला कि कंडीशन को हम देखेंगे। इसमें तो कोई आपके खिलाफ बात नहीं है। ...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद: हम आपके एंटी नहीं हैं। आपकी बात की इंटेंशन पर मैं ऑब्जैक्ट नहीं कर रहा हूं। आप फिर सुन लीजिए. ...*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी: आपने कहा, मैं इसीलिए कह रही हूं। ...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद: इसको गलत ढंग से मीडिया में और खासकर के मेरे दांये बैठे लोग, जो मेरे परमानेंट लिटिगेशन के मास्टर हैं। गणेश जी को दूध पिलाने वाले लोगों के साथ बैठे हुए जो लोग हैं, ये जानते हैं कि एक झूठ को 50 बार बोलो तो वह सही लगता है। ये वही लोग हैं, जो इस बात की चर्चा कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट तक गये थे। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा दी, वापस करता है कि ऑर्डर पास करो। लालू यादव जमीन लिखा रहा है, बेईमान है। ये खुद बेईमान हैं, दूसरे को बेईमान कहते हैं, यह कलयुग है, यह दुखद है।

रेल से मेरा सेंटीमेंट जुड़ा हुआ है। जिनके मन में कन्फ्यूजन हो, अंग्रेजी में इसे व्हाइट पेपर कहते हैं, मैं खुद पढ़कर बताता हूं, उन्होंने खुद कहा है, वह ममता जी ने कहा है, मैं जानता हूं कि मीडिया वाले लोग लड़ाते रहते हैं। यह भी बात है कि मैं आपसे क्यों लड़ूं। एक महिला की हम रिस्पैक्ट करते हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि किसी डर से हम यह बात कर रहे हैं। सदन को मालूम होना चाहिए कि यह पीरियड भारतीय रेल के इतिहास में, चाहे जो भी हमारी व्यवस्था हो, स्वर्ण अक्षरों में लिखा जायेगा। ममता जी से मेरी यही उम्मीद है कि आप इसे आगे बढ़ाइये और रेल को ऊंचाई तक आप ले चलिये। आपने स्वीकार किया है कि हमको बजट बनाने का टाइम नहीं मिला। यह बड़ा नाजुक डिपार्टमेंट है, यह बड़ा सेंसिटिव विभाग है। अगर मेरा एक अंक भी झूठा हो, एक भी जगलरी की जो बात करता है, किसी एक आदमी के मन में भी अगर कन्फ्यूजन होगा तो रेल के महकमे में बैठे हुए फाइनेंस से लेकर तमाम आफिसरों को आप कल सैट कर दीजिए। ये बतायें कि लालू यादव अंक लिखता है, क्या आप अंक लिखिएगा? क्या हम झूठ बोलेंगे, क्या हम झूठ बोलकर अपनी पीठ थपथपाएंगे। लेकिन इसमें लिखा गया। लिखा गया तो उसमें हम यही बताते हैं कि किसी न किसी पीरियड को बेस बनाकर अगले 2020 का जो विजन है, उसमें हम रेल को कहां ले जाना चाहते हैं। बहुत से लोग कन्फ्यूजन बनाते रहते हैं। यह विजन रखा ही रह गया। भारतीय रेल की ओर से देने के बाद सैण्ट्रल गवर्नमेंट के तमाम एम्प्लाइज को 73 दिन का बोनस देना पड़ा। क्या इन्हीं भारतीय रेल के अधिकारियों की, पदाधिकारियों की कोई रिस्पैक्ट पहले कर्मचारियों को थी? यह पीरियड है, यह भारतीय रेल का संकल्प है कि अब डैडीकेटिड फ्रेट कोरीडोर से लेकर वैस्टर्न कोरीडोर से लेकर एग्जिस्टिंग जो लाइंस हैं, उसमें ह्यूज कंजेशन को हटाने के लिए, इसी के प्रैशर के लिए वैस्टर्न कोरीडोर, ईस्टर्न कोरीडोर कवरिंग आल पोर्ट्स आफ दि कोलकाता, इसको हमने शुरू कराया। प्रधानमंत्री जी ने उसका शिलान्यास किया, वैस्टर्न कोरीडोर का किया। भारतीय रेल को आपको देखना चाहिए। बिहार में आज बड़ा भारी असंतोष है।

हमने 55 हजार करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट दिया। हमने पक्ष नहीं लिया, लेकिन आजादी के 60 साल बाद तक बिहार के साथ नाइंसाफी हुयी थी। सेंट्रल सैक्टर में कोई उद्योग या उपकरण बिहार राज्य में नहीं था। रेल व्हील बाहर से आते थे, चक्का बाहर से आता था, डब्बा बाहर से आता था, इंजन बाहर से आता था, देश का पैसा विदेश में जाता था। इसको हमने रोका। केरल में, मैडम सोनिया जी के क्षेत्र में, मधेपुरा में, इसके अलावा छपरा की चक्का की फैक्ट्री आज एडवांस स्टेज में है।

महोदय, हमने ज्वाइंट वेंचर के द्वारा प्रयास किया। इस मंदी के जमाने में, अपनी शर्तों पर इसे किया, जब कोई आदमी इसमें

आना नहीं चाहता था। वह बोलता था कि रेलवे पहले हमें एडवांस रुपया दे दो। हम उसे कैसे दे दें? तब फिर वह रेल बनाएगा। जो आपकी एक्सप्लेनेट्री बजट की कापी है, उसे आप देखिए। बिहार पढ़ता है, अज्ञानी नहीं है। 55 हजार करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट दिया, तब समय पर बिहार से हमको जमीन नहीं मिली। हमें यहां स्पेशल लैंड एक्वायर करने के लिए कानून बनाना पड़ा। हमको एलोकेशन क्या मिला? एक लाख, दो लाख या तीन लाख रुपए, जबकि कल-कारखाने के लिए पांच-दस करोड़ रुपए चाहिए। ऐसे कछुआ की गति से प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ता है। आप इसे ले जाइए। वेस्ट बंगाल की दो संस्था, जेवीजी जो वहां की संस्था है, उसको भी, हैवी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में उसको हमने कहा कि इसको टेक-ओवर करें। मोकामा को हमने टेक-ओवर किया, मुजफ्फरपुर को टेक-ओवर किया, डालमियानगर को टेक-ओवर किया। बिहार का गरीब आदमी जो वहां मांग उठा रहा है, 55 हजार करोड़ रुपया का जो हमने प्रोजेक्ट दिया, उसके लिए 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, मैंने उसको पढ़ा है। बिहार के प्रोजेक्ट को स्लो इंजेक्शन दिया जा रहा है। ऐसे प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ेगा। इससे कंफ्यूजन बढ़ेगा।

महोदय, रेल जलता है, तो लालू महसूस करता है कि मेरी बाडी जल रही है। रेल से हमारा सेंटीमेंट जुड़ा हुआ है। हर आदमी रेल को कमजोर समझता है, रेल को रोक देता है, उसमें आग लगा देता है, जला डालता है, रेल लाइन को उखाड़कर फेंक देता है। किसी भी कीमत पर बिहार की लाख उपेक्षा हो गयी, चाहे जिन किन्हीं कारणों से हो, इस बारे में अखबार के लोगों ने हमसे पूछा कि क्या आप आंदोलन करेंगे? हमने कहा कि नहीं, यह पश्चिम बंगाल नहीं है कि हम आंदोलन करें, यह गुर्जर भाइयों का आंदोलन नहीं है कि हम अपनी लक्ष्मी को उखाड़कर, आग लगाकर उसके फेरे करें। हम यह नहीं करने वाले हैं। मैंने उनसे कहा कि मैं ममता जी से मिलूंगा, प्रधानमंत्री जी से मिलूंगा, मोंटेक सिंह जी से मिलूंगा कि इसका उपाय क्या है? केरल में हमने एक कोच की फैक्ट्री दी, तब हमें वहां जमीन मुफ्त में मिली, रायबरेली है, बिहार का डालमियानगर है, मधेपुरा है, मढ़ौरा है, सोनपुर है, ये सब प्रोजेक्ट हैं, अगर पैसा नहीं देंगे, तो कैसे होगा? ईश्वर जानता है, अफसर जानता है, कर्मचारी जानता है, सब कहते थे कि लालू चोर था या बेईमान था, बातें छिपती नहीं हैं। जिस तरह से गंदी हरकत कुछ लोगों के द्वारा की गयी, क्योंकि लालू का फोबिया लोगों के मन से नहीं मिट रहा है। जो फेल हो गया, बिल्कुल ध्वस्त हो गया, वह आदमी आपको फोन करता है कि व्हाइट पेपर ईश्यू कर दो। वह आदमी बोलता है कि लालू के बाद दूसरा रेल मंत्री आएगा, तो कपाट पकड़कर रोएगा। क्या आप रोने वाली हैं? आप तो इन लोगों को रुलाने वाली हैं। आप सीपीएम को रुलाती हैं। हमको सब पता है।

इसलिए आप सात दिनों में सदन की कमेटी बनाइए। अपने एफ.सी. को बैठाइए, फाइनैंस डिपार्टमेंट को बैठाइए, रिजर्व बैंक को लाइए। अगर 90 हजार करोड़ रुपए की कोई इसे जगलरी मानता है, तो वह आदमी जिसने इसे इस तरह से उठाया, कान पकड़कर माफी मांगने के लिए तैयार रहे। अगर हमें गलत पढ़ाया गया है, तो हमारे अधिकारी और पदाधिकारी हमेशा-हमेशा के लिए दोषी हैं, लेकिन कोई दोषी नहीं है। हारवर्ड से लेकर, एनसीएईआर से लेकर, अहमदाबाद से लेकर फील्ड-फील्ड में घूमकर लोगों ने इसकी जांच की है। क्या ये लोग हमें यहां बैठने देते, आचार्य जी हमें बैठने देते? लेकिन लालू पिछड़े घर से आता है इसलिए जितनी मर्जी गाली दे दीजिए। कुछ रहे या नहीं, कोई बात हो या नहीं हो, दूध का दूध, पानी का पानी। आपने जो बोल दिया, हमने बोल दिया, कम नहीं किया, नैक्स्ट टू आर्मी रेलवे के पास अपनी लैंड है। क्या आप एक इंच जमीन दे सकती हैं, एक चाय की दुकान किसी को दे सकती हैं? यह सब आपका बनाया हुआ है, आपका मतलब कौन होटल देगा, कौन मोटल देगा, कौन जमीन को सैटल करेगा। कौन देगा? रेल मंत्री देगा? रेल मंत्री नहीं देता। माफिया गिरोही, रेलवे में ऐसे लोग जहां भी हों, उन्हें देखिए। अगर आप मांगेंगे तो हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं। आपको पहले से अनुभव है। मैडम, आपको खुद मालूम है। आपके समय में खुद आप डिविडैंड देने में चूक गई थीं। *...(व्यवधान)* आप हमें अपनी तकलीफ को थोड़ा बोलने दीजिए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः लालू जी, आप अपनी बात कह चुके हैं, हर कोई संतुष्ट है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसादः मैं इनके खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा हूं। सारी खुली किताब है। डिविडैंड नहीं देना, राकेश मोहन कमेटी बनना, फिर क्या सुझाव आया। यूपीए गवर्नमैंट में हमें फ्री हैंड मिला। प्रधानमंत्री जी और सोनिया जी, जहां तक ये सब लोग थे, मेरा सीना ऊंचा था। यह टर्न एराउंड की कहानी, हारवर्ड में कल तक इंडियन रेलवे बाजार में, दुनिया के बाजार में आउट आफ मार्किट था। जब मैं बजट पेश कर रहा था, हम बाजार से, दुनिया से जिस इंटरस्ट पर पैसे लेते थे, इंटरस्ट के रेट घट गए कि हमसे लें। वेस्टर्न कारीडोर के बारे में बताना चाहिए। आप अपने जवाब में बता दीजिए। जायका से पैसे मिलने थे, जापान से पैसे मिलने थे। हम जापान सैर-सपाटा करने नहीं गए थे। पहली खेप के पैसे मिले या नहीं और यदि नहीं मिले तो आप क्या इंतजाम कर रही हैं। वेस्टर्न कारीडोर के बारे में आपके भाषण में है कि यूपी से

[श्री लालू प्रसाद]

जा रहा है। यूपी से नहीं, दिल्ली टू मुम्बई फर्स्ट फेज, लुधियाना से हावड़ा फर्स्ट फेज में हम कम्प्लीट करने के बाद ले जाएंगे। हम मुम्बई से चेन्नई ले जाएंगे, चेन्नई से हावड़ा, फिर आगे इन बातों को देखेंगे। जायका, नो जायका, जापान ने दिया, नहीं दिया और यदि नहीं दिया तो क्या इंतजाम कर रहे हैं। आपको यह लोगों को बताना पड़ेगा। ईस्टर्न कारीडोर में हमारा जो सरप्लस है, हमने कहा कि वह अपने पैरों पर खड़ा होगा। अभी देखिए, खर्च बढ़ता जा रहा है, 92 प्रतिशत हो गया। आमदनी घट रही है, लदान कम हो रहा है, मंदी भी एक कारण है। मैं आपको यह नहीं बोलता कि आपने डेढ़ महीने में कम कर दिया। हमारा लक्ष्य है। सीमेंट, लोहा, कोयला, कभी कोयला नहीं दिया जाता। एक्सपोर्ट वाले हमारा समूचा आयरन ओर बाहर ले जा रहे हैं। हमने रेट्स ठीक किए थे। हमें मालूम हुआ कि रेट्स घट रहे हैं। हमें रेल में तीन-चार हजार करोड़ रुपये का घाटा हो जाएगा। लदान, व्यापारियों को फ्रेंडली कहा कि आइये, जो आयरन ओर बाहर जा रहा है, दुनिया में लोहे के जो दाम बढ़ रहे हैं हम ढुलाई करेंगे, हमें उसका दाम कम नहीं करना चाहिए। हमें किसी ने कहा कि रेट कम हो रहे हैं, तीन-चार हजार करोड़ रुपये। मैडम, बुरा मत मानिये, रिवर्स हो जायेगा, हम बराबर पर पहुंच जायेंगे। हम फिर बैक गियर में चले जायेंगे। आपको मालूम है कि यह आन-गोइंग स्कीम है। सदन के लोगों को मालूम होना चाहिए कि 46 हजार करोड़ रुपये की आन-गोइंग रेलवे पहले से थी। इलैक्शन आया, पास कर दो, सर्वे का शिलान्यास हो जाता था। 46 हजार करोड़ रुपये पहले की लायबिलिटी है। 25 हजार अनमैन्ड गेट हैं जहां ओवरलुक हो जाता है तो कट जाते हैं।

बछिया दब जाती है। बसों में सब खत्म हो जाते हैं, इसलिए आपको मैन कराना पड़ेगा। आपको लगातार इन चीजों को देखना पड़ेगा। ठीक है, आपने कह दिया कि हमारी डबलडैकर गाड़ी चलेगी। यह गाड़ी कहां से कहां तक चलेगी? कोलकाता के रूट वाली ट्राम गाड़ी नहीं है। कोलकाता वाली ट्राम गाड़ी नहीं है, जो झुन-झुन कर चलती है। एक रूट पर आप उसे चलायेंगे तो छः टाइम नीचे चली जायेगी और बिजली की लाइन इसके बगल में है। कहीं-कहीं पहाड़ों की टनल है। यह गाड़ी फंस जायेगी। आपको रेलवे के अधिकारी या जिन ज्ञानी लोगों को हमने हटाकर जहां-तहां भेज दिया था, हमने सुना है कि वह फिर आपके यहां आ गये हैं। अब नाम लेने से कोई फायदा नहीं है। एक से एक थिंक टैंक जैसे लोग हैं और इधर से उधर घूमते रहते हैं कि मंथली कोई सेल में हो जाये। सब काम सोच विचार करना चाहिए। आप जरूर व्यस्त रहती हैं। लोगों को व्यस्त रहना चाहिए। हम जब रेल मंत्री थे तब रेलवे के काम में इतने व्यस्त हो गये थे कि पांच साल तक मेरा बिहार से कांटेक्ट ही खत्म हो गया था। *...(व्यवधान)* आप बताइये कि कोई बीजेपी का मैम्बर हो, एमएलए हो, कोई भी पार्टी हो, लालू यादव ने भेदभाव नहीं किया। एलोकेशन फार्मूले पर होता है। लेकिन हमने बढ़ा-चढ़ाकर दिया। रेल का ठहराव दिया, सब कुछ दिया। हमने देखा कि 15-20 गाड़ियां जो बिहार से भी निकलती थीं, उन गाड़ियों को छोड़ दिया गया। लोगों में इस बारे में आक्रोश है। हमने मैम्बर (ट्रैफिक) को फोन किया था कि ये कैसे छोड़ दिया, क्या फैक्ट्स हैं, बताइये, बिना फैक्ट्स जाने क्यों छोड़ दिया? उन्होंने कहा कि इधर-उधर छूट गया होगा, हम इसे ठीक करेंगे। गाड़ी बिहार से बाहर जाती है, कोलकाता जाती है। उसमें गरीब लोग जाते हैं। वे बिहार में जलेबिया मोड़ पर नहीं घूमते। रेल में जाते हैं फिर आते हैं। बिहार के साथ ऐसा हुआ। जितने मेगा प्रौजेक्ट्स हैं, समय पर स्टेट गवर्नमैंट ने हमें जमीन नहीं दी। अब बिहार के पनपने का टाइम आया है, इलैक्ट्रीफिकेशन हो रहा है। आपके अधिकारीगण, मैम्बर (इलैक्ट्रिक) ने देखा है कि हमने बहुत काम किया है। अब गुवाहाटी तक धड़ाधड़ लाइन खींचते जा रहे हैं। वर्ल्ड क्लास में काम हुआ है। लोगों को जो कन्फ्यूजन हो रहा है, तो वर्ल्ड क्लास स्टेशन बहुत हुए हैं। आप भी कर रही हैं, शायद ही हमने कोई छोड़ा होगा। लेकिन दिल्ली और पटना में हमने प्रयोग किया, तो उसमें अर्बन डिपार्टमैंट आ जाता है, शीला दीक्षित जी आ जाती हैं कि यह परमीशन चाहिए, वह परमीशन चाहिए या बाहर कुछ देकर आइये। फिर कहा गया कि देश में बुलैट ट्रेन चलाइये। फिजिबिलिटी रिपोर्ट की बात हुई। बुलैट ट्रेन की बात व्यावहारिक नहीं है, वह हमारे देश में नहीं चल पायेगी क्योंकि पैसा कौन लगायेगा? अब कोई पैसा थोड़े ही लगता है। इसलिए सब चीजें देखकर काम करना चाहिए। जिनके मन में कन्फ्यूजन है, अगर हमने नब्बे हजार सरप्लस का कोई अंक बढ़ा-घटाकर दिया है, तो आप हमें बताइये। हम इसके लिए सदन से माफी मांगने के लिए तैयार हैं। सब कुछ रिजर्व बैंक में डेबिट होता है। जब बजट तैयार होता है, तो उसमें सब कुछ लिखा होता है। बजट कापी में लिखा होता है, पार्लियामैंट में लिखा होता है, कन्वेंशन कमेटी में गया होता है। फिर भी 90 हजार रुपये-90 हजार रुपये कहा जाता है। उधर से कोई फोन कर रहा है कि मैडम हम फेल हो गये हैं और लालू जी पास हो गये हैं। दुनिया में गुरु बने हुए हैं। क्या हम अपने मन से गुरु बने हुए हैं? मीडिया के लोगों ने कहा कि प्रोफेसर लालू, गुरु लालू। यही लोग हमें जोकर भी बनाते हैं। मीडिया के लोगों ने हमें गुरु बना दिया। इसके लिए बहुत लोगों को तकलीफ है। असल में बहुत लोगों को तकलीफ है। *...(व्यवधान)* मैडम, आप शांति से रहियेगा। *...(व्यवधान)* मैडम, आप शांति से सुनेंगी, तो सब आपको *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया अब समाप्त करें। अन्य सदस्य भी बोलने के लिए अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसादः इसलिए सात दिन के अंदर देश के नामी-गिरामी रिजर्व बैंक को बुलाइए, रेलवे बोर्ड को बुलाइए, फाइनेंस मिनिस्ट्री को बुलाइए, सभी जगह कॉपी जाती है और सात दिन में आप बता दीजिए। आपकी नीयत अच्छी भी हो सकती है कि यह आपके समय से होना चाहिए था, लेकिन पांच साल का मेरा जो पीरिएड आपने लिया, वह तो गोल्डेन पीरिएड है, इसी में तो टर्न एराउण्ड हुआ है। इसी को आप बेस बनाना चाहते हैं। हम जो पढ़े-अनपढ़े लोग समझ रहे हैं, इसी को आप बेस बनाना चाहते हैं। हम तो बोल रहे हैं कि जल्दी करिए, किसी के मन में अगर कंफ्युजन हो तो बताइए। गलत है नहीं, जो बोलता है वह फंसेगा, जो एलिगेशन्स लगाता है, जो कंफ्युजन-मास्टर है, वह फंसेगा। रेलवे का काम एकदम फूलप्रूफ होता है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः कृपया व्यवधान मत डालिए।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसादः यह एक भिन्न डिपार्टमेंट है। रेलवे का जो एलोकेशन बिहार के लिए है, उसे लीजिए। उसके लिए पीएम से मिलिए, प्रणब बाबू से मिलिए। 11वीं प्लान में भी इसके लिए भारी-भरकम राशि का प्रावधान है, उसको लीजिए और बिहार के जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनको चालू कीजिए। देश भर के प्रोजेक्ट्स चालू कीजिए, कोलकाता को भी चलाइए, रायबरेली के प्रोजेक्ट्स को चलाइए, सोनिया जी के क्षेत्र में भी चलाइए, नहीं तो फिर चुनाव आए और वह बात सोनिया जी के खिलाफ जाएगी। वहां केरल में शुरुआत कर दीजिए। आप वहां के आम आदमी, गरीब आदमी तक विकास का लाभ ले गए हैं। बिहार और कोलकाता में क्या कोई अंतर है? उसको भी चालू करिए, उसको कीजिए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः टोका-टाकी न करे। कृपया व्यवधान मत डालिए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदयः लालू जी, अब कृपया समाप्त करें। अन्य सभी भी बोलने के लिए अनपी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसादः मुझे बोलने का अधिकार है, मैं रेल मंत्री रहा हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदयः आप अपनी बात कह चुके हैं।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसादः ठीक है, मैं समाप्त करता हूं। मैं आपको एश्योर करता हूं कि अगर आप सहयोग लीजिएगा तो हम लोग सहयोग देंगे। रेल सबका है, न आपका है, न मेरा है, न राज्यमंत्री जी का है। यह भारतीय रेल है, भारत का रेल है, सभी का रेल है, गरीब आदमी का है, सभी का है। इस रेल को बचाकर रखना, सहेजकर रखना। इसलिए मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। जिन लोगों ने मुझ पर आरोप लगाए हैं, एक आदमी, एक एमपी इस बात के हैबिचुअल हैं, उन्होंने मेरे ऊपर तमाम तरह के आरोप लगाए हैं, जिनमें कोई दम नहीं है।

महोदय, मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए फिर दोहराता हूं कि सात दिन में यह स्पष्ट हो जाना चाहिए। आप रेल में हैं, तो रेल के लिए आपकी कोशिश है, आपने प्रयास किया है। आप अपने प्रयास में सफल हों, यही हमारी कामना है, लेकिन सभी बातों को व्यावहारिक रूप से समझकर करें।

[अनुवाद]

सभापति महोदयः सभी माननीय सदस्य जो अपने भाषण सभा पटल पर रखना चाहते हैं, रख सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर)**:** सभापति महोदय, मैं माननीय रेल मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत रेल बजट पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

मैं रेलवे को देश के विकास की वाहिनी मानता हूं। रेलवे के बिना किसी क्षेत्र का विकास तथा पूर्ण न्याय देना संभव नहीं है। अगर सभी क्षेत्रों का विकास करने के दृष्टिकोण से रेल बजट प्रस्तुत किया जाता तो शायद हम इसका बहुत ज्यादा हार्दिक स्वागत करते। हमने देखा है कि इस बजट में सभी क्षेत्रों के विकास के लिए न्याय नहीं किया गया है। जो आदिवासी बहुल वनवासी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र हैं, उनके बारे में इस बजट में कम प्रावधान किया गया है। मैं आदिवासी, वनवासी बहुल क्षेत्रों को रेल से जोड़ने को बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं। मैं रेलवे को एक वाणिज्यिक संगठन नहीं मानता हूं। इन क्षेत्रों के लिए हमें नई रेलगाड़ियों के बारे में सोचना चाहिए था, लेकिन जब देश के जनजातीय, पहाड़ी क्षेत्रों में जहां पर आदिवासी, वनवासी भाई रेल के बिना जीवन जी रहे हैं, वहां यह सुविधा देना न्यायपूर्ण बात होती।

[श्री हंसराज गं. अहीर]

मैं कहना चाहूंगा कि पिछले वर्ष के बजट में हमारे क्षेत्र के जिला गढ़चिरोली में वड़सा और गढ़चिरोली रेलाइन के लिए अग्रिम मान्यता दी गयी थी, जिसे इस बजट में नकारा गया है, उसके लिए कोई धनराशि नहीं दी गयी है। मैं आपसे विनती करता हूं कि पिछले वर्ष वड़सा-गढ़चिरोली रेललाइन के लिए जो अग्रिम मान्यता दी गयी थी, उसके लिए धनराशि का प्रावधान किया जाए।

रेल मंत्री जी को चाहिए कि वह इस सदन में दिए हुए आश्वासन को पूरा करें। गढ़चिरोली जिला आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और वहां रहने वाले लोगों को नक्सलवादी गतिविधियों से आए-दिन जूझना पड़ता है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि वहां उद्योग व्यवसाय नहीं हैं। इसलिए मैं इस क्षेत्र के विकास के लिए रेल मंत्री जी से धनराशि उपलब्ध कराने और काम शुरू कराने की मांग करता हूं। अगर वहां रेल लाइन बन जाएगी तो वहां के किसान भाइयों को काफी लाभ होगा। इसलिए वडसा से गढ़चिरोली रेल लाइन हेतु तत्काल धनराशि मुहैया कराई जाए। इस क्षेत्र के किसानों के लिए उर्वरक, बीज आदि के यातायात हेतु वणी, मुकुटबन, ताडाली आदि स्टेशंस पर गुड्स शेड की जरूरत देखते हुए वहां रैक पाइंट बनाने चाहिए। इससे वहां के किसानों को इसका लाभ मिलेगा।

मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि मुम्बई हेतु बल्लारशा से लिंक एक्सप्रेस पिछले साल शुरू की गई थी, यह हमारे लिए बहुत खुशी की बात थी। लेकिन इस ट्रेन को चलाने के लिए बल्लारशा स्टेशन पर पिट लाइन की आवश्यकता है। उसका काम पूरा नहीं होने की वजह से इस लिंक एक्सप्रेस को चलाने में काफी दिक्कत आ रही और यात्रियों को काफी असुविधा हो रही है। इसलिए लिंक एक्सप्रेस से ठीक से परिचालन हेतु पिट लाइन का कार्य शुरू किया जाए और इसके लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई जाए।

सभापति महोदय, मैं माननीया रेल मंत्री जी से यह भी कहना चाहूंगा कि चेन्नई से चलने वाली चेन्नई-बिलासपुर रेलगाड़ी कोरबा तक चलाई जा रही है और वह सप्ताह में एक बार चलती है। मैं मांग करता हूं कि उसे सप्ताह में तीन दिन चलाया जाए और उसे आगे बढ़ाकर हावड़ा तक किया जाए। इससे मेरे क्षेत्र चंद्रपुर तथा गढ़चिरोली जिलों में एक लाख से भी ज्यादा संख्या में रह रहे बांग्लादेश से निर्वाचित-बंगाली भाइयों को हावड़ा आने-जाने में सुविधा होगी।

सभापति महोदय, हैदराबाद से चलने वाली तेलंगाना एक्सप्रेस ट्रेन कागजनगर तक जाती है, उसे आगे चांदा फोर्ट स्टेशन तक बढ़ाने की मैं रेल मंत्री जी से मांग करता हूं। इसी तरह से भाग्यनगरी, रामगिरी जो पैसेंजर ट्रेन है, उसे बल्लारशा से चांदा फोर्ट तक चलाने की मांग मैं रेल मंत्री जी से करता हूं। चांदा फोर्ट स्टेशन का जब अमान परिवर्तन किया गया तो वह नया स्टेशन बना है। नई रेल लाइन पर सिर्फ दो ही रेलगाड़ियां चलती हैं। इस लाइन पर गोंदिया-चांदा फोर्ट-बल्लारशा के बीच में दोपहर को भी एक ट्रेन चलाई जा सकती है। इसकी मांग वहां की जनता भी कर रही है। इसलिए इस मार्ग पर यह रेलगाड़ी जरूर चलाई जाए। यहां पर यह कार्य आसान भी है, क्योंकि नई लाइन डालने की भी जरूरत नहीं है।

रेल मंत्री जी ने अपने रेल बजट में कहा है कि एक संसदीय क्षेत्र में एक पीआरएस दिया जाएगा। मेरे संसदीय क्षेत्र में दो जिले आते हैं इसलिए मैं इन दोनों जिलों में एक-एक पीआरएस की मांग आपसे करता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप उसे पूरा करने की कृपा करेंगी।

बल्लारशा-चंद्रपुर-नागपुर के बीच नई शटल ट्रेन चलाई जाए, क्योंकि इस मार्ग पर प्रवासी संख्या बहुत ज्यादा है। इस सड़क मार्ग पर सरकारी और निजी 250 से ज्यादा बसें दिन-भर चलती हैं। अगर यहां पर रेलगाड़ी चलाई जाएगी तो लोगों को बहुत लाभ होगा और रेलवे को भी इससे आर्थिक लाभ मिलेगा। बल्लारशा और गड़थांदूर के बीच एक रेलगाड़ी चलती थी। यह 25 वर्ष से चल रही थी, जिसे बंद कर दिया गया है। अभी हमने मांग की कि फिर से यह रेलगाड़ी चलाई जाए, तो मुझे जवाब आता है कि यह रेलवे के लिए लाभदायक नहीं है, वाणिज्यिक रूप से ठीक नहीं होगी। लेकिन वह ट्रेन 25 साल से चल रही थी इसलिए उसे अभी चलाने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए इस ट्रेन को शुरू करने की मैं आपसे मांग करता हूं।

मेरे चंद्रपुर शहर में बाबूपेठ बस्ती है। वहां करीब 70,000 लोगों की आबादी है। लेकिन चंद्रपुर और बाबूपेठ के बीच में दो-दो रेल मार्ग जाते हैं, वहां पर ओवरब्रिज बनाने की हमारी मांग है। जब हम इस ओवरब्रिज की मांग करते हैं तो रेल मंत्रालय द्वारा वहां के म्यूनिसिपल कार्पोरेशन से 50 प्रतिशत तक का शेयर मांगता है। मैं रेल मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आप अपने मंत्रालय की निधि से उस ओवरब्रिज का निर्माण कराएं, क्योंकि वहां की म्यूनिसिपल कार्पोरेशन के पास इतना पैसा नहीं है कि वह अपना शेयर दे सके। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हम यह पहला मंत्रालय देख रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी मंत्रालय हैं। ऐसा कोई मंत्रालय नहीं है जो राज्य सरकार से 50 प्रतिशत धनराशि मांगता हो, तब रेल मंत्रालय 50 प्रतिशत धनराशि क्यों मांगता है, इसका जवाब माननीय मंत्री जी दें। हम कोई रेल लाइन मांगते हैं तो 50 प्रतिशत पैसा स्टेट गवर्नमेंट से मांगा जाता है, ओवरब्रिज मांगते हैं तो 50 प्रतिशत राशि स्टेट गवर्नमेंट से मांगता है। इसलिए मैं माननीया रेल मंत्री जी से कहूंगा कि यह जो 50 प्रतिशत

धनराशि स्टेट गवर्नमेंट से मांगने की प्रथा है, नीति है, इसे बदला जाए और रेल का जो भी काम देश के विकास के लिए होता है, उसे अपने ही बलबूते पर कराए, ऐसा मैं सुझाव भी देता हूं और मांग भी करता हूं।

साउथ-नार्थ को अगर जोड़ना है तो चूंकि चैन्नई या बंगलौर से अमृतसर के लिए कोई सीधी गाड़ी नहीं चलती है और जो हमारे सिख भाई चैन्नई या बंगलौर में रहते हैं उनके लिए कोई सीधी गाड़ी नहीं है, इसलिए चैन्नई या बंगलौर से एक-एक गाड़ी अमृतसर तक बढ़ायी जाए। वहां की जनता की यह मांग बहुत वर्षों से है। माननीय मंत्री जी ने आदिवासी जिले वड़सा-गढ़चिरौली लाइन के लिए, पिछले साल जो अग्रिम मान्यता दी थी, उसे पूरा करने की मैं विनती करता हूं।

श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल): महोदय, मैं सर्वप्रथम आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे रेल बजट पर बोलने का सुअवसर दिया। मैं गढ़वाल संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं जो आर्थिक रूप से पिछड़ा है। रेल मंत्री सुश्री ममता बनर्जी द्वारा संसद में पेश किया गया रेल बजट आम जनता को राहत पहुंचाने वाला है, मैं इस बजट का स्वागत करता हूं।

मेरा विश्वास है कि यूपीए अध्यक्षा माननीया श्रीमती सोनिया गांधी, प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह एवं देश के युवा नेता श्री राहुल गांधी के नेतृत्व में देश में रेलवे का चहुंमुखी विकास होगा और जन-जन तक इसका लाभ पहुंचेगा।

रेल बजट में रेल भाड़े तथा माल भाड़े में वृद्धि न करके रेल मंत्री जी ने अपनी राजनीतिक परिपक्वता का परिचय दिया है तथा आम जनता के दिलों को जीतने का प्रयास किया है। इस बजट में अमीर-गरीब सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखा गया है।

माननीया रेल मंत्री जी का एक प्रश्न सारे सदन के सम्मुख है कि क्या रेलवे की परियोजनाओं को केवल आर्थिक व्यावहारिकता के पैमाने पर ही तोला जाए या फिर इन्हें सामाजिक दृष्टिकोण के पैमाने से भी देखा जाए। क्या विकास के लाभ केवल सुविधा सम्पन्न लोगों तक ही सीमित रखे जाएं और देश की दूर-दराज और पिछड़े इलाकों में रहने वाली अधिकांश जनता को इससे वंचित रखा जाए।

माननीया मंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि हो सकता है ये परियोजनाएं आर्थिक पैमाने पर खरी न उतरती हों, फिर भी वे पिछड़ेपन और गरीबी की मार झेलते क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए आवश्यक है। उनको इन परियोजनाओं की और भी ज्यादा जरूरत है। उन्होंने दृढ़ता के साथ कहा है कि पद दलित एवं सुविधाओं से वंचित लोगों का उत्थान किया जाना चाहिए ताकि हमारे देश का समग्र रूप से सामाजिक एवं आर्थिक विकास हो सके।

माननीय महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि मैं गढ़वाल संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं और विकास की आशा के लिए उत्तराखंड की जनता ने कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी, प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह जी और देश के युवा नेता श्री राहुल गांधी में आस्था जताते हुए कांग्रेस पार्टी को प्रदेश की सभी सीटों पर विजय दिलाई है। जनता ने विकास का एक नया सपना संजोया है। ऐसी स्थिति में जन-प्रतिनिधियों के ऊपर एक बहुत बड़ा दायित्व आ जाता है।

गढ़वाल संसदीय क्षेत्र एक बहुत बड़े क्षेत्रफल में फैला है तथा वहां प्राकृतिक साधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। क्षेत्र तथा राष्ट्र के विकास हेतु समुचित यातायात के साधनों का होना बहुत जरूरी है। इस प्रदेश में पर्यटन के क्षेत्र में भी अपार संभावनाएं हैं, इनका भी सदुपयोग पर्याप्त यातायात और संचार साधनों से ही संभव है। माननीया रेल मंत्री जी ने निसंदेह राष्ट्र के विकास के लिए, पिछड़े क्षेत्रों के विकास का अपना मिशन बनाकर, आर्थिक विकास की दिशा के लिए, एक नये अध्याय का सूत्रपात किया है।

इस संदर्भ में देश के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रेल पहुंचाने के लिए रेल मंत्री जी ने रेल बजट में जो एक विशेषज्ञ समिति के गठन का प्रस्ताव किया है वह सचमुच स्वागत योग्य कदम है। मुझे विश्वास है कि इस कमेटी के गठन से देश के पर्वतीय राज्य उत्तराखंड, जहां आजादी के साठ साल बाद भी रेल का विस्तार नहीं हो सका है, इस राज्य को इसका लाभ मिलेगा। उत्तराखंड राज्य आज यह प्रतीक्षा कर रहा है कि वहां रेल का विस्तार कब होगा। आशा है कि विशेषज्ञ कमेटी इस पर्वतीय राज्य के लिए ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन, जिसका कई बार सर्वे हो चुका है, इस लाइन को बनवाने के लिए विचार करेगी। इसके साथ ही टनकपुर-बागवेश्वर प्रशिक्षित रेल लाइन बिछाने के लिए भी विचार किया जाएगा। इन रेल लाइनों के विस्तार से ही उत्तराखंड का विकास संभव है।

मैं रेल मंत्री जी को यह भी कहना चाहूंगा कि इन योजनाओं को राष्ट्रीय योजनाएं घोषित किया जाए। इसके लिए संसाधनों को जुटाने के लिए चाहे रेल बांड जारी किए जाएं, ताकि बड़ी-बड़ी योजनाएं राष्ट्र हित में जल्दी पूरी की जाएं। जब मैं रेल राज्य मंत्री था, हम लोगों ने बायलोजिकल टायलेट्स का रिसर्च प्रारम्भ किया था, जिससे किसी प्रकार की भी गंदगी रेलवे स्टेशनों पर नहीं फैलती थी और गंदगी एक टैंक के अंदर कंटेन हो जाती थी, जिसे वैक्यूम के जरिए निकाला जा सकता था। इस प्रकार के अगर बायलोजिकल टायलेट्स बन जाएं, तो मैं समझता हूं कि रेलवे स्टेशनों पर गंदगी समाप्त हो जाएगी और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के अंदर भारत आगे बढ़ेगा।

[श्री सतपाल महाराज]

भारत में रेल के डिब्बों के बनाने में एल्यूमिनियम प्रचुर मात्रा में लगाया जाता है, जबकि इसकी जगह पीवीसी लगाई जा सकती है। रेलों के अंदर लगे पंखों का डिजाइन बाबा आदम के जमाने का है। उसमें लोहे का इस्तेमाल होता है। पंखे बनाने में लोहे की जगह प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी प्रकार से वैकल्पिक चीजों का इस्तेमाल होना चाहिए। महंगी चीजों की खपत कम से कम की जानी चाहिए। मैं विशेष कर, हमारे तिवारी जी, जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थी, उन्होंने उत्तराखंड का बहुत विकास किया। वे चाहते थे कि उत्तराखंड में रेल का विस्तार हो। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड में आज जंगल राज हो गया है। आपने समाचार-पत्रों और टीवी पर देखा होगा कि एक नौजवान रणबीर को पुलिस ने गोली मार दी। इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। मैं रेल मंत्री से निवेदन करूंगा कि भारत के अंदर ही नहीं, भारत से बाहर सिंगापुर तक रेल चलाइए। भारत से बाहर बंगलादेश तक रेल चलाइए। भारत से मास्को को रेल से जोड़िए। भारत से नेपाल को जोड़िए। इन सभी रेलवे लाइनों का विस्तार हो और माल की ढुलाई हो तथा रेल की आय बढ़े।

उत्तराखंड के विकास के लिए मैं चाहूंगा कि देहरादून से लखनऊ एक सीधी ट्रेन भी चलाई जाए तथा लखनऊ जाने वाली ट्रेनों में फर्स्ट ए.सी. के कोच भी लगाए जाएं। देहरादून से कानपुर एक सीधी ट्रेन भी चलाई जाए तथा कानपुर जाने वाली ट्रेनों की गति बढ़ाई जाए। इन ट्रेनों में भी फर्स्ट ए.सी. कोच लगवाए जाएं। हावड़ा-कोलकाता से हरिद्वार के लिए एक और सीधी ट्रेन चलाई जाए। गोहाटी से हरिद्वार के लिए भी एक सीधी ट्रेन चलाई जाए। कोटद्वार के लिए दोहरी रेल लाइन होनी चाहिए। दिल्ली से रामनगर के लिए सीधी ट्रेन चलनी चाहिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: आप अपने भाषण के शेष भाग को सभा पटल पर रख सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री सतपाल महाराज: महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करने जा रहा हूं। हरिद्वार से देहरादून तक रेल को डबल ट्रैक बनाया जाए। कोटद्वार, ऋषिकेष एवं रामनगर में माल यातायात टर्मिनल बनाने चाहिए। कोटद्वार तथा रामनगर, जो राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़े हैं, इन्हें आदर्श स्टेशन बनाया जाना चाहिए। पर्यटकों को बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक रिजर्वेशन केंद्र खोले जाने चाहिए। इसके साथ-साथ नजीबाबाद जंक्शन रेल मार्ग उत्तराखंड का मुख्य द्वार है, जहां से उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश के भारतीय सेना में कार्यरत हजारों सैनिक, व्यापारी एवं अन्य लोग प्रतिदिन रेल द्वारा यात्रा करते हैं, इनके लिए जंक्शन में स्टापेज होगा, तो उन्हें बहुत लाभ प्राप्त होगा।

*कोटद्वार तथा रामनगर जो राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़े हैं, को आदर्श स्टेशन बनवाना चाहिए।

आई.आर.सी.टी.सी. एवं उत्तराखण्ड सरकार के साथ टूरिज्म पैकेज किया जाना चाहिए।

पर्यटकों एवं दूरदराज क्षेत्र की जनता की सुविधा के लिए इस क्षेत्र में अधिक रेलवे रिजर्वेशन केन्द्र खोले जाएं।

नजीबाबाद जंक्शन रेल मार्ग उत्तराखंड का मुख्य द्वार है जहां से उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश के भारतीय सेना में कार्यरत हजारों सैनिक, व्यापारी एवं अन्य लोग प्रतिदिन रेल द्वारा यात्रा करते हैं।

निम्न गाड़ियों 2331-2332 हिमगिरी एक्सप्रेस, 5654-2588, अमरनाथ एक्सप्रेस, लोहित एक्सप्रेस, 2327-2382 उपासना एक्सप्रेस एवं 5097-5098 जम्मू-बरौनी एक्सप्रेस का नजीबाबाद जंक्शन जैसे मुख्य मार्ग पर स्टापेज न होने से यात्रियों को असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। अत: नजीबाबाद जंक्शन में इन गाड़ियों को भी रोका जाए।

साथ ही मेरा यह भी सुझाव है कि उत्तराखण्ड में एक रेल भर्ती बोर्ड (आर.आर.बी.) की स्थापना होनी चाहिये क्योंकि इस प्रदेश में अभी तक कोई रेल भर्ती बोर्ड न होने से यहां के बेरोजगार युवाओं को रेल सेवा का लाभ नहीं मिल पाता। दूर-दराज पहाड़ी इलाकों में बेरोजगार युवकों को रेल रोजगार के समाचार बहुत देर से मिलते हैं जिससे वे इसका लाभ नहीं उठा पाते। अतएव इस प्रदेश के प्रमुख शहर ऋषिकेश अथवा रामनगर में रेलवे भर्ती बोर्ड की स्थापना हेतु विचार किया जाना अति आवश्यक है।*

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस सुअवसर पर बोलने का मौका दिया।*

[अनुवाद]

@**श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार** (बलूरघाट): माननीय सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं ईंधन के मूल्यों में भारी वृद्धि होने के बावजूद माल भाड़े की भांति यात्री किराए में वृद्धि न करने के लिए माननीया रेल मंत्री को बधाई देता हूं। वर्तमान में, रेलवे को एक व्यापारिक संगठन नहीं माना जा सकता। रेलवे समाज के विभिन्न वर्गों को आपस में जोड़कर सामाजिक-आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभाता है। इस वर्ष का रेल बजट कुछ हद तक इस आयाम को दर्शाता है। अब मुद्दा यह है कि रेल मंत्री ने अनेक परियोजनाओं, यात्री सुविधाओं और सेवाओं के उन्नयन की भी

*भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।

@मूलत: बंगाली में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

घोषणा की है। लेकिन आर्थिक मन्दी और उथल-पुथल के मौजूदा परिदृश्य में यह सवाल अहम है कि ये परियोजनाएं और योजनाएं आरंभ होंगी अथवा नहीं। निधियां कहां से आएंगी और यदि पर्याप्त निधियां संग्रहीत नहीं होंगी तो यह प्रश्न अनुतरित बचता है कि ये सभी परियोजनाएं पूरी की जाएंगी अथवा अधूरी रहेंगी। बजट में सरकारी-निजी-भागीदारी की बात कही गई है। रेल विभाग इस देश के सर्वाधिक महत्वपूर्ण विभागों में से एक है और मैं समझता हूं कि ये सभी परियोजनाएं सरकारी-निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) के माध्यम से कार्यान्वित की जाएंगी जिससे धीरे-धीरे और क्रमश: निजीकरण और व्यावसायीकरण भी होगा। यदि व्यावसायीकरण हुआ तो सरकारी नियमन न्यूनतम हो जाएगा। अत:, मैं अपने दल 'आरएसपी' की ओर से इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

आप सबको ज्ञात होगा कि रेलवे में अनेक रिक्तियां हैं। संरक्षा और सुरक्षा पहलुओं पर ध्यान देने के लिए सदैव बड़ी संख्या में जनशक्ति की आवश्यकता है। 'मां, माटी, मानुष' के हित में ये रिक्त पद शीघ्र भरे जाने चाहिएं अन्यथा प्रत्येक वर्ष की भांति रेलवे में 2% कामगारों की कमी हो जाएगी। यदि हम गत 5 वर्ष का अनुमान लगाएं तो हम पाते हैं कि रेल सेवाओं और सुविधाओं के संबंध में अनेक घोषणाएं की गई थीं, लेकिन इस बजट में उनका कोई जिक्र नहीं है। हमें ज्ञात नहीं है कि वे परियोजनाएं कार्यान्वित की गईं अथवा छोड़ दी गईं। यदि पूर्व में की गई घोषणाओं का जिक्र होता तो हम एक तुलनात्मक अध्ययन कर सकते थे।

सायं 7.00 बजे

अब मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र पर आता हूं और माननीया मंत्री के सामने इसकी आवश्यकताएं रखता हूं। मेरा संबंध पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर से है जो स्वतंत्रता के पश्चात भी रेल नेटवर्क से वंचित है। काफी राजनैतिक संघर्ष और जन-आंदोलन के बाद, 2004 में बलूरघाट-एकलाखी परियोजना आरंभ की गई। अब इस परियोजना की क्या स्थिति है? पूरे दिन में केवल डेढ़ रेलगाड़ी चलती है। सुबह कोलकाता जाने के लिए बलूरघाट से प्रात: 5 बजे रेलगाड़ी चलती है। लेकिन ग्रामीण लोग अथवा शहरी यात्री इसे नहीं पकड़ सकते, क्योंकि यह भोर के समय चलती है; वह भी सप्ताह में केवल तीन दिन बाकी तीन दिन यह रात्रि 10 बजे अथवा 11.00 बजे आती है। अत: क्षेत्र के आम गरीब आदमी इसमें यात्रा नहीं कर सकते हैं। इसलिए, माननीया रेल मंत्री से मेरा अनुरोध है कि इस रेलगाड़ी की समय सारिणी ठीक की जाए और इसे सप्ताह में कम से कम छह दिन चलाया जाए।

यात्री सुविधाएं नहीं के बराबर हैं। समुचित प्लेटफार्म नहीं हैं, शेड नहीं हैं, पेयजल की व्यवस्था नहीं है, प्रकाश व्यवस्था नहीं है और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सिगनल ही गायब हैं-रेलगाड़ियां बिना सिग्नल के चल रही हैं। यद्यपि बलूरघाट-एकलाखी परियोजना एक लाभप्रद परियोजना है, फिर भी यहां सुविधाएं नहीं हैं।

आपको ज्ञात होना चाहिए कि यात्री गाड़ियां भी नियमित रूप से नहीं चलती हैं। यदि एक रेलगाड़ी प्रात: बलूरघाट से चलती है तो यह शाम तक वापस बलूरघाट पहुंच सकती है जिससे आम आदमी और वरिष्ठ नागरिकों को सस्ती और परेशानी रहित यात्रा की सुविधा मिल सकती है। माननीया रेल मंत्री को सब ज्ञात है, वे समस्याओं से अवगत है। अत: मैं उनसे इन प्रस्तावों पर विचार करने और राज्य के इस अल्पविकसित हिस्से के विकास में सहायता देने का अनुरोध करता हूं। यहां 20,000 आदिवासी रहते हैं। पहले इसका प्रतिनिधित्व अनुसूचित जाति समुदाय के एक व्यक्ति द्वारा किया जाता था, अब इसे सामान्य सीट बना दिया गया है। मेरा नम्र निवेदन है कि इस पिछड़े क्षेत्र का विकास रेल नेटवर्क का जाल फैलाकर और बेहतर संपर्क के जरिये ही किया जा सकता है। माननीया मंत्री को इसे ध्यान में रखना चाहिए और एक बेहतर भविष्य के निर्माण में सहायता देनी चाहिए।

आपने मुझे मेरी मातृभाषा बंगाली में बोलने की अनुमति दी, जिसके लिए मैं आपका आभारी हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

***श्री जोसेफ टोप्पो** (तेजपुर): मैं असम गण परिषद के नेता के रूप में सुश्री ममता बनर्जी, रेल मंत्री द्वारा लोक सभा में पेश रेल बजट 2009-10 पर बहस में भाग लेने का मौका प्रदान करने के लिए आपका आभारी हूं।

रेल मंत्री जी ने जो रेल बजट पेश किया है उस पर पूरे देश की मिली-जुली राय है, कुछ लोगों ने इसे बहुत अच्छा और कुछ ने इसे खराब बताया है। मेरी राय में इस बजट में भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए कोई विशेष ख्याल नहीं रखा गया है जबकि माननीय मंत्री स्वयं भारत के पूर्वी राज्य पश्चिम बंगाल से आती हैं।

रेल मंत्री जी को यह ज्ञात है कि उत्तर पूर्वी राज्यों में ट्रेनों की एवं स्टेशनों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। यहां स्टेशनों पर ना तो यात्रियों के बैठने की उचित व्यवस्था है और ना ही मूल-भूत व्यवस्था है। असम में कई स्टेशनों के बीच मीटर गेज को ब्राड गेज में बदलने के लिए सर्वे और अन्य कार्यवाई हो चुकी

*...*भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।

[श्री जोसेफ टोप्पो]

हैं लेकिन फिर भी अभी तक इस संबंध में सरकार द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान असम एवं उत्तर पूर्व में ऐसी ही कुछ समस्याओं की ओर दिलाना चाहता हूं जिनका इस बजट में समावेश होना जरूरी है।

असम के डिब्रूगढ़ जिले में ब्रह्मपुत्र नदी पर बन रहे रेल पुल का उद्घाटन वर्ष 2003 में तत्कालीन राष्ट्रपति श्री ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के हाथों कराया गया था किन्तु अभी तक जिस धीमी गति से इस पुल को बनाने का काम चल रहा है उससे इसके अगले 10 साल में पूरा होने की भी उम्मीद नहीं है। यह पुल ना केवल असम बल्कि अन्य उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए काफी लाभदायक होगा तथा इससे इन राज्यों में रेल का विस्तार हो सकेगा किन्तु रेल मंत्रालय द्वारा इस ओर उचित ध्यान ना देने तथा पैसे की कमी के कारण यह परियोजना कब पूरी होगी इसका कोई जवाब नहीं है।

काफी पहले रेल मंत्रालय ने यह वादा किया था कि उत्तर पूर्वी राज्यों में मीटर गेज को जल्दी ही ब्राड गेज लाईनों में बदला जायेगा जिससे मालगाड़ी तथा अन्य गाड़ियां रंगिया स्टेशन से आगे जाकर अरुणाचल प्रदेश, नागालैण्ड तथा अन्य राज्यों तक जा सकें किन्तु रंगिया (असम) से लेकर मोकलोंगसेलेक लाईन को ब्राड गेज में बदलने के सर्वे का काम होने के बाद भी अभी तक इस लाईन पर काम शुरू नहीं किया गया है। मालगाड़ियों से पूरे देश से आने वाले सामान को रंगिया स्टेशन पर उतरना पड़ता है और उसके आगे उसे मीटर गेज से भेजने के अतिरिक्त खर्च के कारण यह काफी महंगा पड़ता है तथा रंगिया स्टेशन पर भी माल रखने की उचित सुविधा उपलब्ध नहीं है।

लमडिंग से बदरपुर स्टेशनों के बीच मीटर गेज को ब्राड गेज में बदलने का काम चल तो रहा है किन्तु अगर यहां काम करने वाले मजदूरों को उचित सुरक्षा व्यवस्था तथा सुविधा उपलब्ध करायी जाये तो यह योजना जल्दी ही पूरी हो सकती है।

मैनागुड़ी (पश्चिम बंगाल) से जोगीघोपा (असम) के बीच ब्राड गेज लाईन बनाने का जो काम चल रहा है उसे अलीपुरद्वार तथा न्यू बोंगाईगांव स्टेशनों से भी जोड़ा जाना चाहिये।

वर्ष 1982 से असम के स्थानीय लोग न्यू बोंगाईगांव में रेल कोच फैक्ट्री की मांग कर रहे हैं किन्तु अभी तक इस मामले में कोई उचित फैसला नहीं लिया गया है।

आपके पहले रेल मंत्री ने एक नई ब्राड गेज लाईन कामाख्या से बर्नीहाट तक बनाने की बात अपने बजट में कही थी जिसका इंजीनियरिंग तथा सर्वे का काम पूरा हो चुका है किन्तु एन.एफ. रेलवे ने बिना किसी कारण इस योजना को रोक कर रखा है। मैं मांग करता हूं कि इस रेल लाईन पर तुरन्त काम शुरू किया जाना चाहिये।

एन.एफ. रेलवे ने ग्रुप डी के अंतर्गत करीब 3500 नई भर्तियों के लिए आवेदन मांगा था और जिसके लिए उचित संख्या में लोगों ने आवेदन भी किया था किन्तु करीब दो साल से ज्यादा समय गुजर जाने के बाद भी एन.एफ. रेलवे ने इस बारे में कोई कदम नहीं उठाया है तथा वे कम कर्मचारियों से काम चला रहे हैं। अगर यहां नये कर्मचारियों की भर्ती जल्दी की जाती है तो एन.एफ. रेलवे में जो काम बहुत ही धीमी गति से होते हैं उसमें तेजी आ सकती है।

यहां पर यह बताना भी बेहद जरूरी है कि एन.एफ. रेलवे की विभिन्न रेलवे कालोनियों की हालात काफी खराब है। पिछले 20 वर्षों से इन कालोनियों की इमारतों की मरम्मत तो की जाती है किन्तु कोई भी नई इमारत का निर्माण नहीं किया गया। इस काम के लिए जो भी पैसा आता है उसमें भारी हेरा-फेरी की जाती है।

उत्तर-पूर्व के लगभग सभी स्टेशनों पर पीने के पानी की उचित व्यवस्था नहीं है तथा लोग गंदा तथा बिना फिल्टर किया हुआ पानी पीने को मजबूर हैं। यही स्थिति यहां की रेलवे कालोनियों की भी है। इस संबंध में एन.एफ. रेलवे को उचित निर्देश देने चाहिये कि कम से कम सभी स्टेशनों पर पीने के पानी की उचित व्यवस्था हो।

उत्तर-पूर्वी राज्यों खासकर असम में रेलवे के अस्पतालों की स्थिति ठीक नहीं है यहां अधिकतर डाक्टर अपनी ड्यूटी से गायब रहते है तथा यहां मरीजों को घटिया स्तर की दवाईयां दी जाती हैं जिसकी जांच की जानी चाहिये तथा असम मालीगांव में एक नया एवं बड़ा रेलवे अस्पताल खोला जाना चाहिये जो कि सभी तरह की आधुनिक सुविधाओं से लैस हो।

उत्तर-पूर्व के अधिकतर स्टेशनों पर यात्रियों के लिए क्लॉक रूम की व्यवस्था नहीं है जिससे बाहर से आने वाले यात्रियों को काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। मेरी माननीय रेल मंत्री से मांग है कि इस रेल बजट में उत्तर-पूर्व के सभी रेलवे स्टेशनों पर क्लॉक रूम की व्यवस्था की जानी चाहिये।

मैं अपनी इन्हीं मांगों के साथ माननीया मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे इस संबंध में उचित कार्यवाई करते हुये सभी प्रदेशों को रेल बजट में उचित स्थान दें तथा उत्तर-पूर्व के 8 राज्यों पर विशेष ध्यान देते हुये इन समस्याओं को दूर करने का प्रयास करें।

[अनुवाद]

श्री पी. कुमार (तिरुचिरापल्ली): सभापति महोदय, रेल बजट पर इस सम्माननीय सभा में मुझे पहली बार बोलने का अवसर प्रदान करने हेतु मैं आपका अत्यंत आभारी हूं। इस मुश्किल समय में मैं अपने दल की मुखिया डा पुरातची थलाईवी अम्मा के प्रति निष्ठापूर्वक आभार प्रकट करता हूं, जो अपनी गतिशील एवं शाश्वत शक्ति से मेरे जैसे करोड़ों आम लोगों को निर्देशित करती हैं और जो दलितों की रक्षक हैं। मैं अपने दल की सुप्रीमो अम्मा का इस महान कार्य के लिए सम्मान करता हूं क्योंकि इस बार उन्होने समाज के बिल्कुल निचले तबके के लोगों को अपने चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व संसद सदस्यों के रूप में चुना है और मुझे इस बात की खुशी है कि उन लोगों को यह अवसर दिया गया, जिसका मुख्य कारण यह है कि जिस क्षेत्र से वे चुनकर आए हैं, उस क्षेत्र के लोगों की आवश्यकताओं से वे अच्छी तरह परिचित हैं।

सर्वप्रथम, मैं इस रेल बजट पर अपनी पार्टी के विचार रखना चाहता हूं। वर्तमान रेल बजट ऊपरितौर पर जनहितैषी लग रहा है। यद्यपि इस प्रक्रिया में अवसंरचना विकास और रेल नेटवर्क के विस्तार को दरकिनार कर दिया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि बजट माननीया रेल मंत्री अपने वोट बैंक पर केन्द्रित हैं और यही कारण है कि इस बार इस बजट में घोषित लगभग सभी प्रमुख परियोजनाएं पश्चिम बंगाल लालगढ़, नंदीग्राम और सिंगूर के लिए नियत की गई हैं।

इस तथ्य के बावजूद कि रेल बजट में किराये तथा मालभाड़े में परिवर्तन न करने, तत्काल बुकिंग के शुल्क को 150 रुपये से घटाकर 100 रुपेय करने, लगभग 60 नई रेलगाड़ियां शुरू करने, छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने, एक दिन छोड़कर चेन्नै से नई दिल्ली के बीच नॉन-स्टॉप गाड़ियां चलाने जैसी कुछ अच्छी बातें भी हुई प्रतीत होती हैं, लेकिन वास्तव में ये केवल छलावा प्रतीत होती हैं, इनसे कुछ बेहतर नहीं हुआ है। सच कहा जाए तो अन्य राज्यों की तुलना में आज भी तमिलनाडु में छोटी लाइनों की संख्या काफी अधिक है, जिन्हें बदले जाने की आवश्यकता है। पहले के सभी बजटों में छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की घोषणाएं केवल कागजों तक ही सीमित रही। व्यवहार में ये घोषित आमान परिवर्तन प्रस्तावित दूरियों के लिए क्रियान्वित नहीं किए गए।

इस बजट में दक्षिण भारत पर जोर नहीं दिया गया है, विशेषकर तमिलनाडु की उपेक्षा की गई है। आमान परिवर्तन, मौजूदा रेल लाइनों के दोहरीकरण, वर्तमान में धीमी गति से चल रही परियोजनाओं में तेजी लाने और रेलवे स्टेशनों का उन्नयन किये जाने से संबंधित बहुत-सारी मांगे अभी पूरी नहीं की गई हैं। माननीया मंत्री ने घोषणा की है कि 700 किलोमीटर रेल लाइन के दोहरीकरण का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन तमिलनाडु की किसी दोहरीकरण परियोजना का इसमें कोई उल्लेख नहीं किया गया, विशेषकर तिरुचिरापल्ली होते हुए मदुरै से चेन्नै के बीच वाली लाइन के दोहरीकरण पर विचार नहीं किया गया। यदि हम मेरे चुनाव क्षेत्र तिरुचिरापल्ली की बात करें, तो श्रीरंगम एक प्रसिद्ध तथा प्रमुख तीर्थस्थल है और भारत का एक विशालतम मंदिर परिसर यहां है। पूरे विश्व से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु और आगन्तुक यहां आते हैं।

इस स्टेशन का उन्नयन किए जाने की आवश्यकता है और यहां पर वैगाई एक्सप्रेस का श्रीरंगम में ठहराव दिये जाने की जरूरत है, जिसकी लम्बे समय से मांग की जा रही है। लेकिन वर्तमान बजट में इन महत्वपूर्ण मांगों को भी पूरा नहीं किया गया है। निर्माणाधीन करूर-सलेम परियोजना के कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता है। इस परियोजना के लिए आवश्यक धनराशि आवंटित की जाए।

इसके अतिरिक्त, बजट में दुर्घटना संभावित समपारों को खत्म करने और उन्हें उपयुक्त पुलों या पारपथों के माध्यम से सुरक्षित बनाए जाने पर विचार किया जाना चाहिए था। त्रिची में पुटुकोट्टई राष्ट्रीय राजमार्ग 210 पर यातायात में काफी वृद्धि देखी जा रही है जिससे आम आदमी की रोजमर्रा की दिनचर्या प्रभावित होती है। रसयावल राजमार्ग पर करुवेप्पलियन समपार तथा शहर की सीमा में त्रिरुवापुर रेलवे समपार नामक दोनों समपार शहर में यातायात को बिल्कुल जाम करने क मुख्य कारण हैं। इसलिए इस राजमार्ग पर दो रेलवे फ्लाईओवरों का निर्माण किया जाना समय की मांग है। इसी प्रकार, तिरुचिरापल्ली में हंजाथिदल रेलवे स्टेशन पर ओवरब्रिज बनाने की मांग पर प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जाना चाहिए।

महोदय, रॉक फोर्ट एक्सप्रेस, जो मूलरूप से त्रिची से चेन्नै के बीच चलती थी, को बढ़ाकर कुम्बाकोनम तक कर दिया गया है और वर्तमान में यह गाड़ी पिछले कुछ वर्षों से कुम्बाकोनम और चेन्नै के बीच वृत्तीय मार्ग पर चल रही है। परिणामत:, मेरे चुनाव क्षेत्र की आम जनता को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है, जिसमें बैठने की अपर्याप्त व्यवस्था सम्मिलित है। इसको देखते हुए सरकार से मेरा आग्रह है कि वह पूर्व स्थिति बहाल करने के लिए आवश्यक कदम उठाए। इसके अलावा, कुम्बाकोनम और चेन्नै के बीच इस वृत्तीय मार्ग के होने से त्रिची के लिए सवारी डिब्बों की संख्या को घटाकर 24 से 13 कर दिया गया है। इसलिए, मैं सरकार से त्रिची को प्रस्थान स्थल बनाने के लिए कदम उठाने हेतु अनुरोध करता हूं।

[श्री पी. कुमार]

यद्यपि बजट में लगभग 57 नई रेल लाइनें शुरू करने का प्रस्ताव हैं, मुझे बहुत निराशा हुई है कि तिरुचिराप्पली चुनाव क्षेत्र के लिए किसी नई लाइन की घोषणा नहीं की गई है। गंडारवाक्कोहाई होते हुए तंजावुर से पुडुकोट्टाई तक एक नई रेल लाइन की जरूरत है। गुंडारवाक्कोट्टाई एक विधान सभा चुनाव क्षेत्र है तथा यह तालुक मुख्यालय भी है। कृष्णागिरि होते हुए जोलारपेट से बंगलौर के लिए भी एक और नई रेल लाइन की आवश्यकता है। इसलिए माननीया मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वे इन स्थानों के बीच नई रेल लाइनें बिछाये जाने पर विचार करें।

वर्तमान बजट में यह घोषणा की गई है कि 6560 स्टाफ क्वार्टर्स बनाए जाने का प्रस्ताव है। तथापि, मौजूदा क्वार्टरों, जो पुराने होने और क्षरण के कारण जर्जर हो गए हैं, के पुनरुद्धार का कोई प्रस्ताव नहीं है। सरकार को इन मौजूदा क्वार्टरों के पुनरुद्धार के बारे में भी सोचना चाहिए। विशेषरूप से तिरुचिरापल्ली के गोल्डन रॉक रेलवे कॉलोनी के क्वाटर्स जर्जर हालत में हैं। इसलिए, मैं माननीया मंत्री से मौजूदा क्वार्टरों की स्थिति का अध्ययन कराने का अनुरोध करता हूं जिससे गोल्डन रॉक रेलवे कॉलोनी के क्वार्टरों के सुदृढ़ीकरण और पुनरुद्धार के लिए उपयुक्त कदम उठाया जा सकें।

सभापति महोदय: कृपया समाप्त कीजिए।

श्री पी. कुमार: मैं समाप्त कर रहा हूं।

यद्यपि, इस बजट में कई नई रेलगाड़ियां शुरू की गई हैं, मैं इस सभा के माध्यम से सरकार से पुन: यह अपील करता हूं कि वह त्रिची से कन्याकुमारी, त्रिची से चेन्नै, रात्रि में त्रिची से बंगलौर तथा दिन में पुडुक्कोट्टाई से चेन्नै के लिए अतिरिक्त रेलगाड़ियां शुरू करे। सरकार से मेरी प्रार्थना है कि वह इन मार्गों पर नई गाड़ियां चलाने संबंधी लम्बे समय से लम्बित मांगों को पूरा करने पर विचार करे।

अपना भाषण समाप्त करने से पहले मैं माननीया रेल मंत्री को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने तिरुचिरापल्ली को उन 50 स्टेशनों की सूची में सम्मिलित किया जहां पर सरकार का बहुप्रयोज्यीय मल्टी-फंक्शनल, परिसर का विकास करने का प्रस्ताव है। मैं पुन: माननीया मंत्री महोदया का समग्र दक्षता में सुधार करने संबंधी प्रस्ताव तथा मेरे चुनाव क्षेत्र में गोल्डन रॉक में कार्यशालाओं की यूनिट लागत कम करने के लिए धन्यवाद देता हूं।

अंत में डॉ. पुरातची थलाईवी अम्मा के शब्दों में, वर्तमान रेल बजट मात्र एक जादुई छड़ी जैसा है, जिसमें कटु सच्चाइयों को झुठला दिया गया है। माननीया रेल मंत्री से बहुत सारी अपेक्षाएं थी।

[हिन्दी]

श्री श्रीपाद येसो नाईक (उत्तर गोवा): सभापति महोदय, आपने मुझे रेल बजट पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। अपने-अपने राज्यों और संसदीय क्षेत्रों से लोग हमें यहां चुनकर भेजते हैं, ताकि जो उनकी मांगें हैं, वे बजट के समय संसद में रखी जा सकें। ऐसी उनकी इच्छा रहती है।

सभापति महोदय, पिछले वर्ष 2008-09 के रेल बजट में रेल मंत्री जी ने बहुत से आश्वासन दिये थे। हमें पता है कि सब आश्वासन पूरे नहीं कर पाते हैं लेकिन जो जनता के हित में हैं, कम से कम वे तो पूरे होने चाहिये। इसी प्रकार 2009-10 के रेल बजट में माननीया रेल मंत्री ने बहुत से आश्वासन दिये हैं। मुझे विश्वास है कि नयी रेल मंत्री उन आश्वासनों को जरूर पूरा करेंगी।

माननीया मंत्री जी ने कहा था कि जो सांसद अपने क्षेत्र से आते हैं, वे चाहते हैं कि उनके क्षेत्र को ज्यादा रेलगाड़ियां मिलें, ज्यादा रेल लाइनें मिलें। माननीया रेल मंत्री जी ने 50 विश्वस्तरीय रेलवे स्टेशन बनाने की बात कही है। मुझे दुख हो रहा है कि पूरे देश के 7-8 राज्यों के लिये ऐसे आदर्श स्टेशन बनाने की बात कही गई है। गोवा भी इस देश का ऐसा राज्य है लेकिन सूची में गोवा राज्य का नाम नहीं है। कम से कम एक स्टेशन तो विश्व स्तर का गोवा के लिये चुना जाना चाहिये था। इसलिये मैं मांग करूंगा कि सब राज्यों को कम से कम एक ऐसा स्टेशन जरूर दिया जाये।

गोवा इस देश का एक छोटा राज्य जरूर है लेकिन महत्वपूर्ण है। दुनिया के लाखों पर्यटक यहां आते हैं और इसे केन्द्र बनाकर देश के अन्य राज्यों में जाते हैं। यहां से जो गाड़ियां हैदराबाद, बंगलुरू, चैन्नई, बालाकिनी, के लिये जा रही हैं, उनकी बुकिंग 15 दिन में खत्म हो जाती है। अगर आप पर्यटन को बढ़ावा देना चाहते हैं तो इन रूटों पर ज्यादा गाड़ियां चलानी होंगी ताकि पर्यटकों को सुविधा मिल सके। मैं मांग करता हूं कि मडगांव-मुम्बई रूट पर गाड़ी कम पड़ रही है, उसके लिये 2-3 गाड़ियां इस रूट पर और चलाई जाये। इसी तरह मडगांव से तिरुपति, जयपुर, चैन्नई, कन्याकुमारी, बंगलुरु के लिये आने-जाने के लिये गाड़ियां चलाई जायें।

सभापति महोदय, शिरडी एक तीर्थ स्थल है। महाराष्ट्र में सिन्धुदुर्ग, रत्नागिरी से बहुत लोग यहां आते हैं। पिछले बजट में रेल मंत्री जी ने घोषणा की थी कि शिरडी स्टेशन बनेगा लेकिन यह काम नहीं हुआ है। मेरी मांग है कि लोगों की सुविधा के लिये शिरडी स्टेशन बनाया जाये तथा गोवा से शिरडी के लिये एक सीधी गाड़ी चलाई जाये। गोवा में कोंकण रेलवे और साउथ वैस्ट

रेलवे के दो रूट हैं। मैंने कुछ गाड़ियों की बात की है। जब तक साउथ वैस्ट रेलवे में मीटर गेज था ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): सभापति महोदय, मैं सभा को सूचित करना चाहता हूं कि शिरडी स्टेशन उस समय ही चालू हो गया था जब श्री लालू प्रसाद माननीय रेल मंत्री थे। विशेष रेलगाड़ियों सहित आठ से ज्यादा रेलगाड़ियां वहां जा रही हैं। माननीय सदस्य को अपनी मांगें सभा के सामने रखनी चाहिएं और हम उनकी जांच करेंगे।

[हिन्दी]

श्री श्रीपाद येसो नाईक: महोदय, मैं अपनी मांग दोहराता हूं कि गोवा से शिरडी तक एक नई गाड़ी दी जाए। जब साउथ वेस्टर्न रेलवे मीटरगेज थी उस वक्त गोवा से तिरुपति तक गाड़ी चलती थी और इसका नाम हरिप्रिया एक्सप्रैस था। दूसरी गाड़ी वास्को से मिरज चलती थी। जब रेल का कनवर्जन हुआ तो यह वायदा किया गया था कि हम ये गाड़ियां फिर से चालू कर देंगे, लेकिन ब्राडगेज कनवर्जन के बाद अब तक ये गाड़ियां शुरू नहीं की गयी हैं। मेरी मांग है कि इन दोनों गाड़ियों को अतिशीघ्र शुरू किया जाए। इनसे गोवा के बहुत से लोग चाहे वे बेलगांव के हों, कोल्हापुर के हों, मिरज के हों सब जाते हैं। यह उनके लिए बहुत कठिनाई की बात बन गयी है। मेरी यह मांग है कि इन दोनों गाड़ियों को फिर से शुरू किया जाए।

महोदय, कोंकण रेलवे 10-12 साल से शुरू हो गया है और इस पर बहुत लोड है। दिल्ली से साउथ के लिए जाने वाली बहुत सी गाड़ियां यहां से होकर जाती हैं। जो भी गाड़ी जाती है वह पूरी तरह फुल होती है और गोवा के लोगों को उसका कोई फायदा नहीं होता है। गोवा के लोगों के अलावा साउथ के लोगों की भी यह मांग है कि कोंकण रेलवे ट्रैक को डबल किया जाए ताकि उसके ऊपर ज्यादा गाड़ियां चला सकें और लोगों की अड़चने साल्व हो जाएं।

महोदय, जैसा कि मैंने कहा कि गोवा एक छोटा सा राज्य है, लेकिन यह वर्ल्ड का एक टूरिस्ट स्पाट है। हजारों-लाखों सैलानी, जितनी गोवा की पापुलेशन है, उससे भी ज्यादा विदेशी टूरिस्ट यहां आते हैं। मैंने देखा है कि देशी-विदेशी सैलानियों की दृष्टि से कई राज्यों में आपने व्हील आन पैलेस गाड़ी चलायी है। एक अच्छा टूरिज्म स्पाट होने के नाते गोवा में भी एक व्हील आन पैलेस गाड़ी चला दी जाए ताकि गोवा में टूरिज्म का और विकास हो जाए। गोवा के बहुत से स्थलों को टूरिस्ट बार-बार देखने के लिए आते हैं। गोवा में दूधसागर नामक एक वाटरफाल है, लेकिन वहां जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। जो विदेशी आते हैं, वे वहां जाने की सोचते हैं, लेकिन उन्हें बहुत कठिनाई होती है। हमारे आसपास के राज्यों के लोग भी वहां जाते हैं। वहां जाने की कोई व्यवस्था न होने के कारण इसका डेवलपमेंट उतना नहीं हुआ है, जितना होना चाहिए था। पांच-छह महीने के लिए, जब टूरिस्ट ज्यादा संख्या में वहां आते हैं, तब एक सीजनल ट्रेन, पेडने से दूधसागर तक, पेडने से कोलेन तक, एक सीधी गाड़ी चलायी जाए, मैं गोवा की ओर से यह मांग करता हूं।

महोदय, गोवा के दो-चार स्टेशनों में से करमली स्टेशन कैपिटल के निकट है। नार्थ से साउथ जाने वाली सभी गाड़ियां वहां नहीं रुकती हैं। लोगों को 40 किलोमीटर घूमकर वापस राजधानी पणजी आना पड़ता है। मेरी मांग हैं कि वहां से जाने वाली सभी गाड़ियों का करमली स्टेशन पर स्टाप होना चाहिए ताकि सैलानियों और यात्रियों को तकलीफ न हो।

महोदय, मैं एक बात और आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि आज पढ़े-लिखे युवकों की संख्या बहुत ज्यादा है। महोदय, साउथ वैस्टर्न रेलवे हो या कोंकण रेलवे हो, इन दोनों जगह गोवा के युवकों को उचित परसेंट में रोजगार नहीं मिलता है। मैं मांग करता हूं कि गोवा में रेलवे का एक रिक्रूटमेंट सेंटर शुरू किया जाए।

महोदय, मडगांव गोवा का एक बड़ा स्टेशन है और इस स्टेशन पर बहुत भीड़ हो जाती है। इससे जब बूढ़े, सीनियर लोग टिकट लेने के लिए जाते हैं तो वहां काउंटर कम पड़ते हैं। अत: मेरी मांग है कि मडगांव स्टेशन पर एक-दो नये काउंटर खुलवा दिये जाएं ताकि आर्मी पर्सन और बूढ़े लोगों को निश्चित तौर पर इसका फायदा मिले।

महोदय, गोवा में रेलवे ट्रैक की लंबाई 60-70 किलोमीटर से ज्यादा है और वहां बहुत से मैन्ड और अनमैन्ड गेट हैं। लोगों को इस कारण से बहुत दिक्कत होती है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि जहां-जहां अनमैन्ड लैवल क्रासिंग है या मैन्ड लैवल क्रासिंग है वहां ओवरब्रिज या अंडर ब्रिज बनाए जाएं। इससे एक्सीडैन्ट्स की गुंजाइश भी नहीं रहेगी। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता सकता हूं कि वहां 'मये' नाम से एक गांव है, वहां रेलवे लाइन के पार एक श्मशान भूमि बहुत सालों से है। कोंकण रेलवे तो अभी आई है। वहां अधिकारियों ने, जो लकड़ी उस श्मशान भूमि में जाती है, उसको वहां ले जाने के लिए दो-तीन साल से मना किया हुआ है जिस कारण लकड़ी को सिर पर ढोकर ले जाना पड़ता है। मैं मांग करता हूं कि वहां श्मशान भूमि तक वह गाड़ी पहुंचे। जल्दी से जल्दी इसका उपाय मंत्री जी को ढूंढ़ना पड़ेगा।

[श्री श्रीपाद येसो नाईक]

मैं एक अंतिम बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं। चार-पांच साल पहले स्काइरेल का एक प्रोजैक्ट गोवा में पायलैट प्रोजेक्ट के रूप में कोंकण रेलवे ने शुरू किया था लेकिन उसमें जो फाइनैंशियल सपोर्ट चाहिए, वह गोवा सरकार को अभी मिला नहीं है। मेरी मांग है कि इसमें जो फाइनैंशियल सपोर्ट मिलेगा, वह केंद्र की ओर से देकर एक अच्छा प्रोजैक्ट जो स्काइरेल का है, यदि वह सक्सैसफुल हो गया तो पूरे देश में लागू होगा। इसलिए अच्छा फाइनेंशियल सपोर्ट केन्द्र रेल मंत्रालय की तरफ से वहां मिले तो एक अच्छा प्रोजैक्ट लोगों के सामने आएगा।

इन्हीं शब्दों के साथ, जो मांगे मैंने आपके सामने रखी हैं, उनकी पूर्ति अतिशीघ्र करें, यही मांग करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

***श्री रायापति सांबासिवा राव** (गुंटूर): महोदय, सर्वप्रथम मैं माननीया रेल मंत्री, कुमारी ममता बनर्जी को प्रथम रेल बजट प्रस्तुत करने पर बधाई देता हूं जिसकी 'यात्री किराए में वृद्धि नहीं' करने के लिए प्रशंसा की गई है।

मैं वर्तमान बजट में दक्षिण मध्य रेलवे की गुंटूर डिवीजन में बीबीनगर-नल्लापाडु (गुंटूर) दोहरीकरण परियोजना को शामिल करने के लिए माननीया रेल मंत्री का विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं। लेकिन इस परियोजना का विद्युतीकरण होना चाहिए। मेरे राज्य आंध्र प्रदेश के लोगों की काफी अपेक्षायें हैं जिनको पूरा किया जाना चाहिए। वर्तमान में यात्रियों को काफी असुविधा होती है क्योंकि सेवा बाधित हो जाती है और निर्धारित रेलगाड़ियां बाधित होती हैं और उनमें से कुछ रद्द कर दी जाती हैं। इस लाइन के विद्युतीकरण से इस क्षेत्र में स्थित उद्योगों के लिए देश के विभिन्न भागों से सीमेन्ट, चूना, कोयला और अन्य औद्योगिक सामग्री ढोने वाली मालगाड़ियों का बिजली इंजन बदले बिना ही निर्बाध और ज्यादा आवागमन हो सकेगा, जिससे रखरखाव खर्च में भी कमी आएगी क्योंकि डीजल के मूल्य अत्यधिक बढ़ गए हैं। केवल इतना ही नहीं, गुंटूर और सिकन्दराबाद, जो दक्षिण मध्य रेल का मुख्यालय है, के बीच वास्तविक यात्रा समय भी काफी कम हो जाएगा। मैं बीबीनगर-नल्लापाडु (गुंटूर) लाइन के शीघ्र विद्युतीकरण हेतु कदम उठाने के लिए माननीया रेल मंत्री से पुरजोर अनुरोध करता हूं।

उपर्युक्त परियोजना के अलावा, आंध्र प्रदेश के लिए किसी महत्वपूर्ण रेल परियोजना का कोई जिक्र नहीं है।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लोगों का एक अन्य महत्वपूर्ण अनुरोध गुंटूर-तेनाली खंड के बीच लाइन के दोहरीकरण और विद्युतीकरण का है, क्योंकि यह दोनों ओर से अन्य महत्वपूर्ण शहरों यथा चेन्नै, बंगलौर, त्रिवेन्द्रम, हावड़ा और नई दिल्ली से गुंटूर को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण 'सिंगल' लाइन है। मुझे उम्मीद है कि माननीया मंत्री इस उचित अनुरोध पर समुचित ध्यान देंगी।

मेरा अन्य अनुरोध विजयवाड़ा-तेनाली-गुंटूर के बीच 'सर्कुलर ट्रेन' के बारे में है, इस मार्ग की खास बात यह है कि दो तरफ अर्थात् गुंटूर-के.सी. कनाल (विजयवाड़ा) दोहरीकरण और विद्युतीकरण कार्य पूरा हो चुका है, क्या सर्कुलर रेलगाड़ी चलाने के लिए गुंटूर-तेनाली लाइन का दोहरीकरण और विद्युतीकरण संभव है। जबकि तीसरी ओर, जिसमें 25 किलोमीटर का छोटा खंड है, जो विद्युतीकरण और दोहरीकरण के लिए लंबित है। इस त्रिकोणीय मार्ग के पूरा होने से काफी समय बचेगा और यात्रियों को बहुत लाभ होगा। अत:, मैं माननीया मंत्री से गुंटूर-तेनाली के 25 किमी. खंड के दोहरीकरण और विद्युतीकरण की छोटी सी परियोजना को युद्ध-स्तर पर पूरा करने का अनुरोध करता हूं।

मैं आंध्र प्रदेश के तीन तटीय जिलों गुंटूर-तेनाली-विजयवाड़ा के बीच 'सर्कुलर' रेलगाड़ियां चलाने का भी अनुरोध करता हूं। वर्तमान में चेन्नै-विजयवाड़ा के बीच चल रही रेलगाड़ी को इस मार्ग पर चलाया जा सकता है जिससे पहले से ही भीड़भाड़ वाले विजयवाड़ा-तेनाली मार्ग पर भीड़ में भी कमी होगी। मुझे उम्मीद है कि माननीया रेल मंत्री मेरे इस न्यायोचित अनुरोध पर विचार करेगी और इस संबंध में अनुदेश जारी करेगी।

अपने रेल बजट में आपने विशाखापत्तनम-सिकन्दराबाद-मुंबई के बीच एक नई 'सुपरफास्ट एक्सप्रेस' रेलगाड़ी चलाने का प्रस्ताव किया है। मैं इस प्रयास का स्वागत करता हूं और इसके लिए आपका आभारी हूं। लेकिन मेरा अनुरोध है कि यह सुपरफास्ट एक्सप्रेस विशाखापत्तनम-विजयवाड़ा-गुंटूर-नाडिकुटी-नलगोंडा मार्ग पर चलाई जा सकती है क्योंकि वस्तुत: वहां मुंबई के लिए रेलगाड़ी ही नहीं है।

आपने रेलगाड़ी सं. 2739/2740 (विशाखापत्तनम-सिकन्दराबाद) के फेरे बढ़ाकर इसे सप्ताह में 4 दिन से दैनिक कर दिया है। आपके इस कार्य का हम स्वागत करते हैं। महोदया, मैं आपसे यह सुनिश्चित करने का पुन: अनुरोध करता हूं कि इस क्षेत्र के यात्रियों के लाभ के लिए यह रेलगाड़ी दक्षिण मध्य रेल के गुंटूर डिवीजन के गुंटूर-नाडिकुडी-नालगोंडा मार्ग से होकर गुजरे।

14वीं लोक सभा में, मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लाभ के लिए मैंने अनेक परियोजनाओं को शामिल करने का अनुरोध किया था। अनेक परियोजनाएं क्रियान्वयन के लिए लंबित हैं। अत: मैं

अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण परियोजनाओं के अविलंब कार्यान्वयन हेतु रेल बजट में सम्मिलित करने की बात दोहराना चाहता हूं।

मैंने गुंटूर से चेन्नई तक 'दिन के समय की एक गाड़ी' चलाने का अनुरोध किया था, जो इस क्षेत्र के यात्रियों के लिए सुविधाजनक होगी। तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए गुंटूर और तिरूपति के बीच एक और इंटरसिटी ट्रेन भी चलाई जाए।

मैं आपके ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि तेनाली-सिकन्दराबाद के बीच पहले से चल रही नागार्जुन इंटरसिटी एक्सप्रेस को तेनाली-सिकन्दराबाद के बीच चलाने वाली जन्मभूमि एक्सप्रेस के साथ जोड़ दिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप गुंटूर और नालगोंडा जिले के यात्रियों को उक्त ट्रेन में जगह नहीं मिल पाती और वे खड़े होने के स्थान से भी वंचित हो गए हैं। आपसे अनुरोध है कि सुविख्यात बौद्ध संत, आचार्य नागार्जुन के नाम पर नागार्जुन एक्सप्रेस की तरह पूर्व इंटरसिटी एक्सप्रेस के विकल्प के रूप में गुंटूर-सिकन्दराबाद के बीच दिन के समय एक नई एक्सप्रेस गाड़ी चलाई जाए।

गुंटूर तंबाकू, कपास और अन्य वाणिज्यिक फसलों का केन्द्र है, जहां पर आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय और प्रसिद्ध बौद्ध केंद्र भी है, इस शहर के निकट अमरावती स्थित है, बहुत से विदेशी आगंतुक और पर्यटक गुंटूर रेलवे स्टेशन से यात्रा करते हैं। अत: मैं माननीया रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि गुंटूर स्टेशन को भी आदर्श स्टेशनों की सूची में सम्मिलित किया जाए।

आपको मालूम है कि अब विजयवाड़ा और गुंटूर के बीच दोहरीकरण और विद्युतीकरण का कार्य पूरा हो चुका है, अत: मैं अनुरोध करूंगा कि विजयवाड़ा-चेन्नई के बीच और उसके आगे तक रोजाना न चलने वाली सभी गाड़ियों का मार्ग बदलकर बरास्ते-न्यू गुंटूर-तेनाली चलाया जाए, जो मंडल मुख्यालय, गुंटूर और ग्रैंड ट्रंक मार्ग से जोड़ता है।

अंत में, मैं यह भी अनुरोध करूंगा कि तिरूपति, चेन्नई, हैदराबाद जैसे दक्षिण के महत्वपूर्ण शहरों की ओर जाने के लिए गुंटूर से नई गाड़ियां शुरू की जाएं।

आंध्र प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डा. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी ने कई परियोजनाओं को वर्ष 2009-2010 के आगामी रेल बजट में सम्मिलित करने हेतु कुमारी ममता बनर्जी को पत्र लिखा है। अपने इस पत्र में उन्होंने कुछ परियोजनाओं में लागत में हिस्सेदारी करने की भी सहमति व्यक्त की है, इस प्रकार महत्वपूर्ण परियोजनाओं के शीघ्र निष्पादन में हम सहायता कर रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि माननीया रेल मंत्री इस पेशकश पर विचार करेंगी और आंध्र प्रदेश की काफी समय से लंबित परियोजनाओं को शुरू करने तथा उन्हें अविलंब कार्यान्वित करने हेतु कदम उठाएंगी।

महोदय, मैं आशा करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि माननीया रेल मंत्री मेरे भाषण में वर्णित महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं को सम्मिलित करेंगी और आंध्र प्रदेश के गुंटूर तथा पड़ोसी जिलों की जनता की लंबे समय से संजोई गई इच्छा को पूरा करेंगी।

श्री कोडिकुन्नील सुरेश (मवेलीकारा): सभापति महोदय, मैं रेल बजट का समर्थन करता हूं।

भारतीय रेल मिश्रित भूवैज्ञानिक और सामरिक क्षेत्रों के साथ विश्व में सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। वास्तव में रेल बजट प्रस्तुत करने हेतु सावधानी बरतने और समन्वित प्रयास करने की जरूरत होती है और हमारी माननीया रेल मंत्री ने उत्कृष्ट कार्य किया है।

विश्व गंभीर आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है और माननीया मंत्री के दिमाग में यह बात है और उन्होंने यात्री किराए अथवा मालभाड़े में वृद्धि का कोई प्रस्ताव नहीं रखा है।

वास्तव में, उन्होंने एक अद्वितीय योजना लागू की है जिसके द्वारा असंगठित क्षेत्र में गरीब-से-गरीब व्यक्ति मात्र 25 रुपये प्रतिमाह का भुगतान करके 100 कि.मी. तक की दूरी की यात्रा कर सकता है।

मैं विस्तार से नहीं बोलूंगा क्योंकि अनेक सदस्य पहले ही कई महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख कर चुके हैं। मैं सीधे अपने राज्य केरल की परियोजनाओं पर आता हूं।

जहां तक रेल बजट का संबंध है, केरल की जनता अति प्रसन्न है। इस बजट में रेल मंत्री ने केरल में चल रही परियोजनाओं हेतु अधिक धनराशि आबंटित की है; उन्होंने आठ नई गाड़ियों और चार गाड़ियों के विस्तार की घोषणा की है और इस कृपा के लिए केरल की जनता माननीया रेल मंत्री की सराहना कर रही है। इसके साथ ही मैं माननीया रेल मंत्री के ध्यान में महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं और केरल की जनता के सामने आ रही समस्याओं को लाना चाहूंगा।

पूर्ववर्ती संप्रग सरकार ने पलक्कड में सवारी डिब्बा कारखाने की स्थापना करने की घोषणा की थी। हम श्री लालू प्रसाद के अत्यंत आभारी हैं क्योंकि जब वह रेल मंत्री थे तो उन्होंने वहां सवारी डिब्बा कारखाने लगाने की घोषणा की थी। परंतु अब तक इसकी स्थापना नहीं की गई है। यह सवारी डिब्बा कारखाना केरल का सपना है। केरल की जनता की यह मांग काफी समय से चली

[श्री कोडिकुन्नील सुरेश]

आ रही है। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में विलंब हुआ है; यद्यपि यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, तथापि रेल मंत्री को राज्य सरकार से भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने हेतु आग्रह करना चाहिए।

इस बजट में इस परियोजना के लिए कोई प्रावधान या कोई निधि आवंटन नहीं है। मैं पलक्कड में कोच फैक्ट्री के शीघ्र निर्माण के लिए पर्याप्त धन आवंटित करने हेतु माननीया रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं।

केरल के लोगों की अन्य महत्वपूर्ण मांग एक अलग रेलवे जोन बनाने की है। वर्तमान में केरल दक्षिण रेलवे जोन में आता है। जहां तक रेलवे के विकास की बात है केरल की उपेक्षा की जा रही है। जोनों के विकास के लिए समुचित धन का आवंटन नहीं किया जा रहा है। चूंकि केरल के लिए अलग रेलवे जोन नहीं है, इसलिए यहां के लोग ऐसा महसूस करते हैं कि इस प्रकार की उपेक्षा हो रही है। भारत में केरल के अलावा सभी राज्यों में अलग रेलवे जोन हैं। जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जहां तक रेलवे की आय की बात है, इसमें केरल का बहुत बड़ा योगदान है लेकिन वहां रेलवे विकास की स्थिति अत्यन्त दयनीय है। केरल के लोगों की जोरदार मांग है कि एक अलग जोन बनाया जाए और मैं माननीया मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे केरल में प्रायद्वीपीय रेलवे जोन बनाने के संबंध में वहां के लोगों की जायज मांग पर विचार करें।

दूसरी महत्वपूर्ण मांग दोहरीकरण के कार्य से संबंधित है। केरल में दोहरीकरण के दो कार्य चल रहे हैं, शोरनूर-मंगलोर का है तथा दूसरा कोट्टायम-अल्लेपी होते हुए एर्नाकुलम-कयमकुलम का है। अभी तक यह कार्य निधियों की अनुपलब्धता के कारण पूरा नहीं हुआ है। इन दोनों लाइनों पर रेलगाड़ियों की अधिक आवाजाही के कारण यात्रियों को कई तरह की असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। एकल लाइन होने के कारण लगभग सभी गाड़ियां देर से चल रही हैं। इन मार्गों पर प्रत्येक रेलवे स्टेशन पर गाड़ियां आर-पार जाने के लिए इंतजार में खड़ी रहती हैं। यात्रियों को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचना बहुत कठिन हो रहा है। इस मार्ग पर प्रत्येक बजट में मंत्री द्वारा और नई गाड़ियों की घोषणा की जाती है, लेकिन दोहरी लाइन न होने के कारण गाड़ियां किसी न किसी स्टेशन पर फंस जाती है और उनमें देरी हो जाती है। रेलवे ने इस बजट में बहुत कम राशि निर्धारित की है जो अपर्याप्त है। इसलिए इस परियोजना में शीघ्र समापन के लिए मैं मंत्री महोदया से और धन आवंटित करने का अनुरोध करता हूं।

एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे जिस पर मैं माननीया मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, वह केरल के आमान परिवर्तन से संबंधित है। महोदय रेलवे ने 2003 में कोल्लम-पुनालूर के 45 कि.मी. में रेल खंड का आमान परिवर्तन का कार्य शुरू किया था। इस कार्य को 2006 में पूरा करने का लक्ष्य था, लेकिन कार्य अभी भी चल रहा है। यह कार्य मेरे चुनाव क्षेत्र में हो रहा है। मेरे विचार में 90 प्रतिशत काम पूरा हो गया है और अब थोड़ा काम ही रह गया है। माननीया मंत्री ने इस बजट में घोषणा की है कि यह परियोजना 2009 तक पूरी कर ली जाएगी। मैं माननीया मंत्री से इस परियोजना को संप्रग के 100 दिन के कार्यक्रम में सम्मिलित करने का अनुरोध करता हूं। जिससे केरल की जनता को काफी लाभ मिलेगा। केरल के लोग सितम्बर माह में ओणम का पर्व मना रहे हैं। माननीया मंत्री इस परियोजना को केरल वासियों को ओणम के उपहार के रूप में दे सकती हैं।

पुनालूर से सेनगोट्टाई तक के आमान परिवर्तन का दूसरा चरण भी इस वर्ष से शुरू होने वाला है। इस बजट में कोल्लम-विरुद्धनगर की आमान परिवर्तन योजना के लिए 90 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इस पूरी परियोजना के माध्यम से विरुद्धनगर-तेनकासी होते हुए चेन्नै को कोल्लम से जोड़ा जा रहा है। इस परियोजना का तमिलनाडु के अंतर्गत आने वाला भाग पहले ही पूरा हो चुका है और इस लाइन पर गाड़ियां चल रही हैं। कोल्लम-पुनालूर भाग का कार्य भी शीघ्र ही पूरा होने वाला है। लेकिन पुनालूर-सेनगोट्टाई के बीच 70 कि.मी. के रेलखंड पर काम संरेखण कार्य को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण रुका हुआ है। मैं समझ सकता हूं कि संरेखण को अंतिम रूप देने का काम पूरा हो चुका है। इसलिए, कार्य शीघ्र शुरू होना चाहिए। केवल तभी कोल्लम-चेन्नै खंड पर केरल और तमिलानडु के यात्रियों को लाभ मिलेगा। मैं माननीया रेल मंत्री से इस मामले पर ध्यान देने तथा इस परियोजना को प्राथमिकता देने हेतु अधिकारियों को निर्देश देने का अनुरोध करता हूं।

सबरी रेल लाइन को इसमेली से त्रिवेन्द्रम तक के विस्तार के बारे में माननीया रेल मंत्री की घोषणा का मैं स्वागत करता हूं। यह लाइन त्रिवेन्द्रम, कोल्लम, पट्टनामथिट्टा और कोट्टायम जिलों के लोगों को इससे लाभ मिलेगा तथा इससे केरल के पूर्वी हिस्से को रेल संपर्क से जोड़ा जा सकेगा। भगवान अय्यप्पा के लाखों श्रद्धालु जो त्रिवेन्द्रम की ओर से आते है, वे इस लाइन के माध्यम से आसानी से साबरीमाला मंदिर पहुंच सकते हैं। मैं माननीय रेल मंत्री से इस परियोजना को तत्काल क्रियान्वित करने का अनुरोध करता हूं।

मैं माननीया रेल मंत्री का ध्यान चेंगन्नूर-अदूर-कोट्टाराम्कारा-त्रिवेन्द्रम लाइन की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इस लाइन का सर्वेक्षण बहुत पहले पूरा हो चुका है। यह सर्वेक्षण रिपोर्ट रेल मंत्रालय के पास है। यह लाइन मुख्य सेंटर रोड के समांतर है,

जो त्रावणकोर क्षेत्र के मध्य भाग को जोड़ती है। वर्तमान में त्रावणकोर के लोगों के पास कोई रेल संपर्क नहीं है। मैं माननीया रेल मंत्री से इस लाइन को इस बजट में सम्मिलित करने का अनुरोध करता हूं।

इस बजट में, मेरे चुनाव क्षेत्र, मवेलीकारा की पूरी उपेक्षा की गई है। चेंगन्नूर रेलवे स्टेशन केरल के अत्यन्त महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों में से एक है। लेकिन चेंगन्नूर रेलवे स्टेशन की हालत बहुत ही खराब है और यहां पर यात्रियों को पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। इस बजट में माननीया रेल मंत्री ने आदर्श स्टेशनों की घोषणा की थी, जहां विशेषकर महिला यात्रियों के लिए पेयजल, पर्याप्त शौचालयों, खान-पान सेवा प्रतीक्षालयों और शयनशालाओं, बेहतर संकेतन प्रतीकों जैसी मूलभूत सुविधाएं और अन्य मूलभूत सुविधाएं, जो हर जगह उपलब्ध हैं, मुहैया कराने की बात की है। माननीया मंत्री ने यह भी घोषणा की है कि उन्होंने 375 स्टेशनों को आदर्श स्टेशन बनाने के लिए चुना है जिसमें से 309 को पहले ही चिन्हित किया जा चुका है। 309 स्टेशनों में केरल के चेंगन्नूर रेलवे स्टेशन को सम्मिलित नहीं किया गया है। मैं माननीया रेल मंत्री से शेष 66 स्टेशनों में चेंगन्नूर रेलवे स्टेशन को सम्मिलित करने का अनुरोध करता हूं। चेंगन्नूर रेलवे स्टेशन सबरीमाला मंदिर का प्रवेश द्वार है। भगवान अय्यप्पा के करोड़ों श्रद्धालु देश के विभिन्न हिस्सों से आते हैं। माननीया रेल मंत्री चेंगन्नूर रेलवे स्टेशन का माडल स्टेशन के रूप में उन्नयन करने पर विचार करें तथा भगवान अय्यप्पा के श्रद्धालुओं के लाभ के लिए कम-से-कम 1000 कमरों की शयनशालाओ वाले रेल यात्री निवास बनाएं। मैं माननीया रेल मंत्री से यह अनुरोध भी करता हूं कि चेंगन्नूर रेलवे स्टेशन पर कम्प्यूटरीकृत टिकट आरक्षण के लिए एक अलग भवन का निर्माण किया जाए। भगवान अयप्पा के भक्तों के हितार्थ आईआरसीटीसी को जनता के लिए शाकाहारी भोजन की एक स्थानीय खानपान सेवा स्थापित करनी चाहिए।

चेंगानूर रेलवे स्टेशन के निकट अर्थात् वहां से लगभग 3 किलोमीटर दूर चेरीनार नामक स्थान है। वहां रेलवे की 50 एकड़ अप्रयुक्त भूमि है। मैं माननीया रेल मंत्री से इस भूमि का उपयोग चिकित्सा महाविद्यालय/नर्सिंग महाविद्यालय के साथ एक रेलवे अस्पताल स्थापित करने अथवा किसी अन्य उद्देश्य के लिए करने का अनुरोध करता हूं, जिससे इस क्षेत्र के लोगों को बहुत सहायता मिलेगी।

सभापति महोदय: आप काफी समय ले चुके हैं। अत:, आप अपना शेष भाषण सभा पटल पर रख सकते हैं।

श्री कोडिकुन्नील सुरेश: महोदय, मैं अपना शेष भाषण सभापटल पर रख रहा हूं।

*मेरे निर्वाचन क्षेत्र में अन्य महत्वपूर्ण स्टेशनों अर्थात सस्थानकोट्टा, मवेलीकारा और चेंगनचेरी का भी विकास किए जाने की आवश्यकता है। इन स्टेशनों पर प्लेटफार्म शेल्टर, प्लेटफार्मों के उन्नयन, पैदल उपरि पुल, पेयजल सुविधाओं, प्रतीक्षालयों आदि की आवश्यकता है। मैं माननीया मंत्री से इन स्टेशनों का विकास करने पर विचार करने का अनुरोध करता हूं। रेलगाड़ियों के ठहराव के बारे में जनता की काफी समय से मांगें लंबित हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

(क) मवेलीकारा में सबरी एक्सप्रेस का ठहराव।

(ख) चेंगानूर में गरीब रथ का स्थायी ठहराव।

(ग) ठकाजी में इन्टरसिटी एक्सप्रेस का ठहराव।

(घ) मंडरोथूराथू में मालावार एक्सप्रेस का ठहराव।

(ङ) सस्थानकोट्टा में कन्नूर एक्सप्रेस का ठहराव।

(च) सस्थानकोट्टा में परशुराम एक्सप्रेस का ठहराव।

मैं माननीया मंत्री से जनता की उपर्युक्त उचित मांगों पर विचार करने का अनुरोध करता हूं।

रेलगाड़ियों के विस्तार के संबंध में, मंत्री महोदया द्वारा कृपया निम्नलिखित दो अनुरोधों पर विचार किया जाए:-

(क) एर्णाकुलम-कोट्टयम यात्री गाड़ी का कायनकुलम तक विस्तार।

(ख) मदुरै-कोल्लम यात्री गाड़ी का कोट्टायम तक विस्तार।

रेल ऊपरि पुलों के निर्माण के संबंध में, मैं माननीया मंत्री से निम्नलिखित तीन मांगों पर विचार करने का अनुरोध करता हूं:-

(क) सस्थानकोट्टा रेलवे स्टेशन के निकट मायंगपल्ली

(ख) मवेलीकारा रेलवे स्टेशन के निकट कल्लूमाला

इन्हीं शब्दों के साथ, मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।*

[हिन्दी]

@**श्री मधुसूदन यादव** (राजनंदगांव): महोदय, मा. रेल मंत्री जी द्वारा रेल बजट भाषण के शुरूआत की 10वीं 12वीं लाईन में कहा गया कि रेल परियोजनाओं का विकास का आधार आर्थिक

*...*भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।

@भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री मधुसूदन यादव]

न होकर सामाजिक होगा। हमें खुशी हुई थी कि रेल सुविधायें सामाजिक आधार पर प्राप्त होंगी लेकिन बजट के अध्ययन से ऐसा प्रतीत होता है कि रेलवे के विकास का आधार सामाजिक व आर्थिक न होकर राजनीतिक है।

महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि जब रेलवे भर्ती बोर्ड की समीक्षा हो तो रेलवे में भर्ती के लिए इस तरह की नीति होनी चाहिए जिससे राष्ट्रीय के साथ-साथ क्षेत्रीय अपेक्षाएं भी पूरी हों। मैं इस संदर्भ में कहना चाहूंगा कि रेलवे में सर्वाधिक भर्ती ग्रुप-डी की होती है। भारतीय रेलवे में प्रारंभ से ही भर्ती विभिन्न मंडलों में मंडल के क्षेत्राधिकार क्षेत्र के निवासियों की प्राथमिकता के आधार पर की जाती थीं। ऐसा रेलवे के परिचालन में गेंगमैन, खलासी आदि को वांछित क्षेत्रीय भाषा, वातावरण, जलवायु के ज्ञान व समझ से मिलने वाली मदद के कारण किया जाता था। परन्तु, वर्तमान में ग्रुप 'डी' की भर्ती मंडलस्तरीय क्षेत्राधिकार में निवासरत निवासियों से न कर राष्ट्रीय स्तर पर किया जा रहा है, जिसमें भी पारदर्शिता का पूर्णत: अभाव रहा तथा भर्ती पूरी तरह प्रभावशील लोगों के मंशानुरूप हुई।

सरकार से यह अपेक्षा है कि भारतीय रेलवे में कम से कम ग्रुप 'डी' की भर्ती मंडल या जोनल रेलवे के क्षेत्राधिकार में पड़ने वाले हिस्से के निवासियों को प्राथमिकता के साथ की जाये। यह भर्ती महाप्रबंधक स्तर पर की जा सकती है।

रेल बजट में छत्तीसगढ़ की उपेक्षा हुई है। जिन नई ट्रेनों की घोषणा हुई है इसमें से दुर्ग-जयपुर तथा बिलासपुर-तिरूनेलवेली अंतरिम बजट के घोषणानुसार प्रारंभ हो चुकी है जिनको नई ट्रेनों के नाम से घोषित किया गया है जबकि जबलपुर से अम्बिकापुर ट्रेन आरंभ करने से मुख्यत: मध्य प्रदेश ही लाभांवित होगा इस तरह नई ट्रेनों के मामले में छत्तीसगढ़ के साथ अन्याय किया गया है।

छत्तीसगढ़ से अजमेर, गोवा, जम्मू के लिए सीधी ट्रेन सुविधा प्रारंभ किये जाने की आवश्यकता है। बिलासपुर-राजधानी को हावड़ा तक बढ़ा दिया गया है। अत: छत्तीसगढ़ के लिए दुर्ग से निजामुद्दीन (वाया कटनी) राजधानी एक्सप्रेस को प्रारंभ किया जाना चाहिए। दिल्ली के लिए सम्पर्क क्रांति एक्सप्रेस को नियमित किया जाना चाहिए। 5159/5160 दुर्ग-छपरा सारनाथ एक्सप्रेस तथा 8204/8205 दुर्ग-कानपुर बेतवा एक्सप्रेस को गोंदिया से चलाया जाना चाहिए।

छत्तीसगढ़ की उपेक्षा की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि पूरे भारत में आप 50 स्टेशनों को अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय सुविधायुक्त स्टेशन के रूप में विकसित कर रहे हैं। परन्तु छत्तीसगढ़ के एक भी स्टेशन को शामिल नहीं किया गया है। रेलवे जोन बिलासपुर दक्षिण-पूर्वी-मध्य रेलवे का सबसे अधिक राजस्व देने वाला रेलवे जोन है और रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है। इन दोनों स्टेशनों को विश्वस्तरीय स्टेशन की श्रेणी में रखा जाना चाहिए।

इसी तरह 375 आदर्श स्टेशन स्थापित किये जायेंगे जिसमें से 309 की पहचान कर ली गई है। इस 309 की सूची में छत्तीसगढ़ के एक भी रेलवे स्टेशन को शामिल नहीं किया गया है जबकि नागपुर जोन का छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा स्टेशन डोंगरगढ़ है तथा राजनंदगांव, रायगढ़ व अम्बिकापुर जिला मुख्यालय है जिन्हें आदर्श स्टेशनों की सूची में शामिल किया जाये।

डोंगरगढ़ से कोटा नई रेल लाइन सर्वे हेतु 40 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है जो कि अत्यंत कम है। वर्तमान में लगभग 220 किलोमीटर सर्वे राजनंदगांव जिले के डोंगरगढ़ से कर्वधा होते हुए कोटा-बिलासपुर के बीच किया जाना है। रेलवे सर्वे में रेट आफ रिटर्न का काफी महत्व है। सर्वे रिपोर्ट घनात्मक आने पर रेल लाइन बनाने का फैसला होता है। उक्त स्थिति को देखते हुए डोंगरगढ़-कोटा सर्वे में आंशिक संशोधन की मांग करता हूं जिसके तहत डोंगरगढ़ और राजनंदगांव जिला मुख्यालय की दूरी मात्र 30 कि.मी. है और इसके बीच में ढेलकाडीह में चूना पत्थर व अन्य खनिज संसाधन है। राज्य सरकार ने यहां सीमेंट प्लांट हेतु एम.ओ.यू. भी किये हैं। अत: सर्वे में इस क्षेत्र को शामिल करते हुए खैरागढ़ से राजनंदगांव तक एक अतिरिक्त लूप लेकर सर्वे किया जाना चाहिए।

इसी तरह अंत बिन्दु कोटा मानकर सर्वे किया जा रहा है। यदि लाइन को कोटा-बिलासपुर के बीच उस्लामपुर स्टेशन के पास जोड़ा जाता है तो यह हावड़ा-मुम्बई ट्रेक रूट का वैकल्पिक मार्ग बन सकेगा। अत: डोंगरगढ़ कोटा रेलमार्ग का सर्वे राजनंदगांव से प्रारंभ व उस्लामपुर (बिलासपुर) को अंत मानकर किया जाता है तो सर्वे की लागत में मामूली रूप से बढ़ोत्तरी होगी परन्तु लाइन की लाभ प्रदत्ता का बेहतर अध्ययन प्रस्तुत करेगा।

छत्तीसगढ़ में मुख्यत: बिलासपुर-दुर्ग से ही ट्रेनों का संचालन होता है अतएव यहां के कोचिंग काम्पलैक्स की क्षमता पूरी हो चुकी है। यहां से राज्य के पश्चिम के अंतिम छोर के नागरिकों को सुविधा नहीं दे पाते हैं। डोंगरगढ़, जो कि एक पर्यटक स्थल है, डोंगरगढ़ स्टेशन का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि यह छत्तीसगढ़ व आसपास के राज्यों का प्रमुख तीर्थस्थल है। देश के विभिन्न हिस्सों से मां बम्लेश्वरी देवी के दर्शन के लिए लोग यहां आते हैं। नवरात्रों में यहां भारी भीड़ उमड़ती है और रेलवे स्वयं यहां सभी सुपरफास्ट ट्रेनों के स्टापेज उस समय देती है। यहां पर्यटन की और अधिक संभावनायें हैं परन्तु एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन यहां से नहीं होने के कारण इसका विकास नहीं हो पा रहा है।

रेलवे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई लाइन बिछाने का कार्य करता है। ऐसा केरल के गुरुबापुर, महाराष्ट्र के शिरडी और वर्तमान बजट में आंध्र प्रदेश में सत्य साईं प्रशांतिनिलयम में किया जा रहा है। उपरोक्त स्थिति में सरकार से यह अपेक्षा है कि मां बम्लेश्वरी तीर्थ डोंगरगढ़ से एक्सप्रेस ट्रेनों के संचालन कराने के लिए आवश्यक कोचिंग काम्पलैक्स या पिट लाइन सुविधा का निर्माण किया जाना चाहिए।

बजट में दल्लीराज हरा रावघाट परियोजना के लिए सिर्फ 10 करोड़ आबंटन करने की बात कही गई है। इस परियोजना में रेलवे को 452 करोड़ देना है शेष राशि भिलाई इस्पात संयंत्र लगायेगी। यदि 452 करोड़ के विरुद्ध सिर्फ 10 करोड़ रुपये वर्ष भर में उपलब्ध कराया जायेगा तो यह योजना समय पर पूर्ण नहीं की जा सकेगी और भिलाई इस्पात संयंत्र के बंद हो जाने की स्थिति पैदा हो सकती है।

अत: मैं मांग करता हूं कि रेलवे द्वारा इस परियोजना हेतु देय राशि 452 करोड़ रुपये तीन समान किस्तों में 3 वर्ष के अंदर दी जानी चाहिए ताकि भिलाई इस्पात संयंत्र को बंद होने से बचाया जा सके।

नान-स्टापेज ट्रेनों के संदर्भ में मैं मांग करता हूं कि लम्बी दूरी होने के कारण इन ट्रेनों के तकनीकी स्टोपेज होंगे। जहां तकनीकी स्टोपेज होंगे वहां कोटा भले ही न दिया जाये परन्तु वेटिंग टिकट जारी किया जाये ताकि रिक्त सीटों की पूर्ति की जा सके इससे रेलवे को भी लाभ होगा।

[अनुवाद]

श्री आनंद प्रकाश परांजपे (कल्याण): सभापति महोदय, रेल बजट जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं वर्ष 2009-10 के रेल बजट का स्वागत करता हूं और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों यथा यात्री सुविधाएं, स्वच्छता, रेलवे खानपान की गुणवत्ता, संरक्षा और सुरक्षा तथा समय-पालन वाला अच्छा बजट लाने के लिए रेल मंत्री कुमारी ममता बनर्जी को बधाई देता हूं। इस आर्थिक मंदी के दौर में भी, न तो उन्होंने किसी श्रेणी अथवा रेलगाड़ी के यात्री किराए में और न ही माल भाड़े में कोई वृद्धि की है। 50 स्टेशनों को अंतर्राष्ट्रीय सुविधायुक्त विश्वस्तरीय स्टेशनों के रूप में और 375 अन्य स्टेशनों को मूलभूत सुविधायुक्त आदर्श स्टेशनों के रूप में विकसित करने का प्रयास सराहनीय है।

मैं विभिन्न योजनाओं यथा ''मां, माटी मानुष'', ''मुश्किल आसान'' और ''इज्जत'' का भी स्वागत करता हूं। मुझे यह भी विश्वास है कि बजट में घोषित युवा पीढ़ी को समर्पित 'युवा' रेलगाड़ियां और केवल गंतव्य स्थान पर रुकने वाली ''दूरान्तो'' रेलगाड़ियां भी अत्यंत प्रशंसनीय हैं। हम 57 नई रेलगाड़ियों; 27 मार्गों के विस्तार और 13 रेल सेवाओं के फेरों में वृद्धि की घोषणा का भी स्वागत करते हैं।

महोदय, लेकिन उपनगरीय रेलगाड़ियों में सफर करने वाले हम मुंबईवासियों और आम आदमी को इस रेल बजट से बहुत निराशा हुई है। मैं माननीया रेल मंत्री के सामने वे उम्मीदें रखना चाहता हूं जो हमें इस रेल बजट से थीं।

महोदय, ठाणे वह स्थान है जहां वर्ष 1853 में भारत में पहली रेलगाड़ी बोरीबन्दर से ठाणे के बीच शुरू हुई थी और इसे विरासत का दर्जा दिया जाना चाहिए और मुंबई सीएसटी की तर्ज पर इसका विकास एक विरासत स्टेशन के रूप में किया जाना चाहिए। इस स्टेशन के पुनरुद्धार के लिए 8.73 करोड़ रुपए की धनराशि आबंटित की गई है। इस स्टेशन से प्राप्त होने वाले राजस्व की तुलना में यह राशि अत्यंत कम है। इस स्टेशन से वार्षिक 110 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होता है और इस स्टेशन पर प्रतिदिन लगभग तीन लाख यात्री आते-जाते हैं। मैं माननीया मंत्री से इस स्टेशन के लिए आबंटन को 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 15 करोड़ रुपए करने का अनुरोध करता हूं। ठाणे स्टेशन पर कुछ रेलगाड़ियों का ठहराव दिया जाना काफी समय से लंबित है।

मैं उनमें से कुछ का नाम लेना चाहूंगा। 2165 डाउन और 2166 अप लोकमान्य तिलक वाराणसी सुपर फास्ट एक्सप्रैस, 2173 डाउन और 2174 अप लोकमान्य तिलक कानपुर उद्योग नगरी एक्सप्रेस, मुम्बई सी.एस.टी. भुवनेश्वर कोणार्क एक्सप्रेस तथा मुम्बई सी.एस.टी. कन्याकुमारी एक्सप्रेस। पुन:, 375 स्टेशनों में से 309 स्टेशनों को आदर्श स्टेशन बनाने के लिए चुना गया है और इन 309 स्टेशनों में से दो स्टेशन-उल्हासनगर और डोमबिल्ली मेरे संसदीय चुनाव क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। लेकिन मैं माननीया मंत्री से दिवा और अम्बरनाथ स्टेशनों को भी इस सूची में सम्मिलित करने का अनुरोध करता हूं। दिवा ऐसा स्टेशन है जिससे होकर कोंकण रेलवे की सारी रेल गाड़ियां गुजरती हैं और इस स्टेशन पर उपनगरीय क्षेत्र का भारी यातायात भी यहां से गुजरता है। इसके अतिरिक्त, यहां से दिवा-वसई और दिवा-पनवेल डी.एम.यू. का मार्ग भी गुजरता है। इसके साथ ही अम्बरनाथ को भी इस सूची में सम्मिलित किया जाना चाहिए क्योंकि यह एक औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित हो रहा है।

महोदया, यात्री सुरक्षा को सबसे अधिक महत्व देते हुए, सड़क उपरिपुल बनाने पर जोर देने के लिए मैं रेल मंत्री की काफी सराहना करता हूं। मेरे चुनाव क्षेत्र में सेंट्रल रेलवे के मुम्बई प्रभाग में सड़क उपरिपुल का निर्माण कार्य लम्बित पड़ा है। मैं सभा को

[श्री आनंद प्रकाश परांजपे]

बताना चाहता हूं कि दिवा स्टेशन पर अधिक रेलगाड़ियों की आवाजाही होती है और वाहनों को 'रेलवे फाटक' को पार करने के लिए 11 रेल पटरियों को पार करना पड़ता है। इसलिए, मैं माननीया रेल मंत्री से इस विषय पर सेन्ट्रल रेलवे के साथ बातचीत करने तथा इस प्रस्ताव को प्राथमिकता के साथ अनुमति देने का अनुरोध करता हूं।

महोदय, 140 स्टेशनों के लिए समेकित सुरक्षा योजना की घोषणा की गई है। मैं माननीया रेल मंत्री से 140 स्टेशनों की इस सूची में ठाणे और कल्याण स्टेशनों को भी सम्मिलित करने का अनुरोध करता हूं। यद्यपि, 53 नई रेल लाइनें शुरू की गई हैं, लेकिन यह जानकर दु:ख होता है कि कल्याण-मलशेज-अहमदनगर रेल मार्ग को इस सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है, यद्यपि इसके लिए रेल मंत्रालय से पिछले 20 वर्षों से मांग की जा रही है। यह मार्ग भी 'किसान विजन' नामक परियोजना के अंतर्गत आएगा। क्योंकि सब्जियों और शीघ्र खराब होने वाले अन्य खाद्य उत्पादों की सड़क मार्ग से ढुलाई की जाती है। इसलिए, मैं बहुत ही गंभीरता से माननीया रेल मंत्री से कल्याण-मालशेज-अहमदनगर रेलमार्ग को इन 53 नए मार्गों की सूची में जिनकी घोषणा की गई है, सम्मिलित करने का अनुरोध करता हूं।

महोदय, इस बजट में वातानुकूलित दो मंजिला कोच की अवधारणा की संकल्पना की गई है। मैं माननीया रेल मंत्री से मुम्बई-पुणे मार्ग पर भी एक प्रायोगिक अध्ययन करने का अनुरोध करता हूं तथा मुझे विश्वास है कि माननीया रेल मंत्री महाराष्ट्र राज्य को यह रेलगाड़ी देंगी।

महोदय, एम.यू.टी.पी. फेज-1 और फेज-2 के बारे में बहुत चर्चा हुई है। मैं माननीया रेल मंत्री से एम.यू.टी.पी. फेज-1 और फेज-2 के अंतर्गत चल रही योजनाओं पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देने के लिए अनुरोध करता हूं। एम.यू.टी.पी. फेज-1 के अंतर्गत, बेलापुर-सीवुड-उरान की प्रगति कार्य, जो दिसंबर 2010 तक पूरा किया जाना है, अक्षरश: रुक गया है। यह मार्ग विशेषरूप से इस क्षेत्र के नवी मुम्बई में विशेष आर्थिक जोन के बनने के कारण बहुत ही महत्वपूर्ण है।

महोदय, हार्बर लाइन मार्गों सी.एस.टी.-पनवेल-अंधेरी तथा ठाणे-वाशी-पनवेल पर नौ कोचों वाले रेकों को 12 कोचों वाले रेकों में बदलने का विस्तृत प्रस्ताव है। यह सैन्ट्रल रेलवे के मुम्बई प्रभाग द्वारा शुरू किया गया था और एक विस्तृत प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजा गया है।

चूंकि नवी मुम्बई में एक नया हवाई अड्डा बन रहा है इसलिए इस परियोजना को शुरू करना अत्यंत आवश्यक है। यह लाइन बहुत महत्वपूर्ण होगी और इस परियोजना की अवसंरचना की कुल लागत लगभग 180 करोड़ रुपये होगी तथा 300 करोड़ रुपये की लागत में 10, 12 कोच रेकों की रोलिंग स्टाक लागत सम्मिलित है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह नई रेल लाइन तथा नौ कोचों से 12 कोचों के इस नए परिवर्तन को इस बजट में सम्मिलित किया जाएगा।

रेल बजट के पैरा सं. 92 में परियोजनाओं के शीघ्र निष्पादन के लिए निगरानी प्रणाली शुरू की गई है। माननीया मंत्री से मेरा अनुरोध है कि सभी एम.यू.टी.पी. परियोजनाओं जो समय से काफी पीछे चल रही है के लिए एक ऐसी समिति तत्काल बनाई जानी चाहिए। एम.यू.टी.पी. फेज-1 दिसम्बर, 2010 तक पूरा किया जाना चाहिए और एम.यू.पी.टी. फेज-2 दिसम्बर 2014 तक पूरा किया जाना चाहिए। दिवा-ठाणे के बीच की पांचवीं और छठी लाइन, जो मेरे चुनाव क्षेत्र में है, नियत समय से काफी पीछे चल रही हैं। काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। कुर्ला-थाणे मार्ग पर भी काम शुरू नहीं हुआ है। मेरे चुनाव क्षेत्र में कल्याण जंक्शन अन्य महत्वपूर्ण स्टेशन है। कल्याण जंक्शन सबसे अधिक राजस्व अर्जित करने वाले स्टेशनों में से एक है। यहां से प्रतिवर्ष करीब 120 करोड़ रुपये की आमदनी होती है और यहां से लगभग 124 एक्सप्रेस तथा मेल ट्रेनें जाती हैं तथा यह 517 उपनगरीय स्टेशनों को जोड़ता है। कल्याण जंक्शन जैसे महा मुम्बई का प्रवेश द्वार है। इसलिए, मैं माननीय मंत्री से गंभीरता से अनुरोध करता हूं कि कल्याण जंक्शन को कल्याण टर्मिनस बनाने पर विचार करें। अभी दादर में सी.एस.टी.एम. टर्मिनस के रूप में है तथा कुर्ला में लोकमान्य तिलक टर्मिनस है। लेकिन कुर्ला टर्मिनस लोगों के लिए सुविधाजनक नहीं है। उपनगरीय ट्रेनों के द्वारा लोगों का कोई सीधा संपर्क नहीं है। मैं माननीय मंत्री से गंभीरता पूर्वक अनुरोध करता हूं कि वे कल्याण जंक्शन को कल्याण टर्मिनस बनाने पर विचार करें। आने वाले वर्षों में कल्याण क्षेत्र का विकास होने वाला है। यहां तक कि महाराष्ट्र सरकार ने भी इस क्षेत्र के विकास के लिए एम.एम.आर.डी.ए. के माध्यम से लगभग 1300 करोड़ रुपये आवंटित किए है। मैं गंभीरता पूर्वक माननीय मंत्री से कल्याण जंक्शन को कल्याण टर्मिनस बनाने पर विचार करने और कल्याण जंक्शन को कल्याण टर्मिनस बनाने का अनुरोध करता हूं।

पुन:, मुम्बई से पूणे के बीच में चलने वाली प्रगति एक्सप्रेस के संबंध में कल्याण जंक्शन पर एक हाल्ट बनाया जाना चाहिए। मेरा यह भी एक अनुरोध है। एक बार पुन:, रेल बजट पर बोलने के लिए मुझे अवसर देने हेतु मैं माननीय सभापति महोदय को धन्यवाद देता हूं।

श्री ए. गणेशमूर्ति (इरोड): महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस रेल बजट पर चर्चा में भाग लेने के लिए मुझे अवसर दिया। मैं मारूमलार्ची द्रविड़ मुनेत्र कषगम पार्टी (एमडीएमके) जिसके अध्यक्ष थिरु वाइको हैं, की ओर से बोल रहा हूं।

माननीया मंत्री ने 57 नई रेलगाड़ियां शुरू करने का 2921 करोड़ रुपये की लागत से नई लाइन बनाने, 1750 करोड़ रुपए की लागत से आमान परिवर्तन करने तथा चेन्नै से दिल्ली तक सीधी नान स्टाप ट्रेन चलाने का प्रस्ताव किया है। इन सभी का बहुत-बहुत स्वागत है।

माननीया रेल मंत्री ने विश्वस्तरीय सुविधाओं के साथ 50 रेलवे स्टेशनों का उन्नयन करने की घोषणा की है। इन सबके अतिरिक्त, कोयम्बटूर और तमिलनाडु के इरोड को भी इसमें सम्मिलित किया जाए।

महोदय, माननीया मंत्री ने घोषणा की है कि मालभाड़े में तथा यात्री किराये में कोई वृद्धि नहीं हुई है जिसका जनता ने स्वागत किया है।

कोयम्बटूर से शोरनूर तक की यात्री गाड़ी माननीया मंत्री द्वारा शुरू की गई 57 नई गाड़ियों में से एक है। इसे इरोड तक बढ़ाया जाए। इरोड सामाजिक न्याय के सुधारक श्री ई.वी. रामासामी परियार का जन्म स्थान है तथा यह कपड़ा उद्योग का केन्द्र भी है और तमिलनाडु में औद्योगिक और कृषि क्षेत्र में विकसित जिला है।

तीर्थस्थल के रूप में काम आने वाले स्टेशनों के अंतर्गत 50 स्टेशनों को बहुप्रयोज्य परिसर के रूप में विकसित किया जाना है। मैं अनुरोध करता हूं कि इरोड जिले के कोडिमुडी जो एक ऐसा ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है, को बहुप्रयोज्य परिसर के रूप में मान्यता दी जाए। इसका कारण यह है कि पूरे तमिलनाडु से साल भर हजारों लोग यहां एकत्र होते हैं। इरोड जंक्शन पर सब्जियों और फलों की ढुलाई को सुगम बनाने तथा शीघ्र खराब होने वाली चीजों के लिए तापमान नियंत्रिक कार्गो सेंटर को स्वीकृति दी जाए।

'इज्जत' योजना के अंतर्गत 25 रुपये में 100 कि.मी. तक के रियायती मासिक टिकट की घोषणा इन असंगठित क्षेत्र के मजदूरों तथा गरीबों के लिए की गई है जिनकी मासिक आय 1500 रुपये से अधिक न हो।

मैं माननीया मंत्री से अनुरोध करूंगा कि मूल आय सीमा को 1500 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपए प्रति माह कर दिया जाए।

इरोड, त्रिपुर और कोयंबटूर शहर वस्त्र उत्पादक शहरों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण शहरों में से हैं जहां यात्रियों की भारी भीड़ होती है। अतः, त्रिपुर होते हुए इरोड से कोयंबतूर तक ईएमयू रेलगाड़ियां चलाई जाएं। यह यात्रियों के लिए अत्यंत आवश्यक और उपयोगी तथा रेलवे के लिए लाभप्रद भी है।

यद्यपि इरोड जंक्शन पर छह बुकिंग केन्द्र हैं तथापि कर्मचारियों की कमी है जिससे व्यस्त समय के दौरान यात्रियों को असुविधा होती है। मुझे ज्ञात हुआ है कि सलेम डिवीजन में अनेक रिक्तियां हैं।

मैं इरोड से पलानी के बीज प्रस्तावित नई रेल लाइन, जहां विभाग द्वारा सर्वे किया जा रहा है, को बढ़ावा देने के लिए और निधियां आबंटित करने का अनुरोध करता हूं। कोडुमुडी और पासूर स्टेशनों पर, जो इरोड और करूर के बीच में है, केवल यात्री रेलगाड़ियां रूकती हैं। अधिकतर जनता इस संबंध में सभी एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को कुछ मिनट इन स्टेशनों पर रोकने का अनुरोध कर रही है।

कृपया निम्नलिखित रेलगाड़ियों का गन्तव्य स्थान के अनुसार विस्तार किया जाए:

1. चेन्नै और सलेम के बीच चलने वाली गाड़ी संख्या 1063/1064 को इरोड तक बढ़ाया जाए।
2. सलेम और बंगलौर के बीच चलने वाली गाड़ी संख्या 573/574 को इरोड तक बढ़ाया जाए।
3. इरोड और जोलारपेट के बीच चलने वाली गाड़ी संख्या 885/886 को चेन्नै सेन्ट्रल तक बढ़ाया जाए।
4. पालघाट और त्रिवेन्द्रम के बीच चलने वाली अमृता एक्सप्रेस, गाड़ी संख्या 6344/6345 को इरोड तक चलाया जाए।

सलेम डिवीजन में जो अभी नया डिवीजन बना है एक डिवीजनल अस्पताल होना चाहिए जो इरोड जंक्शन पर मौजूदा रेलवे अस्पताल के साथ ही इरोड में होना चाहिए। पिछले बजट में घोषित इरोड से सेनकोट्टी तक नई रेलगाड़ी अभी तक नहीं चलाई गई है। मैं अनुरोध करता हूं कि इसे शीघ्र चलाया जाए।

श्री रमेन डेका (मंगलदोई): आदरणीय सभापति महोदय, मैं असम से हूं। असम एक पिछड़ा राज्य है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र से राज्य के अन्य भागों और बाकी राज्यों के साथ संपर्क के मामले में स्थिति अत्यंत खराब है। रंगिया से मोकाकचालिंग रेल मार्ग मेरे निर्वाचन क्षेत्र से होकर गुजरता है। यह अंग्रेजों के समय का है. लेकिन ये मार्ग अब भी जर्जर अवस्था में हैं।

मैंने इस लाइन को आमान परिवर्तन में शामिल करने हेतु माननीय प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा था। मुझे यह देखकर खुशी हुई है कि इस बजट में इस लाइन को आमान परिवर्तन हेतु शामिल किया है। इस बजट में पूर्वोत्तर क्षेत्र रेल विकास निधि का प्रावधान है। लेकिन मैं माननीया मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे सुनिश्चित करें कि यह क्रियान्वित हो। यह मात्र एक घोषणा न रहे जैसा कि पिछले बजट में घोषित परियोजनाओं के साथ हुआ।

[श्री रमेन डेका]

रोंगिया-मोकाकचालिंग आमान परिवर्तन परियोजना निर्धारित समय में पूरी की जाए क्योंकि यह अत्यंत महत्वपूर्ण परियोजना है। यह (लाइन) अरुणाचल प्रदेश से जोड़ती है। अरुणाचल प्रदेश चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। 1962 में चीनी हमले के दौरान हमें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था।

इस आधुनिक युग में, 21वीं शताब्दी में भी यह मीटर गेज लाइन है। अत:, यह परियोजना समयबद्ध तरीके से पूरी की जानी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि हमारी माननीया मंत्री इन सभी चीजों का ध्यान रखेंगी और इसे जल्दी पूरा करेंगी।

असम में पुराने डिब्बों का प्रयोग किया जाता है। पिछले साठ वर्ष के दौरान हमने देखा है कि असम में आने वाली और वहां से चलने वाली रेलगाड़ियों में और स्थानीय क्षेत्रों में भी पुराने डिब्बों का प्रयोग किया जाता है। इन डिब्बों की हालत अत्यंत खराब है। इन्हें चरणबद्ध तरीके से बदला जाना चाहिए ताकि लोग सुविधापूर्ण यात्रा कर सकें। कुमारी ममता बनर्जी ने कहा है कि इज्जत होनी चाहिए। हमारे पूर्वोत्तर के लोगों को भी इज्जत दी जानी चाहिए।

मैं हमारी माननीया मंत्री से अनुरोध करता हूं कि उन्नयन किए जाने वाले स्टेशनों में रोंगिया स्टेशन को शामिल किया जाए।

मुंबई के लिए एक नई रेलगाड़ी चलाई जानी चाहिए। काफी समय से हमारे छात्र अध्ययन के लिए मुंबई जा रहे हैं। लेकिन नागपुर होकर कोई रेल संपर्क नहीं है। नागपुर एक महत्वपूर्ण स्टेशन है जहां हमारे छात्र अध्ययन के लिए जाते हैं। हम नई दिल्ली के लिए एक सीधी (नान-स्टाप) रेलगाड़ी की मांग करते हैं क्योंकि हमारे पास केवल राजधानी एक्सप्रेस है। वर्तमान बजट में अनेक सीधी रेलगाड़ियां चलाई गई हैं लेकिन असम का कोई जिक्र नहीं है। मुझे उम्मीद है कि माननीया रेल मंत्री इन चीजों पर ध्यान देंगी और 'नान-स्टाप' रेलगाड़ी चलाएंगी।

महोदय, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, असम एक पिछड़ा राज्य है और वहां रोजगार के ज्यादा अवसर नहीं है। अत:, कम से कम चतुर्थ श्रेणी में स्थानीय लोगों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए और उन्हें स्थानीय रोजगार कार्यालय के माध्यम से रोजगार दिया जाना चाहिए।

महोदय, जहां तक मुझे ज्ञात है, असम सरकार और तत्कालीन रेल मंत्री, श्री गुलजारी लाल नन्दा के बीच इसके लिए समझौता हुआ था। अत:, मैं अनुरोध करता हूं कि माननीया रेल मंत्री इन चीजों को नोट करें और इस बात पर भी ध्यान दें क्योंकि असम इस देश का सबसे पिछड़ा राज्य है।

श्री एन.एस.वी. चित्तन (डिंडीगुल): महोदय, मैं वर्ष 2009-10 के रेल बजट का समर्थन करने के लिए उठा हूं।

महोदय, सं.प्र.ग. अध्यक्ष महोदया श्रीमती सोनिया गांधी के सुयोग्य मार्गनिर्देशन और हमारे प्रिय प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह के प्रशंसनीय नेतृत्व में, हमारी माननीया रेल मंत्री ने राष्ट्र के समक्ष एक गरीब हितैषी बजट प्रस्तुत किया है जिसकी जनता के सभी वर्गों द्वारा जोरदार प्रशंसा की गई है।

महोदय, रेल के इतिहास में प्रथम बार, गत छ: वर्षों के दौरान, कांग्रेस के नेतृत्व वाली संप्रग सरकार के कार्यकाल में, यात्री किराए और माल भाड़े में वृद्धि नहीं की गई है। इसके साथ ही आम आदमी, छात्र समुदाय और महिलाओं को बेहतर सुविधाएं और उचित रियायतें दी गई हैं।

रेल प्रयोक्ताओं ने 57 नई रेलगाड़ियों और 27 रेलगाड़ियों की विस्तारित सेवा और 13 रेलगाड़ियों के फेरों में वृद्धि के रिकार्ड की सराहना की है। रेल बजट में अनेक स्वागत-योग्य घोषणाएं हैं। *...(व्यवधान)*

महोदय, समयाभाव के कारण मैं अपना भाषण छोटा कर रहा हूं। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: हमें आज 8 बजे तक यह चर्चा समाप्त करनी है।

श्री एन.एस.वी. चित्तन: हां महोदय, यही कारण है कि मैं अपना भाषण छोटा कर रहा हूं।

बहुतप्रतीक्षित डिंडीगुल-मदुरै दोहरीकरण कार्य पूरा हो चुका है और यह अगले 15 दिन में प्रयोग के लिए तैयार होगा। यदि यह शुरू हो जाता है तो मदुरै से चेन्नै दस नई रेलगाड़ियों का प्रचालन आसानी से हो सकता है। इसीलिए मैं गत 13 वर्ष से इस परियोजना की मांग कर रहा था और मुझे खुशी है कि अब यह पूरी हो गई है और मैं सार्वजनिक रूप से हमारी माननीया रेल मंत्री को इस परियोजना के उद्घाटन के लिए अपने निर्वाचन क्षेत्र में आने का निमंत्रण देता हूं।

महोदय, सत्य कहूं तो जहां तक तमिलनाडु का संबंध है, यह बजट निराशाजनक है। यद्यपि अनेक घोषणाएं की गई हैं, लेकिन तमिलनाडु में चल रही परियोजनाओं के बारे में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है और वे कच्छप गति से क्रियान्वित की जा रही हैं। यह समय की मांग है कि अधूरी परियोजनाओं के लिए पर्याप्त निधियां आबंटित की जाएं।

महोदय, मुझे और तीन बातों का उल्लेख करना है। डिंडीगुल और पोल्लाची के बीच छोटी लाइन पर गाड़ियों की आवाजाही रोक दी गई है और मार्ग अमान परिवर्तन के लिए तैयार है। डिंडीगुल और पोल्लाची के बीच की दूरी 120 कि.मी. है और आमान परिवर्तन की लागत 287 करोड़ रुपये आंकी गई। वर्ष 2009-10 के लिए मात्र 30 करोड़ रुपये का अंतरिम अनुदान संस्वीकृत किया गया। पलानी स्थित पर्वतीय मंदिर जिसे भगवान श्रवण के 6 प्रमुख निवास स्थानों में से एक माना जाता है, के लिए यही एक मात्र रेलमार्ग है। इस पवित्र स्थान के दर्शन के लिए लोग तमिलनाडु, केरल और देश भर से यहां इकत्र होते हैं। इसलिए, मैं माननीया रेल मंत्री से इसी वर्ष में और धन आवंटित करने का अनुरोध करता हूं ताकि अत्यावश्यक आमान परिवर्तन का यह काम पूरा हो सके।

इसके अतिरिक्त मेरे निर्वाचन क्षेत्र डिंडीगुल शहर में 6 से अधिक समपार हैं तथा परिणामत: यातायात अवरोध दिनो-दिन बढ़ता जा रहा है। बालकृष्णपुरम, पुदूर गेट और नेहरूजी नगर में सड़क उपरिपुल तथा अन्य स्थानों पर भूमिगत पार पथ अत्यावश्यक है। मैं अनुरोध करता हूं कि सड़क उपरिपुल का निर्माण कार्य युद्ध-स्तर पर पूरा करने के लिए पर्याप्त धन आवंटित किया जाए।

रात्रि 8.00 बजे

सभापति महोदय: श्री चित्तन, कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए। अब हमें सभा की कार्यवाही समाप्त करनी है।

श्री एन.एस.वी. चित्तन: मैं अंतिम वक्ता हूं। मैं अपना भाषण संक्षिप्त कर रहा हूं। मुझे सिर्फ एक या दो बातें करनी है *...(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री और जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): हम सभा के समय को तब तक बढ़ाते हैं जब तक उनका भाषण समाप्त नहीं हो जाता *...(व्यवधान)*

श्री एन.एस.वी. चित्तन: मैंने सिर्फ दो या तीन मिनट का समय लिया है। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: उनका भाषण समाप्त होने तक सभा का समय बढ़ाया जाता है। इसलिए, आप बोलिये।

श्री एन.एस.वी. चित्तन: वर्तमान में, रॉकफोर्ट एक्सप्रेस रेलगाड़ी चेन्नै और तिरुचिरापल्ली के बीच चलती है। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल: जो लोग इस रेल बजट पर बोलना चाहते हैं, वे कल बोल लें क्योंकि कल भी इस पर बहस होगी। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: माननीय सदस्यगण, रेल बजट पर चर्चा कल जारी रहेगी। इसलिए, आपको कल समय दिया जाएगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह): वह तो ठीक है, लेकिन हमारा कहना है कि आप आज एक घंटे का समय और बढ़ा दीजिए ताकि जितने लोग बोलना चाहें, वे बोल सकें। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री चित्तन कृपया अपनी बात जारी रखिए।

श्री एन.एस.वी. चित्तन: मैं पुन: कहता हूं कि वर्तमान में यात्रियों से भरी राक फोर्ट एक्सप्रेस चेन्नै और तिरुचिरापल्ली के बीच में चल रही है। इस गाड़ी को डिंडीगुल तक बढ़ाया जाए जो कि इससे सटे हुए जिलों का केन्द्र है। तिरुचिरापल्ली और डिंडीगुल के बीच की दुरी मात्र 95 किमी. है। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: माननीय सदस्यगण, कृपया उनके भाषण में व्यवधान न डालें। आपको बोलने का अवसर मिलेगा।

श्री एन.एस.वी. चित्तन: डिंडीगुल के गुडशेड को वेल्लोड स्टेशन पर स्थानांतरित कर देना चाहिए जहां काफी जगह है तथा जो मात्र वहां से 5 कि.मी. दूर है। डिंडीगुल के वर्तमान शेड में काफी कम जगह है और इससे यहां लारियों की लाइन लग जाती है। जिसके परिणामस्वरूप भारी जाम लग जाता है।

विल्लुपुरम-तूतीकोरीन-नागरकोइल क्षेत्र में अंग्रेजों के समय से ही मात्र एक रेलवे मार्ग है। विल्लुपुरम और डिंडीगुल के बीच रेल मार्ग के दोहरीकरण के लिए मैं बार-बार आग्रह करता रहा हूं। इसकी कुल लम्बाई 273 कि.मी. होगी। दोहरीकरण तथा विद्युतीकरण की कुल लागत 822.38 करोड़ रुपये आंकी गई है। हम, दक्षिण तमिलनाडु के लोग, आर्थिक स्वतंत्रता के लिए इस परियोजना पर निर्भर है चूंकि प्रतविर्ष मानसून समय पर नहीं आता है। इस वर्ष 15 करोड़ रुपये की बहुत ही छोटी राशि निर्धारित की गई है। इसलिए मैं माननीया रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे इस अत्यावश्यक दोहरीकरण तथा विद्युतीकरण परियोजना में तेजी लाने के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित करें।

अंत में, डिंडीगुल-कुमुली पूरे विश्व में हिन्दुओं के लिए एक अन्य महत्वपूर्ण मार्ग है। साबरीमाला के पर्वतीय मंदिर में भगवान अय्यप्पा की वर्ष भर पूजा होती रहती है। लाखों लोग इसके दर्शन मात्र तथा पूजा के लिए यहां एकत्र होते हैं। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: माननीय सदस्यगण, आप इसे सभा पटल पर रख सकते हैं। आपने अपनी बात कह दी है।

श्री एन.एस.वी. चित्तन: महोदय, मैं अपना भाषण समाप्त करने वाला हूं। इस मार्ग की कुल लम्बाई मात्र 133.56 कि.मी. है तथा 31.3.2008 की स्थिति के अनुसार इसकी कुल लागत 504.90 करोड़ रुपये आंकी गई थी। इसलिए, मैं माननीया रेल मंत्री से इस परियोजना को युद्ध स्तर पर पूरा करने का अनुरोध करता हूं।

महोदय, तमिलनाडु में एक मात्र छोटी लाइन मदुरै-बोडी लाइन है। इसकी दूरी मात्र 90 कि.मी. है। इस लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए 250 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। यदि इसको बदल दिया जाता है तो हम इस मार्ग को कोट्टायम तक बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं जिससे काली मिर्च और इलायची के संबंध में बेहतर विपणन सुविधाएं प्राप्त होंगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

***श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी** (अनन्तपुर): महोदय, यह नीवन विचारों और प्रस्तावों वाला अच्छा बजट है। नान-स्टाप दुरंतो ट्रेन एक बहुत अच्छा विचार है और यदि इसे कार्यान्वित किया जाता है तो यह भारतीय रेल के इतिहास में बहुत बड़ी सफलता होगी। किराए में वृद्धि नहीं की गई है और यह संप्रग सरकार का निरंतर छठा रेल बजट है जिसमें रेल किराए में वृद्धि नहीं की गई है। छात्रों और निम्न आय वाले व्यक्तियों के लिए अनेक रियायतों का प्रस्ताव है। मैं इस बजट में किए गए इन उपायों और अन्य उपायों के लिए माननीया रेल मंत्री को बधाई देता हूं।

इस बजट में एक और नया विचार यह है कि सभी सदस्यों से यह सुझाव देने के लिए कहा जाए कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में उनकी पसंद के कौन से स्टेशन पर कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण सेवा आरंभ की जा सकती है। यह एक नया विचार है और इससे रेलवे को उन स्थानों पर पीआरएस प्वाइंट्स का पता लगाने में सहायता मिलेगी जहां इनकी अत्यंत आवश्यकता है।

महोदय, मैं इस सम्माननीय सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं और मैं सीधे अपने निर्वाचन क्षेत्र के मुद्दों पर आता हूं। मैं आंध्र प्रदेश में अनन्तपुर का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं और यह इस सम्माननीय सभा में मेरा यह चौथा कार्यकाल है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के काफी बड़े हिस्से में रेलवे नेटवर्क है और बहुत से व्यक्तियों की आजीविका रेलवे पर निर्भर है। दक्षिण मध्य रेलवे में सबसे अधिक राजस्व अर्जित करने वाला गुंटाकल मंडल मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है। अत: स्वाभाविक है कि इस क्षेत्र के व्यक्तियों को माननीया रेल मंत्री से अनेक आकांक्षाएं हैं जिन्हें वे इस सभा में व्यक्त करना चाहते हैं।

महोदय, जैसा कि मैंने कहा, गुंटाकुल मंडल दक्षिण मध्य रेलवे का सबसे अधिक राजस्व अर्जित करने वाला मंडल है और यह आंध्र प्रदेश के पूरे दक्षिण का प्रवेश स्थल है और यह संपूर्ण रायलसीमा क्षेत्र की जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु महत्वपूर्ण स्थान पर स्थित है। इस मंडल के संबंध में ऐसे अनेक मुद्दे हैं जिन पर इस क्षेत्र की जनता को बेहतर यात्रा सुविधाएं प्रदान करने के लिए रेलवे को तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।

नए संपर्कों की आवश्यकता

रायदुर्ग-तुमकुर लाइन पहले ही मंजूर की जा चुकी है। फरवरी, 2009 में प्रस्तुत अंतरिम बजट में इस कार्य के लिए पांच करोड़ की राशि मंजूर की गई थी और इस बजट में 13.48 करोड़ की राशि प्रदान की गई है। यह लाइन आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच संपर्क प्रदान करती है। सर्वेक्षण भी पूरा हो चुका है और कार्य शीघ्र आरंभ किया जाना चाहिए। इस लाइन को पूरा करने के लिए 1014.41 करोड़ रुपए की आवश्यकता है और इस लाइन को पूरा करने के लिए यथाशीघ्र संभव उपाय किए जाने चाहिएं जिससे दोनों राज्यों के बीच संपर्क बनेगा।

गत वर्ष के बजट में मदनपल्ली होते हुए कुडप्पा और बैंगलोर के बीच एक नई लाइन का प्रस्ताव किया गया था। आंध्र प्रदेश सरकार इस परियोजना का 50 प्रतिशत व्यय वहन करने के लिए तैयार है। यह रायलसीमा के केन्द्र से बैंगलोर के बीच संपर्क प्रदान करेगी। इस बजट में केवल 29 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं जो अत्यंत कम हैं। अंतिम सर्वेक्षण का कार्य तेजी से किया जाना चाहिए।

आमान परिवर्तन

धर्मवरम-पकला आमान परिवर्तन रेलवे की एक अति महत्वपूर्ण परियोजना है। पूरे राज्य में यह एकमात्र लंबित छोटी आमान परिवर्तन लाइन है। गुन्टाकल और कल्लूर के बीच आमान परिवर्तन का कार्य पूरा हो चुका है। इस वर्ष के बजट में इस आमान परिवर्तन के लिए 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं। 2009-10 में आमान परिवर्तन कार्य पूरा करने के लिए शीघ्र कार्यवाही की जानी चाहिए।

नई रेलगाड़ियों की आवश्यकता

दो अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों, तिरुपति और शिरडी के बीच कोई सीधा संपर्क नहीं है। कुडप्पा, गूटी, गुंटकल, वाडी, शोलापुर, दोंद और अहमदनगर होते हुए इन दोनों धार्मिक केन्द्रों के बीच एक रेलगाड़ी चलाने की अत्यधिक आवश्यकता है।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

हैदराबाद से बैंगलोर के बीच फिलहाल केवल दो रेलगाड़ियां हैं और दोनों रात्रिकालीन हैं। बैंगलोर और हैदराबाद के लिए दिन में कोई रेलगाड़ी नहीं है। यह अनुरोध है कि बैंगलोर से काचेडगुडा के लिए एक एक्सप्रेस सेवा शुरू की जाए जो दोनों स्टेशनों से प्रातः लगभग 7 बजे चले और 12 घंटे में अपने गंतव्य स्थल पर पहुंच जाए।

पुट्टापार्थी का अत्यंत प्रसिद्ध धर्मस्थल जो प्रशान्ति निलयम स्टेशन द्वारा जुड़ा हुआ है, का संपर्क हैदराबाद से इन दोनों स्टेशनों के बीच एक सीधी रेलगाड़ी चलाकर किया जाए।

रेलगाड़ियों का विस्तार

7607/7608 तुंगभद्रा एक्सप्रेस वर्तमान में सिकंदराबाद और कुरनूल के बीच चल रही है जो उसी दिन वापस आ जाती है। गाड़ी कुरनूल स्टेशन पर लगभग तीन घंटे रुकती है। तुंगभद्रा एक्सप्रेस का विस्तार गुंटकल (डिवीजन मुख्यालय) होते हुए तिरुपति तक किया जाए ताकि हैदराबाद और तिरुपति के बीच दिन के समय संपर्क हो सके। यह मौजूदा समय पर ही सिकंदराबाद से चल सकती है और शाम को तिरुपति पहुंच सकती है। तद्नुसार लगभग उसी समय अन्य गाड़ी तिरुपति से सिकंदराबाद के लिए चल सकती हैं। इससे तिरुपति की यात्रा करने वाले अनेक यात्रियों को काफी सहायता मिलेगी और रेलवे के राजस्व में काफी बढ़ोतरी होगी।

रेलगाड़ियों का ठहराव

चेन्नै और मुंबई के बीच चलने वाली 2163/2164 चेन्नै एक्सप्रेस गूटी में नहीं ठहरती है। इस मार्ग पर गूटी एक अत्यंत महत्वपूर्ण जंक्शन है जहां एक डीजल लोको शेड है। चेन्नै अथवा मुंबई की तरफ काफी यात्रियों द्वारा यात्रा करने की उम्मीद है और गूटी में इस रेलगाड़ी के दो मिनट के ठहराव से रेलवे के राजस्व में काफी वृद्धि होगी।

चित्तूर और काचेडगुडा के बीच चलने वाली 2797/2798 वेंकटादरी एक्सप्रेस को रायलचेरुवू में एक मिनट का ठहराव दिया जाए जो अनंतपुर जिले का महत्वपूर्ण स्टेशन है। यहां से दोनों दिशाओं में अनेक लोग यात्रा करते हैं।

6533/6534 जोधपुर-यशवंतपुर एक्सप्रेस जिला मुख्यालय और संसदीय निर्वाचन क्षेत्र मुख्यालय अनंतपुर में नहीं ठहरती है। यह उन अनेक लोगों को इस सुविधा से वंचित कर रही है जो राजस्थान की यात्रा करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें यह रेलगाड़ी पकड़ने के लिए गुंटकल भागना पड़ता है। यह रेलवे को राजस्व से भी वंचित करता है। इस रेलगाड़ी को अनंतपुर में कम से कम दो मिनट के लिए रोका जाए।

आदर्श स्टेशनों की सूची में शामिल करना

अनंतपुर जिला मुख्यालय है और संसदीय निर्वाचन क्षेत्र मुख्यालय भी है। अनंतपुर के स्टेशन पर यात्रियों के लिए अच्छी सुविधाएं नहीं हैं। अनंतपुर को एक आदर्श स्टेशन का दर्जा दिया जाए और सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ इसका इस स्तर तक उन्नयन किया जाए। इसी प्रकार, गुंटकल स्टेशन जो एक बड़ा जंक्शन है और डिवीजन मुख्यालय भी है, को आदर्श स्टेशनों की सूची में शामिल किया जाए और इसका तुरंत उन्नयन किया जाए।

वर्ग ग रिक्तियां स्थानीय लोगों से भरना

मैं माननीया मंत्री महोदय के ध्यान में एक ऐसा पहलू लाना चाहता हूं जो रेलवे को पूरे भारत में प्रभावित कर रहा है और अकेले दक्षिण मध्य रेल के गुंटकुल मंडल (डिवीजन) से संबंधित नहीं है। संशोधित श्रेणी यथा गैंगमैन, खलासी आदि में वर्ग-ग पद निचले पद हैं जो अधिकतर अकुशल हैं और ये काफी हद तक स्थानीय लोगों से भरी जा सकती है। हाल ही में ये पद सुदूर बिहार के लोगों से भरे गए थे। इतनी बड़ी संख्या में बिहार के लोगों के आने से लोगों में असंतोष है कि वे इस रोजगार से वंचित हो गए है। इससे मंडल (डिवीजन) में बहुत ही बेचैनी और कठिन स्थिति उत्पन्न हो रही है। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि ये संशोधित श्रेणी-ग पद केवल स्थानीय लोगों से ही भरे जाएं जो बहुतायत में मौजूद हैं और स्थानीय भाषा जानते हैं और रेलवे की संतोषजनक सेवा में गर्व महसूस करेंगे। इन श्रेणी-ग पदों को भरने के लिए बड़ी संख्या में मौजूद स्थानीय प्रतिभा का प्रयोग किया जाना चाहिए।

महोदय, इस बजट में यात्री सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। जिसके लिए मैं माननीया मंत्री को बधाई देता हूं। स्टेशनों पर स्वच्छता बनाए रखने और पेयजल उपलब्ध कराने तथा यात्रियों को अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए हरसंभव प्रयास किया जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं रेल बजट का समर्थन करता हूं और एक बार पुनः माननीया मंत्री से आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के लोगों की मांगों पर ध्यान देने और उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का अनुरोध करता हूं।

सभापति महोदयः माननीय सदस्यगण, रेल बजट पर चर्चा कल जारी रहेगी।

अब सभा कल 8 जुलाई, 2009 को पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

रात्रि 8.03 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 8 जुलाई, 2009/17 आषाढ़, 1931 (शक) को पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत होने के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1.	श्री वैजयंत पांडा श्री एम. राजा मोहन रेड्डी	41
2.	श्री आनंदराव अडसुल	42
3.	श्रीमती सुस्मिता बाउरी श्री महेन्द्र कुमार राय	43
4.	श्री अधीर चौधरी श्री सुशील कुमार सिंह	44
5.	डा. एम. तम्बिदुरई श्री दुष्यंत सिंह	45
6.	श्री एन.एस.वी. चित्तन	46
7.	श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	47
8.	डा. रुद्रमाधव राय डा. प्रसन्न कुमार पाटसाणी	48
9.	श्री पी. लिंगम श्री संजय सिंह चौहान	49
10.	श्री प्रबोध पांडा श्री एल. राजगोपाल	50
11.	श्री पूर्णमासी राम श्री टी.आर. बालू	51
12.	श्री कीर्ति आजाद श्री पी. करुणाकरन	52
13.	श्री चंद्रकांत खैरे श्री तथागत सत्पथी	53
14.	श्री गुरुदास दासगुप्त	54
15.	श्री अधलराव पाटील शिवाजी	55
16.	श्री नवीन जिन्दल	56
17.	श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार श्री नरहरि महतो	57
18.	श्री के.एस. राव	58
19.	श्री असादूद्दीन ओवेसी	59
20.	श्रीमती मेनका गांधी	60

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	अडसूल, श्री आनंदराव	389, 437, 475, 492
2.	अग्रवाल, श्री जय प्रकाश	353, 419, 462, 487, 502
3.	अग्रव, श्री राजेन्द्र	329
4.	अहीर, श्री हंसराज गं.	340, 403, 451
5.	अजनाला, डा. रतन सिंह	362, 424, 467, 482
6.	'बाबा', श्री के.सी. सिंह	326
7.	बैसीमुथियारी, श्री सानछुमा खुंगुर	368, 426
8.	चौहान, श्री संजय सिंह	387, 455, 485
9.	चौहान, श्री प्रभातसिंह पी.	366
10.	चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र	331, 428, 468, 516, 521
11.	चौधरी, श्री अधीर	390, 438, 504
12.	देवरा, श्री मिलिंद	334
13.	देशमुख, श्री के.डी.	313, 408, 456
14.	दुबे, श्री निशिकांत	350, 413, 459, 519, 523
15.	दूधगांवकर, श्री गणेशराव नागोराव	337, 399, 493
16.	दत्त, श्रीमती प्रिया	330
17.	गढ़वी, श्री मुकेश भैरवदानजी	349, 360, 423, 469
18.	गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	349, 372, 412, 461
19.	गांधी, श्रीमती मेनका	397, 447, 481, 497
20.	गोहैन, श्री राजेन	324

1	2	3
21.	गुड्डू, श्री प्रेमचन्द	358
22.	हक, शेख सैदुल	346
23.	हेगड़े, श्री अनंत कुमार	448
24.	जाधव, श्री बलीराम	337, 354, 399, 493
25.	जायसवाल, श्री गोरख प्रसाद	402, 510
26.	झांसी लक्ष्मी, श्रीमती बोचा	357, 507
27.	जिन्दल, श्री नवीन	382
28.	जोशी, डा. मुरली मनोहर	334, 398, 400, 448
29.	जोशी, श्री प्रहलाद	322, 340, 415
30.	करुणाकरन, श्री पी.	386, 452, 483, 505
31.	कश्यप, श्री वीरेन्द्र	514
32.	खैरे, श्री चंद्रकांत	392, 441, 477, 495
33.	किशोर, श्री कमल उर्फ कमांडो	402, 510, 512
34.	कुमार, श्री विश्व मोहन	367
35.	लागुरी, श्री यशवंत	328, 354, 364, 425
36.	मादम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	378, 432, 471, 524
37.	महाजन, श्रीमती सुमित्रा	320, 335, 417
38.	महतो, श्री नरहरि	383, 393, 434
39.	महताब, श्री भर्तृहरि	351, 414
40.	माझी, श्री प्रदीप	343, 389, 406, 504, 525
41.	मजूमदार, श्री प्रशान्त कुमार	383, 393, 443
42.	मुत्तेमवार, श्री विलास	341, 386, 404, 506, 517

1	2	3
43.	निरूपम, श्री संजय	336
44.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	395, 445, 479, 496
45.	पांडा, श्री वैजयंत	388, 436, 474, 491
46.	पाण्डेय, श्री रवीन्द्र कुमार	339, 402, 441, 444, 450
47.	पाटसाणी, डा. प्रसन्न कुमार	374, 389, 401, 453
48.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	343, 389, 406, 525
49.	पाठक, श्री हरिन	347, 352, 411, 456, 458
50.	पाटील, श्री ए.टी. नाना	361
51.	राघवन, श्री एम.के.	348, 452
52.	राम, श्री पूर्णमासी	384, 440, 489
53.	रामासुब्बू, श्री एस.एस.	314, 375
54.	राव, डा. के.एस.	334, 394, 444, 448
55.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	342, 405, 454, 484, 499
56.	राठवा, श्री रामसिंह	365
57.	रावत, श्री अशोक कुमार	345, 410, 457, 518, 522
58.	राय, श्री रुद्रमाधव	391, 439, 476, 494
59.	रेड्डी, श्री अनन्त वेंकटरामी	317
60.	रेड्डी, श्री गुथा सुखेन्द्र	373, 430, 470
61.	रेड्डी, श्री के.जे.एस.पी.	323, 403, 422, 465
62.	रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन	377, 442, 478

1	2	3
63.	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	325, 407, 419, 466, 520
64.	राय, श्री नृपेन्द्र नाथ	383, 393
65.	सम्पत, श्री ए.	355, 421, 462
66.	सारदीना, श्री फ्रांसिस्को कोज्मी	370, 427
67.	सत्पथी, श्री तथागत	352, 409
68.	सेम्मलई, श्री एस.	509
69.	सेठी, श्री अर्जुन चरण	332
70.	शर्मा, श्री जगदीश	334, 398, 476
71.	शिवाजी, श्री अधलराव पाटील	389, 437, 503, 504
72.	सिद्देश्वर, श्री जी.एम.	321, 381, 464, 513
73.	सिद्धू, श्री नवजोत सिंह	482
74.	सिंह, डा. रघुवंश प्रसाद	369, 429, 515
75.	सिंह, श्री बृजभूषण शरण	333, 416, 460
76.	सिंह, श्री दुष्यंत	396, 446, 480
77.	सिंह, श्री गणेश	359, 462
78.	सिंह, श्री पशुपति नाथ	402
79.	सिंह, श्री राधा मोहन सिंह	352, 418, 461, 478
80.	सिंह, श्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह	400, 476
81.	सिंह, श्री सुशील कुमार	492
82.	सिंह देव, श्री कालीकेश नारायण	315, 376, 431, 486, 501
83.	सिरिसिल्ला, श्री राजैया	327, 385, 435, 473, 490
84.	सुगावनम, श्री ई.जी.	318, 379
85.	सुले, श्रीमती सुप्रिया	316, 420, 463, 488
86.	सुरेश, श्री कोडिकुन्नील	402, 492
87.	स्वामी, श्री एन. चेलुवरया	319, 380, 433, 472, 500
88.	स्वराज, श्रीमती सुषमा	371
89.	तिवारी, श्री मनीष	525
90.	ठाकोर, श्री जगदीश	511
91.	ठाकुर, श्री अनुराग सिंह	344, 513, 514
92.	थामस, श्री पी.टी.	356, 452
93.	वसावा, श्री मनसुखभाई डी.	364, 402, 425, 510
94.	वेणुगोपाल, श्री के.सी.	348, 452
95.	वर्मा, श्रीमती ऊषा	325
96.	वाकचौरे, श्री भाउसाहेब राजाराम	338, 401, 449, 482, 498
97.	यादव, श्री अंजनकुमार एम.	508
98.	यादव, श्री हुक्मदेव नारायण	369
99.	यादव, श्री ओम प्रकाश	363, 438
100.	यास्खी, श्री मधु गौड	349, 372, 412, 461.

अनुबंध II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कृषि	:	46, 51, 58
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	:	44, 49, 50, 52, 60
गृह	:	41, 43, 48, 54
सूचना और प्रसारण	:	59
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	:	57
खान	:	53
उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास	:	
सड़क परिवहन और राजमार्ग	:	42, 47, 55, 56
युवक कार्यक्रम और खेल	:	45.

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कृषि	:	315, 317, 321, 323, 325, 326, 333, 339, 344, 345, 348, 361, 365, 368, 372, 373, 380, 385, 390, 392, 405, 425, 431, 433, 436, 439, 443, 451, 452, 454, 456, 468, 475, 480, 483, 484, 485, 486, 494, 497, 499, 501, 509, 511, 513, 517, 518, 519, 521, 524
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	:	327, 335, 340, 351, 353, 355, 371, 384, 389, 394, 402, 404, 421, 422, 427, 428, 434, 438, 449, 457, 460, 464, 465, 467, 489, 505, 510, 512
गृह	:	313, 322, 334, 343, 349, 352, 357, 364, 367, 374, 375, 377, 379, 387, 391, 393, 395, 398, 399, 409, 410, 412, 414, 415, 417, 420, 426, 432, 437, 441, 444, 447, 448, 450, 461, 462, 469, 476, 478, 481, 482, 490, 492, 493, 495, 496, 504, 522, 525
सूचना और प्रसारण	:	314, 324, 331, 360, 383, 407, 413, 463, 471, 503
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	:	319, 328, 363, 386, 397, 419, 470, 491, 500, 520, 523
खान	:	318, 342, 350, 359, 378, 459, 488, 498
उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास	:	–
सड़क परिवहन और राजमार्ग	:	316, 320, 329, 330, 332, 337, 338, 341, 346, 347, 354, 358, 362, 366, 369, 370, 376, 381, 382, 388, 396, 400, 401, 403, 406, 408, 411, 416, 418, 423, 424, 429, 430, 435, 442, 445, 446, 453, 455, 458, 466, 472, 473, 474, 477, 479, 506, 507, 508, 514, 515, 516
युवक कार्यक्रम और खेल	:	336, 356, 440, 487, 502.